राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक :4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पैंतीसवां दिवस [संख्या : 20

बुधवार
26 अप्रैल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

अकाल राहत कार्यों में दी जा रही न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

577. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 44 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति दिन किये जाने की अधिसूचना कब जारी की गई तथा इसे कब से लागू किया गया ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अकाल राहत कार्यों में बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी देय हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री हरिसिंह) (कुम्हेर) : श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 44 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति दिन किये जाने की अधिसूचना दिनांक 11.11.99 को जारी कर उसे दिनांक 16.11.99 से लागू कर दिया गया है तथा अकाल राहत कार्यों के लिए भी बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 30.3.2000 को अधिसूचित कर दी गई हैं जो दिनांक 1.4.2000 से लागू हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं श्रम मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने अकाल राहत कार्य मार्च में शुरू किये, मार्च में राहत कार्यों में जिन श्रमिकों ने काम किया उनको आप 16.11.99 के आदेश से मजदूरी देंगे या 30.3.2000 वाले आदेश से ?

दूसरा, क्या टास्क बेसिस पर जो नाप-तौल करते हैं वह सारे ग्रुप को मिलाकर निकालते हैं या मस्टर रोल के आधार पर निकालते हैं या अलग-अलग आदमियों के आधार पर निकालते हैं? तीसरा प्रश्न यह है कि पानी पिलाने या अन्य दूसरे कामों पर जो लोग रहते हैं, जो मजदूरी नहीं करते, उनका नाम मस्टर रोल में होता है, उनका भुगतान किस आधार पर किया जाता है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष जी, हमने 16.11.99 को एक अधिसूचना

(श्री हरिसिंह)

जारी की थी जिससे 44 रुपये की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 60 रुपये किया गया। अकाल राहत कार्यों पर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की उस नोटिफिकेशन में बात नहीं है। इसको हमने 30.3.2000 को अधिसूचित किया है और 1.4.2000 से यह लागू हुई है। इसलिए बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये, टास्क के हिसाब से है। जितना टास्क होगा उसके हिसाब से 1.4.2000 से इसका भुगतान होगा। बगैर टास्क के न्यूनतम मजदूरी मिलने का नोटिफिकेशन कभी हुआ ही नहीं, टास्क के साथ में न्यूनतम मजदूरी नहीं लगाई जाए। टास्क होगा तो न्यूनतम मजदूरी भी होगी, यह हमने 1.4.2000 से लागू किया है। इसलिए अकाल राहत कार्यों पर 1.4.2000 से 60 रुपये के हिसाब से रैड विथ टास्क पेमेंट होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): इनके दो प्रश्न और हैं। उन्होंने यह पूछा कि जो टास्क आप निकालते हैं, मान लो 25 के ग्रुप ने काम किया, उसमें से तीन लोग ऐसे हैं जिनमें कोई पानी पिला रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, उनकी 25 के आधार पर टास्क निकालेंगे या जिन्होंने वास्तव में खोदा और डाला, उनके आधार पर टास्क निकालेंगे ? उनकी मजदूरी किस आधार पर तय की जाएगी जो काम नहीं करते हैं लेकिन मस्टर रोल पर जिनका नाम होता है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रम मंत्रालय का काम तो न्यूनतम मजदूरी फिक्स करने का है, बाकी पेमेंट करने का काम तो अकाल राहत मंत्रीजी करेंगे। आज बहस हो रही उसमें डिटेल में आप चर्चा कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक छोटी-सी जानकारी माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं। राज्य के अंदर अकाल राहत के तहत बड़ी संख्या में सार्वजनिक नलकूप गहरा कराने के काम स्वीकृत किये गये। आपने अभी 60 रुपये दैनिक मजदूरी की है लेकिन कोई भी मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ 60 रुपये के लिए उस काम पर आने कि लिए तैयार नहीं है। इस वजह से किसी भी जगह ये काम शुरू नहीं हो सके। सार्वजनिक नलकूप गहरे कराने के काम में कारीगर को जो मजदूरी दी जाती है वह मजदूरी क्या आप उन श्रमिकों को देने का इरादा रखते हैं ? यह जानकारी आप देने का कष्ट करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेरा) : मैं इसमें आपको निवेदन करूं कि 60 रुपये न्यूनतम मजदूरी सभी कार्यो के लिए नहीं है। उसमें डिटेल दी हुई है कि किस काम पर 60 रुपये होगी, किस काम पर ज्यादा होगी। इसके संबंध में जो हमारा नोटिफिकेशन है वह क्लियर है। जहां खतरनाक काम है, ज्यादा काम है उसमें ज्यादा का प्रोविजन है।

श्री संयम लोढ़ा : आप दे नहीं रहे हो इसलिए ये काम शुरू नहीं हुए हैं। पूरे राज्य में कहीं भी सार्वजनिक नलकूप गहरा कराने के काम शुरू नहीं हुए हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अकाल राहत मंत्रीजी से आप चर्चा कर लीजिएगा, मेरा काम तो न्यूनतम मजदूरी फिक्स करने का है।

श्री संयम लोढ़ा : संबंधित प्रश्न का दायरा व्यापक है और इसमें इस सवाल का ताल्लुक है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या यह श्रम विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि आप मजदूरी की न्यूनतम दर तय कर दें उसका मजदूर को भुगतान हो ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमारी बिलकुल जिम्मेदारी है। अगर हमारे पास कोई इस बात की आकर कंम्प्लेंट करेगा तो जो हमारे कानून के अंदर प्रवाधान हैं उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : सदन के माननीय सदस्य कम्प्लेंट कर रहे हैं, जो आपने 60 रुपये न्यूनतम दर तय की है उसके अनुसार भुगतान नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रम विभाग के पास ऐसी कोई कम्प्लेंट आएगी कि किसी मजदूर को जो उसका हक है वह नहीं मिल रहा है तो श्रम विभाग उसमें निश्चित रूप से नियम के हिसाब से कार्यवाही करेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर में कोलायत तहसील में हदा ग्राम में 4.60 रुपये पिछले सप्ताह की मजदूरी आई हुई है, आप कम्प्लेंट नोट कर लें। देखें, क्या कार्यवाही करते हैं आप ? 4.60 रुपया न्यूनतम दर आई है हदा ग्राम में कोलायत तहसील में पिछले पखवाड़े की। उसमें आप क्या करेंगे, कृपया आप सदन को बताएं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : कम्प्लेनेण्ट तो मजदूर होगा। जिस मजदूर को 4 रुपया 60 पैसे मजदूरी मिली वह जाकर कम्प्लेंट दर्ज कराए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमारा जो कानून है उसको इनीशिएट करने के लिए प्रोसीडिंग्स करने की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वे पूरी होते ही उस संबंध में आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, इन्होंने 11.11.99 को अधिसूचना जारी करके न्यूनतम मजदूरी को 44 रुपये से 60 रुपये बढ़ाया, फिर क्या कारण है कि अकाल राहत कार्य में लगे मजदूर, वो भी मजदूर हैं, उनकी मजदूरी आप 1.4.2000 को बढ़ाते हैं और वो भी टास्क बेसिस पर ? न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के पीछे जिन-जिन मापदण्डों को आपने निर्धारित किया था, आपके बोर्ड ने तय किया था, प्राइस इंडेक्स तय किया था, जीवन-यापन के लिए कितने साधन चाहिए वो तय किये थे, टास्क बेसिस पर जो मजदूरी आज मिल रही है क्या उससे मजदूर का जीवन-यापन संभव है ? तीन महीने आपने उस मजदूर के साथ अन्याय किया, 16.11.99 को रिवाइज किया और 1.4.2000 को अकाल राहत के मजदूरों पर लागू करते हैं, क्यों ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पूर्व मंत्री महोदय को स्मरण कराना चाहता हूं कि आपने 32 रुपये से 44 रुपये 1.5.98 को मजदूरी बढ़ाने का नोटिफिकेशन किया था, और 1.5.98 से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने कुछ किया या नहीं, उसको छोड़ें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरी बात सुन लीजिए आप। 1.5.98 से लेकर जब तक आपकी गवर्नमैंट गई आपने उस न्यूनतम मजदूरी को अकाल राहत कार्यों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया। हमारी सरकार आई, हमने आकर 5.6.99 को 44 रुपये बढ़ाये थे, वे अकाल राहत कार्य पर नोटिफाई करके हमने पेमेंट किया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामनारायण चौधरी।

अधिकारियों को मोबाइल/सेल्यूलर फोन की सुविधा

578. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों/निगमों/नगरनिगम/नगर पालिकाओं में कार्यरत कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल/सेल्यूलर फोन सरकारी खर्चे पर उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अधिकारियों को मोबाइल/सेल्यूलर फोन उपलब्ध कराने के क्या कोई मानदण्ड है? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1999-2000 से 5 अप्रैल, 2000 तक मोबाइल/सेल्यूलर फोन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये मोबाइल/सेल्यूलर फोन के आदेश की राज्य सरकार के किस स्तर पर अनुमति ली गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी खर्चे पर मोबाइल/सेल्यूलर फोन जिन अधिकारियों को उपलब्ध है, की सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) अधिकारियों की कार्य प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए मोबाइल/सेल्यूलर फोन का आबंटन किया गया है।

*(3) कुल रुपये 13,74,112 का व्यय हुआ है। विवरण की सूचना परिशिष्ट "क" के कालम 4 पर उपलब्ध है।

(4) जिन मोबाइल/सेल्यूलर फोन के लिए राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, उसकी सूचना परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(सूचना के लिए परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : सूची पढ़कर सुना देते तो हमको पता लग जाता कि किनके पास मोबाइल फोन हैं।

---

*संशोधित उत्तर। उत्तर (भाग 3) जिस रूप में ऊपर छापा गया है, मंत्री ने बाद में मूल उत्तर के स्थान पर भेजा है। मूल उत्तर इस प्रकार है:

(3) कुल रुपये 12,52,085 का व्यय हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कृपया परिशिष्ट "क" का अवलोकन करें, इसमें 25 और 26 क्रमांक पर दो अधिकारियों के फोन का खर्चा है। एक का है 23,491 और दूसरे का है 67,045. दोनों इक्वीवलैण्ट हैं, दोनों की एक-सी ड्यूटी है, एक-सा ही काम है, पर एक का 23 हजार आया है, दूसरे का 67 हजार आया है, इसमें आप कौन-से का जस्टिफाइट मानते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 25 और 26 क्रम संख्या पर पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (उत्तर) और 26 पर पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (दक्षिण) के सेल्यूलर फोन के खर्चो के बारे में प्रश्न किया है। इसमें एक से कार्य की अधिक्ता के कारण खर्चे में फर्क पड़ सकता है और दूसरा यह है कि कई बार कुछ लोग सेल्यूलर फोन आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग करते हैं और कई की आदत हो जाती है कि वे सेल्यूलर फोन से ही बात करते हैं। इसके कारण से भी ज्यादा उपयोग होने पर खर्चा बढ़ सकता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं कि आपने जो यह सूची प्रदान की है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपने परिशिष्ट "क" में जिन लोगों को सरकार ने स्वीकृति दी उन अधिकारियों के नाम दर्ज किये हैं, जिनके पास मोबाइल फोन हैं उनके नाम दर्ज किये हैं, वे हैं 43. फिर परिशिष्ट "ख" में आपने जिनकी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की है उनकी संख्या है 34. ये जो 11 अधिकारी हैं, ये बिना सरकार की स्वीकृति के मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नम्बर एक । नम्बर दो, क्या यह सही है कि आपने जो सूची प्रस्तुत की है उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रमुख शासन सचिव, सचिव प्रथम और विशेषाधिकार मुख्य मंत्री या कार्यालय में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का बिल 2,66,461 रुपये का है ? अगर हां, तो क्या यही मितव्ययता है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने 2,66,000 की जो बात कही, यह गलत है। 66,746 एक साल का खर्चा है, प्रतिमाह पांच हजार रुपये आता है, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान का जो खर्चा बताया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप देख लें, आप हाउस को मिसलीड नहीं करें। नम्बर दो पर है प्रमुख शासन सचिव 46,746 और नम्बर 3 पर हैं सचिव (प्रथम) मुख्य मंत्री 38,532, 7 पर है विशेषाधिकारी, मुख्य मंत्री 17,698 और नम्बर 8 पर है विशेषाधिकारी प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री 37,494. इसके बाद है पर्यटन विभाग के वे अधिकारी जो मुख्य मंत्री के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, उनके नाम दर्ज हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वे नहीं हैं, आजकल कार्यरत नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1,26,000 उनका बिल है। इनको आप जोड़ लें, यह सारा बनता है 2,66,461.

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप खुद मिसलीड कर रहे हैं। वे किसी वक्त थे, अभी नहीं है इस पद पर। जो खर्चा एक अधिकारी का माना जाता है वह किसी का 5 हजार, किसी का 3 हजार रुपया महीना और किसी का 4 हजार रुपया महीना आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये तो मोबाइल के हैं। यह तो आपने उत्तर दिया है उसमें है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जहां तक आपने पहला प्रश्न कुछ अधिकारियों की स्वीकृति का किया है, कुछ निगम जो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक मेरे पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने किससे मंजूरी ली है। वे आटोनोमस कारपोरेशन हैं। कारपोरेशन ने जो किये है उसकी सूची राज्य सरकार से प्राप्त सूची में नहीं है इसलिए मैंने 34 व्यक्तियों के तो नाम ऐसे दिये हैं जिनकी राज्य सरकार से स्वीकृति मिली हुई है, बाकी उन्होंने अपने-अपने निगमों से या अपने अध्यक्ष से स्वीकृति ली है।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर में यह कहा है कि...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन-सी परिस्थिति या कार्यकलाप हैं कि ये अधिकारी टेलीफोन से काम नहीं चला सकते और एडिशनल रूप से आपको मोबाइल देने की आवश्यकता पड़ी है, यह बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष : डा. सांवरलाल जी, बैठिए आप। (व्यवधान) श्री लक्ष्मणसिंह रावत।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किन अधिकारियों को और किन-किन मंत्रियों को सेल्यूलर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है ? उनके नाम बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : प्रताप सिंह जी, बैठिए आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, इस सूची का अवलोकन करें तो आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि इसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने निश्चित रूप से व्यय काफी ज्यादा किया है। मैं तो मितव्ययता की बात पर आते हुए माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जब सरकार चाहती है कि हम मितव्ययता बरतें तो क्या इस प्रकार के खर्चे जो काफी अनावश्यक प्रतीत होते हैं, सरकार उनके खर्चों पर अंकुश लगाने पर कोई ठोस सार्थक प्रयास करेगी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सेल्यूलर फोन के बिलों को देखते हुए प्राय: प्राय: तो खर्चा सीमा के अन्तर्गत है लेकिन कुछ का निश्चित रूप से एक तरीके से लगता है कि खर्चा काफी ज्यादा हुआ है। इसमें मैं स्मपूर्ण समीक्षा करके इसको कम से कम करने की कोशिश करूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): मंत्री महोदय, इसमें आपने जो उत्तर दिया है, आपके मन को एक संदेह के घेरे में खड़ा करता है। आपने लिखा उपलब्ध सूचना, इसका मतलब इसके बाहर भी कुछ है ? तो हम यह जानना चाहते हैं कि इसके बाहर और किन-किन अधिकारियों के पास है ? या आप उसकी जानकारी करके उनकी सूचना भी सदन को आज नहीं तो आगे कभी देने की मंशा रखते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूरे राज्य से सम्बन्धित था। इसके बावजूद मेरी यह कोशिश रही कि सदन में इसको स्थगित न कराऊं। अब तक मेरे पास जो उपलब्ध सूचना थी उसके आधार पर मैंने सूचना दी है, इसके अलावा एक महीने के अन्दर-अन्दर पूरे राज्य मे जहां-जहां सेल्यूलर फोन लगे हुए हैं उसके बारे में पूरी समीक्षा करके जानकारी पूरी प्राप्त करूंगा और आप चाहेंगे तो आपको दे दूंगा।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : सेल्यूलर फोन देने के, माननीय मंत्रीजी, मापदण्ड क्या तय किये हैं ?

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग दो में...

श्री अध्यक्ष : यह नहीं, इनका जवाब आने दीजिए पहले, बैठिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक तो कार्य की प्रकृति के आधार पर कि क्या अरजेंसी है। ज्यादातर आपने देखा होगा, 22 सेल्यूलर फोन तो दिये हैं...

डा. किरोड़ी लाल : इसमें प्रकृति क्या होती है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : गृह विभाग के उन लोगों को जो कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हैं। इसके अलावा 9 टेलीफोन जी.ए.डी. ने स्वीकृत किये हैं जो बहुत ही संवेदनशील विभागों से सम्बन्धित हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी और उनसे सम्बन्धित।

श्री देवीसिंह भाटी : निगम और बोर्ड क्या कर रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : निगम और बोर्ड का भी व्यापारिक कार्य होता है। अध्यक्ष महोदय, आज ट्यूरिज्म डवलपमैंट कारपोरेशन का पूरे राज्य में, पूरे देश में और अन्तरराष्ट्रीय जगत में काम पड़ता रहता है, ट्यूरिस्ट आते रहते हैं, उनसे सम्पर्क करना पड़ता है। तो कार्य की प्रकृति और उनके उपयोग के आधार पर ये स्वीकृत किये गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरोड़ी लालजी, मैंने आपको कह दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दीजिए, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक बात बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग दो में पूछा गया था कि इसका मापदण्ड क्या है। मंत्री महोदय ने बताया कि

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अधिकारियों की कार्य प्रकृति को दखते हुए। माननीय मंत्री महोदय अभी कह रहे हैं कि जिनका कानून और व्यवस्था से सम्बन्ध है उस हिसाब से इसमें खर्चा हुआ है। पुलिस के महानिदेशक के हैं 19 हजार, महानिदेशक, कानून व्यवस्था के है 3 हजार और महानिदेशक पुलिस (क्राइम) के 4 हजार, इसके अलावा आपकी सूची में दिये हैं, पर्यटन विभाग विकास निगम के 1,26,000, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल 1,33,000 रुपये और प्रबंध निदेशक, राजस्थान होटल विकास निगम, जयपुर के 43 हजार। यह निगम तो प्राय: बन्द है, इसमें कोई काम नहीं, इसमें कोई रिटर्न नहीं, कुछ भी नहीं, इसका क्या कारण था ? आपके आवासन मण्डल के बारे में कहते हैं कि उसके पास तो राष्ट्रीय काम था, लेकिन कानून-व्यवस्था की आप बात कह रहे हैं, वहां तो 3 हजार, 4 हजार का खर्चा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप स्प्लीमेंटरी पूछिए, यों ही डिटेल में मत जाओ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सूची को पढ़कर बताया है उसमें अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल या प्रबंध निदेशक पर्यटन विकास निगम इनका पूरे राज्य का कार्य क्षेत्र है। गृह विभाग में 22 टेलीफोन में, सेल्यूलर का खर्चा बंटा हुआ है और वह केवल एक फोन से निगम का पूरा का पूरा कहा है। (व्यवधान) एक मिनट, पहले इनका जवाब दे दूं, आपका बाद में दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : आपके शहरों के अलावा कहीं सेल्यूलर टेलीफोन यूज ही नहीं होते, पूरे राज्य की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, आप बिना अनुमति के नहीं, बैठिए आप।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : आपके शहरों के अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं सेल्यूलर टेलीफोन यूज ही नहीं होते। पूरे राजस्थान की बात करके सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 1,33,000 का खर्चा, अध्यक्ष महोदय, पूरे वर्ष का आया है, 10 हजार, 13 हजार रुपये का खर्चा आता है एक महीने का। सेल्यूलर फोन को देखते हुए...

श्री हरजीराम बुरड़क : डी.जी. का कार्य क्षेत्र राजस्थान नहीं है क्या ? (व्यवधान) उसका कितना खर्चा है ? साल भर का ही वह है।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : पूरे राजस्थान में सेल्यूलर फोन यूज ही नहीं होता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : डी.जी. के पास वायरलैस सैट लगे हुए हैं, एस.टी.डी. लगी हुई है। कुल मिलाकर मैंने जैसा बताया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी आहूजा, आप बैठिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आश्वस्त करना चाहता हूं कि सेल्यूलर फोन के खर्चे की समीक्षा स्टेट लेवल पर करवा ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह खर्चा ज्यादा है, यह गलत है, मानते हो ना आप ?

श्री अध्यक्ष : अपने तीन सप्लीमेंटरी पूछ लिये हैं, राजेन्द्रजी, बैठिए। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह ब्रेक अप बताइये कि इसमें रोमिंग मोबाइल कितने है ? रोमिंग मोबाइल अलग होता है, वह सब जगह, पूरे भारतवर्ष में काम करता है। इनमें कितने अधिकारियों को आपने रोमिंग मोबाइल दे रखे हैं ?

दूसरी बात, प्रैक्टिकली पुलिस वालों को तो छोड़िये, मोबाइल का उपयोग यह है कि आप किसी से भी कांटैक्ट कर सकते हैं। आप क्या इस पर विचार करेंगे, उनको पेजर क्यों नहीं देते? सबके पास टेलीफोन है, मैसेज आ गया तो अपने आप टेलीफोन पर कांटैक्ट करेंगे। यह जो लग्जरी आप इनको प्रोवाइड करते हैं और राजकीय कोष पर इतना खर्च बढ़ाते हैं, इस पर आप विचार करें। इन दो बातों का जवाब दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वैसे तो यह अलग से प्रश्न है लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अधिकारियों में प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान के पास रोमिंग टेलीफोन है लेकिन उनका खर्चा मात्र 46,746 रुपये एक साल का है। जहां तक दूसरा प्रश्न आपने उठाया, उसके लिए मैंने पहले ही सदन को आश्वस्त कर दिया है कि सेल्यूलर फोन खर्चे के बारे में स्टेट लेवल पर समीक्षा करके इस खर्चे को कम करने की कोशिश की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुलाबचन्द कटारिया।

देवस्थान विभाग के मंदिरों का जीर्णोद्धार

579. श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या देवस्थान विभाग में मंदिरों के जीर्णोद्धार की कोई महत्वपूर्ण योजना पूर्व में बनाई गई एवं उसके तहत कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया गया ? यदि हां, तो शेष मंदिरों के जीर्णोद्धार की अब क्या प्रगति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रति वर्ष देवस्थान के मंदिरों के जीर्णोद्धार की आगे भी कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितने मंदिरों की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्रीमती इंदिरा मायाराम) : (1) जी हां। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों में से वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक के लिए प्रति वर्ष 12 मंदिरों का चयन कर 5 वर्षों के लिए 60 मंदिरों के विकास की योजना बनाई गई थी।

वर्ष 1994-95 के लिए 12 मंदिरों के विकास की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त होने पर व आवास विकास संस्थान द्वारा तैयार किये गये रुपये 430.11 लाख के प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के लिए आवास विकास संस्थान को रुपये 100.00 लाख अग्रिम भुगतान किया गया था। आवास

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

विकास संस्थान ने 8 मंदिरों पर किये गये 108.10 लाख रुपये के व्यय का लेखा प्रस्तुत किया। संस्थान के अवसायन हो जाने पर अधूरे कार्य पूर्ण कराने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल को लिखा गया था परन्तु आवासन मण्डल द्वारा असमर्थता प्रकट करने के कारण कार्य अधूरे हैं। वर्ष 1994-95 के चयनित मंदिरों का ही कार्य पूर्ण नहीं होने से अन्य मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं विकास का कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया। वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक के चयनित 48 मंदिरों में से निम्न 2 मंदिरों की आवश्यक मरम्मत का कार्य भी विभाग द्वारा कराया गया है :-

1. मंदिर श्री भुवनेश्वर जी, करौली, जिला डूंगरपुर	3.37 लाख
2. मंदिर श्री गोपाल जी, बूंदी	0.49 लाख
कुल	**3.86 लाख**

(2) चूंकि प्रथम चरण के 12 मंदिरों में आवास विकास संस्थान द्वारा अधूरा कार्य छोड़ दिया गया था अतएव प्राथमिकता के आधार पर ऐसे कार्यों को सुरक्षित स्तर तक लाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उक्त कार्यों के पश्चात् ही नये कार्यों पर कार्यवाही किया जाना उचित होगा। देवस्थान विभाग की प्राथमिकता पहले अधूरे रहे कार्यों को पूर्ण कराने तथा मंदिरों व सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक मरम्मत कार्य कराने की है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 60 मंदिरों का जो चयन किया 5 वर्ष का प्रोजेक्ट बनाकर, उसमें से आपने 12 पर एक करोड़ 8 लाख रुपये खर्च होना बताया। कृपा करके यह बता दीजिए कि इन 12 में से किस पर कितना पैसा इस एक करोड़ 8 लाख रुपये में से बुक हो गया, खर्च हो गया और कितने ऐसे हैं जिनमें उसके अनुपात में काम ही नहीं शुरू हुआ? 12 में से जो बाकी रह गये, जो कुछ आप बता रहे हो, 4 बता रहे हो, क्या यह सच है कि जीर्णोद्धार की इस योजना को पहली बार देवस्थान विभाग ने इतने वर्ष के बाद प्रारम्भ किया और राज्य सरकार ने भी अपने प्लान बजट में से कुछ राशि इन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत की थी ? यदि स्वीकृत की थी तो प्लान में पहली बार इस स्वीकृत राशि का उपयोग हम कर पाए ? यदि हां तो कितना ? और नहीं कर पाए तो क्या हमारी यह जो जीर्णोद्धार की योजना बनयी गयी है यह अब पूरी होगी या नहीं या यहीं इसका समापन होगा ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आप जानना ही चाहते हैं तो मैं इसका पूरा इतिहास ही बता देती हूं। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में वर्ष 1994-95 में चयनित 12 मंदिरों के जीर्णोद्धार, विकास कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति एक करोड़ रुपये की प्रदान की। यह राशि निजी निक्षेप खाते से आहरित की जानी थी तथा उक्त 12 कार्यों को आवास विकास संस्थान के माध्यम से करवाया जाना था जिन्होंने उक्त मंदिरों के विकास हेतु 430.11 लाख की योजना प्रस्तुत की। देवस्थान विभाग द्वारा आवास विकास संस्थान को निम्नानुसार एक करोड़ रुपये कार्य पेटे अग्रिम दिये गये :-

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

6.12.94 को 25 लाख रुपये, 25.4.95 को 25 लाख रुपये, 1.10.96 को 25 लाख रुपये और 18.1.97 को 25 लाख रुपये।

इस तरह से एक करोड़ रुपये आवास विकास संस्थान को आपने दिये। आवास विकास संस्थान ने उक्त राशि से 12 मंदिरों में से 9 मंदिरों में विकास कार्य प्रारम्भ किये। एक मंदिर झालरापाटन का था जो प्रारम्भिक स्तर पर ही छोड़ दिया गया जबकि तीन मंदिरों का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया। प्रारम्भ किये गये 9 कार्यों में से मात्र तीन में ही प्रथम फेज में कार्य पूर्ण हुए हैं। ये मंदिर हैं - मंदिर श्री जगदी जी, उदयपुर , मंदिर श्री पालरा गणेशजी, उदयपुर तथा मंदिर श्री रामचन्द्रजी, जयपुर। मंदिरों का कार्य अभी अधूरा है। उनका भी मंदिरों का कार्य अधूरा है। आवास विकास संस्थान ने निम्नानुसार कार्य का व्यय का बिल प्रस्तुत किया जिसमें मंदिरों के कार्य पर व्यय 93.66 लाख रुपये, प्रशासनिक खर्च 9.36 लाख रुपये, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5.8 लाख रुपये, इस तरह से एक करोड़ 8 लाख रुपये की कुल राशि दी। अप्रैल,99 में आवास विकास संस्थान का अवसायन हो जाने के पश्चात् अधिशेष कार्य राजस्थान आवासन मण्डल से पूर्ण करवाया जाना था किन्तु आवासन मण्डल ने उक्त अधूरे कार्य पूर्ण कराने में असमर्थता व्यक्त की। आपको पूरी जानकारी इसलिए दे रही हूं कि आपने यह पूछा है कि हमने 48 मंदिरों के लिए किया है । आपने उसमें निजी निक्षेप में से भी कार्य किया था और प्लान में से भी किया था लेकिन 12 मंदिर जो पिछले साल के थे उनमें ही काम नहीं हुए, उनमें ही काम अधूरे रहे गये। उन कामों को पूरा कराने के लिए अब हमने 1999 में आकर कुछ कार्य प्रारम्भ करवाये हैं बाकी आपके यहां कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं यह पूरी जानकारी दे रही हूं।

जो जगदीश मंदिर का काम था उसके लिए मैंने आने के बाद 1998-99 में 16 लाख रुपये देकर निधि फण्ड से उस कार्य को पूरा किया है। ध्वजा दंड उसके ऊपर लगाया गया है जिसमें कि दो किलो के करीब सोना लगाया गया है। उसके बाद जो दूसरा मंदिर है पातलेश्वर महादेव, जोधपुर, उसके लिए 4 लाख रुपये हमने दे रखे हैं निधि फण्ड से । कार्य इसलिए शुरू नहीं हुआ कि उसमें पानी भरा हुआ है और मूर्ति हटानी पड़ेगी। वहां के जो आसपास वाले हैं वे यह कहते हैं कि मूर्ति हम हटाने नहीं देंगे इसलिए वह काम पूरा नहीं हुआ। झालरापाटन के मंदिर का काम, आपके क्वेश्चन के दिन भी मैंने बताया था कि अधूरा आपने छोड़ दिया, उसकी छत खोदकर छोड़ दी और आज यह स्थिति है कि पानी चूएगा। उसके लिए भी हम पैसा स्वीकृत करके उसको भी ठीक कराने की योजना बना रहे हैं। 36 मंदिरों का तो नाम ही नहीं आएगा जब 12 मंदिर जो अपने प्रथम चरण में लिये उनका ही कार्य पूरा नहीं हुआ। जो अब बचे हैं उनको हम पूर्ण कराने में लग रहे हैं तो नयी योजना कहां से बनेगी ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि एक योजना बनायी 60 मंदिरों की। आपका पहला फेज पूरा नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हुआ कोई बात नहीं क्योंकि आवास विकास संस्थान ने हाथ खड़े कर दिये और वह संस्थान लगभग डूबने के लायक बन गयी थी इसलिए उसने काम पूरा नहीं किया। आपको जो प्लान का पैसा मिला वह खर्च नहीं हुआ और उसके कारण से आगे प्लान में पैसा मिलना बन्द हो गया, तो क्या आप इस बात की चिंता करेंगे कि हमको प्रति वर्ष प्लान में से भी 50 लाख रुपये इन पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए मिलते रहें और अपने निधि फण्ड से भी पैसा लगाकर ये जो 60 मंदिरों का प्रोजेक्ट बनाया है, यह क्या कंटीन्यू रखने की मंशा है या इसको यहीं समाप्त करने की मंशा है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमारी मंशा 60 मंदिरों की ही नहीं बल्कि जितने भी मंदिरों की स्थिति खराब है, उन सभी को ठीक कराने की है। लेकिन जो आपने योजना में पहले 12 मंदिर लिये हैं उनको पहले पूरा करने के बाद दूसरी योजना के बारे में विचार करेंगे। हमारा पूर्ण विचार है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए, उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को ठीक किया जाए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया बताएंगी कि इन मंदिरों में मूर्तियां हैं या नहीं ? इनके राज में जो मूर्तियों की चोरी हुई थी उनका कुछ पता लगाया क्या आपने ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल राठौड़ (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, झालरापाटन के द्वारकाधीश के मंदिर का काम शुरू कराया गया था आवास विकास संस्थान के द्वारा । यह तालाब के किनारे खड़ा हुआ मंदिर है, वर्षों पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, उस मंदिर की तमाम छत खोद दी गई है और खोदने के बाद में उसका काम बंद करा दिया गया है। उसकी स्थिति यह है कि गयी बारिश में पूरे मंदिर में पानी टपका है। वह मंदिर तालाब के किनारे पर है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर खड़ा हुआ है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से कि तुरन्त उस पर कार्यवाही करके उसकी छत को दुरुस्त नहीं कराया गया तो इसके लिए दोषी कौन है ?

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए आप। आप सप्लीमैंट्री पूछिए, स्पीच नहीं हो।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही आपके सवाल के जवाब में पिछली बार बता चुकी हूं कि उस मंदिर की जो छत चू रही है, उसे ठीक कराने का हमारा पूरा विचार है। अभी भी मैंने बोला था, शायद आपने सुना नहीं कि झालरापाटन का मंदिर जिसकी छत खोद दी गई है, उसका पानी चू रहा है, उसको ठीक कराने का हमारा पूरा इरादा है। मैं पहले आपको बता चुकी हूं।

श्री मोहन लाल राठौड़ (झालरापाटन) : मेरा निवेदन है कि बारिश से पहले इसको तैयार करा दिया जाएगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। श्री यशवंत सिंह जी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री

(श्री यशवन्त सिंह)

महोदय से पूछना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में एक मंदिर है झील का बाड़ा, जिससे प्रति वर्ष आय होती है 12 लाख रुपये, उसमें 50 सालों में इन्होंने 12 रुपये भी लगाये क्या, नम्बर एक ? नाम है उसका झील का बाड़ा, लेकिन झील गायब हो चुकी है। क्या उसको फिर से बनवाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह क्या प्रश्न पूछ लिया आपने ?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, 12 लाख रुपये में एक रुपया भी नहीं लगाया, पता नहीं बाले-बाले ही हमारा पैसा कहां चला जाता है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह अलग प्रश्न है। इसको आप लिखकर दे दें, मैं जवाब दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, पैसों की जांच कराई जाए कि यह कहां जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप, वह अलग प्रश्न है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न 1621 में विभाग ने सूची दी है कि जैसलमेर जिले में दो मंदिर हैं। जब जैसलमेर रियासत का विलीनीकरण हुआ तो छह मंदिर दिये थे, उसकी पूरी सूची मेरे पास है। मैं दो बार प्रश्न पूछ चुका हूं। निजी लोग मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं। छह मंदिरों में से चार मंदिरों पर कब्जा हो चुका है, बाकी दो मंदिर बचे हैं। विभाग के पास पूरी सूची भी नहीं है, पूरा रिकार्ड भी नहीं है तो क्या करवा रहे हैं, कृपया जांच कराएं।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। बाद में पूछ लीजिए। (व्यवधान) सुश्री मीनाक्षी।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (ख़ानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि इन 12 मंदिरों का ही जीर्णोद्धार होगा या अन्य मंदिर भी आप इसमें लेंगे ? हमारे क्षेत्र में भवानी मंडी के नजदीक सप्तमातृ का सातवीं सदी का मंदिर है, उसमें से मूर्तियां गायब की जा रही हैं, तो उसको कब तक ले लेंगे आप?

श्री अध्यक्ष : आप पहले इस प्रश्न को पूछ चुकी हैं।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : नहीं, यह सप्तमातृ का मंदिर है। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक दफा सब जिलों में जितने भी ऐतिहासिक मंदिर हैं उनका दिखवाया जाए, उनका सर्वे करवाया जाए। जो पुराने जमाने की तोड़फोड़ हो गई थी, उन्हें कम से कम ...(व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र धौलपुर के रामदेवजी का मंदिर जिसमें कम से कम एक क्विंटल की सोने की मूर्ति है ...(व्यवधान) उसकी छत, वह मंदिर टूटा हुआ पड़ा है, कृपया यह बताने की कृपा करें कि उसका भी जीर्णोद्धार कराने का विचार है क्या ?

श्री रामस्वरूप : जब उस मंदिर में मूर्तियां ही नहीं हैं तो क्या वह मंदिर है, यह तो बताओ आप ? मूर्तियां कहां गईं ?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बैठिए। आप बैठिए। बैठिए।(व्यवधान) प्रश्न का जवाब आ गया है। नैक्स्ट प्रश्न।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपकी जो लिस्ट है उसमें धौलपुर का मंदिर भी है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। आप बैठिए। नैक्स्ट प्रश्न। नहीं, अनुमति नहीं दी है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : अध्यक्ष महोदय, उसमें कम से कम एक क्विंटल सोने की मूर्ति बनी हुई है, उसका जीर्णोद्धार होगा कि नहीं होगा जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहती हूं कि जहां-जहां जिस-जिस मंदिर के बारे में आपको कोई दिक्कत हो या ठीक कराने की, मरम्मत की बात हो, मुझे सूचित करें, हम कार्यवाही का प्रयत्न करेंगे।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मंदिरों की सारी जमीनें हैं, करोड़ों की जमीन 10-10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बिक गई हैं, उन पर मार्बल फैक्ट्री लग गई हैं उनको सरकार हटाना चाहती है या नहीं, यह बताने का कष्ट करें। (व्यवधान) डायमंड की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं मंदिरों की जमीन पर, करोड़ों रुपयों की जमीन पर। एक-एक आदमी ने 10-10 करोड़ रुपये की जमीन बेच दी है, सब 10 रुपये के स्टाम्प पर बेच दी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंदिरों में नियुक्त कर्मचारियों की मिलीभगत से मूर्तियों की चोरी हो रही है। माननीय मंत्रीजी, मूर्तियों की चोरी उनकी मिलीभगत से हो रही है, आप उस पर रोक लगाना चाहती हैं या नहीं ? मंदिरों में लगातार मूर्तियों की चोरी हो रही है, आपके अधिकारी या कर्मचारी जो वहां लगा रखे हैं...

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, यह अलग प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम : मंदिरों की जमीन को ही खा गये।

श्री त्रिलोक पुर्बिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देवस्थान मंत्रीजी ने जो सदन में वक्तव्य दिया था मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए उसमें उदयपुर के जगदीश मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया है, वह बिलकुल सही है। मैं आपके माध्यम से देवस्थान मंत्रीजी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही कहना चाहता हूं कि मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले लोग इस तरह से सरकार की, जनता की सारी सम्पत्तियों को बरबाद कर रहे हैं, इन्होंने काम नहीं किया है। कांग्रेस का शासन आने के बाद में सच्चाई तो यह है कि...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह +++ मत करो।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंदिरों पर भी राजनीति करते हैं, मंदिरों में भी राजनीति घुसा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : +++ वह कहां गया पैसा ? न तो राम मंदिर आयोध्या में बना। आप बात करते हो, +++ कहां गया आपका वह पैसा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंदिरों की राजनीति करते हो। (व्यवधान)

श्री त्रिलोक पुर्बिया : ... इन्होंने मंदिरों के नाम पर राजनीति की है। कांग्रेस का शासन आने के बाद जनता की भावना को देखते हुए जीर्णोद्धार किया गया है। 16 लाख रुपये खर्च करके उदयपुर के ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, उसके लिए मैं देवस्थान मंत्रीजी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ आनी चाहिए, मंदिरों के नाम पर क्यों गलत बात कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप : एक भी मंदिर नहीं बनाया, कहां गया वह पैसा, बताओ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी : 580.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, ये जीर्णोद्धार की बात करते हैं, अरबों की सम्पत्ति अजमेर में देवस्थान की बेचकर ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री रामस्वरूप : राम मंदिर के नाम पर उन ईंटों को बेचकर खा गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जीर्णोद्धार के नाम पर सम्पत्तियों को बेचने की बात है। देश की सम्पत्ति बेच गये। (व्यवधान) मंदिरों के नाम पर +++ मत करो। रामजी के नाम पर और मंदिरों के नाम पर +++ करते हो *आप लोग। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी : 580.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ तो नहीं आती आप लोगों को, मंदिरों के नाम पर +++ करते हो। मंदिरों का तो सही उत्तर आने दो।(व्यवधान)।

+++ शब्द/ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर की जो ईंटें आपने बेची थीं, कहां गया वह पैसा, बता दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री रामस्वरूप : अगर आपने ईंटें बेचीं तो वह पैसा कहां गया ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : +++ शब्द को एक्सपंज किया जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ मंदिरों के नाम पर +++ मत करो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। ज्ञानदेवजी, बैठिए आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अयोध्या में काम चल रहा है, वहां जीर्णोद्धार चल रहा है, वहां निर्माण चल रहा है। +++ जो सहन नहीं करते हो। +++ मंदिरों पर तो +++

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी। ज्ञानदेव जी, आपस में नहीं। रामस्वरूपजी, आपस में नहीं। नैक्स्ट प्रश्न।

श्री मोहनलाल मोदी : 580.

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, +++ शब्द बोला है, +++ बोला है, इसको एक्सपंज कराएं।

श्री अध्यक्ष : हां, एक्सपंज किया जाता है।

श्रीमती कमला : ... मन में जो आए वही बोल देते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनको और क्या कहें ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंदिर की राजनीति नहीं चलेगी क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है। सब जनता को पता लग चुका है, अब यह मंदिर-मस्जिद की राजनीति चलने वाली नहीं है। सब जनता को पता लग चुका है, आपकी पोल खुल चुकी है।(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ वह गायब कर दिया, चुनाव लड़ लिया राजनीति के नाम पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असंसदीय शब्दों को एक्सपंज किया जाता है।

श्री रामस्वरूप : रामजी के नाम पर राजनीति करने वालों (व्यवधान) आपने उनको धोखा दिया, इसलिए *आपका भी सफाया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आप बैठिए। ज्ञानदेव जी, आप बैठिए। (व्यवधान) श्री मोहनलाल मोदी। मंत्रीजी, बैठिए। अमरा राम जी, बैठिए ।(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : मंदिरों के नाम पर वोट लेने वालों, आपके मन में मंदिरों के प्रति-

---

+++ शब्द/ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

(श्री रतनाराम चौधरी)

कोई आस्था नहीं है, यह वास्तविकता है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए । श्री मोहन लाल मोदी ।

जिला सीकर में संचालित शराब की अवैध दुकानें

580. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में देशी/विदेशी मदिरा की कितनी दुकानें कहां-कहां पर स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला सीकर में स्वीकृत दुकानों के अतिरिक्त अवैध रूप से शराब की दुकानें चल रही हैं ? क्या उक्त सन्दर्भ में सरकार ने काई जांच कराई है ? अब अवैध शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(3) उक्त जिले में कितने अवैध शराब के मामले पकड़े गये व उसमें से कितनों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जिला सीकर में देशी मदिरा की 201 एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 25 दुकानें स्वीकृत हैं। स्वीकृत दुकानों की सूची परिशिष्ट अ के रूप में संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिला आबकारी अधिकारी, सीकर के कार्यालय में विभिन्न स्रोतों से जो परिवाद प्राप्त हुए तथा उन पर जो कार्यवाही की गई, उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट ब में अंकित किया गया है।

(3) सीकर जिले में वर्ष 1999-2000 में अवैध (इल्लिसिट) शराब के 77 मामले पंजीकृत किये गये तथा इनमें कुल 78 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया। सूची परिशिष्ट स के रूप में संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने 201 दुकानें देशी शराब की बताई हैं जबकि 2000 शराब की दुकानें चल रही हैं सीकर जिले में, 2000। मंत्री महोदय, 10 गुना दुकानें चल रही हैं और इसके बाद आप कह रहे हैं कि 201 चल रही हैं,इसका क्या होगा, आप बताए। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास धन की कमी है और आपका सारा धन ये लूटकर ले जा रहे हैं आप इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा सवाल, आपने बताया कि इसकी जांच कराई, सब सही पाया गया, वहां एक भी उनके विरुद्ध नहीं पाया गया कि अवैध दुकान चल रही है। सारे के सारे आबकारी अधिकारी और आपके पुलिस अधिकारी +++ ये कभी सही रिपोर्ट नहीं दे सकते। आप जांच करा लीजिए, कितनी दुकानें चल रही हैं। दो हजार दुकानें चलें और इसके बाद आप यह जवाब दें,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री मोहनलाल मोदी)

*असत्य जवाब आए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

एक माननीय सदस्य : पुलिस वाले माहवारी लेते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : इसको जरा आप स्वयं देखें, जांच कराएं, मेरा तो इतना ही निवेदन करना है। मैंने पिछली दफा भी एक सवाल पूछा था, उसके अंदर आपने जवाब दिया था कि इनमें 186 लाख...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए।

श्री मोहनलाल मोदी : प्रश्न ही है, साहब, मेरा। 186 लाख 65 हजार रुपये बाकी हैं क्या वे जमा हो गये ? आज कितने रुपये और बाकी हो गये उनमें यह जरा जवाब दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने कहा है कि सीकर जिले के अंदर अवैध शराब की दो हजार, दो सौ की जगह हजारों दुकानें चल रही हैं। दूसरी बात...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, पंखा डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है, इसको बंद करवाएं।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनाई नहीं पड़ता है।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, ए.सी. तो बंद कर रखे हैं और यह पंखा चला रखा है, यह बाजा बजा रखा है इन्होंने, आवाज कर रहा है बुरी तरह से। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आप बोल रहे हैं जो।(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पुलिस के अधिकारियों को तो मोबाइल दे रखे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है और यहां ए.सी. बंद करके पंखा चला रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खराब हो गया है, यह क्या कर रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष : ए.सी. यूनिट खराब हो गई है, उस पर काम चल रहा है ठीक करने का।

एक माननीय सदस्य : सरकार की हालत ऐसी हो गई क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर आरोप लगाया है कि वहां जो लीगल दुकानें हैं उसके मुकाबले में इल्लीगल दुकानें बहुत बड़ी संख्या में चल रही हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूंगा...

श्री रामस्वरूप : एक तो बंद करा दें। एक आवाज कर रहा है, एक तो सही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, यह तो बंद करा दें, आज अकाल की चर्चा गर्मी में ही कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसको बंद करा दीजिए। बंद करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जहां-जहां है, जानकारी कृपया मुझे दे दें, मैं इसकी विस्तृत

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जांच एक टीम भेजकर यहां से करा दूंगा। जो नियम विरुद्ध दुकानें चल रही हैं उन दुकानों को बंद कराया जाएगा और ऐसी दुकान वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी, यही मैं आपको यहां आश्वासन दे सकता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अवैध रूप से जो चल रही हैं उन पर कार्यवाही करता कौन है ? पुलिस कार्यवाही करती नहीं, आबकारी विभाग करता नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमरा राम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अवैध रूप से जो दुकानें चल रही हैं शराब की...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसको बंद करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जो शिकायतें दर्ज हुई हैं उनमें से 22 जिला कलेक्टर के माध्यम से दर्ज हुई हैं। एक भी शिकायत सही नहीं पाई गई। आबकारी विभाग पूरे का पूरा...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : पूरे राजस्थान में कितनी दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं, उनके खिलाफ सिटी पुलिस कार्यवाही करती नहीं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, यह आरोप नहीं है, यह सत्य है। 999 गांवों में एक भी गांव ऐसा आप बता दें सीकर जिले में जहां शराब की दुकान नहीं चल रही हो। बड़े गांव में एक नहीं, दस-दस दुकानें चल रही हैं और आप कह रहे हैं आरोप है। मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि सीकर के बस स्टैण्ड और माताजी के मंदिर के सामने शराब की दुकानें चल रही हैं जो आपकी इस लिस्ट में नहीं हैं। गांव की तो बात छोड़िये, सीकर जिला हैडक्वार्टर पर जितनी आपने लिस्ट दी है इससे चार गुना दुकानें अकेले सीकर शहर में चल रही हैं पुलिस और आपके आबकारी अधिकारियों की नाक के नीचे, हालत यह है। आपके विभाग से जनता का विश्वास उठ गया । जो 28 शिकायतें दर्ज हुई हैं उनमें से 22 जिला कलेक्टर ने दर्ज करवाई हैं, विभाग के पास कोई नहीं जाता। 28 में से 22 शिकायतें जिला कलेक्टर, सीकर ने भेजी हैं। इसका मतलब है कि आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूर्णत: उनके अनुसार काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। सवाल पूछ लिया आपने।

श्री अमराराम (धोद) : क्या आप इसका पुख्ता इंतजाम कराने का इरादा रखते हैं या आप भी उनको अधिकारियों की तरह बचाने का इरादा रखते हैं ? आप यह बता दें कि इनमें जो जमानत राशि है आज की तारीख में कितनी बकाया है ?

श्री दुर्गा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां शराब की दुकान नहीं चल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पर जो आरोप लगाया...

मोहम्मद माहिर आजाद : आरोप ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आरोप ही है। जो तथ्य है मैं कह रहा हूं। मैं आज तो आरोप ही कहूंगा। आप कोई एलिगेशन करते हैं कि नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है तो आरोप है।

श्री नारायण सिंह : नहीं, हकीकत है यह तो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप हकीकत कैसे मानेंगे ? यहां जितने हैं उनसे पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, आपके कहने से नहीं होगा, हकीकत हम आंखों से देख रहे हैं। सीकर की 22 लाख जनता देख रही है वह हकीकत नहीं है, आपके अधिकारी कह दें वह हकीकत है ? आप तो एक विधायकों की कमेटी बना दीजिए, सदन की कमेटी भेजिए, सीकर नहीं, पूरे राजस्थान की यही हालत है और आपका विभाग कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। आपका विभाग पूरा +++ (व्यवधान)

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि सारे राजस्थान में ये अवैध दुकानें...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सारे राजस्थान की यही हालत है, शराब में डुबो रखा है आपने पूरे राजस्थान को। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार यादव : मोहल्ले-मोहल्ले में शराब की दुकानें हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : शराब के ठेकेदारों को वायरलैस दे रखे हैं जो पुलिस के अधिकारियों के पास नहीं...।

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाह रही हूं कि जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें हैं उनको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि शिकायत कराओ, जांच करा लेंगे। 1800 दुकानों की तो आपके रेवेन्यू जा रही है और जांच आप किससे कराएंगे ? इनके ऊपर मंत्रियों का, राजनीतिज्ञों का, आई.पी.एस. और आई.ए.एस. अधिकारियों का वरदहस्त है, आप किससे जांच कराएंगे ? यह बताएं आप, किससे जांच कराएंगे आप ? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप। महादेवजी...

श्री हेमन्त कुमार यादव : सदन के सदस्यों के थ्रू जांच कराई जाए।

श्री नारायण सिंह : सदन की एक कमेटी के द्वारा जांच करा लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा जावाब सुन लें, वह बेहतर रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये बोल रहे हैं, बैठिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : इसी से संबंधित सवाल है। दारू के ठेकेदार लोकल होने की वजह से पुलिस उनके साथ जाती है गश्त वालों के...

श्री अध्यक्ष : श्री यशवंत सिंहजी, आप बैठिए, खड़े क्यों हैं ? अब आप बिराजिए।

श्री महादेव सिंह : और उसमें पार्टी पालिटिक्स के हिसाब से ठेकेदार हमारे आदमियों के घर...

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय महादेव सिंहजी, अब आप कृपया तशरीफ रखें।

श्री महादेव सिंह : दारू रख कर झूठे मुकदमे और दर्ज करवा रहे हैं। वहां पर लोकल होने की वजह से जो गश्त भेजी जाती है उसके साथ पुलिस जाती है और पुलिस वाले अपनी गाड़ी में से दारू निकाल करके, देशी दारू, हमारे आदमी के घर रख कर उसके खिलाफ केस बनाते हैं । पार्टी को...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : यह भी बहुत सही है।

श्री दुर्गा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसाद, हां।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि स्टेट हाई वे और नेशनल हाई वे पर जो शराब की दुकानें लगी हुई हैं क्या ये सरकार से मान्यता प्राप्त हैं ? यदि नहीं तो इनको बंद क्यों नहीं करवाया जा रहा है ? ऐसी क्या मजबूरी है ?

श्री अध्यक्ष : यह सीकर के बारे में प्रश्न है।(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : प्रश्न पूरे राजस्थान का है। पूरे राजस्थान में शराब माफिया ने पुलिस को, आबकारी को, सब को अपने घेरे में ले रखा है। पूरे राजस्थान में शराब के ठेकेदारों ने, शराब माफिया ने चाहे पुलिस अधिकारी हों, चाहे आबकारी के निरीक्षक हों, उनको सबको घेरे में ले रखा है, क्या इस व्यवस्था को आप सुधारेंगे ? पूरे राजस्थान में जगह-जगह, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गांव नहीं बचा है...(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी...

श्री हीरासिंह चौहान : पूरे राजस्थान में शराब माफिया, शराब के ठेकेदार... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, बैठिए, बैठिए।

श्री केसाराम चौधरी : एक भी कोई गांव बकाया नहीं और पुलिस इनके खिलाफ कार्यवाही करती नहीं।...(व्यवधान). माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमें मौका ही नहीं देते।

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगी कि शराब की दुकानें धार्मिक स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर हैं उनको मंत्रीजी बंद करना चाहेंगे या नहीं ? शराब की दुकानें धार्मिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, स्कूल वगैरह के पास में हैं उनको आप बंद करना चाहेंगे या नहीं ? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : रेलवे स्टेशनों के पास, सभी बस स्टेण्डों के पास अवैध रूप से शराब की दुकानें चल रही हैं, पुलिस कोई कार्यवाही करती क्यों नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, बात सुनिए तो मैं अपनी बात कह सकूं। सबकी बातों का तो मैं एक साथ उत्तर नहीं दे सकता।

श्री केसाराम चौधरी : आबकारी विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता किसको कहें ? कौन करेगा इसके खिलाफ कार्यवाही, सर ? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो मौका देते ही नहीं हैं हमें। मौका देते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, इस शराब को ही बंद करें। शराब की चर्चा रोजाना ही इस सदन में होती है, यह सबसे बुरी बात है, इस शराब को ही बंद कर दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री यशवंत सिंह (रामू), आप बैठिए। हमेशा खड़े हो जाते हैं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप बैठिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत एक बात सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा। नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि मंत्री का वरदहस्त है । मेरा किसी को वरदहस्त नहीं है। मुझे जुम्मे जुम्मे इसमें... (व्यवधान) आप सुन लीजिए पहले।

श्री मोहनलाल मोदी : किसने कहा?

श्री अध्यक्ष : आर्डर,आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कहा।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने कहा कुछ मंत्रियों का ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वो ही मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप ऐसी बात न करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके लिए नहीं कहा है, मंत्री बहुत हैं, दूसरों के लिए कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों का इन शराब माफियाओं को वरदहस्त प्राप्त है। (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य ने तो पूर्व मंत्री कहा था वर्तमान नहीं। ये कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री का वरदहस्त है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ...(व्यवधान) यह तो पूरे राजस्थान में चल रहा है, यहां से रवाना होकर...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब बैठिए। आप बात तो सुनिए किसी की।

श्री केसाराम चौधरी : बैठिए क्या ? आपकी पुलिस कार्यवाही नहीं करती इसके खिलाफ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं।

श्री केसाराम चौधरी : मंत्री महोदय, आपकी पुलिस भी कार्यवाही नहीं करती इसके खिलाफ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर, बैठिए। श्री अमराराम चौधरी, बैठिए आप, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : (व्यवधान) इन्होंने कहा कि वरदहस्त है। कुछ मंत्री बताए इन्होंने। नाम बताएं उन मंत्रियों के, यों ही मंत्रियों को बदनाम कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : नाम भी बता दूंगा अगर कोई कुछ करने की स्थिति होगी तो। मैं पुराने भी बता दूंगा और नये भी बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुरानों को छोड़ो, नये वालों का तो बताएं। आपने अब जो मंत्री बताए उनके नाम बताएं।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने नाम बताये हैं, हाउस में बताये हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पुरानों के नाम तो मैं बता सकता हूं। आप चाहें तो यहां बता दूं और आप चाहें तो अलग से बता दूं आपको नाम। बता दूंगा, पुरानों के भी नाम मैं बता दूंगा।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आबकारी मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि हमारी नोहर तहसील में भयंकर अकाल है और अवैध दुकानें दारू के ठेकेदार चलाते हैं उनकों तुरन्त प्रभाव से बंद किया जाए। वैसे ही लोग मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए गवर्नमैंट के पास पैसा नहीं है, उसके बावजूद दारू पिला-पिला कर और मारा जा रहा है। इसलिए इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें और अविलम्ब कार्यवाही की जाए। मंत्रीजी बैठे हैं, बताएं बंद करेंगे कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से एक और प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि इनको वायरलैस सैट दे रखे हैं ये किस कानून के अन्तर्गत दे रखे हैं ? वायरलैस सैट लगा रखे हैं सारी की सारी गाड़ियों पर।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : यह गृह मंत्री के अधिकार में दे रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रान्त के बारे में यहां पर सम्माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है, पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों ने। अध्यक्ष महोदय, सन् 1995 में सरकार ने जिला स्तरीय कमेटी बनाई थी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह कमेटी या तो सक्रिय रूप से

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अपना कार्य नहीं कर रही है। उस कमेटी को पुन: रिवाइव करने की दिशा में मैं सक्रिय कदम उठाऊंगा जिसको...(व्यवधान).... सुन लीजिए बात । आप बीच में बोलते हैं तो जवाब छूट जाता है।

श्री मोहनलाल मोदी : एक ही दिन मीटिंग नहीं बुलाई, मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, आप बता दें कि सीकर में कब मीटिंग हुई और कौन-कौन उपस्थित हुए ?(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं यह बात कही है कि ...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के क्षेत्र राजाखेड़ा में 33 दुकानें शराब की अवैध हैं। आपकी जानकारी में भी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह असत्य है। यह गलत बात है, मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में एक दुकान परमिटेड है और 13 दुकानें खुली हुई हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यह कमेटी जो जिला...(व्यवधान) एक मिनट सुन लें। कृपया सुन लीजिए। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आप सुन लीजिए।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा में 33 चल रही हैं, राजस्थान की तो छोड़ो। जब राजाखेड़ा की बंद नही हो रही हैं तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया था, ऐसा मैंने शुरु में कहा । ऐसा आभास होता है कि आप बात सुन नहीं पाये। या तो इन कमेटियों की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है जिसका कलेक्टर चेयरमैन है, एस. पी. और संबंधित क्षेत्र के विधायक उसमें हैं। या तो ये कमेटियां सक्रिय नहीं हैं ..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : माननीय सदस्यों की जानकारी में नहीं है, कागजों में ही है यह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि इन कमेटियों को सक्रिय किया जाएगा, मैं इसके लिए नया परिपत्र जारी कर रहा हूं। इसके अंदर नये सिरे से सदस्यों का नियमानुसार मनोनयन किया जाएगा जिससे यह कमेटी सक्रिय रूप से भूमिका निभा सके और इस प्रकार की शिकायतों का निस्तारण हो सके। यही आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा इस सदन को।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री रघुवीर सिंह : ...(व्यवधान)... मंत्री महोदय, हमे यह बता दें कि ये कब तक हटा देंगे ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठिए। मैंने जगमाल सिंहजी को काल कर लिया है। अमरारामजी, आप बैठिए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, हमने पूछा है यह सीकर बस स्टैण्ड के सामने जो है...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप एक ही सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, स्पलीमैंटरी तो एक ही पूछ सकते हैं लेकिन उसका उत्तर तो देंगे मंत्रीजी ? या केवल पूछने के लिए ही पूछेंगे ? मंत्रीजी जवाब नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछने दें।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मंत्रीजी ने दिया नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बीमारी सीकर के अलावा पूरे राजस्थान में है ? दूसरा मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री मोहनलाल मोदी : तकलीफ सीकर वालों को ज्यादा है और जो +++ यहां पर तकलीफ होती तो आप भी हाउस में रहते।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप अल्कोहल का उपयोग करते हैं ? नहीं तो इस आबकारी महकमे को कैस चलाते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, ये जिस कमेटी से जांच कराने की बात कर रहे हैं, स्पष्ट कर दें किसकी कमेटी बना रहे हैं। मंत्री महोदय, वह कमेटी किसकी बनाएंगे, इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि बांसवाड़ा जिले में अधिकांश छात्रावासों, विद्यालयों और देवालयों के आसपास जितने भी देशी शराब के ठेके लगा रखे हैं दुकानें लगा रखी हैं क्या उनको आप हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि इसके नियम बने हुए हैं कि कहां-कहां शराब की दुकानें स्वीकृत होंगी। सीकर के संबंध में मूल प्रश्न था, मैंने इसका जवाब दिया, उसके ऊपर माननीय मोदी जी ने और माननीय अमरारामजी ने...

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, सीकर के संबंध में मेरा एक प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ...इसकी जानकारी के ऊपर कहा कि यह जानकारी आपने गलत दी है। वहां पर इन दुकानों के मुकाबले 10 गुना दुकानें चल रही हैं, यह इनका कहना था। (व्यवधान) अब आप मेरी बात सुन लें कृपया। मैंने इसका जवाब दे दिया। सीकर के बारे में स्पेसिफिक सवाल था, आपको सीकर की जानकारी दी। अब इसका एकमात्र उपाय यह है कि कमेटी सरकार ने गठित की है उसको पुन: सक्रिय किया जाए जिसमें विधायक सदस्य होगा। जब तक यह कमेटी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सक्रिय नहीं होगी इस प्रकार की शिकायतों का सही तरीके से, मैं सही तरीका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, निस्तारण नहीं हो पाएगा। इसलिए इन कमेटियों को रिवाइव करके पुन: इनका गठन करेंगे जिससे इस प्रकार की शिकायतें कमेटी के समक्ष आएं और उनका निस्तारण सही प्रकार से हो सके। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसमें उन विधायकों को रखना जो दारू नहीं पीते हों, इतनी तो मेहरबानी करना आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उन्ही विधायकों को लें जो शराब नही पीते हों। शराब पीने वाले विधायकों को इसमें नहीं लिया जाए, नहीं तो वे भी शराब माफिया की पैरवी करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, बैठिए आप।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह जांच किसके द्वारा कराएंगे, इस प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं आया।

(12:00 बजे)

श्री अमराराम (धोद) : अवैध दुकानों को निस्तारण करने का उसके पास कोई राइट नहीं है, क्या मंत्री महोदय इन अवैध दुकानों की जांच के लिये सदन की कमेटी बनाने के लिये तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, अभी यह उत्तर नहीं आया है कि जांच किसके द्वारा करवाएंगे। यह मैन प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जांच किसके द्वारा करवाएंगे। जांच में ये उनके हितकारी आदमियों को बैठा देंगे, फिर वह जांच कहां हुई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं सीकर की जांच एडिशनल कमिश्नर एक्साइज, जयपुर से करवाऊंगा, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक्साइज वाले तो नीचे से ऊपर तक दारू में डूब रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : हाउस की कमेटी से करवाने में कहां दिक्कत है ? आपका आबकारी विभाग पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है। (व्यवधान) जो 26 शिकायतें कलेक्टर ने दी है दांतारामगढ़ की, स्कूल से 2 कदम पर ठेका है उसको 200 मीटर से ज्यादा बताया है। दांतारामगढ़ की सीनियर स्कूल से 2 कदम पर ठेका है...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, बिल्ली को ही दूध की रखवाली बना रहे हैं, यह कैसे चलेगा ? आप संभागीय आयुक्त से जांच करवाइए।

श्री अमराराम (धोद) : उस कमेटी को कोई राइट नहीं है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच महिलाओं से करवाई जाए और इस कमेटी में केवल महिलाओं को लिया जाए। (व्यवधान)

डा.किरोड़ी लाल: अध्यक्ष महोदय, सीकर समूह पर जो धरोहर राशि का एक

(डा. किरोड़ी लाल)

करोड़ से ज्यादा रुपया बकाया है, जो 1999 तक जमा हो जाना चाहिए...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच डिवीजनल कमिश्नर से करवा लें। कहीं तो आप मानिए इस बात को। (व्यवधान) वरना मेरे को हाउस में धरना देना पड़ेगा, यह मैं आपको बता देता हूं, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। आर्डर, बात नहीं। आसन पैरों पर।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला दौसा, सवाईमाधोपुर एवं करौली के कोषागारों में लम्बित बिल

753. डा.किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला दौसा, सवाई माधोपुर एवं करौली के कोषागारों में कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेचुएटी, मेडिकल बिल, जी.पी.एफ. के कितनी-कितनी राशि के भुगतान कब-कब से लंबित हैं ?

उत्तर

जिला सवाईमाधोपुर, दौसा एवं करौली में कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेचुएटी, मेडिकल बिल, जी.पी.एफ. तथा विभिन्न विभागों के ठेकेदारों के बकाया बिलों की विगत दिनांक 18.3.2000 को निम्नानुसार थी :-

जिला	क्र.सं.	दावे	कुल प्रकरण	राशि रु.में	सबसे पुराने प्रकरण का माह
दौसा	1.	पेंशन	6	12,74,831	5/99 से
	2.	ग्रेचुएटी	7	18,83,919	5/99 से
	3.	मेडिकल	273	8,78,064	9/99 से
	4.	जी.पी.एफ.	26	10,94,257	3/2000 से
	5.	ठेकेदारों के बिल	-	निल	
		योग	312	51,31,071	
सवाईमाधोपुर	1.	पेंशन	16	7,70,717	9/99 से
	2.	ग्रेचुएटी	27	27,54,463	6/99 से
	3.	मेडिकल	157	4,63,236	2/2000 से
	4.	जी.पी.एफ.	33	17,62,175	2/2000 से
	5.	ठेकेदारों के बिल	-	निल	
		योग	233	57,50,591	

(वित्त मंत्री)

जिला	क्र.सं.	दावे	कुल प्रकरण	राशि रु.में	सबसे पुराने प्रकरण का माह
करौली	1.	पेंशन	15	4,61,771	11/99 से
	2.	ग्रेचुएटी	23	22,18,501	11/99 से
	3.	मेडिकल	103	5,30,358	3/2000 से
	4.	जी.पी.एफ.	50	17,57,892	3/2000 से
	5.	ठेकेदारों के बिल	-	निल	
		योग	**191**	**49,68,522**	
		महा योग	**736**	**1,58,50,184**	

नोट :-

1. पेंशन एवं ग्रेचुएटी के भुगतान लंबित होने के मुख्य कारण पेंशनर्स द्वारा भुगतान लेने हेतु कोषालय में उपस्थित नहीं होने अथवा पी.पी.ओ./जी.पी.ओ. में की गई टिप्पणी की पालना प्रस्तुत नहीं करने आदि रहे हैं।

2. सरकार को प्रतिदिन की प्राप्तियों व होने वाले भुगतान के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने भुगतान को नियन्त्रित करना होता है। इसी नियन्त्रण के प्रयास में सरकार भुगतान के बिलों के सम्बन्ध में प्राथमिकताएं निर्धारित कर भुगतान को नियन्त्रित करती हैं।

प्रश्न संख्या 754

(स्थगित)

जिला चूरू के सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण

755. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला चूरू में विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच हेतु किस-किस निरीक्षक दल ने किस-किस कार्यालय का कब-कब आकस्मिक निरिक्षण किया तथा कितने अधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये और कितनों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला चूरू में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच अतिरिक्त निदेशक एवं उप शासन सचिव, प्रशासनिक-सुधार विभाग के नेतृत्व में दिनांक 2.8.96 से 4.8.96 व दिनांक 4.8.99 से 7.8.99 को की गई। निरीक्षण के दौरान 84 अधिकारी एवं 618 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। सूची परिशिष्ट क पर उपलब्ध है।

(कार्मिक मंत्री)

अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर, चूरू को लिखा गया।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

प्रश्न संख्या 756

(स्थगित)

वर्ष 1999-2000 आबकारी ठेकों से प्राप्त राजस्व

757. श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999-2000 में राज्य में आबकारी ठेकों से कितनी राशि अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया एवं उसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किये गये ?

(2) क्या आबकारी विभाग ने ठेका नीलामी की नई योजना में क्षेत्रों का आकार पहले से बढ़ाकर वृद्धि की है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(3) क्या आबकारी विभाग द्वारा जितने जोन बनाए उसमें सभी ठेके समय पर उठ गये ? यदि नहीं, तो उससे कितनी राजस्व हानि हुई ?

(4) क्या जिन जिलों के ठेके नहीं उठे वहां किसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से शराब की बिक्री की गई ? यदि हां, तो उससे कितनी राजस्व प्राप्ति हुई तथा कितनी होनी थी ?

(5) क्या आबकारी विभाग शराब ठेकेदारों को कम मूल्य पर शराब वितरण करता है ? यदि हां, तो किस मूल्य पर एवं फेन्चाइज वालों को किस मूल्य पर शराब उपलब्ध करवाता है ?

उत्तर

(1) वित्त वर्ष 1999-2000 के लिए बजट अनुमान के अनुसार राशि रु. 1195.00 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। किये गए प्रयासों का विवरण प्रश्न के भाग 3 के उत्तर में वर्णित है।

(2) राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति अनुसार वर्ष 1997-99 के लिए 216 मदिरा समूह एवं 352 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर शहरी क्षेत्रों का गठन किया गया था, किन्तु बंदोबस्त में आई कठिनाइयों के कारण अधिकांश जिलों का बंदोबस्त राजस्व जिलेवार संपादित हुआ। राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 99 में घोषित आबकारी नीति वर्ष 1999-2001 के अनुसार 67 मदिरा समूहों का गठन किया गया। दिनांक 21.5.99 तक 51 मदिरा समूहों का बंदोबस्त पूर्ण हुआ, शेष 16 पड़त मदिरा समूहों को पहले तहसीलदार तथा फिर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रवार विभाजित किया गया। कुल 120 मदिरा समूहों में बंदोबस्त कराया गया।

(3) वर्ष 1999-2001 की आबकारी नीति के अनुसार आरक्षित राशि रुपये 81130.60 लाख निर्धारित की गई। बंदोबस्त 18 दिसम्बर, 1999 को पूर्ण

(आबकारी मंत्री)

हुआ। बंदोबस्त में प्राप्त वार्षिक राशि 77396 लाख रुपये तथा आनुपातिक राशि 68719 लाख रुपये प्राप्त हुई।

समूहों का गठन एवं उसकी आरक्षित राशि का निर्धारण विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर समूहों के ठेके पर उठने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रकार समूहों की तय आरक्षित राशि को निश्चित आय नहीं माना जा सकता है। आरक्षित राशि पर ठेके समय पर नहीं उठने की स्थिति में अथवा आरक्षित राशि से कम राशि पर उठने को राजस्व की प्रत्यक्ष हानि नहीं माना जा सकता है।

(4) जिन जिलों के ठेके नहीं उठे उन समूह क्षेत्रों में देशी मदिरा की बिक्री फ्रेन्चाइज आधार पर तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. के माध्यम से कारवाई गई। इस व्यवस्था से राज्य सरकार को राशि रुपये 248.08 लाख प्राप्त हुई। चूंकि समूहों का बंदोबस्त होने के पश्चात् ही राजस्व सुनिश्चित होती है अत: आरक्षित राशि को आधार मानकर हानि की गणना करना संभव नहीं है।

(5) भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर का क्रय अनुज्ञाधारी अपने स्तर करता है। देशी मदिरा का क्रय अनुज्ञाधारी आबकारी विभाग से राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दर (निर्गम मूल्य) पर करता है। वर्ष 1999-2000 की आबकारी नीति अनुसार ठेकेदारों को विक्रय की जाने वाली देशी मदिरा का निर्गम मूल्य निम्नानुसार है :-

किस्म मदिरा	(राशि रुपयों में) दर (प्रति बल्क लिटर)
केसर कस्तूरी	80.00
40 यू.पी.	18.00
60 यू.पी.	12.00

ठेकेदार द्वारा क्रय की गई देशी मदिरा के मूल्य का 85 प्रतिशत तक एकाकी विशेषाधिकार राशि की मासिक किश्त में भराव दिया जाता है।

उपरोक्त शराब की कीमत के अलावा बोतल की कीमत, पीपी सील, पाउच की कीमत, परमिट फीरा, सैल्स टैक्स, आयकर आदि अलग से वसूल किया जाता है।

दिनांक 18.12.99 तक सभी समूहों का बंदोबस्त पूर्ण हो जाने पर फ्रेन्चाइज़ व्यवस्था समाप्त हो गई है। पूर्व में जब ठेके पड़त थे तब ऐसे पड़त क्षेत्रों में फ्रेन्चाइयों को विक्रय की जाने वाली देशी मदिरा की बोतलों एवं पाउचों की विक्रय दर निम्न प्रकार थी -

दिनांक 1.4.99 से 4.6.99 तक :

1. बोतल (750 एम.एल.) - 40 यू.पी. रु. 48.00
2. पाउच (200 एम.एल.) - 40 यू.पी. रु. 12.80

दिनांक 4.6.99 के पश्चात् :

1. बोतल (750 एम.एल.) - 40 यू.पी. रु. 37.50

(आबकारी मंत्री)

2. पाउच (200 एम.एल.) - 40 यू.पी. रु. 10.00

उक्त दर मदिरा की कीमत, बोतल व पाउच की लागत पी.पी. सील, परमिट फीस, सैल्स टैक्स, आयकर आदि सहित थी। चूकि फ्रेन्चाइजी द्वारा कोई निश्चित राशि गारंटी के रूप में राज्य सरकार को भुगतान नहीं करनी थी अत: इन फ्रेन्चाइजियों को विक्रय की जाने वाली दरें अधिक रखी गई थीं।

सहायक/जिला आबकारी अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रकरण

758. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली), **श्री सांवर लाल** (भिनाय) एवं **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में सहायक आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी के वर्षवार कितने-कितने पर रिक्त हुए ?

(2) उक्त पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दी गई पदान्नति के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में विभागीय कर्मियों द्वारा कितने प्रकरण सरकार के विरुद्ध पेश किये गये? सूची प्रकरणवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों में से अब तक कितने मामले निर्णीत हो चुके है और कितने मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निर्णीत सभी प्रकरणों पर कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1999 में आबकारी निरीक्षक प्रथम श्रेणी के पदों हेतु इससे पूर्व में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई पदोन्नति पर पुनर्विचार किया गया ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में सहायक आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारियों के वर्षवार निम्नानुसार पद रिक्त हुए :-

<u>सहायक आबकारी अधिकारी</u>

वर्ष	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त होने का कारण
1995-96	11	8 पद पूर्व के रिक्त
		3 पद उच्च पद पर पदोन्नति से
1996-97	7	1 उच्च पद पर पदोन्नति से
		2 सेवानिवृति से
		4 नव-सृजित पद
1997-98	7	3 पूर्व के रिक्त
		2 उच्च पद पर पदोन्नति से
		2 नव-सृजित पद

(आबकारी मंत्री)

वर्ष	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त होने का कारण
1998-99	7	5 पूर्व के रिक्त 4 उच्च पद पर पदोन्नति से
		9 -2 (न्यायालयादेश से कार्यरत)
		7
1999-2000	4	2 पूर्व के रिक्त 1 सेवानिवृत्ति से 1 अनिवार्य सेवानिवृत्ति से
<u>जिला आबकारी अधिकारी</u>		
1995-96	2	उच्च पद पर पदोन्नति से
1996-97	1	सेवानिवृति से
1997-98	2	नवसृजित
1998-99	2	नवसृजित
1999-2के	4	3 सेवानिवृत्ति से 1 नवसृजित पद

(2) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई पदोन्नति के विरुद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के न्यायालय में विभागीय कर्मियों द्वारा राज्य सरकार के विरुध निम्न 5 अपीलें प्रस्तुत की गई है :-

1. अपील संख्या 1258/97 भंवर लाल मालाकार
2. अपील संख्या 1121/97 सुमेरसिंह जाखड़
3. अपील संख्या 1194/96 रतनसिंह राठौड़
4. अपील संख्या 1243/97 प्रभूदयाल वर्मा
5. अपील संख्या 1139/97 अशोक भटनागर

(3) उक्त सभी पांचों प्रकरणों का निर्णय माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण से होने पर राज्य सरकार के आदेश से निम्न चार प्रकरणों में राज्य के आदेश से निम्न चार प्रकरणों में राज्य सरकार की और से रिट याचिकाऐं पेश की गई :- अपील संख्या 1258/97, 1194/96, 1243/97 एवं 1139/97 1 अपील संख्या 1258/97 में पेश की गई रिट याचिका का निर्णय दिनांक 18.1.99 को होकर राज्य सरकार द्वारा रिट याचिका अस्वीकार की गई है एवं तीन रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(आबकारी मंत्री)

(4) चूंकि उपरोक्त पांच न्यायिक प्रकरणों में से तीन याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिसके कारण क्रियान्विति नहीं की जा सकी। रतनसिंह राठौड़ की अपील के निर्णय की क्रियान्विति की जा चुकी है। जहां तक भंवरलाल मालाकार की अन्य अपील के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा.उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जो निर्णय दिनांक 27.3.2000 के द्वारा खारिज की गई है। इस प्रकार श्री मालाकार की अपील के निर्णय की क्रियान्विति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(5) दिनांक 23.4.99 को आबकारी निरीक्षक प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 89-90 से हुई बैठकों का पुनरावलोकन किया गया।

ग्राम सरादना (अजमेर) की पेयजल व्यवस्था

759. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सरादना (अजमेर) की आबादी पांच हजार से अधिक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के निवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है ?

(3) क्या जलदाय योजना को चलाने हेतु गांव के पास दो ट्यूब वैल गहराई में खुदे हुए हैं? क्या वर्तमान में इन ट्यूब वैल का पानी सूखने लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्यूब वैल को और अधिक गहरे खुदाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां।

(3) ग्राम सरादना में वर्तमान में कुल तीन नलकूप व दो खुले कुएं हैं। वर्तमान में नलकूपों तथा खुले कुओं में जल आवक क्षमता कम हो गई है। नलकूपों को और गहरा कराने से जल आवक क्षमता बढ़ने की कोई सभांवना नहीं है। अत: इनको और अधिक गहरा किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

बकानी (झालरापाटन) की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार

760. श्री मोहनलाल राठौड़ (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन के कस्बे बकानी में जल वितरण नल योजना में दो ट्यूब वैल द्वारा होता है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दो ट्यूब वैल में से एक सूख गया है ? यदि हां, तो इसके बारे में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(3) क्या उक्त ट्यूब वैल की खराबी की वजह से बकानी कस्बे में पानी सप्लाई में काफी कमी आ गई है ?

उत्तर

(1) बकानी कस्बे में दो नलकूप के अलावा कालीसिंध नदी से भी जल सप्लाई होती है।

(2) जी हां। सूखा नलकूप चोक होने से बंद हो गया है, इसके पास ही स्थित निजी नलकूप को किराए पर लेकर चालू कर दिया गया है।

(3) जी नहीं।

ग्राम मूंडवा (नागौर) में पेयजल व्यवस्था

761. श्री हबीबुर्रहमान (मूंडवा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ने विधान सभा क्षेत्र मूंडवा के गांवा कुमारी व बासनी के लिए कोई पेयजल योजना बनाई है ? यदि हां, तो कब तक इस योजना को प्रारम्भ कर दिया जाएगा और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

गांवा कुमारी वर्ष 66-67 से पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित है। वर्तमान में 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करावाया जा रहा है।

ग्राम बासनी भी वर्ष 66-67 से पाइप्ड पेयजल योजना से लाभान्वित है। वर्तमान में 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्ध करवाया जा रहा है, कुछ क्षेत्रों मे सर्विस लेवल सुधार हेतु ग्राम बासनी की संवर्धन योजना राशि रु. 6.26 लाख की दिनांक 17.3.2000 को स्वीकृत की गई है, जिसका कार्य बजट उपलब्धता के अनुसार शीघ्र शुरू करवा दिया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्रामों की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

762. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विभिन्न गांवों में पेयजल योजनाएं चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो उक्त में से तहसील चाकसू व बस्सी में कितनी चालू हैं तथा कितनी बंद हैं एवं बंद होने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जितने हैण्डपम्प क्षेत्र में लग रहे हैं उनमें से अधिकांश बंद हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र में ऐसी कितनी पेयजल योजना हैं जिन्हें अभी तक विभिन्न गांवों में स्वीकृत कर ठेका छोड़े पांच वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया और उन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? उक्त स्कीम से जनता को पीने का पानी अब कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल 236 योजनाएं हैं। तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तहसील	हैण्डपम्प योजनाएं	अन्य प्रकार की योजनाएं (पाइप्ड,पम्प एवं टैंक, क्षेत्रीय)
चाकसू	18	18
बस्सी	173	27

कुल 45 पाइप/पम्प एवं टैंक/क्षेत्रीय योजनाओं में से तहसील चाकसू में 2 योजनाएं आंशिक रूप से एवं तहसील बस्सी में 7 योजनाएं बन्द हैं एवं शेष चालू हैं।

तहसील बस्सी की 7 योजनाओं में से 6 ग्राम पंचायत विद्युत बिल जमा न कराने के कारण सम्बन्ध विच्छेद होने से बन्द हैं तथा एक योजना ग्राम पंचायत द्वारा संधारण न करने के कारण बंद है।

तहसील चाकसू की एक क्षेत्रीय योजना (रलावता-विशनपुरा) स्रोत में पानी कम हो जाने से आंशिक रूप से बंद है तथा दूसरी क्षेत्रीय योजना (बद्रीनाथपुरा-सक्कर खावदा) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क कार्य के समय पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर देने के कारण आंशिक रूप (गांव बद्रीनाथपुरा) से बंद है। बंद योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल 1666 हैण्डपम्प स्थापित हैं। फरवरी, मार्च-2000 में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार कुल 170 हैण्डपम्प अवरुद्ध एवं सूखे हैं तथा 375 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य पाये गए जिसमें से 242 ठीक कर दिये गए हैं। शेष 133 हैण्डपम्पों को भी शीघ्र ही वर्तमान में चल रहे अभियान में ठीक कर दिया जाएगा।

(3) जी नहीं। 5 वर्ष से भी ज्यादा समय की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 3 देखें)

अपाना (कोटा) की स्वीकृत एस.एल.आर.

763. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा अपाना में एस.एल.आर. टंकी की योजना स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि की ?

(2) उक्त टंकी का कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी ? उक्त कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या सरकार उक्त योजना को पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, योजना की स्वीकृति दिनांक 26.6.96 को राशि रु. 11.23 लाख की हुई।

(2) कार्य आदेश के अनुसार भूतल जलाशय बनाने हेतु ड्राइंग डिजाइन की स्वीकृति के बाद तीन माह की अवधि दी गई थी। कार्य पूर्ण होने में देरी का कारण ग्रामवासियों का विरोध था। वे भूतल जलाशय के स्थान पर उच्च जलाशय चाहते थे, जो विभागीय मानदण्डों के अनुरूप नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी हां। स्वीकृत योजना के अन्तर्गत भूतल जलाशय पाइप लाइन नलकूप आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पावर कनेक्शन का कार्य शेष है। पावर कनेक्शन रा.रा.वि.मण्डल से जारी होते ही पाइप लाइन टैस्ट कर योजना का समस्त कार्य पूर्ण कर योजना आरम्भ कर दी जाएगी।

जैसलमेर की जल प्रदाय योजनाओं का विद्युतीकरण

764. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में ऐसी कितनी जलप्रदाय योजनाएं हैं जो डीजल इंजन से संचालित हैं ? उक्त पर प्रति वर्ष कितना डीजल व मरम्मत राशि व्यय होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल में कई योजनाओं के विद्युतीकरण हेतु राशि जमा है? यदि हां, तो किन-किन की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सभी योजनाओं में विद्युत कनेक्शन लेकर डीजल चोरी बचाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में 51 जलप्रदाय योजनाएं हैं जो डीजल इंजन से चलाई जाती हैं। पिछले वर्ष (99-2000) डीजल पर 239.96 लाख व्यय हुए एंव मरम्मत कार्य पर 15.11 लाख व्यय हुआ।

(2) जी हां। इस जिले के अन्तर्गत नगर खण्ड, जैसलमेर द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में रु. 66.79 लाख जमा हैं तथा जिन जगह कनेक्शन लगने हैं, नाम निम्न प्रकार है :-

कौरिया नलकूप, कोटड़ी नलकूप, कुछेडी नलकूप, गोरेरा नलकूप।

(3) उक्त सभी योजनाओं पर डीजल चोरी न हो, उद्देश्य के लिए पूर्ण परिवीक्षण रखा जाता है। जहां तक इन स्थानों पर विद्युत कनेक्शन लेने का प्रश्न है, आपेक्षिक व्यय (पूंजीगत तथा संधारण व्यय) व साइट फिजिबिलिटी सिद्धांत पर अध्ययन कर धन उपलब्धि अनुसार कार्यवाही करना सतत प्रक्रिया में है।

ग्राम मौजमाबाद (जयपुर) में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

765. श्री केसाराम चौधरी (खारची) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मौजमाबाद (जयपुर) में अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मिल रहा है ? क्या इसका परिशोधन कर समस्या का समाधान किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या उक्त ग्राम की जनता गत 5 वर्षों से खारा पानी पीने को मजबूर है ? क्या इस समस्या का निदान सम्भव है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम में वितरण किये जाने वाले जल में फ्लोराइड की मात्रा विभागीय प्रचलित मानदण्डों के अनुरूप है। अत: इस दृष्टिकोण से परिशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी नहीं। पेयजल में घुलनशील लवणों की मात्रा विभागीय प्रचलित मानदण्डों के अनुरूप है। इस प्रकार पेयजल की गुणवत्ता बाबत कोई समस्या नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की जल प्रदाय योजनाओं में सुधार

766. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में जलप्रदाय विभाग की योजनाएं किस-किस गांव/कस्बे एवं शहर में संचालित हैं ? सूची संदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर रखकर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के आकार को बढ़ाने और पुरानी पाइप लाइनों को बदलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां के ? क्या सरकार उक्त योजनाओं को प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र के 2 शहर, शहरी जलप्रदाय योजना से तथा 122 ग्रामों में से 14 ग्राम क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं से, 7 ग्राम पाइप्ड जलप्रदाय योजनाओं से, 8 ग्राम पनघट जल योजनाओं से तथा 92 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। विवरण परिशिष्ट-क पर सलंग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के शहरी अथवा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कोई पुनर्गठित प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 4 देखें)

ग्राम पुनाना (जयपुर) के आम रास्ते पर अतिक्रमण

767. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पुनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर खसरा नं. 469 एवं 467 में आम रास्ता रिकार्ड में अरसे से दर्ज है ? क्या उक्त रास्ते को कुछ व्यक्तियों ने वर्तमान में बंद कर रखा है ? जिससे कि आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी आम रिकार्डेड रास्ते को पूर्व में बंद किये जाने पर तहसीलदार आमेर ने दो बार खुलवाया था ? क्या पुन: इन्हीं लोगों ने इस रास्ते को बंद कर आम जनता को परेशानी में डाल रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रास्ते को खुलवाए जाने हेतु आम जनता द्वारा बार-बार

(श्री रमेश खींची)

अनुरोध किये जाने पर भी सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ? क्या प्रशासन अब उक्त आम रास्ते को शीघ्र खुलवाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा बार-बार स्मरण कराये जाने के बावजूद भी जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ख.नं. 469 रकबा 1.34 हैक्टेयर किस्म जमीन बारानी द्वितीय श्री घासीलाल पुत्र नाथू मु. मोती देवी पत्नी नाथू राम, बिरदा पुत्र डूंगाराम वगैरह जाति बागड़ा ब्राह्मण तथा ख.नं. 467 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म जमीन बारानी द्वितीय श्री जगदीश, मंगला, गोपाल पुत्र सोना जाति बागड़ा ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं मौके पर खातेदारान का ही कब्जा काश्त है। नक्शे में इन ख.नं. में डोटेड लाइन से आने जाने की सुविधा के रूप में रास्ता दर्शाया गया है। खातेदार का कब्जा होने से पड़ोसी काश्तकारान को परेशानी होना स्वाभाविक है।

(2) जी हां। किन्तु उक्त खातेदारान द्वारा इस रास्ते को पुन: बंद कर दिया गया है। तहसीलदार, आमेर के निर्णय दिनांक 8.7.96 के विरुद्ध अपील अपर कलक्टर, द्वितीय जयपुर के यहां होने पर उनके निर्णय दिनांक 28.10.97 द्वारा तहसीलदार, आमेर के निर्णय को निरस्त कर पुन: उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं मौका निरीक्षण कर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गए। अपर कलक्टर द्वितीय के निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर के यहां अपील दायर की गई। जिसमें अपर कलक्टर द्वितीय के निर्णय को स्थगित कर दिया गया है। अब प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है।

(3) जी हां। उक्त रास्ते को खुलवाने हेतु आम जनता द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया है। लेकिन प्रकरण मे तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध अपर कलक्टर द्वितीय जयपुर के यहां अपील हो जाने पर स्थगन जारी होने से रास्ता पुन: नहीं खुलवाया जा सका तथा न्यायालय ए.डी.एम.-II जयपुर ने अपील स्वीकार कर तहसीलदार, आमेर के निर्णय दिनांक 8.7.96 को अपने निर्णय दिनांक 28.10.97 के दौरान निरस्त कर पुन: उभयपक्षों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर देकर मौका निरीक्षण कर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये हैं। ए.डी.एम.-II जयपुर के इस निर्णय में दिनांक 28.10.97 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील हो जाने से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 4777 दिनांक 5.2.98 द्वारा ए.डी.एम.-II जयपुर के निर्णय को स्थगित कर दिया। अब प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है।

(4) जी हां। मुख्य मंत्री कार्यालय से 3 बार पत्र प्राप्त हुए थे। जिनका जवाब जिला कलक्टर द्वारा भिजवाया जा चुका है। जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार आमेर व उपखण्ड

(राजस्व मंत्री)

अधिकारी आमेर को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। जिला कलक्टर द्वारा अन्तिम बार अ.शा. पत्र क्र. 1614 दिनांक 14.4.2000 द्वारा उपखण्ड अधिकारी को लिखा जा चुका है।

ग्राम बीदासर (चूरू) की भूमि पर अतिक्रमण

768. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अध्यक्ष नगरपालिका बीदासर ने जिला कलेक्टर चूरू को दिनांक 5 मई, 1999 को एक शिकायत बीदासर के खसरा नम्बर 1679 की भूमि को खुर्द-बुर्द करने की की है ? यदि हां, तो जिला कलेक्टर ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलेक्टर चूरू ने दिनांक 5 जलाई, 1999 को एक आदेश तहसीलदार सुजानगढ़ व अतिरिक्त तहसीलदार बीदासर को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का दिया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना किस सीमा तक हुई और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त मामले की जांच भी हुई है ? यदि हां, तो कब किसके द्वारा तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलेक्टर ने तहसीलदार, सुजानगढ़ को जांच रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये।

(2) जी हां। जिला कलेक्टर के आदेश की पालना में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 1.4.2000 को धारा 420, 467, 468, 471 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई।

(3) जी हां। तहसीलदार, सुजानगढ़ द्वारा दिनांक 14.7.99 को जांच तथ्य प्रस्तुत किये हैं। जांच तथ्यों के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

ग्राम सरपुरा (तहसील जमवारामगढ़) के मन्दिर की भूमि बेचान

769. श्री हरीश चन्द्र (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सरपुरा पंचायत फूटोलाव तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में खसरा नम्बर एक रकबा 30 बीघा, 17 बिस्वा संवत् 2018 में श्री गोपालजी बहमतात के नाम माफी मंदिर की भूमि दर्ज थी ? यदि हां, तो वर्तमान में क्या उक्त भूमि स्थिति है तथा किसके नाम दर्ज है ? उक्त संबंध में जमाबन्दी खतौनी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुजारी

(श्री हरीश चन्द्र)

श्री गौरी दास ने उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया है ? यदि हां, तो कब तथा किसको ? उक्त भूमि से संबंधित दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का कब्जा वर्तमान में किसी अन्य व्यक्तियों के पास है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को वापस मंदिर के नाम दर्ज कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त जमीन को माफी मंदिर श्री गोपालजी बहमतात सरपुरा के नाम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? अब तक उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्तमान में उक्त भूमि अन्य श्री राधेश्याम पुत्र गौरीशंकर व सत्यनारायण पुत्र रामकरण कौम हरियाणा ब्राह्मण सा. फूटोलाव के नाम खाते में दर्ज है। उक्त संबंध में जमाबन्दी खतौनी की छाया प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। दि. 14.9.66 को श्री महन्त नारायण दास चेला महन्त वल्लभ देवजी मंदिर जयपुर को बेचान कर दिया था। नकल नामान्तरकरण संख्या 37 की छाया प्रति संलग्न है। उक्त क्रेता द्वारा दि. 27.8.71 को इस भूमि का बेचान श्री राधेश्याम पुत्र गौरीशंकर व सत्यनारायण पुत्र रामकरण हरियाणा ब्राह्मण सा. फूटोलाव को कर दिया। नकल नामान्तरकरण सं. 52 की छाया प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। माफी मंदिर की भूमि को वापस माफी मंदिर के नाम राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 82 के तहत रेफरेन्स की कार्यवाही एक सप्ताह में सक्षम न्यायालय में कराने हेतु तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(4) माफी मंदिर की भूमि को वापस मंदिर के नाम करने हेतु राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 82 के तहत रेफरेन्स की कार्यवाही एक सप्ताह में करने हेतु तहसीदार को निर्देशित किया जा चुका है। इसके साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु भी जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है। पत्र प्रति निम्न प्रकार है ।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं।)

ग्राम खिंवास (जयपुर) के मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण

770. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम खिंवास, तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में धाबाई की पूल तक मुख्य रास्ता राजस्व रिकार्ड में कितना गट्ठा चौड़ा है और वह वर्तमान में कितना चौड़ा बचा हुआ है ? क्या सरकार उक्त रास्ते पर हुए अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

(2) उक्त रास्ते में कितने पेड़ बबूल के हैं ? क्या माफिया गिरोह आम रास्ते के पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) ग्राम खिंवास तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में धाबाई की पुल तक मुख्य रास्ता राजस्व रिकार्ड में 5 गठ्ठा चौड़ा है। वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता कहीं दो गट्ठे व कहीं एक गट्ठा चौड़ा है। अतिक्रमियों के विरुद्ध नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ के न्यायालय में धारा 91(3) के तहत कार्यवाही जैरकार है। इस संबंध में तहसीलदार व जमवारामगढ़ को जिला कलक्टर द्वारा उक्त अवैध अतिक्रमियों को बेदखल कर रास्ता चौड़ा करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(2) उक्त रास्ते में दो पेड़ बबूल के खड़े हैं । पेड़ों को नष्ट नहीं किया जा रहा है। केवल पड़ोस के काश्तकार द्वारा लूम पातडी छांगण कर दी गई थी । जिसे अब छांगण नहीं करने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र फागी की गोचर/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

771. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फागी की ग्राम पंचायत माधोराजपुरा में कई व्यक्तियों ने गोचर/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जे कर लिये हैं? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? अतिक्रमण कर्ताओं के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गोचर भूमि से अतिक्रमणों/कब्जों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फागी की ग्राम पंचायत माधोराजपुरा के 2 ग्रामों में 19 व्यक्तियों ने 6.01 बीघा चरागाह भूमि पर खाम, मकान व बाड़े बनाकर कब्जे कर लिये जाने पर उनके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार फागी द्वारा कार्यवाही कर शास्ति आरोपित कर अतिक्रमण से बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये हैं। इन अतिक्रमियों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। कुल 19 अतिक्रमियों में से 4 अतिक्रमणों को मौके पर बेदखल कर दिया गया है। शेष 15 अतिक्रमणों को बेदखल की कार्यवाही तहसीलदार फागी द्वारा की जा रही है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 6 देखें।)

ग्राम जयसिंहपुरा (जयपुर) का विचाराधीन रेफरेन्स प्रकरण

772. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जनार्दन गहलोत)

(1) क्या यह सही है कि माह मई व जून, 1989 में ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा शेखावतान (जयपुर) में राजस्व शिविर में कतिपय नामान्तरकरण खोले गये थे ? यदि हां, तो किस-किसके?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में प्रस्तुत नामान्तरकरण में से किसी को राज्य सरकार ने गलत मानकर राजस्व मण्डल में रेफरेन्स की कार्यवाही हेतु लिखा था ? यदि हां, तो किस-किस प्रकरण में ?

(3) क्या उक्त रेफरेन्स की कार्यवाही कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(4) अब तक उक्त रेफरेन्स की कार्यवाही नहीं करने के लिये कौन-कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त प्रकरण का अब निस्तारण करने का विचार रखती है ? यदि हां; तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पुनाना का नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 30.5.89 श्री सूजा, सुवा, बोदू पुत्रान चून्या, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा. देह के नाम खोला गया था।

(2) जी नहीं। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध तहसीलदार, आमेर स्तर से सक्षम न्यायालय कलेक्टर, जयपुर के यहां रेफरेन्स प्रस्तुत कर दिया है, जो विचाराधीन है।

(3) रेफरेन्स दिनांक 25.6.96 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(4) न्यायालय कलेक्टर, जयपुर में रेफरेन्स किया गया है, जो विचाराधीन है।

गोचर भूमि (पाली) पर अतिक्रमण

773. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दस वर्षों में जिला पाली में तहसीलवार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों ने गोचर/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये हैं ? अब सरकार उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(2) क्या सरकार अतिक्रमियों को बेदखल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पाली जिले में गत 10 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,78,120 व्यक्तियों ने गोचर/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया। तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम तहसील	संख्या
1.	देसूरी	2177
2.	रायपुर	5896
3.	रोहट	2057
4.	सुमेरपुर	21376
5.	जैतारण	25088
6.	मारवाड़ जंक्शन	9004
7.	सोजत	36379
8.	बाली	24639
9.	पाली	28504
		178120

(राजस्व मंत्री)

अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी, हां। अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही सम्बन्धित तहसीलदारों द्वारा की जा रही है।

ग्राम आभानेरी (बांदीकुई) के आम रास्ते एवं श्मशान भूमि पर अतिक्रमण

774. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाये जा रहे हैं ? यदि हां,तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी भूमि के अतिक्रमण भी हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति बांदीकुई क्षेत्र के ग्राम आभानेरी के आम रास्तों एवं श्मशान भूमि के रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं ? यदि हां, तो किस-किसने? रास्तों के नाम सहित अतिक्रमियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के गैर आबादी क्षेत्र के आम रास्तों की चौड़ाई लगभग साढ़े तीन गड्ठे होनी चाहिए ? यदि हां तो उक्त ग्राम के किस-किस रास्ते की चौड़ाई उक्त चौड़ाई से कम है एवं इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमणों की जानकारी क्षेत्रीय पटवारी ने समय पर अपने उच्चाधिकारियों को दी है ? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार दोषी पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त रास्तों पर हुए अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाये जाने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

(2) जी नहीं। सभी रास्ते खुले हुए हैं। जैसे ही आम रास्ते बन्द होने की शिकायत प्राप्त होती है, उन रास्तों को खुलवाने की कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा शीट मौके की स्थिति अनुसार तैयार की जाती है। उक्त नक्शा शीट के अनुसार भिन्न भिन्न रास्तों की चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। उक्त नक्शा शीट के रास्तों की सीमा में परिवर्तन बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नहीं हो सकता।

(4) ग्राम आभानेरी के आम रास्तों एवं श्मशान की भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने के कारण पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(5) पटवारी हल्का के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मंदिर श्री जुगल किशोरजी, करौली का पता परिवर्तन*

775. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) एवं **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सुपुर्दगी श्रेणी के कितने मंदिर राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं और उनमें से कितने मंदिरों को इस सुपुर्दगी सूची से 'निकाल दिया गया ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब कितने सुपुर्दगी श्रेणी मंदिरों को इस सूची से निकालने की कार्यवाही कब से चल रही है ?

(3) क्या करौली से सुपुर्दगी श्रेणी मंदिर श्री जुगल किशोरजी बारियों की गली, करौली मंदिर का पता गलत मुद्रित होने के कारण पता परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक पता परिवर्तित कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य में सुपुर्दगी श्रेणी के 403 मंदिरों का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 25 जून, 1981 में हुआ है और इनमें से 6 मंदिरों को सूची से निकाल दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्तमान में किसी मंदिर को सूची से निकालने की कार्यवाही नहीं चल रही है। सुपुर्दगारों से सुपुर्दनामा तहरीर कराने की प्रक्रिया 25 जून, 1981 में मंदिरों के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् शुरू हुई थी, जो सुपुर्दगार, सुपुर्दनामा तहरीर नहीं कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर मंदिरों के स्वामित्व संबंधी जांच के पश्चात् सूची से निकालने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

(3) जी हां। इस पूरे मामले में वस्तुस्थिति का परीक्षण किया जा रहा है। मंदिर श्री जुगल किशोरजी, बारियों की गली, करौली तत्कालीन रियासत के समय सूर्य नारायणजी मंदिर के पास रियासत कालीन बारूद खाने के पास स्थित था । वह स्थान तत्कालीन रियासत के समय ही बारूद में आग लग जाने से नष्ट हो गया तभी से मूर्ति पुजारी के पास उनके निजी मकान में स्थापित है। वर्तमान में मूर्ति श्री किरोड़ी लाल चतुर्वेदी के निजी मकान में है तथा यही पता, बारियों की गली, राजपत्र में मुद्रित हो गया था। मूर्ति की स्थापना का मामला विचाराधीन है। प्रकरण पर शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जाकर पता परिवर्तन के संबंध में कार्यवाही की जाएगी ।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 7 देखें।)

कोटा के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

776. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिंचित क्षेत्रीय विकास कोटा में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए कितने आवेदन पत्र विभाग के पास लम्बित हैं ? लम्बित आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(2) उक्त आवेदनों पर लम्बे समय से नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित आवेदनों पर शीघ्र नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 47, सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) कुछ आवेदन विभाग में पद रिक्त नहीं होने एवं कुछ आवेदन पत्र निरीक्षण में आक्षेपयुक्त पाये जाने के कारण प्रकरण लम्बित हैं।

(3) शासन सचिव, सिंचाई विभाग एवं आयुक्त, सीएडी, कोटा को पत्र क्रमांक प. 11 (39) सीएडी/2000 दिनांक 24.4.2000 द्वारा शीघ्र ही प्रकरणों को निर्णीत करने हेतु पाबंद किया गया है। प्रति परिशिष्ट ब एवं स पर संलग्न है।

(सूची व प्रति के लिए परिशिष्ट 8 देखें)

जयपुर शहर सीमा में प्रस्तावित उचित मूल्य की दुकानें

777. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर निगम क्षेत्र एवं जयपुर शहर में उचित मूल्य की दुकानों की कितनी कमी है ? संख्या व स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डीलर रहित उचित मूल्य की दुकानों हेतु वर्ष 2000-2001 में डीलरों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उचित मूल्य की दुकान आबंटित करने के क्या कोई नियम/मानदण्ड हैं ? यदि हां, तो उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दुकानें कौन-कौन अधिकारी आबंटित करता है ? क्या सरकार उक्त दुकान आबंटित करने हेतु कोई कमेटी गठित करती है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि शामिल है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों को उक्त दुकानें प्राथमिकता के आधार पर आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसके लिये क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सरकार उक्त दुकानें जयपुर शहर एवं नगर निगम सीमा में किस-किस स्थानों पर आबंटित करेगी ? स्थानों का नाम, वार्ड नम्बर, गली, मौहल्लावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम क्षेत्र एवं जयपुर शहर में उचित मूल्य की दुकानों की कमी नहीं है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) जी हां। 127 रिक्त दुकानों हेतु आवेदन मांगे जा चुके हैं। जिनकी सूची संलग्न है शेष रिक्त दुकानें न्यायिक प्रक्रिया में लम्बित है।

(3) जी हां। विभागीय निर्देश दिनांक 10.5.99 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पूर्ण विवरण प्रश्न के भाग (3) के संलग्न निर्देशों में अंकित है।

(5) जी हां। पूर्ण विवरण भाग (3) के संलग्न निर्देशों में अंकित है।

(6) चाहा गया विवरण प्रश्न के भाग (2) की सूची में अंकित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के माही बांध की नहरों का अपूर्ण कार्य

778. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घोटाल में माही बांध की नहर दूद का, नरवाली, जगपुरा एवं भूंगडा कैनाल का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है ? यदि हां तो शेष कार्य क्यों अपूर्ण है ?

(2) उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

(3) क्या उक्त कार्य अपूर्ण रहने से सरकार व काश्तकारों को नुकसान हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माही परियोजना के अन्तर्गत नरवाली, जगपुरा व भूंगडा नहरों का कार्य क्रमशः 85 प्रतिशत, 65 प्रतिशत व 60 प्रतिशत सम्पादित किया जा चुका है। शेष कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार किये जा रहे हैं।

(2) उत्तर भाग (1) के अनुसार ।

(3) जी नहीं, परियोजना के निर्माण कार्य वित्तीय साधन एवं अन्य साधन उपलब्ध होने पर चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किये जाते हैं।

फलिया (बारां) की लघु सिंचाई योजना

779. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा संभाग की कौन-कौन सिंचाई योजनाओं (मध्यम, वृहद्, लघु) को वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिल चुका है?

(2) उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त योजनाओं के निर्माण के बारे में राज्य एवं केन्द्र स्तर पर क्या योजना बन रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बारां जिले की फलिया (छीपा बड़ौद) लघु सिंचाई योजना का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा संभाग की चार मध्यम सिंचाई परियोजनाएं छापी, सावन भादों, बिलास एवं

(सिंचाई मंत्री)

गरडदा तथा एक लघु सिंचाई परियोजना फालिया हेतु वन विभाग से कुछ शर्तों के अधीन अन्तरिम स्वीकृति प्राप्त हुई है। वन विभाग की शर्तों की अनुपालना कर अन्तिम स्वीकृति प्राप्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) उक्त योजनाओं में निर्माण के बारे में स्थिति परिशिष्ट अ संलग्न है।

(3) जी नहीं, फालिया सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति होने के उपरांत वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ करना संभव होगा।

(संलग्नक के लिए परिशिष्ट-9 देखें।)

बीसलपुर परियोजना के मूल उद्देश्यों में परिवर्तन

780. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बीसलपुर योजना का सर्वे करवाकर उसका निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो सर्वे कब पूर्ण हुआ ? मूल परियोजना का उद्देश्य क्या-क्या था ? शुरू में कितनी लागत अनुमानित थी ? आज तक कितना निर्माण हो गया है एवं किस-किस वित्तीय वर्ष में कितना-कितना व्यय किस-किस कार्य पर हुआ ? मूल उद्देश्य कौन-कौन से हैं जिनके अनुसार पालना की जा रही है ?

(2) क्या परियोजना के मूल उद्देश्यों में परिवर्तन उक्त कार्यो में किया गया है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? मूल उद्देश्यों का परिवर्तित उद्देश्यों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परियोजना का सर्वेक्षण कार्य विभिन्न स्तरों पर वर्ष 1944 से 1980 तक कराया गया है। मूल परियोजना रुपये 91.60 करोड़ की वर्ष 1982 में बनाई गई थी इसके अन्तर्गत अजमेर शहर में पेयजल एवं बूंदी, सवाईमाधोपुर व टौंक जिले में 568 गांवों की 85000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना था।

राज्य सरकार ने पेयजल को प्राथमिकता के आधार पर परियोजना का प्रशासनिक तकमीना रुपये 52 करोड़ का ही स्वीकृत किया जिसमें मूल उद्देश्य हेतु पेयजल का प्रावधान रखा गया था।

बांध का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं स्पिलवे ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। डूब क्षेत्र में मुआवजा पुनर्वास एवं पुन: स्थापना का कार्य बांध की कुल भराव क्षमता 315.5 मीटर की तुलना में अब तक 306 मीटर तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 306 से 309 मीटर के बीच मुआवजा भुगतान का कार्य प्रगति पर है।

दायीं मुख्य नहर का 23 कि.मी. तक का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं यहां तक की वितरिकाओं व धोरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस नहर की 23 से 46 कि.मी. का कार्य भी प्रगति पर है, इसी तरह बायीं मुख्य नहर का निर्माण कार्य 4.5 कि.मी. लम्बाई में प्रगति पर है।

(सिंचाई मंत्री)

परियोजना के मूल उद्देश्य अजमेर शहर को पेयजल देने की पालना की जा रही है।

(2) जी हां। परियोजना के संशोधित स्वीकृत तकमीने जिसकी लागत रुपये 328 करोड़ है, में मूल उद्देश्यों में परिवर्तन निम्न प्रकार किए गये हैं :-

(अ) अजमेर के अतिरिक्त जयपुर, ब्यावर, किशनगढ़ एवं बीच में पड़ने वाले नगर व गांवों को पेयजल सुविधा का प्रावधान।

(ब) टौंक जिले के 208 गांवों की 69290 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधा का प्रावधान।

सादुल ब्रांच की क्षमता में संशोधन

781. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सादुल ब्रांच की क्षमता में संशोधन कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्या इसके अभाव में केन्द्रीय जल आयोग की भाखरा आधुनिकीकरण योजना को स्वीकृत कराने का आधार कमजोर नहीं होगा ?

उत्तर

जी नहीं। सादुल ब्रांच की क्षमता संशोधन के अभाव में भाखड़ा आधुनिकीकरण योजना की स्वीकृति का आधार कमजोर नहीं होगा।

कानोता बांध निर्माण पर व्यय राशि

782. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) एवं **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कानोता बांध जयपुर में मिट्टी कार्य की निविदा दिनांक 8 मार्च, 2000 का आबंटन किस ठेकेदार को किया गया ? प्री बिड मीटिंग के बाद जो पत्र आये उनका क्या किया गया ?

(2) उक्त बांध के बचे हुए कार्य की क्या कोई ड्राइंग बदली गई है ? नदी भाग के ट्रेंच में काली मिट्टी पहले कितनी भरी गई थी ?

(3) उक्त बांध पर कुल खर्च अनुमानतः कितना किया जाना था तथा अब तक कितनी राशि व्यय की गई तथा इससे सिंचाई कब शुरू होगी ?

उत्तर

(1) कानोता बांध की मिट्टी का कार्य मै.बन्ना लाल जाट, संवेदक को आबंटित किया गया। प्री. बिड मीटिंग के बाद तथा वित्तीय बिड के खोलने से पूर्व कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(2) जी नहीं, नदी भाग में पूर्व में ट्रेंच में काली मिट्टी की मात्रा 24137 घन मीटर (1138 फीट के लेवल तक) भरी गई थी।

(3) बांध का मूल अनुमानित तकमीना राशि रुपये 363.3 लाख (बी.एस.आर. वर्ष 1984) का था एवं संशोधित तकमीना रुपये 1058 लाख (बी.एस.आर. वर्ष 1996) का है। इसके विरुद्ध माह मार्च, 2000 तक रुपये 699.54 लाख का व्यय किया जा चुका है। परियोजना कार्य वित्तीय साधन की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण किये जाने के पश्चात् सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव होगा।

बिराटियाकलां (पाली) की भूमि का कमाण्ड एरिया में विलय

783. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रायपुर दीपावास तथा झिलमिल बांध पाली से गत तीन वर्षों से लिफ्ट से पानी नहरों से दिया जा रहा है ? उक्त दोनों बांधों से सिंचित होने वाल राजस्व गांवों की भूमि का विवरण कुल बीघा में सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या झिलमिल बांध में पर्याप्त पानी होने के कारण बिराटियाकलां की भूमि को कमाण्ड एरिया में लिया जाएगा ?

(3) रायपुर लूनी बांध की नहर से किन-किन गांवों की कितनी-कितनी बीघा भूमि लिफ्ट से सिंचित कितने वर्षों से हो रही है ? क्या उक्त भूमि को कमाण्ड एरिया में लिए जाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। रायपुर दीपावास बांध से (रायपुर लूनी बांध) गत तीन वर्षों में लिफ्ट से पानी दिया जा रहा है लेकिन झिलमिल बांध (बिराटियां खुर्द) से गत तीन वर्षों से लिफ्ट से पानी नहीं दिया गया है। उक्त बांधों से सिंचित होने वाले राजस्व गांवों की भूमि का विवरण बीघा में परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) रायपुर लूनी बांध की नहर से वर्ष 1991-92 से जिन गांवों की भूमि लिफ्ट से सिंचित हो रही है उनका विवरण ग्रामवार, वर्षवार, बीघों में परिशिष्ट-ब संलग्न है। उक्त भूमि को कमाण्ड में लिये जाने का विचार नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 10 देखें)

गंग कैनाल के रखरखाव हेतु स्वीकृत राशि

784. श्री सोहन लाल (रायसिंह नगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर की भीमपुरा माइनर के ज़ल बहाव क्षमता को बढ़ाया जाना प्रस्वावित है? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या गंग कैनाल के रखरखाव हेतु कोई राशि स्वीकृत हुई है ? उक्त राशि में से गंग कैनाल की अन्य वितरिकाओं के रखरखाव हेतु किस अनुपात में राशि दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीमपुरा माइनर की क्षमता पूर्व में ही 21.34 क्यूसेक्स से 36.50 क्यूसेक्स, भीमपुरा विस्तार के सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कर दी गई है।

(2) गंग नहर प्रणाली जिसमें गंग कैनाल फीडर व वितरिका भी सम्मिलित है, की मरम्मत हेतु प्रति वर्ष रखरखाव मद में राशि आबंटित की जाती है, इनमें से गंग कैनाल फीडर व वितरिकाओं की मरम्मत के बारे में कोई अनुपात निर्धारित नहीं है। बजट उपलब्धता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्य सम्पादित करवाये जाते हैं।

जिला भीलवाड़ा में नवीन पशु चिकित्सालय

785. डा.रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र कार्यरत हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त जिले में कितने नये पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र खोले गये हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त जिले में नये पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक ?

(4) क्या सरकार पशु चिकित्सालय/ उपकेन्द्र खोलने में ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला भीलवाड़ा में 57 पशु चिकित्सालय, 45 उपकेन्द्र कार्यरत हैं। सूची संलग्न है।

(2) गत 5 वर्षों में भीलवाड़ा ज़िले में 11 पशु चिकित्सालय, 24 उपकेन्द्र नये खोले गए।

(3) नये पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(4) पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता पर खोले जाते हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट 11 देखें)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में बने गोदाम/मकानों की नीलामी

786. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कितने सीमेन्ट गोदाम तथा मकान बनाये गये थे ?

(2) क्या उक्त गोदामों व मकानों की सार संभाल की जिम्मेदारी दी गई है ? यदि हां, तो किसे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गोदामों की छतों पर लगे लोहे के चद्दर गायब हो गये हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त गोदामों व मकानों को नीलाम कर विक्रय करना चाहती है या भविष्य में राजकीय उपयोग में लेना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के जैसलमेर संभाग के अधीन विभिन्न स्थानों पर 106 स्टोर एवं 2285 आवासीय/गैर आवासीय भवनों का निर्माण करवाया गया है।

(2) निर्मित भवनों/स्टोरों की देख रेख का कार्य सम्बन्धित खण्डों द्वारा उनके अधीनस्थ उपखण्डों के माध्यम से किया जाता है।

(इंदिरा गांधी नहर मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में गोदाम व मकान उपयोग में आ रहे हैं।

विज्ञापन हेतु व्यय राशि

787. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के लिये क्या सरकार ने कोई नीति बना रखी है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) जनवरी, 1999 से मार्च, 2000 तक किस-किस समाचार पत्र को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय विभागों के विज्ञापन राजस्थान विज्ञापन नियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जारी किये जाते हैं।

(2) जनवरी, 1999 से मार्च, 2000 तक विभिन्न समाचार पत्रों को दिये गए विज्ञापनों की राशि का विवरण संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

निजी सचिव, अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग की अनियमित नियुक्ति

788. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लेखाकार, राजस्थान हाथ करघा विकास निगम जयपुर के श्री किशोर वरयानी की नियुक्ति बोर्ड में निजी सचिव, अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग के पद पर की गई ? यदि हां, तो कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त लेखाकार को बोर्ड कार्यालय आदेश संख्या 1843 दिनांक 10.6.98 द्वारा सहायक निदेशक पद पर नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नियुक्ति किन-किन सेवा नियमों/प्रावधानों के तहत की गई ? उक्त आदेशों, नियम/प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या श्री वरयानी की पात्रता उक्त पद हेतु बनती है ? यदि हां, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित अनुभव का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बोर्ड के सेवा नियमों में निजी सचिव का पद सरकार से प्रतिनियुक्ति पर भरे जानें का प्रावाधान है ? यदि हां, तो नियमावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) दिनांक 15.6.98 से 2000 तक नियुक्ति पश्चात् श्री वरयानी ने किन विभागीय जिम्मेदारियों/कार्यों का निष्पादन किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति को निरस्त करने हेतु सचिव, खादी बोर्ड को कई बार निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो ऐसे पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) उद्योग सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र

(श्री ललित भाटी)

दिनांक 5.11.99 की अनुपालना बोर्ड सचिव द्वारा न कर पाने के क्या कारण हैं ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि अनुपालना कर ली गई तो अनुपालना संबंधी पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सरकार इस संदर्भ में राजकीय आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री वरियानी के निजी सचिव के पद पर दिनांक 18.10.95 को अपनी उपस्थिति दी है। जिसकी प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) उक्त लेखाकार को बोर्ड के आदेश क्रमांक 1839,(1843 नहीं) दिनांक 10.6.98 के द्वारा सहायक निदेशक के पद पर समायोजित किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) उक्त नियुक्ति नहीं अपितु यह समायोजन बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 18.4.98 को प्रस्ताव संख्या 6 में पारित निर्णयानुसार किया गया (परिशिष्ट-3)। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव की प्रति परिशिष्ट-3 ए पर संलग्न है।

(4) अध्यक्ष के निजी सचिव का पद सरकार से प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के संबंध में बोर्ड के कोई सेवा नियम नहीं हैं। इस संबंध में राज्य सरकार का आदेश दिनांक 7 जुलाई,70 का है। जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर जब राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित होंगे तो उन्हें वेतन श्रृंखला 375-25-550-30-850 विशेष वेतन 75 रु. और प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा। राज्यादेश की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) दिनांक 27.6.98 को बोर्ड के आदेश के अनुसार श्री वरियानी को सहायक निदेशक, विपणन का कार्य आबंटित किया गया। श्री वरियानी ने निजी सचिव, अध्यक्ष के कार्य के साथ-साथ कार्यभार संभालने की दिनांक 2.7.98 से विपणन संबंधी कार्य किया। परिशिष्ट-4-ए।

(6) जी हां। आदेशों की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट-9 से 13

(7) उद्योग सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 5.11.99 बोर्ड कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 3.11.99 का पत्र प्राप्त हुआ है। उद्योग सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 3.11.99 की अनुपालना में बोर्ड द्वारा लेखाकार के पद पर समायोजित किये जाने में वैधिक कठिनाई का उल्लेख करते हुए दिनांक 22.12.99 को सचिव, खादी बोर्ड द्वारा उद्योग सचिव को पत्र लिखा जा चुका है। पत्र की प्रति संलग्न है।

(8) प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

विकास अधिकारी सहकार की सहायक सचिव प्रशासन के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति

789. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बोर्ड कार्यालय आदेश क्रमांक 6551 दिनांक 9.2.99 द्वारा विकास अधिकारी सहकार को सहायक सचिव प्रशासन पद पर पदोन्नति दी गई ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पद पर पदोन्नति दिये जाने हेतु बोर्ड के क्या नियम/प्रावधान हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त पद पर जिन्हें पदोन्नत किया गया है, की वांछित शैक्षिक योग्यता, मय अंक तालिका/अनुभर्व की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पदोन्नति दिए जाने में बोर्ड द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकती है ? यदि हां, तो किस हद तक ? बोर्ड के सेवा नियम एवं ऐसे प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या किसी निरीक्षक सहकार पद से विकास अधिकारी सहकार पद पर पदोन्नति दी गई थी ? यदि हां, तो कब ? कितनी समयावधि में पदोन्नति दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सहायक सचिव प्रशासन के पद पर विकास अधिकारी केन्द्र व विपणन अधिकारी का पदोन्नति चैनल है ? यदि हां, तो क्या उक्त संवर्गों के अधिकारियों को पदोन्नति का मौका दिया गया और नहीं, तो क्यों ?

(6) बिन्दू संख्या 3 में वांछित पदोन्नति क्या नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या बोर्ड उक्त पदोन्नति को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) उक्त पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु बोर्ड सेवा नियम, 1977 के शिड्यूल ए (परिशिष्ट-2) के बिन्दू क्रमांक 3 के प्रावधान के अनुसार सहायक सचिव (प्रशासन) के पद पर विकास अधिकारी (केन्द्र), विकास अधिकारी (सहकार) व विपणन अधिकारी पात्र पद हैं (परिशिष्ट-2) । उक्त पद पर जिन्हें पदोन्नत किया गया है उनकी शैक्षणिक योग्यता मय अंक तालिका/अनुभव की प्रति परिशिष्ट 3 एवं 3 ए पर संलग्न है।

(3) जी हां। पदोन्नति दिये जाने में बोर्ड सेवा नियम, 1977 के नियम (xvi) के अन्तर्गत एवं विभागीय पदोन्नति समिति नियम, 1998 के तहत अनुभव में शिथिलता दिये जाने का प्रावधान है। उक्त नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 4 एवं 4ए)।

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

(4) जी हां। श्री ललित शर्मा को निरीक्षक सहकार के पद से विकास अधिकारी के पद पर दिनांक 20.2.96 को पदोन्नति दी गई है। उक्त पदोन्नति श्री ललित शर्मा को वर्ष 1988 से 1996 तक 8 वर्षों तक निरीक्षक सहकार के पद पर कार्य करने के उपरान्त दी गई।

(5) जी हां। सहायक सचिव (प्रशासन) के पद पर विकास अधिकारी (केन्द्र), विपणन अधिकारी व विकास अधिकारी (सहकार) का पदोन्नति चैनल है। उक्त अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 5.2.99 को विकास अधिकारी (केन्द्र) व विपणन अधिकारी के पद रिक्त थे तथा केवल विकास अधिकारी (सहकार) ही कार्यरत थे।

(6) बिन्दू संख्या 3 में वांछित पदोन्नति बोर्ड की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमानुसार की गई है। बोर्ड उक्त पदोन्नति को निरस्त करने का कोई विचार नहीं रखता है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

आयुर्वेदिक औषधालयों में नर्स/ कम्पाउण्डर्स के रिक्त पद

790. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्रशिक्षित नर्स/ कम्पाउण्डर्स को आयुर्वेद विभाग गठित होने से अब तक किस-किस आधार पर नियुक्तियां दी गई हैं ?

(2) आयुर्वेद विभाग में प्रशिक्षित नर्स/ कम्पाउण्डर्स के कुल कितने पर रिक्त हैं ? जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नर्स/कम्पाउण्डर्स को नियुक्ति देने की प्रचलित व्यवस्था में क्या कोई नया परिवर्तन सरकार ने किया है ? यदि हां, तो क्यों ? नये आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभाग के गठन उपरान्त विभाग में नर्स/कम्पाउण्डर या धात्री/कल्पद पद पर अब तक दी गई नियुक्तियों का आधार क्या है, इस संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट क में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आयुर्वेद विभागान्तर्गत नर्स/ कम्पाउण्डर के राज्य में कुल 398 पद रिक्त हैं, जिनकी जिलेवार संख्या परिशिष्ट-ख में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। दिनांक 19.4.99 को परिवर्तन किया गया है। क्योंकि पूर्व की प्रक्रिया से नियुक्ति देने पर कई रिट याचिकाएं माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। नियमों के अनुसरण में जारी नवीन आदेशों/निर्देशों की प्रति परिशिष्ट क के साथ सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय गागरडू में पदस्थापित चिकित्सक

791. श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गागरडू, जयपुर में कार्यरत चिकित्सक कई-कई दिनों तक चिकित्सालय नहीं जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या वहां कार्यरत चिकित्सक को बिना उचित कारण के प्रतिनियुक्ति पर रखा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उक्त चिकित्सक को वर्तमान प्रतिनियुक्ति स्थान पर न लगाने हेतु पूर्व में कभी टिप्पणी की गई थी ? यदि हां, तो उसे नजर अंदाज क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, गागरडू जिला जयपुर में कार्यरत चिकित्सक श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा औषधालय में उपस्थित रहते हैं।

(2) उक्त औषधालय में कार्यरत चिकित्सक को ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र अवधि में माननीय सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिनियुक्ति पर विधान सभा स्थित राजकीय अ श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय में लगाया हुआ है।

(3) किसी प्रतिकूल टिप्पणी की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 24 मार्च, 2000)

कल्याण रायजी मंदिर बारां की फसल की नीलामी

24. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कल्याण रायजी महाराज विराजमान बारां की जमीन सम्वत् 2056 में मुनाफा काश्त की अन्तिम बोली किस-किस किसान की कितनी-कितनी जमीन की रही ?

(2) उक्त मुनाफा काश्त बोलियां कब-कब लगीं ? प्रत्येक बोली की पत्रावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त किसानों ने उक्त जमीन में क्या-क्या फसल बोई ? किसानों के नाम व खसरावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या तहसील अटरू व छबड़ा में सहायक कलेक्टर व उपखण्ड कार्यालय है ? यदि हां, तो सहायक कलेक्टर अटरू व उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा को नजर अंदाज कर मुनाफा काश्त बोली हेतु सहायक कलेक्टर, बारां को अटरू क्यों भेजा ?

उत्तर

(1) बारां जिले में स्थित कल्याण रायजी महाराज विराजमान बारां की कुल 54 प्रकरणों में जमीन की नीलामी की गई, जिसकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट क)।

(राजस्व मंत्री)

मुनाफा काश्त में अंतिम बोली जिस काश्तकार की रही वह परिशिष्ट क में अंकित है।

(2) मुनाफा काश्त की बोलियों की तिथि परिशिष्ट क पर अंकित है। प्रत्येक प्रकरण की बोली की फर्द नीलामी की छाया प्रति संलग्न है।

(3) उक्त जमीनों में बोई गई फसलों का विवरण एवं किसानों के नाम संलग्न परिशिष्ट क में अंकित हैं।

(4) जी हां। सहायक कलेक्टर, बारां को सम्पूर्ण जिले के लिए मुनाफा काश्त पर नीलामी बोली लगाने हेतु अधिकृत करने के कारण तहसील अटरू में स्थित मंदिर की जमीन के मुनाफा काश्त की नीलामी लगवाने हेतु भेजा गया।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 31 मार्च, 2000)

राज्य में कर से लाभ/हानि

206. श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1994-95 में रखे गये आय-व्ययक अनुमान के अन्तर्गत कौन-कौन से नये कर लगाये गये एवं कितनी राशि कर के रूप में प्राप्त हुई ? वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुमान में कौन-कौन से कर लगाये गये एवं कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(2) वर्ष 1994-95 से 1998-99 के मध्य बजट में कौन-कौन से कर घटाये गये तथा उससे राज्य सरकार को कितनी आय का नुकसान हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 के बजट में निम्नांकित नये टैक्स लगाये :-

1. विलासिता कर-सिगरेट आदि पर।
2. विद्युत शुल्क में 2 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि।

II. वर्ष 1999-2000 के बजट में निम्नांकित नये टैक्स लगाये गये :-

1. प्रवेश कर।
2. विद्युत शुल्क में वृद्धि।
3. मूल्य आधारित छूट को समाप्त किया।
4. पूर्व में बिक्री कर में दी गई कतिपय रियायतों को समाप्त किया।
5. पान मसाला, गुटका, नानस्टिक बर्तन, लाटरी टिकट, आयातित मदिरा व अफीम पर बिक्री कर बढ़ाया।
6. हीरे जवाहरात पर कर लगाया।
7. इकरारनामों पर मुद्रांक शुल्क में वृद्धि।
8. मनोरंजन कर की रियायत समाप्त की।
9. केबल पर कर लगाया।
10. वाहनों के हस्तान्तरण पर मोटर वाहन कर लगाया।
11. होटलों व तंबाकू पर विलासिता कर में वृद्धि की।

(वित्त मंत्री)

III. आय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

कर	1994-95 की आय (करोड़ रुपये)	1999-2000 की आय (करोड़ रुपये)
बिक्री कर	1184.71	2416.95
विद्युत शुल्क	74.26	193.67
विलासिता कर तथा मनोरंजन कर	20.31	49.00
पंजीयन व मुद्रांक	181.69	376.61
मोटर वाहन कर	232.20	455.64

1994-95

1. ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, चारे के बीज, तिलहन, खल, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम के बर्तन, पोल्टरी उत्पाद, धातु से बने निर्धूम चूल्हे, विकस्टोव, जूते, सिले सिलाये वस्त्र, मोटर वाहन, साबुन, छाता, गैस, लाइटर, पापड़खार, नमकीन, हस्तशिल्प वस्तुओं, सीमेंट, प्लांट व मशीनरी, स्टैनलेस स्टील सांकल, रंग, पी.वी.सी. पाइप फिटिंग, प्लास्टिक पाइप, इन्सुलेटिंग मैटीरियल, कास्ट आयरन कास्टिंग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट, सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों, डीजल पम्प सैट, गुर्दा प्रत्यारोपण व कैंसर की दवा, पोस्टर कलर, ड्राईंग मैटीरियल, इलेक्ट्रानिक सामान, पैन, प्लास्टिक के टिफिन बाक्स, खेल का सामान, आतिशबाजी, पैन्सिल बाक्स, कागज आदि पर बिक्री कर घटाया। बिक्री कर में ग्रीन पैनल योजनाएं शुरू कीं।

2. विज्ञापन कर समाप्त किया।

3. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा मनोरंजन कार्यक्रमों पर मनोरंजन कर व अतिरिक्त मनोरंजन कर की दर में कमी की।

4. आवासीय अकृषि ऋण, राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा आबंटित सम्पत्ति पर मुद्रांक कर में कमी।

5. भूमि एवं भवन कर में छूट की सीमा बढ़ाई।

1995-96

1. खादी व ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प, प्लांट व मशीनरी, पैकिंग मैटीरियल, बुलियन, खाल, चमड़े, कच्ची ऊन, वर्क्स कान्ट्रेक्ट, इसबगोल, सिंघाड़ा, सांवख्या, कुट्टु राजगिरा, छाता, रस्सी, खुली चाय, टेलिफोन, ई.पी.बी.एक्स, फैक्स, श्वेत-श्याम टीवी, पेजिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक एक्सचेंज, स्विचिंग इक्विपमेंट, एच.डी.पी.ई व नोन वोवन फेब्रिक, स्टेशनरी, वैल्डिंग इल्कट्रोड, हार्डवेअर, खेल सामग्री, गन्ना, जीरा, वाटर पम्प, धातु के बर्तन, आयुर्वेदिक औषधियां, इलेक्ट्रानिक घरेलू उपकरण, चश्में, एक्सरे फिल्म, डिस्पोजेबल सिरिंज, सीमेंट-एस्बेसटोस, पाइप, दूध, नेफ्था, नील, रंगाई छपाई के रसायन, वाद्य यंत्र, इलेक्ट्रानिक्स व दूरसंचार के सामान, रद्दी आदि पर बिक्री कर में कमी।

(वित्त मंत्री)

2. पंजीकृत निजी संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों के मकान बनाने, रीको आबंटित भूखण्डों, कृषि उपज मण्डी द्वारा आबंटित दुकानों पर मुद्रांक शुल्क में कमी की।

3. भूमि व भवन कर में छूट की सीमा बढ़ाई।

1996-97

1. फ्लाईएश उत्पाद, ग्वारगम, ट्रैक्टर के टायर ट्यूब, कृषि में काम में आने वाले डीजल इंजन/वाटर पम्प/पार्ट्स, पीवीसी, एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक के पाइप व फिटिंग, सोरगम सुडान घास, डिजिटल घड़िया, बर्फ, पानी वाला नारियल, पोस्तदाना, कत्था, रस्सी अग्निशामक, वाद्य यंत्र, हस्तशिल्पकारों व कारीगरों के औजार, स्क्रीन डिजाइन, लोहे की कड़ी व खूंटियां, शिशु आहार, सिलाई मशीन, कटलरी, घियाकस, झर, रई, नमकदानी, साबुनदानी, पौंछा, मैलखारा, डस्टपैन, हैंगर, नली पापड़, एण्टी पोलियो वैक्सीन, हार्ट वाल्व, पेसमेकर, खाद्य तेल, मोटर पार्ट्स, कतिपय बिजली का सामान, हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर, डम्पर, मोबाइल क्रेन, हस्त औजार, सोपस्टोन, प्लास्टिक ग्रेन्यूल, अभ्रक, स्टेनलैस स्टील से बनी वस्तुएं, बुलियन, खल, नमदा, फैल्ट, खादी, फुटवीयर, खिलौने आदि पर बिक्री कर की दर में कमी।

2. नवनिर्मित सिनेमा घरों को मनोरंजन कर में छूट।

3. राज्य सरकार तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा आबंटित अचल सम्पत्ति में मुद्रांक शुल्क में रियायत। समझौते से क्रय तथा समर्पित भूमि में मुद्रांक शुल्क में रियायत।

1997-98

1. प्लांट व मशीनरी, री-रोलिंग, ग्रेनाइट, सीमेंट, सोलवेंट रक्सट्रेक्ट, एल्यूमिनियम फोयल, सूती धागे, प्लास्टिक कलर मास्टर, टिन प्लेन, कच्ची ऊन, खाल व चमड़े, औद्योगिक गैस, एच.डी.पी.ई. फैब्रिक, हस्तनिर्मित औजार, कैरोसिन तेल, माचिस, बिस्कुट व कन्फैक्शनरी, साबुन, स्टेशनरी, अरण्डी का तेल, टैक्टर ट्राली, क्रोबार, फव्वारा व बूंद सिंचाई पद्धति के काम में आने वाले पार्ट्स, हेयर बैण्ड, रबर बैण्ड, सैफ्टीपिन, नेलकटर, आंवला, अरीठा, शिकाकाई, नारियल के रेशे से बनी चटाई व पायदान, सत्तू, साबुदाना, पापड़, चश्मे, इन्ट्रा आक्यूलर लैंस, डेन्चर आक्सीजन, लिनोलियम, लेमिनेटेड शीट, आडियो व वीडियो कैसेट, भाप-तौल के बाट, कोठी, संदूक आदि पर बिक्री कर में कमी।

2. चल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर मुद्रांक शुल्क में कमी।

1998-99

1. औद्योगिक गैस, वैल्डिंग इल्क्ट्रोड, एच.डी.पी.ई. फेब्रिक, स्टेनलैस स्टील, खनन उपकरण, मोटर बाडीज, आरईपी. अनुज्ञा पत्र, मेंहदी, ग्रेनाइट, संगमरमर, स्टोन स्लरी आधारित उत्पाद, डाइज, डाईस्टक एल्यूमिनियम फाईल, बिजली उपकरण, बियरिंग, मोटर पार्ट्स, प्लास्टिक कम्पाउंड व

(वित्त मंत्री)

स्क्रैप, लिनोलियम, बारदाना, बुलियन, ग्वारगम, कांटेदार तार, वाटर पम्प, स्क्सेसेरीज, कपास, डीजल सैट, टिन प्लेट, बक्से, संदूक, कोठी, सिलाई मशीन व पुर्जे, शू टैक, खादी, प्रिन्टेड कार्ड, पोहा, कालाजीरा, आमी हल्दी, साबुन, मसाले, पानी व बिजली के मीटर, स्टोव, फुटवियर, होजरी, सांकल, बाल्टी, दूध की टंकी, पूजा का सामान, जन्म घुट्टी, खालव चमड़ा, डिसपोजेबल निड़ल, आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक दवाई, बच्चों के टीके पर बिक्री कर में कमी।

2. भूमि व भवन कर में छूट की सीमा बढ़ाई

3. रिश्तेदारों को सम्पत्ति हस्तांतरण पर मुद्रांक शुल्क में कमी, पारिवारिक बंटवारों पर मुद्रांक शुल्क में कमी तथा मुद्रांक शुल्क में 3 प्रतिशत छूट।

4. मनोरंजन कर में दस रुपये मूल्य तक के टिकट में 50 प्रतिशत की छूट।

5. चुंगी हटाई गई।

गत वर्षों में प्रमुख कर मदों से राजस्व प्राप्ति तथा वृद्धि दर निम्नानुसार है :-

वर्ष	बिक्री कर		विद्युत कर		पंजीयन एवं मुद्रांक		मनोरजंन व विलासिता कर		भूमि एवं भवन कर	
	वर्ष केदौरान राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु)	पूर्व वर्ष के मुकाबले वृद्धि (करोड़ रु)	वर्ष केदौरान राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु)	पूर्व वर्ष के मुकाबले वृद्धि (करोड रु)	वर्ष केदौरान राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु)	पूर्व वर्ष के मुकाबले वृद्धि (करोड़ रु)	वर्ष केदौरान राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु)	पूर्व वर्ष के मुकाबले वृद्धि (करोड़ रु)	वर्ष केदौरान राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु)	पूर्व वर्ष के मुकाबले वृद्धि
1993-94	1058.14	14.25	57.32	14.34	140.42	18.70	17.61	8.64	12.19	13.18
1994-95	1184.71	11.96	74.26	29.55	181.69	29.39	20.31	15.33	16.75	37.40
1995-96	1399.66	18.14	80.35	8.20	228.08	25.53	23.66	16.49	12.90	(-)22.99
1996-97	1598.85	14.23	91.96	14.45	276.26	21.04	24.97	5.54	32.47	151.71
1997-98	1826.54	14.24	88.96	(-)3.20	312.27	13.03	34.89	39.73	33.15	2.09
1998-99	2058.85	12.72	91.87	3.27	344.36	10.28	38.80	11.21	17.96	(-)45.82
99-2000	2416.95	17.39	193.67	110.81	376.61	9.37	49.00	26.29	26.67	48.50

उपरोक्त सारिणी से विदित है कि वर्ष 1998-99 में जब कई रियायतें दी गई, वृद्धि दर कम रही जबकि वर्ष 1999-2000 में वृद्धि दर अच्छी रही।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 31 मार्च,2000)
राजकीय आवासों के आबंटन में अनियमितता

209. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों के आवास हेतु जयपुर शहर में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए सरकारी आवास बने हुए हैं ? यदि हां, तो विभिन्न श्रेणी के कितने-कितने आवास हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 31 मार्च, 2000 तक विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों में से कौन-कौन से वर्ष तक के आवेदकों को आवास आबंटित हो चुके हैं ?

(3) उक्त आवासों के आबंटन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? फरवरी, 2000 तक की विभिन्न श्रेणी के शेष रहे आवेदकों की वर्ष 1994 से वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आवासों के आबंटन में विभिन्न विभागों का कोटा आरक्षित है ? यदि हां, तो किस-किस विभाग का कितना-कितना ?

(5) क्या यह सही है कि राजकीय आवासों के आबंटन में उचित प्रक्रिया न अपना कर शासन सचिवालय के कर्मचारियों को नियम विरुद्ध समय से पूर्व आवास आबंटित कर दिये गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके आबंटनों को निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या राजस्थान विधान सभा के कर्मचारियों/अधिकारियों का आवास आबंटन में कोई कोटा है ? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार उक्त कर्मियों के लिए भी कोटा आरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

(2) (अ) प्रथम श्रेणी -वर्ष 1995 तक

(ब) द्वितीय श्रेणी -वर्ष 1994 तक

(स) तृतीय श्रेणी -वर्ष 1994 तक

वर्तमान में विद्याधर नगर में वर्ष, 2000 तक के तृतीय श्रेणी के आवेदकों को उनकी मांग पर राजकीय आवास आबंटित किये जा चुके हैं।

(द) चतुर्थ श्रेणी

विभागाध्यक्ष	सचिवालय
वर्ष, 1994 तक	वर्ष,1997 तक
(त) पंचम श्रेणी	
वर्ष, 1993 तक	वर्ष,1995 तक
(थ) एच श्रेणी	
वर्ष, 1986 तक	वर्ष,1991 तक

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(3) राजकीय आवासों का आबंटन राजकीय आवास आबंटन नियम, 1958 के अन्तर्गत वरीयता सूची के अनुसार किया जाता है। सूची संलग्न है (परिशिष्ट-ख)

(4) राजकीय आवासों के आबंटन में विभिन्न विभागों का कोटा आरक्षित नहीं किया हुआ है। शासन सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए केवल चतुर्थ श्रेणी व पंचम श्रेणी के आवासों के आबंटन में कोटा निर्धारित किया हुआ है जो निम्न प्रकार है :-

चतुर्थ श्रेणी के आवास आबंटन में विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 75 प्रतिशत तथा सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत।

पंचम श्रेणी के आवास आबंटन में विभागाध्यक्ष कार्यालय व शासन सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों में 50-50 प्रतिशत कोटा निर्धारित है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

(सूची के लिए परिशिष्ट 12 देखें)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 7 अप्रेल, 2000)
वाणिज्य कर विभाग की राजस्व वसूली का पुन: भुगतान

323. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वाणिज्यिक कर विभाग की प्रतिकरापवंचन शाखा एवं उड़न दस्तों ने वर्ष 1989-90 से चालू वित्तीय वर्ष तक कितनी-कितनी राजस्व वसूली की है ? वर्ष 1989 से चालू वित्तीय वर्ष तक की राजस्व वसूली का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजस्व वसूली में से कर, शास्ति एवं ब्याज की कितनी-कितनी राशि वर्ष 1989 से चालू वित्तीय वर्ष तक प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रतिकरापवंचन एवं उड़न दस्ता शाखाओं द्वारा वर्ष 1989-90 से चालू वित्तीय वर्ष तक कितनी-कितनी राशि का कब-कब पुनर्भुगतान किया गया ? उक्त पुनर्भुगतान करने के क्या कारण रहे ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस तरह से राशि का पुनर्भुगतान कर राजस्व हानि पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) वाणिज्यिक कर विभाग की प्रतिकरापवंचन शाखा एवं उड़न दस्तों से वर्ष 1989-90 से माह फरवरी, 2000 तक रु. 13883.05 लाख की राजस्व वसूली की है। राजस्व वसूली की तालिका परिशिष्ट क पर वर्षवार संलग्न है।

(2) वर्ष 1989 से फरवरी, 2000 तक कर राशि 3009.35, शास्ति राशि

(वित्त मंत्री)

10566.64 एवं ब्याज 307.06 लाख रुपये वसूल किये गये हैं। वर्षवार तालिका परिशिष्ट ख पर उपलब्ध हैं।

(3) वर्ष 1989-90 से फरवरी, 2000 तक रुपये 552.14 लाख का पुनर्भुगतान किया गया। उक्त रिफण्ड विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों की पालना में जारी किये गये हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट ग पर उपलब्ध है।

(4) यह पुनर्भुगतान माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों की अनुपालना में जारी किये गये हैं अंत: अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 13 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जिला दौसा की पंचायत समिति महुआ की ग्राम पंचायत नाहिड़ा के एक भूतपूर्व सरपंच द्वारा किये गए कथित भ्रष्टाचार के संबंध में।

(2) प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से गत एक वर्ष में अजमेर जिले के विभिन्न गांव-कस्बों में हुई आगजनी की घटना के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के संबंध में।

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से विधायक क्षेत्रीय विकास कोष के तहत स्वीकृत कार्यों में अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के संबंध में।

(4) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से आई.एल.चौराहा, कोटा पर अतिक्रमण के नाम पर पट्टाधारियों को उजाड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

(1) प्रो. सांवर लाल एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से विकास अधिकारी, भिनाय द्वारा 60 अध्यापकों के नियम विरुद्ध किये गए स्थानान्तरण के संबंध में।

(2) श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से जिला जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में फूल का प्याला जुलूस निकालने के मुद्दे पर पीपाड़ शहर में तनावपूर्ण स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्रहण योग्य नहीं हैं, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। मुख्य प्रस्तावक प्रो. सांवरलाल एवं श्री गुलाबचन्द कटारिया को प्रस्ताव के विषय पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सांवर लाल।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोद य, पंचायती राज अधिनियम, 1994 और पंचायती राज अधिनियम, 1996 लागू किये गए।

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में नई सरकार बनी है इन्होंने आते ही एक ही राग अलापना शुरू किया कि हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करेंगे और चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में शक्ति देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भिनाय ने पंचायत समिति के 60 अध्यापकों का जो स्थानान्तरण किया वह पंचायती राज अधिनियम, 1994 का खुले आम उल्लंघन किया। एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने यह माना था कि ये स्थानान्तरण इल्लीगल हैं, विकास अधिकारी ने इल्लीगल स्थानान्तरण कर दिये इसलिए इनका स्पष्टीकरण लिया जाकर कार्यवाही की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, काफी लंबा समय हो गया। पंचायत समिति की बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी थे उनको मैंने कहा कि ये ट्रांसफर इल्लीगल हैं और पंचायती राज एक्ट के हिसाब से प्रधान से सलाह लेकर ही ट्रांसफर किये जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने यह माना कि सलाह नहीं ली गई है इसलिए ट्रांसफर इल्लीगल हैं। यह ट्रांसफर निरस्त कर दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ने उन स्थानान्तरणों को निरस्त करने का आदेश जारी किया। उसके बाद जैसे ही राज्य सरकार के मंत्री महोदय को पता चला इनका ईगो हर्ट हुआ । कुछ लोग आए और उन्होंने जो ट्रांसफर निरस्त होने का आर्डर निकाला था उस आर्डर को वापस मंगवा लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस स्थगन प्रस्ताव में मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह बिलकुल असत्य जवाब है, मनगढ़त है और अपने स्तर पर उस विकास अधिकारी को बचाने के लिये दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर होने के बाद स्थाई समिति प्रशासन में जिसमें प्रधान अध्यक्ष होता है, एक प्रस्ताव पास किया गया था कि इस बी.डी.ओ. ने अपने स्तर पर ये ट्रांसफर किये हैं, ये ट्रांसफर इल्लीगल हैं, इनको निरस्त किया जाए। उसके बाद भी निरस्त नहीं किये गये। पंचायत समिति की आम सभा में यह प्रस्ताव पास किया गया उसके बाद भी नहीं किया और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया गया। उनका कहना है कि पंचायत समिति के अध्यापकों के स्थानान्तरण के संबंध में परामर्श किया गया था। उनकी मौखिक सहमति से आदेश जारी किये गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं अगर मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं तो भूतपूर्व प्रधान जिसके समय ट्रांसफर हुए हैं उस प्रधान को यहां पर सदन में बुला लीजिए या सदन की कोई कमेटी बनाइए। इस तरीके से अधिकारियों को बचाकर पंचायती राज कानून का जो मखौल यह सरकार उड़ा रही है, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। एक ओर तो यहां पर कानून लाते हैं, कानून को पास करवाते हैं फिर अधिकारियों को शह दे-देकर

(श्री सांवरलाल)

उस कानून का उल्लंघन करवाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देता हूं मंत्री महोदय को और इस सरकार को, अगर वह प्रधान कह दे कि मेरे परामर्श से ट्रांसफर किये गये तो फिर यह प्रकरण यहां आता ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल इल्लीगल है, पंचायती राज कानून का खुला उल्लंघन ये कर रहे हैं। यह जो मैंने प्रस्ताव दिया है इसका बिलकुल असत्य जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दिया है। मंत्री महोदय यहां हाउस में नहीं हैं, वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हैं, सरकार अपनी मंशा बता दे कि जहां कांग्रेस के प्रधान नहीं हैं वहां पर हमको विकास अधिकारियों से यह काम करवाना है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है। आखिर इस देश में कानून और व्यवस्था के हिसाब से राज चलेगा या नहीं चलेगा, यह हमारे सब के लिए सोचने का विषय है। एक ओर तो हम यहां पर बैठकर कानून बनाते हैं और दूसरी ओर जो कानून तोड़ता है उस अधिकारी और कर्मचारी को हम पनाह देते हैं, शह देते हैं। इससे ज्यादा लज्जा की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मंत्री महोदय से आप जवाब तो दिलवाइए। यह बिलकुल असत्य जवाब है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने दिया इसका यह मतलब है क्या ? आपको इजाजत दिलाई इसलिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : भिनाय का विकास अधिकारी कहता है कि कानून कायदे मेरी जेब में हैं। वह सर्वस्व दादा बना हुआ है। वह सरकार को, विधान सभा को, कानून को, विभाग को, मंत्री को कुछ नहीं समझता। भिनाय का विकास अधिकारी कहता है कानून मेरी जेब में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी विश्नोई। (व्यवधान) विराजो, हो गया।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, विकास अधिकरी की हालत यह हो गई है कि किसी काम के लिए कहते हैं तो वह कहता है कि विधान सभा से काम करवाइए, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था तो कीजिए। (व्यवधान) विकास अधिकारी यह कहते हैं कि कानून कायदे मेरी जेब में हैं, विधान सभा के लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।(व्यवधान) ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई व्यवस्था दीजिए।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी। बिराजिए, बिराजिए (व्यवधान) हो गया, बैठो।

श्री सांवरलाल : उसको किसी काम के लिए कहते हैं तो वह कहता है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पंचायती राज का मखौल उड़ाया जा रहा है।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए(व्यवधान) इसको नहीं बोलना है।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने क्या किया ? (व्यवधान)

श्री सावंरलाल : विकास अधिकारी की इतनी बड़ी हिम्मत कि वह...(व्यवधान)

डा.किरोड़ीलाल : मंत्रीजी ने क्या किया ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : वे तो किसी व्यवस्था को मानते ही नहीं हैं।(व्यवधान) पंचायती राज का मखौल उड़ाया है।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफर के बाद में स्टैण्डिंग कमेटी ने अपना साधारण सभा का प्रस्ताव...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : उसके बावजूद यह *असत्य जवाब कि प्रधान से परामर्श किया। प्रधान को सदन में पेश कर दिया जाए या कमेटी बनाकर जांच करवाई जाए।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप। दिलावरजी, बिराजिए। (व्यवधान) श्री रामनारायण जी। (व्यवधान) कुछ नहीं होगा, हो गया ना।(व्यवधान) ध्यानाकर्षित इनका हो गया। स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत दे दी, और क्या चाहिए आपको ?(व्यवधान) आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इस प्रकार कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) एक मिनट, आप बिराजिए। बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपसे प्रोटेक्शन चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। (व्यवधान) आप बिराजिए। मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपसे प्रोटेक्शन चाह रहा हूं कि इस आसन के द्वारा...(व्यवधान) पूछा तो जवाब दिया कि यह अवैध...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अगर कानून कायदों को जेब में रखेंगे, विकास अधिकारी को अगर सरकार प्रोटेक्शन देगी तो फिर कोई भी कानून नहीं मानेगा किसी जन प्रतिनिधि का।(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): उनके प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से उत्तर दिया उसमें कहा था कि यह अवैध ट्रांसफर माना है। सरकार की तरफ से मंत्रीजी ने अपना लिखित जवाब भेजा है उसमें अवैध ट्रांसफर माना है। साथ ही उन्होंने माना है, आज जो स्थगन प्रस्ताव पर जवाब भेजा है उसमें यह लिखा है कि नहीं, उन्होंने तो प्रधान से पूछ लिया था, मौखिक पूछ लिया था। अगर प्रधान से पूछ लिया जाता तो यह सवाल ही खड़ा नहीं होता। अवैध प्रारम्भ से अगर सरकार ने माना तो इसीलिए माना कि बिना प्रधान की स्वीकृति के ये ट्रांसफर आर्डर किये गये। जब उस समय उत्तर में इल्लीगल माना तो आज

---

*शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

इस स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में केवल एक लाइन लिख देना कि प्रधान से मौखिक पूछ लिया गया था, दोनों एक दूसरे के विपरीत और असत्य लगते हैं। इसलिए हम तो आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं। सदन में जिस प्रकार का जवाब मंत्रीजी ने पहले दिया और आज स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य को जो कुछ उत्तर मिला, इन दोनों में अंतर है। वस्तुस्थिति यह है कि वहां प्रधान से नहीं पूछा गया। स्टैण्डिग कमेटी में इसके बारे में प्रस्ताव लिया गया कि हमारे बिना पूछे किया। फिर क्या तथ्य चाहिए ? एक जन प्रतिनिधि जिसका आप और हम सब सम्मान करते हैं, यह कहते हैं कि हम जन प्रतिनिधि का सम्मान करेंगे वह प्रधान को और सारे के सारे चुने हुए मैम्बर जो कहते हैं वह तो बिलकुल असत्य है और विकास अधिकारी ने यह लिखकर बता दिया कि मैंने मौखिक पूछ लिया व सत्य है ? तो क्या आपके माध्यम से हम यह मान लें कि जन प्रतिनिधियों की औकात प्रशासनिक अधिकारियों के सामने नहीं है ? यही मान लें हम ?(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान) एक मिनट। यह स्थगन प्रस्ताव पहले आया उस पर आप बोले और मंत्रीजी ने इसका उत्तर दिया। उसके बाद भी आपका यह आग्रह था कि मेरा स्थगन प्रस्ताव लगना चाहिए। आज आपका स्थगन प्रस्ताव लगा, ग्राह्य नहीं होने के बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बोलने की अनुमति दी। अब इसमें आप यह कहते हैं कि विकास अधिकारी ने प्रधानजी को नहीं पूछा और सरकार यह कहती है कि प्रधान को पूछा है, जबानी पूछकर विकास अधिकारी ने ट्रांसफर किये हैं। तो मैटर आफ वैरिफिकेशन है, सरकार से पता कर लेते हैं, जांच करा लेते हैं कि सही क्या है। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के जवाब में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान) श्री रामसिंह जी ।

श्री रमजान खान : प्रश्न में आया कि ये अनियमित स्थानान्तरण किये गए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप न्यायप्रिय आदमी हो। राजस्थान में हमारी आशा की किरण आप ही हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। बिराजें आप (व्यवधान) माननीय रामनारायणजी।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले के पीपाड़ कस्बे में बहुत लंबे समय से चलती हुई साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बिगाड़ने के लिए कुछ व्यक्तियों ने 18 अप्रैल को एक षड्यंत्र रचा और फूल प्याला नाम से जुलूस निकाले। उसके लिए उन्होंने 18 अप्रैल को सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, पीपाड़ सिटी के पास एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमको जुलूस निकालने की स्वीकृति दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से प्रस्तुत किये गए जवाब में यह माना गया है कि पिछले समय में कभी भी इस प्रकार का जुलूस निकालने की कोई परम्परा नहीं थी। श्री मान् सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, पीपाड़ सिटी ने प्रार्थना पत्र को थानाधिकारी के पास भेजा कि इसमें आवश्यक कार्यवाही की जाए। 19 अप्रैल को अलग से

(श्री रामनारायण विश्नोई)

दरख्वास्त दी गई एक बजे, उसके अंदर भी इसी सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि प्रार्थना देने वाले लोग पुलिस स्टेशन जाएं और आवश्यक कार्यवाही करें। इस प्रार्थना पत्र को पुलिस स्टेशन अधिकारी के पास पेश किया गया। पुलिस स्टेशन अधिकारी ने आदेश दिया जिसमें ऊपर उन्होंने यह लिख दिया कि यह स्वीकृति देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जुलूस निकालने की स्वीकृति एस.पी. ही दे सकते हैं। थानाधिकारी ने इस प्रार्थना पत्र पर यह लिखा है, इस समय यह प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय से लाकर खालिद वेलू एवं हाजी मोहम्मद पठान से लाकर थाने पर मैंने एस.एच.ओ. को पेश किया तथा जुलूस की परमीशन मांगी जिस पर उन्होंने श्रीमान एस.पी. जोधपुर के यहां पेश होकर परमीशन लाने की हिदायत दी। यह लिखने के बाद में फिर आगे किसी भी जुलूस को निकालते समय शांति-व्यवस्था बनाये रखने की हिदायत दी। थानाधिकारी ने एक तरफ तो लिखा कि मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, एस.पी. साहब के पास जाकर परमीशन लीजिए और नीचे लिख दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालें, जुलूस निकालने के अंदर किसी प्रकार की व्यवस्था का बिगाड़ नहीं करें। ओरिजिनल आदेश प्रार्थना पत्र देने वालों को दे दिया तो उन्होंने कस्बे में घूमकर अपने समुदाय के लोगों में यह प्रचार किया कि जुलूस निकालने की परमीशन मिल गई है। इस आधार पर 100-150 आदमियों ने वहां पर इकट्ठे होकर जुलूस निकालने की कोशिश की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा की सरकार ने भी अपने जवाब में यह माना कि पीपाड़ शहर में जुलूस निकालने की पूर्व में कोई परम्परा नहीं रही है और यह लिखा है कि उनको जुलूस निकालने की कोई परमीशन नहीं दी गई थी। पर मैं मौके पर जाकर आया तो लोगों ने बताया कि थानेदार, पीपाड़ सिटी ने जुलूस निकालने वालों को यह कह दिया था कि परमीशन तो आप एस.पी. साहब से लेकर आएं, पर आप जुलूस निकालें तो शान्ति व्यवस्था कायम रखें। उन्होंने जुलूस निकालने की परमीशन देकर पूरे वातावरण के अन्दर अशांति फैलाने की कोशिश की। इसी आधार के ऊपर प्रचार करके कुछ 100-150 आदमियों ने इकट्ठे होकर दोपहर एक-डेढ़ बजे जुलूस निकालने की तैयारी की तो दूसरे समुदाय के लोगों ने सामने से आकर रास्ता रोका। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि पीपाड़ शहर के अन्दर बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा साम्प्रदायिक दंगा हो सकता था। श्रीमान एस.डी.एम. महोदय जिनका हैडक्वार्टर पीपाड़ सिटी के अंदर है, वे एक बजे इस प्रकार की एप्लीकेशन पुलिस थानाधिकारी को फारवर्ड कर वहां से बाहर चले गये और शाम छह बजे तक नहीं आये। ऐसी स्थिति में वहां पर अश्रु गैस छोड़नी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, बहुत से लोगों को चोटें आई। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस स्थिति के लिए वहां के एस.डी.एम. महोदय और पुलिस थानाधिकारी, पीपाड़ सिटी बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने अगर ठीक ढंग से काम किया होता, विवेक से काम लिया होता। जो लोग जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे, जुलूस निकालने की परमीशन मांग रहे थे, प्रशासन, थानाधिकारी और एस.डी.एम.

(श्री रामनारायण विश्नोई)

महोदय को यह पता था कि जुलूस निकालने की कोई परम्परा नहीं है, उसी वक्त इस तरह जुलूस निकालने वाले लोगों को गिरफ्तार करके शांति-व्यवस्था कायम रखनी चाहिए थी। इसलिए आपके माध्यम से मेरा राज्य सरकार से निवेदन करना है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाए, उनको हटाकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए ताकि शांति-व्यवस्था कायम हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दलित महिला उगन्ती बाई वाइफ गिर्राज, खिरखिरयानका पुरा सीतापुर, तहसील हिण्डौन सिटी...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आज करीब 50 सदस्य अकाल पर बोलना चाहते हैं, यदि आप स्वीकृति दें तो 295 को ...

एक माननीय सदस्य : नाम तो पढ़कर सुना दें कि किसका है किसका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नाम बोल देता हूं।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सभी पक्ष-विपक्ष की समय सीमा तय कर दें ताकि सभी सदस्यों को समय पर बोलने का अवसर मिले।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप सब माननीय सदस्य ध्यान रखो।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : नहीं,आसन तो तय करेगा ना। 5-6-7 मिनट का समय तय कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, नाम बोलता हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मदनलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से तहसील पचपदरा के ग्राम कीटनोद में 33/11 के.वी.ए. विद्युत ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण करने के संबंध में।

(3) श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली के कतिपय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(4) श्री नाथूराम सिनोदिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कथित अघोषित बिजली कटौती बन्द करने के संबंध में।

(5) श्रीमती यासमीन अबरार, सदस्य की ओर से सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय में खाद्य सामग्री में की जा रही भारी मिलावट के संबंध में।

(6) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से बून्दी जिले के बरड़ क्षेत्र में सैंड स्टोन खनिज वाली सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में।

(7) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के देसूरी के सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की लापरवाही से एक 9 वर्ष के बालक की मृत्य होने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(8) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य की ओर से राज्य में चल रहे निजी अस्पतालों में सरकार का नियंत्रण नहीं होने से उनके द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट 14 देखें।)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आधे मिनट का समय दीजिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए, आपको बोलने दूंगा, बिराजिए। इनको बोलने दीजिए।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

हिण्डौन सिटी के गांव खिरखिरयान का पुरा निवासी दलित महिला उगन्ती बाई पर कथित अत्याचार का प्रकारण

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, उगन्ती बाई वाइफ आफ गिर्राज, गांव खिरखिरयान का पुरा सीतापुर, तहसील हिण्डौन सिटी एक दलित महिला है। श्रीमान्, इस दलित महिला के घर में कुछ बदमाशन ने आग लगा दी। आग लगने के कारण उसका पूरा घर-बार स्वाहा हो गया। उगन्ती बाई हिण्डौन थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आती है। वहां उपस्थित जो डीवाई.एस.पी. थे और एस.एच.ओ. थे उनसे निवेदन करती है कि मेरे घर में कुछ बदमाशन ने आग लगा दी है और इसके कारण से मेरा पूरा घर स्वाहा हो गया है। श्रीमान्, कुछ राजनीतिक नेताओं के प्रभाव में वे डीवाई.एस.पी. होंगे, डीवाई.एस.पी. ने उन राजनीतिक नेताओं को वहां बुलाया और उन राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति में, जैसा उनका बयान है, उन्होंने मुख्य मंत्री को लिखकर दिया है, जो थानेदार के पास डण्डा रहता है उस डण्डे को गुप्तांगों में घुसेड़ दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर वह महिला गुहार करती है और वहां चिल्लाती है। बड़ी क्रूरता के साथ डीवाई.एस.पी. उस पर बड़े गुस्से में आते हैं और उसकी भाभी और व उगन्ती बाई जो वहां रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई थी, उसको 151 में गिरफ्तार कर लेते हैं। एस.डी.एम. के सामने पेश किया। उस उगन्ती बाई और उसकी भाभी की जो जमानत देने के लिए लोग आये थे, उसमें किन्तु, परन्तु लगाकर उसकी जमानत नहीं ली और उसको एक सप्ताह से भी ज्यादा जेल भिजवा दिया। यह सब इसलिए हुआ कि वहां के प्रभावशाली नेताओं का उनके ऊपर दबाव था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महिला कहां-कहां नहीं गई ? मुख्य मंत्रीजी को भी इन्होंने निवेदन किया, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा सुश्री गिरिजा व्यास के पास भी ये गईं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के पास भी ये गईं। सब जगह जाकर अपनी गुहार की। गुहार करके कहा कि मैं गरीब महिला हूं और मेरी इस प्रकार से बेइज्जती की है इसलिए मेरी रक्षा करनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। लेकिन सजा तो अलग, वह तो दूर की बात हो गई, उलटे जो उसका सहयोग कर रहे थे उनके ऊपर दर्जनों ऐसे मुकदमे बना दिये जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर

(श्री मदन दिलावर)

सकते हैं। झूठे मुकदमे, यह कहा कि यदि इसका साथ दोगे तो तुम्हारे पर और मुकदमे लगा दिये जाएंगे, बलात्कार तक का मुकदमा लगा दिया जाएगा। आर्म्स एक्ट के और अन्य कई प्रकार के आगजनी के मुकदमे तो उन लोगों के ऊपर लगा ही दिये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस महिला ने गुहार करके मुख्य मंत्रीजी को जो पत्र लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। श्रीमान् मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, पाशिवक कृत्य करने वाले विधायक भरोसी लाल और सहयोगी अपराधी, पुलिस उप अधीक्षक मूलचन्द बैरवा के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। श्रीमान् उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि 14 जनवरी रात 11 बजे विधायक भरोसी लाल ने अपने रिश्तेदारों के साथ आकर मेरे घर में आग लगा दी। मैं अपनी जिठानी रामवती के साथ 15 जनवरी को हिण्डौन सिटी उप अधीक्षक कार्यालय में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने गई। डीवाई.एस.पी. मूलचन्द ने मेरी रिपोर्ट फाड़ कर फेंक दी तथा टेलीफोन करके विधायक भरोसीलाल को बुला लिया। विधायक ने आते ही हमें भद्दी-भद्दी गालियां दीं तथा मुझे जमीन पर पटक दिया। पुलिस उप अधीक्षक की टेबल पर रखे सरकारी रूल को हाथ में लेकर, मैं कहना नहीं चाहता जो मैंने पहले कह दिया कि किस प्रकार से उस डण्डे से कृत्य किया। मैं बुरी तरह रोती चिल्लाती रही, पुलिस उप अधीक्षक मुझे बचाने के बजाय चुपचाप देखते रहे। मेरे साथ अमानवीय कुकर्म होने के बाद डीवाई.एस.पी. मूलचन्द ने मुझे और मेरी जिठानी को धारा 151 में शांति भंग करने के आरोप में 6-7 दिन के लिए जेल भिजवा दिया। जेल से छूटने के बाद मैंने अदालत में उक्त घटना का इत्तगासा दायर किया जिसकी जांच करौली ए.एस.पी. बन्ने सिंह कर रहे हैं। जांच अधिकारी के समक्ष हमारे लिखित बयान लेने बाद...

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय में नोटिस नहीं दिया गया है। (व्यवधान) नाम लिया है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इनको बोल लेने दो ना। अभी मुझे ध्यान है नाम लिया है। मुझे ध्यान नहीं क्या ?

श्री मदन दिलावर : विधायक भरोसीलाल ने ए.एस.पी करौली...(व्यवधान) जांच को ठण्डे बस्ते में डलवा दिया। इस्तगासा दर्ज होने के बाद मुझे और मेरे परिवार वालों को विधायक के भेजे गुण्डे व डीवाई.एस.पी. मूलचन्द राजीनामा करने के लिए आतंकित कर रहे हैं। कुछ जागरूक नागरिक और पत्रकार हमारी मदद कर रहे हैं। उन्हें भी विधायक और डीवाई. एस.पी की ओर से झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। दोषी विधायक भरोसीलाल और मूलचन्द के खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। अपने ऊपर अत्याचार के खिलाफ न्याय पाने के लिए मैं पूर्व में 30 जनवरी और 21 फरवरी को सारे तथ्यों सहित आपसे न्याय की गुहार कर चुकी हूं। अब मजबूरन न्याय पाने के लिए दिनांक 27 फरवरी को मुख्य मंत्री आवास पर अपने परिवार के साथ सांकेतिक धरना व अनशन कर रही हूं जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उसने धरना भी दिया है मुख्य मंत्रीजी के सामने। वह शिव सेना के राज्य सभा सदस्य के पास गई। कल

(श्री मदन दिलावर)

या परसों माननीय राज्य सभा सदस्य ने राज्य सभा में यह मुद्दा उठाया है। राज्य सभा और केन्द्र सरकार तो उसको बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं लेकिन राजस्थान सरकार इतनी बड़ी जो घटना हो गई है उसके ऊपर मौन साधे हुए है। आखिर में इसका कारण क्या है ? दलित महिलाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो, कोई भी माननीय विधायक सत्ता पक्ष का दबदबा रखकर अत्याचार करता है और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। (व्यवधान) हो गया, हो गया, अब बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : महिला का साथ देने वाले लोगों के ऊपर दर्जनों की संख्या में झूठे मुकदमे बनाकर उनको फंसाया जा रहा है। अब डराया धमकाया जा रहा है कि तुम उनके साथ नहीं रहोगे, तुम यह बयान नहीं दोगे नहीं तो तुम्हारे ऊपर बलात्कार का, तुम्हारे पर हत्या का मुकदमा चलाकर जेल के सींखचों मे ठूंस देंगे। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर है। मुझे बिलकुल आपसे आशा है, इनसे तो मुझे कोई आशा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपसे आशा है, आप बिराजो।(व्यवधान) बिराजिए, बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : आप स्वयं व्यवस्था देंगे और व्यवस्था देकर जरूर इस सरकार को निर्देशित करेंगे कि ऐसे बदमाशान को तुरन्त गिरफ्तार करे और दलित महिला को न्याय दिलाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। श्री भरोसी लालजी।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है उसके विषय में बोलना चाहता हूं। उगन्ती देवी वाइफ गिर्राज जाटव इसके खिलाफ 23.10.99 को 788/99 नम्बर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें उसका पति गिर्राज पुत्र बुद्धि, भरतलाल सन आफ रामखिलाड़ी, हंसराज पुत्र मनोहरी, मुरारी पुत्र गिर्राज, सोन बाई वाइफ रामखिलाड़ी, उगन्ती वाइफ आफ गिर्राज, रूप बाई वाइफ आफ छगनलाल आदि ने धारदार हथियारों से इंतबाई वाइफ आफ रामफूल जाटव पर एक हमला किया था। 23.10.99 को हिण्डौन अस्पताल से उस औरत को एस.एम.एस. में भर्ती कराया गया। उसकी 4.11.99 को मृत्यु हो गई थी। उगन्ती और उसका पति गिर्राज दोनों जैल में 23.10.99 से से ही बंद थे। इसके बाद 27.10.99 को ए.डी.जे. साहब ने 307 का मुकदमा मानते हुए सोन देवी और उगन्ती की जमानत ले ली और 14.1.2000 को पुलिस उनको पकड़ने उनके गांव रात को दस बजे गई ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको तो सिर्फ यह कहना है कि आपका उससे कोई लेना-देना नहीं है ।

श्री भरोसीलाल : मैं एक मिनट में कह रहा हूं, साहब। निवेदन यह है कि मैं पूरे नाम लेकर इस पर यह कहूंगा।

श्री उपध्यक्ष : हां बोलो, बोलो, मर्जी

(श्री उपाध्यक्ष)

आये जो बोलो। ये बोलेंगे, वापस ये बोलेंगे, बात तो वही है न ?

श्रीमती सुचित्रा आर्य : इनकी तो बात ही पूरी नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री भरोसीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा करने वालों की, ये लोग मदद करने वालों की...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उनके खिलाफ आरोप लगाया है और यह इस तरह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए। आप बैठो, आप काहे को कर रहे हो ?

श्री भरोसीलाल : ये लोगों से यह कर रहे हैं। उसका पति 23.10.99 से जेल में बंद है। 14.1.2000 की रात्रि को पुलिस उनके गांव पकड़ने गई मुखबिर की इत्तला मिलने पर। पुलिस के ऊपर उगन्ती वगैरह ने पत्थर फेंके और उस औरत ने अपने घर में आग लगाकर पुलिस को भगा दिया। 15.1.2000 को जैसे ही रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो पुलिस ने उनके ऊपर धारा 107, 16, 151 का इस्तगासा तैयार किया और एस.डी.ओ. साहब के यहां उसको पेश किया। एस.डी.ओ. साहब ने उसको जेल भिजवा दिया। छूटने के बाद शिव सेना के उप प्रमुख अशोक पाठक जिस पर कि आठ मुकदमे पहले से दर्ज हैं, उसने एक षड्यंत्र रचा। उसके मुकदमा नम्बर 413/88 धारा, 452, 323, 379, मुकदमा नम्बर 343/90, धारा 147, 379 जिनमें चालान हुआ है। मुकदमा नम्बर 608/98, श्री, एस.सी. एस.टी. एक्ट, मुकदमा नम्बर 72/98, धारा 309, 306, 109, मुकदमा नम्बर 335/98, मुकदमा नम्बर 336/97 एवं मुकदमा नम्बर 215/2000 धारा 147, 323, 452 मुकदमा नम्बर 236/2000, धारा 323, 147, 436, 429 श्री, एस.सी. एस.टी. एक्ट के दर्ज हैं। उन लोगों ने एक सलाह बनाई कि, अशोक पाठक जुआ-सट्टे का धंधा करता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह बात बोलेंगे तो उनकी भी सुनूंगा।

श्री भरोसीलाल : अफीम की तस्करी करता है और इनको बचाने के लिए शिव सेना प्रमुख अशोक पाठक और बी.जे.पी. के माननीय सदस्य जो इन लोगों में लिप्त हैं, मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय सदस्य को बदनाम कर रहे हैं।

श्री भरोसीलाल : उगन्ती का पति आज भी जेल में बंद है। इन मुकदमों से बचने के लिए मेरे ऊपर इन्होंने जो यह आरोप लगाए हैं, ये बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि छह महीने के बाद भी ये लोग बंद नहीं हुए। मैं आपके यहां धरने पर बैठूंगा इसलिए इनको तुरन्त गिरफ्तार करवाया जए।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ीलाल।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इनका कहा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, आप बिराजिए, प्लीज। आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : 302 की अपराधी थी तो फिर उसको कोर्ट ने कैसे छोड़ा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। हो गई न आपकी बात। आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : 302 की अपराधी थी तो उसको जेल मे सींखचों में क्यों नहीं डाला ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ीलाल। आप बैठिए।

श्री मदन दिलावर : यह उनको फंसाने के लिए बाद में मुकदमें बनाए जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। आप बैठिए। डाक्टर किरोड़ीलाल जी, पटवारियों वाला है। आर्डर-आर्डर।

चयनित पटवारियों को प्रशिक्षण की अनुमति

डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस जब से सत्ता में आई तो सत्ता में आने से पहले इन्होंने बड़े लुभावने नारे...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। माननीय जगमाल सिंहजी। आर्डर प्लीज।

डा. किरोड़ीलाल : लुभावने नारे कांग्रेस ने लगाए कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 60 साल से 58 साल का रिटायरमेंट किया, घणी रिक्तियां हुईं लेकिन इस सरकार ने एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने बेरोजगार चयनित पटवारियों को परेशान कर रखा है, उनको राजस्थान की सरकार न्याय नहीं देना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा वित्त विभाग से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त राज्य के 25 जिलों में सीधी भर्ती द्वारा पटवार प्रतियोगी परीक्षा, 1999 का आयोजन किया गया, 26 एवं 27 मई, 1999 को। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा 10 अगस्त को परिणाम घोषित कर वरीयता सूची जारी कर दी गई। मण्डल के तैयार कलैण्डर के अनुसार 15 अगस्त, 1999 से प्रशिक्षण शुरू करना प्रस्तावित था। राज्य सरकार ने इस पर अकारण रोक लगाकर समस्त बेरोजगार चयनित पटवारियों के साथ घोर अन्याय किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके सम्बन्ध में राजस्व मण्डल ने राजस्थान की सरकार ने 23 जुलाई, 1999 को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पटवार प्रतियोगी परीक्षा, 1999 के लिए विज्ञप्ति राजस्थान भू-अभिलेख नियमावली, 1957 के नियमों के अन्तर्गत, दिनांक 6.1.1999 को प्रकाशित की गई। विज्ञप्ति में वर्ष 1999-2000 के मध्य रिक्त होने वाले पदों एवं नवसृजित पदों, जिनकी वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हो गई थी, को सम्मिलित करते हुए जिलेवार रिक्तियां विज्ञापित की गई थीं। इस परीक्षा के आयोजन के विषय में नियमानुसार प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी। परीक्षा के आयोजन के बाद इसका

(डा. किरोड़ीलाल)

परीक्षा परिणाम सम्भवत: माह अगस्त, 1999 में घोषित किया जाएगा। इसके पश्चात् चयनित प्रत्याशियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राज्य के पांच पटवारशालाओं में आयोजित किया जाएगा जो कि नौ माह की अवधि का होगा। इस परीक्षा के चयनित होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण हेतु कलैण्डर में 15 अगस्त, 1999 के तुरन्त बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखते हुए इन्होंने कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनावश्यक व्यवधान होगा तथा राज्य की पटवारशालाओं में पदस्थापित स्टाफ के पास किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। यहां यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि वर्तमान में पटवारियों के अधिक संख्या में पद रिक्त हैं जिनकी इन पटवारियों के उपलब्ध होने तक संख्या और अधिक हो जाएगी, इसमें निश्चित रूप से राज्य सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड की इन रिकमण्डेशन के बावजूद भी सरकार इनको ट्रेनिंग में नहीं भेज रही है। उसी दिन से ये पटवारी जयपुर में अपना आन्दोलन कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा करुणादायक आन्दोलन है। शुरू-शुरू में 23 मार्च से 27 मार्च तक ये पटवारी स्टेच्यू सर्किल पर इकट्ठे हुए और वहां से एक टांग पर चलकर मुख्य मंत्री निवास पर पहुंचे। एक टांग पर चलकर मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन दिया और उसके बाद विधान सभा पर अनशन पर बैठ गए। एक अप्रैल, 2000 को पेट के बल चलकर मुख्य मंत्री निवास की परिक्रमा की और एक ज्ञापन उनको प्रस्तुत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी 22 अप्रैल को इन सारे पटवारियों ने जयुपर में बूट पालिश की, भीख मांगी और वह भीख का पैसा मुख्य मंत्री सहायता कोष में भिजवाया। 10 अप्रैल को पेट के खातिर तपती धूप में पेट के बल रेंग कर राजस्थान की विधान सभा तक आए और पेट के बल राजस्थान की विधान सभा तक चलकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन इन्होंने किया। उपाध्यक्ष महोदय, पेट के लिए, पटवारी अपने प्रशिक्षण में जाने के लिए पेट के बल तपती धूप में आ रहे हैं, मुख्य मंत्री निवास पर जा रहे हैं, राजस्थान की विधान सभा में आ रहे हैं लेकिन यह सरकार बिलकुल उनको सुनना नहीं चाहती। गहलोत साहब, आपने बड़े-बड़े वायदे किये थे। वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, विराजे हुए हैं, ये वित्त की समस्या बताते हैं। ऐसी चाबी आपने किसको पकड़ा दी ? जिन पटवारियों का सलैक्शन हो गया ये पेट के बल आपकी विधान सभा में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी से कह रहे हैं एक टांग से जा रहे हैं। और प्रदर्शन का कौनसा तरीका हो सकता है ? बड़ा करुणामय दृश्य पैदा कर रखा है। अखबार वालों ने भी उनका साथ दे रखा है। वे पूरी तरह से साथ हैं, राजस्थान की जनता साथ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब पटवारी सलैक्ट हो गये तो उनको राजस्थान की सरकार प्रशिक्षण के लिए क्यों नहीं भेजना चाहती, ऐसी क्या मजबूरी है ? राजस्थान की सरकार ने खाली झूठे वायदे किये, झूठे वायदे कर-कर झूठे नारे लगाए ओर इस गरीब जनता से वोट लेकर सत्ता मे तो बैठ गये लेकिन

(डा. किरोड़ीलाल)

बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती, लोमहर्षक घटना कोई नहीं हो सकती कि पटवारी पेट के बल जाएं उसके बाद भी +++ सरकार सुने नहीं, वित्त मंत्रीजी इस पर गौर करें नहीं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब इनका चयन कर लिया गया तो आप उनको ट्रेनिंग में क्यों नहीं भेजना चाहते ? वित्त मंत्रीजी का तो सिर ऊंचा हो रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है कि प्रशिक्षण में जाएं या नहीं जाएं। वे तो वोट लेकर यहां विधान सभा में आकर बैठ गये। मैं चार्ज लगाना चाहता हूं, यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती और जो पास हो गये उनको प्रशिक्षण में भेजकर रोजगार नहीं देना चाहती। यह +++ सरकार बेरोजगारों पर और नौजवानों पर कुठाराघात करने के लिए तत्पर है। ऐसी +++ सरकार को आपको कोई न कोई डायरेक्शन देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट। (व्यवधान) आप बिराजिए। आप बिराजिए।(व्यवधान) आप बिराजिए। आप बैठिए प्लीज। आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) श्री जीतमल खांट।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बेहद गंभीर मामला है। लोग रेंग रहे हैं।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोग एक टांग से जा रहे हैं। उनका चयन कर लिया गया है, रेवेन्यू बोर्ड मानता है। फिर भी आप...(व्यवधान) लेकिन यह सरकार है।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने राजस्व बोर्ड से चयन किया। हजारों-लाखों नौजवानों के साथ लूट करने के बाद उनके परीक्षाएं पास करने के बाद आज जबकि वे अपना भत्ता भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, यह सरकार उनके साथ विश्वासघात क्यों कर रही है ?

एक माननीय सदस्य : वे अपने कर्मचारियों से परेशान हो रहे हैं इसलिए इनको...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई मरे चाहे जीवे, वित्त मंत्री घोल पताशा पीवे। कोई मरे कोई जीए, वित्त मंत्री घोल चीनी पीए। (व्यवधान) यह कोई तरीका है क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको व्यवस्था देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : (व्यवधान) खतम होती जा रही है कि उन्होंने एडवरटाइज किया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कह चुके सभी। यह कह चुके न।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कह चुके। वे शांतिपूर्वक आन्दोलन करें, अपनी मांग रखें पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो।(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : सुन रही है, सरकार व्यवस्था करेगी। आपने अपनी बात कह दी, और क्या कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पटवारियों ने शांति दिखाई है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : विधान सभा के बाहर बैठे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती हैं।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने अपनी बात कह दी, सरकार ने सुन ली। सरकार कार्यवाही करेगी और क्या होगा ? श्री जीतमल जी खांट।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार संवेदनहीन हो गई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पीड़ित है इस राज में। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उनका सलेक्शन किया और ट्रेनिंग में नहीं भेज रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वित्त मंत्रीजी हंस रहे हैं, वे बूट पालिश कर रहे हैं, पेट के बल चल रहे हैं और वित्त मंत्रीजी को हंसी आ रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कैसी +++ हो गई है सरकार। किसको जवाब दें ? उपाध्यक्ष महोदय, यह +++ मंत्री, यह कैसे +++ हो गये हैं। यह कितने +++ हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो दया कीजिए। (व्यवधान) इनसे जवाब कराइये। कर्मचारी क्या करें ? बेरोजगार क्या करें ? जनता क्या करे ? इन पटवारियों को कब नौकरी पर लेंगे ? डा.किरोड़ी लाल जी ने बड़ा गंभीर मामला उठाया है उसका सरकार जवाब दें। +++ हो गई है यह सरकार। +++ हो गई है यह सरकार। कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है यह सरकार। ऐसा +++ ठीक नहीं है। डाक्टर क्या करें ? पटवारी क्या करें? कर्मचारी क्या करें ? गरीब क्या करें ? बेरोजगार लोग क्या करें ? यह जनता क्या करे ? बताइये। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो व्यवस्था दीजिए। आराम से बैठे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : कोई भी इस तरह के आवेदन लिए तो राज्य सरकार की...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वित्त मंत्री महोदय आंख बंद करके बैठे हैं यहां। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार ने आवेदन मांगे, उनका सलेक्शन किया। कोई भी इस प्रकार के आवेदन लिए गये तो राज्य सरकार की नीति...(व्यवधान) चेयर हमेशा ऐसे इश्यू पर प्रोटेक्शन देती रही है, कृपया चेयर से डायरेक्शन दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप रुको तो मैं प्रोटैक्शन देऊं। (व्यवधान) आपकी इस भावना को देखते हुए, यह चर्चा पहले भी उठ चुकी है, सदन में आज फिर उठाई है, सरकार से निवेदन करता हूं प्लीज टेक नोट आफ इट। श्री जीतमल खांट।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

बांसवाड़ा निवासी अनुसूचित जनजाति की भील महिला कान्ता देवी की कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जे का प्रकरण

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कान्ता देवी जाति भील अनुसूचित जनजाति की महिला है जिसका पति वर्तमान में इस दुनिया में नहीं रहा। हाल मुकाम कालिका माता बांसवाड़ा की रहने वाली है। उपाध्यक्षजी, उसके दो नाबालिग बच्चे हैं जिसकी कृषि भूमि डेढ़ बीघा खाता दाहोद रोड़ मुख्य सड़क के किनारे पर स्थित है। उपाध्यक्षजी, इस विधवा महिला के डेढ़ बीघा खाते की पूरी जमीन को कुछ भू-माफिया गिरोह और राजस्व अधिकारियों ने मिलकर हड़प लिया है और पूरा खाता भू-माफिया गिरोह के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। बांसवाड़ा जिले की उक्त आदिवासी महिला के बारे में कई बार हम लोग जिला कलेक्टर महोदय, उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा को भी ज्ञापन दे चुके हैं । अब तक इस महिला को कोई न्याय नहीं मिला है। साथ ही साथ उस महिला ने उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा और तहसीलदार के द्वारा जांच कराने की भी गुहार की है जिसमें उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा ने जांच की है। इस जांच के अंदर उपखण्ड अधिकारीजी ने अपने निष्कर्ष में जो लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"जांच प्रतिवेदन इस निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत है कि प्रार्थिया कान्ता जाति भील खांट है, जिसने पूर्व में यह आराजी शंकर आदिवासी से खरीदी थी तथा वर्तमान में यह भूमि सवर्ण जाति के खाते में है। कुछ रकबा आबादी भूमि का भी इसमें परिर्वतन हुआ है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 ए के आज्ञात्मक प्रावधानों की स्पष्ट उल्लंघना है। यह कृत्य एक लम्बी एवं गहरी साजिश का परिणाम है जिसके द्वारा आदिवासी की भूमि का सवर्ण जाति के नाम हस्तान्तरण हुआ है। इस साजिश में शामिल राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित होगा, क्योंकि उनकी मिलीभगत के बिना यह सब होना संभव नहीं था।"

इस तरीके से एक उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को सुपुर्द कर दिये जाने के बाद भी उस विधवा महिला को न्याय नहीं मिल रहा है और वह दर-दर ठोकरें खा रही है। उसी जमीन पर कुछ माफिया गिरोहों ने अपना सारा का सारा बाड़ा लगा दिया है। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त विधवा महिला को न्याय मिले, राज्य सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित में यह सरकार न्याय के लिए कटिबद्ध है। इस तरीके की वारदात जब हमारे सामने आती है तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गरीब आदिवासी महिला के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ न्याय होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) बिराजो, कह दिया न। (व्यवधान) कह दिया न उन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सीधा-सीधा जांच प्रतिवेदन में कहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलोगे वैसे

(श्री उपाध्यक्ष)

ही...(व्यवधान) आप बोलना चाहते हो कि नहीं ?...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो फिर। (व्यवधान) बिराजें प्लीज। हो गई, बिराजें। कृपया आप बैठिए। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़।

एक विचाराधीन कैदी के साथ झालावाड़ कोतवाली थानाधिकारी द्वारा किया गया अमानवीय कृत्य

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान के अन्दर गृह मंत्रीजी श्री गुलाब सिंह शक्तावत ने गृह मंत्रालय संभाला है यों लगने लगा है कि राजस्थान की पुलिस के थाने जहां न्याय की उम्मीद से लोग जाते हैं, वहां पुलिस अधिकारियों द्वारा कुकृत्य का, अमानवीय अत्याचार का एक सिलसिला प्रारम्भ हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना बड़ा आसान है कि सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है और जवाबदेह है परन्तु वस्तुस्थिति में राजस्थान के अन्दर कहीं भी चले जाएं, चर्चा एक ही बात की है कि आज रक्षक भक्षक बन गए हैं चाहे वो घटना कैलवाड़ा थाने में बलात्कार की हो, चाहे वो घटना महुआ में स्वतंत्रता सेनानी की हत्या के सम्बन्ध में हो, चाहे वो घटना रेनवाल के अन्दर सिपाही द्वारा छात्रा को छेड़ने की हो, चाहे वो घटना सांगानेर में पुलिस उत्पीड़न से एक सिंधी युवक द्वारा आत्महत्या करने की हो, चाहे वो घटना भंवरा गांव, बामनवास के अन्दर तीन महिलाओं को पुलिस के द्वारा नंगा करने की हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, आपको शायद मालूम हो या नहीं हो, आप और कुछ करें या नहीं करें परन्तु सदन में जिन चीजों की चर्चा आ जाए उसके बारे में आप जांच तो आवश्य करा लें।

आपके झालावाड़ पुलिस स्टेशन में वहां के इन्चार्ज द्वारा जिस तरह का अमानवीय कृत्य एक विचाराधीन अपराधी कृष्ण मुरारी माली के साथ किया गया है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, 19 अप्रैल को झालावाड़ के न्यायालय में पेशी के लिए कोटा से विचाराधीन अपराधी कृष्ण मुरारी को लाया जाता है। कृष्ण मुरारी को जब झालावाड़ के अन्दर ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है तो कोतवाली, झालावाड़ के अन्दर रात्रि के लिए उसको जब पुलिस वालों को सुपुर्द किया जाता है तो वहां पुलिस इंस्पैक्टर राजीव दत्ता यह कहते हैं कि इस झालावाड़ के अन्दर मेरा शासन है, मैं चाहूंगा वो होगा। गृह मंत्रीजी, शायद आपके झालावाड़ और उस जिले से आने वाले माननीय सदस्य तो निरीह और मूक प्राणी की तरह हो गये हैं, बोल नहीं सकते, सत्तारूढ़ दल में हैं परन्तु आप अलग से बुलाकर उनसे पूछ लीजिए, किस तरह का आचरण वह राजीव दत्ता झालावाड़ के अन्दर कर रहा है। झालावाड़ के अन्दर वह राजीव दत्ता कृष्ण मुरारी को कहते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो ? वह कहता है कि मैं आपके पहली बार दर्शन कर रहा हूं। बस, उपाध्यक्ष महोदय, अत्याचार का सिलसिला प्रारम्भ। लोहे की राड लेकर उसको इतना पीटा जाता है कि उसकी टांग टूट जाती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पुलिस स्टेशन में लैटरिन से भिष्ठा मंगाई जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए पीड़ा है, लेकिन मल-मूत्र मंगवा कर उसको कहते हैं, सामने बैठो और इसको खाओ। इस तरह का अत्याचार आपसे इस शासन में, संवेदनशील शासन में हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद न्याय नहीं मिलता है, वह विचाराधीन अपराधी अदालत में इस्तगासा करते हैं और अदालत काग्निजेंस लेती है 307, 325, 342, 107/34 के अन्दर। उपाध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् भी षड्यंत्र का ताना-बाना रुका नहीं। वहां के पुलिस अधिकरी इस षड्यंत्र को रचने की कोशिश करते हैं कि यह पुलिस अभिरक्षा से भाग रहा था। उपाध्यक्ष, महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये घटनाएं राजस्थान की धरती को कंलकित करने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो घटना रेनवाल की हो, चाहे वो घटना कैलवाड़ा की हो। गृह मंत्रीजी, किस पग फेरे से आपने गृह मंत्रालय संभाला है, हमारे समझ में नहीं आता। जहां व्यक्ति न्याय की उम्मीद से जाता है, जहां व्यक्ति सोचता है कि मेरी रक्षा होगी, वे रक्षक ही जहां भक्षक बन रहे हैं, कम से कम इन मामलों को तो आप थोड़ा संवेदनशीलता से लें। हो सकता है कि आप के ऊपर कोई दबाव हो। इस शासन के अन्दर एक-दो नहीं, घटनाओं का सिलसिला जारी है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब कोई न कोई माननीय सदस्य इस तरह की घटना को आपके सम्मुख लाकर प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर संवेदनशीलता है, अगर आप जवाबदेही की बात करते हैं तो, गृह मंत्रीजी, इस पूरे प्रकरण की जांच कराओ। जिस विचाराधीन कैदी को मल-मूत्र पिलाया गया है, जिसकी टांग तोड़ी गई है, आप इस पूरे प्रकरण की जांच करा कर न्याय दिलाओ और न्याय दिलाकर राजस्थान में संदेश दो। और तो कुछ होगा नहीं, कानून व्यवस्था तो जंगलराज बन गई है, राजस्थान के अन्दर व्यवस्था आपसे संभली नहीं, अकाल राहत विभाग आपसे संभला नहीं कम से कम इस गृह मंत्रालय में टेलीफोन से हुकुम करो। थोड़ा आप अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करो। हमारे पर आरोप लगाया करते थे कि नौकरशाही हावी है, यह क्या हो रहा है आपके शासनकाल में ? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे प्रकरण की जाचं कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात समाप्त करूं इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं सत्तारूढ़ दल में बैठे माननीय सदस्यों से कि अपनी जबान को खोलना प्रारम्भ करो। आज नहीं खोलोगे तो दो दिन बाद खोलनी पड़ेगी। बलात्कार और अत्याचार के खिलाफ तो कम से कम इस सदन के अन्दर बोलना प्रारम्भ करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,।

श्री उपाध्यक्ष : बोलना चाहते हैं ? (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है सत्तारूढ़ दल की जो विधायक हैं उसको सीधा-सीधा संरक्षण दे रही हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा आरोप है आप पर। अगर आप में हिम्मत है तो खड़े होकर आरोपों का खण्डन करो। किस चांदी की चकाचौंध में आप बंधी हुई हो ? क्यों आप ऐसे भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे रही हो ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनना चाहते हो उनको या नहीं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह की बात कर सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, मैं उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

यह सही है कि पप्पू उर्फ कृष्ण मुरारी..

श्रीमती यासमीन अबरार : सदन को कोई गुमराह नहीं किया है, सत्यता बताई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी, अब प्रारम्भ हो गई है। बधाई हो, बधाई हो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा, आप तो बिराजो।

श्रीमती यासमीन अबरार : झालावाड़ में मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको अत्याचार करते हुए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो। सुनिए आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गिरफ्तार करते हुए देखा है ?

श्रीमती यासमीन अबरार : अत्याचार करते हुए देखा है मुजरिमों के ऊपर।

एक माननीय सदस्य : आपका स्वागत करते हैं हम, पूरा सदन।

श्रीमती यासमीन अबरार : मल-मूत्र मैंने नहीं देखा है लेकिन वो इस तरह से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो, बोलने दो न उनको। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने उसी बात का विरोध किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बोलने दो न।

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल लें उसके बाद बोल लेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गिरफ्तार करना वाजिब बात है। अभी माननीय सदस्या यह कह रही थीं गिरफ्तार करता है, अन्याय करता है, ये बातें तो कहती हैं लेकिन मल-मूत्र की बात अगर वे कहती हैं तो वे कह दें, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पप्पू उर्फ कृष्ण मुरारी, पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी झालावाड़, 1996 में तीन मर्डर किये थे एक साथ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं उसकी पैरवी नहीं करता, पांच मर्डर किये होंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 1996 में तीन मर्डर किये थे। 1996 में एक साथ तीन मर्डर हुए थे। मुझको तो आप कह रहे थे कि मैंने चार्ज संभाला तब क्या हुआ, 1996 में किसकी सरकार थी ? तीन मर्डर एक साथ किये थे।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : किए नहीं थे, करवाए थे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : किये थे या करवाए, मैं यह नहीं कहता।

18.4 को उसको झालावाड़ लाया जा रहा था पेशी के लिए। देर होने की वजह से उसको सैण्ट्रल जेल में बंद नहीं किया जा सका, रात को उसको थाने पर रखा गया था। रास्ते में जब लाया जा रहा था तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहां पर नहीं रहूंगा। जद्दोजहद की और हथकड़ी छुड़ा कर भागा। जब भागने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उसको धर पकड़ा और धर पकड़ कर उसको ले जाकर बंद किया।

डा. किरोड़ी लाल : पेशाब पिला दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। यह जवाब नहीं सुनना चाहते तो फिर बिराजें आप। क्या मतलब है यह ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सारी घटना हुई है। इसको मैं इन्कार नहीं करता हूं। 20.4 को इसकी माता पुलिस अधीक्षक से मिली हैं और कलेक्टर से मिली हैं। जिस तरह की मल-मूत्र की बात बार बार कहते हैं, उसने इस प्रकार का जिक्र तक नहीं किया, उसने यह कहा कि मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि मारपीट थाने में बंद करने के बाद की गई है, इस घटना की निष्पक्ष जांच कराऊंगा और अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेने में नहीं हिचकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह कोई क्वेश्चन-आन्सर सैशन नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्लैरिफिकेशन, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न क्लैरिफिकेशन। नहीं, नहीं, बिराजें आप प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महादेय, एक मिनट।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। इसका कोई एंड थोड़े ही है। प्लीज, आप बिराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन्होंने कहा है कि उनकी शिकायत की है मदर ने।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। कोई क्वेश्चन-आन्सर सैशन थोड़े ही है। इन्होंने पूछा, स्पष्टीकरण दे दिया, बात खतम हो गई। आप बिराजें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने खुद कहा है कि जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है उसकी माता इनसे मिली हैं। उसने शिकायत क्या की, वह बता दो आप।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो करेंगे न कार्यवाही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह नहीं कहता हूं कि उसने मर्डर किये हैं या नहीं किये, विचाराधीन कैदी के साथ अमानवीय कृत्य हुआ है आपके झालावाड़ पुलिस स्टेशन में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप क्या कह रह हो ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मल-मूत्र की बात निराधार है, असत्य है। उसकी मां ने स्वयं कहा है, मारपीट हुई है। इस घटना की जांच की जा रही है और मैं इस घटना की जांच करा लूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, 20 अप्रेल को इसी सदन में सहकारिता मंत्रीजी ने सहकारिता घोटाले के सम्बन्ध में दो अधिकारियों के निलम्बन की बात कही थी।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या हुआ ?

श्री संयम लोढ़ा : आज तक, उपाध्यक्ष महोदय, वे आदेश नहीं हुए। सात दिन हो गये उसके बावजूद अभी तक उन्हें निलम्बित नहीं किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने नोटिस लेकर निर्देश दिये थे और एक अच्छी परम्परा की शुरूआत हुई थी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या करें इस सदन में? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यदि इस प्रकार का अगर यहां सदन में मंत्री वक्तव्य दे दें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। वे बोल रहे हैं, आप बैठो न।

डा.किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी कुछ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो। बात तो पूरी सुनने दो, समझने दो क्या बात है। आर्डर, आर्डर।

(13.00 बजे)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सहकारिता आन्दोलन को लोगों के उत्थान का निमित्त बनाना चाहिए था वह इन अधिकारियों की लूट का प्रतीक बन गया। पूरे सदन की भावनाओं के आधार पर माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने मुख्य मंत्रीजी की उस घोषणा की रोशनी में कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, दो अधिकारियों के निलम्बन की घोषणा की। आज सात दिन हो गये, यहां सहकारिता राज्य मंत्रीजी मौजूद हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इनसे इस बारे में वक्तव्य दिलवाएं कि सात दिन में विधान सभा में की गई घोषणा के बाद कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है और इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। सहकारिता मंत्रीजी इसका पता करने गये हैं, वापस आकर आपको जवाब देंगे। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री प्रद्युम्न सिंहजी, वित्त मंत्री।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के निम्नांकित तीन प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 (वाणिज्यिक),

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 (राजस्व प्राप्तियां), एवं

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-3 (सिविल).

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण विश्नोई।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

(1) जिला जोधपुर के ग्राम धोलासर से भीयांसर की सड़क का डामरीकरण करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

(2) जिला जोधपुर के ग्राम लोहावर से ढेणोक जाने वाली सड़क का डामरीकरण करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यह सवाल उठाया कि 20 तारीख को निलम्बन के आर्डर होने के बाद भी आज तक उसकी पालनी नहीं हुई है। मैं उन्हें यह निवेदन करना चाहता हूं कि आशा राम मीणा के तो आर्डर हो गये हैं और अविनाश के आर्डर मेरे खयाल से आज हो जाने चाहिए, मैं इस प्रयत्न में हूं। अभी तक हुए नहीं हैं, आप ठीक कहते हैं लेकिन मैं प्रयत्न में हूं, आज उनके आर्डर हो जाने चाहिए।

श्री देवीसिंह भाटी : सहकारिता मंत्रीजी इतने कमजोर हो गये। मुख्य कल्प्रिट तो वही था।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य अभियुक्त है पूरे...(व्यवधान) पिछले तीन साल में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, हो गई न बात। माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिए। आपका मकसद हल हो गया, आप काहे को बोल रहे हो ?

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य कल्प्रिट तो वही था। सहकारिता मंत्री खेतसिंहजी राठौड़ साहब का आदेश हो जाए और अभी तक पालना नहीं हो।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, बिराजिए।

श्री शंकर लाल अहारी : आपने पूरे हाउस का कोई +++ लिया है क्या ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर भी पक्की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए, बात खतम हो गई। (व्यवधान) श्री गुलाबसिंह शक्तावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राठौड़ साहब, अब आपके ऊपर दया आने लग गई है । आपकी चलती नहीं है। इतने कमजोर हो आप ? इतने कमजोर खेतसिंहजी राठौड़। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, दोनों ही राठौड़ एक जैसे हैं। माननीय सदस्य, प्लीज बिराजें। श्री गुलाबसिंह शक्तावत।

राज्य में अकाल व पेयजल की स्थिति पर विचार

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंहजी विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल हादी।

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल और पेयजल की समस्या पर भागीदारी अदा करने वाले करीब 50 माननीय सदस्य हैं, सभी का नम्बर आए इसके लिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी समय सीमा में ही बोलें और आसन से अनुरोध करूंगा कि पांच-सात मिनट तक का ही समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की कोई माने जब, आसन तो रोज कहता है। माननीय श्री अब्दुल हादी। (व्यवधान) आप तो 15 मिनट बोलें न। रात के 12 बज जाएं, कोई चिन्ता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप चिन्ता ही मत करो, सुबह हो जाएगी, चार बज जाएंगे, अपने को क्या तकलीफ है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, चार बजे तक बैठें तो पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष : होने दो आप तो। (व्यवधान) बोलने में क्यों रोको किसी को ? मामला गम्भीर है, बोलने दो सबको।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे काफी जमाना याद है। आजादी के पूर्व का जमाना भी मुझे याद है। हमारे यहां तो हमेशा ही अकाल पड़ते रहते हैं, कोई नयी बात नहीं है। अफसोस इस बात का है कि सरकार परमानैंट कोई इलाज नहीं कर पाई। इसका मुझे बड़ा अफसोस है। इस विधान सभा में काफी मौका मिला, मैं सन् 1952 में एम.एल.ए. था तब से मैं बराबर अपनी बात कहता हूं परन्तु विशेष कोई फायदे वाली बात

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री अब्दुल हादी)

नहीं हुई। अरबों रुपया हम खर्च करते हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह पैसा हमारी बेसमझी की वजह से खर्च हो रहा है। अगर हम समझ से काम लें तो मेरे खयाल से हमने इतना पैसा खर्च किया है कि आज हमारे यहां अकाल की नौबत नहीं आती। मैं मिसाल के तौर पर यह गुजारिश करना चाहता हूं कि पच्चीसा जबर्दस्त अकाल पड़ा। उस वक्त वाकई में वह अकाल था और ऐसी पोजीशन थी कि सरकार अगर पैसा ढंग से खर्च नहीं करती तो इन्सान मरता। परन्तु सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया, लोग बच गये। अब मैं कह रहा हूं कि आज जो अकाल है वह वैसा का वैसा है। अगर फर्क है तो फर्क यह है कि हमारे पड़ोस में गुजरात प्रांत है जहां 16 घंटे बिजली मिलती है।

(13.06 बजे)

(श्री दिग्विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

वह इलाका बिलकुल हमारे जैसा है परन्तु उस सरकार ने उसको तवज्जोह दी। 16 घंटे बिजली मिलती है, उस बिजली की वजह से वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। मेरे इलाके के आप समझिये, करीब 50 प्रतिशत लोग वहां चले गये। वे लोग वहां खेती कर रहे हैं। उनको अनाज मिलेगा, उनको अकाल की परवाह वाली बात नहीं है। तो मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए, आप वहां बिजली मुहैया करवाइये जहां पानी मीठा है, जहां पर हम सब कार्य कर सकते हैं। अब मैं छोटी-सी आपको मिसाल देता हूं कि कई अरसों से जद्दोजहद के बाद हमारे यहां बिजली आयी। लोगों को कनेक्शन भी मिले हैं। अब जिन लोगों के पास साधन और कनेक्शन हैं आज वे लोग खुशहाल हैं। हमारे यहां जीरे की फसल होती है, जीरे की फसल आप देखिए, परिवार के या मजदूर दो-चार आदमी काटते हैं और उनको 40-50 हजार रुपया मिल जाता है। बड़ा अच्छा लोगों का गुजारा है। अभी हमारे यहां फेमिन में कुछ नालियों का काम शुरू किया सरकार ने। मैंने कहा कि भाई, इन नालियों की क्या जरूरत पड़ी है, फालतू में क्यों पैसा जाया कर रहे हैं ? कई जगह तो ऐसा मौका आया कि लोगों ने कार्य किया ही नहीं, मस्टर रोल ही नहीं है। तो हम क्यों ख्वाहमख्वाह करते हैं ? कहने का मकसद यह है कि जब फेमिन है, आपके पास पैसा है तो उसको आप जाया क्यों करते हैं ? मैं कहता हूं कि हमारे यहां आप हमको बिजली दीजिए, यह फेमिन वाला हमें एक पैसा नहीं चाहिए। यह फेमिन का पैसा आप बिजली वालों को दीजिए और कृषि बेरे बनवाइये। मंत्रीजी यहीं बैठे हैं, पहले भी ये ही फेमिन के मिनिस्टर थे। मैंने इनके सामने बात रखी थी तो इन्होंने हरे चारे के नाम पर एकदम दो सौ कनेक्शन दे दिये। उससे यह नतीजा हुआ कि लोगों ने हरा चारा उगाया, खेती की और आज उनके बेरे हैं। उन बेरों से वे लोग खुशहाल हो गये। अब भी मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो पैसा खर्च करें वह कृषि बेरों के लिए हमको दें। लोग अपनी मजदूरी करेंगे और कृषि बेरे बन जाएंगे उनका हमेशा के लिए आपसे पिण्ड छूट जाएगा। वैसे मंत्री महोदय से मैंने जिक्र किया था, इन्होंने कहा कि मैंने आदेश कर दिये। अब पता नहीं, हुए कि नहीं हुए। तो

(श्री अब्दुल हादी)

मैं फेमिन मिनिस्टर साहब से खास तौर से वही गुजारिश करना चाहता हूं पहले आपने यह मेहरबानी की थी। मेरी कोई तारीफ करने की आदत नहीं है कि मैं किसी की तारीफ करूं। लोग कहते हैं कि करना चाहिए। मैं गुलाब सिंहजी शक्तावत साहब का शुक्रगुजार हूं, ये बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। फेमिन मिनिस्टर थे हरिदेव जोशीजी के जमाने में, उन्होंने वहां कनेक्शन दिए, उनसे लोग जो गरीब थे उन्होंने अपने बेरे किये। आज उन लोगों को अकाल की रत्ती भर चिंता नहीं। इसलिए मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कृषि पर बेरे दीजिए। खास तौर से हमारा इलाका चौहटन, धोरीमन्ना जहां पानी खूब है, अगर वहां कृषि बेरे देंगे तो लोगों का हमेशा का गुजारा हो जाएगा। लोग दुआएं देंगे।

दूसरी मेरी अर्ज यह है कि जहां तक पैसे का सवाल है, अगर अपने को खर्च ही करना है, अगर लोगों को ही लगाना है तो पैसे को आप जाया मत कीजिए। अपने यहां राजीव गांधी स्कूलें खुली हैं। राजीव गांधी स्कूल्स हर जगह हैं। हमारे यहां भी धोरीमन्ना वगैरह में काफी स्कूलें खुली हैं, 150 से 200 स्कूलें। आपका यह जो पैसा है फेमिन का, यह स्कूलोंको दीजिए। अगर स्कूलें हमेशा के लिए बन जाएंगी तो बच्चे पढ़ेंगे और अपने फायदे की बात है। नाड़ियां हैं, नाड़ियों में पैसा देना बिलकुल फिजूल है, कोई फायदा नहीं । न तो अब कोई नाड़ियों का पानी पीता है। थोड़ी मिट्टी निकल जाती है और वे नाड़ियां बिलकुल एक टके की हो जाती हैं। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि यह जो पैसा है, आप एक तो दीजिए कृषि बेरों के लिए, मेरे इलाके में और दूसरे एम.एल.ए. साहिबान जैसा चाहें। दूसरा आप राजीव गांधी स्कूलों के लिए दीजिए। उससे बड़ा अपने को फायदा होगा, बच्चे पढ़ेंगे। कुल मिलाकर मेरी गुजारिश यह थी कि पैसे को जाया मत कीजिए, पैसे को आप ढंग से लगाइये। अगर पैसे को आप ढंग से लगाएंगे तो लोगों के लिए हमेशा का रोजगार हो सकेगा।

अब रही पानी की बात। कुछ हमारा इलाका अच्छा है, वहां पानी है, पानी की तकलीफ नहीं है। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, दो चार मर्तबा आये और इनकी पूरी पकड़ है पानी के लिए। तो पानी की कोई खास विशेष शिकायत नहीं है। कुछ इलाके हैं जहां पानी खारा है। पांच-सात पंचायतें ऐसी हैं जहां पानी बिलकुल खारा है। वहां मैंने आपसे कई दफा गुजारिश की। हालांकि स्कीम भी बनी हुई है लेकिन 45 किलोमीटर दूर पानी वहां से पहुंचता नहीं तो उन लोगों की यह शिकायत रहती है कि हम प्यासे मर रहे हैं। उसके लिए बैटर यही होगा कि जैसे आप गदड़े तक पानी ला रहे हैं, गदड़े से आगे 10-15 किलोमीटर नहर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो उस इलाके का हमेशा के लिए इन्तजाम हो जाएगा। गरीब लोग राहत पाएंगे और आप लोगों को दुआएं देंगे।

इसके अलावा खास बात मेरी जो कहने की है कि जहां तक चारे और मवेशी का सवाल है, मवेशी हमारे यहां बहुत दु:खी हैं आप कितना ही पैसा खर्च करें। पैसा जिस तरीके से खर्च हो रहा है, ठीक है खाखला वगैरह आता है। मैं खुद भी काफी गायें वगैरह रखता हूं, मुझे इनका सारा तजुर्बा है। लास्ट ईयर बिलकुल बरसात नहीं हुई, गायें मेरे खुद के हैं, मैं तो गुजरात से चारा मंगाता हूं और खूब खिलाया, फिर भी

(श्री अब्दुल हादी)

गायों की हालत बहुत खराब है। वह इसलिए कि जब तक हरा चारा उनको नहीं मिलेगा तब तक गायें बच नहीं सकतीं। पेट में कीड़े हो जाते हैं। हरा चारा अब मवेशी खाती है तो उसका पेट साफ होता है और वह मवेशी जिन्दा रह सकती है। हमने अभी हमारे जो कृषि बेरे हैं उन पर हरा चारा लगाया है हमारे इलाके में, वह हो जाएगा तो उससें हमें उम्मीद है कि मवेशी बच जाएगी।

जहां तक इस सरकार ने अपने ऊपर लिया है कि ठेके पर मंगवाकर देते हैं, दुकानें खोली हैं, उससे बैटर यह था कि किसान खुद का बंटवारा करके सारा देख ले कितनी गायें हैं, कार्ड बन जाता और उतने रुपये दे देते तो वह अपनी मवेशी की ज्यादा अच्छी तरह हिफाजत कर सकते थे। यह मैंने फेमिन मिनिस्टर साहब से निवेदन किया था । मैंने कहा कि जो जिसका पशु है उसको उससे मोहब्बत होती है, आप बीच में दलाल क्यों डालते हो, पैसे खाएंगे, आपको जो देना है आप उनके कार्ड बनवा दो। उनको आप अगर पैसे दोगे तो वह मेरे खयाल से ज्यादा ईमानदारी से काम होगा। हमारे इलाके में सरकार जो पैसा खर्च कर रही है अरबों रुपया बिलकुल फिजूल है। अब उस पैसे को अगर आप ढंग से खर्च करो तो मैं कहता हूं कि फेमिन का हर साल जो अपन बोझ उठाते हैं वह हमेशा के लिए मिट जाएगा।

सड़कें बनाते हैं, अब उसमें पहली बात तो यह है कि सड़कों में खाने वाले कई होते हैं इसलिए सड़कें ऐसी बनती हैं। मुरड़ा डाला नहीं डाला, दस ट्रकें डालीं, पैसे खाते हैं, ये सारी बातें हैं। मेरी ज़्यादा किसी की बुराई करने की आदत नहीं है कि फलाना बेईमान है, फलाना यह है पर कुल मिलाकर जो भी मुल्क का हाल है, जो भी चल रहा है वह किसी से छाना है नहीं। बेहतर यह होता कि वह पैसा आप ज्यादा बिजली पर खर्च करो। अपने यहां पर राजस्थान में बिजली की हालत बिगड़ी हुई है, गुजरात हमारे पड़ोस में है, हम तो ईमानदारी से कहते हैं कि हम तो गुजरात की वजह से जी रहे हैं। सोलह घंटे बिजली हमारे लोग पचास प्रतिशत वहां से लेकर खेती कर रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरी तो यह गुजारिश है कि फेमिन का जो पैसा है कम से कम हमारे इलाके में वह आप बिजली को दीजिए। बिजली वालों की हालत बड़ी खराब है, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अगर बिजली की हालत सुधर जाएगी तो हमारे यहां जो अकाल है इसका हमेशा के लिए पिण्ड छूट जाएगा।

अब मैं ज्यादा टाइम न लेकर आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक़्त दिया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं बुड्ढा आदमी हूं इसका खयाल करके पहला नम्बर मुझे दिया। मैं अपने ऊपर से बोझ हटाकर जाकर खाना खाऊंगा, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, यह लगातार तीसरा साल है जबकि हमारा प्रदेश अकाल का सामना कर रहा है। अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाने से पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दो दिन पहले ही हमारे प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने एक वक्तव्य इस सदन में दिया था कि इस बार का

(श्री संयम लोढ़ा)

जो अकाल है वह इतना भीषण नहीं है जितना 1988-89 का अकाल था। सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय नेता हिन्दुस्तान की राजनीति में अपना स्थान रखते हैं और उनके वक्तव्य का बहुत गहरा असर है। जब हमारे प्रतिपक्ष के माननीय नेता इस भयावह अकाल को इस साधारण दृष्टि से लेते हैं कि पिछले अकाल की तुलना में यह कम भयावह है तो इसका असर दिल्ली तक होता है । पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि अकाल की इस विभीषिका को भारत सरकार जिस साधारण तरीके से ले रही है वह इस तरह के वक्तव्यों का ही नतीजा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथ गांवों में जाकर अकाल की वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के बजाए अखबारों में छपे हुए वक्तव्यों को अपना आधार बनाकर इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को और देश की जनता को गुमराह करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। वास्तविकता यह है कि अकाल लगातार तीसरे साल है लेकिन सरकार ने इस अकाल से निपटने में इस विपदा की घड़ी में जनता के बीच में एक सहारे के रूप में उपस्थित रहने में, उनको ढांढस बंधाने में और उनकी मदद करने में कहीं भी किसी स्तर पर कोई कमी नहीं रखी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से भी इस बात के प्रयास किये गये कि इस विपदा की घड़ी में लोगों को मदद उपलब्ध कराई जाए। सभापति महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे माननीय सांसद सरदार बूटासिंहजी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों से अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों का प्रयोग कर सिरोही और जालौर जिले की जनता के लिए चारे का इन्तजाम किया। नवम्बर महीने में, दिसम्बर महीने में उन्होंने चारे से भरी ट्रेन दोनों जिलों के लिए भेजीं और जिला प्रशासन के माध्यम से चारे का वितरण कराया।

सभापति महोदय, इस अकाल नाम की विभीषिका को भी किस तरह से राजनीति का निशाना बनाया जाता है यह घटना उसका उदाहरण है कि जो रेल सुविधा भारत सरकार ने उपलब्ध कराई हुई थी, वह सुविधा राजनीतिक कारणों से कि कांग्रेस को लोगों की मदद करने का लाभ नहीं मिले, कांग्रेस के सांसद को लाभ नहीं मिले, इस सरकार ने बंद कर दी। आज 500 ट्रक चारे से भरे हुए पंजाब में खड़े हैं लेकिन राजस्थान की जनता, सिरोही और जालौर की जनता उस चारे की प्राप्ति से महरूम हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी हर घटना का, हर रूप का प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से करती है।

सभापति महोदय, इस महीने के दौरान अकाल पर लगातार तरह-तरह के वक्तव्य दिये गये, तरह-तरह की चर्चा की गई। सरकार पर विभिन्न तरीके से आरोप लगाए गये लेकिन आंकड़े इस बात के गवाह हैं। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1991-92 में अकाल पड़ा और तीस हजार गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये। उस वक्त भी सरकार ने अकाल राहत के काम फरवरी महीने में ही शुरू किये थे। सभापति महोदय, 1993-94 में जब 22586 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये तब भी सरकार ने अकाल राहत के

(श्री संयम लोढ़ा)

काम फरवरी महीने में ही शुरू किये थे और हमारी सरकार ने भी फरवरी माह में राजस्थान में अकाल राहत के काम शुरू किये। कितने अफसोस की बात है, सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन ने 1998 में अकाल की स्थिति का आकलन किया और अपनी ही पार्टी की सरकार को दिल्ली में ज्ञापन भेजा कि हमें अकाल की स्थिति से निपटने के लिए 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि की आवश्यकता है। चुनाव हुए, राजस्थान में हुकूमत बदल गई और कांग्रेस सरकार आई, पर दिल्ली में वही सरकार रही। हमारी सरकार ने फिर उसका आकलन किया क्योंकि तीन महीने बीत चुके थे, और नौ सौ कुछ करोड़ का ज्ञापन भारत सरकार को भेजा। सभापति महोदय, आप देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आकलन किया, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी ही पार्टी की सरकार के उस आकलन को झुठला दिया और राजस्थान को अकाल सहायता में कितने करोड़ रुपये दिए पिछले साल ? सिर्फ 21 करोड़ रुपये। यह कितने अफसोस की बात है कि आप सिर्फ दलगत आधार पर इस मानवीय पीड़ा का मूल्यांकन करते हैं। करोड़ों लोग जो प्रकृति के प्रकोप की पीड़ा की वजह से दुःख भुगत रहे हैं, तकलीफ भुगत रहे हैं, राजनैतिक कारण से आप उनको न्याय नहीं देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, इस साल भी जो ज्ञापन हमारी सरकार ने 1145 करोड़ का भारत सरकार को प्रस्तुत किया उसमें से 102 करोड़ रुपये की सहायता राजस्थान को उपलब्ध करवाई गई। लगातार हमारे माननीय अकाल राहत मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री ने दिल्ली की सरकार के नेताओं और मंत्रियों को इस विपदा को समझाने का प्रयास किया कि राजस्थान की जनता किस चुनौती के सामने है। लेकिन उसको गम्भीरता से नहीं लिया गया। उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार है जिन्होंने लगातार इस बात का वातावरण बनाने का दिल्ली में कोई प्रयास नहीं किया कि राजस्थान में अकाल की विभीषिका कितनी भयंकर है। इस सदन में +++ और सत्य से परे वक्तव्य देकर एक सनसनी फैलाने का प्रयास इन्होंने जरूर किया। सभापति महोदय, यदि आंकड़ों की तरफ जाएं तो अप्रैल, 1999 के अन्दर राजस्थान में श्रमिक सीमा 3,80,000 निर्धारित की गई थी और 2,92,057 लोगों को रोजगार दिया गया था अकाल राहत के काम में। इस महीने हम आंकड़े देखें तो अप्रैल, 2000 में पांच लाख की भी श्रमिक सीमा लांघ चुकी है और 4,18,357 लोग अकाल राहत का काम कर रहे हैं और हमारी जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उनके अन्दर 51,289 लोग अतिरिक्त रूप से काम कर रहे हैं। तो राजस्थान की सरकार इस अकाल की विभीषिका से निपटने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रख रही है।

सभापति महोदय, यह सब जानते हैं कि आज राज्यों की क्या हालत है, किस आर्थिक संकट का सामना राज्य कर रहे हैं। पंजाब

+++ अभिव्यक्तिअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री संयम लोढ़ा)

जैसे राज्य में तो अपना भवन नीलाम करना पड़ा, असम में ट्रैजरी बंद हो गई और राजस्थान की स्थिति भी किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे वक्त में हर जन प्रतिनिधि का यह दायित्व है कि वह स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रेरित करे, इस विपदा की घड़ी में मदद करने के लिए आगे आए। मैं हमारे मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की पीड़ा को समझते हुए, राजस्थान की जनता की तकलीफ को समझते हुए दानदाताओं को प्रेरित किया कि इस विपदा की घड़ी में आपको भी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। इतिहास गवाह है, सभापति महोदय, कि दानवीर कर्ण जैसा व्यक्ति इस भारतवर्ष ने दिया और भामाशाह जैसा दानी इस राजस्थान की धरती ने दिया। हमारे मुख्य मंत्री की प्रेरणा से इसी महीने मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में सावापुरी के अन्दर चारा वितरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां एक ही दानदाता ने 51 लाख रुपये का चारा सिरोही जिले के गांवों को भेजा। हमारे मुख्य मंत्री की प्रेरणा से 25 हैण्डपम्प दानदाता ने सिरोही जिले की जनता के लिए दिए और 13 लाख रुपये का अनाज सिरोही जिले की गरीब जनता के लिए उस दानदाता ने दिया। स्वयंसेवी प्रयास के माध्यम से गरीब जनता की पीड़ा में 78 लाख रुपये की मदद उपलब्ध करवाई गई, यह कोई कम बात नहीं है। आज, सभापति महोदय, सिरोही जिले के अन्दर 76 चारा डिपो काम कर रहे हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उनमें से 35 डिपो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से खोले गये हैं और 41 डिपो हमारी सरकार ने खोले हैं। तो इस चुनौती का मुकाबला, मेरा ऐसा मानना है कि किसी राजनैतिक वक्तव्य के आधार पर नहीं किया जा सकता, राजनैतिक आलोचना-प्रत्यालोचन के आधार पर नहीं किया जा सकता। अगर हम मूक पशुओं की पीड़ा को समझते हैं तो उनकी मदद करने का दायित्व शासन के साथ-साथ हम लोगों का भी उतना ही है और उसके लिए हमें उन दानदाताओं को प्रेरित करना होगा जिनके पास धन है और जो यह भावना रखते हैं, जीओ और जीने दो का सोच रखते हैं, चिंतन रखते हैं, उस परम्परा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी आधार पर हम सब लोग काम करके इस चुनौती का मुकाबला कर सकेंगे।

सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा कोष से पिछले साल में चारे के लिए व्यवस्था की गई थी 288.67 करोड़ की और इस साल जो प्रावधान सरकार ने रखा है वह है 521.02 करोड़, यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस मसले पर कितनी संवेदनशील है। और जो पशुओं के लिए अनुदान की व्यवस्था थी हमारी सरकार ने उसमें भी बढ़ोतरी की है। पहले तीन रुपये थे जिसे बढ़ा कर छह रुपये किया गया और एक मई से जैसा कि स्वयं अकाल राहत मंत्री ने बताया है, सरकार इसको दस रुपये करने जा रही है। पशुओं के लिए आहार में भी 1 मई से पांच रुपये का अनुदान राजस्थान सरकार ने देने की घोषणा की है। ये सारे इस बात के संकेत हैं कि सरकार पूरी गम्भीरता, पूरी जिम्मेदारी के साथ अकाल की चुनौती का मुकाबला करना चाहती है और तकलीफ की इस घड़ी में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला कर एक अटूट विश्वास उनमें बहाल करना चाहती है।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, मैं कुछ जानकारी माननीय अकाल राहत मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1998 में न्यूनतम मजदूरी 32 से 44 रुपये करने का पिछली सरकार ने जो फैसला किया था, कांग्रेस की सरकार ने पिछली साल 44 रुपये के फैसले को लागू किया और उसके बाद उसी न्यूनतम मजदूरी को 44 से बढ़ाकर 60 रुपये किया गया। कांग्रेस की सरकार ने इस एक अप्रैल से 60 रुपये के न्यूनतम मजदूरी के फैसले को लागू किया, यह अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि हमारा शासन, हमारी सरकार समाज के अन्तिम छोर पर खड़े हुए आदमी, गरीब आदमी के प्रति एक गहरी भावना रखती है। उसी आधार पर इस फैसले को सरकार ने लागू किया है।

माननीय सभापति महोदय, अकाल राहत के काम जिस तरीके से आबंटित किये गये, ग्राम पंचायतों में कार्य का जिस तरीके से चयन किया गया, मैं 2-3 बातें मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने खुले दिल से अकाल राहत के काम खोले हैं, लोगों को उसमें रोजगार मिल रहा है लेकिन कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय की जानकारी में लाई जानी चाहिए।

हमारे सिरोही जिले में 642 कार्य आपने स्वीकृत किये हैं और उसमें से 328 काम शुरू किये हैं। 642 कार्यों के अन्दर जितने काम आपके सार्वजनिक नलकूप की खुदाई के हैं, जो फेमिन के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं, एक भी काम उनमें शुरू नहीं हो सका है। सभापति महोदय, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप 60 रुपये न्यूनतम मजदूरी देते हैं जबकि कुएं के काम को करने में श्रमिक को अपनी जान की जोखिम उठानी पड़ती है। कोई भी श्रमिक अपनी जान को जोखिम में डालकर उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, नलकूप के कार्य में आपको कारीगरों का सहयोग लेना पड़ेगा और कोई कारीगर आपको 60 रुपये में उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए जो डी.आर.डी.ए. की योजनाओं में आपकी दर निर्धारित है कारीगर के काम के लिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अकाल राहत के काम में कारीगर को सवा सौ या सौ रुपये जो भी उचित समझें वह मजदूरी उसको प्रदान करें, इससे नलकूप की खुदाई के काम जो आपने शुरू किये हैं उसके कई अच्छे नतीजे हासिल होंगे और पेयजल की चुनौती का भी हम मुकाबला कर सकेंगे।

दूसरा, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आपने ग्राम पंचायतवार जो अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति की है, अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति का आधार प्रति ग्राम पंचायत दो या तीन काम या चार काम, यह नहीं होना चाहिए। आपको यह बात देखनी पड़ेगी कि कौनसी ग्राम पंचायत की आबादी कितनी है। मैं आपको दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे सिरोही जिले के अन्दर जावाल एक ग्राम पंचायत है जिसकी आबादी 60,401 और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं वहां पर 2078 । आपने वहां पर तीन कार्य स्वीकृत किये हैं जिनमें से दो कार्य शुरू हुए हैं और सौ श्रमिक वहां पर काम कर रहे हैं। उसके विपरीत गोयली का एक उदाहरण लीजिए

(श्री संयम लोढ़ा)

जहां 4310 की आबादी है। वहां पर आपने 7 कार्य स्वीकृत किये हैं, 4 शुरू हुए हैं और उन 4 कार्यों पर आपने 280 श्रमिकों को काम दिया है। इसी तरीके से आप कृष्णगंज का उदाहरण लीजिए, जहां की आबादी है 3782 और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं 1376, वहां पर आपने पांच कार्य स्वीकृत किये हैं, दो शुरू हुए हैं और उन दो कार्य में आप 22 लोगों को काम दे रहे हैं। तो जिन पंचायतों की आबादी उनसे दुगुनी है वहां पर सौ श्रमिक हैं और जिन पंचायतों से आधी इनकी आबादी है वहां पर 220 श्रमिक हैं। आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि आबादी के अनुरूप ग्राम पंचायतों के कार्य स्वीकृत होने चाहिए तभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं बाइंड-अप कर रहा हूं। पानी पर मैं दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के पिछले सत्र में मैंने माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट किया था सिरोही जिले की पेयजल समस्या की तरफ। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके सात दिन के भीतर आपने सिरोही जिले का कार्यक्रम रखा। आपने माउंट आबू में अधिकारियों की मीटिंग रखी, हम सबकी बात सुनी और कुछ आवश्यक उनको निर्देश दिए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 6 महीने पहले शासन को आगाह करने के बाद भी, माननीय मंत्रीजी की स्वीकृति के बाद भी, उनके निर्देशों के बाद भी उस पेयजल संकट के निवारण की आज तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं सदन की जानकारी में तभी लाया था कि तत्कालीन सिरोही के जिला कलेक्टर ने एक परिपत्र भेज दिया कि अक्टूबर के बाद किसी भी पर्यटक को माउंट आबू में नहीं आने दिया जाएगा। तब से जो वातावरण खराब होना शुरू हुआ, आज तक वह सिलसिला नहीं रुका है। आपने उस वक्त निर्देश दिये थे कि दो दिन में एक बार पानी दीजिए। आज फिर वही स्थिति है पिछले कई महीनों से कि मांउट आबू जैसी जगह पर आप तीन दिन में एक बार पानी दे रहे हैं। माउंट आबू में आपको रोजाना दस लाख गैलन पेयजल की आपूर्ति करनी है लेकिन आपकी स्थिति आज की तारीख में मात्र तीन लाख गैलन देने की है। आज स्थिति यह बन चुकी है कि माउंट आबू में स्कूल बंद हो गये हैं, बच्चों को छुट्टी देकर भेज दिया गया है। पर्यटक आने वाले नहीं हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम अखबारों में माउंट आबू की पेयजल स्थिति का भयावह चित्रण है। शासन की कितनी बदनामी की बात है। आप सरकार लेकर बैठे हैं इसके बावजूद जो राजस्थान का एक मात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां पानी आप उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री सभापति : अब समाप्त करिए।

श्री संयम लोढ़ा : माउंट आबू की मीटिंग में जो आपने निर्देश दिए थे और अपनी स्वीकृति दी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे तमाम कार्य जो मैंने आपके सम्मुख वहां

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रस्तावित किये थे, सारे तकनीकी जांच में विचाराधीन हैं, चाहे आप कोई भी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना लो। मैंने आपसे कहा था कि आने वाले वक्त में पशुओं के लिए बहुत बड़ा संकट होने वाला है, रैबारियों की बस्ती में आप एक हैंडपम्प और एक पानी की कुंडी बनाएं। पूरे सिरोही विधान सभा क्षेत्र का एक-एक गांव छान लिया गया और 56 ऐसे प्रस्ताव बनाकर भेजे गये, आज तक उसमें से एक हैंडपम्प स्वीकृत नहीं हुआ है, एक पानी की कुंडी नहीं बनी है। 6 महीने हो गये। आपने जवाब भिजवाया है, मेरा विधान सभा क्वेश्चन लगा हुआ था, कि मुख्य अभियंता, जोधपुर में तकनीकी जांच के लिए विचाराधीन, 6 महीने से विचाराधीन है, फिर क्या पशुओं के मरने के बाद पानी पिलाएंगे ? क्या पशुओं के मरने के बाद आप हैंडपम्प और पानी की कुंडी बनाएंगे ? किस आधार पर कामों की स्वीकृति होती है, यह समझ में नहीं आता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप।

श्री संयम लोढ़ा : कंटिंजेंसी प्लान में अभी जो प्रस्ताव आपको भेजे गये, मैं आपकी व्यक्तिगत जानकारी में लाया कि सिरोही शहर के लिए करीब 65 लाख रुपये की योजना जलदाय विभाग ने बनाकर भेजी, उसमें से मात्र 32 या 33 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। 20 हैंडपम्प की मांग जलदाय विभाग ने आपसे की, आपने 12 हैंडपम्प उसमें से काट दिये और सिर्फ 8 हैंडपम्प मंजूर किये। शिवगंज शहर में कंटिंजेंसी प्लान में आपने एक हैंडपम्प स्वीकृत नहीं किया। मैं लगातार आपकी जानकारी में, आपके अधिकारियों की जानकारी में लाता रहा हूं कि जवाई बांध का पानी हमारे बिलकुल पड़ोस से होकर पाली और जोधपुर तक जाता है। हम एक किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, आज शिवगंज के अन्दर भयंकर पानी का संकट है। हमने आपसे बार-बार आग्रह किया कि आप वहां का पेयजल हमें दें, हम सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर हैं। हमारे शिवगंज तहसील के क्षेत्र सुमेरपुर खंड के पांच कुएं खुदे हुए हैं। सुमेरपुर को आप जवाई बांध का पानी भी दे रहे हैं और हमारे शिवगंज क्षेत्र के कुओं का भी पानी दे रहे हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप कुएं हमको दे दो या जवांई बांध की उस योजना से हमको जोड़ दो जिससे हमारा भी गुजारा हो सके। हमारे लिए आपने कभी करोड़ो रुपयों की व्यवस्था नहीं की, हर साल दो-ढाई करोड़ रुपये देते हैं, यह जरूर है। हम गरीब इलाके से आते हैं, पिछड़े इलाके से आते हैं लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, पीने के पानी की जरूरत हमारे क्षेत्र के लोगों को भी है, हमारे क्षेत्र के पशुओं को भी है।

श्री सभापति : अब बिराजिए प्लीज। श्री राजेन्द्रजी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, लम्बे समय की अकाल की विभीषिका ने राजस्थान की जनता को त्रस्त कर रखा है। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है और हमें इस बात पर विचार करना होगा कि आखिर ये लगातार के अकाल, इसके पीछे

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कारण क्या है। यह निश्चित है कि अकाल की विभीषिका लम्बे समय से राजस्थान को आतंकित किये हुए है। हमें इस बात पर भी चिंतन करना होगा कि इसके बचने के हम जो उपाय कर रहे हैं, आखिर हम ऐसे उपाय क्यों नहीं करें जिससे हम इन अकाल की विभीषिकाओं से ही बचें। जिस तरह से वनों की कटाई हुई है, इकोलोजिकल इम्बैलेंस जिस तरह से बढ़े हैं, एक कारण यह भी है कि वर्षा की कमी लगातार राजस्थान में रही हैं, लगातार राजस्थान की वर्षा का औसत गिरा है। कभी अनावृष्टि और कभी अतिवृष्टि, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, समय सीमित है और मुझे अकाल और पेयजल दोनों पर अपनी बात कहनी है तो मैं संक्षेप में अपनी बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अकाल की विभीषिका में अपने परम्परागत जो स्रोत थे, हमारे गांवों की जो एक व्यवस्था थी उससे हम विमुख हुए हैं और जैस-जैसे हम उससे दूर होते जा रहे हैं हमारी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अकाल की सबसे ज्यादा मार पशुधन पर पड़ रही है। आदमी के खाने के लिये हिन्दुस्तान में इतना अनाज हमारे काश्तकार ने पैदा किया है कि वह न केवल अपने लिए पर्याप्त है बल्कि आज विदेशों में निर्यात हो रहा है, लेकिन पशुओं के चारे की कमी जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है। हमें इस पर विचार करना होगा कि दूसरे राज्यों से जहां हम चारे की व्यवस्था करें, हम खुद ऐसे कुछ उपाय क्यों न करें कि तत्काल कुछ ऐसी व्यवस्था बन पड़े जिससे हरा चारा हम ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकें और उस हरे चारे को खिला करके अपने पशुओं की क्षुधापुर्ति कर सकें। इसके लिए हमें बिजली जैसे साधनों को और ज्यादा सुदृढ़ करना होगा। यदि हमने उन साधनों केा सुदृढ़ किया और अकाल राहत के कुछ पैसों को डाइवर्ट करके कुछ ऐसे साधन हमने बनाए तो आज नहीं तो कल, उसका लाभ अवश्य मिलेगा।

सभापति महोदय, जहां चारे की बहुत बड़ी समस्या है उससे भी बड़ी समस्या आज गांवों में पशुओं के लिए पेयजल की हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जिस तरह से गांवों का धीरे-धीरे विकास हुआ, गांवों के लोगों ने अपने गांव के कुओं के पास ही खेळ कोठे बनाना शुरू कर दिया जिससे उन परम्परागत जोहड़ों की स्थिति समाप्त हो गई जहां किसी जमाने में पूरी वर्षा का जल जाकर एकत्रित होता था और पूरे वर्ष भर उस जोहड़ का पानी गांव के मवेशियों के लिए उपलब्ध रहता था। हमने उनकी सुध लेना बंद कर दिया। धीरे-धीरे उनमें मिट्टी भरती गई और हालात यहां तक बन गये कि आज वे प्राय: समाप्त हो गये। न तो गावं में तालाब रहे, न गांवो में जोहड़ रहे। गांवों में निजी जो स्रोत थे कुओं के पास खेळ कोठों के, भू-जल ज्यों-ज्यों नीचे जाता गया पानी की समस्या बनती गई और उन खेळ, कोठों में पानी भरने के लिए जहां गांव के आदमियों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा वहां मवेशियों के लिए पानी कहां से मिलेगा। आज जो सबसे बड़ी मार रही है वह गांव के मवेशियों को पानी की पड़ रही है और इनका लागातार पलायन हो रहा है। गांव के आसपास के जितने भी काश्तकार हैं वे इस बात से

(श्री राजेन्द्र पारीक)

अंडरग्राउण्ड वाटर पीने योग्य नहीं है या खारा है वहां पर ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा टांकों की व्यवस्था करें। कुछ ऐसे काम करें जिससे वर्षा का जल भले ही कम हो लेकिन जितना जल बहकर व्यर्थ हो जाता है वह एक जगह जाकर टांकों में संचित हो जाएं। वह भंडारण की व्यवस्था रहेगी तो हम समय पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे।

माननीय मंत्री महोदय, अब मैं कुछ समस्याएं अपने सीकर क्षेत्र की निवेदन करना चाहूंगा। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों हैं। शहरी क्षेत्र में आज स्थिति यह बनती जा रही है कि अंडरग्राउण्ड वाटर पोल्यूट हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बन गई है। यह समस्या केवल सीकर की नहीं है बल्कि मैं सोचता हूं कि हर छोटे-बड़े जिले की है जहां सोक पिट्स हैं, सीवरेज का अभाव है, लोगों ने सोक पिट्स में अपने घरों के नाले डाल रखे हैं। 60-60 फीट, 70-70 फीट गहरे सोक पिट्स बन गये हैं, उनकी वजह से अंडरग्राउण्ड वाटर लगातार पोल्यूट होता जा रहा है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना बड़ा बजट लेकर आ रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले वर्षों में जो कुछ सीमित मात्रा में जल है, वह कम से कम प्योर तो हो, वह पीने योग्य तो हो, यदि अंडरग्राउण्ड वाटर पीने योग्य रहेगा तो कम से कम आपकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर पाएगा। लेकिन सीवरेज के अभाव में जिस तरह से यह अंडरग्राउण्ड वाटर पोल्यूट हो रहा है, यह बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आपको चाहे वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना पड़े, चाहे आपको हुडको से पैसा लेना पड़े, उन बड़े जिलो में जहां इस तरह की समस्याएं बहुत बड़े विकट रूप में आपके सामने आ रही हैं, आपको सीवरेज के माध्यम से इस अंडरग्राउण्ड वाटर को बचाने के लिए कोई न कोई महती योजना बनानी होगी ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। सीकर में 1970 में एक बड़ी योजना बनी थी, उसके बाद 1984 में एक दूसरी योजना बनी थी। उसके बाद लंबे समय तक मात्र कभी 50 लाख, कभी 1 करोड़ इस तरह से तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए कहीं हैण्डपम्प, कहीं ट्यूब वैल के माध्यम से कुछ न कुछ करा लेते हैं। दीर्घकालीन योजनाओं के लिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन होगा कि किसी बड़ी योजना को आप साकार रूप दें ताकि सीकर शहर में आने वाले 20 वर्षों की पेयजल की समस्या से निदान पा सकें।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनमें भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। गांवों में एक-एक स्रोत बना हुआ है, गांव की आबादी काफी बढ़ गई है लेकिन स्रोत मात्र एक है। बिजली मात्र 8 घंटे मिलती है, 8 घंटे के बजाए कई बार 6 घंटे मिलती है और कई बार 4 घंटे मिलती है, तो जितनी देर बिजली आती है गांव के आदमी को उतनी देर ही पानी उपलब्ध होता है। वह पानी गांव के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता। लेकिन कोढ़ में खाज तब होती है जब गांव का एकमात्र स्रोत भी खराब हो जाता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े गांवों में एक के बजाए दो-दो स्रोत होने चाहिए ताकि जब एक स्रोत खराब हो जाए

(श्री राजेन्द्र पारीक)

और जब तक वह स्रोत ठीक न हो, पांच दिन लगें, 10 दिन लगें, दूसरे स्रोत से गांव के लोगों को कम से कम पानी की आपूर्ति हो सके।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, इस सदन में अकाल और चारे-पानी की समस्या पर काफी चर्चा हो चुकी है, उन चर्चाओं का तो कोई विशेष नतीजा नहीं निकला, पर मुझे अपना दायित्व निभाना है इसलिए मैं अपनी बात रखूंगा। सरकार भी यदि थोड़ा अपना दायित्व निभाए तो लोगों का संकट कुछ कम हो सकता है।

सभापति महोदय, सन् 1951 से लेकर अब तक करीब 18 हजार करोड़ रुपये की राशि हम अकाल पर खर्च कर चुके है और आगे पता नहीं कितनी राशि खर्च करेंगे। चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे, चाहे बी.जे.पी. सत्ता में रहे, चाहे जनता दल सत्ता में रहे, यह सहायता विभाग जब अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, तब थोड़ी गति लेता है, उसके बाद में सारी फाइलें, पत्रावलियां, सुझाव आदि बंद करके बैठ जाता है, उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जहां-जहां हमारा इरिंगेशन का सिस्टम है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, या हमारे ट्रेडिशनल सोर्स हों, उनका हम इस अकाल से निपटने के बाद में कभी टाइम बाउण्ड प्रोग्राम रखें, जन प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से चर्चा करें तो निश्चित रूप से कोई नतीजा निकल सकता है और इस राशि की बचत हो सकती है, लोगों को राहत मिल सकती है।

सभापति महोदय, अकाल का संकट बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ जिले के नोहर, भादरा, रावतसर के हिस्से में, गंगानगर के सूरतगढ़ के टीबा क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में सबसे ज्यादा है। आदिवासी क्षेत्रों में भी लोग अकाल से पहली बार बुरी तरह पीड़ित हैं। सबसे बड़ा संकट है वह चारे की समस्या का है। पिछले वर्षों में थोड़ा बहुत बरसात हुई जिससे पशुधन की संख्या बढ़ी लेकिन अब इस अकाल के समय में उनकी सार-सम्भाल करने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार ने पिछले जो तीन-चार महीने निकाले हैं उससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जो भी हमारा सी.आर.एफ. का पैसा था, वह समय रहते यदि काम लेते तो निश्चित रूप से गायों की स्थिति ऐसी खराब नहीं होती। आज गायों की चमड़ी हड्डियों से चिपक रही है, उसे कितना ही खाखला और चूरी खिला दो, वह सही स्थिति में नहीं आने वाली है। इस चारे के संकट के समाधान के लिए चारा डिपो खोले गये हैं लेकिन बहुत देर कर दी। फिर भी आप रिवाल्विंग फण्ड दें या कोई संस्था हो या दानदाता हो जो इसको शुरू करे, राज्य सरकार शुरू में सहयोग देती रही है, यदि वह सहयोग बराबर मिलता रहे तो निश्चित रूप से चारा डिपो जो आपने शुरू किये हैं उनसे थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है । आपने बीच में कोताही बरती, पिछले वर्ष जिन संस्थाओं ने चारा डिपो खोले और काम किया, उनको आपने समय पर भुगतान नहीं किया इससे लोग इस दफा पीछे हट गये इसलिए आपने जितनी स्वीकृतियां जारी कीं, समय पर चारा

(श्री देवीसिंह भाटी)

डिपो चालू नहीं हो सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार की विश्वसनीयता कायम रहे, इसका भुगतान समय पर हो।

सबसे ज्यादा हमको कैटल कैम्प्स पर ध्यान देना होगा। वहां खाखले के साथ कैटल फीड और उसके साथ गुड़ आदि दूसरी व्यवस्थाएं भी हम करेंगे तो हमारा जो पशुधन कैटल कैम्प्स में जाएगा वह निश्चित रूप से बच सकता है। कैटल कैम्प्स की संख्या आपने बहुत कम रखी। बीकानेर जिले में पहले 5 हजार पशुओं की व्यवस्था थी अब उसे 15 हजार किया गया है, यह बहुत कम संख्या है। मैं चाहूंगा कि कैटल कैम्प्स में संख्या को आप बढ़ाएं। गरीब की परचेज़िंग कैपेसिटी नहीं है, आपने राहत कार्य नाममात्र के शुरू किये हैं। उसके पास पैसा नहीं होगा तो न तो वह डिपो से कुछ खरीद सकता है, वह सिर्फ एक उम्मीद लगाए बैठा है कि कैटल कैम्प्स में यदि उसका पशुधन ले लिया जाए तो निश्चित रूप से उसका पशुधन बच सकता है।

हमारे राज्य में डेयरी के माध्यम से जो क्रांति आई है उससे हमारे पशुधन की ब्रीड में भी सुधार हुआ है। लेकिन आज अकाल के समय में इतना महंगा चारा और इतना महंगा कैटल फीड वे नहीं ले सकते। उसके लिए सब्सिडी जो आप हर वर्ष देते आए थे, इस वर्ष डेयरी को सब्सिडाइज्ड फीड के लिए पैसा देना चाहिए था, वह आपने नहीं दिया है। हमारे दुधारु पशु हैं गायें हैं, हमारी सलैक्टेड ब्रीड है, आज राजस्थान के अंदर दूध की सबसे बड़ी सप्लाई है और राजस्थान सबसे बड़ा सप्लायर है, सबसे बड़ा उत्पादक है, मैं चाहूंगा कि कैटल फीड के लिए आप डेयरी को निश्चित रूप से सब्सिडी दें।

हमें हरे चारे की भी व्यवस्था करनी होगी। पिछले वर्षों में यह होता आया है कि जब भी अकाल पड़ा है, चाहे हमें गंगानगर से हरा चारा मिला हो, गन्ना हमने उपलब्ध करवाया था, हमने ज्वार की फसल हरे चारे के लिए बीज रखी है वह उपलब्ध करवाई थी। इस वर्ष आपका इस ओर कोई भी प्रयास नहीं है। यदि हम हरा चारा देंगे तो निश्चत रूप से हमारा पशुधन बच सकता है।

विद्युत मण्डल ने पता नहीं किसको लाभ देने के लिए कर दिया कि हरा चारा जो उत्पादित करेंगे उसे हम तुरंत कनेक्शन देंगे। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी इसका वैरीफिकेशन किया है ? हरे चारे की जो आपने सहायता विभाग को सहायता देने के लिए कनेक्शन देने की नीति घोषित की थी, इस प्रकार जहां कहीं भी यदि कनेक्शन दिया गया है आप कम से कम वैरीफाई तो करें की हरा चारा वास्तव में उत्पादित हो रहा है या नहीं। मैं तो उसमें बिलकुल मान रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में जहा इस प्रकार के कनेक्शन हुए हैं, कहीं भी हरा चारा उत्पादित होकर मदद नहीं दी जा रही है। इसलिए आप कम से कम इसका वैरीफिकेशन करें, नहीं तो इसका दुरुपयोग हो रहा है।

अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ट्रेडिशनल व्यवस्था जो हमारी है, हर गांव में गोचर छूटे हुए थे, वह चाहे गोचर हो चाहे ओरण हो, जो भी सरकार रही उसकी यही नीति रही कि जिसने कब्जा कर लिया उसका नियमितीकरण कर दिया। यह

(श्री देवीसिंह भाटी)

बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हैं। हम गोचर की भूमि का नियमितीकरण करेंगे तो पीढ़ियों से हमारे पुरखों ने सम्भाल कर हमको जो गोचर भूमि का धन दिया था, वह हम खो देंगे। हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और दूसरी ओर हमारे पुरखों ने जो हमें दिया उसे हम खाते जा रहे हैं। यह सरकार की नीति का विषय है, निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। बगैर राज्य सरकार का कोई खर्चा किये पशुपालक भेड़ और बकरी से इनकम कर रहे हैं, उस भेड़-बकरी के लिए हम कतई चिंतित नहीं हैं, भेड़पालक मरे चाहे डूबे। सिर्फ इतना है कि चैक पोस्ट लगा दी कि यहां से यह निष्क्रमण हो रहा है, कहां हो रहा है। एक चैक पोस्ट लगा दी कि इतनी हजार भेड़े गईं। नाममात्र की किसी को दवा लगा दी, पिला दी तो ठीक है वरना हम कहीं उनके लिये कतई चिन्ता नहीं कर रहे। निरन्तर भेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। जो भैड़ अभी छह महीने पहले एक हजार रुपये, आठ सौ रुपये में बिक रही थी, आज तीन सौ रुपये में भी कोई लेने वाला नहीं है, यह हम किसका धन खो रहे हैं ? हम खुद अपने आपको कंगाल बना रहे हैं। इनके द्वारा कितना बड़ा हमारा ऊन,मांस और दूसरी चीजों का उत्पादन था, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वह सरकार से कुछ मांगता नहीं है, सरकार से संकट के समय मांगता है। आप उसके लिये न तो फेमिन कोड में काई व्यवस्था करते हैं, न आपकी ओर से इस प्रकार की व्यवस्था है। पिछले तीन माह से ज्यादा का समय हो गया, भेड़ और बकरियों में बीमारी चल रही है लेकिन आपने कोई सब्सिडी ऐसे भेड़ और बकरी पालकों को नहीं दी है। चाहे आपका शीप एंड वूल डिपार्टमैंट हो, चाहे वेटरिनरी डिपार्टमैंट हो, एक ही बात वह कहता है कि जब तक हमें सब्सिडी नही देंगे, हम दवा की व्यवस्था कैसे करेंगे, हमारे पास अलग से कोई फण्ड नहीं है। आप उसे सब्सिडी देते नहीं। चूंकि अभी गर्मी पड़ रही है, जितना पशुधन बच गया है, काफी लोग तो निष्क्रमण करके चले गये और आधे से ज्यादा बूचड़खाने में चले गये लेकिन जो बच गई हैं क्योंकि भेड़ धन काफी जल्दी बढ़ता भी है, जैसे ही जमाना आएगा, बरसात होते ही बढ़ेगा लेकिन जो बचा हुआ है उसके लिए दवाई की तो व्यवस्था करें। दवाई के लिए आप कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, इस वर्ष गोधन काफी बढ़ा है। यह प्रवृत्ति हो गई है, आज एक माड़र्न जमाना आ गया है कि खेती कर रहे हैं तो साहब मैकेनिकल तरीकों से, ट्रैक्टर से करेंगे। आज के दिन बछड़ों की कीमत यह है कुछ इलाकों नागौर आदि को छोड़ दें,जैसे ही गाय बाखड़ी होगी मालिक उसको छोड़ देता है, उसका कोई रखवाला नहीं है। जो बछड़े और सांड हैं ये सारे मरेंगे। सभापति महोदय, एक तो सबसे बडा संकट यह है कि ये सांड जो एक-एक गांव में 50-50 और 100-100 की टोलियों में घूमते हैं इन्होंने सारी ब्रीड का सत्यानाश कर दिया। हमारे यहां एक परम्परा है कि पशुधन खुला जंगल में जाता है, इसको खूंटे से बांधकर ज्यादातर रखते नहीं है, वे सारे सांड आज के दिन हमारी ब्रीड बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जो बचे हुए हैं, आखिर हमारा धन है, उसे हमें बचाना चाहिए। सांडों के लिए

(श्री देवीसिंह भाटी)

जो पूर्व में व्यवस्था हुई थी इस प्रकार की कोई सब्सिडी की व्यवस्था कर सकते हैं तो शीघ्र करनी चाहिए। सभापति महोदय, राहत कार्यो में...

श्री अमीन खान : सांडों को बधिया करने के सिवाय कतई बचाव नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अमीन खानजी, सुझाव आपका सही है, लेकिन हमारी परम्पराएं, कुछ आस्थाएं ऐसी हैं। मैंने भी कई बार मेरे गांव में और पड़ोस में कोशिश की थी, जैसे ही बधिया करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनके लिए मेहनत या अपनी ओर से खर्चा नहीं करें, लेकिन सारे खड़े हो जाते हैं कि हमारे बछड़े को आप बधिया कैसे कर रहे हो। यह लोगों की समझ है। हम वातावरण बनाएंगे तभी संभव होगा, यह जोर -जबर्दस्ती चलने वाली बात नहीं है। सुझाव आपको बहुत अच्छा है।

जितने भी राहत कार्यों पर आप संख्या स्वीकृत करते हैं, आप सारे आंकड़े उठा कर देख लीजिए, किसी भी जिले की स्वीकृत संख्या के अगेंस्ट में आपके मजदूर बहुत कम लगते हैं। आखिर मंशा किसकी नहीं है ? क्या राज्य सरकार की मंशा नहीं है स्वीकृति जारी करते वक्त या जिला प्रशासन की ऐसी मंशा नहीं है ? कौन इसमें कोताही कर रहा है ? यह कम से कम आपको स्वयं देखना चाहिए, जहां-जहां भी इस प्रकार की स्वीकृति जारी की है और लोगों की मांग हो रही है। आपने किया क्या है ? एक पंचायत के अन्दर एक काम दे दिया। कई-कई पंचायतें तो ऐसी हैं इस डैजर्ट क्षेत्र में कि जहां 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर गांव बसे हुए हैं। आपने एक गांव में राहत कार्य खोल दिया वो पहुंच जाएंगे ? संख्या को आप देखें कि जो स्वीकृति जारी की है कम से कम उतने मजदूर तो लग जाएं। मैं यह चाहूंगा कि इस पर आप विशेष ध्यान दें। यदि राहत कार्य नहीं खुलेंगे तो परचेजिंग कैपेसिटी हमारी ज्यादा नहीं, वह घर का काम कैसे चलाएगा, वह अपने पशुधन को कैसे बचाएगा ? इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। राज्य सरकार ने तो इन राहत कार्यों के ऊपर निर्देश जारी किये हुए हैं कि जहां कहीं भी राहत कार्य खोलेंगे, हम धूप और गर्मी को देखते हुए छाया की व्यवस्था करेंगे, हम पानी के लिए व्यवस्था करेंगे। सुखाड़ियाजी और भैरोंसिंहजी के टाइम में जरूर सरकी व मटकियों की व्यवस्था की गई थी, आपने कहीं भी एक जगह भी सरकी की व्यवस्था नहीं की है। वह महिला जिसकी गोदी में बच्चा हो, वह छाया के बगैर कैसे रह सकती है ? हमारे चिकित्सा मंत्रीजी अभी बीकानेर के दौरे पर गये या जहां कही भी गये, जैसा कि हमने आज राजनैतिक माहौल बना लिया है स्वागत समारोह का कि हमारी धूप से सुरक्षा हो, वे जहां कहीं भी गये वहां शामियाने लगे हुए थे और रुके मात्र 5-5 मिनट। अब कल्पना कीजिए, हम लोग जो मंत्री हैं, जन प्रतिनिधि हैं वे धूप में 10 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते तो मजदूर कैसे मजदूरी करेगा ? सिर के ऊपर कड़ाही में मिट्टी डालकर ढोना और तलाई की पाल पर चढ़ना, कम से कम उसके बच्चे के लिये तो सरकी की व्यवस्था करें। उसके तो भाग्य फूटे हुए हैं, उसको तो मजदूरी करनी पड़ेगी , लेकिन उस बच्चे को

(श्री देवीसिंह भाटी)

वह कहां छोड़े ? लेकिन आपने छाया की कोई व्यवस्था की नहीं है। आपके विभाग के डाइरेक्शन जरूर हैं, लेकिन आपने कोई छाया की व्यवस्था नहीं की है। और पानी ? टैंकर से, ऊंट गाड़े की टंकी से पानी आ जाए तो रहे किसमें ? ड्रम के अंदर पानी रहेगा। खुली धूप में गर्म-गर्म उबलता पानी वह कैसे पीएगा ? मजबूरी में पीना तो पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आप व्यवस्था करें। आप थोड़ी संवेदनशीलता, मानवीयता रखेंगे तो निश्चित तौर पर यह हो सकता है। मैं सोचता हूं कि आप यह व्यवस्था शीघ्र करने जा रहे हैं।

सबसे बड़ी बात है कि इन राहत कार्यों में जहां कहीं भी हों, आपने ज्यादातर सड़कें ली हैं। कुछेक संख्या में तालाब, तलाइयां भी ली हैं। आप ये काम भी करवाएं लेकिन हमारे ट्रेडिशनल सोर्स जिनके लिए हम बार-बार चर्चा करते हैं, चाहे वे पुराने कुएं बंद पड़े हैं, मैं पानी की बात आएगी वहां यह चर्चा रखूंगा, दूसरे बावड़ी या पक्के तालाब हैं, उनको भी हम ठीक कराएं। तो इसके लिए भी आप निश्चित तौर पर निर्देश जारी करें क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संकट पशुधन का है, सबसे बड़ी मांग पशुधन की है जिसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए। आदमियों को तो 4-5 दिन में सप्लाई आ जाए तो भी काम चल सकता है, लेकिन पशुधन का सबसे ज्यादा प्रैशर रहता है। इसलिए हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उनको ठीक कराने के लिए आप डाइरेक्शन दें।

इसी प्रकार से मेरा सुझाव है कि जो हमारी पी.डब्ल्यू.डी. की रोड्स हैं, पक्की रोड हैं जो टूटी हुई हैं, विभाग के पास पैसा नहीं है, इसी प्रकार की ग्रेवल रोड्स हैं जिनके ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो गया, बड़े-बड़े खड्डे पड़ गये, उनको प्राथमिकता से लें। साथ में चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कोआपरेटिव विभाग हो, जिनके पास खुद का बजट नहीं हैं उनकी भी मरम्मत हम करा दें तो निश्चित तौर पर जो हमारा धन है, जो हमारे भवन हैं वे बचे रह सकते हैं। यह काम भी हो जाएगा और लोगों को मजदूरी भी मिल जाएगी।

आदिवासी क्षेत्र के बारे में मेरा सुझाव है कि आपको पहाड़ों के बाहर जहां-जहां फोरेस्ट का काम करवाना है वहां इसकी चारदीवारी करा दें, पत्थर वहीं हैं। मजदूरी भी लोगों को मिल जाएगी और आज जो सबसे बड़ा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वह काम भी सरल हो जाएगा। यदि पहाड़ी क्षेत्र में आप लें, आपने घोषणा तो यह कर दी कि हम न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये देंगे, लेकिन अभी मैं परसों ही बीकानेर जाकर आया हूं, कोलायत तहसील में हदा गांव में 4 रुपये 60 पैसे मजदूरी का भुगतान पिछले पखवाड़े में तय किया। अब 4 रुपये 60 पैसे वह कैसे लेगा ? उसने 15 दिन बराबर हाजरी लगाई है, वह वहां पर आया है, काम किया है। आप काम करवाते हो, उसके लिए मेरी समझ में नहीं आता, पुराने वर्ष में जो भी काम हुआ है उसकी भी आप चर्चा तो करो कि इस प्रकार लोग काम करते थे। एक तलाई के ऊपर कम से कम हजार फीट की उसको दूरी तय करनी पड़ती है और उसको लीड के लिए आप कहीं भी छूट नहीं देते। मिट्टी की कड़ाही लेकर वह महिला पाल पर जाती है, वहां जाकर मिट्टी डालती है। आप तो टास्क देखेंगे कि मौके पर मिट्टी कितनी खुदी है। पूर्व में यह व्यवस्था थी। कृपया आप

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह लीड जब तक नहीं देंगे तो लोगों को न तो मजदूरी सही मिलेगी और न लेने के लिए तैयार है। हदा गांव में भी और इसी प्रकार आपके मड गांव में भी 18 रुपये आई, गुढा में 35 रुपये आई, और 60 रुपये की आपकी अपनी घोषणा है। आप कम से कम ईमानदारी से उसको देने की कोशिश करें। आज यहां प्रश्नोत्तर के समय में श्रम विभाग ने कह दिया कि हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो हम कर देंगे। श्रम मंत्रीजी, मैं शिकायत कर रहा हूं और आपको स्वयं को जानकारी है, आपके जिले में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वह करना चाहिए, सिर्फ टालने की बात नहीं करनी चाहिए कि आप कैसे लोगों को सही मजदूरी दें। जो आज काम नहीं कर सकता वही अकाल राहत कार्यों पर आ सकता है, जो शरीर से कमजोर है, जो उम्र में ज्यादा है, जो महिला अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जा सकती वह वहां पर आती है, बाकी हैल्दी, स्टाउट आदमी है वह तो अपने आप गुजरात जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, गंगानगर जा रहा है। वह बगैर आपसे पूछे जा रहा है। लेकिन जो गांव में बैठा है वह आपके भरोसे बैठा है, इस व्यवस्था के भरोसे बैठा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि उसको मजदूरी सही मिले।

एक परम्परा नई हो गई है, जब से पंचायतों के माध्यम से काम होने लगे हैं कि सारे काम ठेके पर देना शुरू कर दिया। उसी के तहत एक नई परम्परा शुरू हो गई है कि जहां लेबर से काम कराना चाहिए वहां हमने ट्रैक्टर लगाना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर उसका हिस्सा मार देगा। आपने तो सिर्फ मस्टर रोल भरकर नाम लिख दिया कि इतना काम हो गया। ट्रैक्टर की परम्परा को आप डिसकरेज कीजिए। ठीक है, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो कि ट्रैक्टर के अलावा नहीं हो सकता हो, ऐसा कोई बड़ा काम हो, जैसे हमारे वहां कोलायत में चिकित्सा मंत्रीजी निर्देश देकर आए थे, बहुत बड़ा कपिल मुनि का स्थान है, बहुत बड़ा तालाब है वहां हमने एस्केवेटर लगाने के लिए भी तय करवाया है। विशेष परिस्थिति को छोड़कर बाकी तो आप ट्रैक्टर को डिसकरेज कीजिए वरना लोगों को मजदूरी नहीं मिलेगी। वहां पर जो स्थापित नेता है, जो कर्ताधर्ता है वह कभी भी यह अवसर नहीं आने देगा कि उनको मजदूरी मिले। वह तो ट्रैक्टर के माध्यम से काम कराकर पैसे लेना चाहेगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं पेयजल के बारे में कुछ बात रखना चाहूंगा। जैसे कि अभी चर्चा कर रहा था, सबसे बड़ा काम है पी.एच.ई.डी. का रूरल एरिया में ट्रेडिशनल सोर्स संभालने का। बात जलदाय मंत्रीजी ने भी यहां पर कई बार रखी लेकिन इस ओर कोई विशेष प्रयास हो रहा है, यह मुझे नजर नहीं आ रहा है। कहीं भी हमारे कुएं बंद पड़े हों उनकी मिट्टी निकालकर उनका पुनरुद्धार करके उनको चालू करने का या बावड़ी का ऐसा किसी प्रकार का काम आपने यदि शुरू किया हो तो कृपया बताएं। यह नहीं हो रहा। इसमें कोई भी खर्चा नहीं आएगा। मैं इसका आपको उदाहरण बता दूं, राजस्थान मैन कैनाल की 820 आर.डी. में एक योजना बनी हुई है अगणेउ, सुरजड़ा और रणजीसर की। रणजीसर वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, टेल एंड पर है। कितनी बार हमने पाइप लाइन अलग

(श्री देवीसिंह भाटी)

अलग चेंज करवा दी, बड़ी पाइप लाइन लगवा दी लेकिन वहां टीबे ऊंचे-नीचे हैं, कभी प्रैशर से पाइप फट जाता है। आखिर में करते-करते 15 साल बाद में रणजीसर वालों ने हाथ जोड़ दिये। हमने जाकर वैसे ही पूछा कि साहब, अब पानी की स्थिति कैसी है ? गांव की पाइप लाइन चेंज करवादी, बड़ी लगवा दी। तो बोले साहब, क्यों चर्चा करते हो। आखिर मैंने उन्हीं से पूछा कि क्या सुझाव हैं आपके । उन्होंने कहा, साहब, गांव में हमारा पुराना कुआ है उसके अन्दर एक मोटर लगवा दो । हमको पशुधन की ज्यादा डिमाण्ड है, उसी के पीछे हम भटकते रहते हैं, हम तो घुमक्कड़ हैं। 13-14 साल हो गये, वहां हमने वह मोटर लगा रखी है और आज तक कभी शिकायत नहीं आई रणजीसर गांव में। यह मैंने चूरू के लिए एक सुझाव दिया था। चर्चा जरूर हुई, आश्वासन दिया। चूरू जिले में भी इस तरह के कुएं हैं। खारा पानी पीने में कहां दिक्कत है ? आपके जो नार्म्स हैं, सेंटर वालों के टी.डी.एस. के, ये कुछ नहीं हैं, फालतू बेकार की बात है। सदियां हमने गुजार दीं वह पानी पीते हुए। पशु पीते रहे हैं, हम भी स्वयं पीते रहे हैं खारा और मीठा मिलाकर। तो ऐसे जो कुएं हैं आप छोटी मोटर उसके अन्दर लगा दें, पशुधन का प्रैशर खतम हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि ऐसे ट्रेडीशनल सोर्स आप सम्भालें। सम्भालना तो दूर रहा, हमारी नीति यह हो गई कि जोहड़ पायतन हैं, जहां जोहड़ और तालाब बने हुए हैं, कोलोनाइजेशन डिपार्टमैंट में यह तय हो गया कि साहब, वह तो बढ़िया जमीन है क्योंकि उसके पायतन है। वह धीरे-धीरे जो मिट्टी आती है वह ऊपर जमकर चिकनी हो जाती है, उसका आक्शन करने लग गये। सबसे कीमती जमीन जो जाती है जिसके पैसे सबसे ज्यादा विभाग को मिलते हैं, वह सारे हमने जोहड़ पायतन और जितने तालाब थे, कोलोनाइजेशन के क्षेत्र में तो सारे खतम कर दिये, आगे बचे हुए हैं वे भी खतम होने जा रहे हैं। यह दो दिन का पैसा आप देख रहे हैं यह यों ही लग जाना है वापस। आप विभाग वालों से बात करें कि इस कोलोनाइजेशन क्षेत्र में हमारे पुराने तालाब हैं उनको खतम तो न करें। सदियों से कमाई करके गांव में एक ऐसी कीमती चीज हमने तैयार की थी। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी आप विचार करें।

अब बात करते हैं तो, सभापति महोदय, कि साहब पी.एच.ई.डी. की स्कीम चल रही है, स्टाफ वहां पर लगा हुआ है, यह आप और हम सब जानते हैं। लेकिन वहां आज यह परम्परा हो गई कि यदि किसी स्कीम के ऊपर 4-5 आदमियों की ड्यूटी है, तो वे एक आदमी की बारी बांध लेते हैं कि आज वही रहेगा, बाकी अपने मौज के लिए या जैसे भी घर जाना है वह जाते हैं। हमने पिछले वर्षों में यह व्यवस्था की थी जब तक उस गांव का सरपंच या वार्ड पंच यह तस्दीक न कर दे उस कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती। हमने पंचायतह समितियों में मास्टरों के लिए यह किया था और यह बिलकुल कामयाब रहा। पी.एच.ई.डी. की स्कीम में भी कर दें कि जब तक उस गांव का सरपंच या वार्डपंच यह तस्दीक न करे उसे तनख्वाह न मिले। वरना इस प्रकार अगर आप उसके भरोसे बैठो तो चूंकि पूरे समाज में बिगड़ाव हो रहा है वह भी बेचारा बिगड़ा हुआ है। यह व्यवस्था जब तक आप नहीं करेंगे, इसमें सुधार नहीं होगा। पी.एच.ई.डी. की स्कीम

(श्री देवीसिंह भाटी)

के लिए हम कहते हैं तो कहते हैं साहब, बिजली की कमी है, साहब, मोटर जल गई। उसी के पड़ोस के अन्दर कृषि का खेत है, कृषि कुआ है उसकी तो मोटर तुरन्त एक दिन में तैयार हो जाती है और हमारी वाली पी.एच.ई.डी. स्कीम की जो मोटर है वह 5,7,10 दिन में तैयार नहीं होती। पानी पीने के लिए कितना चाहिए वह तो हमको मिलता नहीं और पड़ोस में जाकर देखें तो उसके खेत में फसल पकती है, गेहूं लेता है, मूंगफली की फसल लेता है। अगर उसको 15-20 दिन पानी नहीं मिले तो वह तो बरबाद हो जाए। वह फसल क्यों नहीं रुकती या खराब क्यों नहीं होती ? सारा बराबर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कृषि कुआ बराबर चल रहा है, अपनी फसल पका रहा है और सिर्फ पानी पिलाना है उसके लिए हम व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप जन प्रतिनिधियों को इन्वाल्व करें। मैं चाहूगा कि जो शहरी क्षेत्र में आपके हैडक्वार्टर्स बने हुए हैं एक्स.ईएन. के, इस अकाल के समय में कम से कम चार दिन के लिए तो आप निश्चित कर दें कि वह तहसील हैडक्वार्टर पर जाकर बैठेगा, चार दिन शहर के अन्दर, जिले के अन्दर नहीं आएगा। इसका व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर पर सुधार होगा।

जहां कहीं भी आपकी स्कीम फैल होती है या किसी कारण से उसमें कोई रुकावट आती है तो जैसे हमने पहले व्यवस्था की थी कि जहां कहीं थाने हैं, पुलिस चौकी हैं या प्राइवेट बस हैं उसके माध्यम से तुरन्त वह सूचित कर देगा अपने विभाग को जिससे वह सूचना तुरन्त पहुंच जाए, यह व्यवस्था आप कर देंगे तो निश्चित तौर पर सूचना की कमी नहीं रहेगी। मोटर्स जब तक आप स्टैंडबाई नहीं रखेंगे, मैं समझता हूं कि यह आपका सुधार करने का जो सोच है इसमें कोई सुधार आप कर नहीं पाएंगे। मेंटिनेंस के बजट के लिए तो आपने बिलकुल ताली बजाकर छोड़ दिया, कम से कम मेंटिनेंस का बजट तो आप लेओ। आपने अभी 4-5 दिन पहले हाउस में कहा था कि 20 करोड़ रुपये मिल जाएं लेकिन मौके के ऊपर पैसा चाहिए। आप कहीं थोड़ी बहुत भी किसी भी पार्ट्स की जरूरत हो, विभाग के पास हम कहते हैं तो कहते हैं साहब, मेंटिनेंस का पैसा नहीं है, हम कैसे इस लाइन को ठीक करें, कैसे हम ट्यूबवैल को ठीक करें। मेंटिनेंस का पैसा राज्य सरकार और वित्त विभाग आपको नहीं देंगे और सिर्फ उसकी तरफ देखते रहें और हाउस में पूर्व की तरह आश्वासन देते रहें तो इससे काम चलने वाला नहीं है। मेरा इसमें सुझाव है कि आई.जी.एन.पी. और दूसरे क्षेत्रों में जहां कहीं भी नहरों से इलाका जुड़ा हुआ है, परम्परागत जो कुओं से, ट्यूबवैल से स्कीम बना रखी हैं वे तो अभी चल रही हैं, लेकिन जब तक आपकी नई स्वीकृत नहीं हो जाए, आप सारी योजनाएं इन नहरों से बनाइये, नहरों के टेल से बनाइये। वह 20-20, 30-30 किलोमीटर आगे तक का एरिया कवर कर लेगा तो गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर का काफी हिस्सा है, वह बिलकुल सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि यह सुनिश्चित पानी है, यह हमें बराबर मिलता रहेगा। तो इन नहरों से आप स्कीम बनाइये। यहां स्कीम तो पहले बीकानेर से भिजवाई गई हैं लेकिन स्वीकृति के लिए पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। सभापति महोदय,

(श्री देवीसिंह भाटी)

बीकानेर की कोलायत तहसील में एक वर्ष से चार एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल्स खुदे पड़े हैं, अब वे काहे के लिए खोदे गये ? एक्सप्लोर हो गये, उसके प्रस्ताव यहां भेज दिये कि इसको रैगुलराइज करने की स्वीकृति जारी कर दी जाए, वह स्वीकृति नहीं जा रही है। इस प्रकार की स्वीकृतियों में दिक्कत कहां आती है, मेरी यह समझ में नहीं आता। कही तो आप फाइनेंस प्राब्लम बता देते हैं और कहीं कि साहब, फलां को लिखा है और फलां विचाराधीन है। उस क्षेत्र में कहीं पानी नहीं था। खारे पानी के उस क्षेत्र में मीठा पानी मिल गया लेकिन यहां स्वीकृति निकलती नहीं है। इसका क्या कारण है ? मैं चाहूंगा कि जो चार ट्यूबवैल्स हमारे कामयाब हुए पड़े हैं और जिनकी स्वीकृति के लिए जयपुर हैडक्वार्टर पर प्रस्ताव आये हुए हैं उनकी सैंक्शन दिलवाइये। मैं एक और चाहूंगा कि कृषि कुओं के कनेक्शन के लिए हरा चारा वाला जो एक नाटक कर रखा है वह छुड़वाइये। पूर्व में भी ऐसे निर्देश हैं कि पी.एच.ई.डी. का कोई भी नया ट्यूबवैल कनेक्शन लेना हो उसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। अब वह प्राथमिकता तो मिल नहीं रही और यह नाटक का जिसको लाभ देना है वह एक हरा चारा कनेक्शन के लिए आपने यह शुरू कर दिया। इसे चेंज करवाइये, हरा चारा वाला छोड़िये। सबसे पहले आपके जो पी.एच.ई.डी. के कनेक्शन बकाया पड़े हैं उन्हें आप शीघ्र करवाएं, यही मैं चाहूंगा।

सभापति महोदय, यहां सुझाव बहुत आये हैं और आएंगे लेकिन सरकार कुछ करे, कुछ करके बताए, वरना लोगों की स्थिति बहुत खराब है, गांव में हम जाने की स्थिति में नहीं हैं। हम जाते हैं, एक बार चले गये, दो बार चले गये लेकिन बार बार वे कहते हैं कि हम दो बार पहले आपको कह चुके हैं तो पानी की व्यवस्था हो नहीं रही है। पानी जैसी योजना के लिए, पानी जैसे कार्य के लिए हम कितनी बार उनको झूठ बोलकर गुमराह करें। हमारा हकीकत में, सभापति महोदय, जाना मुश्किल हो गया क्षेत्र में क्योंकि हमारे यहां रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम 15-15, 20-20 किलोमिटर लम्बी हैं परन्तु टेल एंड के ऊपर जो गांव हैं उनमें पानी जाता नहीं। आपने कह दिया कि हम टैंकर्स भेज देंगे, लेकिन टैंकर का उन टीबों में जाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए भी मैंने सुझाव दिया था, अभी वह कोई लागू नहीं हुआ है कि जो ऊंट गाड़ों के टैंकर हैं उनसे बिलकुल सुनिश्चित सप्लाई हो सकती है। वर्षों पहले हम चलते आये हैं इस प्रकार से। तो आप ऊंट-गाड़े टैंकरों की व्यवस्था करें और इस क्षेत्र में पानी के लिए सबसे बड़ा संकट है उसकी व्यवस्था कराएं, जन प्रतिनिधियों को इन्वाल्व करें। कम से कम अकाल के समय तो कर दें कि कर्मचारियों को तनख्वाह ही जब मिलेगी जब गांव का सरपंच या वार्ड पंच यह तस्दीक कर दे कि यह बराबर यहां गांव में रहा है और सप्लाई इसने बराबर चलाई है। सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव है, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर काफी चिन्ता करें। पूर्व में जब हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी राज में नहीं थे तब तो रोज चार्ज लगाते थे कि लोग मर रहे हैं, चारे के अभाव में पशुधन बरबाद हो रहा है, पानी का बड़ा संकट है। फिर भी आपने तो यों ही +++ की, आपके पास

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

सी.आर.एफ. का पैसा होते हुए भी काम शुरू नहीं किये। लेकिन अब आपको हर तरह की मदद दे दी गई है गेहूं से, चावल से, पैसे से, अब तो कम से कम करके बताओ। +++ जैसे हमारे विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि बार-बार +++ कोई आपकी मदद नहीं करेगा। हकीकत है यह। आपके पास जो भी साधन हैं, मौके पर जाइये, अब विधान सभा सत्र का समापन हो जाएगा, जन प्रतिनिधि सारे अपने क्षेत्रों में जाएंगे, मंत्री वहां रुकें, जैसे अभी चिकित्सा मंत्री गये हैं, वैसे तो दौरा नहीं होना चाहिए पांच-पांच मिनट का, पूर्व तयशुदा कार्यक्रम हो, पहले ही मजदूरों को...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको गम्भीरता से लेकर इसके ऊपर क्रियान्विति हो। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री रामस्वरूप : हमारे सारे मंत्रीजी घूम करके आये हैं, काले पड़ गये, रात दिन मेहनत की है और आप कह रहे हैं कि गये ही नहीं।

श्री सभापति : आप बिराजें, रामस्वरूपजी।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में अकाल या अभाव की स्थिति पर चर्चा हो रही है। राजस्थान में अकाल और अभाव की स्थिति से हम हमेशा जूझते आये हैं। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, दक्षिणी में भी ऐसा ही है। मान्यवर, छप्पने का नाम सुनते थे, छप्पने को मैंने भी बचपन में देखा है, किस तरह से उन परिस्थितियों में इन्सान जीता था पानी के अभाव में, रोजी के अभाव में। भुखमरी के अभाव में लोग मर गये उस इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा। आजादी के बाद देश में परिस्थिति बदली। मुझे कहने में शंका नहीं कि जो परिस्थितियां आजादी से पूर्व थीं वे बदली हैं। आज हम कह सकते हैं कि आज की स्थिति में राजस्थान में अकाल में भूख से कोई नहीं मरा है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। परिस्थितियां देश की बदली हैं, हमारे अवागमन के साधन, देश का अन्न उत्पादन बढ़ा है और भूख से मरने की स्थिति नहीं है।

मान्यवर, अकाल की साइकिल होती है। कई साइकिल हैं उनमें अकाल की भी एक साइकिल है कि पर्यावरण से परिस्थिति बनती है। 9 साल की, 27 साल की, इस तरह की साइकिल है। साइकिल में आता है तो यह वर्ष छप्पन वास्तव में साइकिल का प्रभाव है। उस साइकिल के आधार पर जो 100 वर्ष बाद छप्पने से लोग भयभीत थे, मैं आज गांवों में जाता हूं तो पहले भय लगा हुआ था कि कहीं उस छप्पने की पुनरावृत्ति तो नहीं होगी, परन्तु ईश्वर की देन है कि वह स्थिति नहीं है और आज हम इस अकाल से मुकाबला करने में काफी मजबूत हैं। अकाल में राज्य का यह दायित्व होता है कि उस तंत्र में पैसे की व्यवस्था करे, कुछ मनी को डाले जिससे कि जो क्रय शक्ति कम होती है ग्रामीण नागरिकों की, उसमें

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

वह अपनी रोजी-रोटी के लिए अनाज खरीद सके और अपना निर्वाह कर सके।

मान्यवर, पश्चिमी राजस्थान में जो कि पशु बहुल क्षेत्र है, वहां दोहरी मार पड़ती है। जहां हम मनुष्य के सरवाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं वहां हमें पशुधन को बचाने के लिए कठिनाइयां पड़ती हैं। इसलिए विशेष व्यवस्था उस क्षेत्र में होने की आवश्यकता है जहां पशु बहुल क्षेत्र है।

मान्यवर, गत फेमिन्स में हमने देखा कि राज्य सरकार का यह जोर रहा कि हम पक्के काम करवाए। अभी हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि यह ठेकेदार प्रथा चल पड़ी है, ट्रैक्टर चल पड़े हैं, यह पक्के काम की ही परिणति है। फेमिन में सही काम होने चाहिए जो लेबर ओरिएंटेड हों, जहां मजदूर लग सकें। मजदूरी का भी एक तकमीना है जो फेमिन कोड का क्लाज नम्बर 83 कहता है। हर समय तय होता है उसका। मिनिमम वेज की चर्चा चल रही थी। फेमिन कोड में इंसान कैसे जिंदा रहे ? फेमिन कोड का जो आइटम क्रम संख्या 83 है वह स्पेसिफाई करता है कि मजदूरी कैसे चलनी चाहिए। यह हमेशा बदलती रहती है। मान्यवर, राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि परिस्थितिं नहीं है फिर भी यदि इमरजेंसी से पूर्व में जैसे अभावग्रस्त घोषित होते ही हर पंचायत में हम कुछ अनाज मुहैया करा देते थे, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है, विशेषकर मंत्री महोदय से कि हर पंचायत में दो बोरी अनाज की व्यवस्था रखें कि यदि कोई भूखा इन्सान आए तो उसको पंचायत स्तर पर मदद कर सकें।

पशु कैम्प्स की चर्चा चली। फेमिन का मूल जो मैंने पढ़ा उसमें 132 संख्या में क्लीयर है कि कैटल कैम्प्स में आधा पैसा कैटल ब्रीडर्स का होता है और आधा पैसा सरकार का होता है। व्यवस्था अभी कई वर्ष से राजस्थान में चल रही है कि कैटल कैम्प्स का पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार वहन करती है। वह स्वामित्व समाप्त करता है पशुपालक, ऐसी कोई व्यवस्था है। अंत में पशुओं का क्या होता है। इस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो पशु कैम्प्स की ओर राजस्थान सरकार की विशेष निगाह होनी चाहिए। मैंने देखा है निजी तौर पर कि इसमें बहुत बड़ा धन का दुरुपयोग होता है और कैम्प खतम होने के बाद में पशु कहां जाता है उसका पता नहीं लगता। यदि पशुपालक आधा पैसा देगा तो निश्चित ही कैम्प खतम होगा तो पशु उसको वापस मिलेंगे, उसका ममत्व उस पर बढ़ेगा। इस ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र जैसलमेर जिले में साइक्लोनिक वर्षा हुई। हमने 50 हजार गायों को और तीन लाख भेड़ों को हमारे क्षेत्र में आने की परमीशन दी। नागौर, बीकानेर, बाड़मेर जिले के इतने मवेशी हमारे क्षेत्र में आये, उस समय भी हम कह रहे थे कि जब इतनी मवेशी आ रही हैं तो हमारे क्षेत्र में हालत अंत में यह होगी कि मई-जून के महीने में हमारे जिले का पशुधन नहीं बच पाएगा, हमें कैटल फीड की और फोडर की कमी हो जाएगी। वह परिस्थिति आज हमारे जिले में हो गई। सौभाग्य से नहरी क्षेत्र जैसलमेर जिले में आया है, इससे हम उस ओर कुछ बचाव की परिस्थिति में हैं। जो कैटल फोडर की चर्चा आती है तो कैटल फीड के बारे में मेरा निवेदन है कि कैटल फीड पशु बहुल जिलों

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

में अति आवश्यक है। मवेशी जंगल में चरकर वापस आते हैं, हम उसको एक किलो यदि कैटल फीड देते हैं तो उसको सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पशुओं की बहुत है। इसलिए कैटल फीड के लिए मैं विशेषकर हमारे मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। तुरंत उन्होंने स्वीकृति तो दी है परंतु आदेश तुरंत देने की आवश्यकता है कि कैटल फीड जिले में कितने नम्बर के और कैसी व्यवस्था की जाए। डेयरी फैडरेशन के माध्यम से हर वर्ष आर्डर देते हैं, मुझे पता है कि फैडरेशन का काम संतोषजनक नहीं है। मुझे यह कहने में शंका नहीं। जब फेमिन खतम होता है तब माल लाकर डम्प कर देते हैं। तो जैसे भी व्यवस्था हो, अन्य कई संस्थाएं उस समय खड़ी होती हैं, कैटल फीड के बारे में मेरा विशेष निवेदन है।

मान्यवर, पश्चिमी राजस्थान में खादी का बहुत बड़ा काम होता है बीकानेर, जैसलमेर आदि में जहां रोज मजदूरी करके घर बैठकर रुपया कमा सकती हैं और अपना पेट पाल सकती हैं। तो मेहरबानी करके खादी व्यवस्था में भी आप उस ओर ध्यान करें।

मान्यवर, पूर्व में फेमिन के समय तकाबी ऋण की व्यवस्था की जाती थी राज्य सरकार की ओर से। जब से बैंक लोनिंग सिस्टम शुरू कर दिया है उस तकाबी को हम भूल गये। तकाबी में होता क्या था ? कि इन्सान खुद के लिए भी और मवेशी के लिए भी ऋण लेकर अपना चारा आदि क्रय कर सके। जब क्रय शक्ति नहीं है तो चारा लेकर पशुओं को कैसे बचाएगा ? 80 रुपय मण मेरे जिले में अभी चारा मिल रहा है, कितने पशु रखकर कितनों को खिला सकता है? यदि पैसा नहीं है तो क्या करेगा ? ये बैंक तो लोन देंगे नहीं। राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि तकाबी लोन की जो पूर्व व्यवस्था थी उस ओर भी हम चिंतन करें तो हम पशु बहुल क्षेत्र में पशु और इन्सान दोनों को बचा पाएंगे।

मान्यवर पानी की ओर मैं आपका ध्यान खींचूंगा। मेरे जिले में हमारा मुख्य धंधा पशुओं को पानी पिलाना ही हुआ करता था। इतने वर्षों में जो भी सरकारें आई हैं, मेरे जिले में काफी विस्तार हुआ है पेयजल योजनाओं का। परंतु जो कठिनाइयां हमारे आज हैं, इन वर्षों में हमने देखा है कि हमारे साधन सीमित हो गये। लम्बी लम्बी योजनाएं हैं, 30-30 किलोमीटर की योजनाएं हमारे क्षेत्र में बनी हुई हैं, पानी अंतिम छोर पर नहीं पहुंचता है। जो ट्यूबवैल आज से 10 वर्ष पहले चले थे उनकी सारी मशीनरी पुरानी हो चुकी है। वापस उस मशीनरी के रिनोवेशन के लिए बजट नहीं है। जो डिस्चार्ज पहले 10 हजार लीटर का था वह आज 2-3 हजार लीटर का रह चुका है। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जो भी पुरानी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें और नयी मशीनरी की व्यवस्था करें।

जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, हमारे जिले में इंदिरा गांधी नहर और उसकी ब्रांचेज आई हैं। गत वर्ष भी हमारे 12 करोड़ की योजना बनाई थी डी.डी.पी. में, दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार ने वह पैसा वापस ले लिया। मेरा यह आग्रह है कि जो भी क्षेत्र नहर से फीड कर सकते हैं, वह सारी योजना हमारी बननी चाहिए। आज से आठ वर्ष पूर्व हमने बाड़मेर

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

पेयजल लिफ्ट योजना बनाई थी और एक एक्स.ईएन. का कार्यालय बाड़मेर में खोला था। इन वर्षों में यह योजना पूरी हो जाती तो बाड़मेर-जैसलमेर की पेयजल समस्या को हम निपटा सकते थे लेकिन बाकी आठ वर्षों में काम नहीं हुआ। अभी मेरा पेयजल मंत्रीजी से निवेदन है कि बाड़मेर लिफ्ट योजना, पोकरण योजना, दोनों लिफ्ट योजना ली जाती हैं तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों की हम पेयजल व्यवस्था कर पा सकते हैं। मान्यवर, मेरे जिले में 55 टंकी हैं। अभी मेरे पास जिला कलेक्टर का नोट आया है कि 55 टैंकर पड़े हुए हैं। आधे टैंकर बेकार है। इनको रखकर हम एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी ले रहे हैं। इतने साधन बढ़ गये हैं प्राइवेट सैक्टर में और टैंकर्स और ट्राली लग चुकी हैं, ऊंट-गाड़े हमारे क्षेत्र में हो चुके हैं, हमें बैठकर सोचना चाहिए कि टैंकर से पानी पिलाना इकोनोमिकली वाइबल है या दूसरें साधनों से उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पेयजल नहीं दे सकते हैं, उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

हैण्डपम्प का मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा रीजन है, मेरा सुझाव है कि हैण्डपम्प का अलग से सब डिवीजन होना चाहिए। एक जनरल एक्स.ईएन. के जिम्मे हैण्डपम्प, ट्यूबवैल, नहर आदि सारी योजनाएं दी जाएं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जहां 200 से अधिक हैण्डपम्प हैं, एक अलग से डिवीजन या एक जे.ईएन. लगा दें जो बैठकर सारी योजना को कर सके, ऐसा मेरा सुझाव है।

महोदय, क्लस्टर की चर्चा नहीं करूंगा लेकिन कहूंगा कि हमारे ट्रेडिशनल सोर्स हैं, यदि उसमें हम क्लस्टर के माध्यम से एनीकट बंधवा दें या पूरा खड़ीन का काम करवा दें, खास तौर से मेरे जिले में हैं या जो नदियां चल रही हैं उन पर बांध बंधवा दें तो हमारे ट्रेडिशनल सोर्स से पानी की व्यवस्था हो जाएगी और हम केवल सरकारी साधनों पर आश्रित नहीं रहेंगे, मेरा ऐसा सुझाव है। मैं मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे जिले में अभी 15000 की लेबर चल रही है। आज ही मेरे पास रिपोर्ट मिली है कि 15,800 लेबर लग चुकी है लेकिन 10000 लेबर बढ़ानी चाहिए जैसलमेर जिले में, जिससे 25000 लेबर मई के महीने में लेकर हम काम करवा पाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : मान्यवर सभापति महोदय, अकाल और पेयजल के बारे में मैं अपने विचार रखूंगा। राजस्थान में हर दूसरे साल अकाल पड़ता है और डूंगरपुर में तो लगातार चाल साल हो गये हैं, बराबर अकाल पड़ता आ रहा है । अकाल से निपटने के बारे में सरकार ने, मैं समझता हूं कोई गम्भीरता नहीं अपनाई है। कई बार अकाल पड़ता है, अरबों रुपया खर्च हुआ है लेकिन अकाल से निपटारा नहीं पाया हैं। इसका मूल कारण यह है कि हमने जो भी कार्य किये हैं वह केवल मिट्टी डालने के जैसे किये हैं और जैसा अभी निर्णय किया है कि पक्के काम नहीं होंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि संबंधित जो भी विभाग हैं, सिंचाई है, पी.डब्ल्यू.डी. है, भू-संरक्षण है, इनमें अकाल से संबंधित जो भी कार्य कराये जा सकते हैं उसमें पक्के कामों

(श्री नाथूराम अहारी)

के लिए ज्यादा नहीं तो 30-40 प्रतिशत पैसा दिया जाए। रोड़ बने और उसकी पुलिया नहीं हो तो वह रोड किसी काम की नहीं है। संबंधित विभाग को अकाल राहत पर मंत्रीजी ने 25 प्रतिशत के लिए रियायत दी है लेकिन वह भी बहुत कम है। वैसे पिछले सालों में कई बार अकाल पड़ता आया है, कांग्रेस के शासन के पूर्व में डूंगरपुर जिले में सवा लाख की लेबर लगाई गई थी लेकिन बीच में बीजेपी की सरकार ने वहां पर बिलकुल लेबर नहीं लगाई, बहुत ही कम लेबर लगाई। काम अमुक गांव में हो रहा है और अकाल दूसरे गांव में पड़ा है,इस तरह की पोजीशन थी। पूर्व में कांग्रेस ने अकाल के टाइम में 8-8,9-9 आने गन्ने लेकर के...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : एक मिनट, माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : मैं यह निवेदन कर रही थी इस बारे में कि माननीय सदस्य जाते हैं और सीधे आसन से बात करते हैं, इस बारे में आसन से जब मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हुए थे तब उन्होंने व्यवस्था दी थी, मावलंकर के हवाले से दी थी कि यह गलत परम्परा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में भी मैं लगातार देख रही हूं कि जाते हैं, मिनटों तक बात करते हैं, कई मिनट तक, यह भी नहीं कि एक सैकण्ड में बात करके चले आयें, मिनटों तक बात करते हैं और आसन बात सुनता रहता है। गलत परम्परा है आसन को इतना उदार नहीं होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सही बात है।

श्री सभापति : मैं जानकारी करता हूं।

श्री नाथूराम अहारी : महोदय, मैं बात कर रहा था कि अकाल में कांग्रेस ने किस तरह की व्यवस्था की थी और अभी भी काफी कुछ व्यवस्था की है। अभी डूंगरपुर जिले में 35,000 लेबर की सीमा है, वह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मई में 50,000 की लेबर लगाएं और जून में मैं समझता हूं, एक लाख तक लगाएंगे तो ही ठीक रहेगा। सिंचाई विभाग में जो बांध बनते हैं उस बांध पर रेत निकालने के बारे में कहीं कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैंने 1984 में हाउस में यह बताया था कि जितने भी बांध हैं वे सारे रेत से भरे रहेंगे, पानी से नहीं भरे रहेंगे। इस बारे में मेरी मान्यता है कि जहां भी नदी पर या नाले पर बांध बने उसमें रेत निकालने की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो आने वाले 10-15 सालों में वे सारे बांध रेत से भर जाएंगे। मेरे 2-3 बांध तो बिलकुल भर गये हैं, उनमें एक इंच भी पानी नहीं रहता है। पूरा का पूरा जो भी बांध बने उन बांधों पर यह व्यवस्था होनी चाहिए।

साथ ही मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूं कि डूंगरपुर या उदयपुर डिवीजन पहाड़ी प्रदेश है, वहां पर आप हर 15 किलोमीटर पर स्टोरेज एनीकट या तालाब बांधें तो मैं समझता हूं कि हमारी यह जो समस्या है, वह काफी कुछ हल हो सकती है। लेकिन ऐसा करते नहीं हैं, सुनकर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरी मांग है कि हर 15 किलोमीटर पर स्टोरेज बांध या एनीकट बांधा जाए जिससे पानी वहां भरा रहे और जल स्तर

(श्री नाथूराम अहारी)

कायम रहे। अब समय आ गया है, मैं यहां पर कहता हूं कि बरसात का पानी एक बूंद भी बहकर नहीं जाए, यह योजना हमें बनानी चाहिए तब जाकर यह समस्या हमारी हल हो सकती है। वैसे विषय यह नहीं है लेकिन हमारे यहां बरसात नहीं होने का कारण यह है कि जंगल नहीं है और जंगल नहीं होने का कारण यह है कि हमारे ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हमने नहीं की इसलिए यह हो रहा है। विरोधी दल और सत्ता पक्ष, दोनों मिलकर गम्भीरता से विचार करें तो मेरा ऐसा मानना है कि यह समस्या कोई बड़ी नहीं है, यह हल हो सकती है। मैं तो यह भी कह रहा हूं कि पेड़ लगाने के बारे में सरकारी कर्मचारी , मंत्री और एम.एल.ए. सबको एक अभियान के बतौर कहना चाहिए कि हर व्यक्ति 10-10 पेड़ लगाएगा अपनी जमीन में। अपनी खुद की जमीन में लगाए या जंगल में 10-10 पेड़ लगाए, चाहे अफसर हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस तरहे से हमने किया तो, मैं समझता हूं, जंगल की बरबादी जो हुई है वह पुन: हम ठीक कर सकते हैं और इससे पानी वापस आ सकता है। यह मेरी मांग है।

अभी मैंने एक प्रश्न किया था सिंचाइ विभाग से कि डूंगरपुर पंचायत समिति में कोई ऐसा बड़ा तालाब नहीं है जिससे डूंगरपुर पंचायत समिति को पानी दिया जा सके। सरकार के लम्बे हाथ हैं, गंगा का या इन्दिरा गांधी नहर का पानी राजस्थान के पश्चिमी जिलों को दिया जा सकता है तो डूंगरपुर को भी जहां पानी नहीं है और पानी बह कर जाता है उसको रोक कर दिया जा सकता है। मैंने कागदर बांध के लिए कहा था कि उसको ऊंचा उठा दिया जाए। चूंकि कागदर बांध दो सौ अस्सी मीटर ऊंचा है और डूंगरपुर दो सौ सत्तर से दो सौ पचास के बीच में है, तो उस पानी को आराम से लिया जा सकता है। लेकिन सरकार पहले भी गम्भीर नहीं थी और अभी भी मैं समझता हूं कि इसका उत्तर बिलकुल गलत दिया है।

एक दोलवरियों का ओड़ा जो निर्माणाधीन है, मैंने पूछा कि डूंगरपुर जिले के लिए पानी दिलाने के लिए कोई योजना है ? तो उत्तर दिया है कि दोलूड़ी का ओड़ा से पानी दिया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। लेकिन दोलवरिये के ओड़े का पानी केवल एक पंचायत को दिया जाता है, उनको पता नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि कागदर बांध से पानी डूंगरपुर पंचायत समिति को देने के बारे में योजना बननी चाहिए, बिलकुल किनारे पर है, जो नहर बनी है उसी नहर से वह पानी दिया जा सकता है।

इसके बाद मैं पेयजल के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। पेयजल के बारे में अक्सर यह हुआ है कि जहां भी तालाब दिखा, जहां पानी दिखा वहां से शहर में पानी देने के लिए सरकार उतावली हो जाती है। मेरे यहां भी डेमिया और पाटली दो बड़े तालाब हैं, स्टोरेज हैं, उनसे नहर नहीं है, लेकिन गत आठ-दस सालों में शहर को पानी देने के बारे में उन दोनों तालाबों से पानी लिया गया। फलस्वरूप नीचे की जितनी भी पंचायतें थीं वे सारी की सारी बिलकुल पानी के अभाव में मर रही हैं। तालाबों में, कुओं में और हैण्डपम्पों में पानी बिलकुल सूख गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्टोरेज बांध और एनीकट होने चाहिए,

(श्री नाथूराम अहारी)

ये हमारे दोनों बांध स्टोरेज थे। अब हमने डूंगरपुर शहर के लिए पानी देकर सारे एरिया को सुखा दिया है। जलदाय मंत्री मेरे खयाल में हैं नहीं पर नोट कर रहे हैं तो डूंगरपुर शहर के लिए मैं सुझाव देता हूं कि पास में दो नदी हैं, उनके ऊपर तीन एनीकट बनाये जाएं।

(14.40 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं कभी से कह रहा हूं, तीन एनीकट बनाये जाएं। उस नदी में पानी है लेकिन अगर एनीकट होंगे, स्टोरेज बांध होंगे तो डूंगरपुर जिले को भी पानी दिया जा सकेगा और जो डेमिया और पाटली तालाब से पानी देकर पूरे एरिया को सुखाया जा रहा है वह भी नहीं होगा। हमारे पूरे जिले को फायदा होगा।

हैण्डपम्पों के बारे में कहना चाहूंगा कि हैण्डपम्प बिलकुल सूख गये हैं, पाइप हैं नहीं। पाइप के बारे में माननीय अकाल राहत मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी डूंगरपुर पधारे थे, इन्होंने एक सुझाव दिया था और वहीं से पाइप लाने की व्यवस्था की थी पर मुझे लगता नहीं है कि उतने पाइप ये कर पाएंगे। मेरी मांग है कि पाइप जल्दी से जल्दी भेजे जाएं और हैण्डपम्पों की दुरुस्ती की जाए। इस साल भयंकर अकाल है, वहां बिखरी आबादी है, बड़े कस्बे नहीं हैं, बड़े कस्बे होते तो हम टैंकर से पानी पहुंचाते। पर ऐसी बात नहीं है, मीलों तक घर बने हुए हैं उनको पानी देना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हैण्डपम्पों की भी ज्यादा से ज्यादा स्वीकृति दी जाए। अभियान को तेज किया जाए तभी जाकर डूंगरपुर जिला अकाल और पेयजल की समस्या से दूर हो सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल और जलदाय पर जो समीक्षा हो रही है उसमें मैं भी सम्मिलित होना चाहूंगा। पिछली बार कांग्रेस का शासन बनते ही अकाल की स्थिति थी और इस साल भी भयंकर अकाल की स्थिति पूरे प्रदेश में है। मैं जिस जिले से आता हूं ,जालौर जिले से, उसमें जो बाड़मेर और रणकच्छ का लगता हुआ इलाका है वहां बार-बार अकाल की दृष्टि से लोगों को पीड़ित रहना पड़ता है। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अकाल के तहत दौरा किया वह सबसे पहले हमारे जालौर और सिरोही इलाके का ही किया। मगर आज वहां चारे की स्थिति बहुत ही भयंकर बनी हुई है। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई है पतमेड़ा गौशाला, उसके लिए पहले तीन रुपये और बाद में कुछ आठ एक रुपये थे। मुख्य मंत्रीजी स्वयं वहां पधारे और उन्होंने उन महाराजजी के कहने से दस रुपये की आम गायों के लिए घोषणा की। वे धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि वाकई वहां पर बहुत ही भयंकर समस्या बनी हुई है। वहां चारा दूरदराज से लाना पड़ता है,और रेलवे मार्ग से हमारा इलाका कटा हुआ है, रेल वहां आती नहीं। हमारे एम.पी. साहब हैं बूटासिंह जी , वे कभी-कभार एक-दो गाड़ी चारे की लाये , वह भी सिरोही तक ही अटक गई। सिरोही तक ही चारा आता है और सिरोही से सांचौर कम से कम डेढ़ सौ,

(श्री हीरालाल विश्नोई)

दो सौ किलोमीटर पड़ता है, वहां वह चारा नहीं पहुंचता। इसलिए मैं आपकी मार्फत अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वाकई हमारे वहां चारे की समस्या है। पहले गुजरात से हम चारा ले आते थे, हमारे सबसे नजदीक गुजरात पड़ता है मगर गुजरात में भी भयंकर अकाल है। रणकच्छ में आपने पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सुना होगा कि वहां पर भी भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है, वहां भी चारे की बड़ी कमी है। मेरा आपकी मार्फत एक सुझाव है कि अगर इंदिरा नहर योजना पर आप चारा उगाएं तो यह रोज-रोज की समस्या का समाधान हो सकता है। दूरदराज से चारा न तो वहां बराबर पहुंचता है और जिस तरीके का जो चारा वहां पहुंचता भी है उस चारे से जिसको खाखला कहते हैं, जो गेहूं का खाखला आता है पंजाब वगैरह से, वह खाकर गायें जीवित भी नहीं रह सकतीं, यह हालत उन गायों की बन जाती है। जब तक हरा घास नहीं मिलता उन गायों को बाजरे के डोंके होते हैं उनकी जो तूड़ी होती है उसकाचारा नहीं मिलता है, गायें वहां ज्यादातर बीमार रहती हैं। पतमेड़ा में अभी बीच में कई तरह की बीमारी होने के कारण हमारे पशुपालक मंत्री महोदय वहां पधारे थे, उन्होंने वहां तत्काल व्यवस्था करके एक हास्पिटल खोला, डाक्टर लगाया। इसलिए हमारी सरकार तो पूरी संवेदनशील है, पर्यापत मात्रा में कोशिश कर रही है, मगर अब भगवान ही रूठ जाए तो क्या किया जाए। फिर भी सरकार के ऊपर गांव के लोगों की आस्था टिकी हुई है। अकाल राहत कार्यों के अंदर काफी काम खोले हुए थे मगर अब एक पंचायत में कम से कम चार-पांच हजार लोग रहते हैं, पांच हजार के अंदर अगर आप एक नाड़ी देंगे और खाली चालीस श्रमिक लगेंगे तो फिर गांव में एक तो झगड़े होंगे और अकाल राहत के नाम पर उनको कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो श्रमिक आपको वहां पर बढ़ाने पड़ेंगे। आप वहां पर मजदूर नहीं बढ़ाएंगे तो वहां पर भयंकर स्थिति बनी हुई है। पहले गुजरात में चले जाते थे, पड़ोस के गांव में मजदूरी करने चले जाते थे मगर गुजरात में भी भयंकर अकाल होने के कारण अब वे लोग कहां जाएं ? इसलिए बड़ी ही दयनीय स्थिति हमारी बनी हुई है, खासकर जालौर जिले में हमारे सांचौर में। जालौर जिला और सांचौर यहां से कम से कम आठ-नौ सौ किलोमीटर की दूरी पर है और गुजरात का बार्डर लगता हुआ रणकच्छ का इलाका है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 63 पंचायतें हैं। 63 पंचायतों में से 42 पंचायतों में कोई साधन नहीं है वहां पर। उनके न तो मजदूरी का साधन है, न पानी का साधन है। वहां पर अण्डर ग्राउंड वाटर भी नहीं है क्योंकि रणकच्छ का लगता हुआ इलाका है वह जमीन खारी है। जमीन खारी होने की वजह से चाहे हम कुए भी खोदें तो भी वह पानी भयंकर खराब आता है। इतनी बड़ी कांस्टीट्यूएंसी होने के बावजूद अब जालौर में आपने खाली 25-30 हजार की अनुमति दी है। बाड़मेर और जालौर एक जैसा इलाका है। बाड़मेर की हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करते हैं मगर बाड़मेर और हमारे इलाके में कोई फर्क नहीं है।

श्री अमीन खान : 16 लाख की आबादी का जिला है...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : 16 लाख की

(श्री हीरालाल विश्नोई)

आबादी बाड़मेर और जैसलमेर को मिलाकर है और हमारी भी 14-15 लाख से कम नहीं है पापुलेशन।

श्री अमीन खान : (व्यवधान)... 16 लाख की आबादी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : पापुलेशन हमारे वहां भी कम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बराबर की मांग कर रहा हूं कि हमारा भी बड़ा जिला है और हमारे भी भयंकर समस्या है। श्रमिकों का जिस तरीक से आपने मापदंड बनाया है उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से दो-तीन बार मिला था और लिखकर भी दिया था मगर अभी तक भी वहां पर कुछ नहीं हुआ है, हालांकि मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि हम अगले महीने या इसी महीने बढ़ाने जा रहे हैं। मेरा आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम मेरे इलाके में जालौर जिले में 40 हजार श्रमिक लगने चाहिए। जब तक मेरे सांचौर में कम से कम 10-15 हजार, 20 हजार लोग नहीं लगेंगे, तीन लाख की आबादी में हम उनको न्याय नहीं दिला सकेंगे इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 40 हजार श्रमिकों की वहां अनुमति दिलाएं। हमारे नेड़ इलाके को मुख्य मंत्रीजी ने अच्छी तरह से देखा है, अध्यक्ष के नाते वहां पधारे थे उस टाइम जब नेड़ में गये थे तो रास्ते में मुझसे बात कर रहे थे कि जब यहां बरसात नहीं हो तो लोग कैसे जीवित रहते हैं ? मैंने कहा कि साहब, हिन्दुस्तान के लोग हैं और हमारे लोग बड़े मजबूत हैं, भगवान के भरोसे ही जिन्दा रहते हैं क्योंकि वहां पर कोई साधन नहीं है। अब साधन नहीं है तो...

श्री उपाध्यक्ष : सब आप जैसे ही मजबूत हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य था कि मुख्य मंत्रीजी के हमारे नेड़ इलाके के उन गांवों में जाने के बाद उनको यह बात ध्यान में रही थी, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। पहले ही आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात लिखाई थी कि जालौर जिले में और नेड़ इलाके सांचौर में कोई कंटिंजेंसी प्लान बनाकर इस इलाके को विकसित करना उचित है। वहां पर ये हालात बने हुए थे उसे देखकर उन्होंने किया था, मैं उनका आभारी हूं। हमारे नेड़ इलाके में एनीकट बांध काफी खुले हैं 1990 के बाद। जब 1990 की बाढ़ आई थी तो 1990 की बाढ़ में हमारे यहां सौ-डेढ़ सौ एनीकट बांध पूरे टूट गए थे। पिछले टर्म में मैं पांच साल लगातार यहां पर यह प्रयास करता रहा कि हमारे यहां एनीकट बांध बन जाएं मगर जो सरकार पिछले पांच साल थी, हमारे कई पुराने मंत्रीगण यहां बिराजमान हैं, पुराने मंत्री कई दौरे वहां करके भी आए थे मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज दिन तक हमारे यहां कोई एनीकट बांध नहीं बंधा। हमारी सरकार बनते ही एक जो हमारा केरिया और चितलवाना का एनीकट बांध बंधा उससे, उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल में भी 30 गांवों के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिला और ज्वार, वगैरह हरी घास वहां हुई। तो ऐसे हमारे पूरे एनीकट बांध बन

(श्री हीरालाल विश्नोई)

जाएं और जो पानी पूरा का पूरा पाली, सिरोही से सांचौर होता हुआ रणकच्छ में जाता है, वह पानी अगर जाए तो काफी हमको उसका फायदा मिलेगा, हमारे वहां की जनता को फायदा मिलेगा और खासकर हमारे जलदाय मंत्रीजी को इस बात की राहत मिलेगी कि वहां के कुओं में पानी ऊपर आ जाएगा। इसलिए जितने भी हमारे एनीकट बांध टूटे हुए हैं उनके बारे में मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि वे बंधाये जाएं। दूसरा जो जलदाय वाली बात थी, मंत्री महोदय, मेरे तो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : जलदाय मंत्री से तो आप रोज ही मिलते हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : जलदाय मंत्रीजी से तो अभी कहना शुरू ही किया है, आपने पहले ही घंटी बजा दी। वाकई मेरे वहां...

श्री रामसिंह विश्नाई : मेरे से भी मिलते हैं और मुख्य मंत्रीजी से भी खूब मिलते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : बिना कहे की कर देंगे आपका।

श्री हीरालाल विश्नोई : कहने से कुछ नहीं होता, उपाध्यक्ष महोदय। जलदाय मंत्रीजी ने मंत्री बनते ही पूरे राजस्थान का दौरा किया मगर उस दौरे से हमें जो राहत मिलनी चाहिए, गर्मी के सीजन में जो प्लान बनना चाहिए वह प्लान नहीं बना हालांकि पिछले 4-6 महीने में काफी व्यवस्था सुधरी भी है। यह जो लिस्ट है 20 गांवों की, इन 20 गांवों में आज जे.एल.आर. बना हुआ है, पाइप लाइन लगी हुई है मगर 8 साल से, पांच साल से मैं इनसे तो कोई उम्मीद नहीं रखता था, हर एक सत्र में बोलता था मगर कोई काम नहीं हुआ मगर अब इनसे तो उम्मीद करूंगा कि 8 साल के बाद इन 20 गांवों में पानी जाना चाहिए। मैं ये गांव आपकी मार्फ़त इनको गिनाना चाहूंगा, सागड़वा, परावा, रतनपुरा, रामपुरा, बोमी, ईशरोद, राणुदा, मेघवालों की ढाणी रतनपुरा, खेलिया, चीतलवाणा, सायर का कोशिदा, कुम्हारों की ढाणी अगरावा, राइका, वरणवा, मण्डावली, कोलियों की ढाणी, साकरिया। यह कोलियों की ढाणी साकरिया जो है, वहां पर तत्कालीन मंत्री श्री भंवरलालजी को मैं दौरे पर लेकर गया था। वहां जो जे.एल.आर. था वह इन्होंने देखा था। पांच साल पहले भी वह जे.एल.आर. बना हुआ था, पाइप लाइन लगी कागजों में मगर मौके पर वो पाइपें नहीं थीं और आज भी वही हालत है। अब बताएं इस तरह की स्थिति अगर रहेगी तो हम किससे उम्मीद करेंगे। धन्ना की ढाणी, बिछावाड़ी, लालों की ढाणी बिछावाड़ी, ई ों की ढाणी सरवाना, सुथालों की ढाणी पालरी सोतक्या, जोगियों की ढाणी ऐसे कई गांव हैं आज जो जे.एल.आर. से जुड़े हुए हैं, पाइप लाइन लगी हुई है। कई पाइप लाइन निकल भी गई, वहां पर पानी नहीं जा रहा है। इसी तरीके से जो यह हमारी टांपी में स्कीम बनी हुई है वहां पर तत्कालीन मंत्रीजी ने निर्देश दिये थे। टांपी का पानी खारा हो गया तो बंधा कुएं के पास में 1996 में पांच ओपन वैल खुदे और इलैक्ट्रिसिटी के पैसे भर दिये, मगर सिर्फ तीन किलोमीटर पाइप लाइन के लिए हमारे नेड़ क्षेत्र के 20 गांव खारा पानी पी रहे हैं आज भी। वह पानी ऐसा खारा है कि उस पानी की चाय नहीं बनती, चाय फट जाती है। ऐसा

(श्री हीरालाल विश्नोई)

पानी उन लोगों को पीना पड़ता है सिर्फ 3-4 किलोमीटर पाइप लाइन के लिए। इसी तरीके से हमारी चीतलवाना और रतनपुरा जो स्कीम थी उस स्कीम में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वहां पर समस्या ज्यादा है, मैं मेरी समस्या के अलावा बात नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य समस्या की बात करेंगे यहां पर, बाकी क्या करेंगे ?

श्री हीरालाल विश्नोई : तो वह जो स्कीम थी, सी.आर.सी. के अन्दर 60 लाख रुपये भारत सरकार से मंजूर हुए। लेकिन वह पानी खराब हो चुका था। यहां कभी हम कहते हैं अधिकारियों को कि आप यहां पर ट्यूबवैल बना लीजिए, तो यहां पर जियोलोजिस्ट जो होता है वह यह कहता है कि यहां पर पानी ठीक नहीं है। रतनपुरा चीतलवाना जो स्कीम थी उसका पानी खराब था। मैंने कहा कि आकोली की स्कीम से इस गांव को जोड़ दें, बड़ा गांव है वहां पर तीन तो बड़े-बड़े एस.आर. बने हुए हैं जो नहर क्षेत्र को पानी सप्लाई करना था। हमारे पाइप नहीं लगी, हमारी स्कीम नहीं बनी तो फिर सरकार का धन दुरुपयोग करने के लिए वहां इतनी बड़ी एस.आर. बना दी, इतने जे.एल.आर. बना दिये उसका क्या औचित्य रहा ? इस तरह सरकार के धन का दुरुपयोग भी होता है और लोगों के काम नहीं आता है। इसी तरीके से हमारे वहां कई ऐसे जे. एल.आर. बने हुए हैं जो गांव से बाहर अधिकारियों ने एक किलोमीटर दूर बना दिए, उससे न तो गांव वाले पानी पी सकते और न वहां गांव में पानी जाता है। देवड़ा गांव में एक एस.आर. है, जो हमारे यहां तूफान आया था उस तूफान में वह जर्जर हो गई।

(15.00 बजे)

आज दिन तक उसकी कोई निगरानी नहीं हुई, उसका कोई कार्य नहीं हुआ। हमनें कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा, उनसे व्यक्तिगत भी मिले मगर वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1990 में जब बाढ़ आई उस बाढ़ में दो-चार गांवों में पाइप लाइन टूटी। 1990 की बाढ़ के बाद 60 लाख रुपये मंजूर हुए। बरणवा गांव में सैकण्डरी स्कूल के पास आधा किलोमीटर जो पाइप लाइन टूटी थी वह आज भी ठीक नहीं हुई है, बरणवा गांव आज भी प्यासा बैठा है। वह धन कहां गया ? 60 लाख रुपये मंजूर हुआ वह कहां गया ? इसी तरह कंटिंजेंसी में पैसे मंजूर होते हैं, उन्हीं कुओं की खुदाई कर देते हैं, गहरा कर देते हैं। पता नहीं वे पैसे कहां जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील हैं, प्रयास करते हैं फिर भी अगर ये काम नहीं होते हैं तो फिर हम किससे कहें ?

श्री उपाध्यक्ष : फिर भगवान मालिक है।

श्री हीरालाल विश्नोई : हम किससे मांग करेंगे ? इसलिए मैं आपकी मार्फत इस पवित्र सदन में यह कहना चाहूंगा कि जो ऐसी कार्यवाहियां होती हैं उनके लिए तत्काल प्रयास करें ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

जलदाय मंत्रीजी हमारे यहां के प्रभारी मंत्री भी हैं, अकाल की जो व्यवस्था हमारे यहां

(श्री हीरालाल विश्नोई)

बनी हुई है वह आप स्वयं देखकर आये हैं। मैन बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि पानी की समस्या का समाधान आप सही तरीके से करना चाहें तो जो यह नर्मदा नहर है यह जब तक हमारे इलाके में नहीं आएगी तब तक हमारे यहां पानी की समस्या का समाधान मेरे खयाल से निकलेगा नहीं। अधिकारीगण रोज ऐसी स्कीमें बनाते हैं, कई स्कीमें बनाकर यहां भेजते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह। आप तो नर्मदा पहुंच गये, नर्मदा कहां आगे आ रही है ? बिराजिए प्लीज।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में ही पूरा कर रहा हूं। जो स्कीमें बनाई हुई थीं वे पिछले एक डेढ़ साल से यों की यों पड़ी हुई हैं। पादेड़ी से हेमागुढ़ा, परावा से रतनपुरा, सुरावा से हाडेजा, सांकड से पालड़ी, हरियाली से जाखल, केरिया से सिसावा और जालबेरी से डूंगरी, ये स्कीमें वहां पड़ी हैं। इसी तरीके से सुरावा-सांचौर की और नहर इलाके की जो स्कीम थी, आपकी मार्फत दो करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, काम भी शुरू हुआ। मुख्य मंत्रीजी और आप स्वयं वहां पधारे थे, उस योजना का उद्घाटन भी नहीं हुआ। आज वह पानी वहां पहुंचा नहीं तो अब कब पहुंचेगा ? गर्मी निकल जाएगी। दो-दो करोड़ रुपया खर्च हो गया और वहां पर पानी नहीं पहुंचा। मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हमारी तकलीफें हैं इन समस्याओं का समाधान आप जरूर करवाएं ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री अमराराम (धोद) : पाइंट आफ इंफारमेशन। उपाध्यक्ष महोदय, आज महिला अधिकार दिवस है और हमारी विधान सभा के सामने...

श्री उपाध्यक्ष : अकाल पर बहस होने दो, क्यों दखल कर रहे हो आप ?

श्री अमराराम (धोद) : आपको इंफारमेशन ही दे रहा हूं। महिला अधिकार दिवस पर आज हवाई अड्डा विस्तार योजना में एक हजार परिवारों को बगैर मुआवजा दिये वहां से खदेड़ने की योजना लागू की जा रही है, जिसके विरोध में वहां की महिलाएं सैंकड़ों की संख्या में राजस्थान विधान सभा के सामने इस 45 डिग्री टैम्प्रेचर में पिछले तीन घंटे से बैठी हैं, इस भावना के साथ कि राजस्थान सरकार उनकी समस्याओं को सुनेगी। लेकिन तीन घंटे लगातार धूप में बैठने के बाद भी राजस्थान सरकार उनका ज्ञापन लेने तक के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं तो आपको इंफारमेशन देना चाहता हूं कि उनका ज्ञापन सरकार को दिलवाइए जो तीन घंटे से इस धूप में बाहर बैठी हैं। हम तो यहां एअर कंडीशन में बैठे हुए हैं। 15 साल से जो वहां बसे हुए हैं उनको बगैर कोई मुआवजा दिए हुए सरकार उजाड़ रही है और महिलाएं विधान सभा के सामने इस विश्वास के साथ आई हैं कि सरकार हमारी सुनेगी और व्यवस्था करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका बोलने का काम खतम हो गया। माननीय सुमित्रा सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में बहुत गंभीर बात है। सर्वोच्च सदन के सम्मुख कोई वर्ग अपना प्रतिनिधिमंडल...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो आप। मंत्रीजी से सम्पर्क कर उनसे मिलवा दो।

डा.किरोड़ीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, तपती धूप में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नई बात नहीं है। आप मंत्रीजी से मिल लो, एक डैलिगेशन उनसे मिलवा दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप एक महिला के अधिकार का भी हनन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी से मिलवा दो।

डा.किरोड़ीलाल : आप निर्देशित करो, इस सरकार का कोई मंत्री जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई मंत्री जाए उनसे बात तो करे।

श्री उपाध्यक्ष : संबंधित मंत्रीजी से बात कर मिलवा दो उनसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के न आंख हैं, न कान हैं, यह सरकार देखती नहीं, सुनती नहीं। आप निर्देश दें, आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। माननीय सुमित्रा सिंहजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं आसन की और सरकार की आभारी हूं कि उन्होंने हमें अकाल और पेयजल की समस्या पर अपनी पीड़ा व्यक्त करने का मौका दिया और हमसे सुझाव भी मांगे कि किस प्रकार अकाल की विभीषिका से लड़ा जाए।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जिस समय राजस्थान का निर्माण हुआ था, कुछ ऐसी ही ग्रह स्थिति रही होगी कि अकाल और राजस्थान दोनों जुड़वा भाई बन गए। जब से राजस्थान का निर्माण हुआ है, केवल 6 वर्ष ही ऐसे निकले है कि जब अकाल नहीं पड़ा, बाकी हमेशा ही राजस्थान में किसी न किसी हिस्से में अकाल पड़ता रहा है। कभी अकाल की विभीषिका कम और कभी ज्यादा यहां पर रही है। फेमिन कोड 1962 में बना, उसमें लिखा गया कि जब कभी लगातार दो साल तक अकाल रहेगा तो स्केअरसिटी माना जाएगा और जब अकाल की विभीषिका और तेज हो जाएगी, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी तब वह फेमिन में माना जाएगा। इसीलिए राजस्थान सरकार ने जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, पूरा ध्यान नहीं पड़ता, कभी इसे अकालग्रस्त नहीं माना है, हमेशा अभावग्रस्त ही माना है और अभावग्रस्त मान कर अकाल के काम शुरू किए हैं। अकाल और अभाव में बहुत फर्क है, बताऊंगी आपको।

मैं निवेदन कर रही थी कि यह सरकार तो संवेदनशील भी है, पारदर्शी भी है और जवाबदेह भी है। जब 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब 1998 में अकाल घोषित किया गया था 30.9.98 को, मतलब सितम्बर के महीने में। जब यह जवाबदेह और संवेदनशील सरकार आई तो इन्होंने अकाल और अभाव की स्थिति को माना जनवरी के महीने में। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

को निर्देश दिया है जनवरी के महीने में, शायद 30 जनवरी को और 16 फरवरी, 2000 से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये पंचायतों के चुनाव लड़ रहे थे, इन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि लोगों को किस प्रकार से अकाल से राहत दी जाए। पंचायतों के चुनाव ज्यादा जरूरी थे और इसलिए काम प्रारम्भ हुआ फरवरी के महीने में, यह मेरा इस संवेदनशील सरकार पर आरोप है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, आज के ही अखबार में है कि 50 हजार भेड़ों का निष्क्रमण यहां से हो गया। मैं जिस जिले से आती हूं वहां के लोग उद्योग धंधों के लिए जिला छोड़ते हैं, अकाल के लिए जिला नहीं छोड़ा करते हैं, चाहे वे मर जाएं। भूखो मर जाएंगे लेकिन पलायन नहीं करते हैं। इसलिए मेरे जिले की बात नहीं है। आज भी मारवाड़ के अंदर कई जिले ऐसे हैं, अजमेर भी उनमें आता है, उनकी आदत है, जब कभी अकाल पड़ता है तो वे अपने पशुओं को लेकर पलायन कर जाते हैं। ऐसा आज नहीं है बल्कि वर्षो से यह परम्परा चली आ रही है। राजाओं के जमाने में, सामन्ती युग में भी यह प्रथा थी और आज भी उसी तरीके से पशुपालक पलायन कर रहे हैं।

अकाल की विभीषिका के बारे में, मैं समझती हूं, इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 32 जिलों में से 26 जिलों में और 37,000 गांवों में से 23406 गांवों में अकाल की स्थिति है। इसलिए यह तो सर्वमान्य तथ्य हो गया कि अकाल की विभीषिका बहुत अधिक है। सरकार ने इतनी देर से काम क्यों शुरू किये ? अकालग्रस्त घोषित करने की अपनी घोषणा इतनी देर से क्यों की ? आज मेरे पास श्वेत पत्र नहीं है जो आपने जारी किया था, लेकिन श्वेत पत्र में बताया था कि नैचुरल कैलेमिटीज के लिए जो 75 प्रतिशत भारत सरकार का और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान होता है उसमें इस बार आपने यहां पर प्रावधान किया था 207 करोड़ का और पिछले पूरे 5 साल का पैसा 200 करोड़ से भी अधिक जहां तक मुझे याद पड़ता है, बचे हुए थे। 21 करोड़ आप मान रहे हैं और 207 का प्रोविजन था तो फिर इतनी देर से काम क्यों शुरू किया, क्यों नहीं समय पर किया ? और अब तो 102 करोड़ रुपये और मिल गए। यदि 207 का आपने प्रावधान किया था, 102 करोड़ और मिल गए और 5 लाख टन अनाज मुहैया हो गया तो फिर अब कौनसी परेशानी रह गई ? मैं आपसे फूड फार वर्क के अन्दर एक निवेदन कर देना चाहूंगी कि आपने 5 लाख टन अनाज ले तो लिया पर यह अनाज कैसा है ? यह वर्षों से खुले में पड़ा हुआ है। खुले में पड़ा हुआ अनाज है तो उसकी क्या परिस्थिति होगी ? लोग उसे लेना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे ? आप उसको कैसे वितरित करेंगे ? कहां उसको रखेंगे ? 5 लाख टन अनाज को अलग-अलग जिलों में बांटने की क्या व्यवस्था होगी ? महीने-डेढ़ महीने बाद बरसात आ जाएगी, क्या खुले में पड़ा हुआ अनाज भीगेगा नहीं ? उसके वितरण की आपने क्या व्यवस्था की है ? कौन उसे बांटेगा ? और जो नहीं लेगा उसके लिए आप क्या करेंगे ? 5 लाख टन गेहूं आपने ले तो लिया लेकिन 5 लाख टन गेहूं का जो आपको अलाटमैंट मिला है उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसके बारे में आपको विस्तृत तौर से व्यवस्था करनी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पड़ेगी, इसका संचालन कैसे किया जाएगा यह सब आपको देखना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि आज राजस्थान के अन्दर सिंचित भूमि तो करीब-करीब 33 प्रतिशत है, बाकी 67 प्रतिशत जमीन बारानी है, उसमें सिंचाई नहीं होती है। वहां पर आज सब तरह की समस्याएं हैं, पशुओं के लिए भी हैं। राजस्थान में 440 लाख इंसान हैं तो साढ़े पांच करोड़ पशु भी हैं। अकाल के समय में इन पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था और इन्हें जिंदा रखने के लिए फोडर की व्यवस्था का सवाल आता है। अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि आपने जो भुगतान किया है वह चार रुपये 60 पैसे किया है और घोषणा आपकी 60 रुपये रोज की है। यह टास्क फोर्स के आधार पर किया, कैसे किया, कैसे नहीं किया लेकिन चार रुपये साठ पैसे भुगतान वाली बात या तो सही नहीं है और यदि सही है तो फिर सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है कि सरकार घोषणा करे 60 की और भुगतान करे चार रुपये साठ पैसे। यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि आप पता लगाएंगे इस बात का और पता लगाकर आप जवाब देंगे कि क्या यह बात सही है। यदि सही है तो 60 रुपये मजदूरी का मतलब और तात्पर्य क्या रहा? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, मुझे लगता नहीं कि ऐसा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज सबसे बड़ी समस्या जिसे कहना चाहिए, पशुओं का निष्क्रमण है। जहां कहीं पर निष्क्रमण का रास्ता है वहां पर 10-10, 12-12 किलोमीटर की दूरी के ऊपर चारे के डिपो होने चाहिए ताकि लोग अपने पशुओं के लिए चारा ले सकें। यह चारे की व्यवस्था भी सरकार को मुफ्त करनी चाहिए क्योंकि जो निष्क्रमण करके जा रहा है उसके पास पैसा नहीं है। यदि पैसा होगा तो वह अपना घर नहीं छोड़ेगा। आजादी के 50 साल के बाद आज कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन मजबूरी में जब राम ही रूठ गया तो उसको घर छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए राज की जिम्मेदारी है कि निष्क्रमण के रास्ते में 10-12 किलोमीटर की दूरी पर मुफ्त चारा डिपो खोले।

इसी तरह से पानी की व्यवस्था करे क्योंकि पशुओं के लिए पानी भी बहुत जरूरी है। आदमी तो फिर भी पूरे दिन में दो किलो पानी से काम चला सकता है लेकिन पशुओं का काम नहीं चलता है, इसलिए आपको उनके निष्क्रमण के रास्ते के ऊपर पानी की व्यवस्था भी करनी होगी।

इसके अलावा उसकी दवा-दारू के इंतजाम के लिए कुछ दूरी के ऊपर आपको...(व्यवधान) आप तो इस बात को बहुत गम्भीरता से ले जाते हैं। यह एक प्रचलित शब्द है दवा और दारू, दारू का मतबल आप वाली शराब से थोड़े ही है ? वहां पर दवा का इंतजाम होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दवा के साथ दारू का नाम कैसे आ गया ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि निष्क्रमण के रास्ते में 50-60 किलोमीटर की दूरी पर पशुओं के लिए दवा का इंतजाम भी करना चाहिए। वहां डाक्टर होने चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए तभी आप इन पशुओं को बचा सकेंगे। यदि आपने यह सोच लिया कि जो यहां पर गौशालाओं में है, या जिन लोगों ने यहां पर कैम्प लगा रखे हैं हमारी जिम्मेदारी केवल उन्हीं पशुओं को जिंदा रखने की हैं तो मैं समझती हूं कि क्या उन बेशकीमती पशुओं को आप जिंदा रख पाएंगे जो निष्क्रमण करके यहां से जा रहे हैं ? इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा, इन सब चीजों का जब तक आप इंतजाम नहीं करेंगे तब तक आप अकाल की विभीषिका से नहीं लड़ पाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना है कि आज सबसे गम्भीर समस्या पानी की है। चारे की समस्या के बारे में तो आपने जैसा कहा, आपने आरोप लगाए कि हमारे सांसद ने चारा भेजा पंजाब से, वह चारा सिरोही में ही आकर रुक गया, उसके आगे जालौर में नहीं पहुंचा। यह लगाया है यहां पर। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगी कि कांग्रेस टिकट के ऊपर यहां से चुनाव जीतकर के.के.बिड़ला, गोयनका, बागड़ोदिया गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों, शीशरामजी नहीं गये क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्हें यह बात क्यों नहीं कहते कि 1-2 जिलों को आपको गोद लेना पड़ेगा, इसका पूरा इंतजाम आपको करना पड़ेगा ? जी, आपने क्या फरमाया ?

श्री उपाध्यक्ष : शीशरामजी नहीं गये क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शीशरामजी राज्य सभा में नहीं गये हैं, वे जनता के वोट लेकर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पार्लियामेंट में तो हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किस बात को कहां ले जा रहे हैं ? मैं बहुत गम्भीर बात कर रही हूं, आप उसे इस तरह से उड़ाना चाहते हैं, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। कांग्रेस की टिकट के ऊपर तो राज्य सभा में गये और राज्य सभा में जब आपने इनको भेजा तो आज इनकी भी जिम्मेदारी है। आपकी भी यह है कि आप इन तीनों को यह बात कहें कि आपको एक-एक, दो-दो जिले गोद लेने पड़ेंगे और उन जिलों के अकाल के सारे इंतजाम आपको करने पड़ेंगे। वरना इन्हें भेजने का क्या मतलब था ? ये क्या आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता थे ? इसलिए आप इन्हें इस बात के लिए बाध्य करिये और यह कहिए कि अगली बार टिकट नहीं देंगे, अगर आपको अगली बार कांग्रेस की टिकट लेनी है तो एक-दो जिलों को गोद लीजिए। गोद लेकर वहां के अकाल की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, सारी व्यवस्था आपको करनी होगी। यह मेरा सुझावा है सरकार को, अगर मानती है तो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह निवेदन कर रही हूं कि आज पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की है क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला गया, कुओं का पानी सूख गया। जिन जिलों के लोग बाहर नहीं जाते हैं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

इन जिलों में से 12-13 जो रेगिस्तानी जिले हैं, वहां तो आज यह समस्या है ही, पहाड़ी जिलों में भी यह समस्या हो गई है कि कुओं का पानी सूख गया है। उनमें बोरिंग करवाए बिना पानी नहीं रहेगा। खाने के बिना, भोजन के बिना तो 4-5-10 दिन आदमी जिंदा रह सकता है, पर इस गर्मी के मौसम में तो पानी के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं आपेस निवेदन करना चाहूंगी कि आज आवश्यकता है कहीं भी, आपके पास जहां से भी यह शिकायत और रिपोर्ट आती है कि कुएं का पानी सूख गया है वहां पर इमीजिएटली, युद्ध स्तर के ऊपर कुएं को गहरा कराने का, कुएं की बोरिंग कराने का इंतजाम और काम करें।

इसके साथ ही साथ, जैसा कि कल माननीय सदस्य यहां पर विधायक विकास कोटे को बढ़ाने की बात कर रहे थे, मैं उस बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि इस बार के बजट में आपने 10 हजार हैण्डपम्प लगाने का प्रावधान किया है। जब विधायक लोग अपने इलाके में जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं तो उनको इस बात के लिए जिम्मेदारी सौंपिये कि जहां कहीं वे देखें कि सचमुच में लोग परेशान हैं और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कुओं का जैसा मैंने कहा कि पानी सूख गया है तो वहां पर हैण्डपम्प की इमीजिएटली व्यवस्था हो जाए ताकि जब तक आपका कुआ खुदे और पानी पहुंचे, बोरिंग हो तब तक हैण्डपम्प लोग काम में ले सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि आज के अखबार में आकतली के बारे में आया था। आकतली में किसी हैण्डपम्प का पानी गायों ने पी लिया और उस जहरीले पानी से गायें मर गईं। गांव वालों ने शिकायत कर दी कि 30-32 गायें मर गईं। आज विभाग वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं और यह कहते हैं कि यदि तुमने इसकी शिकायत की और तुमने यदि प्रचार किया और यह कहते रहे कि इस हैण्डपम्प के पानी से गायें मरी हैं तो तुम्हारे कुंओं को भी हम यह कह देंगे जहर डालकर कि यह पानी भी पीने के काम का नहीं है; तुम प्यासे मरो। और तुम प्यासे मरोगे। (व्यवधान) हां, वह जो कुछ भी बताकर । उन्होंने तो जहर का ही कहा, अखबार में तो जहर ही आया कि यह भी जहरीला पानी है, हम यह कह देंगे कि यह पानी भी जहरीला है और तुम प्यासे मरोगे। इसलिए मैं, पेयजल मंत्रीजी, आपसे कहती हूं कि विभाग वालों को भी इस बात के लिए आप पाबन्द करें कि इस प्रकार से जहां कहीं से कोई शिकायत आती है तो डराने-धमकाने के बजाय उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक और संवेदना के साथ बात करें।

इसके साथ ही साथ, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि आज आपको ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं से राजस्व प्राप्त होता है 2561.73 लाख और नगर जल प्रदाय योजनाओं से होता है 10597.65 लाख। आपका खर्चा होता है ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर 24869 लाख और नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर खर्चा होता है 38399 लाख। मतलब यह हुआ कि 22 प्रतिशत जनता जो शहरों में रहती है उस पर तो आप खर्चा कर रहे हो, मतलब जो राजस्व

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्राप्त होता है उसमें से जो राजस्व व्यय आपका होता है उसे काटकर 27802 लाख और 78 प्रतिशत जो जनता गांव में रहती है उस पर आपका हो रहा है 22308 लाख। आखिर यह सोचिए आप कि यह 78 प्रतिशत जो जनता है, क्या इसको द्वितीय श्रेणी नागरिक की तरह से ही आप ट्रीट करते रहेंगे ? आज यह ठीक है कि पानी का पैसा आप उससे नहीं लेते हो, जिसने घर में कनेक्शन ले रखा है उससे लेते हो, बाकी जो गांव में जी.एल.आर. से अपना पानी लेकर आता है उससे पैसा नहीं लेते हो, लेकिन संधारण गांव ही करता है, संधारण के पैसे आपके यहां के नहीं मिलते हैं। मोटर खराब होती है तो वे ठीक कराते हैं, विभाग मोटर ठीक नहीं कराता है। तो एक तरफ तो आप उनके साथ यह व्यवहार करो और आपका सारा पैसा यहां खर्च हो। यहां जो आपके पी.एस.पी. से पानी भरकर जाता है उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन जब कभी मोटर खराब होती है तो गांव वालों की जिम्मेदारी है मोटर ठीक कराने की। जब जोशीजी मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने पहली बार इस बात को समझा था। गांव के अन्दर भी पहले पैसा लिया करते थे 6 रुपये या 8 रुपये, तब उन्होंने पहली बार कहा था कि यह बात बिलकुल सही है। मैंने ही यह बात उठाई थी और इसे वे मान गये थे। उन्होंने कहा था कि आज से गांव में भी जो लोग अपनी जी.एल.आर. से सीधे भरकर लाते हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आज अकाल के समय आप भी यह घोषणा करिये कि जिन गांवों के अन्दर टी.एस.एस. है और उसके संधारण की जिम्मेदारी गांव वालों की है, उस टी.एस.एस. की जब कभी मोटर खराब होगी तो उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी विभाग की होगी, मैं यह चाहूंगी। (व्यवधान) नहीं, नहीं, मंत्रीजी, नहीं है, गावं वालों को ही करानी पड़ती है। है तो कह देना आप।

श्री मोहनलाल मोदी : मजबूरी में विभाग वाले ही कराते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं कराते हैं। मैं बता रही हूं, विभाग वाले नहीं कराते हैं। गांव वालों को ही करानी पड़ती है। गांव वाले ही ठीक कराते हैं। आज आप कर देना घोषणा। बहुत अच्छी बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो अकड़ कर बोल रही हैं, रिक्वैस्ट करें इनसे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिए, ऐसा है कि यदि कोई नम्र होने से गांव वालों की समस्या समाधान सरकार कर देगी तो मैं नम्र होकर, हाथ जोड़कर कह देती हूं कि आज घोषणा कर दीजिए। (व्यवधान) आपने कुछ कहा हो तो मुझे सुनाई नहीं दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि आज जिस प्रकार का अकाल है, जिस प्रकार से इस अकाल की विभीषिका है उसमें भी जिसे कहना चाहिए कि एक ठण्डे मन से और सुस्ती के साथ आपके मंत्री अब दौरे पर जा रहे हैं। अब दौरे पर जा रहे हैं अप्रैल के महीने के अन्दर और फरवरी के अन्दर आपने काम शुरू किये हैं। झुंझुनूं के अन्दर 9 हजार श्रमिक लगाने का आपने अब तक लक्ष्य दिया है...(व्यवधान) 15 हजार कर सकते हैं, आज के दिन तो 9 हजार का है। जिसे कहना चाहिए कि टारगेट 9 हजार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

का है, यह घोषणा की थी कल्ला साहब ने मीटिंग के अन्दर । मैं आपसे कह रही हूं कि 9 हजार श्रमिक लगे हैं, यह बात ठीक नहीं हैं।

एक बात के लिए मैं आपको जरूर बधाई देना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस बार अकाल राहत के ऊपर जो काम होंगे उसमें 25 प्रतिशत मैटीरियल कम्पोनैंट का पैसा भी सरकार देगी। इससे हमारे कुछ स्थाई काम हो जाएंगे, यह एक अच्छी बात है। यह बात आपने पहली बार की है, इस बात के लिए मैं आपको जरूर बधाई देना चाहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ...

श्री रामनारायण चौधरी : पिछली बार भी किया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पिछली बार तो अपना पैसा था उसके अन्दर लेबर कम्पोनैंट गवर्नमैंट का था और बाकी पैसा अपना था। लेकिन इस बार आपने जो व्यवस्था की है उसके लिए सचमुच में आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब तो आपके पास पैसे की कमी भी नहीं है, अनाज भी आ गया 5 लाख टन, और सब तरह की सुविधा है जितना आपने मांगा है, यह खर्च होगा तो मैं समझती हूं कि भारत सरकार जरूर अपनी दरियादिली दिखाएगी और न पशुओं को मरने देगी, न आपके आदमियों को मरने देगी। लेकिन आपको दुरुस्त करने की आवश्यकता है अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने प्रशासन को और अपनी व्यवस्थाओं को।

अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवरलाल।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, राजस्थान को लगभग आये साल इससे जूझना पड़ता है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नम्बर पर है। राजस्थान में कहीं मैदानी एरिया है, कहीं पहाड़ी एरिया है और बहुत बड़ा भू-भाग मरुस्थलीय भी है । राजस्थान बनने के बाद में 5-6 वर्षों को छोड़कर राजस्थान का कोई न कोई गांव या ढाणी अभावग्रस्त घोषित होता आया है और राजस्थान में अकाल का सामना करने के लिए, जनता को रोजगार देने के लिए, पशुओं के चारे-पानी की व्यवस्था करने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर व्यवस्था की जाती रही है। राजा महाराजाओं का राज था उस जमाने में भी यहां पर अकाल पड़ता था, उपाध्यक्ष महोदय, तो कई बार राजा बड़ी दरियादिली दिखाते हुए जनता के लिए खजाना खोलते थे, जानवारों को पालने में प्राथमिकता देते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का जो अकाल पड़ा है, वह राजस्थान में बहुत गम्भीर अकाल है, लेकिन राजस्थान सरकार ने जिस संवेदनहीनता का परिचय दिया है वह निश्चित रूप से जनता के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले गिरदावरी करवाई और उसके बाद में टालमटोल करने के लिए उस गिरदावरी की फिर गिरदावरी की । वापस गिरदावरी के बहाने काम-काज नहीं खोलना, यह उद्देश्य था । जनता को राहत नहीं देने के लिए एक माहौल

(श्री सांवरलाल)

तैयार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में एक माहौल बनाया गया कि भारत सरकार को हमने ज्ञापन दिया, इतने करोड़ का ज्ञापन दिया। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को जब मैं सहायता मंत्री था तब मैंने भी 1500 करोड़ का ज्ञापन दिया था। दसवें वित्त आयोग के बाद में हर साल जो सी.आर.एफ. का पैसा है, उपाध्यक्ष महोदय, वह राज्य सरकार को बराबर मिलता आया। हमारे समय में भी यही मिलता था। हमने 1500 करोड़ का ज्ञापन दिया और उस पेटे हमको 21 करोड़ रुपये मिले। गई बार इनको जो पैसा मिला 21 करोड़ रुपया, वह ज्ञापन भी मैंने भारत सरकार को दिया था। इस बार इन्होंने केवल इस ज्ञापन के बहाने और राजनीति करने के बहाने राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये जब राज में नही थे, इनके घोषणा-पत्र में जो दो लाइन लिखी हैं, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। राज्य की भाजपा सरकार अकाल की स्थिति से निपटने के लिए भी कोई कारगर उपाय नहीं कर पाई है । अकाल राहत कार्य खोलने में अनावश्यक विलम्ब व लापरवाही से अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। यही नहीं, भाजपा सरकार अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करने के मामले में भेदभाव बरत रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह आरोप है कि इस वर्ष चाहे जानवर मर रहे हैं, जो नहीं मरे हैं वे भी मरे हुए के समान हैं, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान सरकार ने एक प्लान बनाकर भारत सरकार को दे दिया लेकिन अपने पास जो प्राकृतिक आपदा कोष में पैसा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पैसे का भी उन्होंने उपयोग नहीं किया। 1995-96 से अपना टैंथ फाइनेंस कमीशन लागू हुआ है, 942 करोड़ रुपये पांच साल में जिसमें 25 प्रतिशत तो राजस्थान सरकार का है और 75 प्रतिशत भारत सरकार का है। इसमें भी 133 करोड़ रुपये, इन्होंने खुद ने लिखा है, इस प्रकार वर्तमान में 133.6 करोड़ की राशि अवशेष है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ी चिन्ता की बात है। श्वेत पत्र के जरिए एक माहौल तैयार किया गया कि अकाल राहत के लिए भारत सरकार मदद नहीं दे रही है, जबकि भारत सरकार बराबर मदद दे रही है। प्राकृतिक आपदा कोष में 133 करोड़ रुपया था और टैंथ फाइनेंस कमीशन की सिफारिश थी कि पांच साल के बाद में अगर इस फण्ड में से कोई भी राशि बचेगी तो वह प्लान हैड में ट्रांसफर हो जाएगी। माननीय मंत्री महादेय, आपने क्लीयर इस प्रतिवेदन में लिखा है कि 133 करोड़ रुपये अवशेष हैं और इसमें से 44.46 करोड़ रुपये की राशि हमने जीर्णोद्धार या फ्लड डैमेजेज वर्क के लिए रखी है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने इसमें से कितनी राशि प्लान में ट्रांसफर की और कितनी राशि का आप उपयोग नहीं कर पाए ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इलैवंथ फाइनेंस कमीशन आ गया । भारत सरकार वाले दौरा करके गये, इसमें पैसा मिलेगा। आज ही, बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार ने 240 करोड़ रुपये की सब्सिडी गेहूं और चावल के पेटे स्वीकृत की है। 103 करोड़ रुपये

(श्री सांवरलाल)

भारतीय नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फण्ड से पहले स्वीकृत किये और 112 करोड़ रुपये किश्तों के रूप में अग्रिम इलैवंथ फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन नहीं आएगी तब तक उनको दिया और बीस करोड़ रुपये भारत के प्रधान मंत्री ने अपने प्रधान मंत्री कोष से दिये हैं। इससे ज्यादा सहायता आज तक हिन्दुस्तान में किसी भी स्टेट को भारत सरकार द्वारा नहीं दी गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सहायता मिलने के बावजूद भी यह...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अनाज जो पड़े-पड़े गोदामों में बेकार होने जा रहा था, उसको भेज दिया प्रधान मंत्रीजी ने। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जब कुछ भी बोल रहे थे तो हमने कभी इन्टरफियर नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आरोप लगाता हूं कि राजस्थान सरकार ने अपने प्रचण्ड बहुमत के बलबूते राजस्थान की जनता किन हालात में जी रही है, यह सोचने के लिए और विचारने के लिए भी कुछ नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रचार किया गया कि मुख्य मंत्री और मंत्रीगण जाएंगे और अकाल राहत क्षेत्र में दौरा करेंगे। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री गया हो, चाहे राजस्थान के मंत्री गये हों, मौके पर एक श्रमिक बढ़ाने की घोषणा नहीं कर पाए। लोग रो रहे थे वहां पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हलके पर भी...(व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : खेतसिंहजी राठौड़ साहब ने अभी जब दो दिन पहले बढ़ाये थे वह भी बता दो। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : खेतसिंह राठौड़ को पूछना, अब आप बैठ जाओ, विधायकजी, आपको...(व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : अभी बढ़ाया है, अभी दो दिन पहले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलेंगे न जब बोल लेना।

श्री सांवरलाल : आपको जानकारी नहीं है। खेतसिंहजी जब एम.एल.ए. थे और मैं मंत्री था, जोधपुर गया था तो उन्होंने कहा कि आप स्टेट मिनिस्टर हो, क्या करोगे ? तो मैंने कहा कि आप कहोगे जो करके जाएंगे। उनसे पूछ लेना, वही किया। गई बार जब खेतसिंहजी आये, सर्किट हाउस पर मैंने कहा कि यहां कुछ काम खोल दो तो उन्होंने कहा कि एक आदमी बढ़ा देता हूं, तो मैंने कहा हो गया कैबिनेट मंत्री का स्टेटस और एक आदमी। इसलिए बातें करने की जरूरत नहीं है। माननीय भैरोंसिंहजी के राज को याद करते हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर आपके यहां के मंत्रीजी गये, उनका रैफरेंस देना चाहता हूं। कांग्रेस के सरपंचों ने, कांग्रेस के जन-प्रतिनिधियों ने मीटिंग में कहा था कि आप लेबर बढ़ा दो, बाकी हमको सुसाइड करना पड़ेगा। लोग हमारे कपड़े फाड़ते हैं। लोग भूखे पेट मिट्टी डालने फेमिन के काम पर आ रहे हैं, आज तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। एक-एक बोरी पंचायत हैडक्वार्टर पर, पटवार हलके के ऊपर गेहूं की रखा दो। भैरोंसिंहजी के टाइम पर हर

(श्री सांवरलाल)

पंचायत हैडक्वार्टर के ऊपर, पटवार हलके के ऊपर एक-एक बोरी गेहूं की रखते थे कि कोई भी भूख से नहीं मरे। यह सरकार की सोशल लाइबिलिटी है पर इस सरकार ने बिलकुल इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया और आज लोग भूखे पेट मिट्टी डाल रहे हैं। आज कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, यह बहुत बड़ी चिन्ता की बात है। विडम्बना की बात है, ये कहते हैं कि हमने भारत सरकार को ज्ञापन दिया है। आपने ज्ञापन में तो बहुत लम्बे-चौड़े वादे किये, आपने लिखा है कि नवम्बर, 1999 में दो लाख लोगों को राजस्थान में रोजगार देंगे। दो लाख नवम्बर में, दिसम्बर में 3 लाख को देंगे, जनवरी में चार लाख को देंगे, फरवरी में फिर चार लाख को देंगे, मार्च में पांच लाख को और अप्रैल में आठ लाख को, माननीय मंत्रीजी बिराजमान हैं, जवाब दे देना कि किस-किस महीने में कितने-कितने लोगों को मिला, कितना आपने दिया।

चारा सब्सिडी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इनको पता नहीं, ये जब जाएंगे चुनावों के अन्दर तब मालूम पड़ेगा कि क्या आपका सलूक होगा। आपने भारत सरकार को दिया कि नवम्बर में हम तीन हजार चारा डिपो खोलेंगे। चार करोड़ अस्सी लाख की सब्सिडी इनमें दे दी क्या आपने? दिसम्बर में इतने देंगे, जनवरी में इतने देंगे, फरवरी में इतने देंगे, मार्च में इतने देंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक किसी भी बिल्टी का पेमेंट कर दिया हो चारे की सब्सिडी का तो बता देना। राजस्थान में कितनी सब्सिडी चारे के पेटे आपने बांट दी ? आपने कहा कि पशु आहार अनुदान के रूप में नवम्बर में... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखिए आप, आज यह होने लग गया यहां पर। मंत्रीजी वहां बात कर रही हैं, देखिए तो सही। दर्शक दीर्घा में बात कर रही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कमाल ही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कमाल है।

एक माननीय सदस्य : हद हो गई, मंत्री होकर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दोनों महिलाओं का मामला है, मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और ऊपर से हंस रही हैं। हंस और रही हैं।

श्री सांवरलाल : कैटल फीड के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक राजस्थान में किसी भी पशु को पशु आहार अनुदान देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं की है और इन्होंने लिख दिया कि नवम्बर में इतने को देंगे, दिसम्बर में इतने को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये केवल दफ्तर में बैठ गये और जो भैरोंसिंहजी के राज में हमने तैयार किया था उसी ज्ञापन के आधार पर नकल करके भेज दिया, बाकी इसके ऊपर कोई क्रियान्विति नहीं की है। मैं इनके ऊपर आरोप लगाता हूं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है और राजस्थान की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी पढ़ लो।

(श्री सांवरलाल)

लिखा हुआ है कि मस्टर रोल में बी.पी.एल. परिवार की चयन सूची के चयन क्रमांक अंकित किये जाने पर ही भुगतान किया जाएगा। मंत्री महोदय, कई ऐसे लोग लगे हुए हैं जो चयनित नहीं हैं। जब अकाल पड़ गया तो वे सारे के सारे चयनित से गई बीती हालत में आ जाते हैं। इसलिए आपने यह जो एक और लगाया है इसको क्लैरिफाई कर दो और आज की तारीख में बता दो। एक और, आज की तारीख में राजस्थान में बी.पी.एल. चयनित आदमियों को तो वहां से भगा रहे हैं और एक ही परिवार के, आपकी पार्टी के पांच-पांच आदमी लगा रहे हैं जबकि इसमें लिखा है कि एक परिवार का एक ही आदमी काम पर लगना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस परिपत्र की पालना सरकार करवाए, यह सरकार ने जारी किया है, यह हमारी आपसे मांग है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस भयंकर गर्मी के अंदर बीमारियां भी होती हैं। पशुओं में बीमारियां होती हैं, आदमियों में बीमारियां होती हैं। पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग जो साइट चलती है अकाल राहत की, वहां अपने बजट से किसी प्रकार की दवाइयों की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं होते। हर साल सहायता विभाग द्वारा समय पर राशि का एलोकेशन डिपार्टमैंट को किया जाता है जिससे वे मौसमी बीमारियों की दवाइयां खरीद लें और साइट के ऊपर अपने लोगों को भेजें। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी जानकारी चाहूंगा, सरकार कहती है कि हम बहुत संवेदनशील हैं, आपने स्वास्थ्य विभाग को और पशुपालन विभाग को आज की तारीख तक कुल कितनी राशि अलाट की है, इसकी जानकारी दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। बहुत हो गया, माननीय सदस्य। हो गया न बहुत।

श्री सांवरलाल : थोड़ा-सा, चार-पांच मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष : खूब है। आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो, जानते हो सब। (व्यवधान) इन्होंने कहा, वह सुझाव है। बात बराबर है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल मंत्री महोदय बिराजमान हैं, पेयजल की क्या व्यवस्था रहेगी ? कंटिंजेन्सी प्लान इनके अधिकारियों ने बनाया। हर जिले का प्लान इनके पास आया, डिपार्टमैंट में हायर लेवल तक आया, पर बड़े दुःख की बात है कि जितनी मांग उन्होंने की है उसका 20 प्रतिशत पैसा भी शायद आपने समय पर सैंक्शन नहीं किया है। जहां पर कुएं गहरे कराने थे होरिजेंटल, इधर-उधर की बोरिंग करानी थी, कही ट्यूबवैल लगाने थे, यह सारी की सारी व्यवस्था समय के ऊपर नहीं हो सकी। माननीय मंत्री महोदय, इसलिए पेयजल की भी गंभीर समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है।

आज बीसलपुर का पानी विजय नगर और गुलाबपुरा चला जाता। अगर आपके अधिकारी लापरवाही नहीं बरतते तो, माननीय मंत्री महोदय, आज हालात नहीं होते विजय नगर और गुलाबपुरा को रेल के वैगन से पानी देने के। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : मैं तो भेज तो रहा हूं आपने भेजे ही नहीं, मंजूर ही नहीं किये।

श्री सांवरलाल : एक बात है, मंत्री महोदय, यह हमारे टाइम की बनी हुई है, इसीलिए भेज रहे हो आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको बहुत गलतफमी है, आपके खुद के क्षेत्र में मैंने 60 करोड़ की योजना मंजूर की है। आपको इस तरह की *गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।

श्री सांवरलाल : यह धन्यवाद तो अगर आप लेना चाहेंगे तो दे देंगे, मंत्री महोदय, पर आप यह मत कहो कि आपने योजना बनाई। योजना हमने बनाई है। भंवरलालजी शर्मा बैठे हैं, इन्होंने बनाई है। आपके कुर्सी संभालने से पहले ही हमारे 100 गांवों के अंदर पानी की योजना बन गई और चालू हो गई थी। आपको धन्यवाद इसके लिए करते हैं कि इस योजना को आप आगे बढ़ा रहे हो। आप गांव के हो इसलिए आपको गांवों की कुछ चिन्ता है। इस बात की हमको खुशी है, पर गांवों में हालत बहुत खराब है, माननीय मंत्री महोदय।

आज आप नये हैण्डपम्प नहीं दे रहे हो और पुराने हैण्डपम्पों के सामान के लिए पैसा नहीं है। सहायता विभाग से पहले हर बार हैण्डपम्प अभियान शुरू होता था, हम पैसे दे दिया करते थे। अब इस बार इन्होंने क्या दिया कि नहीं दिया। अगर नहीं दें तो आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप पेयजल के लिए गांवों के ऊपर विशेष ध्यान दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले बहुत कहा करते थे, कच्चे काम करवा रहे हैं बी.जे.पी. के राज में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राज में, भैरोंसिंहजी के राज में जब भी अकाल राहत के काम चले, जितना मैटीरियल का पैसा चाहिए हमने उतना पैसा दिया। 50 प्रतिशत मैटीरियल कम्पोनेंट का पैसा दिया, स्थायी सम्पत्तियों का हमने सृजन किया। आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में चले जाइए, चाहे सामुदायिक केन्द्र हों, स्कूलों की चारदीवारी हो, एनीकट हो, सब पक्के बनवाए। माननीय मंत्री महोदय, आज हालात इतने खराब हैं कि इतना पैसा भारत सरकार के देने के बावजूद आप लोग कच्चे काम करवा रहे हो। बड़ी मुश्किल से 25 प्रतिशत मैटीरियल कम्पोनेंट दिया, इससे हालत सुधरने वाली नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, काम कराओ तो पक्के काम कराओ और 50 प्रतिशत मैटीरियल कम्पोनेंट देओ आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : भारत सरकार ने विशेष बजट कितना दिया ? भारत सरकार ने सी.आर.एफ. की योजना, दसवें वित्त आयोग को लागू करने के बाद विशेष मदद कितनी दी है और कब दी ?

श्री सांवरलाल : यह हमने सुना दिया, मंत्री महोदय, पर आपको इस बात का पता होना चाहिए...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो आपसे जानकारी चाहता हूं और अपना ज्ञानवर्द्धन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : (व्यवधान) पता होता तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं थी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप भारत सरकार की बात कर रहे हैं कि बहुत सहायता दे दी तो मैं पूछना चाहता हूं मेरी जानकारी के लिए कि सी.आर.एफ. के अलावा कितनी राशि दी ?

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दसवें फाइनेंस कमीशन के बाद में हर स्टेट में प्राकृतिक आपदा कोष बनाया गया। 75 प्रतिशत शेयर...(व्यवधान) आप सुन तो लो। कोई जरूरी है क्या आपको ही आपको दे दें सारी सहायता ? आपने किया क्या ? आपने जो ज्ञापन दिया उसमें क्या कर दिया ? मैंने अभी सारी बातें सुनाईं, आप थे नहीं। आपने कहा कि नवम्बर में इतने लोगों को रोजगार देंगे, दिस्म्बर में इतनों को देंगे, जनवरी में इतनों को देंगे, फरवरी में इतनों को देंगे, एक भी आदमी को आपने रोजगार दिया ? आपने अभी चालू किये...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह ज्ञापन कब भेजा, भारत सरकार ने टीम कब भेजी और भारत सरकार ने मंजूरी कब दी, यह भी बता दो साथ-साथ।

श्री सांवरलाल : इस ज्ञापन की, मंत्री महोदय, आपने कापी की है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोई जरूरी है क्या कि आपको ही आपको सहायता दी जाए। कोई एहसान कर रही है क्या भारत सरकार ? यह हमारा हक बनता है लेने का और वह दे रही है तो कोई दया नहीं कर रही है। यह उनका दायित्व बनता है।

श्री रामस्वरूप : राजस्थान कोई भिखारी नहीं, हमारा अधिकार है। उनको देना पड़ेगा तीन बार। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : हमारा हक बनता है। उनका दायित्व बनता है कि वह देंगे। हम कोई भीख मांग रहे हैं क्या ?

श्री रामस्वरूप : आप इस तरह कोई एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर ? भारत सरकार को देना पड़ेगा यह तो। अधिकार है राजस्थान का। यह आपदा में देना ही पड़ता है। हमारा पैसा है यह तो। आप इतना एहसान कर रहे हो इसके ऊपर जैसे तो अपनी गांठ में से दे रहे हों अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी अपनी गांठ में से दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : दुखभरी बात तो यह है ...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : एहसान इस बात का है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए फाइनेंस आयोग की रिकमंडेशन में व्यवस्था कर दी गई, उसके बावजूद आपने ज्ञापन दिया। हिन्दुस्तान में अकाल से निपटने के लिए सबसे ज्यादा सहायता भारत सरकार ने राजस्थान को दी है, इसलिए यह एहसान है आपके ऊपर, आप जैसी +++ सरकार के ऊपर। आपको काम खोलने चाहिए थे नवम्बर में और नवम्बर में आपने ज्ञापन दे दिया।(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह कोई एहसान नहीं है।(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री सांवर लाल : और आज तक आपने कोई माकूल व्यवस्था नहीं की।(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह दिल्ली की सरकार +++ है जो चार-चार, पांच-पांच महीने ज्ञापन देने के बाद कोई भी पैसा नहीं दिया टाइम पर।

श्री सांवर लाल : अब आपको जानकारी नहीं, बैठ जाओ न आप। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : दोनों ही +++ हो आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सारी योजना उसके आधार पर बनाई गई थी कि समय पर टीम आएगी, समय पर पैसा मिलेगा और उसमें लेबर लगेंगे।(व्यवधान) आपने सारी बातों में कोताही बरती है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सरकार +++ और ये ही +++ हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : गैर जिम्मेदाराना काम किया उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : (व्यवधान) सरकार होती न तो आज आप देखते राजस्थान में क्या चमत्कार हो रहा है। दोनों ही +++ हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो न।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बिराजमान हैं, 103 करोड़ तो आपको नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड से दे रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 102 करोड़ 93 लाख 31 मार्च को दिये हैं, श्रीमान।

श्री सांवरलाल : हां, वही कह रहा हूं मैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ज्ञापन भेजा था हमने कब और टीम भेजी कब, यह भी बता दो साथ-साथ।

श्री सांवरलाल : आपने तो अपने सी. आर.एफ. को प्लान में ट्रांसफर कर दिया, वही खर्च नहीं कर पाए। आपको जनता की कोई चिंता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री सांवरलाल : आपको 240 करोड़ रुपये तो सब्सिडी मिलेगी अनाज पर, 112 करोड़ का इलैवंथ फांइनेंस कमीशन में एडवांस दे रहे हैं आपको, 20 करोड़ प्रधान मंत्रीजी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह तो सी.आर.एफ. का पैसा है। एक अप्रैल को हमको एक इंस्टालमैंट मिलनी थी, जुलाई की हमने एडवांस मांगी थी, वह दी है। उसमें कौनसा एहसान कर दिया, इसमें मदद थोड़े ही की है हमारी।

श्री सांवरलाल : वह मिल जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि असहाय लोग कंई हैं और आपने कई चीजें बंद

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री सांवरलाल)

कर दीं। असहाय को सहायता, जो लोग किसी काम के नहीं, बेचारे काम नहीं कर सकते, उनको इस प्रोविजन के तहत असहाय सहायता मिलती थी। उनको भी कुछ आप दीजिए, नहीं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप तो जानते हो, आप सरकार में हो तो आपकी सुनवाई होती है बाकी असहाय की कौन सुनता है। इसलिए ऐसे गरीब लोगों को...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राजस्थान में ओल्ड एज पेंशन लागू कर दी गई है।

श्री सांवरलाल : जो इसमें नहीं आते हैं उनको कर दी क्या ? यह ओल्ड एज पेंशन भी भारत सरकार की है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भारत सरकार के अलावा राजस्थान सरकार ने भी लागू की है।

श्री सांवरलाल : अभी तक तो कुछ नहीं दिया, मंत्री महोदय।

मेरा निवेदन यही है कि एक तो पक्के काम आप कराओ। मंत्री महोदय, मेरा एक निवेदन है कि गांवों के अन्दर एक प्रवृत्ति बन गई है, कई माननीय सदस्यों ने चरागाह की चिंता प्रकट की है, आपकी गाइडलाइंस में चरागाह की मेड़बंदी नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि कच्चा काम ही कराना है, तो चरागाह की मेड़बंदी हो जाएगी तो अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति अपने आप रुक जाएगी। इस काम को भी आप प्रायोरिटी से लें। कामों के अन्दर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। दो महीने का समय है, हर गांव में आप एक काम खोलिए और हर गांव में सफीशिएंट लेबर दीजिए। 60-60, 100-100 आदमी, मैंने अभी बताया था कि बड़ी लड़ाई हो रही है गांवों के अन्दर, तो इसमें श्रमिक संख्या आप बढाइये। पीने के पानी के जो सार्वजनिक कुएं हैं उनको गहरे करवाइये, और जगह से व्यवस्था हो कि नहीं अगर सार्वजनिक कुआ खुदता रहेगा, उसमें पानी होगा तो काश्तकार निकाल कर अपने जानवरों को पिलाएगा, उसकी मवेशियों की व्यवस्था हो जाएगी और खुद के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। यह गर्मी का समय दो महीने का समय है। मैं राज्य सरकार से यही चाहूंगा की भारत सरकार ने बहुत दिया है, भारत सरकार तो और दे देगी। उन्होंने और कहा है कि और भी जरूरत पड़ेगी तो किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। आप भी कुछ कोशिश करो, अपने बजट में से निकाल कर कुछ पैसा इस फेमिन में लगाओ क्योंकि आज तक तो आपने एक रुपया नहीं लगाया। गवर्नर डिबेट में मुख्य मंत्रीजी को मैंने इन्टरवीन किया था, मैंने कहा आज तक आपने अपने बजट से, अपने फंड से एक रुपया नहीं लगाया। तो अगर आवश्यकता पड़े तो उसमें भी कुछ व्यवस्था करके और ज्यादा कामकाज बढ़ाओ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा हुआ है। राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था,अकाल के काम की आवश्यकता है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अकाल की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ, मैं आपसे

(श्री मोहनलाल मोदी)

इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर जिले में अकाल की मजदूरी का पेमेंट हुआ है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि सीकर जिले में 20 हजार से ऊपर की लेबर सीलिंग है। ये पता नहीं कहां से बता रहे हैं कि 100 आदमी लगा दिये, 50 आदमी लगा दिये। इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है, अकाल है और अकाल के साथ-साथ पानी का मसला भी जुड़ा हुआ है, पेयजल की भी बहुत गम्भीर स्थिति है, मैं आपके माध्यम से पेयजल विभाग के मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर आप विशेष रूप से ध्यान दें।

चारे की व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने चारे के डिपो लोगों ने मांगे, सीकर जिले में सारों को चारा डिपो दे दिये। लेकिन उनमें से चार-पांच ने ही काम शुरू किया। मंत्री महोदय, चारा डिपो में आप विशेष ध्यान रखें, उसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो एक ट्रक लेकर आते हैं और पांच ट्रक का बिल उठाना चाहते हैं। अगर इसमें भी ऐसी कार्यवाही होगी तो फिर लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी।

यह जो सामान में राज्य सरकार ने 25 परसेंट दिया है, अभी हमारे वहां 22 तारीख को अकाल राहत की मीटिंग थी, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई कि सड़क बना रहे हैं, 25 परसेंट विधायक कोटे से पैसा दें। अब विधायकों के पास इतना पैसा आपने दे नहीं रखा कि वे विधायक कोटे से सड़कों में पैसा दें या किसी बिल्डिंग में पैसे दें। पानी का तो पैसा फिर भी दे सकते हैं। तो मैं आपके द्वारा इतना निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों को आप 25 लाख के बजाय एक करोड़ रुपया कराएं ताकि 75 लाख रुपया अकाल के अन्दर हम सारे का सारा दें।

गोचर भूमियों पर सारे कब्जे हो रहे हैं, आज मवेशियों के चरने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप गोचर भूमि के कब्जे भी हटवाइये।

अकाल एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हम को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अकाल के काम चालू हुए हैं। अभी पूर्व अकाल राहत मंत्रीजी बोल रहे थे कि पक्के काम नहीं करा रहे हैं। मेरी जानकारी में तो इस वक्त सरकार ने सारे ही पक्के काम कराये हैं। हर जगह दुकानें बनाई हैं, मैं बता रहा हूं आपको। पक्के काम नहीं हुए हैं क्या ? दुकानें नहीं बनी हैं क्या ? बताइए। हर पंचायत पर दो-दो दुकानें बनवाई हैं, क्या वो कच्चे काम हैं ? राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला के अन्दर जो स्कूल बिना बिल्डिंग के थे उनमें...

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत की बात करो।

श्री मोहनलाल मोदी : हां, अकाल राहत में। बिल्डिंगें बनाई। जो प्राइमरी स्कूल भवन रहित थे उन सबकी स्वीकृति अकाल राहत में दी है। वे भवन बन रहे हैं। आखिर किस तरह से आप इस बात को कह रहे हो ?

श्री अमराराम (धोद) : कब निकली है स्वीकृति ?

श्री मोहनलाल मोदी : स्वीकृति निकली है। अभी अपन मौजूद थे जब नहीं थी क्या उसमें?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपस में क्यों बहस कर रहे हैं ? आप बोलो जब बोल देना। (व्यवधान) आप जवाब दे देना।

श्री मोहनलाल मोदी : अकाल की वजह से जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। कुओं में पानी सूख गया है, हैंडपम्पों का पानी सूख गया है। तो हमारे मंत्री महोदय को विशेष रूप से पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब कई जगह तो ऐसी स्थिति है जहां टैंकरों से पानी चला जाए, लेकिन हमारे जो पहाड़ी इलाका है वहां रास्ते भी नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से आप अपने सामान की व्यवस्था कराइये। हैण्डपम्प ठीक करने की व्यवस्था सही ढंग से चल रही है यह मैं आपको बताना चाहूंगा। लेबर बराबर काम कर रही है लेकिन उनके पास सामान नहीं है। नये हैण्डपम्प खुदे हुए हैं, हमारे यहां 50 हैंडपम्प खुदे हुए हैं लेकिन, मंत्री महोदय, सामान की वजह से, उसके जो माथे होते हैं ऊपर के वो नहीं होने की वजह से आज वे 50 हैण्डपम्प पड़े हुए हैं। अगर सामान हो तो वे चार दिन में चालू हो सकते हैं।

(16.00 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

नये हैण्डपम्प खुदने की कोई क्रोसिंग वाल होती है पांच इंच की जिससे हैण्डपम्प खुदता है, वह नहीं है उनके पास। यानी सामान की इतनी बड़ी कमी है कि न हैण्डपम्प ठीक करने के लिए सामान है, न हैण्डपम्प खुद गया है उसको बनाने के लिए सामान है, नया खोदने के लिए सामान है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस अकाल की स्थिति में कम से कम आपको पूरी तरह से सावधानी से वहां सामान की पूरी व्यवस्था करानी चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। पी.डब्ल्यू.डी. का मरम्मत का पैसा जो आप साल के आखिर में देना चाहते हैं वह उसको अभी दीजिए ताकिं वह 25 प्रतिशत में शामिल हो जाए। सारे के सारे बी.जे.पी. ने खड्डे कर दिये, उन सड़कों की मरम्मत कराएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस का 30 साल राज रहा है, शुरू से है यह अकाल राहत का मामला इसलिए आप बी.जे.पी. पर आरोप मत लगाइये।

श्री रामस्वरूप : हमारा तो 40 साल तक राज रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारा तो 40 साल तक राज रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य, आप इस बात को भूल जाते हैं कि जब से आप सरकार में आये हो, आठ साल के राज में छः साल तक अकाल पड़ा। मैं आंकड़े भी बता दूंगा। यह चोली-दामन का साथ तो आपका भी वैसा ही रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी सीट से बोलें। सभी माननीय सदस्य दूसरी जगहों से नहीं बोलें।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, आर.एस.ई.बी. की जितनी लाइन पड़ी हुई हैं,

(श्री मोहनलाल मोदी)

बहुत ढीली हैं, उनसे कई जगह एक्सीडेंट होते हैं। कई जगह भैंसे मर गईं, जानवर मर गये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फण्ड्स उनके पास हैं नहीं इसलिए आप इस अकाल के अन्दर उन लाइनों को खिंचवा दें थोड़ी लेबर देकर तो उससे भी लाभ मिल सकता है।

मेरे यहां पर सौ हैण्डपम्प ढाई इंची के हैं वे बिलकुल बेकार हैं, पानी उनसे मिलता नहीं है। आप उनको सवा इंची में चेंज करा दें तो एक बहुत बड़ा उपकार इलाके पर होगा। आप करना चाह रहे हैं लेकिन आपकी इस योजना में यह लेबर जो ठीक करने जाती है वह एक दिन में एक हैण्डपम्प ठीक करती है, आप इसको युद्ध स्तर पर ठीक करवाइये तो पांच सौ हैण्डपम्प पानी की सप्लाई कर पाएंगे। (व्यवधान) नीमकाथाना में बहुत हैण्डपम्प हैं। वहां पानी की व्यवस्था के लिए कोई नहर नहीं है, वहां तो खाली यह हैण्डपम्प व्यवस्था है। यह पथरीला इलाका है, उसके अन्दर सिवाय इसके पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। सार्वजनिक कुएं तो हैं नहीं जिनको गहरा करवाया जाए। पहाड़ी इलाके में गहरे भी ब्लास्टिंग से होते हैं, वहां बोरिंग की मशीन पहुंच नहीं पाती। तो यह सारी की सारी स्थिति है। अकाल राहत के काम चलाये हैं। अभी कमलाजी, मंत्रीजी पधारी थीं वहां। दूसरे मंत्री भंवर लालजी भी हमारे यहां गये थे। काफी काम मंजूर करवाये हैं और आगे भी उन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं इस बात की दी हैं कि सारी सड़कें जितनी भी हैं वे ठीक हो जाएंगी। सारे स्कूल्स जिनके मकान नहीं हैं उनमें भवन बन जाएंगे। और भी लेबर के लिए उन्होंने विशेष तौर से कहा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कच्चे काम नहीं होंगे, सड़क और रास्ते नहीं बनेंगे, गांवों के रास्ते खराब हैं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन कच्चे कामों पर रोक मत लगाइये। आप उन सड़कों को बनवाएंगे, मिट्टी डलवाएंगे तो लेबर तो लगेगी । लेबर कहां लगेगी ? आपने 20 हजार की लेबर जो दे रखी है उसको आप और बढ़ाएंगे वह आखिर क्या काम करेगी ? फिर वह किसमें लगेगी ? कामों में तो लेबर ज्यादा लग नहीं पाती है इसलिए आप तो जो गांवों के रास्ते खराब हैं जिनमें दिक्कत होती है, वह काम करिये।

एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसी से संबंधित है। गर्मी का मौसम है, जगह-जगह आग लग जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक फायर बिग्रेड की व्यवस्था नीमकाथाना में आप करिये क्योंकि जब आग लगती है तो सीकर से बुलानी पड़ती है और वह टाइम पर पहुंच नहीं पाती है। तो एक फायर बिग्रेड की व्यवस्था आप वहां पर करिये, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वहां पानी तो है नहीं फिर क्या +++

श्री मोहनलाल मोदी : आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री सभापति : बोलिए।

श्री मोहनलाल मोदी : आंसू तो आपके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री मोहनलाल मोदी)

निकल गये और उन आंसुओं से इतना पानी भरा हुआ है कि उसे ले जाकर उन्हें सींच देंगे।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के टाइम पर बैंकों के ऋण हैं और कई ऋण हैं काश्तकारों पर, वे वसूल हो रहे हैं। उनकी कुड़कियां की जा रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस वसूली को कम से कम स्थगित कर दें, अकाल के टाइम पर ऋण वसूल नहीं किये जाएं।

विशेष तौर से मैं तो जलदाय मंत्रीजी से ही निवेदन करूंगा कि पीने के पानी की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : हैण्डपम्प ले लिए आपने क्या करेंगे अब ?

श्री मोहनलाल मोदी : हैण्डपम्प ले कहां लिए ?

श्री सभापति : ले लिए। अभी मांगे हैं क्या आपने ?

श्री मोहनलाल मोदी : हैण्डपम्प लिए नहीं हैं, साहब, हैण्डपम्प तो लगे हुए हैं, उनको चेंज करने की बात की है।

श्री सभापति : आपने मांगे हैं, मंत्री महोदय ने मौन होकर सुन लिया। इसका मतलब हाफ कंसेंट है, आपकी बात आधी मान ली है।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी तो मेरे वहां जितने हैण्डपम्प स्वीकृत हैं वही लग जाएं तो बहुत बड़ी राहत मिल जाए। वे हैण्डपम्प लग नहीं रहे हैं। मैं निवेदन करूं, माउंडा खुर्द है उसमें दो तीन ट्यूबवैल लगे हुए थे, सारे सूख गये। अब वहां नये ट्यूबवैल खोदने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि यहां की सरकारी मशीन जाएगी तब ही वे ट्यूबवैल खुदेंगे, इसलिए मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त यह सरकारी मशीन वाली पाबन्दी हटाकर आप यह करिये कि किसी भी तरह से लोगों से किराये पर लेकर मशीन से ट्यूबवैल खुदवाये जाएं।

श्री सभापति : मंत्रीजी से मिल लेना आप।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री महोदय से तो मिलते ही रहते हैं वैसे।

श्री सभापति : यहां के अलावा आपने कभी इनसे बात नहीं की।

श्री मोहनलाल मोदी : पहले हैण्डपम्प खुदते थे वे गवर्नमैंट की मशीन से खुदवाये जाते थे। माननीय सभापति महोदय, मेरे को भैरोंसिंहजी के राज में यहां धरना देना पड़ा था कि इन हैण्डपम्पों को प्राइवेट मशीनों के द्वारा खुदवाया जाए। तब ये हैण्डपम्प लगे हैं, नहीं तो इस तरह हैण्डपम्प थोड़े ही लगते। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने जो ट्यूबवैल खुदवाये हैं उनको भी अधिकार दें कि प्राइवेट मशीनों से ये खुदवाये जाएं।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, ये आदेश किये हुए हैं। पूरे प्रदेश के अन्दर आदेश हैं प्राइवेट ट्यूबवैल खुदने के। पार्टीज को और हैण्डपम्प लगाने के आदेश दिये हुए हैं। आप अधिकारियों से मिलें और जहां पर आप उचित समझें वहां के आप उनको डायरेक्शन दे दें, वहां खुद जाएंगे।

श्री सभापति : आप न उनसे मिले और न कभी मंत्री महोदय से मिले। इन्होंने कह दिया आपके काम हो जाएंगे। अब आप कंनक्लूड करें।

श्री मोहनलाल मोदी : ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है, अधिकारियों से मिलें तो ही हो जाएगा।

श्री सभापति : आप सरकार हैं, साहब, आपसे मिलने का मतलब सरकार से मिलना।

श्री मोहनलाल मोदी : आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत आभारी हूं कि पीने के पानी की विशेष व्यवस्था होगी।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, नीमकाथाना के साथ साथ हैण्डपम्प के लिए खण्डेला के लिए भी कहना चाहता हूं। 117 हैण्डपम्प स्वीकृतशुदा हैं, छ: महीने पहले ही स्वीकृत हो गये थे। उनमें से एक भी हैण्डपम्प नहीं लगा है। जो ढाई इंची के हैण्डपम्प हैं उनमें कोई काम नहीं दे रहा है। उनको चेंज करवाया जाए जल्दी। इस बात के लिए हम बराबर अधिकारियों से मिले हैं लेकिन मजबूर होकर आपके सामने हाउस में कहना पड़ रहा है। ये हैण्डपम्प हमारे यहां नहीं लगेंगे तो हमारे भयंकर पानी की समस्या हो जाएगी।

श्री सभापति : आपकी बात मंत्री महोदय ने नोट कर ली है।

श्री महादेव सिंह : मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया था, इन्होंने आदेश भी किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने नोट कर लिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, आप लिखकर दें कि इतने हैण्डपम्प हमारे स्वीकृत हैं और एक भी नहीं खुदा। अगर एक भी नहीं खुदा है तो आप लिखकर दे दें। आप इस तरह से बात कहेंगे तो इससे अच्छा नहीं लगता, बहुत खराब लगता है।

श्री महादेव सिंह : मंत्री महोदय, मैं लिखकर दे दूंगा। हमारे यहां 10-15 हैण्डपम्प की खुदाई की है उनमें अभी तक हत्था भी नहीं लगा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो जिले में स्वीकृत होते हैं उसमें काम तो हो ही रहे हैं। दो-तीन महीने से काम हो रहे हैं।

श्री सभापति : आप ठीक कह रहे हैं। काम हो रहे हैं और काम तेज करवाने के लिए मंत्री महोदय से आप मिलें। श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं सूखा और पीने के पानी की समस्या के बारे में सदन में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान के 32 जिलों में से 26 जिले और उनमें करीब 30406 गांव उनकी ढाई करोड़ जनता और साढ़े तीन करोड़ पशु प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने जो कार्य शुरू किये वे 15 फरवरी से शुरू किये। यह तो मानना ही पड़ेगा कि कार्य शुरू किये गये हैं वे

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

बहुत ही विलम्ब के साथ शुरू किये गये हैं। पहले भी अकाल था और हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जिस प्रकार कार्य खोले गये थे, समय पर खोले गये थे। उस समय राहत कार्यों में पक्के काम भी खोले गये थे, चारदीवारी भी बनाई गई थी परन्तु इस बार जो कदम उठाया गया राज्य सरकार द्वारा वह बहुत ही धीमी गति का था। स्थिति यह थी, मैं विशेष चिन्तित बराबर लगातार रहा कि पशुओं को बचाना होगा, गायों को बचाना होगा। गायों को बचाने के लिए जो अपन ने कदम पहले उठाया, एक पशु के बारे में, गाय के बारे में जो पहले तीन रुपये प्रति दिन और छोटे पशु के लिए डेढ़ रुपये प्रति दिन निर्धारित किये थे राजस्थान की गवर्नमेंट ने, मैं कह रहा हूं कि किस प्रकार का दिमाग अपना था। इससे कोई भी किसी प्रकार का पशु बच सकता है ? किसी प्रकार का कोई कैटल कैम्प कायम किया जा सकता है ? कोई भी कैटल कैम्प कायम नहीं किये जा सकते हैं। बहुत इम्प्रैक्टिकल एप्रोच था गवर्नमेंट का। मैं उसकी बहुत ही निन्दा करता हूं कि उनका यह कदम बिलकुल गलत था और उसके कारण हजारों गायें मर गईं, हजारों पशु मर गये। यह कदम उचित नहीं था।

दरअसल में आप अकाल राहत कार्य खोल नहीं सकते थे तो आप पशुओं को तो कम से कम बचाने की प्राथमिकता देते, उस सम्बन्ध में तो कारगर कदम उठाते परन्तु वे कदम आपने नहीं उठाये। उसके बाद आपने छह रुपये और तीन रुपये कर दिये। और अब जो दस रुपये और पांच रुपये किये वे भी पहली मई से लागू किये हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि पशुओं को बचाने के लिए जो कार्य किये गये हैं वह कदम गवर्नमेंट का सही कदम नहीं था। अब आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने मदद नहीं की, भारत की सरकार ने जितनी मदद करनी चाहिए वह मदद नहीं की। अभी हमारे जो पहले फेमिन रिलीफ मिनिस्टर थे वे विचार प्रकट कर रहे थे कि ज्ञापन पेश किया गया, 1045 करोड़ रुपये का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और उसमें बताया गया कि इतनी हम मजदूरों की संख्या लगाएंगे। वह तो 1045 करोड़ रुपया मंजूर होने पर कर सकते थे, पहले इस प्रकार कर नहीं सकते थे। यह बात जरूर है कि भारत सरकार भी अब जगी है। रासासिंहजी जिन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया प्राइम मिनिस्टर को, वह भी 23 अप्रैल को प्रस्तुत किया है। दो महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण भी सही नहीं था, बिलकुल सही नहीं था। अक्टूबर के अन्दर हमारा अधिवेशन हुआ था और मैंने भाषण दिया था अकाल राहत कार्यों के लिए उस वक्त दृष्टिकोण सही नहीं था...(व्यवधान) आप बैठिए, मैं सही बात कह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्षमता सरकार चलाने की है...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपकी सरकार तो राजस्थान को समाप्त करना चाहती थी। यह तो हाहाकार मचा अब जाकर +++ (व्यवधान) +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री रतनलाल ताम्बी : कितने हालत खराब किये हैं आपने। यह सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगली बार तीन भी नहीं आओगे तीस की जगह। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बीच में बाधा नहीं पैदा करें।(व्यवधान) उनको अपनी बात कहने दो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं तो बिलकुल गवर्नमैंट की जो कमजोरी है उसकी बात कहना चाहता हूं, भारत सरकार की कमजोरी है उसके बारे में कहना चाहता हूं। आज भारत सरकार चेती है, अगर यह दो महीने पहले चेती होती तो इतने पशु राजस्थान में नहीं मरते, इतनी हालत लोगों की खराब नहीं होती। यह जो चेतना उनको चाहिए था, दो महीने पहले उनको चेतना चाहिए था। वे नहीं चेते। क्यों नहीं चेते ? क्योंकि लोक सभा के अन्दर जो डिस्कशन पहले हुआ था उसके अन्दर भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा के सदस्यों का दृष्टिकोण सही नहीं था। हमारे कांग्रेसी लोक सभा के सदस्यों ने बात रखी और उन्होंने बात कही कि इनके पास अभी बहुत साधन हैं।

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य बाड़मेर पर आइये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं आ रहा हूं। रासासिंहजी ने अब ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि राजस्थान सरकार के पास सीमित साधन हैं। तो पहले कौनसे सीमित साधन नहीं थे ? भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखा उसके कारण ही इतने पशुओं की क्षति हुई है। उसके लिए वे भी जिम्मेदार हैं।

दूसरा अब मैं बाड़मेर जिले की समस्याओं के बारे में आना चाहता हूं। बाड़मेर जिले में अभी पशुओं को बचाने का कार्य महत्वपूर्ण है। पशुओं की समस्या बढ़ गई है। 1987-88 में जब मैं लोक सभा का सदस्य था और शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे तो हमने साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये से इनकी मदद की थी। साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये इसमें बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, मदद की थी। स्थिति यह हुई थी कि तीस हजार पीने के पानी के टांके बनाये गये थे। अभी भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर बूंद बूंद पीने के पानी को बचाना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर में टांके होने चाहिए। पहले तीस हजार टांके बनाये गये थे। अब आप योजना बनाइये टांके बनाने की। घर घर में टांके बनाये जाएं। टांके बनाने से उनकी पानी की समस्या का काफी निदान होगा। इसी प्रकार सिंचाई के कुएं बनाये गये थे। बाड़मेर जिले में एक हजार सिंचाई के कुएं बनाये गये थे। अब भी कुएं बनाने की आवश्यकता है। यह शर्त लगाना कि पन्द्रह बीघा जमीन हैं उन्हीं को सिंचाई के कुएं का लाभ मिलेगा, आवश्यक नहीं है क्योंकि यह तो एक प्रोडक्शन का प्रोग्राम है, पैदावार का प्रोग्राम है।

इस समय मैं कहना चाहता हूं दीर्घकालीन योजनाओं के बारे में भी। पशुओं के लिए दीर्घकालीन योजनाओं के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी और अब इस अपनी सरकार में भी पशुओं को बचाने के बारे में बिलकुल निष्क्रिय है। आज अपने को यह देखना चाहिए कि कांकरेज ब्रीड़ है, हमारे यहां थरका ब्रीड है, इस नस्ल को कैसे सुधारा

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जाए। नस्ल को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार के सांड फिर रहे हैं जो बिलकुल निकम्मे हैं। या तो गौशाला वाले उनका प्रबंध करें नहीं तो इनका साल्यूशन करना पड़ेगा। उसके बिना चल नहीं सकता। मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान के किसी भी गांव के अन्दर कोई भी निकम्मे सांड घूमने नहीं चाहिए, उनकी बिलकुल व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी व्यवस्था अगर नहीं होगी तो हम किसी भी प्रकार की कोशिश करें, पशु नस्ल के सुधार का काम नहीं कर सकते। कांकरेज ब्रीड के लिए हम यह चाहते हैं कि आप केन्द्र सरकार से...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आज एनीमल हस्बैंड्री नहीं है, अकाल है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप बात सुनिए, मैं परमानैंट साल्यूशन बता रहा हूं।

श्री सभापति : आज आपका समय सीमित है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं परमानैंट साल्यूशन बता रहा हूं।

श्री सभापति : परमानैंट साल्यूशन पर मत जाइये आप। आपका समय दस मिनट निश्चित है, आप अपनी बात कहिये अकाल की।

श्री वृद्धिचन्द जैन : परमानैंट साल्यूशन बताता हूं कि दरअसल में पशु नस्ल सुधार अपन कर देंगे और गायें 8-8 किलो दूध देंगी तो अकाल की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं। सीमा मुकर्रर की है पशुओं के बारे में दस हजार की। दस हजार की सीमा को आप बढाएं। अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अभी जो कार्य चल रहे हैं, पहले तो सीमा श्रमिक आधार पर किया था, लेबर लगाई, मैटीरियल 25 प्रतिशत था। बहुत से स्थानों के अन्दर स्थिति इस प्रकार की है कि ग्रेवल पचास-पचास किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां सड़कें कैसे बनाएं ? आज यह आवश्यकता है कि कम से कम चालीस प्रतिशत मैटीरियल कम्पोनैंट हो तब जाकर सड़कों का निर्माण हो सकता है। अन्यथा सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए यह व्यवस्था करनी बहुत ही आवश्यक है।

अब मैं पीने के पानी के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। पीने के पानी की समस्या के परमानैंट साल्यूशन के लिए मैंने बार-बार मांग रखी है। हमारे मंत्री महोदय सहानुभूति तो रखते हैं परन्तु उनके अधिकारियों द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं वे बहुत निराशाप्रद हैं। पोकरण से, मोहनगढ़ से जो बाड़मेर की योजना है जिसके अन्दर 411 रेवेन्यू विलेजेज आते हैं बाड़मेर जिले के और 147 रेवेन्यू विलेजेज आते हैं जैसलमेर के, इससे अब करीब पांच लाख जनता को लाभ मिलेगा, बाड़मेर शहर की तो एक लाख जनता को और ग्रामीण क्षेत्र की चार लाख जनता को, उस योजना के बारे में मैं बार बार कहता हूं। आप प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करिये, डिटेल सर्वे करिये, सैंक्शन जल्दी करिये ओर नाइन्थ फाइव ईयर प्लान में इनक्लूड नहीं करा रहे हो। इसके अन्दर यूं तो आपने हमें विश्वास दिया, 23 अप्रैल को बाड़मेर शहर में मीटिंग थी, कि मैं दीपावली पहले सैंक्शन कर दूंगा और सैंक्शन करके दो-तीन वर्षों के अन्दर पीने का पानी पहुंचा दूंगा। आपने जो शब्द

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कहे हैं आप उनकी पूर्ति करो और पूर्ति करके कार्यवाही करो। अभी तक जो कदम उठाये गये हैं वे कदम उचित नहीं हैं। पीने के पानी की बाड़मेर शहर में अभी स्थिति यह है कि हफ्ते में दो बार शहरी क्षेत्रों में मिलता है। कुछ क्षेत्रों में हफ्ते में दो दिन, तीन दिन मिलता है, कहीं-कहीं हफ्ते में एक दिन मिलता है और कहीं बिलकुल नहीं मिलता है। ऐसे कई पाकेट्स हैं जहां पानी मिलता नहीं है, स्थिति बहुत खराब है। मैं एक रिपोर्ट रखता चाहता हूं, जो हमारे चीफ हाइड्रोलोजिस्ट डी. सी. शर्मा हैं उन्होंने यह व्यक्त किया है कि यह योजना अगर फलेगी, भारत सरकार की बाढ़ कल्याण योजना सुचारू रूप से चल नहीं सकती।

"Over the years the source of scheme has depleted. Mr. D.C.Sharma, Chief Hydrologist has conveyed vide his letter No. G.84/CHG/GWD/99/212-15 dated 7.4.99 addressed to you, that there appears no sustainable source of water supply to Barmer City in Barmer District. The quantity and quality of the present source has worsened considerably and may cross the acceptable limits within a few years,"

इसके लिए बीच में जब तक मोहनगढ़ से बाड़मेर योजना नहीं बनाई जाए। 15 करोड़ की योजना प्रस्तुत की थी वह भी रिजैक्ट कर दी गई इस दृष्टिकोण को रख कर कि-

"Reorganization for urban water supply scheme, Barmer costing 1502 lacs only was submitted to TC/22.5.99/ agenda item 3 and subsequently returned back with comments that the source at Bhadaka is not adequate and sustainable and C.E. should examine the source in detail and submit proper proposals."

कहने का अर्थ यह है कि 15 करोड़ की योजना रिजैक्ट की गई क्योंकि भारत सरकार का सोर्स रिलायबल सोर्स नहीं है। फिर भी प्रस्तुत की गई है साढ़े चार करोड़ की योजना और वह बहुत ही जरूरी है। वह साढ़े चार करोड़ की योजना आप मंजूर नहीं करते हैं तो हमारे शहर में पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा। कंटिंजेंसी प्लान प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कंटिंजेंसी प्लान में बहुत कम राशि दी गई है। इस सम्बन्ध में और राशि दी जानी चाहिए। बाड़मेर जिले में 1889 गांव हैं जिसके अन्दर सिर्फ 50 गांव और 200 ढाणियां रह गई हैं। सब योजनाएं बनाई हुई हैं परन्तु योजनाएं सुचारू रूप से नहीं चलतीं, इसका क्या कारण है ? लेबर जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते । इस पकार की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने ऐसे-ऐसे कनेक्शन दिये कि 1-1 किलोमीटर में कहीं-कहीं तो 8-8, 10-10 कनेक्शन दे दिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, सदन में खड़े होकर चर्चा नहीं करें। माननीय सदस्य, प्लीज सदन की गरिमा को बनाये रखें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के सुचारू रूप से नहीं चलने का मुख्य कारण यह है कि जी.एल.आर. बनाये और कभी भी पानी नहीं पहुंचा। बहुत से जी.एल.आर. में पानी नहीं पहुंच रहा है। हड़ताल थी सरकारी कर्मचारियों की उस समय गवर्नमैंट सर्वेन्ट्स ने मेहनत करके जिन-जिन

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

स्थानों पर पानी नहीं पहुंचता था, पानी पहुंचा दिया। जो अवैध कनेक्शन हैं उन अवैध कनेक्शन के बारे में कार्यवाही करनी चाहिए। एक मामला प्रस्तुत किया है ऊंडू की योजना के बारे में, उस योजना के बारे में हमने प्रश्न पूछा था। उसका जवाब तो नहीं आया है परन्तु अधिकारी मुकर्रर कर दिया है। एडीशनल चीफ़ इंजीनियर पी.एच.ई.डी., कैनाल...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस, एक बात कह कर खतम कर रहा हूं।

कैनाल प्रस्तुत किया है इसके सम्बन्ध में जांच जल्दी कराएं। अधिकारी जनवरी में रिटायर होने जा रहा है। उसका रिटायरमैंट होने के पहले-पहले जांच करवा कर उन्हें दंडित किया जाए। इस प्रकार का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनको दंडित करके क़दम उठाए जाएं। परम्परागत कुएं हैं उन कुओं के चालू किया जाए। पानी के लिए जो नार्म्स बने हुए हैं उन नार्म्स के हिसाब से नहीं देते हैं क्योंकि उनमें फ्लोराइड ज्यादा है। पशुओं के पीने के लिए मोटर पम्प लगाकर इन योजनाओं को चालू करें ताकि योजनाए सुचारू रूप से चल सकें।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रिछपाल सिंह। समय सीमा है, माननीय सदस्य, आप बहुत संक्षेप में बोलेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से, निर्दलीयों की तरफ से श्रीमती सुमित्रा सिंह ने बहुत समय ले लिया है। संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : हमारा समूह है, हमारे समूह के हिसाब से हमारे को समय मिलेगा।

सम्माननीय सभापति महोदय, आज सदन में अकाल व पेयजल जैसे गम्भीर मुद्दे पर चर्चा करवाई जा रही है। वैसे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे की राजस्थान में अकाल नहीं पड़े, परन्तु भगवान रूठता है तब ऐसी विपदाओं का सरकार को और राजस्थान की जनता को सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सभापति महोदय, अबकी बार राजस्थान में भयंकर अकाल ही नहीं, इसको महाकाल एवं त्रिकाल कहें तो भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। 32 में से 26 जिले अकाल की चपेट में हैं और इस अकाल में 23406 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। ढाई करोड़ से अधिक की आबादी और साढ़े तीन करोड़ से अधिक पशुधन इससे प्रभावित है। सम्माननीय सभापति महोदय, सदन में पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव रखे। अब उन पर कितना अमल होता है, कितना नहीं होता, यह सरकार का काम है किन्तु आज अकाल की स्थिति ऐसी भयंकर हो गई है कि सरकार के सामने दो मुद्दे हैं। भूख से इस राजस्थान में कोई मरने वाला नहीं है। पहली समस्या है कि पशुओं का बचा लें और दूसरी समस्या है पेयजल की। सरकार ने समय रहते अपनी घोषणा के अनुसार अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किए, उनमें देरी की। देरी के साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अकाल राहत कार्य खोले गये हैं वे भी पर्याप्त नहीं हैं। एक पंचायत में एक काम। अब एक पंचायत में चार गांव भी हो सकते हैं, तीनं गांव भी हो सकते हैं, वहां कितने श्रमिक काम करेंगे यह

(श्री रिछपालसिंह मिर्धा)

सरकार के सोचने का विषय है। यह +++ देकर किसी का कान कटवाए, किसी का नाक कटवाए, ऐसा काम सरकार नहीं करे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो अकाल की गाइडलाइन सरकार ने रखी है उस गाइडलाइन में मात्र कच्चे काम हैं। अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे पक्के काम हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जिले से मैं आता हूं, नागौर से, उस जिले में अभी 15 तारीख को अकाल राहत की मीटिंग हुई और माननीय प्रभारी मंत्रीजी पधारे। वहां पर यह तय हुआ कि कच्चे काम करवाए जाएंगे। गाइडलाइन पूरी मैं आपको यहां पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता लेकिन यह कहा कि दो लाख तक के काम तो पंचायत करवाएगी और दो लाख के ऊपर के काम या तो पी.डबल्यू.डी. या इर्रिगेशन करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उनका किसी के पास उपाय नहीं है। ऐसे में आप जल प्रतिनिधियों को अलग करके 2 लाख से ऊपर के अकाल राहत के काम भी पी. डब्ल्यू. डी. और इर्रिगेशन से करवाना चाहो तो मेरी समझ में ये काम न तो आपके पूरे होंगे और बरसात का समय आने तक इन कार्यों पर जितनी राशि आप स्वीकृत करोगे उसकी 20 पैसे राशि भी जाकर इस काम में नहीं लगेगी। मेरा आपके माध्यम से, सभापति महोदय,यह निवेदन है कि इस पर सरकार विचार करे, श्रमिकों की संख्या बढ़ाए और इन कार्यो के बारे में गाइडलाइन में रद्दोबदल करने पर भी विचार करे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात आपके समक्ष निवेदन करना चाहूंगा की सौ प्रतिशत ही अकाल है। माननीय सभापति महोदय, चारा डिपो बहुत कम खुले। लोगों के पास पैसा है नहीं । जो गाइडलाइन सरकार ने दे रखी है, उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भवन रहित विद्यालय हैं उनके भवन के स्कूलों की चारदीवारी के ऐसे अनेक कार्य हैं जो पक्के कार्य हैं। सरकार का पैसा लगे उसका उपयोग सही जगह हो,ऐसे कार्यों को भी अकाल राहत के तहत सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इलाकों की अलग-अलग तरह की समस्याएं हैं। जैसे आज अकाल की चर्चा शुरू करते वक्त हमारे वयोवृद्ध हाजी साहब ने जिक्र किया कि नाड़ी, तालाब खुदाई का हमारे यहां कोई महत्व नहीं। मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में बहुत ही अच्छी नाड़ियां हैं, बहुत ही अच्छे तालाब हैं और सरकार ने नाड़ी, तालाब खुदाई के लिए जो कदम उठाया, बहुत सराहनीय कदम है और हमारे जिले के लिए उपयोगी बात है।

अब तीन तरह का अकाल कैसे हुआ, वह मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहूंगा। खरीफ की फसल की बुवाई तो बरसात नहीं होने से नहीं हुई। रबी की फसल में अबके बिजली की कमी रही। जहां सरकार ने आठ घंटे की घोषणा की थी, मात्र 3-4 घंटे बिजली किसानों को मिली और उस बिजली में जितनी भी उन्होंने

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

बुवाई की, ज्यादातर रायड़े की बुवाई हुई। उस बुवाई में, सभापति महोदय, आप तो गांव से आते हैं, आपको भी बताया लोगों ने, रेतीले इलाके में रायड़े में एक ऐसी लट निकली जो रात में साढ़े बारह, एक बजे तो निकलती है और चार घंटे में साफ करके पांच बजे वापस घुस जाती है। तो काश्तकार दवाइयों का भी छिड़काव नहीं कर सकता। पूरी रात काश्तकार दवाइयों की वह मशीन लटकाये खेतों में घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। यह लट हमारे जिले में तो करीब-करीब पूरी फसल चाट गई। भाव नहीं है। आज एक बीघे में किसान का खर्चा आता है 1250 रुपये और रायड़े का भाव क्या है ? 1040 रुपये। अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के काम जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है, तीव्र गति से शुरू नहीं हुए। इस पर आप ज्यादा से ज्यादा पशुधन को बचाने की और मजदूरी भी देने की व्यवस्था करें, मैं यह नहीं कहता मजदूरी मत देओ। ज्यादा समस्या पेयजल की है। सरकार की कई योजनाएं कागजों में ही चलती रहती हैं। एक-दो योजनाओं का जिक्र करूंगा आपके समक्ष। एक कोई मरुस्थलीय योजना है फोरेस्ट डिपार्टमैंट के थ्रू। यह भारत सरकार का पैसा है, चाहे राजस्थान सरकार का पैसा हो, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पैसे का उपयोग राजस्थान की जनता के लिए एक रुपया हमने तो कहीं लगा हुआ नहीं देखा। अधिकारी जाते हैं, चाय पीकर मीटिंग करके आ जाते हैं। कहते हैं यह एजेंडा है मीटिंग का और मीटिंग समाप्त करके चले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी तमाम योजनाओं का पैसा जो राजस्थान की जनता के लिए काम में आ सके, उन योजनाओं का पैसा पेयजल, अकाल राहत के तहत खर्च किया जाए।

श्री सभापति : ऐसा ही कर रहे हैं। आपके सुझाव के अनुसार ही कर रहे हैं।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : अकाल में छोटे-छोटे बांधों को ऊपर उठाया जा सकता है, कई तरह के एनीकट बनाये जा सकते हैं। नाड़ी, तालाब की खुदाई हो ही रही है।

सभापति महोदय, अब मैं दो-चार बातें जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। इन्होंने राजस्थान में मंत्री बनने के बाद काम तो किया है, इस बात को मानने से कतई इंकार नहीं, पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मंत्री बनते ही वह रुतबा अब आपमें नहीं रहा। एक तो आपके कर्मचारी लापरवाह हो गये। जो टेल एण्ड के गांव हैं उन पर 6-6 महीनों पानी नहीं पहुंचता। हमारे तो अधिकांश जिले में फ्लोराइडयुक्त पानी है और फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से अनेकानेक बीमारियां लोगों में लग जाती हैं। दांत पीले हो जाते हैं, छह महीने बाद में शरीर के जितने भी जोड़ हैं उनमें दर्द होने लग जाता है। कई गांव ऐसे हैं जिनमें कुबड़े हो जाते हैं और आदमी नपुंसक तक हो जाता है। तो आपके माध्यम से पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी ने जो काम किया है उसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा लेकिन जो ऐसे गांव बचे हैं उनके लिए निवेदन करूंगा कि उन गांवों में आप पेयजल की व्यवस्था कराएं और जल्दी से जल्दी सरकार से पैसा लेकर ऐसी भीषण गर्मी के...

श्री सभापति : उन कामों की, गांवों की सूची दे देना मंत्री महोदय को।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वह तो दे दूंगा, आप कहने तो दो।

श्री सभापति : ये खुद ही आपकी तारीफ कर रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : सबसे ज्यादा मंजूर किया है।

श्री सभापति : ना,आपकी तारीफ कर रहे हैं ये।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो काम किया है उसके लिए तारीफ करने में कहां तकलीफ है।

श्री सभापति : हां, तारीफ कर रहे हैं। आगे का रास्ता भी उन्होंने बना लिया।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मेरे क्षेत्र के गांव हाटा, गोल, रावतों की ढाणी, बनवांड़ा, राजोल और कई गावं ऐसे हैं जिनमें अभी पेयजल की समस्या है, उनको आप पेयजल मुहैया कराने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था कराएंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। हमारे जिले की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इंदिरा गांधी कैनाल का पानी अगर नागौर में लाया जा सकता है तो जल्दी से जल्दी लिफ्ट करके उस पानी को नागौर में पहुंचा दिया जाए। वहां के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा, वहां के कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा और वहां की जनता को पेयजल भी मुहैया हो जाएगा। तो मैं पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। आपने कई बार मेरे से कहा था कि हम जल्दी पहुंचा देंगे...

श्री सभापति : कोशिश कर रहे हैं मंत्री महोदय।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कोशिश कर रहे हैं तो होगा जरूर।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, दो मिनट और बोलने दें।

श्री सभापति : और लोग भी बहुत उत्सुकता से बाट देख रहे हैं। दूसरे माननीय सदस्य भी बहुत उत्सुकता से बाट देख रहे हैं कि उनका नम्बर आए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उनका भी नम्बर आ जाएगा। वही बात हम कह रहे हैं, और कौनसी बात आएगी ?

पिछली सरकार ने विधायक कोटे में दस लाख का विकास फंड देकर जिस योजना को शुरू किया वह एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि विधायक उसमें प्रस्ताव देते हैं और विधायकों की अनुशंसा पर ही विधायक कोटे से कार्य किये जाते हैं।

मुख्य मंत्रीजी तो हैं नहीं, वरिष्ठ मंत्री शक्तावतजी बिराजमान हैं, माननीय राठौड़ साहब बिराजे हैं, मैं इनसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस सदन में बजट भाषण के दौरान कई माननीय सदस्यों ने आपके मुख्य मंत्री की तारीफ की थी, कइयों ने उनकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से और अनेकानेक तरह से की, अशोक महान् से की। अगर इसको एक करोड़ तक कर दो ना तो एक लाइन हम

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

भी उसमें जोड़ देंगे कि यह अशोक नहीं महान है, राजस्थान की शान है। यह काम आप उनसे करवा दो। सरकार से यह मांग करता हूं कि विधायक कोटे की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाए ताकि राजस्थान की जनता को उसका लाभ मिले और राजस्थान की जनता की खून-पसीने की कमाई का भ्रष्टाचार में एक भी पैसा नहीं जाए।

राजस्थान में अकाल राहत के तहत पिछली बार भी कई लोगों ने स्कूटर और टैम्पो के नम्बर लगा-लगा कर चारा लाया बताया और कई तरह का भ्रष्टाचार किया। ऐसे लोगों की नाक में नकेल डालकर भ्रष्टाचार में पैसा नहीं जाने दें और सही उपयोग कराएं।

आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बोले। माननीय अमराराम धोद। माननीय सदस्य, समय की सीमा रखियेगा, दूसरे सदस्य भी बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं। महिला सदस्यों में एक भी नहीं बोल चुकी हैं सत्ता पक्ष की।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, आज अकाल और पेयजल पर सदन में चर्चा हो रही है। राजस्थान का अकाल से चोली और दामन का साथ रहा है। राजस्थान में पिछले 19 साल का अगर इतिहास देखें तो सात साल को छोड़कर बारह साल तक राजस्थान में भयंकर अकाल रहा है। राजस्थान में इस साल का जो अकाल है, आज से ठीक सौ साल पहले एक भयंकर अकाल छप्पने अकाल के नाम से कुख्यात है, राजस्थान के बहुत बड़े इलाके में, राजपूताना में जिसमें जन-धन की बहुत बड़ी हानि हुई आज ठीक सौ साल बाद फिर राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा है। लेकिन इसमें जो मूल अंतर है वह यह है कि छप्पनवें अकाल में लोगों के पास धन होते हुए भी न अन्न था और न चारा था लेकिन इस समय इस देश और प्रदेश में न अन्न की कमी है और न जल की कमी है। कमी केवल है तो अकाल से पीड़ित लोगों के पास धन की है। उस समय व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण पैसा होते हुए भी लोग अनाज नहीं मिलने के कारण अकाल की मौत मर गए लेकिन आज उनके पास न चारा खरीदने के लिए पैसा है, न अनाज खरीदने के लिए पैसा है। आज पशुओं का चारा राजस्थान में दो-ढाई रुपये से लेकर तीन रुपये किलो में बिक रहा है।

सभापति महोदय, आज स्थिति भयंकर है। राजस्थान में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, इन 50 सालों में अकाल का सर फोड़ने के लिए राजस्थान की सरकारों ने प्रयास नहीं किये हैं। सिंचाई मंत्रीजी यहां सदन में बयान कर रही थीं कि राजस्थान का जो सरफेस वाटर है, उसमें से 50-52 साल की आजादी के बाद केवल 52 प्रतिशत पानी का उपयोग हम कर पाए हैं। 50-52 साल में अगर हम शत-प्रतिशत सरफेस वाटर का उपयोग करते, जमीन को सिंचित करते तो बहुत बड़ा भाग अकाल से मुक्त हो सकता था। लेकिन राजस्थान की सरकार न सरफेस वाटर के उपयोग करने की योजना बनाती है, न राजस्थान में बिजली से सिंचाई करने की योजनाएं बनाती है जो अकाल से मुकाबला कर सकती हैं। एक तरफ तो राजस्थान में

(श्री अमराराम)

बरसात नहीं हुई, खरीफ की फसल बरबाद हो गई, दूसरी ओर पूरे राजस्थान में सरकार ने अपनी घोषणाओं के बावजूद राजस्थान के जो सात लाख ट्यूबवैल सिंचाई करके अनाज पैदा करते हैं, चारा पैदा करते हैं उनको मात्र दो और तीन घंटे बिजली देकर न केवल उन किसानों के साथ बल्कि अकालग्रस्त राजस्थान के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। अगर आठ घंटे के बजाय बारह घंटे बिजली देते तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के सात लाख किसान जो ट्यूबवैल से सिंचाई करते हैं वे इतना चारा पैदा कर देते कि राजस्थान को हरियाणा और पंजाब से चारा लाने की और अनुदान देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सरकार अनुदान के नाम से पैसा बहा सकती है, राजस्थान का किसान चारा पैदा करके दे दे, उसके लिए तैयार नहीं है। हमारे बिजली मंत्रीजी चाहे सदन में कितनी ही घोषणाएं कर दें, चारा पैदा होता, अनाज पैदा होता तो अकाल से मुकाबला होता।

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो, गरीब जो आज अकाल से जूझ रहा है, इसके लिए राशन की व्यवस्था को महंगा कर दिया, चाहे वह चीनी है, चाहे गेहूं है, बाजार के भाव पर राशन की कीमतों को ले जाकर सबसे गरीब व्यक्ति जो अकाल से पीड़ित है, उसकी पीठ में छुरा घोंपने का हिन्दुस्तान की सरकार ने काम किया है। आज आवश्यकता उसके हित की है। सभापति महोदय, वही लोग राशन खरीदते हैं, मध्यम क्लास का या अपर क्लास का व्यक्ति राशन का सामान नहीं खरीदता। बिजली आती नहीं है और उसकी चिमनी को बुझाने का काम भी हिन्दुस्तान की सरकार ने किया है। सभापति महोदय, एक दोहा प्रचलित है अकाल के लिए, मारवाड़ के पूरे इलाके में है और आज वह राजस्थान में और आगे बढ़ गया है, "पग पूंगल धड़ कोटड़े और बाहो बाड़मेर, जोया लाखो जोधपुर, ठाना जैसलमेर।" अकाल के लिए मारवाड़ में दोहा था कि उसका पग पूंगल और बीकानेर में है तथा उसका धड़ मारवाड़ में है, हाथ उसका बाड़मेर में है और हमेशा देखना पड़े तो वह जैसलमेर है। लेकिन आज वह अकाल राजस्थान के 26 जिलों के 24 हजार गांवों तक पहुंच गया। ढाई करोड़ लोग उससे पीड़ित हैं, साढ़े तीन करोड़ मवेशी उससे पीड़ित हैं। उनकी व्यवस्था करने की सबसे पहले आवश्यकता थी सरकार के लिए। सितम्बर में गिरदावरी हुई और जनवरी में जाकर अकाल राहत घोषित होते हैं। जब सितम्बर में गिरदावरी में अकाल पड़ चुका था तो सबसे पहले राजस्थान की सरकार का दिशा-निर्देश होना चाहिए था, प्रशासन के सामने योजना होनी चाहिए थी कि आने वाले समय में अकाल राहत में हम कौनसी योजनाओं में काम करेंगे। राजस्थान का जितना भी पानी बहकर जाता है उसको रोकने के लिए राजस्थान की सरकार ने न दिशा-निर्देश दिये, न प्रशासन कोई योजना बनाई। अभी राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्य गये, सीकर में 22 तारीख को मीटिंग हुई। मंत्री महोदय ने पूछा कि जिला प्रशासन बताये कि इस अकाल से मुकाबला करने के लिए जो पैसा अकाल राहत में लगेगा उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है, अकाल आगे नहीं पड़े इसके लिए इस पैसा का सदुपयोग किस तरह हो सकता है। लेकिन न केवल सीकर में

(श्री अमराराम)

बल्कि पूरे राजस्थान के 26 जिलों में जहां अकाल है, राजस्थान के प्रशासन और सरकार ने दिशा-निर्देश नहीं दिये। इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता था। सबसे पहली आवश्यकता है कि अकाल में काम मिले, लेकिन साथ ही जिनता भी पैसा हमारे इस खजाने से जाता है उसका सदुपयोग भी हो। यह हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। जो पानी बहकर जाता है उसको रोकने का काम, मेड़बन्दी का काम एक-एक गांव में हो सकता था। अकाल राहत के साथ सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमैंट का जितना भी पैसा है वह हम इसमें ले सकते हैं। राजस्थान की सरकार पूरे विभागों को एक जगह बैठाकर योजना और दिशा-निर्देश नहीं देगी तो जिला प्रशासन में बैठे हुए लोगों को अकाल की कोई अनुभूति नहीं है कि अकाल की कैसी पीड़ा है। कोई भी उच्चाधिकारी और न ही जिले में बैठे हुए कलेक्टर इस बात को सोच सकते हैं और न डिवीजनल कमिश्नर सोच सकता है। लेकिन यह सरकार का दायित्व है जो जनता का भारी बहुमत लेकर आई है। उसको चिन्ता होनी चाहिए कि इस पैसे का सदुपयोग हो, वह लोगों तक पहुंचे। सरकार ने कितनी ही घोषणाएं कर दी हों, लेकिन जनवरी में अकाल घोषित किया जाता है और मार्च में अकाल कार्य शुरू किये जाते हैं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि अकाल से एक भी नहीं मरा। क्या सरकार और सरकार प्रतिनिधि यह इंतजार कर रहे हैं ? राजस्थान के अकालग्रस्त इलाके में बैठा हुआ वह व्यक्ति जब तक नहीं मरेगा तब तक सरकार कोई व्यवस्था नहीं करेगी ? क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही है ? जब चारों ओर से राजस्थान में अकाल के कारण से लोग पलायन कर गये, उसका पशुधन जगह-जगह मरकर ढेर हो गया, जब इस तरह की खबरें आने लगीं, जब राजस्थान की कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा उसके बाद में पूरे मंत्रियों को दौड़ाया गया। निश्चित रूप से दौड़ाना चाहिए, चाहे वे सत्ता पक्ष में बैठे हैं, चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि राजस्थान के गांव में बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसको 50-52 साल के बाद में भी अकाल से जूझना पड़ रहा है उसकी हम किसी भी तरह से मदद कर सकें।

सभापति महोदय, आज अकाल में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो भी काम हो रहे हैं हम उनको व्यवस्थित करें। आज आपने कोई भी कार्यकारी एजेन्सी है उसके साथ तहसीलदार को जोड़ रखा है। जिस भी गांव में जो भी एजेन्सी तय है, चाहे ग्राम पंचायत कर रही है, चाहे कोई विभाग कर रहा है, पूरी तहसील के एक-एक अकाल राहत कार्य को तहसीलदार देख नहीं सकता है। इसलिए जिस भी गांव में अकाल राहत कार्य हो रहे हैं उसका पेमेन्ट हो तो तहसीदार की आवश्यकता नहीं है। गांव में बैठा हुआ आपका कोई भी सरकारी अधिकारी है चाहे वह स्कूल का हैडमास्टर हो, चाहे वैध हो, चाहे डाक्टर हो, उसकी आप ड्यूटी लगाएं कि जो भी भुगतान हो उसके समक्ष होगा, उससे वैरीफाई होगा। एक तहसील में 200-300 गांव हैं, 100 अकाल राहत कार्य चल रहे हैं तो तहसीलदार उनकी निगरानी नहीं कर सकता है। गांव में आपकी जो भी एजेन्सी है, चाहे वह ग्राम पंचायत है, चाहे कोई विभाग, वहां का पेमेन्ट गांव में रहने वाले अधिकारी से वैरीफाई करवाएं तो उसका भी इंतजाम होगा, चारा डिपो का भी इंतजाम होगा।

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, हमारे जिले में दो तहसीलों में जो एक फसली इलाका हैं, वहां अकाल की सबसे बड़ी मार है। सीकर जिले में तमाम 999 गांव अकालग्रस्त हैं। लेकिन वहां जो चारा लाने गये थे, उनको आज तक पेमेन्ट नहीं मिला है। पेमेन्ट तहसीलदारजी वैरीफाई करेंगे, एस.डी.ओ. साहब वैरीफाई करेंगे, उसके बाद वहां के कलेक्टर री-पेमेंट करेंगे। आपने जितने भी चारा डिपो खोले हैं, एक-एक करके सब बंद हो गये। जिस गांव में आपके चारा डिपो हैं वहां के अधिकारियों से आप वैरीफिकेशन लेते हैं, गांव के लोगों से वैरीफिकेशन लेते हैं तो तहसीलदार की जरूरत नहीं है, आपका रीपेमेंट होगा। आज जिस तरह से चारा महंगा हुआ है, मैं समझता हूं कि यह सबसे खतरनाक स्थिति है। राजस्थान के आदिवासी जिलों में अकाल की स्थिति में मदद करने में मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार असफल रही है।

आपके द्वारा कहा गया है कि अकाल राहत में काम करने के लिए जो मजूदर आते हैं उनके लिए टास्क बेस होगा पेमेंट। राजस्थान सरकार के लिए टास्क नहीं है, राजस्थान के अधिकारियों के लिए टास्क नहीं है, राजस्थान के कर्मचारियों के लिए टास्क नहीं है लेकिन राजस्थान का सबसे गरीब व्यक्ति जो अकाल पीड़ित है, वह रोजगार पर जाएगा तो उसके लिए टास्क लागू होगा बाकी राजस्थान में न कर्मचारी के लिए होगा, न राजनेता के लिए होगा क्योंकि उसकी संगठित आवाज नहीं है। मैं मानता हूं कि आप इनके लिए भी टास्क की व्यवस्था करें। टास्क बेस कहां होगा ? जो आपका मैट है उसकी मजदूरी टास्क में गिनी जाएगी, पानी पिलाने वाले की टास्क में गिनी जाएगी। जो कोई भी विभाग काम करवाता है उसका भ्रष्टाचार भी टास्क बेस के अन्दर होगा। अगर हम भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो मस्टर रोल कार्य स्थल पर उपस्थित होना चाहिए, आप कितने भी आदेश निकाल दें जब तक गांव में रहने वाले अधिकारी को उसके साथ नहीं लागाएंगे तब तक फर्जी मस्टर रोल भरे जाएंगे, टास्क आएगा नहीं। टास्क केवल उनके लिए नहीं होना चाहिए। 45 डिग्री सैल्शियस तापमान जिसमें हम दो घंटे नहीं रह सकते, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे 8 घंटे वहां काम करेंगे ? इतना टास्क पूरा करेंगे ? क्या हालत होती होगी उसकी जो अकाल से जूझ रहा है , जिसको पौष्टिक आहार नहीं मिलता ?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से आज की कार्यवाही का समय दो घंटे और बढ़ाया जाता है।

राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, जहां तक अकाल का सवाल है, राजस्थान के

(श्री अमराराम)

26 जिलों में अकाल है। आज सड़कों की क्या हालत है, विशेष रूप से गांव की जो लिंक रोड्स हैं ?आप सार्वजनीक निर्माण विभाग को एक-एक जिले के लिए सड़कों की मेंटिनेंस के लिए जो पैसा देते हैं, आप एक साथ दे दीजिए। आज सड़कों की यह हालत है कि सड़क की साइड में गाड़ी उतर नहीं सकती। जहां डामर की सड़क है वहां गाड़ी तो क्या पैदल भी आदमी नहीं चल सकता। इन रास्तों से तो कच्चे रास्ते ही ठीक हैं। आप सार्वजनिक निर्माण विभाग को जितना पैसा मेंटिनेंस का देना चाहते हैं वह पूरा का पूरा एडवांस में अभी दे दें, इससे सम्पूर्ण सड़कें भी ठीक होंगी और जनता को भी यह एहसास होगा कि सरकार बदली है। आपका पैसा वही है लेकिन अकाल राहत में यह काम हो सकता है।

सभापति महोदय, जहां तक सीलिंग का प्रश्न है, सीकर जिले के 999 गांव अकालग्रस्त हैं और 20 हजार की सीलिंग है। मैं मांग करता हूं कि आप सीकर जिले के लिए कम से कम 50 हजार की सीलिंग करें। जितने भी विभाग हैं, उनको एक साथ मिला लीजिए, उनसे पैसा लीजिए। जब तक उसकी सही मानिटरिंग नहीं होगी, उसका उपयोग नही होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस अकाल के समय हम सबका दायित्व है और सरकार भी उन लोगों के बीच जाए।

सभापति महोदय चारे के नाम से सरकार ने बड़ी घोषगाएं कीं ।.अभी देवीसिंहजी कह रहे थे कि चारा नहीं उगाते हैं। मैं समझता हूं कि कोई अफीम नहीं उगाता , कोई ग्रेनाइट नहीं पैदा करता। चारा उगाने के लिए बिजली बोर्ड ने घोषणा तो की लेकिन एक भी कनेक्शन आज तक उन इलाकों में चारा उगाने के नाम से नहीं दिया।

आज जिस तरह से बिजली बोर्ड की हालत है, मेंटिनेंस करते ही नहीं और घोषणाएं करते हैं। इससे जनता को हानि होती है, बिजली बोर्ड को हानि होती है और किसानों को हानि होती है। आप मेंटिनेंस कराएंगे और लाइनों को ठीक कराएंगे तो काम होगा। आपने जितने भी कनेक्शन दिये हैं, एक और रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 8 प्रतिशत बी.आर. होगा। मैं कहता हूं कि जहां सिंचाई होती है चाहे झुंझुनूं हो, चाहे नागौर हो, चाहे जयपुर हो, अगर 8 प्रतिशत बी.आर. का आपने लगा दिया तो एक भी कनेक्श्न नहीं होगा।

सभापति महोदय, आज पानी की स्थिति बहुत खराब है, विशेषकर राजस्थान के उन इलाकों में जहां फ्लोराइडयुक्त और खारा पानी है। रीजनल स्कीम्स की हालत यह है कि आज वहां पांच रुपये से भी ज्यादा में एक मटका पानी बिक रहा है। वह गरीब जिसके पास ऊंट गाड़ा नहीं है, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है,वह 20 किलोमीटर दूर से पानी नहीं ला सकता। जितनी भी रीजनल स्कीम्स हैं, चाहे वह जोधपुर में हों, चाहे नागौर में हों, चाहे झुंझुनूं में हों, चाहे सीकर में हों, उनकी हालत भयंकर होती जा रही है। पानी की व्यवस्था पूरे राजस्थान में सरकार करे।

मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की लोसल नगरपालिका में एक बहुत बड़ी समस्या लम्बे समय से पानी की चल रही

(श्री अमराराम)

थी, उसके लिए एक स्कीम आपने पास की है। लेकिन हालत क्या है ? आज 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और पैसा शहरों पर खर्च होता है। कह दिया कि गांव वाले मेंटिनेंस करेंगे, गांव वाले ही उसको चलाएंगे। लेकिन क्या उसके लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है ? उसके लिए पैसा अलाट नहीं होगा। चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार, आजादी के 50 साल बाद भी हम गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पीएं, पानी नहीं मिलने के कारण हमारे पशु मारे जाएं, लोग कुबड़े हो जाएं, इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती।

आपके जलदाय विभाग की हालत तो और भी खराब है। कोई गांव इतना छोटा है जो टी.एस.एस. को चलाने में खर्च करता है, मोटर जलने पर वापस उसकी मरम्मत नहीं करा सकता। अगर सरकार नहीं कराएगी और 15 दिन अगर जली हुई रह गई तो उन पशुओं का क्या होगा ? आदमी तो पास से भी लाकर पी सकता है, प्यास लगेगी तो वह कह भी सकता है लेकिन वह मूक पशु किस तरह से पानी पीएगा ? और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गर्मी के मौसम में जुलाई तक टी.एस.एस. की मोटर जिसकी गांव के लोग मेंटिनेंस और मरम्मत नहीं करा सकते हैं, सरकार का दायित्व है कि वह उसकी मेंटिनेंस और मरम्मत की व्यवस्था करे और लोगों को पानी पिलाए।

सभापति महोदय, आज इनके विभाग की क्या हालत है ? मेरे विधान सभा क्षेत्र में उच्च जलाशय की तीन योजनाएं स्वीकृत हुई। दो काम स्वीकृत हुए उनकी स्वीकृति में दिया हुआ था कि एक वर्ष में पूर्ण हो जाएंगी। तीन साल से अभी भी रेंग रही हैं। टंकी बन गई, एक साल हो गया, अभी तक पानी नहीं, चाहे किरड़ोली हो, चाहे सिंगरावट हो। मूण्डवाड़ा के लिए फाइनेंस कमेटी की मीटिंग दिनांक 3 मार्च, 1999, एजेण्डा नम्बर 13 द्वारा स्वीकृति निकली। उसको पूरा करने का समय एक साल था लेकिन एक साल दो महीने होने के बाद भी वहां काम का श्रीगणेश तक नहीं हुआ। मैं मंत्रीजी से भी मिला था। फाइनेंस का इसमें प्रोविजन किया गया कि जितना पैसा, 25 लाख रुपया लगेगा, उसका आधा साढ़े बारह लाख डी.आर.डी.ए. देगा। दो मंत्री अभी सीकर गये, हमने कहा, सरकार भी यहां, डी.आर.डी.ए. भी यहां, कलेक्टर भी यहां, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह डी.आर.डी.ए. से दे या विभाग से दे। लेकिन एक साल का समय होने के बाद भी मूण्डवाड़ा गांव जिसकी आबादी 1991 में 4 हजार थी और आज 5 हजार है, प्यासा मर रहा है। आप जवाब देते हैं कि स्वीकृति हो गई।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सदस्य, आप जब मीटिंग में जाते हैं तो इस तरह की योजना बनाकर भेज देते हैं कि हम गांव में सहभागिता योजना बनाएंगे। आप हमारे जिम्मे डाल दीजिए, हम अपने आप कर देते हैं। आप वहां क्यों कह देते हैं कि हम इतना कर देंगे, उतना कर देंगे ?

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, मैंने नहीं कहा। आपने योजना बनाई थी कि 25 हजार रुपये गांव वाले जन सहयोग दे देंगे तो गांव में ओवर हैड टैंक और पानी की व्यवस्था हो जाएगी।

(17.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप डी.आर.डी.ए. के मैम्बर हैं, आपको वहां कहना था। आपने यह बात वहां पर उठाई नहीं और यहां से आज अकाल के समय आपको इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैंने न डी.आर.डी.ए. को कहा कि 12.50 लाख दे दो...

श्री सभापति : अब कहो आप।

श्री अमराराम (धोद) : गांव वालों को आपके विभाग ने कहा 25 हजार रुपये आप जमा करा दो। गांव वालों ने 25 हजार रुपया आज से तीन साल पहले जमा कराये, आज से 14 महीने पहले स्वीकृति हुई। मैं कहां बीच में आ गया ?

श्री रामसिंह विश्नोई : आप हाथ ऊपर कर दीजिए हम कर देंगे, इसमें क्या है ? आपने काहे को डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में कहा ?

श्री अमराराम (धोद) : आप हाथ ऊपर कर दीजिए हम कर देंगे। सरकार यहां हाथ खड़े कर दे कि हमारे पास पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए पैसा नहीं है तो गांव वाले, मंत्री महोदय, सरकार से पानी पीते नहीं हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने हाथ ऊपर कर दिये, आप संभाल लेना इसको। अब समाप्त करें।

श्री अमराराम (धोद) : समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, मंत्रीजी यह कहें कि आप हाथ खड़े कर दो।

श्री सभापति : कर दिये आपने।

श्री अमराराम (धोद) : मैं नहीं राजस्थान की 2.50 करोड़ जनता ने हाथ खड़े कर रखे हैं, क्या वे आपको दिखाई नहीं देते ? अमराराम के हाथ खड़े करने से ही अगर पानी मिलता है तो अमराराम तो दोनों हाथ खड़े करता है।

श्री सभापति : हो गई आपकी बात।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान की 2.50 करोड़ जनता को अमराराम के हाथ खड़े करने से पानी मिलता है तो, मंत्रीजी, अमराराम को हाथ खड़े करने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन आप पानी पिलाने में आपकी स्वीकृत योजनाओं को...

श्री सभापति : आप मंत्री महोदय की तारीफ करते-करते कहां आ गये ? पहले तो बहुत अच्छा बताया, अब वापस कहां आ गये ?

श्री अमराराम (धोद) : बढ़िया किया उसके लिए तो धन्यवाद दूंगा ही।

श्री सभापति : अब और अच्छा हो जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, जो उनका विभाग नहीं कर रहा स्वीकृत होने के बाद, जनता जल योजना में 5 साल पहले 500 रुपये उस योजना को चलाने वालों के लिए हर महीन वाटरवर्क्स को देने के लिए स्वीकृत हुए। जे.जे.वाई. में प्रोविजन है, आप भी झुंझुनूं से आते हैं, बहुत सी जे.जे.वाई. योजनाएं हैं, सीकर जिले में मंत्रीजी जवाब दें तब बता दें, 500 रुपये एक महीने का भी जे.जे.वाई. में चलाने वाले को, गांव वालों को

(श्री अमराराम)

आपने पेमेंट किया ? न सीकर में किया, न झुंझुनूं में किया।

श्री सभापति : झुंझुनूं में तो किया है।

श्री अमराराम (धोद) : कर दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सीकर पर क्यों नाराज हैं मंत्रीजी ?

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : सभापति महोदय, यह हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों है ? झुंझुनूं में दिया,सीकर में नहीं दिया, यह सौतेला व्यवहार क्यों ?

श्री सभापति : जे.जे.वाई. का मतलब है जनता जल योजना। उसमें पेमेंट हुआ है। लाखों रुपया पेमेंट हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : पेमेंट तो गांव वालों को करना था, नहीं किया गया है। हैण्डपम्प स्कीम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, जहां 400 की आबादी है वहां आप केवल एक हैण्डपम्प लगाते हो। हैण्डपम्पों की हालत यह है, सीकर में सर्वे कराया गया, 80 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हैं। जिस गांव में 400 की आबादी है, जिसमें 3 हजार पशु हैं क्या वहां पर एक हैण्डपम्प से काम चल सकता है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने भाषण में यह सब कुछ कवर कर लिया है,अब आप समाप्त करें।

श्री अमराराम (धोद) : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। आज राजस्थान के 40 प्रतिशत गांवों को हैण्डपम्प स्कीम से पानी की व्यवस्था है। 35 से 40 प्रतिशत गांवों में केवल एक हैण्डपम्प लगा दिया और सरकार ने छुट्टी पा ली कि पानी की व्यवस्था हो गई। 400-500 लोग हैं, 3 हजार पशु हैं, क्या एक हैण्डपम्प से, सभापति महोदय, पानी की व्यवस्था हो गई ? सबको एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन हर जिले में जितनी बड़ी आबादी है उसको सबसे पहले लेकर आप इस रेस्ट्रिक्शन को जब तक नहीं हटाएंगे, गांव वाले तैयार हैं , हो सकता है खारा पानी हो, लेकिन सीकर जिले में, नागौर में या जयपुर में जहां मीठा पानी है कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां सार्वजनिक कुआ बना हुआ नहीं हो। गांव वालों ने कुएं बना दिये, गांव वाले सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सभापति महोदय, विभाग के मंत्रीजी ने सीकर में घोषणा की थी, एक साल हो गया, पूरे तीन जिलों की मीटिंग बुलाई थी, और मंत्रीजी ने घोषणा की थी, लेकिन एक भी हैण्डपम्प का गांव वाटर वर्क्स की स्कीम में नहीं आया। केवल स्कीम में ही नहीं, विधायक और सांसद भी अगर उस हैण्डपम्प की स्कीम में ट्यूबवैल या कुआ चलाने के लिए पैसे दें तो आपके विभाग के नार्म्स में नहीं आता। क्या नार्म्स यही हैं कि उन लोगों को पानी पिलाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है ? एक साथ सबको नहीं कर सकते हम लेकिन हमें इस बात को शुरू करना पड़ेगा।

श्री सभापति : आप मेरे पर कृपा कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, आपकी है कृपा तो।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, आज 26 तारीख है, महिला अधिकार दिवस है इसलिए आज सबसे ज्यादा महिलाओं को बुलवाइए आप। 50-50 को नम्बर दे दिया, यह कोई बात थोड़े ही है रात के 11.00

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

बजे तक हमारा नम्बर आता रहेगा। हम बोलेंगे अगर आप हमारा नाम नहीं लेंगे तो।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, यह भयंकर स्थिति है, 52 साल से राजस्थान के गांवों के साथ, ग्रामीणों के साथ भेदभाव होता रहा है। निश्चित रूप से आप ग्रामीण जनता के पक्षधर हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं,विभाग की जो आज तक योजनाएं चलती रही हैं, जो विभाग की मानसिकता रही है उसको आप निश्चित ही बदलने का काम करेंगे। केवल व्यक्ति ही नहीं पशु भी जो राजस्थान में किसान का सबसे बड़ा सहारा है, कृषि के बाद में कोई उसका सहारा है तो पशुधन है, उसको पानी पिलाने के लिए उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अकाल और बिजली पर आज तक सरकार का जो दायित्व था उसे वह निभाने में असक्षम रही है, आगे मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले तीन महीने में राजस्थान की सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ सबको साथ लेकर अकाल और पानी का मुकाबला करने में सफल होगी और राजस्थान को एक राहत की सांस दिलाएगी ।

सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : मैं भी आपका आभार मानता हूं। माननीय श्रीमती शांति पहाड़िया।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : सभापति महोदय, आपने समय दिया उसका आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पेयजल के ऊपर थोड़ा-सा कहना चाहती हूं। पेयजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है इसका कारण है कि कई बार बारिश नहीं हुई है उसकी वजह से यह पानी का स्तर नीचे गया है। इसके साथ-साथ अंधाधुंध पानी के इस्तेमाल करने से भी यह संकट आया है। मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से यह कहना चाहती हूं कि जो हमारे प्राचीन कुएं चलते थे उनमें पानी उतर गया है, उनके पानी कराया जाए, उनको गहरा कराया जाए। नलकूपों के लिए पहले भी मैंने बताया कि हमारे यहां काफी हैण्डपमप और ट्यूबवैल खराब पड़े हैं, उनकी जल्दी से जल्दी मरम्मत करायी जाए।

दूसरा, हमारे यहां नदियां जो पानी का स्रोत होती थीं, नदियां, तालाब या पोखर सब सूख गये हैं। इसके कारण पशुओं को भी पानी नहीं मिलता है और कुओं का जल भी सूख गया है। जो छोटे-छोटे बांध हैं या पोखर हैं या तालाब हैं इनकी भी मरम्मत करायी जाए ताकी बारिश आए तो पानी वहां पर रुक जाए और हमको पीने का पानी मिल जाए। हमारे बहुत से कुएं ऐसे हैं जो तालाब और पोखरों के पास होते हैं उनके सूखने के बाद हमको पानी नहीं मिलता है। हमारे यहां पानी की कमी इसलिए भी आई है। मैंने पिछले साल भी बोला था, एक दिन आप चैक कराएं कि यह आगरा रोड है इस पर 50-100 गाड़ियां लकड़ी की निकलती हैं। जब सारे वन कटते जा रहे हैं तो पानी कहां से बरसेगा ? इसलिए मैं कहना चाहती हूं, मंत्रीजी, चाहे सरकारी भूमि हो या किसी की प्राइवेट हो,जो भी भूमि हो उसमें पेड़ लगाये जाएं ताकि हमको आगे पानी का साधन हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि

(श्रीमती शांति पहाड़िया)

पुराने नलकूपों को ठीक कराना है, जल्दी से जल्दी कराना चाहिए क्योंकि गर्मी में, मई-जून में पानी चाहिए। जुलाई में तो पानी आ जाता है, लेकिन दो महीने तो पीने का पानी चाहिए। हमारे पहले बाणगंगा बहती थी, इससे भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, दौसा को पानी मिल जाता था। एक कालाखोह बांध है, जब से बंधा है तब से हमारे कुओं का और हमारे पीने का पानी के नलकूपों का पानी भी उतर गया है उस बांध में पानी रुकने से। जो छोटी-मोटी नदियां हैं उनका पानी चालू रखना चाहिए ताकि कुछ जिलों को पानी मिल जाए। एक मैंने पढ़ा था कि चंबल से हमारे यहां पानी ला रहे हैं। चंबल योजना से जो पानी आ रहा है वह मेरे को मालूम नहीं कि हमारे किस किस जिले को दिया जाएगा। मैंने वह पढ़ा नहीं है, सारी साहब, लेकिन एक बात कह रही हूं कि हमारे भरतपुर में तो खारा पानी है। (व्यवधान) दौसा, करौली तो रास्ते में पड़ते हैं, भरतपुर को भी दिया जाए इसका पानी, और कोई फिल्टर लगाना चाहिए। हमारे पानी है भरतपुर में लेकिन वह पीने योग्य पानी नहीं है। खारे पानी के आजकल तरह तरह के फिल्टर, तरह तरह की टैक्निक निकल रही हैं जो उसको मीठा कर देती हैं। तो गवर्नमैंट एकाध कारखाना ऐसा लगवा दे जहां खारे पानी का कोई उपयोग नहीं है वहां पर खारा पानी आगे भी मिल जाए और उस जगह भी मिल जाए, ऐसी मेरी सोच है, सुझाव है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई कांच फूटा है। कोई खास बात नहीं, बिजली का बल्ब फूटा है।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : दूसरा, हमारे पहले भी औरतें दूर-दूर से पानी लाती थीं, पानी पीने को तो चाहियेगा चाहे दूर से हो, नजदीक से हो, कुओं में पानी होना जरूरी है। मेरे क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में बहुत सी जगह पानी नहीं है।

श्री सभापति : शांति रखें। सैकिण्ड वर्ल्ड वार के अन्दर लंदन पर बमबार्डमैंट हो रहा था और वहां का हाउस आफ कामंस चल रहा था और आप यह छोटी सी आवाज हुई बल्ब की, उसमें ही चौकन्ने हो रहे हैं। कुछ नहीं है इसमें।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : बहुत-सी जगह पानी नहीं है पहाड़ी इलाके में, वहां पर नलकूप लगाये जाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए आप।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : नलकूप लगते हैं लेकिन नलों में चाहे वह टंकी बने, चाहे वह डाइरेक्ट नल लगाएं लेकिन उसमें टूंटी की बहुत आवश्यकता है।

श्री सभापति : किसी के नहीं लगी ?

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : टूंटी नहीं लगाते हैं, नलों का पानी बहता रहता है। पानी भरने वाली आएगी जब आएगी, नलों में टूंटी लगनी चाहिए।

दूसरा, मैं यह भी कहूंगी कि मेरे इलाके में एक दो धार्मिक स्थान हैं और पहाड़ियों का गांव है लेकिन पहाड़ों में पानी नहीं है, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी ले जाते हैं। किसी के ट्रैक्टर होता है वह ले जाता है नहीं तो औरतें आती हैं। औरतें रास्ते में बैठ जाती हैं, फिर

(श्रीमती शांति पहाड़िया)

दूसरी ले गई तीसरी ले गई,ऐसे पानी को ले जाती हैं, इसलिए मेरे क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में पानी का इंतजाम करें। मंत्रीजी, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी क्योंकि इन गरीब लोगों को पानी मिल जाएगा।

इसके साथ, मैं एक बात और कहूंगी कि जैसे हमारे पहले एक योजना बनी थी जब गंगा का पानी लाने की, यमुना का पानी लाने की और नर्मदा का पानी लाने की बात चली थी, सरकार की वह पानी योजना अब चालू है या बन्द हो गई है, नहीं जानती लेकिन मैं चाहती हूं कि उसको चालू कराना चाहिए। अपने राजस्थान में पानी की कमी रही है, आज तो हालत यह हो रही है कि पशुओं को दो दो दिन में पानी पिलाया जाता है भरतपुर जिले में भी। भरतपुर जिले में पानी की कमी नहीं थी लेकिन आज वहां पर भी पानी की कमी आ गई है। पूर्वी राजस्थान में गंगानगर वगैरह दो-तीन ऐसी जगह थीं जिनमें कि सदा हरा-भरा रहता था लेकिन यह भी सूख जाएगा तो हमारा तो सारा राजस्थान ही सूख जाएगा। इसलिए मैं आपके द्वारा अनुरोध करूंगी कि जहां खारा पानी है वहां तो कोई फिल्टर लगा दें और जो नालियों में पानी बहकर चला जाता है इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। किसी दवा के जरिये या किसी ऐसी चीज से उसे फिल्टर करवाना चाहिए, उस पानी का भी इस्तेमाल होना चाहिए।

इसके बाद मैं कुछ और कहूंगी। कई जगह मैंने सुना है कि ट्यूबवैल और हैण्डपम्प शुरू कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए मैंने अफसरों से बात की कि एकाध जगह मेरे यहां जरूरत है तो वे कहते हैं, साहब, पाइप ही नहीं है, हम लगाएंगे काहे से। तो उनको आर्डर देना चाहिए, पाइप और नलकूप के लिए उनको जब तक सामान नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। मंत्रीजी, मेरी रिक्वैस्ट है आपसे कि इन गर्मियों के दिनों में पानी की व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी करें। मैं तो इतना ही बोलकर समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्रीमती सुचित्रा आर्य।

डा. रतनलाल जाट : सभापति महोदय, मेरा नाम भी है।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : पुरूषों, बैठ जाओ, आपसे निवेदन है। बड़ी मुश्किल से नम्बर आता है। आज हमारा अधिकार है, एक ही दिन तो आता है।

श्री सभापति : इसके बाद आप बोलेंगे।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस दुनिया के अन्दर दो ही ताकत हैं, एक तो राम है, एक राज है। राम को तो हमने देखा नहीं लेकिन राज में हम लाग बैठे हैं। बैठे यह हैं, हमारे इस राज में बैठे हुए हमारी यह हालत है कि कलेक्टर मीटिंग करे वहां पर हमारे प्रभारीजी जाएं और वहां यह कहकर आएं कि साहब, आपके धानकिया के अन्दर चारा डिपो खुल जाएगा, नोहर के अन्दर 15 सौ गायों का दानदाताओं से पैसे इकट्ठे करके उनके चारे के लिए वहां एक कैम्प बना तो उसके अन्दर भी हम आपकी मदद कर देंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा सौतेला व्यवहार नोहर तहसील के साथ हो रहा है। नोहर के

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

अन्दर 210 गांव हैं जिसमें से 147 गांव अकाल के अन्दर हैं। त्राहि त्राहि मची हुई है मगर एक चारा डिपो नहीं खुला हुआ। हमारे इधर बीकानेर में देखो तो भाटीजी के क्या उस कांस्टीट्यूएंसी में जहां नहर चल रही है वहां भी चारा डिपो खुल गये। लूणकरणसर में खुल गये, चूरू में खुल गये और मैं सरदारशहर और चूरू के बिलकुल बीच के अन्दर बैठी हूं, हमारे यहां चारे के अभाव में कई गायें, पशु मर रहे हैं और कलेक्टर साहब के ऊपर कोई जूं भी नहीं रेंगी। मुख्य मंत्री साहब ने यहां मीटिंग करके सब अधिकारियों को कहा, लेकिन आपके कमिश्नर के वहां बीकानेर में मीटिंग हुई और मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि हनुमानगढ़ जिले में कहीं कोई अकाल ही नहीं है। मैं वहां 22 तारीख को रावतसर से पल्लू तक गई तो 17 जानवर मुझे मरे हुए उस रास्ते के अन्दर मिले तो मुझे दुःख हुआ। मैंने अपनी आंखों से उन गायों को मरते हुए देखा है इसलिए मेरे को इतनी परेशानी है। मुझे उनको देखकर रोना आ गया। इस तरह के अधिकारी हैं जो रिपोर्ट सही देते नहीं हैं इसलिए मुझे आज इतनी परेशानी और पीड़ा है और मैं इस पीड़ा के कारण आपके सामने यह बोलना चाहती हूं एक बार छप्पनिया अकाल पड़ा था जो हमारे बुजुर्गों को तो पता है, हम पैदा नहीं हुए थे, वे लोग खेजड़ी की खाल खाकर जिन्दा रहते थे। वह की वह हालत आज के दिन है। अगर वही अकाल आज न हो तो यह पूरा सदन बता दे, वैसी ही विभीषिका नहीं है क्या ? हमारे पास में ही सरदारशहर है, चूरू के राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ बैठे हुए हैं, इनसे भी ज्यादा मेरे नोहर क्षेत्र की हालत खराब है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं, सरकार से कहना चाहती हूं और अकाल राहत मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि अगर आपने समय रहते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया तो अभी तो जानवर मर रहे हैं, वहां की हालत ऐसी हो जाएगी कि वहां लोग मरने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं वहां पर पिसरासर गांव में गई, केलनिया गांव में गई, बुजुर्ग मेरे पास आये, कहने लगे, बेटा, एक टाइम था, हमारे किसानों की बात सुनी जाती थी, बात होती थी आज तू उस घर की बेटी है हमारे लिए अगर चारा डिपो नहीं खोला तो गायें मर रही हैं पानी के लिए। हमारे पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने मेरी मदद की वहां पानी का तो प्रबंध हो गया, इन्होंने कैसे ही किया हो। 8-10 गांव और हैं, मैंने आज ही इनसे निवेदन किया तो इन्होंने कह दिया कि आप लिखकर दे दीजिए, मैं करवा दूंगा। वैसे रामसिंहजी की एक बात है कि करनी और कथनी में कभी इनके फर्क नहीं हुआ, कह दिया सो कह दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इस भरोसे में मत रहना कि लिखकर दे दिया और काम हो गया।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मैंने एक चिट्ठी इनको दी, मैंने सी.एम. साहब को चिट्ठी लिखी लेकिन उस चिट्ठी के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। जब हमारे प्रभारी कलेक्टर साहब के मीटिंग में गये तब वहां उन्होंने खुद कहा कि धानतिया के अन्दर, नोहर के अन्दर और पल्लू के अन्दर आप चारा डिपो खोल दो। लेकिन उन्होंने एक भी चारा डिपो नहीं खोला और वहां कमिश्नर की मीटिंग में जाकर कहते हैं कि हनुमानगढ़ के अन्दर तो कोई अकाल नहीं है,

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

वे अपने आप व्यवस्था कर लेंगे। उस दिन व्यवस्था कर लेंगे जिस दिन लोगों का जनाजा उठेगा और हम लोगों को दाह-संस्कार में जाना पड़ेगा ? अगर आप अब नहीं चेते, वैसे भी आपने अब काम चालू किये हैं जो आपको फरवरी में चालू करने चाहिए थे वे आपने मार्च मे किये हैं जबकि यहां त्राहि-त्राहि मच रही है। मैं आपको यह लिस्ट बताना चाहती हूं, 210 गांव हैं जिनमें से केवल 36 गांवों के अन्दर अकाल राहत कार्य खोले हैं जबकि 147 के अन्दर और इन 36 के अन्दर कोई फर्क नहीं है। कितने कितने लोगों को लगाया है, वह संख्या भी मैं बताऊं, किसी में 12, किसी के अन्दर 30, किसी के अन्दर 34 और हजार-हजार, 1500-1500 वहां लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या है। उसमें 20 आदमियों का क्या होगा ? मैं आपको एक ढाणी की बात बताना चाहती हूं। मालिया ढाणी के अन्दर मैं गई। वहां 60 लोग जबरदस्ती जा रहे थे तो मैंने कहा कि 30 की तो संख्या है, यहां अकाल राहत कार्य 30 लोगों को दिया है तो बाकी क्यों जा रहे हो ? तो वे कहने लगे कि हमको तो आप 5 रुपया दे दो, हम तो बांटकर खा लेंगे लेकिन अकाल राहत कार्य खोल दो। लेकिन हमारे यहां आज तक न तो अकाल राहत कार्य बढ़ाये हैं और न दिये हैं क्योंकि ये लोग तो नोहर तहसील को अकाल के गांव मान ही नहीं रहे। तो फिर कैसे होगा ? जब मंत्री को कलेक्टर यह कह सकता है कि वहां तो अकाल है ही नहीं, अपने आप इंतजाम कर लेंगे, तो कब इंतजाम करेंगे ? जब लोग मर जाएंगे तब इंतजाम करेंगे ? मैं आपको 147 की लिस्ट बताना चाहती हूं, या तो इनके अन्दर अकाल राहत कार्य खोल दिये जाएं वरना पहले किसान हूं, बाद में एम.एल.ए. हूं। मुझे राज में होते हुए भी आपको बड़े दु:ख-दर्द से कहना पड़ रहा है कि मुझे यहां धरने पर बैठना पड़ेगा। मैं लोगों को मरने नहीं देने चाहती हूं क्योंकि अगर जनता नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। अगर इस जनता को सही रखना है तो आपको मेरे यहां नोहर तहसील के अन्दर अकाल राहत कार्य खोलने पड़ेंगे। यह निवेदन करने के लिए मैं यहां उपस्थित हुई हूं, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय नन्दलाल मीणा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, एक महिला माननीय सदस्या ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की है, मैं इस सरकार की व्यवस्था के खिलाफ सदन से वाक आउट करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री रिछपाल सिंह मिर्धा द्वारा बहिर्गमन)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय रिछपालजी मिर्धा, बैठिए। माननीय नन्दलाल मीणा, आप नहीं बोल रहे हैं ? बोलिए तो आप।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदय, सदन में पेयजल की समस्या और अकाल राहत को लेकर चर्चा चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं चित्तौड़ जिले के प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। सबसे बड़ी बिडम्बना इस बात की है कि उदयपुर संभाग में पांचों जिले अकालग्रस्त हैं और प्रतापगढ़ विधान सभा के चारों तरफ उदयपुर जिला लगता है, बांसवाड़ा जिला

(श्री नन्दलाल मीणा)

लगता है। उदयपुर जिले की धरियावद तहसील में अभावग्रस्त इलाका पूरा है, बासंवाड़ा की पीपलखूंट पंचायत समिति है यह भी अकाल से प्रभावित क्षेत्र है। सितम्बर तक कम वर्षा, अनियमित वर्षा की वजह से गिरदावरी हुई परंतु प्रतापगढ़ क्षेत्र को इस गिरदावरी में अकालग्रस्त घोषित नहीं किया, अभावग्रस्त घोषित नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता, क्यों ? मेरा सीधा-सीधा इस कांग्रेस हुकूमत पर इस बात का चार्ज है कि गिरदावरी राजनीतिक तराजू में तौलकर की गई है। प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगभग 68 प्रतिशत जनता अनुसूचित जनजाति की है। सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यह ट्राइबल सब-प्लान एरिया में आता है और भारत सरकार ने इस उपयोजना क्षेत्र को इसलिए अंकित किया है कि यहां पर रहने वाला आदिवासी आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, खेती की होल्डिंग उसके पास नहीं है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस वजह से उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। आज स्टेटिस्टिक्स के आधार पर देखें तो वहां के आदिवासियों के पास दो बीघा से लेकर पांच बीघा से अधिक जमीन नहीं है। जून में बारिश हुई, सितम्बर में गिरदावरी हुई। गिरदावरी, सभापति महोदय, प्रगति रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि समय से पूर्व की गई।

पहाड़ी इलाके की दृष्टि से प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश से लगता हुआ इलाका है वह समतल इलाका है और दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्र जहां बहुतायत में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं वह पहाड़ी इलाका है। वर्षा की दृष्टि से इस बार अनियमित वर्षा हुई। गिरदावरी सड़क और समतल भूमि के आधार पर हुई लेकिन आदिवासी क्षेत्र में गिरदावरी नहीं के बराबर हुई। वहां यह बता दिया गया कि 50 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत, मतलब 20 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जातने हैं कि प्रतापगढ़ का पानी जाखम में जाता है, प्रतापगढ़ का पानी माही में जाता है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से उस इलाके में जो फसल बोई जाती है, अनियमित वर्षा की वजह से गिरदावरी जब सितम्बर में हुई उस वक्त फसल खड़ी थी। फसल अच्छी थी। उसके बाद वर्षा नहीं हुई तो खड़ी फसल सूख गई जिसकी वजह से आज वहां का व्यक्ति, वहां का निवासी मध्य प्रदेश की ओर पलायन कर रहा है। मुझे इस बात की शंका है, आज समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि वहां के लोग जंगल काट-काट कर बाजार में अपनी उदरपूर्ति के लिए बेच रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो, अभी कुछ ही दिन पहले जब लोग लकड़ी जंगल से लाकर बाजार में बेचकर अपने पेट पालने के लिए धंधा कर रहे थे तो पुलिस वालों ने उनके साथ अत्याचार किया, जुल्म किये, उनको पकड़ा, मारा-पीटा। आज हालत वहां की यह है कि अकाल से ग्रसित लोग परेशान हैं।

पीने के पानी की समस्या के बारे में पिछले भैरोंसिंहजी शेखावत के शासन में जाखम का पानी प्रतापगढ़ शहर में पहुंचाने के लिए एक महती योजना प्रारम्भ की गई थी। पाइप लाइन

(श्री नन्दलाल मीणा)

बिछ गई, काजवे बन रहा है, बिजली के लिए जो तार लगने चाहिए थे वे लग चुके हैं, फिल्टर प्लांट भी लग गया, परन्तु पिछले वर्ष में कांग्रेस की हुकूमत आते ही बजट में उसका प्रावधान 40 लाख रुपये ही किया। सभापति महोदय, आज प्रतापगढ़ शहर की हालत यह है कि 4-5 दिन में मुश्किल से आधा घंटा नल आता है। प्रतापगढ़ ही नहीं, उदयपुर सम्भाग जहां 68 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं, सारे जिले में पीने के पानी की समस्या है। अकाल राहत पर्याप्त नहीं है। डूंगरपुर की हालत देख लीजिए, बांसवाड़ा की हालत देख लीजिए, उदयपुर जिले की हालत देख लीजिए और प्रातपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की हालत देख लीजिए, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने जो काम मंजूर किय हैं वे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं हैं। आप मेवाड़ के इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं, जब जब भी इस इलाके में भीषण अकाल पड़ा है, वहां के आदिवासी या तो गुजरात में पलायन कर गये या मध्य प्रदेश में पलायन कर गये अथवा उन्होंने अपने हाथ में हथियार उठाये हैं। उदयपुर जिले की कोटड़ा और झाड़ोल तहसील में जब-जब भी भीषण अकाल हुआ, वहां के आदिवासी लोग हथियारबंद होकर दुकानों से अनाज लूटने का काम दिन-दहाड़े किया करते थे। अगर उस इलाके में ज्यादा काम प्रारम्भ नहीं किये तो हालात ये होंगे।

पानी की दृष्टि से जाखम सूख गया, माही सूख गई, जयसमंद में बिलकुल पानी नहीं है, सोमकमला अम्बा, सोमकागदर की स्थिति भी यही है। उधर जनजाति विकास विभाग के माध्यम से जो पैसा विशेष केन्द्रीय सहायता के द्वारा राजस्थान सरकार को इस इलाके के विकास के लिए आता था, सभापति महोदय, पिछले वर्ष और इस वर्ष में जो प्रगति विवरण जनजाति विकास विभाग का पढ़ा उसके आधार पर एक भी पैसा विशेष केन्द्रीय सहायता का इस उपयोजना क्षेत्र में नहीं लगाया और मुझे जानकारी मिली है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का लगभग 50 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने डम्प कर दिया है। इसकी वजह से उस इलाके में बड़ी निराशा फैली हुई है, सरकार के प्रति असंतोष है। नेशनल हाईवे भी उधर उदयपुर से गुजरता है। सभापति महोदय, कही ऐसा नहीं हो कि वहां के लोग अपनी भुखमरी को मिटाने के लिए सड़क पर आ जाएं।

मैं ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सारे जिलों में, आसपास के सारे इलाकों में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अकाल है परन्तु केवल प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 527 गांव अकाल राहत के अन्दर सम्मिलित नहीं किये गये। आज पानी की भयंकर समस्या है। हैण्डपम्प में पानी की बजाय हवा आ रही है और लोग-बाग परेशान हैं, त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह संवेदनशील सरकार है तो एक दिन का समय निकालकर प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र का दौरा करे, जनता की समस्या को सुने। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं यह मानूंगा कि प्रतापगढ़ की जनता जो कि आज से नहीं सन् 1977 से भाजपा के साथ है, राजनैतिक बदले की भावना से उसको प्रताड़ित करने का प्रयास आपने किया है। मंत्री महोदय, आप बहुत संवेदनशील मंत्री हैं, सदन में भी आपके प्रति

(श्री नन्दलाल मीणा)

यह वातावरण बना हुआ है कि जलदाय विभाग के मंत्री त्वरित गति से निर्णय लेने वाले हैं। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब सारा काम पूरा हो गया, सब व्यवस्थित है, आपकी स्वीकृति के अभाव में जाखम का पानी प्रतापगढ़ को क्यों नहीं पहुंच रहा है। जाखम का पानी प्रतापगढ़ को ही नहीं, उसके बीच में आने वाले और जो गांव हैं वहां तक भी पहुंचेगा। ऐसी कई योजनाएं हैं, जैसे भंवर सेमला की योजना, जहां से प्रतापगढ़ को पानी सप्लाई किया जाता है। बाडलिया बांध की वाटर स्कीम है उससे प्रतापगढ़ को पानी सप्लाई किया जाता है। उसके बाद खंजोखेड़ी है, गांवों को पानी सप्लाई किया जाता है अरनोद साइड से। पिछले दो वर्ष से न जनजातीय विभाग ने पैसा दिया, न जलप्रदाय विभाग ने पैसा दिया, न और विभाग ने जो संबंधित विभाग हैं, उन्होंने पैसा दिया है। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, कोटा और झालावाड़, ये जिले अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं और इस समय अफीम की तुड़ाई चल रही है। इस समय जिस ढंग से पैदावर हुई है, वहां पर कालाबाजारी बढ़ी है। सेठ लोग, तस्कर लोग तो अपने घर पर बैठते हैं परन्तु जो लोग मजदूरी के तौर पर काम करते हैं उनको वे एंगेज कर लेते हैं और उनके हाथ से अफीम की तस्करी कराते हैं। पुलिस उनको पकड़ती हैं, नारकोटिक्स विभाग वाले उनको पकड़ते हैं और इस बात का सीधा सबूत यह है कि जितने भी लोग प्रतापगढ़ की या इन जिलों की जेलों में बंद हैं, वे अधिकांश गरीब तबके के मजदूर क्लास के लोग हैं जिनको ये अपने हाथों का निशाना बनाकर इनके माध्यम से व्यापार करा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अकाल राहत के क्षेत्र के बारे में यदि आप कुछ कर सकते हैं तो पुनः कलेक्टर को लिखें। पंचायत समिति प्रतापगढ़ की कार्यकारिणी और अनरोद और प्रतापगढ़ की पंचायत समिति ने एक प्रस्ताव बनाकर जिला कलेक्टर को दिया है, मैंने भी जिला कलेक्टर साहब से कहा है कि स्थिति ऐसी है, आप पुनर्मूल्यांकन करिए। यदि आपने गिरदावरी पहले की, फसल बाद में काटी और फसल खड़ी सूख गई अनियमित बारिश की वजह से क्योंकि उसके बाद में बारिश नहीं आई थी, इसकी जिम्मेदारी काश्तकार पर नहीं हो सकती। मेरा आपसे निवेदन है कि अकाल की इस भीषण परिस्थिति में मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें।

सारे राजस्थान में 26 जिले अकाल से प्रभावित हैं। प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में न तो तालाब है, न कोई बांध है, न कोई नहर है। जिन इलाकों में नहर है, बांध है, वहां पर तो अकालग्रस्त इलाका है और जिस इलाके में पानी की, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं उस इलाके को यह कह दिया कि यहां किसी प्रकार का कोई अकाल नहीं है। इसके पीछे सीधा कारण यह है कि ज्योंही कांग्रेस की हुकूमत दिसम्बर, 1998 में बनीं, कांग्रेस पार्टी के वहां के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार को, संबंधित मंत्री को ज्ञापन दिये कि वहां के अधिकारी सब भाजपा के अधिकारी हैं, यहां पर इन्होंने चुनाव में उनको मदद की या और किसी प्रकार से हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, इनको तत्काल हटाया जाए। ज्योंही उसके बाद गिरदावरी का समय आया है, उन सबको इस बात के लिए धमकाया गया कि

(श्री नन्दलाल मीणा)

आप गिरदावरी में यहां पर किसी प्रकार का अभाव है इस बात को अंकित नहीं करेंगे। इसी वजह से प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र अकाल की श्रेणी में नहीं लिया गया। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप पुनर्विचार करें और रिपोर्ट मंगाकर देखिए। पेयजल की समस्या तो है ही, रोजगार की समस्या भी है। ऐस नहीं हुआ तो कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गम्भीर खतरे हो सकते हैं। सभापति महोदय, इसी के अनुरूप मैं आगाह करते हुए आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस आदिवासी इलाके को बचाइये, आदिवासी इलाके के साथ न्याय कीजिए। आपने नारे तो बहुत दिये कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर देंगे, सारे 12 विभाग उधर जाएंगे परन्तु आज दिन तक राजस्थान सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए लोगों को मजबूर मत करिये। चींटी भी अगर कुचल जाती है पांव से तो वह भी काट खाती है। आज ऐसी स्थिति में वह इलाका चल रहा है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस सारे इलाके में मजदूरी बढ़ाएं और समय पर भुगतान करें। आज आपने टास्क बेसिस पर भुगतान करने के आदेश दिये हैं लेकिन वह पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है। आपके कांग्रेस के ही शासन में आजादी से लेकर 1977 तक धूल की तगारियां डालने की प्रथा डालकर जो परिश्रमी थे उनको मेहनत से महरूम किया, उनको आलसी बना दिया। उसी का नतीजा है कि आज सारे इलाके में उनको खुदगर्ज बना दिया, लोन दे देकर उनको इस तरह से कर दिया कि स्वावलम्बन की भावना उनमें पैदा नहीं हो। जो लोग बाहर जा रहे हैं गुजरात में, आपको मालूम है गुजरात में क्या व्यवहार हो रहा है ? गुजरात में भी भयंकर अकाल है। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि इस इलाके में मजदूरी बढ़ाएं, अकाल रहात के काम अधिक से अधिक खोलें, एनीकट और तालाब की व्यवस्था करें, पीने के पानी की व्यवस्था करें और जो क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित नहीं हुए हैं, उन पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करके उस क्षेत्र की जनता के लिए भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करें। यही मेरा आपसे निवेदन है, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती कमला बृजलाल।

श्रीमती कमला बृजलाल : धन्यवाद।

मोहम्मद माहिद आजाद : सभापति महोदय, अब तो हमारी तरफ से नम्बर आना चाहिए। कांग्रेस की दो महिलाएं बोल लीं, फिर भाजपा के सदस्य बोले और फिर थर्ड-फोर्स का नम्बर आना चाहिए।

श्री सभापति : नहीं, दो इधर के, दो उधर के। व्यवस्था यह कर रखी है कि दो सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। दो उधर से, एक इधर से।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननी सदस्य, महिला के खड़ा होते ही क्यों नाराज होते हो ? मैं तो जरा-सा ही बोलूंगी, चिंता मत करो।

श्री सभापति : नहीं नहीं, बोलिए आप।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : सभापति महोदय, आज सदन में अकाल पर और पेजयल पर चर्चा हो रही है। मेरे यहां अकाल नहीं है पर पेयजल की मेरी कुछ समस्याएं हैं, मैं उनको आपके द्वारा मंत्रीजी

(श्रीमती कमला बृजलाल)

को अवगत कराना चाहूंगी। मेरा क्षेत्र सपोटरा डांग क्षेत्र है, उबड़-खाबड़ क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है। यहां की जनसंख्या टुकड़ों में बंटी हुई है, एक जगह इकट्ठी नहीं है। न 1500 की जनसंख्या है एक जगह, बहुत कम गांवों में है। सरकार की योजना है 1500 के ऊपर बोरिंग कराने की, ट्यूबवैल लगाने की है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 1500 को घटाकर 1000 करें। दूसरी, 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प बनाने की योजना है। उस 250 की आबादी को भी घटाकर 100 या 150 की आबादी पर करने की कृपा करें।

मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगी कि सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में ही मंडरायल तहसील है जहां पर इन्दिरा लिफ्ट योजना बनाई जा रही थी, जिसका शिवचरणजी माथुर ने सर्वे किया था। अब सैण्ट्रल गवर्नमैंट ने भी उसको पास कर दिया है और उससे बिजली बनाने की बात हो रही है, उससे सिंचाई की जाएगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस क्षेत्र से चम्बल नदी बह रही है और वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मंत्री महोदय, भरतपुर और धौलपुर इनको तो आपने चम्बल योजना से जोड़ दिया जबकि करौली जिले के विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के मंडरायल तहसील से चम्बल नदी बह रही है, वहां इतना पानी है कि उससे आप बिजली बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र को सिंचित करने जा रहे हैं, वही क्षेत्र पानी के लिए तरस रहा है। वहां पर पथरीला इलाका है, पानी का बहुत नीचे स्रोत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूंगी कि ऐसे क्षेत्र में छोटे-छोटे एनीकट बनाए जाएं, हैण्डपम्प खोदे जाएं और उसके बाद में छोटे तालाब बनाए जाएं जिससे कि वहां के लोगों को राहत मिल सके और जमीन में घटता हुआ पानी का स्तर बढ़ाया जाए। उससे बढ़ जाएगा। मंत्री महोदय ने जो भी काम किये हैं हमारे यहां, धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद

श्री सभापति : माननीय श्रीमती मधु दाधीच। महिलाएं सब माननीय सदस्यों को बहुत धैर्य के साथ सुनती हैं और सदन भी माननीय सदस्यों को बहुत धैर्य से सुनता है लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जो माननीय सदस्य अपना भाषण देकर बैठता है, बैठते ही रवाना हो जाता है। यह अच्छी परम्परा नहीं है। संसदीय परम्परा यह है कि माननीय सदस्य बोलें, बोलने के बाद में बैठें और दूसरे माननीय सदस्यों को भी सुनें। यह परम्परा है, स्वस्थ परम्परा है। (व्यवधान) हां, माननीय कामरेड साहब, आप तो बोलते ही खिसक गये थे।

श्री अमराराम (धोद) : वापस आ गया।

श्री सभापति : आप वापस आ गये, यह आपकी कृपा है। माननीय श्रीमती मधु दाधीच। (व्यवधान) लीडर आफ अपोजीशन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो बात कही उसमें एक पाबंदी लगा दीजिए, जो बोलेगा उसको आखिर तक बैठना पड़ेगा।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपके इस सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं पाबंदी नहीं लगा सकता लेकिन संसदीय परम्परा यह है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संसदीय परम्परा का पालन करें। अपना भाषण दें, हम सदन में उसको बहुत

(श्री सभापति)

रैप्ट अटेंशन से सुनते हैं, वे भाषण देकर बैठें और दूसरे माननीय सदस्यों को भी सुनें। यह संसदीय परम्परा है, उसका माननीय सदस्य पालन करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : शांति पहाड़िया जी और सुचित्रा आर्यजी कहां हैं, महिला दिवस है न आज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पुरूष कितने चले गये बोल-बोल कर, उनकी बात ही नहीं कर रहे आप और महिलाओं की बात कर रहे हैं। वे सब चले गये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय श्रीमती दाधीच।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की वर्तमान की भीषणतम समस्या अकाल के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। वास्तव में यह बहुत ही गम्भीर मसला है और इस गम्भीर मसले के ऊपर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। राजस्थान के जो 26 जिले हैं उनमें ढाई करोड़ जनसंख्या अकाल से पीड़ित है। उसके ऊपर जो हमें सुझाव देने हैं जिन पर विचार करना है और कुछ फैसले करने हैं तो निश्चित ही इस गम्भीर मसले के ऊपर चिन्तन गम्भीरता से होना चाहिए।

राजस्थान के अन्दर जैसा कि यहां पर रिपोर्ट आई है, सदस्यों के विचार आये हैं, कहीं आक्रोश की स्थिति भी है। बार-बार राजस्थान अकाल की पीड़ा से त्रस्त रहा है और वर्तमान के अंदर दो साल से लगातार कम वर्षा के कारण राजस्थान में अकाल की स्थिति बनी हुई है। जहां पश्चिमी राजस्थान के अन्दर इसका रूप भीषणतम है वहां दूसरी तरफ भी इसकी कुछ न कुछ छाया है, चाहे वह छाया भीषण है या कमजोर है लेकिन पूरा राजस्थान अकाल की चपेट में है। माननीय सभापति महोदय, यह बार-बार जो राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ता है, कुछ प्राकृतिक देन भी है लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही है, विशेषकर हमारे जिले में, कि जल स्तर धीरे-धीरे नीचे गिरता जा रहा है। जब तक हम इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे अकाल के समय के अन्दर, तब तक बार-बार जो राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उससे निपटने में हमको परेशानी आएगी। वर्षा का औसत धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, इसके कारण जलस्तर कम हो रहा है और साथ ही काश्तकार प्रगतिशील हो रहा है कि आज कुओं के स्थान पर ट्यूबवैल से सिंचाई करता है। यह अच्छी बात है लेकिन दूसरी तरफ जो जलस्तर गिरता जाता है सबसे पहले हमें इसके ऊपर ही विचार करना होगा कि गर्मी के तीन महीनों में हम पीने के पानी की व्यवस्था कर सकें, पशुओं के लिए चारे के साथ-साथ पीने के पानी की व्यवस्था कर सकें। यह सबसे बड़ा काम हमारे सामने है। मैं बधाई दूंगी हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदयजी को जिन्होंने गिरते हुए जलस्तर से चिंतित होकर सभी जिलों के अन्दर पानी की विशेष व्यवस्था की। दो विपक्ष के साथी भी चित्तौड़ जिले से यहां पर हैं, वे जानते हैं कि चित्तौड़ जिले के अन्दर जल की व्यवस्था के लिए एक विशेष कोष जिलाधीश को सौंपा गया और उस रूप में कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे

(श्रीमती मधु दाधीच)

बड़ी समस्या आती है चित्तौड़ जिले के लिए वह यह है कि बीसलपुर की योजना के अन्दर जो कैचमैंट एरिया है उसके अन्दर चित्तौड़ जिला आता है, इससे ज्यादा बड़े एनीकट वहां बनाए नहीं जा सकते और गम्भीरी नदी और कदमाली उस कैचमैंट एरिया में आ जाती है। हमारे यहां पर जलस्तर के गिरने का एक कारण यह भी हो सकता है। हम जलग्रहण के लिए, जल संग्रहण के लिए लाचार हो चुके हैं। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगी कि जहां पर प्रत्यक्ष रूप से कैचमैंट एरिया नहीं है वहां पर बड़े एनीकट बनाने की अनुमति प्रदान की जाए जिससे वहां पर जल ग्रहण की अनुमति प्राप्त हो सके। साथ ही निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र है उसके अन्दर भी कुछ पहाड़ी क्षेत्र आता है कनेरा घाटा क्षेत्र, जिसके अन्दर निश्चित ही पानी का स्तर काफी कम है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं, पधारी थीं, उन्होंने स्वयं ने आकलन किया था। वहां काफी पुराने तालाब हैं जो पंचायत की धरोहर हैं, यदि उनको बड़ा किया जाता है, खुदाई की जाती है, मरम्मत की जाती है और कुओं को गहरा किया जाता है तो पहाड़ी एरिया के अन्दर हम निश्चित ही जल संग्रहण को प्राथमिकता दे सकेंगे और अकाल की समस्या से दूर हो सकेंगे।

सबसे बड़ी बात है, अकाल के समय एक बात उठती है कि जो बैंकों की वसूलियां होती हैं, उनको बंद किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अभी वर्तमान के अन्दर जो बिजली के लिए वसूलियां हो रही हैं, उनको भी अकाल को देखते हुए, अकाल की समय सीमा को देखते हुए बंद किया जाए। वसूलियों के नाम पर ट्रांसफार्मर उठा लिए जाते हैं और गांव के गांव बिजली से महरूम कर दिये जाते हैं, उनको यदि हम बचा सकें तो निश्चित ही हम काश्तकार को राहत दे सकेंगे।

इसी प्रकार से चारे के लिए जो अपन बात कर रहे हैं, हम निश्चित ही राजस्थान सरकार को बधाई दें, प्रति गाय जो दस रुपये का अनुदान किया है, निश्चित ही स्वागत योग्य है। चित्तौड़ जिला भाग्यशाली है कि वहां पर चारे की व्यवस्था, खाखले की व्यवस्था है लेकिन साथ ही भविष्य की योजनाओं को देखते हुए यह आवश्यकता है कि हम उसके निर्गमन के ऊपर रोक लगाएं, जिससे वहां के पशुओं को बचाया जा सके।

बार-बार इस सदन के अन्दर अकाल की चर्चा होती है, बार-बार अकाल पड़ता है, हर वर्ष अकाल पड़ता है, इसके लिए हमें कुछ दीर्घकालीन हल सोचने होंगे कि वर्तमान अकाल की स्थिति के अन्दर ऐसे निर्माण कार्य पहले लिए जाएं जिनसे जल का स्तर बढ़ सके। पहली प्राथमिकता हमारी हो एनीकट्स के ऊपर, तालाबों की मरम्मत के ऊपर, कुओं को गहरा कराने के ऊपर जिससे हम भविष्य की सोच निर्मित कर सकें, भविष्य के पानी के संग्रहण के लिए एक देन दे सकें। यह मेरी आपसे विनती है। जैसा कि अपन जानते हैं, पूरे हिन्दुस्तान का केवल एक प्रतिशत जल का हिस्सा राजस्थान के पास है और उसके तीन चौथाई भाग का हम प्रयोग कर चुके हैं। यदि हमने जल संग्रहण के लिए अभी से दीर्घकालीनन योजनाएं नहीं बनाईं तो भविष्य में भयावह स्थिति हो सकती है। तो सिंचाई

(श्रीमती मधु दाधीच)

सुविधाओं के विस्तार के लिए हम तालाबों के लिए सोचें, बांध के लिए सोचें, एनीकट्स के लिए सोचें, यह मेरा आप लोगों से निवेदन है। हम जब मांग कर रहे हैं कि हम पक्के निर्माण कार्यों की बात करें तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि एनीकट्स, तालाबों और कुओं को गहरा कराने की बात हम करें जिससे पानी का संग्रहण किया जा सकता है। हमने यह शुरूआत की है, हमारे यहां सबसे पहले एनीकट्स और तालाब की बात की जा रही है। फिर से मैं अपने क्षेत्र के लिए माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि वहां पर जो बिजली की वसूलियां हो रही हैं और उसके नाम पर जो गांव के गांव बिजली से महरूम किये जा रहे हैं, वर्तमान अकाल की स्थिति को देखते हुए उसमें कुछ ढील दी जाए। साथ ही जो जलस्तर निम्बाहेड़ा में नीचे जाता जा रहा है उसके लिए कुछ योजनाएं जो दे रखी हैं आपके पास, उनको मंजूरी दी जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामलाल गुर्जर।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : माननीय सभापति महोदयजी, मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री महोदय और अकाल राहत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है, लम्बे समय से पेयजल और अकाल राहत की मांग चल रही है। इस संबंध में मेरा यह मत है कि राजस्थान में 32 जिलों में से 28 जिले भयंकर अकाल की मार में हैं, उसमें भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मार है और भीलवाड़ा जिले में भी आसीन्द तहसील है वहां ज्यादा भयंकर अकाल है। गवर्नमेंट के पास हम कई दफे आये लेकिन अभी तक अकाल राहत कार्य नहीं के बराबर चला रखे हैं। कलेक्टर साहब से कई बार मिले और यह हमने मांग रखी कि भयंकर अकाल है, लेकिन अकाल के नाम पर नाममात्र के श्रमिक दे रखे हैं। जैसे आसीन्द तहसील के लिए साढ़े तीन हजार श्रमिक दे रखे हैं जबकि वहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के टाइम पर 12 से 15 हजार के बीच में लेबर लगी है। अब साढ़े तीन हजार की लेबर कहां कहां काम कर पाएगी ? इसमें भी भेदभाव बरता जा रहा है, लेबर भी एकतरफा लगाई जा रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार हमने देखा है कि अभी जो लेबर लगी हुई है पी.डब्ल्यू.डी. की, मात्र कांग्रेस के हैं उन्हीं को यहां मैट बनाया जाता है, उन्हीं को यह कह कर लगाया जाता है कि कांग्रेस वाले जो हों वो आएं और लेबर में लग जाएं। तो यह भेदभाव कहां तक हो सकता है ?

श्री रामस्वरूप : लेबर में भी कांग्रेस आ गई क्या ?

श्री रामलाल गुर्जर : हां, लेबर में भी कांग्रेस आ गई, यह सबके सुनने की बात है।

श्री रामस्वरूप : इसमें भी कांग्रेस ला दी आप लोगों ने। ऐसा तो कहीं नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह बिलकुल गलत कह रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर : 100 प्रतिशत सुनने की बात है, यह सत्य कह रहा हूं मैं, रामस्वरूप जी मीणा साहब।

श्री रामस्वरूप : लेबर में कांग्रेस कहां से आ गई ? कांग्रेसी लोग मेहनती होते हैं, मजदूरी करने आ रहे हैं...(व्यवधान) कांग्रेस कहां से आ गई, साहब, इसमें ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मीणाजी, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। प्लीज बिराजिए आप।

श्री रामलाल गुर्जर : मैं बिलकुल 100 प्रतिशत सही बता रहा हूं, साबित करूंगा मैं आपको।

श्री सभापति : माननीय श्री रामलाल।

श्री रामस्वरूप : कांग्रेसी लोग मेहनत करने के लिए आ रहे हैं...(व्यवधान) कांग्रेसी लोग मेहनत करना चाहते हैं इसलिए वो काम करने के लिए आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री रामलाल गुर्जर।

श्री रतनलाल ताम्बी : बी.जे.पी. के समय जो लोग करते थे अब दूसरे लग रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है।

श्री रामलाल गुर्जर : ...(व्यवधान) मैं आपको साबित करके बता दूंगा।

श्री रामस्वरूप : आप बिलकुल गलत कह रहे हैं ...(व्यवधान) कोई भेदभाव नहीं है, सब समान हैं।

श्री रामलाल गुर्जर : मीणाजी, सुनें एक मिनट।

श्री रामस्वरूप : कांग्रेसी लोग मेहनती होते हैं जो मेहनत करके खाना चाहते हैं... (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के लोग +++ होते हैं, माननीय सभापति महोदय, वे काम नहीं करना चाहते हैं और काम पर नहीं आ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री रामलाल गुर्जर। आप बैठिए।

श्री रामस्वरूप : और दोष देते हैं कांग्रेस को... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये बोल रहे हैं, आप रोक नहीं सकते इनको ?

एक माननीय सदस्य : आसन की तरफ से आप इनको प्रताड़ित कीजिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य के बोलने के अधिकार की मैं रक्षा कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, आप बैठिए।

एक माननीय सदस्य : रामस्वरूपजी इनको मना कर रहे हैं।

श्री सभापति : मैं बुलवा रहा हूं उनको। आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : ...(व्यवधान) मैं भी बोलूंगा समय आएगा तब लेकिन यह गलत बात को नहीं सह पाऊंगा ...(व्यवधान) सदन में अच्छी बात होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : इनको भी अधिकार है बोलने का।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी। रामलालजी, एक बार बैठिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय; पाइंट आफ आर्डर। ये अपना मैडन स्पीच दे रहे हैं और टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य को आप अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति : हां, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। बैठिए, आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाहर निकालिये इनको आप।

श्री रामस्वरूप : कैसे निकालेंगे आप? आप कांग्रेस की बुराई करो तो मैं कांग्रेस की बुराई नहीं सुन सकता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हर बार डिस्टर्बेंस करते हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं कांग्रेस की बुराई नहीं सुन सकता। ...(व्यवधान) कांग्रेस की बुराई मेरे सामने करते रहें और मैं चुपचाप बैठा रहूं। कांग्रेस की बुराई मैं नहीं सुन सकता, सभापति महोदय।

श्री रामलाल गुर्जर : आपको साबित करके बताएंगे न।

श्री सभापति : बैठिए,बैठिए। कांग्रेस की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं सुन सकते तो बाहर चले जाएं आप। सुनना पड़ेगा आपको ...(व्यवधान) और नहीं सुन सकते हैं तो बाहर चले जाएं आप।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय सभापतिजी, हम साबित करेंगे।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, असत्य बात नहीं सुनेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप सब बैठिए। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामलालजी गुर्जर प्रथम बार बोल रहे हैं, सदन का यह कर्तव्य है और हमारी यह परम्परा है कि प्रथम बार बोलने वाले माननीय सदस्य को बिना किसी विघ्न के बोलने देना चाहिए। टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य तो बहुत वरिष्ठ हैं, उनको तो खास तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि माननीय रामलालजी प्रथम बार बोल रहे हैं।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय सभापतिजी, जो मैं यह बात आपके समक्ष रख रहा हूं यह सत्य रख रहा हूं। अभी अकाल राहत की मीटिंग हुई, उसमें माननीय मंत्रीजी डा. जितेन्द्र सिंहजी आये उनको भी हमने बताया कि यह हो रहा है और पिछली बार हमारी जिला विकास कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने बताया कि आसीन्द तहसील में पी.डब्ल्यू.डी. की ओर से ए.ईएन. द्वारा खुलेआम एकतरफा मस्टररोल देकर कांग्रेसी मैट और लेबर को लगाया जा रहा है। यह हमने कलेक्टर साहब को शिकायत की, एक्स.ईएन. साहब को शिकायत की है, न कि आज विधान सभा में ही बोल रहे हैं। यह साफ है, खुलासा है। चाहे इसके लिए इंक्वायरी करवा लीजिए। हमने रिटिन में भी दिया है

(श्री रामलाल गुर्जर)

आपके यहां से शासन सचिव महोदय आये उनको कि हमारे साथ भेदभाव बरता जा रहा है, कम से कम लेबर के साथ ऐसा भेदभाव नहीं बरता जाए। मेरा यह खास तौर से निवेदन है कि अकाल राहत कार्य बहुत ही कम हैं, कम से कम हर रेवेन्यू विलेज में तो कार्य होना चाहिए, हर गांव की लेबर लगे चाहे इधर से लगे। कोई काम हो, चाहे रोड हो पी.डब्ल्यू.डी. की, इर्रिगेशन के काम हों, चाहे पंचायत समिति के काम हों, हर गांव की लेबर वहां पर लगे। लेबर लगाने में मेरा तो यह सुझाव है कि अभी जो अकाल पड़ा है, अकाल में पानी की समस्या चल रही है तो पानी की समस्या के निदान के लिए पहली प्राथमिकता जो सार्वजनिक कुएं हैं उन सार्वजनिक कुओं को खोदने के कार्य को दी जाए ताकि कोई भी सार्वजनिक कुआ वंचित नहीं रह जाए। मैं आसीन्द तहसील के लिए नहीं कहना चाह रहा हूं, पूरे राजस्थान के लिए सुझाव देना चाह रहा हूं कि सार्वजनिक कुओं को गहरा करवाया जाए।

दूसरा, पानी के लिए एनीकट, चाहे छोटे हों, हर जगह बड़ा एनीकट नहीं बन सकता, छोटे एनीकट ही बनेंगे तो पानी का संग्रहण होगा। जमीन में जाएगा तो जलस्तर आखिर में सुधरेगा। पानी की जो तालाब में आव आती है वह तालाब के लिए आव का कार्य भी किया जाए और तालाब की मरम्मत का कार्य भी किया जाए।

इसके सिवाय जो पेयजल सम्बन्धी मामला है वह यह है कि पेयजल के मामले में पूरी तहसील में मात्र 70 पाइप मिले हैं। हैण्डपम्प ठीक करने के लिए अभियान चला रखा है और मात्र 70 पाइप मिले हैं जबकि 70 प्रतिशत हैण्डपम्प बंद पड़े हैं। अगर पाइप और मिल जाएं तो 70 प्रतिशत हैण्ड पम्प ठीक हो जाएंगे। इस टाइम पर सौ हैण्ड पम्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, सौ हैण्ड पम्प लगाने पर पानी की समस्या का थोड़ा बहुत निदान हो सकता है। इसके सिवाय तहसील क्षेत्र में जैसे शंभूगढ़ है, अंटाली है, सुराज है, परासोली है, चार-पांच जगह हैं- सुराज है वहां भयंकर पानी की समस्या है, वहां टैंकर की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। तो मेरा यह निवेदन है, कि पेयजल के लिए पाइप जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा दिये जाएं ताकि इसका निदान हो सके।

(18.00 बजे)

दूसरी बात, यह जो लेबर के लिए भेदभाव है, यह हण्ड्रेड परसेंन्ट सत्य है, चाहे इसकी जांच करवा ली जाए। हमने रिटिन में दिया है। इसे गम्भीर मान कर यह कार्य किया जाए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नाते ही यह पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं कर रहा हूं, यह हकीकत है, हकीकत से मुकरना नहीं चाहिए। बात कड़वी लगे या मीठी लगे, वह बात अलग है लेकिन कड़वी बात सही है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। घास के डिपो आसीन्द तहसील में 58 खोले गये। मैं मानता हूं कि यह हाइएस्ट है। इसे मैं स्वीकार करता हूं कि घास के मामले में आसीनद तहसील सबसे आगे है। हो सकता है कि राजस्थान में भी सबसे ज्यादा घास आसीन्द तहसील में आई हो। जब आसीन्द तहसील में सबसे ज्यादा घास आई है तो यह भी मानिए कि अकाल की मार भी वहां भयंकर है, तब ही इतनी घास की

(श्री रामलाल गुर्जर)

जरूरत पड़ी है। इसलिए अकाल रहात कार्य भी वहां ज्यादा से ज्यादा हों। घास की तो हम मान रहे हैं, जो असलियत है उसे स्वीकार कर रहे हैं। घास की तरफ से आसीन्द तहसील में अड़चन नहीं है।

श्री सभापति : बोलने दें, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल गुर्जर : आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार की ओर से कोई सहायता राशि नहीं मिल रही है, हमने भी हमारे एम.पी. साहब को कहा है और एम.पी. अटलजी से मिले हैं, वे मांग कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार इस समय दुविधा में है, वहां अकाल की समस्या है इसलिए केन्द्र से राशि दी जाए। भारतीय जनता पार्टी वाले भी सब चाहते हैं कि अकाल का कैसे न कैसे निदान हो। यह नहीं कि हम आरोप लगा दें कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। हमारे कार्यकर्ता भी लगे हैं। आप यह सोच दिमाग से निकाल दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कमी है। कोई भी नहीं है और न ही कमी रहेगी। मुसीबत के समय हम साथ हैं। विरोध के समय विरोध करना हमारा काम है।

दूसरा एक सुझाव है कि कोई आदमी पर्सनल हैण्डपम्प लगाता है, उसके लिए बोरिंग वह कर देता है तो अपनी ओर से पाइप और हैण्डपम्प का माथा वगैरह अवेलेबल करा दें तो आधा फायदा हो जाए। यह सुविधा दी जाए।

दूसरी बात, नगर पालिका एरिया के लेबर ग्रामीण वाले में नहीं लग रहे हैं, जैसे अरबन वाले रूरल में नहीं लगे रहे हैं। नगर पालिका एरिया में भी गरीब आदमी हैं, आस-पास में जो भी काम खुलें उसमें नगर पालिका की लेबर भी ग्रामीण एरिया की लेबर के साथ लगे। गरीब नगर पालिका एरिया में भी हैं, यह नहीं कि वहां सब धनाढ्य हैं। राज्य सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। धन्यवाद।

श्री सभापति : रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : ऊं कृतो स्मर :। राजस्थान में जो अभावग्रस्त स्थित उत्पन्न हुई है वह मानवकृत नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए मैंने शुरू में ही यह कहा, ऊं कृतो स्मर :, हे मानव! ईश्वर को स्मरण कर। राजस्थान सरकार के सामने एक विपत्ति है अभाव का मुकाबला करने की। बजट सीमित है। आपका आय-व्ययक पत्रक जो 30 मार्च को प्रस्तुत किया गया 89 पृष्ठों का और एक सौ कितने बिन्दुओं में, विभिन्न योजनाओं के संबंध में उसमें प्रकाश डाला गया उसमें चिकित्सा भी है, पानी के लिए भी है, अकाल के संबंध में भी है। किन्तु दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि संस्कृत विषय के लिए समूचा आय-व्ययक पत्रक मौन है। इसलिए एक श्लोक है :-

"धूमेना ब्रियते बहिर्यथादशो मलने च,
यथोल्बेना वृते गर्भस्तथा तेनेदमवृतम्"

जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई रहती है "यथादशो मलने च" और झाड़ फूंस से, रेत से दर्पण ढका रहता है "यथाल्बेनावृते गर्भस्तथा तेनेदमवृतम" और जिस तरह से गर्भ जल से ढका हुआ रहता है उसी तरह से अज्ञान के द्वारा यह बुद्धि ढकी हुई है।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

माननीय सभापति महोदय, इस देश में और विशेषकर राजस्थान में जो क्रियाकलाप जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त संस्कृत भाषा के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है उसी के लिए यह आय-व्ययक पत्रक मौन है। मैंने प्रथम अध्याय समाप्त कर दिया, अब द्वितीय अध्याय जल्दी शुरू करने वाला नहीं हूं। द्वितीय अध्याय शुरू हो इसके पहले मैं कुछ समय देना चाहता हूं और वह इसलिए कि अज्ञान के द्वारा तो यह बुद्धि ढकी हुई है उसको वह जागृत करें, समझें। अन्याय को बहुत दिनों तक नहीं दबाया जा सकता।

मैं अब आज के विषय पर क्योंकि आप कहने वाले हैं कि विषय पर बोलिए इसलिए मैं आज के विषय पर किंचित विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अभाव है और अभाव से सारे माननीय सदस्य और सरकार चिंतित है। लेकिन जब विपत्ति हो, विपत्ति में साथी कौन होता है? विपत्ति में साथी होता है धैर्य।

"विपति धैर्य म्युदयेक्षमा सदस्य वाक्पटुता युद्धि विक्रम यस्यसिचाभिरूचिर व्यसनं श्रुतो प्रकति सिद्ध मिदैही महात्मनः।"

विपत्ति में आदमी को धैर्य से काम लेना चाहिए। जैस हमारे अकाल मंत्रीजी बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं और जलदाय मंत्रीजी तो अति धैर्य से काम ले रहे हैं।

श्री सभापति : आपने दोनों को ही मुग्ध कर दिया है। आपकी वाणी से दोनों अति मुग्ध हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इनके कागजों में क्या है, मैं नहीं जानता। ये क्या आदेश देते हैं उसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। मैं तो धरती की बात कह रहा हूं कि धरती पर क्या हो रहा है और मेरा कर्तव्य भी यही है क्योंकि यहां से पैसा भेज दिया, कलेक्टर ने भी भेज दिया, रतनगढ़ में रुक गया। मैंने 24 तारीख को जो विचार व्यक्त किये थे उस पर मैं आज भी दृढ़ हूं। ऐसी चेष्टाएं की जा रही हैं कि मुझे असत्य घोषित करने के लिए पिछली तारीखों पर पेमेंट किया जा रहा है। सहायता मंत्रीजी, आपने चूरू जिले के अन्दर बहुत काम खोले और साथ-साथ में आपका यह भी आश्वासन है कि इतने में यदि क्षतिपूर्ति नहीं हो तो और भी खोलने के लिए आप तैयार हैं, कल आपने ऐसी बात कही थी। अब अभाव के अन्दर पहले तो अभाव पैसे का होता है, फिर क्रिया का होता है कि क्रिया किस ढंग से चल रही है और उसके बाद उसकी क्रियान्विति का होता है। मैं अंतिम समय तक यहां पर बैठता हूं और सारे माननीय सदस्य जो प्रवचन करते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनता हूं, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पैसे की कमी नहीं है, हमारी क्रियान्विति की कमी है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लोगों ने सुझाव दिया कि राजस्थान के विभिन्न विभागों में सशक्त और सम्पन्न व्यक्तियों में लाखों करोड़ों का बकाया है जो वसूल नहीं हो रहा है। यह क्रियान्विति का अभाव है इसको यदि समय के ऊपर वसूल किया जाता और आज जितना लोगों में बकाया है, राजस्थान वह यदि वसूल करे तो सैण्ट्रल गवर्नमैंट के पास नहीं जाना पड़े, आपके स्वयं के पास ही इतना पैसा है। इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

अभी बैंकों का मामला है, मेरे को रुपये-पैसे वाला कम समझ में आता है लेकिन एक

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

बात मैं जानता हूं कि जिस भावना से और जिस तेज गति से व्यक्ति लेने की चेष्टा करता है उसी भावना से उसको अपने आपको स्वच्छ रखने के लिए देने की प्रवृत्ति भी डालनी चाहिए। लोगों में हमारा भाषण जाएगा, लोग सुनेंगे तो हमारी प्रशंसा करेंगे कि अमुक माननीय सदस्य ने, अमुक मंत्री महोदय ने हमारा ऋण रुकवा दिया। यह गलत परम्परा है। आपने ' ल ला ' तो सीख लिया बारहखड़ी का, लेना तो, लेकिन बारहखड़ी का ' द दा ' नहीं सीखा। बैंकों में रुपया सरकार का है तो जनता का भी है। जिस तरह से बैंक ने एक व्यक्ति को उसकी रोजी-रोटी के लिए, उसके काम के लिए पैसा दिया, दूसरा व्यक्ति भी अपनी रोजी-रोटी और कमाई के लिए बैंक में खड़ा है कि यह देते तो मुझे भी मिल जाए। इसलिए मैं कहता हूं, सहायता मंत्रीजी ' द दा ' भी सीखो, देने की कृपा करो। भगवन, मेरा आप पर कोई आक्षेप नहीं है, मैं इस बात के लिए कायल हूं कि सहायता मंत्रीजी को हर जिले की कहां कितनी संख्या है, कितने मजदूर लगे हुए हैं, कितना भुगतान हुआ, कितना नहीं हुआ, यह सब याददाश्त है। याददाश्त बहुत तेज है। पहले तो आपने काम विलम्ब से शुरू किया, वह तो इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं था। पैसे का आपने जुगाड किया। वह तो प्रथम अध्याय समाप्त होते ही आपके पास पैसा आ गया, अब द्वितीय अध्याय शुरू मत करो। हमको तो करुणा का भाव रखना है। अभी जनता के ऊपर प्रकृति का प्रकोप है इसलिए सरकार का दायित्व है कि वह मानसिक दृष्टि से दया का भाव रखे। दया का भाव रखोगे तो, "दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान" आपके मन में हृदय में दया होगी तो जितने भी अभावग्रस्त लोग हैं उन सबको काम मिल जाएगा, यह मैं सोचता हूं। अभाव के संबंध में मैं आपसे यही कहकर विराम देता हूं।

अब पेयजल के बारे में। चूरू जिले में अधिकांश गांवों में चाहे वो श्री डूंगरगढ हो, राजगढ, सरदारशहर, तारानगर हो, सभी जगह पानी खारा है। रतनगढ तहसील के जितने भी दक्षिणी गांव हैं उनमें टोटली पानी खारा है। उन सारे गांवों को पानी देने के लिए एक बिरानिया परियोजना है। सब कलम सम्भाल लीजिए, बिरानिया परियोजना है। इस बिरानिया परियोजना से यह आपका सुलखनिया भुखरेड़ी, सीरसल, सरासा, रूखासर, मैनासर, छाबड़ी, कुसुमदेसर इत्यादि गांवों को पानी जाता है और पानी भी मीठा है। माननीय मंत्रीजी, आप और हम कर्मचारियों पर आश्रित हैं, उनकी इच्छा हो तो पानी सप्लाई करें, उनकी इच्छा नहीं हो तो 5-7-8-8 दिन तक पानी नहीं आता है। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैंने एक दफे बढ़ियारा ग्राम के अंदर पानी की अति समस्या के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आपको जानकारी दी थी, 24 घंटे में आपने वहां पर गंगा बहा दी, लेकिन आज फिर पानी नहीं है, आज फिर पानी नहीं आ रहा है। कतिपय गांव तो ऐसे हैं जहां कुएं सूख गये, जीरो बिन्दु पर आ गये, वहां पर अब टैंकरों से पानी जा रहा है। आपकी इच्छा, अब वहां नलकूप खुदवाएंगे, बोरिंग करवाएंगे या कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे लेकिन वहां आल्सरबास के गांव में भयंकर पानी की समस्या है ओर वहां पर टैंकर से पानी जा रहा है। विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैंने यह सोचा

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

कि जब यह स्कीम चालू हुई तो पानी बराबर आया, अब क्यों नहीं आ रहा है। तो रूखासर गांव में वाल्व खोला गया, पाइप के अंदर प्लास्टिक की चप्पल फंसाई और आगे भाटा दिया। पानी कैसे आएगा ? तो ये सब जो गड़बड़ियां जान-बूझकर की जा रही हैं लोगों को तंग और परेशान करने के लिए, उसकी ओर मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोई न कोई उनका इलाज करें। कर्मचारियों की हड़ताल के वक्त में मैं राजगढ़ गया था, वहां मैंने अपने रिश्तेदारों से भी और दूसरे लोगों से भी पूछा कि पानी की क्या स्थिति है ? बोले, पानी एक घण्टा नियमित रूप से, अथाह रूप से आ रहा है। और अभी 13 तारीख को गया तो कह रहे हैं कि पानी आ ही नहीं रहा है। पानी आ ही नहीं रहा है, इस ढंग की सरकार की योजनाएं जो पहले से बनी हुई हैं वे बहुत अच्छी हैं लेकिन क्रियान्विति में जो लोग लगे हुए हैं उनकी मानसिकता अनुकूल नहीं है कि लोगों को पेयजल सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो सके। अब यह तो आम लोगों की एक मानसिकता बन गई किसी गांव में बिजली जाएगी तो हरिजन मौहल्ला आते ही वहां पोल खतम हो जाएंगे और पानी की योजना जाएगी तो हरिजन मौहल्ला आते ही वहां पाइप खतम हो जाएंगे। हरिजनों के लिए न पानी है, न पोल है। छाबड़ी में, क्या नाम है, मीठी छाबड़ी में, खारी छाबड़ी में, रूखासर में आपके डोम टूटे हुए हैं, पानी को स्टोर करने के लिए कोई बर्तन नहीं है। पानी कहां से पीएंगे ? तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, जान-बूझकर लोगों को परेशान करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, जिस तरह से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के वक्त में आपने एक्शन लिया था उसी ढंग से इस अभावग्रस्त स्थिति में आपको पेयजल के लिए एक्शन लेना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो उसकी आप जांच कराओ, कोई दोषी हो तो उसको दण्डित करो क्योंकि आम जनता के साथ वह खिलवाड़ कर रहा है।

सभापति महोदय, मेरे रतनगढ़ शहर में चारे की कोई समस्या नहीं है।

श्री सभापति : कोई समस्या नहीं है ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : चारे की कोई समस्या नहीं है। गत 4 महीनों से, जनवरी-फरवरी से पूर्व की दिशा में गौशाला में निःशुल्क चराई की जा रही है और पश्चिम की दिशा में भी निःशुल्क चराई की जा रही है। दोनों जगह डेढ़-डेढ़, दो-दो हजार गायें आराम से चर रही हैं। लेकिन वह सब जनता की व्यवस्था है, दानदाताओं की तरफ से है। और यह छूट है कि आपकी कोई दुधारू गाय हो और दूध देती हो तो सुबह के वक्त उसका दूध निकालिये, दूध निकालने के बाद में गौशाला में भेज दीजिए। शाम को वापस ले जाइये और दूध निकाल लीजिए, सुबह वापस भेज दीजिए। यहां तक छूट है। देहाती क्षेत्र में ... (व्यवधान) ऐसा है कि देखो, दायित्व के साथ, आपसे मैं पहले माफी चाहता हूं। आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। दायित्व के साथ अधिकार का होना जरूरी है। बिना अधिकार के आप दायित्व नहीं निभा सकते हैं। इसलिए मुझे जिन लोगों ने भेजा है, मैंने अपने स्तर पर प्रयास करके लोगों से हाथा-जोड़ी की कि बहुत बड़ा यह समय आ गया अभाव का, और आप यह कहते

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

हो कि गऊ माता है, गांव में अग्रत सन्तु और गांव में सन्तु पृष्ठत:। जब आप इस बात को मानते हो कि गायों में ही भगवान का निवास है तो उनके लिए कुछ करो, नहीं तो ये गायें मर जाएंगी। सन्त महात्माओं के भी ऐसे प्रवचन करवाए। सन्त महात्माओं के प्रवचन से वह सब काम प्रोपर है, रतनगढ़ में चारे की कोई कमी नहीं है। अब मैं यह चाहता हूं, जैसे आप मेरे को कह रहे हैं, आप सब जगह कराओ, आप अपनी-अपनी जगह सब कराओ। आप अपनी-जगह सब कराओ। आज मानसिकता क्या हो गई ? मानसिकता यह हो गई है कि आज सब सरकार पर आश्रित हो गये। अब कह रहे हैं छाया भी सरकार बनाए, पीने के पानी मटकी सरकार दे, मजदूरी भी सरकार दे, और सब काम में सरकार हो। ये सरकार पर आश्रित हो गये, इसलिए सब पंगु हो गये।

(18.26 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं बिना कहे ही बैठ जाता हूं। यह तो मैं जानता था कि आप वहां सुन रहे हो और आप यह महसूस कर रहे हो कि पण्डित को मौका मिल गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : और अब मुझे चलना चाहिए। आपके आते ही स्थान ग्रहण करूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : क्योंकि एक ही काम सीखा है आपने, बैठो-बैठो-बैठो। आप तो धन्य हो। आपको भगवान चिरायु करे।

श्री उपाध्यक्ष : आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इति शुभम्:। कुर्यात सर्वदा मंगलम।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के 26 जिले भयंकर अकाल से त्रस्त हैं और राजस्थान सरकार संवेदनशील सरकार के रूप में पूर्ण जागृति से अकाल का मुकाबला करने के लिए तीव्रता से काम करने का प्रयास कर रही है। इस बात से यह स्वत: ही सिद्ध होता है कि पिछले 7 दिन में राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल की दो बार बैठक हुई। राजस्थान सरकार के सारे मंत्री सम्बन्धित जिलों में, अकाल से सम्बन्धित गांवों में गये, स्वयं मुख्य मंत्रीजी भी अकाल के गांवों में गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ओर से आपसे इतना ही आग्रह है कि पूर्व वक्ताओं ने परम्परागत जो सोर्स हैं उनके सम्बन्ध में चिन्ता की है, यह बात सही है। पिछले 20 सालों में हमारे प्रदेश के परम्परागत स्रोत लुप्त होते गये हैं, नष्ट होते गये हैं। किसी भी सरकार में, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, बड़े-बड़े तालाब बने, बड़ी-बड़ी नहरें बनीं, धीरे-धीरे नष्ट होते गये और आज समाप्त होने की स्थिति में आ गये हैं। मैं इसी क्रम में जयपुर जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में कालख

(श्री बाबूलाल नागर)

बांध, माननीय सिंचाई मंत्रीजी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, कालख बांध जयपुर जिले का एक बहुत बड़ा बांध है। 1857 में करोड़ों रुपये की लागत से यह बांध बना। 3-3 विधान सभा क्षेत्रों में पूर्णतया इससे सिंचाई होती थी, पीने का पानी मिलता था और उन क्षेत्रों में अकाल भी नजदीक नहीं आ पाता था।1982 के बाद इस बांध के रास्ते में एक बाड़ी नदी आती है, उसी आवक में सिवायचक जमीन हो, गोचर जमीन हो, पहाड़ हो, नदी हो, इनको राजस्व विभाग द्वारा अलाट कर दिये गये और इसी आवक रोक दी गई जिसके कारण जयपुर जिले के आधे क्षेत्र का जीवन दूभर हो गया है। 1982 के बाद पीने का पानी, सिंचाई जयपुर जिले को नहीं मिल पा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के जो परम्परागत स्रोत थे,यह बात सही है कि संवेदनशील सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले सालों में अकाल की विभीषिका से बचा जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जयपुर जिले में प्रशासन और अकाल राहत मंत्रीजी इस बात का अहसास करते हैं कि मेरे क्षेत्र दूदू में भयंकर अकाल है। चाहे मंत्रीजी हों, प्रभारी मंत्रीजी हों, वे मेरे क्षेत्र का दौरा करते हैं। कलेक्टर महोदय जाएं तो हमारे क्षेत्र का दौरा करते हैं। चाहे केन्द्र सरकार का पानी के सम्बन्ध में कोई आई.ए.एस. अधिकारी आए तो हमारे क्षेत्र का दौरा करते हैं। पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक समाधान का मामला है, कोशिश तो की जा रही है लेकिन और कोशिश की आवश्यकता है। पिछले दिनों मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्रीजी हमारे यहां गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में गये, चार-पांच गांवों की हालत देखी। प्रभारी मंत्री श्री दीपेन्द्र सिंहजी यहां सदन में मौजूद नहीं हैं, इतने विचलित हुए और मुझसे कहा कि मैं और गांव देखने की स्थिति में नहीं हूं, मैं महसूस करता हूं कि आपके यहां बहुत ज्यादा हालत खराब है। (व्यवधान) दो मिनट। नया सदस्य हूं, बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मोहनलालजी।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो, बोलने दो।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : और वे वापस आ गये।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में 2242 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं और जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे राजस्थान में उदयपुर एक ऐसा जिला है जहां 2289 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में श्रमिक सीमा मैं समझता हूं कि पचास-साठ हजार लोगों की है जबकि जयपुर जिले में मात्र दस हजार की श्रमिक सीमा है। कलेक्टर, जयपुर ने सहायता विभाग में 24 तारीख को ही इस बात का पत्र लिखा है कि जयपुर जिले में दस हजार श्रमिक रोज काम कर रहे हैं, तीस हजार श्रमिकों की अति आवश्यकता है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जयपुर जिले की श्रमिक सीमा बढ़ाए जिससे कि हमारे गांवों में रोजी-रोटी के लिए अकाल के काम हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई विकास के कामों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे यहां जितने भी काम स्वीकृत हुए हैं, खाली खुदाई के काम स्वीकृत हुए हैं। विकास नहीं, रोजी-रोटी हमारी मूल आवश्यकता है इसलिए उम्मीद करता हूं, माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

(श्री बाबूलाल नागर)

उपाध्यक्ष महोदय, पानी के सम्बन्ध में निवेदन है। पानी वाले मंत्रीजी सम्माननीय विश्नोईजी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैंने पूर्व में भी कहा, हमारे कालख बांध है, 1982 से पीने का पानी, सिंचाई का पानी हमारे क्षेत्र को उपलब्ध नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य से हमारा क्षेत्र, चाहे फागी का क्षेत्र है, चाहे दूदू का क्षेत्र हो, चाहे सांभर का क्षेत्र हो, फ्लोराइड क्षेत्र है, उसमें पीने के लिए खारा पानी है, और पानी उपलब्ध नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में 219 राजस्व ग्राम हैं और 190 फ्लोराइड गांव हैं। पीने के पानी की इतनी बुरी हालत है, अभी दो-तीन दिन से अखबारों में पढ़ रहे हैं कि काम के बदले अनाज, मैं तो कहना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज ही नहीं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप अनाज के साथ हमें पानी भी दे दें जिससे कि हम अनाज खाकर पानी पीकर अपना जीवन निर्वहन कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विश्नोईजी का इस बात के लिए जरूर अभार प्रकट करता हूं कि माननीय विश्नोईजी ने मेरी पीड़ा को समझा और पिछले दिनों ही 82 हैण्डपम्प मंजूर किये। 82 हैण्डपम्प, उपाध्यक्ष महोदय, ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। हमारे यहां तलाइयों में जहां जोहड़ है, जहां नाड़ियां हैं वहां पर पानी का कुछ क्षेत्र उपलब्ध है लेकिन उसका पानी का तल नीचे चला गया है। पानी की जो स्कीम्स काम कर रही थीं, करीब-करीब सारी स्कीम्स फेल हो गई हैं। मैंने पानी के अधिकारियों से, सबसे आग्रह किया है, मंत्री महोदय से आग्रह किया है कि हमारे यहां साखून में, दूदू में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लोग चन्दा करके टैंकर लगा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों कलेक्टर साहब से आग्रह किया था कि हमारे यहां क्षेत्र में पीने के पानी के लिए टैंकर लगा दें लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी टैंकर अभी तक नहीं लग पाया है। आपके कनिष्ठ अभियन्ता हों, चाहे सहायक अभियन्ता हों, इनकी ऐसी हालत है, मैंने पिछले दिनों मंत्रीजी से कहा कि हमारा सहायक अभियंता मौके पर कार्यालय में नहीं रहता, फील्ड में नहीं जाता, मंत्री महोदय ने उसका कहीं स्थानांतरण कर दिया तो उसने कोर्ट से स्टे ले लिया और आज भी वह वहीं कायम है। मैं कहना चाहता हूं कि सामान की कमी हो सकती है लेकिन काम करने में मन की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कुछ तलाइयों के आस-पास कुएं हैं, बिलकुल उसमें पानी नहीं है। दूरदर्शन पर आंखों देखी एक कार्यक्रम आता है, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों उसमें हाथों से पानी घड़े में भरते हुए दिखाया गया। पानी के विभाग ने तुरत-फुरत तीन दिन में एक स्कीम बनाई और तुरन्त ही वहां पानी की स्कीम मंजूर कर दी। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बस की बात नहीं है कि उन दूरदर्शन वालों को हर गांव में ले जाऊं और इसी तरह से उनको आंखों देखी दिखाऊं। मैं समझता हूं कि पानी का विभाग उसके बिना भी जागरूकता से काम कर पाएगा। मैंने पिछले दिनों भी मंत्री महोदय को सुझाव दिया था, मैं अभारी हूं आदरणीय विश्नोईजी का, हमने प्रार्थना की थी कि दूदू की जमीन में पानी नहीं है। दूदू ही नहीं, चाहे सांभर हो, चाहे फागी हो, सब जगह खारा पानी है। खारे पानी का भी तल नीचे चला

(श्री बाबूलाल नागर)

गया है। हैण्डपम्प हम नये लगाते हैं तो दस-पन्द्रह दिन वे चलते हैं और इसके बाद वे खतम हो जाते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है, हमारे यहां बीसलपुर जो नजदीक ही है अगर वहां से कोई स्कीम बनाकर इस फ्लोराइड के क्षेत्र में पानी दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि हम पीनें का पानी पीकर कम से कम जीवन निर्वहन कर सकते हैं।

चारा डिपो के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां एक भी चारा डिपो नहीं खुल पाया है। सरकार ने चारा डिपो के लिए इस तरह के नियम बनाए हैं कि पहले चारा डिपो खोलो फिर चारा खुद खरीद कर लाओ। हमारे यहां गरीब लोग हैं, वे चारा खरीदने में असमर्थ हैं।

मुझे आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय उपाध्क्ष महोदय, अकाल पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं, इसी क्रम में मैं भी अपनी राय देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से अकाल सहायता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली बार भी आपने इसी तरीके से अकाल पर चर्चा कराई थी और इस समय भी अकाल पर चर्चा कराने जा रहे हैं लेकिन पिछली बार के अकाल में और इस बार के अकाल में भारी अन्तर है। मैं कहना चाहूंगा कि यह अकाल अकाल नहीं, महाकाल है। हमारे पूर्वज लोग छप्पनिया और ताणिया अकाल के नाम से गिनते थे, उसी की तर्ज पर आज राजस्थान के अंदर अकाल के हालात खड़े हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में अकाल की अलग-अलग हालत है...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, पंखा तो चलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : खराब हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : ए.सी. चलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अकाल पर चर्चा कर रहे हो और एयर कंडीशनर की बात कर रहे हो, यह क्या बात हुई ? अकाल है इसीलिए बोल रहा हूं।

श्री जीतमल खांट : राजस्थान का दक्षिणी भाग उदयपुर संभाग जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ प्रदेश का भाग है, इस उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ आते हैं तथा ये जिले जनजाति बहुल क्षेत्र हैं। आज के हालात में अगर हम देखें तो दक्षिणी राजस्थान के इन जिलों से 50 प्रतिशत लोग गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अनेक छोटे-मोटे शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। उपाध्यक्षजी, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9.1.2000 के द्वारा बांसवाड़ा जिले के कुल 1458 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के दिमाग में एक बात हमेशा यह बनी रहती है कि बांसवाड़ा जिले के अंदर माही का पानी है और माही के पानी के कारण वहां पर अकाल के हालात नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय, बांसवाड़ा जिले की पांचों तहसीलों का जो आंकड़ा आपने दिया है, बांसवाड़ा तहसील के अन्दर 312 गांव आते

(श्री जीतमल खांट)

हैं, घाटोल में 377 गांव आते हैं, गढी के अंदर 177 गांव आते हैं, बागीदोरा के 260 गांव आते हैं और कुशलगढ़ के अंदर 398 गांव आते हैं। इस तरीके से ये 1458 गांव अभावग्रस्त घोषित किये हैं। इस बार अकाल के हालात से माही डैम के अंदर जो भराव क्षमता थी वह पानी नहीं भर पाया। साथ ही बांसवाड़ा जिले के निचले हिस्से में जो कडाना का डैम बना हुआ है वह पूरा डैम सूख चुका है। अनास और माही के किनारों पर जिनको पानी से हमेशा निजात मिला करती थी, आज नदी-नाले और डैम के अंदर पानी सूख जाने की वजह से वहां का जलस्तर बिलकुल नीचे चला गया है। हैण्डपम्प सूखे हैं, कुओं और बावड़ियों में पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि चाहे कडाना डैम हो, चाहे माही डैम के किनारे पर गांव बसे हुए थे, वहां की हालत बड़ी गंभीर बनी हुई है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि अकाल के हालात में आप रोजगार की सबसे पहले व्यवस्था करें। रोजगार में मात्र कच्ची मिट्टी की सड़कों का काम हमें सुपुर्द किया गया है। आप कच्ची मिट्टी की सड़कों का काम दें, चाहे चारदीवारी का काम दें, चाहे स्कूलों की बिल्डिंग का काम दें, हमें अभी पैसा नहीं चाहिए, काम के बदले अनाज योजना को बड़े वृहद रूप में लागू किया जाए। आप द्वारा जो योजना लागू की जाएगी, उस योजना से जो हमें गेहूं मिलेगा वह दो महीना, तीन महीना गरीब किसान के घर में पड़ा रहेगा। मई और जून तक आप अकाल का काम चलाएंगे और मई और जून के बाद में किसान के घर में अगर आप पैसा देओगे तो उसकी जेब में वह पैसा नहीं रहेगा लेकिन आपका दिया हुआ अनाज उस किसान की कोठी में ही रहेगा। जब ठंडी हवा चलेगी, जब बारिश होगी तब किसान को न तो आप रोजगार दोगे, न ही उसके छोटे-छोटे बच्चों के लिए वह रोजी-रोटी की कोई व्यवस्था कर पाएगा, ऐसी हालत में आपके द्वारा जो गेहूं दिया हुआ है वह जुलाई, अगस्त और सितम्बर, तीन महीने तक अपने बच्चों को खिला-पिलाकर आराम की नींद सो सकेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के मेरे और भी साथी बैठे हैं, विशेष तौर से उन इलाकों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप काम के बदले अनाज योजना को पूर्ण प्राथमिकता दें, आप द्वारा जो गेहूं हमें मिलेगा वह अक्टूबर तक राहत की सांस पहुंचाएगा।

आपके द्वारा जितने भी राहत के कार्य चलेंगे उन राहत के कार्यों पर आप एक व्यवस्था सुनिश्चित करें। हर गांव,ढाणी, मजरे और पंचायतों में अभी जितने भी कार्य चल रहे हैं अकाल के, आप उन अकाल के कार्यों पर निगरानी करने के लिए ज़िला स्तर से लगाकर पंचायत स्तर तक अधिकारी नियुक्त करें। वह बी.डी.ओ. हो सकता है, पंचायत समिति का शिक्षा प्रसार अधिकारी हो सकता है, आपका पटवारी हो सकता है और वह आपका ग्राम सेवक हो सकता है। वह देखे कि कौनसी ग्राम पंचायत के अंदर कितना काम चल रहा है और उस काम पर कितने लोग मजदूरी पर लगे हुए हैं। वह अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि क्या उस गांव के अंदर, उस ग्राम पंचायत के अंदर घास की समुचित व्यवस्था है या नहीं। क्या उस गांव में और उस ग्राम पंचायत की समस्त ढाणियों और मजरों में पीने के पानी

(श्री जीतमल खांट)

का पुख्ता इन्तजाम है या नहीं। आप इस तरीक से पंचायत स्तर पर अधिकारी नियुक्त कर और इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालकर इस प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी राहत दिला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे उस बागड़ क्षेत्र के अन्दर लोगबाग कहते हैं कि अकाल पड़ता है और अकाल की स्थिति पैदा होती है तो नेता और अधिकारी की जेब बहुत ज्यादा गर्म होती है। मंत्री महोदय, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह वस्तुस्थिति है। बांसवाड़ा जिला हो, चाहे डूंगरपुर जिला हो, हमारे उस इलाके के अन्दर सबसे ज्यादा अगर शोषण करने का काम किसी ने किया है तो हमारे अधिकारी, आदिवासी नेता और हमारे जितने भी जन प्रतिनिधि थे इन सब लोगों ने मिल कर लोगों को लूटने का काम किया है। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे इर्रिगेशन के तालाब हों, चाहे एनीकट हों, चाहे सड़क हो, जिस किसी भी एजेंसी के माध्यम से काम चलाया जाए उन पर पुख्ता निगरानी रखने के लिए आप एक व्यवस्था सुनिश्चित करें। हमारे उस इलाके के अन्दर लोगों की जो इस तरह की सोच बनी हुई है उसको बदलने के लिए आप ऐसी व्यवस्था करें। गरीब जनता का पैसा जन प्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अधिकारी और नेता मिल कर उसे लूटने का काम करते हैं। जो आज सरकार का एक नारा है संवेदनशील होने का, जवाबदेह और पारदर्शी होने का तो इस समय पब्लिक में इस तरह का एक संदेश जाए कि अशोक गहलोत, महान् अशोक गहलोत नारा दे रहे हैं, सच्चे अर्थों में इस बार जनता के अन्दर काम हुए, जो कार्य कर दिये गये वे पुख्ता हुए, जनता को मजदूरी मिली। इस तरह का जनता में एक संदेश जाए, इस तरह की धारणा बने।

अंत में मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया अब अंत।

श्री जीतमल खांट : हमारे जलप्रदाय मंत्रीजी नहीं हैं लेकिन मैं छोटी सी बात कह देना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिले के अन्दर कुएं और बावड़ियों के काम शुरू किये गये हैं लेकिन वे काम आंशिक रूप से शुरू हुए हैं। हमें हैण्डपम्प दें नहीं दें, हमें इसकी परवाह नहीं है लेकिन जितने भी कुएं और बावड़ियां हैं, निजी हों चाहे सार्वजनिक हों, उनको गहरा करने का, उनकी सफाई कराने का काम आप अतिशीघ्र अपने हाथ में लें ताकि हमें पानी की समस्या से निजात मिल सके। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज महोम्मद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के जवाब तक बढ़ा दें, सीधी बात तो यह है, बारबार बढ़ाने

(श्री उपाध्यक्ष)

से क्या फायदा। (व्यवधान) क्या होगा, आप कितनी ही दफा बढ़ाओ, अंत तो वहां ही है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : जैसा आप कहो।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिलकुल। आप तो मंत्री महोदय के जवाब तक बढ़ा दो समय।

श्री परसादीलाल मीणा : दोनों मंत्रियों के जवाब तक।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दोनों मंत्रियों के जवाब तक।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय अकाल राहत मंत्री महोदय और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री महोदय के जवाब तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अकाल का विषय कितना महत्वपूर्ण है, सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों ने अकाल के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की है। आज इस अवसर पर मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी यहां होते तो सारे राजस्थान की जनता की भावनाएं जो जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रकट हुई हैं, उनका वे सही आकलन कर उसकी सही व्यवस्था कर पाते। मैं चाहूंगा कि अभी भी मुख्य मंत्रीजी इस सदन में आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा ताकि जो कुछ भी समस्यएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है इसके बारे में वे कुछ कह सकें।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी इस समय सदन में ही हैं। सदन में ही हैं, देख रहे हैं। कार्यवाही देख रहे हैं।

श्रीमति सुमित्रा सिंह : कार्यवाही देखने से क्या, कार्यवाही देखना और सदन एक है क्या ? क्या बात हुई ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छिपे-छिपे क्यों देख रहे हैं, खुले देखें न।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आपकी बात भी वहां तक पहुंच रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, आप नहीं पहुंचा सकते, इतने डरे हुए हो।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : नहीं आप ही ने पहुंचा दी, इसलिए कह रहा हूं वे देख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज मोहम्मद।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, ये लोग कमरे में बैठे हुए देखते हैं और जब लगता है कि कोई सही कहने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो फट आ जाते हैं। यह है इनकी आदत।

राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन

(श्री हफीज मोहम्मद)

जिस विषय पर चर्चा कर रहा है वह बहुत अहम चर्चा है जो राजस्थान की पांच करोड़ जनता को प्रभावित करती है। इस चर्चा में बिना किसी राजनीतिक विचार के हम सबको बहुत गम्भीरता से राजस्थान के लोगों के हितों की दृष्टि से भाग लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद अब तक पांच-छः सालों को छोड़ कर लगातार हमारे प्रदेश में अकाल की छाया किसी न किसी भाग पर मंडराती रही है। अब तक अकाल पर राज्य सरकार पिछले अर्से से करीब 95 सौ करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है उसके बावजूद भी आये साल अकाल की भयंकर विपदा हमारे प्रदेश में आती रहती है। इसलिए मैं इस मौके पर सभी माननीय सदस्यों से, नेता महानुभावों से निवेदन करूंगा कि हम लोग बहुत गम्भीर होकर इस समस्या के निदान के बारे में अपने विचार व्यक्त करें और सरकार को हर तरह से सहयोग देने का यहां पर आश्वासन दें। आप और हम जानते हैं कि अकाल कोई किसी पार्टी की देन नहीं है, अकाल कोई सरकार की देन नहीं है, यह अकाल एक प्राकृतिक विपदा है। जो पिछले सालों से लगातार कम पानी बरसा उसकी वजह से हमारे प्रदेश में अकाल पड़ रहा है। जो बड़े-बड़े बांध हमने सिंचाई योजना के लिए, अन्न उत्पादन करने के लिए राजस्थान में बनाए थे, आज हम इस स्थिति में आ गये हैं करीब-करीब सारे बांधों का पानी सिंचाई को छोड़ कर सिर्फ पीने के काम में लेने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत गम्भीरता से हमको आज इस विषय पर विचार करना चाहिए कि हम किस तरह से आने वाले समय मे राजस्थान को अकाल से बचा सकें और पीने के पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था कर सकें। इसके लिए मेरा निवेदन है कि हमको भाखड़ा से अधिक पानी लेने की बात करनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि हिमाचल से हमको अधिक से अधिक पानी प्राप्त हो सके, इसके बारे में बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस सदन में ऐसे अनुभवी विचारवान व्यक्ति हैं जो इस सारी समस्या का निदान मिल-जुलकर भारत सरकार के सहयोग से ओर अन्य राज्यों की सरकारों से बातें कर निकाल सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी राजस्थान मे भयंकर अकाल था लेकिन कितने ही अभाव और आर्थिक संकट के बावजूद राजस्थान सरकार ने पिछले साल में करीब पांच सौ करोड़ रुपया खर्च कर राजस्थान के अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करने में कोई कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। रोजगार देने का सवाल हो, चाहे पीने के पानी को मुहैया कराने का सवाल हो, सरकार अपने प्रयत्न करने में कभी भी कोई कमजोरी की बात नहीं करती है। इस साल मैं समझता हूं कि सदी का सबसे बड़ा भयंकर अकाल हमारे और आपके सामने है। यहां पर जितने महानुभाव बिराजे हैं, आपका और हमारा अनुभव है कि हमने अपने जीवन में ऐसा अकाल पहले कभी नहीं देखा। आज न गांव मे पीने का पानी है, न खाने के लिए अनाज पैदा हुआ है और न पशु के लिए घास पैदा हुआ है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अभी हमारे साथी सरकार पर कई तरह के लांछन लगा रहे थे , कोई कह रहे थे आपने काम देर से क्यों प्रारम्भ किये, कोई कह रहे थे सरकार

(श्री हफीज मोहम्मद)

की गलती की वजह से लोगों का पशुधन मर रहा है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें राज को और राजनीति को घसीटने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई यह है कि पानी के कम बरसने की वजह से आज पूरा का पूरा राज्य अकाल की भयंकर चपेट में है। लेकिन राज्य सरकार अपने सीमित संसाधन होने के बावजूद भी अपनी शक्ति के अनुसार बराबर काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर भारत सरकार दोष देना नहीं चाहता, देर आयद दुरुस्त आयद, अभी भी उन्होंने हमारे लिए सहायता देने की बात की है।

(19.00 बजे)

मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि देर से सही लेकिन उन्होंने हमारी गम्भीरता को समझा है, हमारे अकाल को उन्होंने महसूस किया है। उन्होंने अकाल राहत में जो सहायता देने की बात कही और जो अनाज देने की बात कही, मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार को भी धन्यवाद देकर उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र यहां पर अनाज भेजने की बात करें और सहायता रिलीज करने की बात करें। (व्यवधान) पैसे से दिया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य, भारत सरकार ने जो अनाज दिया है वह सहायता के रूप में नहीं दिया, यह तो बी.पी.एल. रेट पर दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसकी क्वालिटी कैसी है, मंत्री महोदय ? उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं कहा। क्वालिटी का टैक्निकली एक्जामिन करवा लेना, वह सड़ा हुआ अनाज है। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : मैं इस बारे में आज की सदन की कार्यवाही के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ऐसी स्थिति में हमसें अनाज का पैसा नहीं लिया जाए और जो पांच लाख टन अनाज देने की बात कही है, उन गरीब व्यक्तियों को जो अकाल से पीड़ित हैं, सहायता के रूप में देने के लिए मुफ्त में भेजें तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और हम गरीब के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं, उसको मदद करने की बात करते हैं, मैं समझता हूं उसमें हम बहुत सहायक हो सकेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में बहुत बड़ा अकाल है, राजस्थान में भुखमरी है, राजस्थान का पशुधन बचाने की आवश्यकता है, पीने का पानी का अभाव है। लेकिन मैं आज इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अनेक जिले ऐसे हैं जहां आपने जो श्रमिक दिये हैं वे श्रमिक भी आज तक नहीं लगे हैं। अकाल में लोग मर रहे हैं, अगर रोजी-रोटी की आवश्यकता है तो जयपुर में इतने आदमी आज तक क्यों नहीं लग पाए ? जोधपुर में आज तक आदमी क्यों नहीं लग पाए ? जोधपुर डिवीजन में जहां सरप्लस मजदूर हैं, आपके स्वीकार करने के बाद भी आज वहां पर बराबर श्रमिक नहीं लग रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति को यहां न लाकर सच्चाई की बात

(श्री हफीज मोहम्मद)

को हमको स्वीकार करना चाहिए। मैं उदयपुर डिवीजन और अजमेर डिवीजन के बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा। आज जितने भी श्रमिक दिये हैं वे बहुत कम हैं। पहले भी अकाल राहत मंत्री रहे हैं और भीलवाड़ा जिले को आपने देखा है जहां पर एक लाख से डेढ़ लाख श्रमिक काम करते थे। एक-एक निर्वाचन क्षेत्र में जहां 20-20 हजार आदमियों ने काम किये हैं, आज सारे जिले में अगर 20 हजार आदमी आते हैं तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उनका काम कैसे चल सकता है ? आप जानते हैं कि आपने जहां मजदूर मंजूर किये हैं तत्काल वहां पर मजदूर लग गये हैं। इससे आपको हमारी तकलीफ का अहसास होना चाहिए। आज चाहे अजमेर हो, चाहे भीलवाड़ा हो और चाहे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो, ज्योंही सरकार ने श्रमिक संख्या बढ़ाई है दूसरे दिन वहां पर वह श्रमिक लग गये हैं। माननीय मंत्री महोदय, हम आपके शुक्रगुजार हैं, पहले के हमारे जिला कलेक्टर ने पता नहीं किन्हीं कारणों से करीब 570 गांवों को अकाल से वंचित कर दिया था लेकिन हमारे निवेदन पर आपने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे जिले के उन अकाल पीड़ित लोगों को बचाने के लिए उन्हें राहत देने के लिए करीब 570 गांवों को अकाल में घोषित किया। मैं भीलवाड़ा जिले का साधारण कार्यकर्ता होने के नाते सरकार को धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं। 570 गांव हमसे नाराज हो रहे थे, जहां पक्षपात की दृष्टि मानी जा रही थी कि उनके पड़ोस के गांवों के काम चल रहे थे और अकाल की स्थिति से ज्यादा खराब स्थिति होते हुए भी वहां पर अकाल के काम नहीं चल रहे थे। अब एक तारीख से उम्मीद करते हैं कि वहां पर काम चालू हो जाएंगे लेकिन जो श्रमिक आपने दिये हैं वह हम कितनी भी कोशिश करें, हमारे लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संवेदनशील राज्य सरकार हमारी तकलीफ को देखे। हमारे अभावग्रस्त इलाके के गरीब मजदूर किसान कभी भी भीख मांगना पसन्द नहीं करते, कभी अच्छे गृहस्थी आदमी सड़क पर मिट्टी डालना पसन्द नहीं करते लेकिन पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए सारी शर्म और इज्जत को घर पर रखकर सड़क पर तगारी डालने के लिए आते हैं। अगर आज आपने उनको काम नहीं दिया तो वे बहुत मजबूर हो जाएंगे गांव छोड़ने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले जिन गांवों में उनको काम मिल जाया करता था आज उन राज्यों में भी काम नहीं है। आज गुजरात में अकाल है, हरियाणा में कोई आता है तो वहां कोई काम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में खास तौर से भीलवाड़ा जिले में भयंकर अकाल की स्थिति है और वहां पर मांडल है जिसको आप स्वयं जानते हैं। इतना बड़ा अकाल है कि मेजा बांध जिससे किसी जमाने में 25 हजार बीघा जमीन को हम सिंचित करते थे, आज वहां घोड़े दौड़ रहे हैं। पानी की बूंद वहां देखने को नहीं मिलती है। जिस बांध से लाखों मण हम अनाज पैदा करते थे, लोगों को पानी पिलाने के लिए उस बैल्ट में हमने ट्यूबवैल लगाए लेकिन दुर्भाग्य है कि ट्यूबवैल्स में भी पानी नहीं आया। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप मेहरबानी करके जिन जिलों में सरप्लस लेबर है, मंजूरी के बाद भी नहीं लगे

(श्री हफीज मोहम्मद)

हैं, उनका आज भीलवाड़ा जिले में आबंटन करने की कृपा करें, नहीं तो और लेबर बढ़ाकर एक तारीख से हमारे गरीब लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए आज अधिक से अधिक श्रमिक दें।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम लगातार 40-50 साल से मिट्टी डालने का काम करते आ रहे हैं। राजस्थान में पिछले 50 सालों में बहुत विकास हुआ है, इस बात को हम इंकार नहीं कर सकते। लेकिन अकाल के माध्यम से हमारी इच्छा है कि हम कुछ पक्के काम करें जिससे अपने अपने इलाकों में पक्के स्रोत बना सकें, नहरें बना सकें और एनीकट बना सकें या हम बांधों की टूट-फूट, तालाबों की टूट-फूट ठीक करा सकें, सड़कों पर जहां मिट्टी डाल रहे हैं, वहां काज-वे बना सकें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज 25 प्रतिशत से बढ़ाकर से 40-60 का रेश्यो कर दें ताकि हम कुछ पक्के काम करा सकें। नहीं तो यह मिट्टी जो आज सड़कों पर इधर-उधर डाली जा रही है, वह दो महीने में उड़ जाएगी और इसका कोई हिसाब-किताब नहीं होगा। गांवों के विकास की दृष्टि से हम जो रुपया खर्च कर रहे हैं वह रुपया स्थायी रूप से विकास में काम आए, इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे पक्के कामों को आप इसमें स्वीकार करने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, पिछले हमारे अनुभव से मुझे मालूम है कि हमारी पिछली कांग्रेस की सरकारों ने हमारे जिले में अकाल के दिनों में बहुत हैण्डपम्प लगाए, बहुत ट्यूबवैल लगाए। आज आठ हजार से ज्यादा ट्यूबवैल और हैण्डपम्प भीलवाड़ा जिले में हैं लकिन दुर्भाग्य है कि दो साल के लगातार अकाल से वे सब सूख गये हैं या कुछ खराब हो गये हैं। यहां पर जलदाय मंत्री महोदय नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल एम.पी., विधायक के कोटे से और कुछ राज्य सरकार से और दसवें वित्त आयोग से जो करीब 1000 हैण्डपम्प स्वीकार हुए हैं, उनको आप अलग-अलग एजेंसी को अगर काम नहीं देंगे तो विभाग के भरोसे वे 1000 हैण्डपम्प लगने वाले नहीं हैं। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस के जमाने में अकाल पड़े तो पंचायत समितियों के माध्यम से हमने उन कामों को त्वरित करने के लिए लोगों को ठेके दिये काम कराए और लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई, उसी तरह से आप इस बार भी हमारा सहयोग करेंगे ताकि जो स्वीकृत हैण्डपम्प हैं उनको लगवाकर लोगों को समय पर पानी पिला सकें।

माननीय मंत्री महोदय, आपने गहरा कराने के लिए कुओं की मजूंरी दी है, हम राज्य सरकार को इसके लिए बधाई देते हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बी.एस.आर. रेट पर आज आप कुएं खुदवाकर मजदूरी देना चाहते हैं उस रेट पर आज मजदूर आने के लिए तैयार नहीं है। ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराने की जो रेट है वह बहुत कम है और 16 हजार रुपया जो आप कुआ गहरा कराने के लिए दे रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। 16 हजार रुपये में कुआ गहरा नहीं हो सकता है और अधूरा कुआ खुदने से राज्य सरकार को फायदा

(श्री हफीज मोहम्मद)

नहीं होगा और न जनता को कोई लाभ हो सकता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस राशि को आप डबल कर दें। 32 हजार रुपये की स्वीकृति अगर आज कुआ खोदने के लिए देंगे तो कहीं ब्लास्टिंग करवाना पड़ता है, कहीं ज्यादा लेबर लगानी पड़ेगी। मैं समझता हूं, इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और वे हमको पेयजल की दृष्टि से काफी लाभदायक सिद्ध हो सकेंगे।

भीलवाड़ा में पिछले साल से लगातार अकाल की वजह से हमारे ट्यूबवैल सूख गए, मेजा बांध सूख गया और शहर में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। तीन-तीन, चार-चार दिन में पानी आ रहा है। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो विधान सभा के उपाध्यक्ष हैं ये भीलवाड़ा शहर की नुमाइन्दगी करते हैं, वहां के विधायक हैं। चूंकि आज ये उस आसन पर बैठे हैं इसलिए अपनी बात को इस फ्लोर से नहीं कह सकते इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछले साल जो हमने आसन माता का सर्वे करवाया था, जो बनास से हमने सर्वे करवाया था, वह सर्वे कम्प्लीट है, हमारे इंजीनियर्स की मान्यता है कि आसन माता से अगर पानी भीलवाड़ा में आता है तो भीलवाड़ा शहर को हम पर्याप्त पानी दे सकेंगे और हमारी बहुत बड़ी तकलीफ को इससे दूर कर सकेंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी पैण्डिंग स्कीम्स हैं, आप मेहरबानी करके उसको जल्दी से जल्दी पास करवा दें ताकि उसमें हम अपना काम शुरू करके भीलवाड़ा शहर के लोगों को पानी देने का प्रयत्न कर सकें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जो बिल्कुल पठारी और सूखा क्षेत्र है। हम सुना करते थे राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में हमेशा सूखे की बात। यह कोई नई बात नहीं है कि आज वहां अकाल पड़ा हो, वहां तो वर्षों तक पानी लोगों को देखने को नहीं मिलता था। लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हमेशा पानी की बहुतायत होती थी, राजस्थान में मेवाड़ में सबसे ज़्यादा बरसात का परसेंटेज हमारे यहां होता था। आज वह इलाका सूखा है, आज उस इलाके में पानी नहीं है। मेरे पूर्व माननीय सदस्य बोल रहे थे, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में आज पानी की समस्या इनके सामने खड़ी हो गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम आने वाले दस-बीस सालों के लिए राजस्थान के लोगों को बचाने के लिए कोई एक बड़ी योजना बनाएं। जहां से भी पानी लाना पड़े, चम्बल से लाना पड़े, भाखड़ा से लाना पड़े, हिमाचल से लाना पड़े, यमुना से लाना पड़े, भारत सरकार के साथ मिलकर राजस्थान के लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था करने के लिए बड़ी से बड़ी स्कीम बनाकर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस का पट्टा नहीं है, बी.जे.पी. का पट्टा नहीं है, यह पूरे राज्य की परेशानी का सवाल है। इसमें राजस्थान की पांच करोड़ जनता को बचाने का, उनको रोजगार देने का, उनको पानी पिलाने का सवाल है। मांडल जहां से मैं आता हूं, वहां पर बिलकुल पठारी एरिया है, वहां पर पानी नहीं है और वहां से दो-तीन नदियां निकलती हैं। मैंने पिछली बार भी बात की थी कि मेरे यहां पर खारी जो नदी निकलती है उस पर एक बाधं बना दिया जाए, उंटा बोहरा

(श्री हफीज मोहम्मद)

उस जगह का नाम है, तो मैं समझता हूं मेरी आधी तहसील को हम वहां से पानी दे सकते हैं। इसी तरह खारी है, कोठारी है और एक नदी और है मानसी। मैंने सर्वे करा लिया है, अगर राज्य सरकार हमारे उस प्रोजैक्ट को मंजूर कर देती है तो मैं समझता हूं मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का हल हो जाएगा। और अगर हम यह नहीं करेंगे तो वाकई में जो हमारे बहुत-से साथी चिन्ता प्रकट कर रहे थे, आने वाले समय में जनता को आश्वासन देना, उनका धैर्य बंधाना हमारे और आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय यहां नहीं हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से और अकाल राहत मंत्री महोदय के माध्यम से मैं पेयजल मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे यहां दांतडा बांध से अस्सी गांवों को पानी पिलाने की पेयजल स्कीम बनी है जिसमें चालीस गांव आसीन्द के हैं और चालीस मांडल के हैं और वह डैड स्टोर रहता है, आफ्टर इर्रिगेशन जो पानी बचता है उसको लेकर हम अस्सी गांवों में पानी पिला सकते हैं। करीब तेरह करोड़ रुपये की वह स्कीम बन चुकी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप उस स्कीम को मंगाकर राज्य सरकार से पास करा दें ताकि वहां पर हम लोगों को पानी पिला सकें। आज हम कहते हैं खारा पानी है, हम कहते हैं पानी नहीं है लेकिन इसमें सरकार क्या करे ? ज्यों ज्यों हम नीचे जाएंगे, पानी खारा मिलने वाला है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि कई वर्षों से चार्ज नहीं हो रहा है, जो पानी है उसको हम बराबर निकालते जा रहे हैं। उसकी वजह से हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जितना हम नीचे जाएंगे उतना पानी खारा मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अकाल राहत मंत्री महोदय, आप एनीकट और तालाबों के लिए ज्यादा से ज्यादा मंजूरी दीजिए ताकि बहते पानी को रोक कर हम अपनी समस्या का निदान करने में कहीं न कहीं सहायक हो सकें।

मैं इस मौके पर, माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अकाल पीड़ित लोगों का जिन्दा रखने के लिए आप आने वाली एक तारीख से पचास हजार श्रमिक हमको दें, तो भी मैं समझता हूं कम हैं लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप पचास हजार श्रमिक अकाल राहत में हमको देकर हमारे जिले के अकाल राहत में हमारा सहयोग करेंगे।

इस मौके पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि हम सरकार का सहयोग करें। सरकार जो प्रयत्न कर रही है हमें उससे बहुत सन्तोष है, हमें और गहरे काम करने की जरूरत है, हमारे अमले से अधिक काम लेने की जरूरत है। इन्हीं विचारों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान। (अनुपस्थित) श्री माहिर आजाद। (व्यवधान) बुला देंगे, सब कायदे के काम हैं यहां। बुला देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि यहां अकाल और जल की कमी की

(मोहम्मद माहिर आजाद)

परिस्थितियां कमोबेश हर वर्ष बनी रहती हैं। यहां की विशेषतया ग्रामीण और सामान्य रूप से सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था इससे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित है। अकाल की स्थिति में सरकारी बजट भी पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है क्योंकि मालगुजारी की माफी करनी पड़ती है, ऋणों की वसूली को स्थगित करना पड़ता है, पेयजल, चारे और खाद्यान्न की आपूर्ति की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है और राहत कार्यों पर भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला उनको चुनौती देकर नहीं बल्कि उसके अनुरूप अपने को ढालकर ही किया जा सकता है। इस विभीषिका के लिए हम किसी एक पक्ष को दोषी ठहराएं, यह उचित नहीं है। आज यह सदन पूरी गम्भीरता के साथ इस प्रदेश पर आई हुई इस प्राकृतिक आपदा, इस विभीषिका और इस संक्रट की घड़ी पर गहन विचार कर रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज अट्ठारह हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी हम इस अकाल से निपटने में पूरी तरह असफल रहे हैं। हमको ऐसे उपाय ढूंढने चाहिए जिनसे हम इस आये साल आने वाले अकाल के खतरे से और विपदा से राजस्थान को और राजस्थान के लोगों को बचा सकें। फव्वारा सिंचाई, कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की बुवाई, नहरी पानी का अनुकूल उपयोग, वर्षा के पानी का अधिकतम संग्रह, भूमिगत जल का अति आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग, पेयजल का अन्य उपयोगों पर निषेध जैसे उपायों को अपनाकर ही हम इससे निपट सकते हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार हमारे कुछ गलत निर्णय भी हमको काफी दिनों तक नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, हमने राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में सफेदे जैसे पानी के भूखे और प्यासे पेड़ लगाने का काम किया। यह हमारी दूरदृष्टि नहीं थी। उसके परिणाम आज सामने हैं। ऐसे पेड़ लगाकर हमने कोई हरियाली बढ़ाने का काम नहीं किया बल्कि हमारा जो भूमिगत जल था उस भूमिगत जल को सुखाने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन आने वाले इस सूखे पर भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सूखा आयोग बनाया है। उस सूखा आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में राजस्थान के विभिन्न जिलों को मरुस्थलीय अर्थात सूखे की चपेट में रहने वाला जिला माना है, जिनमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, जालौर, पाली, गंगानगर, सीकर और झुंझुनूं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सबको पता ही था कि इन जिलों में आज तक हमेशा अकाल आता रहा है, लेकिन अकाल से निपटने के लिए 1962 में जो फेमिन कोड बनाया था, उस फेमिन कोड के प्रावधानों के हिसाब से चाहे हम अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं करके अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करें लेकिन इससे हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। फेमिन कोड 1962 सैक्शन-7, पेज-3 का जरा आप अवलोकन करें, इसमें कहा गया है कि " Collector to send first and final report to the Relief Commissioner, when required, in form no. 4 & 5 (appendix 4 & 5) not later than the dates mentioned below : ..." यानि खरीफ की फसल के बारे में पहली रिपोर्ट 31 अक्टूबर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

को और फाइनल रिपोर्ट 30 नवम्बर को भेजेगा। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री से यह निवेदन है कि क्या ये 11 जिले जिनमें हमेशा ही सूखा पड़ता रहता है, राष्ट्रीय आयोग ने भी इनको चिह्नित कर रखा है और जिला कलेक्टर भी जानते हैं, उन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट 31 अक्टूबर को और फाइनल रिपोर्ट 30 नवम्बर को भेज दी थी ? यदि उन्होंने रिपोर्ट भेज दी थी तो आपको कम से कम इन जिलों में रिलीफ वर्क शुरू कर देने चाहिए थे। उसमें आप क्या इन्तजार कर रहे थे ? और अगर जिला कलेक्टर्स ने रिपोर्ट नहीं भेजी तो कौन इसके लिए दोषी है ? कृपया आप अपने उत्तर में इस चीज का जिक्र करें।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कल जब प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय यहां अकाल राहत पर हुई चर्चा की बात कर रहे थे तब स्वयं अकाल राहत मंत्रीजी और विधि मंत्रीजी ने कहा था कि पन्द्रह दिन में पेमेंट किया जाता है, सात दिन में पेमेंट करने की घोषणा नहीं है। मैं आपका ध्यान फेमिन कोड के सैक्शन 81 की तरफ दिलाना चाहूंगा, पेज नम्बर 26 का आप अवलोकन करें। (व्यवधान) और काहे से करते हैं सारे काम ? स्केअरसिटी, दोनों के लिए यही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फेमिन डिक्लेयर नहीं किया, गवर्नमैंट ने स्केअरसिटी डिक्लेयर की है। (व्यवधान) बहन-भाई का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, फेमिन डिक्लेयर अगर गवर्नमैंट करती है तो फेमिन कोड एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल है तो एन्फोर्सेबल है। अब फेमिन डिक्लेयर नहीं करती गवर्नमैंट, स्केअरसिटी डिक्लेयर करती है, यह जरूर सत्य है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके क्षेत्र में अकाल है क्या ? मैं तो पूछ रहा हूं, आप इन कोड वर्ड के चक्कर में काहे पड़ रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूं। आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप धन्यवाद तो लो लेकिन आप कोड को गलत कोट कर रहे हो, धन्यवाद क्या दूं। आप इस किताब के ऊपर ही छोड़ो।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसमें झुंझुनूं भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सैक्शन 81...

श्री सुरेन्द्र व्यास : विधायक तो पूरे राजस्थान के लिए हमेशा बोलता रहता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समझ ही नहीं रहे।

मोहम्मद माहिर आजाद : सैक्शन 81, फेमिन कोड में है वीकली पेमेंट वीकली पेमेंट का प्रोविजन है, "Payments shall be made weekly."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो पानी की गम्भीर स्थिति है उसकी बात करो, कोड तो हो गए। आपका समय जा रहा है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं मेरी जो बात है वह कह रहा हूं। मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपने जो मेरा समय दिया है उसका उपयोग कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कच्चे वर्क का सवाल है, सैक्शन 50 ए चैप्टर 4 में प्रोविजन है कि आप रोड, अदर वर्क कैनाल इसमें पक्के काम भी कराएंगे। मेरा भी आपसे निवेदन है कि इसमें ऐसे काम करवाएं जिससे वर्षा के पानी को हम संग्रहित कर सकें और हमारा जलस्तर ऊपर बढ़ा सकें। यह मैं आपसे पक्के कार्य के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक आज वाटर कंजरवेशन का सवाल है, दूरदर्शन पर आपकी चर्चा मैं सुन रहा था। आपने भी इस बात को स्वीकार किया है। हमारा उद्देश्य यह था कि राजस्थान नहर के जरिये हम जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, बीकानेर को बचाने का काम करेंगे। एक हद तक उसमें सफल भी हुए हैं लेकिन पूरी सफलता हमको नहीं मिली। इसी तरीके से माही के जरिये हम बांसवाड़ा और डूंगरपुर को बचाना चाहते थे, चम्बल के जरिये दूसरों को बचाना चाहते थे। मेरा आसन के माध्यम से निवेदन है कि हमारी जो दीर्घकालीन योजनाएं हैं इन पर हम युद्धस्तर पर, तीव्र गति से काम करें तो हम अकाल की चपेट में आएं उससे बच सकते हैं।

जैसे, उपाध्यक्ष महोदय, कह रहे थे, हमारे भरतपुर में अकाल तो नहीं है मगर बाढ़ से विनाश हर साल होता है। उपाध्यक्ष महोदय, 1995 में जो बाढ़ से तबाही हुई थी, जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं, जो लोगों के घरों में पानी भर गया था, मिट्टी भर गई थी, आज तक न तो उन नहरों की सफाई, खुदाई की गई है, न मरम्मत की गई है और न उन सड़कों की मरम्मत की गई है, बल्कि पिछले साल जो पैसा उसके लिए दिया गया था वह लैप्स हो गया है। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में आप काम करें। जहां तक पानी का सवाल है, भरतपुर जिले में पानी की कमी तो है ही और जब तक आप चम्बल से भरतपुर जिले को पेयजल सुलभ नहीं, करवाएंगे तब तक पानी की कमी रहेगी। अभी माननीय जलदाय मंत्रीजी गये थे और उस योजना का शुभारम्भ भी किया था, कब तक वह पूरी होगी और कब उससे नगर को पानी मिलेगा, यह तो माननीय मंत्रीजी जानें लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में आज भी इतना दूषित पानी है जितना भरतपुर जिले में शायद किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलता है। खारा तो है ही, दूषित भी है जिसके कारण कुबड़ापन, गठिया, आंत्रशोथ, दांतों में बीमारी आदि बीमारियां हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप इससे निजात दिलवाने का काम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान के पशुधन का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे सीधे हाथ पर बैठे हुए साथियों को मेरी बात बुरी लगे। कई बार हम भावुकता में आकर इस तरीके की योजनाएं बना लेते हैं जिनसे राजस्थान का पशुपालक भी बरबाद हो रहा है, राजस्थान का किसान भी बरबाद हो रहा है। इन्होंने एक योजना बना दी कि राजस्थान से पशुओं की निकासी नहीं की जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के काश्तकार और पशुपालक जो दूध देने वाला जानवर होता था उसको बचाने के लिए जो तीन साल से ज्यादा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

का नर पशु होता था उसको बेच कर उसकी रक्षा करते थे। लेकिन इन्होंने पशु निकासी पर प्रतिबंध लगा कर उनको विवश कर दिया, चाहे फलौदी में इन्होंने ट्रकों से जानवरों को उतारा हो, नागौर में रोका हो। और फिर उनको छोड़ दिया। +++ भी उनके चारे की व्यवस्था नहीं की और वे पशु मौत के घाट उतर रहे हैं। आज पश्चिमी राजस्थान में पशु मौत के ग्रास में जा रहा है उसके लिए इनकी नीति जिम्मेदार है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और गम्भीरता से आपको सोचना चाहिए।

एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं तो जैसा रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हमको कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ अधिकार भी होने चाहिए। इसके लिए मैं जलदाय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि आपने वर्तमान वर्ष में दस हजार हैण्डपम्प लगाने का जो प्रावधान रखा है उसमें से पांच हजार हैण्ड पम्प आप अपने अधिकारियों, जिला कलेक्टर और आपके एडीशनल चीफ इंजीनियर, एक्स.ईएन की सिफारिश पर लगवाएं और बाकी पांच हजार हैण्डपम्प में पच्चीस-पच्चीस हैण्डपम्प एक-एक माननीय सदस्य को दे दें ताकि वे अपने क्षेत्र में जाएं और कहीं उनको यह लगे कि यहां पर वाकई पानी का संकट है तो वहीं पर एक-एक हैण्डपम्प स्वीकृत कर दें। आपके हैण्डपम्प का कोटा भी पूरा हो जाएगा। वरना हम अपने क्षेत्र में किस आधार पर जाएं। हमारे पास क्या आधार है जो हम उनको दें ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यह बात आज मान लें।

अन्त में एक बात कह कर अपनी बात खतम करना चाहता हूं। कारगिल के युद्ध में सभी सदस्यों ने एक-एक माह का वेतन दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं पिछले 12 महीने से यह कह रहा हूं कि जो भी कार्य हमारे डिपार्टमैंट से हो रहे हैं, मैंने सारे अधिकारियोंको डायरेक्शंस दिये हुए हैं कि चाहे पाइप लाइन की स्कीम हो, चाहे हैण्डपम्प हो, चाहे ट्यूबवैल हो, माननीय सदस्य की प्राथमिकता को ही ध्यान में रखें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। व्यवस्था हो रही है तो सुन लो ना।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो माननीय सदस्य सक्रिय होते हैं, जो अधिकारियों के सम्पर्क में रहते हैं वे तो अपना काम निकाल लेते हैं। अब अधिकारी आपके घर पर तो आने से रहे। कम से कम टेलीफोन कर सकते हैं। इसलिए आप भी सम्पर्क करें। मैंने कह रखा है कि एक भी हैण्डपम्प उनकी बिना सहमति के नहीं खोदे जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री हीरालाल सहरिया: कोटा रिजर्व कर दें। कि 10 हैण्डपम्प या 20 हैण्डपम्प विधायक के कहने पर ही लगेंगे। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बोलेंगे ना। कह दीजिए क्या होता है। बोलेंगे, जवाब देंगे वे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि कारगिल में शहीद हुए लोगों के लिए माननीय सदस्यों ने एक-एक माह का वेतन दिया। जब उड़ीसा में तूफान आया, तूफान पीड़ितों की हमने सहायता की तो आज राजस्थान के अकाल पीड़ित, हमारे प्रदेशवासी हमारे भाई हैं, संस्कृत का एक श्लोक है :

" जल बिन्दु निपातैन पूर्वत घटे स: ऐतु विद्या स: ऐतु धनाये :॥ "

कण-कण और क्षण-क्षण की बचत से ही धन ओर विद्या का संचय होता है। मैं आह्वान करना चाहता हूं मेरे तमाम साथियों का कि इस अकाल की विभीषिका में भी अपना सहयोग करें। डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है, सब एक-एक महीने का वेतन इस अकाल राहत कोष के अन्दर दें। यह मैं आपसे निवेदन करके अपनी बात खतम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर मीणा।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भीषण अकाल का समय है, सर्वविदित है। 32 में से 26 जिले इससे प्रभावित हैं। राजस्थान में जब अकाल पड़ता है तो इसका असर सबसे ज्यादा दक्षिणी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान उदयपुर सम्भाग की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि उदयपुर सम्भाग में जहां उप योजना क्षेत्र है वहां के 90 परसेंट लोग खेती और मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां अच्छी वर्षा होती है, अच्छी फसल होती है तब भी लोग छह महीने अपना गुजारा कर सकें, अपने बाल-बच्चों का पेट भर सकें इतना ही अनाज पकता है। इस वर्ष सर्वविदित है कि वहां एक दाना भी मैक्सिमम लोगों के यहां नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी, हम सब महसूस कर सकते हैं। अभी हमारी सरकार ने पूरी तैयारी के साथ अकाल का मुकाबला करने का प्रयास किया है परन्तु मुझे थोड़ा-सा निवेदन यह करना है कि पिछले समय में चाहे 81 का अकाल हो, उदयपुर जैसे जिले में या डूंगरपुर जैसे जिले में जहां सबसे ज्यादा अकाल से प्रभावित एरिया था वहां एक-एक विधान सभा क्षेत्र में पच्चीस-पच्चीस हजार मजदूर काम करते थे। उस समय और आज के समय में बहुत फर्क इसलिए महसूस नहीं हो रहा है, आज उससे भी ज्यादा विकट स्थिति इसलिए है कि पहले समय के हिसाब से आवश्यकताएं और साधन कम थे और आज जमाना आगे बढ़ रहा है लेकिन साधन उतने ही उपलब्ध होते हैं, सरकार के पास धन की भी सुविधा उतनी ही होती है। उस हिसाब से भी अकाल ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है। परन्तु कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि 56 से खतरनाक अकाल है। यह वाकई बहुत ही खतरनाक अकाल है। उस समय इतने साधन नहीं थे और सारी सुविधाएं नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा उसका प्रभाव हुआ था। आज साधन समय पर उपलब्ध हो जाने की वजह से, सरकार की जागरूकता की वजह से इस अकाल का असर महसूस नहीं हो रहा है। परन्तु जिस तरह से गांवों में हम जाते हैं, महसूस करते हैं कि आज हमें और मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है।

(श्री रघुवीर सिंह)

उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र है, जमीनें बहुत कम हैं उसकी वजह से वहां अनाज तो कम होता ही है, साथ में घास भी कम होती है। जितनी जमीन होती है उस पर उतनी घास हो जाती है। वही घास होती है। उसकी वजह से पूरे वर्ष चारा पशुओं के काम आये उतनी घास वैसे भी नहीं हो पाती है। इस साल अकाल की वजह से घास, चारे की स्थिति बहुत ही गंभीर है। साथ ही पीने के पानी की भी स्थिति गंभीर है, रोजगार की स्थिति भी बड़ी खराब है। अकाल राहत मंत्रीजी ने उदयपुर जिले में पचास हजार लेबर की सीलिंग कर रखी है, परन्तु आज के समय के हिसाब से मैं महसूस करता हूं कि पचास हजार की सीलिंग कम है। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इस सीलिंग को बढ़ाकर एक लाख कर दिया जाए ताकि अभी जिन लोगों को आवश्यकता है, समय पर उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, उन्हें मदद मिल सके।

आज मेरे विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण दूं। एक पंचायत है नठारा करके, जिसको अकाल राहत मंत्रीजी स्वयं नहीं जानते हैं। पूरी पंचायत में 60 लेबर हैं। 6,000 की आबादी हो, वहां 60 मजदूर पर्याप्त नहीं होते हैं। हालांकि अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 158-59 के करीब गांव हैं छोटे-मोटे सारे मिलाकर, परन्तु मैंने एक ही उदाहरण दिया है। नठारा जैसी ग्राम पंचायत में, धनकावाड़ा जैसी ग्राम पंचायत में, भोराई जैसी ग्राम पंचायत में, खरबर जैसी पंचायत में 300, 400, 500 मजदूर हों तब जाकर एक-एक घर से एक-एक मजदूर लग सकता है। ऐसी स्थिति में अगर सीलिंग हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम उन सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और उनकी समय पर हम मदद नहीं कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के समय में जिस तरह से हमने उनके लिए क्राइटेरिया निर्धारित किये हैं उनमें भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। समय बहुत ही गरमी का है, ऐसी गरमी में उनको पानी भी नहीं मिलता, खाने को भी नहीं मिलता, उस पर इतनी खतरनाक गरमी में अगर उनसे हम टास्क की पूरी उम्मीद करें कि पूरे टास्क के आधार पर ही उनको पेमेंट दिया जाएगा, वह उचित नहीं होगा। इसमें रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता महसूस करता हूं। निश्चित तौर पर मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे, ऐसी मुझे आशा है।

अब सुझाव मेरा यह है कि एक तो लेबर सीलिंग बढ़ाई जाए और गरमी में उनके बैठने के लिए छाया की व्यवस्था की जाए। छाया की व्यवस्था निश्चित तौर पर करनी चाहिए। फर्स्ट एड की सुविधा भी समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसी गरमी में अचानक उल्टी, दस्त शुरू हो जाएं तो ट्राइबल एरिया में तो पहले से चिकित्सा सुविधा पूर्णतया उपलब्ध नहीं है और अचानक बीमारी फैल जाने पर तो बड़ी ही दिक्कत है।

ट्राइबल एरिये में टी.ए. डिपार्टमैंट जो है, उसका काम है कि ट्राइबल एरिये में कुएं गहरे करने के लिए वह हर साल नियमित ब्लास्टिंग का कार्य कराए और लोगों को ब्लास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराए। परन्तु काफी समय से यह देखने को आया है, जैसे पिछले साँह का उदाहरण दूं, एक-एक कुएं पर 72-72

(श्री रघुवीर सिंह)

होल्स सैक्शन किये और उसमें भी सरकारी गाड़ी भेजी। सरकारी गाड़ी जो पहाड़ी एरिया में चढ़ नहीं सकती है। ऐसी जगह पर हम बार-बार निवेदन करते हैं कि ट्रैक्टर कम्प्रैशर भेजा जाए जो पहाड़ों में भी चला जाए, जहां गाड़ी नहीं जा सके वहां ट्रैक्टर कम्प्रैशर जाकर ब्लास्टिंग कर सके। जहां ब्लास्टिंग की गाड़ी नहीं जा सकती है वहां हैण्डपम्प की गाड़ी जाना तो बिलकुल असंभव है। ट्रैक्टर कम्प्रैशर जाने से जहां कुआ है वहां ब्लास्टिंग हो जाएगा तो थोड़ा पानी आ जाएगा जो पशुओं के पिलाने के काम भी आएगा और स्वयं भी पी सकेंगे। पिछले साल हमने निवेदन किया था तो कमिश्नर साहब ने राजसमंद से एक ट्रैक्टर मंगाया था। पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब उदयपुर पधारे थे तो हमने निवेदन किया था। आपने अभी फरमाया है कि ब्लास्टिंग प्राइवेट वालों को दे दिया है हमने हैण्डपम्प के लिए, परन्तु उस समय आपने फरमाया था कि यह भू-जल का ब्लास्टिंग वाला जो विभाग है यह कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, बिलकुल बरबाद हो रहा है इसलिए हमारी मजबूरी है कि उनको हैण्डपम्प लगाने वगैरह काम सौंपें। हम तो यह निवेदन करें कि +++। यह डिपार्टमैंट कंगाल है, बरबाद है, जिसके पास गाड़िया नहीं हैं, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। अब मैं उदाहरण दूं, हमारे विधायक कोटे के जो हैण्डपम्प दसवें महीने में सैक्शन हुए थे वे आज तक नहीं लगे। अब आपने प्राइवेट को आर्डर दिया उसके बाद हैण्डपम्प लग रहे हैं। ऐसे समय में अब हम क्या उम्मदी करें उनसे और वह किसी को काम करने नहीं देते हैं तो...

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रदेश की आर्थिक स्थिति की सब जानकारी है। हमारे को पैसा मिला वह भी जानकारी है। आप यूं ही बोलने के लिए हमारी क्यों तौहीन करते हो आज ऐसे ही। बाकी आप जानते हुए भी आप ऐसी बात कहते हो वह जरा अच्छा लगता है क्या। आप जो सुझाव देते हैं हम आपके काम करते हैं...

श्री रघुवीर सिंह : माननीय मंत्री महोदय, वह सब तो ठीक है लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम अब यह बात जनता को नहीं कह सकते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं आपको नहीं कह सकता हूं। मैं आपको यह कह दूं मेरे को अभी इसी 30 मार्च को पैसे मिले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बोलने दो। बोलने दो। कोई बात नहीं, नये आदमी हैं। बोलने दो ना उनको।

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जनता में अगर हम घूमें तो हमारी जनता किसी भी तरह से यह बात सुनने को सहमत नहीं है कि सरकार के पास पैसा है कि नहीं है। हमें तो पानी चाहिए और पानी पिलाओ, यह कहती है। ऐसी स्थिति में हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम हमारी बात आपके सामने रखें। आप इस ओर निश्चित तौर पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : अन्यथा न लें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री रघुवीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चावंड, दीपपुरा, पंचोड़ा, घाटोड़ और फेमारी जैसे बड़े-बड़े कस्बे हैं, जयसमंद जो एशिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, उसके नीचे लगे हुए गावं हैं वहां भी आज स्थिति यह है कि टैंकरों से पानी पिलाया जा रहा है। आज चावंड में जाकर अगर देखें आप, रात को तीन बजे तक महिलाओं की लाइनें लगी रहती हैं। एक ट्यूबवैल है वह ट्यूबवैल चल रहा है, टूटियों लगा रखी हैं। लाइनें लगी रहती हैं, मारामारी चल रही है। एक ट्यूबवैल चल रहा है। अगर वह ट्यूबवैल फैल हो गया तो 6 किलोमीटर के रेडियस में कहीं कोई पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें और कोई पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

जहां हैण्डपम्पों की बात है, हैण्डपम्प नये लगे हैं, नहीं लगे हैं, वह सैकण्डरी बात है, परन्तु जो हैण्डपम्प लगे हुए हैं वे गहरे हों और जहां पाइप चेंज करने की बात है उन पाइपों को बदलें। टूटे पाइप हैं, 6 कुओं में पाइप हैं, पाइप बदलें। इस हेतु माननीय मंत्री महोदय ने व्यवस्था अभी की है परन्तु मेरा निवेदन है कि उदयपुर की रिक्वायरमैंट है 50 हजार मीटर पाइप की। हालांकि 10 हजार मीटर तो अभी पहुंचा है परन्तु और पाइप देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे और लोगों को सहायता प्रदान करेंगे।

हमारा एक निवेदन यह भी है, हम स्वयं भी तैयार हैं, डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में भी हमने कहा है लेकिन अधिकारी कभी भी हमसे यह नहीं कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम मैटीरियल कहां से खरीदें। एक ही बात कहते हैं कि सरकार हमें मैटीरियल दे देगी, पाइप दे देगी तो हम कर देंगे। कभी भी किसी भी बड़े अधिकारी ने यह नहीं कहा है कि आप एम.एल.ए., एम.पी. हैं, आप भी अपने कोटे का एक-दो लाख रुपया हमें दे दों, हम मैटीरियल खरीद लें। यह कभी नहीं कहा। मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं, एम.एल.ए., एम.पी. के कोटे से भी अगर अपनी कांस्टीट्यूएंसी में एक-दो लाख रुपये देकर पाइप खरीदने पड़े तो निश्चित रूप से आप ले सकते हैं, हम देने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां जी।

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल का समय है।

श्री हीरासिंह चौहान : हमारा आया ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आएगा, आएगा, चिंता मत करो। आपका नम्बर तो आ जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : अब आएगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर तो आ चुका है।

श्री हीरासिंह चौहान : आया ही नहीं है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री रघुवीर सिंह : अकाल का समय है इसलिए एक अंतिम बात और कहना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है, आ रहा है।

श्री रघुवीर सिंह : एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अकाल का समय है इसलिए हमें मानीटरिंग के लिए आवश्यक जितनी भी मशीनरी है उसको मुस्तैदी से तैयार करना आवश्यक है। मैं उदाहरण दूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 59 रोड हैं और एक जे.ईएन. है पी.डब्ल्यू.डी. का। एक जे.ईएन. है और वह भी इतना गाढ़ा कि पिछले साल मस्टररोल लेकर एक्स. ईएन. आफिस के बाहर मोटर साइकिल खड़ी करके अन्दर जाकर बात करने लग गया और पीछे गाय आई और करीब 86 मस्टररोल खाकर चली गई। अब जे.ईएन. ने पूछा यहां मस्टररोल थे। ऐसा जे.ईएन. वहां लगा रखा है। तीन जे.ईएन. की पोस्टे हैं, दो खाली हैं एक लगा रखा है। अब उस जे.ईएन. से मैं क्या उम्मीद करूं। जैसा आपने निर्देश दे रखे हैं कि 15 तारीख के बाद एक सप्ताह में पेमेन्ट हो जाना चाहिए, क्या वह 69 रोडों पर जे.ईएन. जा सकता है। जिसमें अक्ल इतनी भी नहीं है कि मस्टररोल कैसे रखे जाएं ? उसकी वजह से 6 महीने मजदूरों को परेशान होना पड़ा, काम करने बाद पेमेन्ट नहीं हुआ। इसलिए जो कमियां हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखें। हमारे स्टाफ पूरा लगाने की आवश्यकता है। अब समय कम है इसलिए मैं आपको ज्यादा बाध्य नहीं करता हुआ आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां जी।

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अकाल की सहायता और अकाल की पीड़ा का मामला है, आज इस सदन में काफ़ी हमारे साथी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव और तकलीफ पेश की। कुछ हमारे साथियों ने यह भी शिकायतें कीं कि अधिकारी नहीं मानते हैं, अधिकारियों को अलग से हुक्म जारी किये जाएं। ऐसी हमारे पास कोई शिकायतें नहीं हैं, अधिकारियों को जो हम कहते हैं वह मान लेते हैं। जो काम बताते हैं, उनके दायरे में होता है वह कर देते हैं, परन्तु जो अधिकारियों के दायरे में काम नहीं है वह उनकी मजबूरी है, कर नहीं पाते हैं। यह बात सदन में हम सरकार को कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की तकलीफ जिस तरह से इस आधुनिक युग में पूर्व में थी वह तो वास्तव में नहीं है। पूर्व में यह थी कि कोई रास्ते नहीं थे, कोई संचार की सुविधाएं नहीं थीं। कोई देश, प्रदेश और विदेश से सामान जो लाना है या भेजना है, वह भी नहीं था और इस कारण से लोगों की उस जमाने में अकाल की वजह से मौतें भी हुई थीं। आज इस युग में अकाल की वजह से किसी भी इंसान की मौत नहीं होती है और इंसान अपना बचाव कर लेता है। इस लोकतंत्र में सरकार के वायदे हैं कि किसी भी इंसान को हम भूख और प्यास से मरने नहीं देंगे और इस आधार पर हमको आप वोट दे दें। उस वोट देने के कारण से लोग सरकार को बाध्य करते हैं, तकलीफ चाहे जायज है, चाहे नाजायज है। हमारा यह सुझाव है कि अगर इन्साफ के तौर-तरीकों से लोगों को राहत दी जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है और सरकार को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस राहत देने में प्रैशर और पक्षपात की बातें रखी जाती हैं जिससे जिन जरूरतमंद लोगों को राहत मिलनी चाहिए उनको भी राहत उतनी मिलती है और जिनको

(श्री अमीन खान)

सरकार की तरफ से राहत की जरूरत नहीं है उनको भी उतनी ही राहत मिल जाती है। तब धन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और इतना धन दे नहीं पाते हैं और तब हर आदमी शिकायत करता है, ऐसा हम महसूस करते हैं।

बारानी खेती, केवल बरसात के आधार पर जहां खेती है उस जगह के लोगों को अकाल का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है और उस जगह के लोग खेती के बजाय पशुओं पर ज्यादा निर्भर हैं। आज के हालात में केवल भेड़ और बकरी वहां के गरीब आदमी का बचाव करने में जामिन हैं। इस गाय से तो आदमी तबाह हो गया। गाय से तबाह इसलिए हुआ कि दूध, छाछ, दही ये तो इंसान के खाने की जरूरत की पूर्ति की लास्ट चीजें हैं और कपड़ा, नमक, मिर्च, ब्याह-शादी का खर्चा यह सब गाय से पैदा था, गाय के बैल से। पश्चिमी राजस्थान में 3-4 महशूर जातियां सिन्धी मुसलमान, राजपूत, विश्नोई, जाट इन लोगों के पास गायों के टोले के टोले थे और इन गायों से बैल पैदा होते थे। थारपारकर गाय का बैल, कांकरेज नस्ल का बैल, यह महाराष्ट्र में जाता था, कई पीढ़ियों से, आज कोई नई बात नहीं है। गुजरात जाते थे, यू.पी. जाते थे, बिहार जाते थे। अब वोटों के चक्कर में, धर्म की आड़ में कई कानून कायदे बना दिये और कई जगह गैरकानूनी झगड़े कराके लोगों के मवेशियों को रेलों से, गाड़ियों से जबरदस्ती उतारा गया। नागौर के माननीय सदस्यों ने यहां विधान सभा में अपनी फरियाद कही, फलौदी में यह का यह हस्र हुआ। हमारे जिले में मल्लीनाथ जी का मेला देश का मशहूर मेला था, लेकिन इस साल मल्लीनाथ के तिलवाड़ा मेले में बैलों का एक भी व्यापारी नहीं आया और नागौर के मेलों में भी लोगों ने यह की यह शिकायत की। आज बैलों का कोई टका देने के लिए तैयार नहीं है इसलिए गायों को लोगों ने छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राहत मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि आपकी गौशालाएं हैं, और सभी इधर और उधर के लोग भाषण देते हैं कि हम असली ब्रीड का बचाव करेंगे लेकिन इन कैम्पों में आप देखिए, कांकरेज नस्ल के कितने पशु हैं, कितने थारपारकर के पशु हैं, कितनी जर्सी हैं और कितनी नील गायें हैं। मैं कहता हूं कि एक भी गाय नहीं है। इसमें वे जानवर हैं जो किसी काम के नहीं हैं, आवारा छोड़े हुए रद्दी से रद्दी जानवर हैं। न तो इन जानवरों को दूध के लिए लोग रखना चाहते हैं और न इनके बैलों को लेकर उसका इस्तेमाल करके गुजारा करना चाहते हैं। उन पर आप करोड़ों रुपयों का पेमेन्ट करते हो मात्र राजनैतिक प्रोपेगेन्डा से बचाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए नहीं, मैं ऐसा महसूस करता हूं। इसमें कोई आदमी कहे कि कोई राजनैतिक बात है तो मुझे साथ लेकर चलिए, एक भी कैम्प में कोई पशु आप इन एक नस्ल का बता दो। कई तो माननीय सदस्य ऐसे हैं जो पशु को शक्ल से जानते ही नहीं हैं। वे थारपारकर नस्ल जानते ही नहीं हैं, कांकरेज नस्ल जानते ही नहीं हैं, जर्सी जानते ही नहीं हैं। उनको कोई बता देते होंगे कि यह जर्सी है और यह कांकरेज है। लेकिन थारपारकर नस्ल, कांकरेज, जर्सी नस्ल जो हम जानने वाले लोग हैं वे जानते हैं कि उन जानवरों के लिए जो आपकी सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है वह उन पर नहीं होता है।

(श्री अमीन खान)

असली नस्ल की तबाही हो गई, उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखता है इसलिए यह मुसीबत खड़ी हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ यह भी है कि नस्ल तो तब हम जानवरों की बचा सकते हैं जब असल नस्ल का सांड, बळद उस टोले में हो, दूसरी किसी किस्म का सांड या बळद का उस टोले में प्रवेश नहीं होना चाहिए। यह प्रवेश तब रुक सकता है जब समय पर बळद को बधिया करने का पक्का इन्तजाम हो। बधिया करते ही गौ-वध एक्ट लागू हो जाएगा, पुलिस चालान कर देगी। तो चालान करवाने के लिए, जेल जाने के लिए कौन पशुपालक तैयार होगा। आज चाहे अकाल हो, चाहे जमाना खराब हो, मंत्रीजी, यह बात साबित हो चुकी है कि राजस्थान की गायें आवारा रहेंगी। इस आवारापन को आप रोक नहीं सकते और न अकाल को रोक सकते हैं। नील गायों का मामला और इन गायों का मामला रहेगा, किसानों के खेतों की तबाही होगी और भेड़-बकरी केवल गरीब आदमी के लिए जामन होगी। ये बीमार होती है, मरने लायक होती है तो भी लोग ट्रकों में डाल कर अहमदाबाद, अमृतसर, दिल्ली और बोम्बे ले जाते हैं, कम पैसा मिलता है तो भी ट्रक में वापस आते समय 10-20-50 बोरी बाजरी ले आते हैं, उसे लोग खाते हैं। तो अकाल से लोगों का बचाव इन भेड़-बकरियों के कारण ही रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि भेड़-बकरियों का ट्रक भी लोगों ने पकड़ लिया, ट्रक में लोगों ने आग लगा दी। सरकारी तंत्र नहीं, गैर सरकारी तंत्र जो जानवरों की हत्या नहीं चाहते हैं, जानवरों की हत्या होने को बहुत बड़ा पाप समझते हैं, उन लोगों ने लोगों के ट्रक जला दिये और कहीं भी जाना बंद कर दिया। देश धर्म निरपेक्ष है, हम मुसलमान लोग सुअर नहीं खाते हैं, सूअर का खाना हमारे लिए कलंक और महापाप माना जाता है लेकिन दूसरे देशों के लोग खाएंगे तो हमारा धर्म कहां खतम हुआ ? जब जानवरों की हत्या कतई पाप है तो जो जानवरों को बचाना चाहते हैं उन लोगों का फर्ज है कि इन जानवरों का धंधा बंद कराके उन लोगों की रोजी-रोटी का इन्तजाम करा दें तो हम जानवर रखेंगे नहीं, क्या जानवरों से फायदा ? यह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।

मैं अकाल राहत मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि 25 प्रतिशत सामग्री के पैसे जो आपने तय किये हैं, वह पैसे कुछ कम हैं। अकाल राहत कार्यों में लोगों को रोजगार मिले और लोगों को मजदूरी प्रत्येक ग्राम पंचायत दे, इसके लिए तालाबों की खुदाई जरूरी है। दूसरा जरूरी है ग्रेवल की सड़क बनाना। गांवों के विकास को देखते हुए; गांव में रोजी को देखते हुए जरूरी है। 25 प्रतिशत में जहां साइट पर ग्रेवल मिलता है उसको तो आप बना सकते हैं लेकिन कुछ दूर पर अगर ग्रेवल है तो 25 प्रतिशत के खर्चे से भी सड़क नहीं बन पाएगी। जब ऐसी सड़क बन नहीं पाएगी तो सड़क का स्वीकृत होना मुश्किल हो जाएगा और जितने मजदूर अपन लगाना चाहते हैं वे मजदूर नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कम से कम इसको 35 प्रतिशत सामग्री का तय करना चाहिए ताकि अकाल राहत कार्य सुचारू रूप से चल सकें, ऐसी मेरी मान्यता है।

(श्री अमीन खान)

दूसरी बात मैं अकाल राहत मंत्रीजी से चाहूंगा कि पानी का संकट अकाल से जुड़ा हुआ है। आपके जी.डब्ल्यू. डिपार्टमैंट के पास परीक्षण नलकूप बनाने के लिए कौड़ी भी नहीं है। अकाल राहत कार्यों में अपन कई पैसे इंसान को सुविधा देने के लिए खर्च करते हैं, इस अकाल राहत मद से परीक्षण नलकूप का प्रावधान जिन एरियों में पशुओं के पीने लायक पानी होता है, वहां करना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जिले की जनसंख्या करीब 16 लाख है, इस 16 लाख में 2 शहर हैं बाड़मेर और बालोतरा, इनकी आबादी ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की है। 14 लाख की आबादी गांवों में बसती है। पूरे रेगिस्तानी, सीमावर्ती इस जिले में किसी किस्म की कोई छोटी-मोटी न तो आज तक नहर है और न सिंचाई की गांवों में अच्छी सुविधा कोई अन्य है। बरसाती खेती पर यहां ज्यादतर गावं निर्भर हैं। जिले में फिलहाल 45 हजार लोग मजदूरी पर लगे हुए हैं और राजस्थान सरकार से हमें ज्ञात हुआ है कि 45 के स्थान पर 60 हजार की सीलिंग की है। इसके लिए राज्य सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन यह 60 हजार से भी पिछले दो महीने खराब रहे इसलिए हमारी गुजारिश है कि 80 हजार तक जिले के लिए सीलिंग रखनी चाहिए।

इसके साथ मैं जलदाय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं। जलदाय मंत्रीजी का खुद के तौर-तरीकों से काम चल रहा है। इन्होंने किसी भी विधायक से, सांसद से, प्रधान से, प्रमुख से सम्पर्क किए बिना, समस्या सुने बिना, किसी को कोई शिकायत करने का मौका नहीं दिया, इसलिए मैं जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इनके विभाग के अधिकारियों से भी हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है जो कि हम परेशान होकर इनको कहें। इसके साथ ही मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, साहब, मैं अंग्रेजी समझता नहीं हूं, यह कोई टी.डी.एस. है, यह टी.डी.एस. जहां नहीं है वहां के आदमी हमसे आधे वजन में हल्के हैं और जहां टी.डी.एस. का पानी ये बताते हैं उनसे ज्यादा हम तंदुरुस्त हैं। हमारे यहां पानी हमसे ज्यादा हमारे जानवरों को चाहिए, तो यह टी.डी.एस. का सर्टिफिकेट जानवरों के पीने लायक है, यह हम दें। ऐसे गांवों में नलकूप खुदवा दें। उस पर आपको डर है कि कोई तकनीकी, आधुनिक युग वाले लोग विभाग को या आपको फंसा सकते हैं, तो, साहब, उस पर नेम प्लेट लगा दो कि यह पानी केवल जानवरों के लिए है। जानवरों के लिए पानी पूरे गांव में आराम से मिलता है तो लोगों को शिकायत नहीं रहेगी। खारा पानी जहां जानवर पी सकते हैं ऐसी जगह आपको नलकूप खोदने की अनुमति देनी चाहिए।

अंत में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले को बचाने के लिए दो ही बहुत बड़े इलाज हैं जिनके लिए सरकार को गम्भीर रहना चाहिए। सालों-साल सरकार करोड़ों-अरबों रुपए हमारे जिले में खर्च कर चुकी है, सरकार ने प्रयत्न करने में कोई बाकी नहीं रखा। इन्दिरा गांधी नहर की गडरा रोड ब्रांच को जब तक युद्ध स्तर पर पूरा नहीं करेंगे, आपके पानी की योजनाओं के सोर्स भी कमजोर हो जाएंगे। इसके बिना पीने के पानी का और कोई बचाव नहीं है। दूसरा गुजरात के नर्मदा

(श्री अमीन खान)

से आ रहा है, इसको भी बाड़मेर जिले की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो यहां का अच्छा बंदोबस्त हो जाए और हमेशा के लिए सरकार से ये लोग भीख मांगते रहें, ऐसी नौबत नहीं आए। इस नौबत से बचने के लिए ये दो ही स्रोत हैं।

जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरा राम।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमारे जिले में अकाल हर तीसरे वर्ष पड़ता था, लेकिन अब अकाल लगातार दो साल, फिर तीसरे साल थोड़ा बहुत अनाज पैदा हो जाता है। अकाल का कारण तो प्रकृति की देन है लेकिन मैं पूर्णतया प्रकृति देन नहीं कहकर पंडितजी ने जो बात कही कि मानव की देन नहीं है, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसको पचभद्रा कहते हैं। भद्रा कहते हैं संस्कृत में नदी को जहां पांच नदियां थीं। लाखा बणजारा ने जोधपुर दरबार की नाराजगी से जोजरी नदी के घाटे को बांध दिया था, पानी को डाइवर्ट कर दिया था और कहते हैं कि वह पानी मुल्तान पहुंचा। यह जो अकाल पड़ रहा है इसका कारण है कि जो हमारी पुरानी नदियां थीं, जोधरी जो जरका करती थी... (व्यवधान)

(20.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पंडितजी, माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इंदौरिया : आप अकाल को मानवकृत मानते हैं ?

श्री अमरा राम चौधरी : कुछ हद तक। ये जगह-जगह बांध बना दिये, लूणी नदी में पानी आना बंद हो गया।

श्री जयदवे प्रसाद इंदौरिया : यह प्रकृति प्रदत्त है।

श्री अमरा राम चौधरी : प्रकृति के अलावा भी मैं कुछ हद तक मानता हूं। लूणी नदी में जगह-जगह बांध बन गये, पानी आना बंद हुआ। सूपड़ी सूख गई, झोझरी का पानी मुल्तान पहुंचा, सीक नदी बंद हो गई। ये सारी नदियां थीं वे बंद होने के कारण आज बाड़मेर में और खास तौर से मेरे क्षेत्र के अन्दर जहां झोझड़ी के कारण गन्ना पैदा होता था, आज सूखा है। हमारे यहां का गुड़ दूसरे प्रान्तों में, दूसरे जिलों में जाता था। लखू बणजारा ने पानी का डाइवर्ट किया। माननीय मंत्रीजी के एरिया में भी झोझरी नदी चलती है। इस बारे में यदि कोई विचार नहीं किया जाएगा, यमुना का पानी बनास में और बनास का पानी लूणी में नहीं डाला जाएगा, झोझरी को वापस आप प्रारम्भ नहीं करेंगे तो इस अकाल का स्थाई हल संभव नहीं है। स्थाई हल करने के लिए आप ठीक है इंदिरा कैनाल ला रहे हैं, आप नर्मदा का पानी ला रहे हैं लेकिन नैचुरल फ्लो में जो रुकावट मानव ने की उसमें भी आपको कुछ हद तक शिथिलता बरतनी पड़ेगी। पानी के नैचुरल फ्लो को नहीं रोकना चाहिए। जहां-जहां एनीकट बने हैं, जब अधिक वर्षा होती है तो वे टूटते हैं, बाढ़ आती है। मेरा निवेदन है कि इसका स्थायी हल यह है कि इन नदियों में किसी प्रकार से पानी का वापस निरन्तर बहाव रहे और बाड़मेर हमेशा के लिए हरा-भरा रहे, पश्चिमी राजस्थान हरा-भरा रहे, यह प्रयास करना चाहिए।

(श्री अमरा राम चौधरी)

इस समय बाड़मेर जिले में भयंकर अकाल है। अक्टूबर के महीने में ही जब गांवों में थोड़ी-बहुत फसल थी, लोग मवेशियों पर लाल कपड़ा बांधकर उनके टोले के टोले एक गांव से दूसरे गांव फसलों में रात को डाल देते थे और वहां से भाग जाते थे। जहां थोड़ा-बहुत भी था। तो अकाल में और अकाल पड़ गया। ऐसी हालत तो अक्टूबर में ही हो गई थी। उस समय गायों का प्रबंध नहीं हुआ। गायों का प्रबंध नहीं होने के कारण आज हजारों गायों के बालेतरा के बाहर रोड पर ढेर के ढेर हड्डियों के पड़े हैं, आये दिन हड्डियों के ट्रक भरकर लोग ले जा रहे हैं। कारण यह है कि कितने ही मवेशी मरे हैं जिनका कोई अनुमान नहीं है। ये लावारिश मवेशी थे जो लोगों ने तो पहले ही छोड़ दिये थे। आज अढाई रुपये देकर एक किलो खाखले के देने पड़ते हैं, कौन मवेशी को रखेगा ? आज तो आपने सब कुछ कर दिया, आपने 3 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया कर दिया है, लेकिन अब मवेशी हैं कहां ?

श्री अमीन खान : अमराराम जी, जमाना आने पर गायें रखोगे ? घास होने के बाद गायें रख लोगे ?

श्री अमरा राम चौधरी : सब रखेंगे। आज भी है। ऐसी बात नहीं है। कारण यह है कि यह अनुदान इतना देरी से दिया जा रहा है जिसके कारण से गायें तो करीब-करीब मर चुकी हैं। भामाशाह थे, दानदाता थे उन्होंने गौशालाएं खोलकर, नाकोड़ा के अंदर है, बालोतरा में है, ब्रह्माजी टैम्पल है, सब जगह व्यवस्था की है और अब सरकार व्यवस्था कर रही है। लेकिन यह जो कदम लिया गया है यह पहले लिया जाना चाहिए था। मजदूर की सीलिंग ये 45 हजार की कह रहे हैं, आज के दिन में जब भी अकाल पड़े या पहले भी कांग्रेस की सरकार रही थी, लगातार अकाल पड़ा है तो एक लाख 20 हजार से कम मजदूर बाड़मेर में नहीं लगे। जनसंख्या घटी है या बढ़ी है ? जनसंख्या बढ़ी है। आज लोग तो सब पलायान कर गये। आज जो काम आप ऐसे खोल रहे हैं, स्टडी टीम आती है जोधपुर से निकलती है पचपदरा के डाक बंगले में और डाक बंगले से सीधी बाड़मेर जाती है। मैंने उनको कहा आप जाइए कालासर, जाइए नवा तालाब, जाइए गिड़ा एरिया के अंदर। पी.एच.ई.डी. की सैक्रेटरी कृष्णा भटनागर वहां एक बार गई थीं, उन्होंने देखा और कहा कि आपका एरिया ऐसा है जहां मैं पीने के पानी के लिए ही परेशान हो गई। ऐसे एरिये के अंदर जाना चाहिए जहां सड़कें नहीं हो, रेत के बड़े-बड़े टीले हों और पानी आज तक पीने के लिए नहीं है। माननीय मंत्रीजी, 4.50 करोड़ की योजना थी, मैं माननीय भंवरलाल जी को नवातला ले गया था, उन्होंने स्वीकृत की लेकिन वह आज ठण्डे बस्ते के अंदर है। सारी योजना तैयार करके चार ट्यूबवैल भी खुदा दिये गये थे जिनको रोक दिया गया है और आज लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नवातला की स्कूल बंद हो रही है, डूकियों की ढाणी की स्कूल बंद हो रही है, कालाचल की स्कीम बंद हो रही है और कादिया की स्कूल बंद हो रही है। नोवड़ा बेरा में और बरनामा के अंदर भी, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं, माननीय मंत्रीजी, कि 4-5 हैण्डपम्प तो करा दीजिए, हम खारा पानी ही पी लेंगे। लेकिन अभी तक हैण्डपम्प नहीं हुए। हमने एक हैण्डपम्प खुदवाया था

(श्री अमरा राम चौधरी)

रीमूखा की ढाणी में, वहां मीठा पानी है और 80 घर पानी पीते हैं। आपने आदेश भी दिया है कि यह काम जल्दी हो, लेकिन आज तक वे हैण्डपम्प नहीं हुए हैं। हमारे एरिया में तो सिर्फ 10 हैण्डपम्प ही बाकी हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को आप ज्यादा से ज्यादा चालू कीजिए। अकाल राहत मंत्रीजी, जो सड़कों का काम नहीं होगा तो मजदूर नहीं आएंगे। मेरे यहां मगरे के एरिया के अंदर नाड़ियां हैं, बहुत बढ़िया हैं और वहां नाड़ी खुदाई हो रही है तो लोगों को मजदूरी भी मिल रही है। तालाब भी अच्छे खुदे हैं। लेकिन जहां डेजर्ट एरिया है बायतू का अराई सर्किल है, पाटौदी का सर्किल है जहां रेवेन्यू गांव नये बने हैं वहां पहुंचने के लिए ऊंटों पर जाना पड़ रहा है। बैलगाड़ी नहीं जा सकती, छकड़ा नहीं जा सकता, फोर बाई फोर गाड़ी नहीं चल सकती, ट्रक नहीं जा सकता। वहां पर सड़कों का काम होगा तो मजदूर लगेंगे वरना आप वहां मजदूर नहीं हैं, आप कहां लगाएंगे ? सारे लोग बुक हैं।

इसके अलावा इस अकाल से आज हमारे विद्यार्थी भी प्रभावित हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आप जो भी स्कूलें खोल रहे हो, इस अकाल के कारण वे लड़के आगे बालोतरा में, पचपदरा में जाकर नहीं पढ़ सकते। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, घर नहीं छोड़ सकते। उनके खाने के लिए एक दाना नहीं है, वे वहां जाकर कोई दसवीं कक्षा में पढ़ेंगे, नवीं कक्षा में प्रवेश लेंगे ? इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे एरिया में ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को क्रमोन्नत भी किया जाए ताकि उन विद्यार्थियों को भी इस अकाल के अंदर अपना घर नहीं छोड़ना पड़े। न तो उनके पास कोई पैसा रहा है, न खाने के लिए अनाज रहा है। ऐसे विद्यार्थियों का पढ़ना जरूरी है। हमारे यहां कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, लेकिन वे अपनी आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ सकते।

माननीय जलदाय मंत्रीजी, सऊ पदमसिंह से सऊ मूंडलाज की पाइप लाइन जो बनी हुई थी, आज वहां छह महीने से पानी नहीं जा रहा है। मैंने निवेदन किया था कि केसुला फाटे से सऊ मूंडलाज को जोड़ा जाए। सऊ मूंडलाज केसूला से जुड़ेगा तभी सऊ मूंडलाज की प्रोब्लम हल होगी वरना पदमसिंह के अंदर कुओं में बिलकुल पानी नहीं रहा है। वहां ग्राम पंचायत मुख्यालय है, मिडिल स्कूल भी है, लेकिन पीने के लिए कोई पानी नहीं है। इसके अलावा मेरे खुद के गांव के अंदर एक ओवर हैड टैंक बना हुआ था, यहां कई बार उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों से उसका निरीक्षण कराएंगे। आज भील बस्ती पास में आयी हुई और टंकी टूट गई है, जर्जर हो गई है, किसी भी समय यहां बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। या तो आप तुड़वा दीजिए। आप नहीं बनाएं तो आपकी मर्जी, बनाओ तो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम उसको तो आप नष्ट करा दीजिए आपके विभाग वालों को कहकर कि यह नष्ट कर दो। लटक रहे हैं तार,सीमेंट, ये कभी भी उन घरों पर गिरेंगे तो किसी बच्चे को बहुत हादसा हो जाएगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : टंकी का लटकना कब शुरू हुआ ?

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : क्या, हुकुम ?

श्री रामसिंह विश्नोई : टंकी का लटकना कब शुरू हुआ ?

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : टंकी का लटकना डेढ़ साल पहले शुरू हुआ, दो साल से हुआ है। उस समय मैं आपको अर्ज कर रहा हूं...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, जब भंवरलालजी थे उन्होंने आदेश दिया था, यह बात हकीकत है। उन्होंने आदेश दिया, इंजीनियरिंग कालेज के लिए इन्होंने कहा कि हम सर्वे कराकर उसकी जांच करके रिपोर्ट देंगे। उन्होंने रिपोर्ट दे दी। उसकी रिपोर्ट देने के बाद में जो डेढ़-दो साल से वहां उमरलाई पानी जाता था, आज उमरलाई पानी नहीं जा रहा है। कारण यह है कि वह टूट चुकी है, उसमें पानी डाल ही नहीं रहे हैं और डाइरेक्ट बूस्टर लगाकर बूस्टिंग किया जा रहा है। आप इसको गिराकर दुबारा बनवा दें, मैं यही निवेदन कर रहा था।

इसके अलावा, सराणा से जो बादूकावाड़ा आपकी स्कीम है वह कई बार आपने स्वीकृत कर दी, आपके पास कई लोग आये होंगे। जो उमरलाई होकर घड़सीकावाड़ा और बादूकावाड़ा लाइन लगानी है उसके लिए भी अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसी कारण से बादूकावाड़ा जहां पर ट्राइबल जाति के लोग रहते हैं, एक बूंद भी उनके लिए आज पानी पीने के लिए नहीं है। आपने एक जलाशय घरसीकावाड़ा में भी लगाया लेकिन पानी जब इधर से जावे ही नहीं,आप लाइन लगावें ही नहीं फिर बूस्टर लगाने का क्या मतलब है ? इसलिए यह कार्य भी जल्दी से जल्दी हाथ में लिया जाए।

बाकी मजदूरी के लिए मैं यह कह रहा था अकाल राहत मंत्रीजी को कि कानोड़ी के तालाब में 11 रुपये आये हैं,अब सारे दिन बैठे रहते हैं और 11 रुपये मजदूरी मिले। खास तौर पर जब जे.ईएन. को कोई अनुभव नहीं,टंकी वाले के भी, जो पानी पिलाता है उसके भी 11 रुपये आये हैं। अब उसके 11 रुपये कैसे आएंगे ? उसका काम तो मजदूरों को पानी पिलाना और टंकी को भरना है जो अपने छकड़े पर लाता है और पानी पिलाता है। उसके भी 11 रुपये आये हैं। इस बात की आप जांच कराएं। उसके तो कम से कम 60 रुपये आने चाहिए। उसके बैल के, चारे के कितने पैसे होंगे ? एक दिन में कम से कम 20 रुपये तो एक बैल का खर्चा आएगा, 40 रुपया तो वह हो गया और 20 रुपये का ही तो होगा लेकिन उसके भी 11 रुपये हैं। सारे दिन अगर धूप में बैठने के लिए किसी को भी कहा जाए तो कोई 11 रुपये में नहीं बैठेगा। कई जगह तो 42 रुपये आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो कहने के लिए ही जैसे बात कर रहे हो उनसे।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : तो यही मेरा निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल जी पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री और जलदाय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय राजस्थान में भयंकर अकाल है और इस अकाल की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को एक ठोस निर्णय करना

(श्री नन्दलाल पूनिया)

चाहिए। जब तक राज्य सरकारें कोई ठोस निर्णय नहीं करेंगी तब तक अकाल पड़ते रहेंगे,खर्चा लगता रहेगा और एक तरह से यह अकाल राजस्थान के लिए एक अभिशाप की तरह हो जाता है।

मैं माननीय अकाल राहत मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे चूरू जिले में मजदूरों की जो सीमा निर्धारित की है वह बहुत कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहायता मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी सीमा निर्धारित करें कि बिलो पावर्टी लाइन से नीचे जो जीवन यापन करते हैं कम से कम उनको तो रोजगार मिले। आज अकाल में कच्चे कार्य स्वीकृत किये जाते हैं, कुछ पक्कों का प्रोविजन भी किया गया है। हमारे क्षेत्र में एक सिद्धमुख नहर परियोजना है, 14-15 गांवों की एक सिंचाई की योजना बनी हुई है, उस योजना के लिए इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। मैं माननीय सहायता मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों के तहत इस नहर की खुदाई का कार्य करें ताकि मजदूरों को भी रोजगार मिले और आने वाले समय में कुछ काम की शुरूआत हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मजदूरों की और चारे की स्थिति का सवाल है, आज हमारे जिले में चारा डिपो की संख्या काफी है, लोगों को दूर दूर नहीं जाना पड़ता लेकिन मैं आने वाले समय के लिए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 10 किलोमीटर से दूर चारा लाने के नहीं जाना पड़े। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर से दूर चारा लाने के लिए जाएगा तो जो सब्सिडी राज्य सरकार देती है वह सब्सिडी परिवहन व्यवस्था में खर्च हो जाती है। तो जब भी ऐसा समय आये राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। 1987 में अकाल पड़ा था तब तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने हमारे जिले में कृषि कुओं के लिए और कुण्डों के लिए अकाल राहत कार्यों के तहत स्वीकृति जारी की थी। यदि राज्य सरकार कृषि कुओं के लिए और कुण्डों के लिए जो इंडिविजुअल हैं, लेबर कम्पोनैंट जारी करे और जो मैटीरियल कम्पोनैंट है वह आदमी खुद वहन करे तो अकाल के समय में उन लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। चयनित परिवारों को रोजगार दिया जाए जो खुदाई का कार्य कर सकते हैं। इस तरह यह दोहरा फायदा है, और पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। इस तरह यह दोहरा फायदा है काश्तकार के लिए कुएं खोदने से जिसको कनेक्शन मिल जाए तो इस अकाल का हमेशा के लिए समाधान हो सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और अकाल सहायता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस फेमिन में भी अकाल राहत कार्य के तहत निजी कुओं और कुण्डों की स्वीकृति जारी की जाए ताकि अकाल का स्थायी समाधान हो सके।

दूसरा मैं माननीय सहायता मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अकाल

(श्री नन्दलाल पूनिया)

राहत कार्यों के तहत गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने हेतु टैंकरों की व्यवस्था की गई है, वह बहुत कम है। दो सौ घरों का गांव हैं, वहां आल्टरनेट दिन टैंकर जाता है तो उस टैंकर से पूरे गांव की सप्लाई व्यवस्था संभव नहीं है। जहां टैंकर जाता है लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उनके मटके तक फूट जाते हैं। तो मेरा माननीय सहायता मंत्री से निवेदन है कि जिन गांवों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है उनमें व्यवस्था दुगुनी-तिगुनी करें तब जाकर संभव हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य मंत्रीजी का और अकाल राहत मंत्रीजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस भीषण अकाल और आर्थिक कठिनाई की स्थिति में बड़े साहस और हिम्मत से काम करके इस अकाल का मुकाबला कर रहे हैं। आज पूरा सदन चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, इस अकाल के मुकाबले में मुख्य मंत्रीजी के साथ है। हर तरह से हर सम्भव सहायता के लिए सारा सदन उनके साथ है।

मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। इस कैबिनेट में लोगों की भावना है और वर्तमान में जो जलदाय मंत्री हैं उनकी कार्यशैली, कार्य करने की तमन्ना और उनकी जो इच्छा शक्ति है उसकी सभी लोग तारीफ करते हैं। इन्होंने सब क्षेत्रों में बिना भेदभाव किये पानी की समस्या के समाधान के लिए कार्य किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी जिन समस्याओं का मैं ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं उनका निराकरण करेंगे।

मेरे क्षेत्र में भी नवा, भैंसली और भरींड तीन गांवों की एक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बनी थी। उस योजना के तहत ओवर हैड टैंक, जी.एल.आर. सारे कार्य सम्पूर्ण हो गये और कोई खर्चा करना नहीं पड़ता लेकिन उस योजना से सिर्फ एक भरींड गांव जो नवा से तीन किलोमीटर दूर पड़ता है उस एक गांव को ही पानी दिया जा रहा है। आज न तो भैंसली को पानी दिया जा रहा है, न नवा को जो लोकल है। उसी गांव में रीजनल स्कीम है और उसी गांव के बीच में जी.एल.आर. ओवर हैड टैंक है लेकिन नवा ग्राम के निवासियों को उस गांव की योजना से पानी नहीं दिया जा रहा है। उनको वंचित किया हुआ है। आठ साल हो गये, मैं बार-बार पानी के अधिकारियों से निवेदन करता आ रहा हूं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज उस नवा गांव में लोकल सोर्स को, जो ट्रेडिश्नल सोर्स है, चालू करके मोटर पम्प से वहां के कुओं से पानी दे रहे हैं, जी.एल.आर. को पानी भरते हैं। तो क्यों नहीं उस रीजनल स्कीम से उसको जोड़ दें? मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि नवा की जो रीजनल स्कीम बनी है उसको चालू किया जाए।

बाकी और गुढास कालोडी स्कीम है, करीब 25 गांव उस योजना से जुड़े हुए हैं लेकिन देवीपुरा, मीठड़ी, केसरीसिंह, खरिया गोदरान, कलानाथाल, कलानाटीबा के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि इन गांवों में आज तक बिलकुल पानी नहीं गया है। दूसरी सुखाणिया जलप्रदाय योजना है, उससे कामासी और बरामल छोटा, दो गांवों में आज तक पानी नहीं गया है। चांदगोरी जलप्रदाय योजना जो करीब 35 गांवों

(श्री नन्दलाल पूनिया)

की है, उसमें लम्बोर छोटी, लम्बोर छिपियान, लम्बोर बड़ी, धन्धोऊ, रामसिंह, सुलतानसिंह, धींधसा,हथरोल ताल में आज तक पानी नहीं गया है। जिताण योजना में 13 गांव हैं जिसमें खैरू बड़ी और खैरू छोटी, ढाणी कुदानी, ढाणी जीराम, कामान, ढाणी चनाणी, आज तक इन गांवों में पानी नहीं गया है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने अधिकारियों को भेजकर जांच करवा लीजिए, इस चिताण योजना के गांवों में आज तक पानी गया हो तो। आज सवागंधेली के 65 गांव हैं उसमें केवल15-20 गांवों में पानी जाता है। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों में पानी नहीं जाता है या तो उनको पानी पहुंचाएं, नहीं तो उनको नान॒कमीशंड गांव घोषित किया जाए।

आज जो लोकल सोर्स है, जो मोटर पम्प लगाकर उन गांव वालों को पानी दिया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि लोकल सोर्स की मोटर जल जाती है तो वह मोटर गांव वाले खुद निकालकर लाते हैं, वाटर वर्क्स विभाग में लाते हैं। उसके बाद में वाटर वर्क्स विभाग वाले कहते हैं कि यह बांधकर फिर आपको वापस देंगे। इस व्यवस्था में 15 दिन लग जाते हैं, 15 दिन तक गांव वाले पानी से वंचित रह जाते हैं। गर्मी के माहौल में 15 दिन तक किसी को पानी नहीं मिले तो आप सोचिये कि उस गांव के वासियों की क्या अवस्था होगी। इसलिए आप विभाग के अधिकारियों को निर्देश दीजिए एक समय सीमा बांधकर कि इतने समय में आपको मोटर गांव वालों को देनी पड़ेगी। आप अधिकारियों को आदेश दीजिए कि स्टैण्ड बाई रखें ज्यों ही...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट और लेना चाहता हूं।

जैसा पंडितजी ने बताया, राजगढ़ में हड़ताल के दिनों में तो पानी आता था लेकिन आज नहीं आता। यह हकीकत है। कुछ मोहल्लों में मैं गया हूं, लोगों ने मुझे कहा है कि हमारे तो हड़ताल करवा दीजिए। मैंने कहा क्यों ? तो कहा कि हड़ताल में पानी आता था, आज नहीं आता। मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है आपके सबोर्डिनेट स्टाफ में चाहे नीचे लाइनमैन हो, चाहे ए.ईएन. हो, एक्स.ईएन. हो। यदि हड़ताल के दिनों में पानी आता था और आज नहीं आता तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मंत्री महोदय, आप सबोर्डिनेट स्टाफ को हिदायत दीजिए। आज राजगढ़ के कुछ मोहल्लों में बिल आता है लेकिन पानी नहीं आता। यह हकीकत है, मंत्री महोदय, इस ओर जरूर ध्यान दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल पूनिया : दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि एम.पी. और एम.एल.ए. कोटे से जो जी.एल.आर. बने थे, 4-4, 5-5 साल हो गये, आज वे जी.एल.आर. जीर्ण-शीर्ण अवस्था में दुबारा

(श्री नन्दलाल पूनिया)

खण्डहर का स्थान ले रहे हैं। क्यों नहीं उनको जुड़वाया गया ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जी.एल.आर. जो एम.एल.ए. , एम.पी. कोटे से बने थे उनको कृपया जुड़वाने की कार्यवाही करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को प्राकृतिक रूप से अकाल से बार-बार जूझना पड़ता है और अकाल का पर्याय राजस्थान बन गया है। इस प्रकार की स्थिति के बीच में से हमको गुजरना पड़ता है। बहुत याद करते हैं छप्पनिया का अकाल जो 100 वर्ष पहले पड़ा था और इस वर्ष भी यह सम्वत् 56 ही है, वह की वह स्थिति बनती चली जा रही है। हमारे यहां पर वन सम्पदा काफी बड़ी तादाद में नष्ट होने के कारण और पानी का स्तर नीचे जाने के कारण बरसात भी कम हुई है और इस स्थिति के अन्दर आये दिन परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। वर्तमान में गम्भीर स्थिति पिछले 2-3 वर्षों से राजस्थान के समक्ष खड़ी है। इस साल अनेक इलाकों में बरसात कम होते हुए भी लोगों ने बुवाई की और 2-2 बार बुवाई करने के बाद...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेमाराम जी, इनके बाद आपका नम्बर है। फिर आवाज देंगे तो मिलोगे नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : आखिरकार एक बार बरसात के बाद अगस्त सितम्बर में बरसात नहीं होने से राजस्थान के लगभग 26 जिलों की स्थिति गम्भीर हो गई। भीलवाड़ा का मैं खास तौर से जिक्र करना चाहता हूं कि 1300-1350 गांवों में इस बार अकाल की भयंकर मार थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से कुछ आपत्तियों के कारण दो भागों में भीलवाड़ा जिले के गांव घोषित हुए। गांव घोषित होने के बाद लगभग 13 लाख जनता आज अकाल से प्रभावित है। वर्तमान में अलग अलग जिलों में जो श्रमिक संख्या लग रही है उस हिसाब से भीलवाड़ा जिले में मैं समझता हूं कि श्रमिक संख्या बहुत कम है। मुझे आज भी सुनने में मिल रहा है कि 60 रुपया प्रति दिन मजदूरी इस सरकार ने की है। पहले 32 रुपये थी उसके बाद 44 रुपये की गई और अभी 60 रुपये देने बावजूद टास्क के आधार पर काम करने की बात है, कई जिलों में 60 रुपये प्रति दिन में भी लोग आने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे भीलवाड़ा जिले की स्थिति यह है कि आप 40 रुपये दें चाहे 50 रुपये दें, चाहे 60 रुपये दें, उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में श्रमिक काम पर लगने को तैयार हैं और बराबर दबाव बना हुआ है। हम इस स्थिति में 10 प्रतिशत प्रभावित जनता को भी यदि काम नहीं दें पाएं या एक लाख 10 हजार गरीबी रेखा के नीचे जो चयनित परिवार हैं भीलवाड़ा जिले में, उनको भी काम नहीं दे पाएं तो हमारे लिए गम्भीर समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 3-4 महीनों मे बहुत सारे इलाकों से लोगों ने पलायन किया लेकिन पलायन के बाद भी लोग घूम-घूमकर वापस आ रहे हैं, उनको वहां रोजगार सुलभ नहीं हुआ। हम पूरे राष्ट्र में अपने संविधान के जरिये एक सूत्र में बंधे हुए रहते हैं, किसी प्रदेश में कहीं आपदा आये, भारत सरकार का यह फर्ज बनता है कि प्रदेश को

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पूरी तरह से मदद करे। मान्यवर, सितम्बर में गिरदावरी हुई और अक्टूबर में उसकी सब तैयारियां करने के बाद घोषणा का क्रम शुरू हुआ। उसके साथ ही राज्य सरकार ने इस गम्भीर चुनौती को स्वीकार करते हुए 1140 या 44 करोड़ रुपये के प्रस्ताव अकाल से जूझने के लिए तैयार किये और जहां तक मेरा मानना है, ये भारत सरकार को भी 3-4 महीने बाद भेज दिये गये थे लेकिन भारत सरकार ने इतना अनदेखा किया कि उसकी टीम को तुरन्त नहीं भेजा, दो महीने बाद भेजा। भेजने के बाद हमारे सामने जो चित्रण आया है वह बहुत ही खेदजनक है। राजस्थान की जितनी गम्भीर स्थिति है उसके मुकाबले सबसे पहले यह इंडिकेशन दिया गया कि 102 करोड़ रुपये राजस्थान को इस साल फेमिन में मिलेंगे। उसके बाद हमारे मुख्य मंत्री बराबर भारत सरकार से सम्पर्क करते रहे और राजस्थान में चारों तरफ हाहाकार मचने लगा तब भेदभाव की स्थिति को छोड़कर कुछ विचार करने के लिए वे तैयार हुए। तैयार होने के बाद 132 करोड़ रुपये अभी कुछ दिनों पहले तय किये गये और 20 करोड़ रुपये प्रधान मंत्रीजी ने राजस्थान को अपने फण्ड से देने की बात की। इस तरह 254 करोड़ रुपये राजस्थान प्रदेश को दिये गये। मान्यवर, देश के प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति को राजस्थान के इन गम्भीर हालात को जिस ढंग से देखना चाहिए, मेरा यह मानना है कि नहीं देखा गया। एक प्रधान मंत्री इस देश में हुए थे 1986-87 में राजीव गांधी, राजस्थान में उस समय के हालात की गम्भीरता वर्तमान हालात से मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी कम थी, उसके बावजूद भी स्वयं आकर राजस्थान में घूमने के बाद लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि तत्काल प्रदान की। यह एक संवेदनशील प्रधान मंत्री का नजरिया राजस्थान के इतिहास में नहीं भुलाया जा सकता। दूसरी ओर जिस ढंग से भारत सरकार राजस्थान में सहायता कर रही है, मैं समझता हूं, वह संवेदनशीलता की पूरी पात्र नहीं मानी जा सकती, अधूरी पात्र है। मान्यवर, पांच लाख टन अनाज देने की बात आई। मैं पहले यह समझ रहा था कि यह सहायता के रूप में होगा लेकिन जब अखबारों में डिटेल में पढ़ा तो यह भी हमारे ऊपर एक तरह से कर्ज के रूप में है और इसका हमको भुगतान करना पड़ेगा। इसके परिवहन की व्यवस्था, गांवों में वितरण तक की व्यवस्था का राज्य सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। यह कैसी विडम्बना की बात है। देश के भण्डार का खाद्यान्न देश की जनता जब संकट में हो उस समय भी उसको उधार या ऋण के रूप में दिया जाए, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इसको सहायता के रूप में देना चाहिए था। गेहूं कैसा है ? इसकी क्वालिटी कैसी होगी ? कई वर्षों से किस स्थिति में पड़ा हुआ है,यह कहा नहीं जा सकता। मैं यह मानकर चलता हूं कि अकाल की स्थिति में इस प्रकार से सोचा जाना चाहिए था कि जिससे राजस्थान में मदद मिलती।

मैं इस मौके पर यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 18000 करोड़ रुपये अकाल सहायता के रूप में प्रदेश में अब तक हमने खर्च किये, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे विपक्ष की सरकार रहीं हो लेकिन हम लोगों ने कभी यह सोचने की आवश्यकता महसूस नहीं की कि इसका स्थाई समाधान कैसे हो सकता है। और राजस्थान अकाल का पर्याय बन गया।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

यह हमको लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा यह सुझाव है कि अब राजस्थान में अकाल के कंसेप्ट को बदला हुआ मानकर स्थाई समाधान के लिए कामकाज करने की बात सोचने की आवश्यकता है। मैं हमेशा मांग करता रहा हूं कि अकाल का मास्टर प्लान जिलावाइज या क्षेत्रवाइज तैयार किया जाए। कभी ऊटपटांग स्वीकृतियां होती हैं, कहीं काम होता है, कहीं पूरा होता नहीं, कभी अधूरा रह जाता है। ऐसी स्थिति में कोई प्लान बनाया जाए और हम उसके अन्तर्गत काम करें जिससे उसका स्थाई समाधान हो सके। मैं इसके संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मैं सबसे पहले यह सुझाव देना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में कई नदियां हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान में चम्बल के बाद बनास नदी मानी जाती है। भीलवाड़ा में वह नदी लगभग 100 किलोमीटर प्रवाहित होती है। जीरो लेवल पर अगर 10-10 किलोमीटर पर एनीकट बना दिये जाएं तो जलस्तर बढ़ेगा और इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। स्थाई समाधान के लिए इस व्यवस्था पर सोचा जाना चाहिए। मैं दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी कई नदी और नाले हैं, पिछली सरकार के समय जिनका प्रस्ताव किया गया था लेकिन वे आज भी लम्बित हैं। उन पर बांध बन सकते हैं, एनीकट बन सकते हैं, उनसे स्थाई काम लिये जाने चाहिए। अभी सवाल सामग्री का आएगा, पैसों की दिक्कत है हमारे सामने उन सबके बावजूद भी हम स्थाई उपयोग के काम, जितने हम कर सकते हैं उतने हमको निश्चित रूप से करने चाहिए। किसानों के कुएं को गहरा कराने की जो योजना पहले अकाल में शुरू की गई थी, मैं समझता हूं, वह भी एक उपयुक्त योजना है। उस दिशा में फिर से सोचने की आवश्यकता है। मान्यवर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, वन सम्पदा हमारी बहुत नष्ट हो गई है और वन सम्पदा नष्ट होने के कारण राजस्थान को ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। जहां-जहां वनों का विकास हो सकता है, उन क्षेत्रों में वन योजनाओं को फिर से विकसित किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि कोई बांध या तालाब या एनीकट बनता है, उसमें कहीं थोड़ी फोरेस्ट की जमीन आ जाती है तो फिर व्यवधान खड़ा हो जाता है। इसलिए अगर फोरेस्ट की जमीन कहीं आती है, ऐसी स्थिति में जमीन का परिवर्तन करने के लिए नियमों में संशोधन करने या वन अधिनियम में सुधार करने की बात भारत सरकार और राज्य सरकार के लेवल पर करने की बात करनी चाहिए। एनीकट में कहीं बी.सी.ओ. रेशो का सवाल आ जाता है, सोइल कंजर्वेशन का मामला हो या जल संरक्षण का मामला हो, इसको अलग करके इसका जैसा उपयोग हो सकता है, बी.सी.ओ. रेशो के प्रश्न पर थोड़ा उदारता के साथ सोचें कि उसमें रुकावट पैदा नहीं हो। जल संरक्षण के कार्यक्रम चलते हैं, भू-संरक्षण वगैरह के चलते हैं, 10-12 वर्षों में मैं देख रहा हूं, करोड़ों रुपये इन योजनाओं पर खर्च हो रहा है। उसमें कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी है और कुछ जन प्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी होते हैं। अगर हम गुणात्मक रूप से कामों का मूल्यांकन करें तो जितना रुपया लगता है उसके मुकाबले कहीं काम नजर नहीं आता है। इसलिए जल संरक्षण कैसे हो, उन योजनाओं का फिर से मूल्यांकन करें। इस तरह की व्यवस्था करने

(श्री रतनलाल ताम्बी)

की बात सोचनी है जिससे प्रदेश की वर्तमान स्थिति में हम ठीक तरह से मुकाबला कर सकें क्योंकि अकाल बहुत गहरा है, सरकार के साधन सीमित हैं। प्रदेश के मुख्य मंत्री स्वयं काफी प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन प्रवासी राजस्थानी जो देश के कोने-कोने में रहते हैं, यह उनकी भी जन्म भूमि है, इस समय प्रदेश संकट में है ऐसी स्थिति में उन लोगों से भी जितनी मदद प्राप्त कर सकें, उतनी मदद प्राप्त करने की बात सोचने की, मैं समझता हूं, आवश्यकता है। अकाल पर मैंने जैसा निवेदन किया, स्थायी समाधान के कामों को प्राथमिकता दी जाए।

अब मैं पेयजल पर अपनी बात आरम्भ करना चाहूंगा। मान्यवर, राजस्थान का जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि अच्छा से अच्छा स्थान जहां पर काफी पानी उपलब्ध होता था, आज वह भी संकट की स्थिति से गुजर रहा है। हम करोड़ों रुपये जल योजनाओं के नाम पर, हैण्डपम्प के नाम पर खर्च करते हैं लेकिन एकाध-दो साल बाद वापस गड़बड़ हो जाता है। अब हमको ऐसी योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है जिनका वर्षों तक लाभ मिल सके।

(20.40 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

मैं इस मौके पर चम्बल और बनास नदी का जिक्र दोबारा करना चाहूंगा। बीसलपुर बांध के माध्यम से आसपास के गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं और बनास और चम्बल नदी का पानी चार-पांच जिलों में पेयजल के लिए उपयोग हो सके, इस दृष्टि से योजनाएं बननी चाहिए।

अकाल राहत पर मेरा एक सुझाव है कि पांच लाख रुपये तक की टंकियां, पाइप, मोटर, इस प्रकार की स्कीम्स को जलदाय विभाग और अकाल राहत विभाग में समन्वय करके प्राथमिकता दी जाए तो बहुत सारी पानी की समस्या मिट सकेगी। जलप्रदाय विभाग में विभिन्न स्तर पर योजनाएं वर्षों तक लम्बित रहती हैं। मंत्री महोदय, आपसे मैंने स्वयं अनुरोध किया, मीटिंग में भी अनुरोध किया कि आप एक कारगर ढंग से योजनाओं का समय निश्चित कर दीजिए जिसमें सर्वेक्षण से लगाकर स्वीकृति तक हो जाए। ऐसा कार्यक्रम निश्चित कर दीजिए और उसमें संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित कर दीजिए। वरना वर्षों तक लम्बित रहने वाली योजनाओं पर करोड़ों रुपये की लागत बढ़ जाती है और काम पूरे नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के तौर पर 1989-90 में हमारे क्षेत्र की दो योजनाएं बनीं बिशनिया, बोरडा। इक्कीस गांवों की फ्लोराइड और खारे पानी की थीं जिनके सोर्स उस समय स्वीकृत होकर बन चुके थे। उसके बाद लोटा-फेरी ऐसी चली की कभी क्या आब्जेक्शन और कभी क्या; पिछली गवर्नमैंट ने तो उसको बस्ता-ए-खामोशी में बांध दिया। यह कहकर बांधा कि फ्लोराइड पर एक पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इन गांवों को हम उसमें सम्मिलित करेंगे। वह फ्लोराइड का प्रोजेक्ट भी नहीं बना। न नौ मन तेल हुआ और न राधा नाची। यों सरकार उसको टालती रही। माननीय मंत्री महोदय ने इस बार उसको वापस लिया है लेकिन विभागीय स्तर पर इसमें

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जो एतराज थे वे वापस आ गये। इसी प्रकार ऊंचा टीकड़ गुचलवाड़ा नौ गांवों की योजना है, यह भी दस साल से विभाग में लोटा-फेरी में चल रही है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत होने के बावजूद क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ठीक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करें। कई जगह,मंत्री महोदय,पानी के स्रोत उपलब्ध हैं, पानी उपलब्ध है उसके बावजूद विभाग के अधिकारियों के गैरजिम्मेदाराना तौर-तरीकों से पानी बराबर सप्लाई नहीं होता है। जहाजपुर कस्बे में तीन-तीन दिन तक पानी नहीं मिला जबकि वहां पानी का स्रोत मौजूद था। मालूम किया तो अधिकारियों और कर्मचारियों के आपस का झगड़ा कि बराबर ड्यूटी पर रहते नहीं हैं। ऐसे गम्भीर समय में भी अगर अधिकारी और कर्मचारी समय पर काम नहीं करें और गायब हो जाएं और उससे तीन-तीन दिन तक पानी की सप्लाई न हो तो इस मामले को आप गम्भीरता से देखेंगे और भविष्य में इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से तय करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। इसके साथ-साथ हमारे इलाके की स्थायी समाधान की कई योजनाएं हमने विभागों में दे रखी हैं उनको आप समय पर तैयार करवाएं। पानी हमारे इलाके में मौजूद जहां-जहां भी है, उसके स्रोत को टैप करते हुए जो फ्लोराइड के गांव हैं बड़ी तादाद में, खारे पानी के गांव हैं, जिनमें पानी उपलब्ध नहीं है वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था पर भी आप ध्यान देंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पानी के,अकाल के इस भीषण संकट के समय सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही अवधारणा के साथ जो काम कर रही है उसको और गति के साथ हम ठीक प्रकार से करेंगे। मैं इस अवसर पर पुनः राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को, राजस्थान के अकाल राहत मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, भीलवाड़ा जिले की छह तहसीलों के 569 गांव पिछले दो-तीन-साढ़े तीन महीने से कई कारणों से जिनकी घोषणा करने में विलम्ब हुआ, अब उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर भीलवाड़ा जिले की पांच-छंह लाख जनता जो वंचित थी उसको अभावग्रस्त घोषित करके जो कृपा की है उसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता उनका आभार व्यक्त करती है। इस नई घोषित संख्या को दृष्टिगत रखते हुए भीलवाड़ा जिले में अगले महीने मई में 75 हजार और जून में सवा लाख मजदूर जो कि पिछले वर्षों में लगते रहे हैं लेकिन उस सीमा के अन्तर्गत पिछले दो-तीन महीने काम नहीं चल पाया और कुछ गांव महरुम रह गये, इसी आशा के साथ कि ऐसी स्थिति में इस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से जिले की जनता को पानी की दृष्टि से, घास की दृष्टि से पूरी पूरी राहत देने में कोई कसर बाकी नही छोड़ेंगे, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेमाराम जी चौधरी।

श्री मोहन लाल चौहान : भूल गये क्या आप ? नागौर जिले का नाम ही नहीं है, पूरा जिला अकाल से पीड़ित है। एक ही माननीय सदस्य को...

श्री सभापति : आपका सब का नाम दिया हुआ है, आ जाएगा।

श्री मोहन लाल चौहान : निर्दलीय सदस्य को बुलाया है।

श्री सभापति : हां, तो इधर के बाद में बोल रहे हैं हेमारामजी भी आप ही की पार्टी के हैं।

श्री हीरालाल सहरिया : बारां जिले का भी नाम है क्या ?

श्री सभापति : जो जिस क्रम में नाम दिया हुआ है, सब आ रहे हैं।

श्री मोहन लाल चौहान : जिन जिलों में अकाल नहीं है वह बोल रहे हैं और जिन जिलों में अकाल है उनको बोलने का मौका ही नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : सभापति महोदय, आज अकाल और पानी पर जो चर्चा हो रही है उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। वैसे अकाल पर सदन के माननीय सदस्यों ने सारी बातें बहुत ही अच्छे ढंग से कह दी हैं। अब सरकार को देखना है कि किस प्रकार से आने वाले दो महीनों में वह इसका मुकाबला करने की कार्यवाही करती है। सभापति महोदय, मेरे से पहले धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरों ने भी निवेदन किया कि जो श्रमिक काम पर लगे हुए हैं उनको मजदूरी बहुत कम मिल रही है। आज हम न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये की बात कर रहे हैं लेकिन यह 60 रुपये तो अधिकतम मजदूरी हुई, न्यूनतम कैसे हुई ? न्यूनतम मजदूरी तो आपने काम से जोड़ दी कि जितना आप काम करोगे उतनी ही आपको मजदूरी मिलेगी। इसलिए यह अधिकतम मजदूरी की बात है। न्यूनतम मजदूरी भी कुछ मिले, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। पूरे दिन इस धूप में, लू में कोई मजदूर काम पर आता है, काम करता है और उसको दस-पन्द्रह रुपये मिलते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। इससे आप उन लोगों का...

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, ध्यान दें आप।

श्री हेमाराम चौधरी : अकाल राहत मंत्रीजी, आप तो ध्यान भले ही दो...

श्री सभापति : आप तो बोले जाओ।

श्री हेमाराम चौधरी : दूसरे जो अकाल राहत मंत्रीजी हैं, बड़े मंत्रीजी हैं, काम तो उनके हाथ में है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं, वे कहीं न कहीं बैठे सुन रहे हैं इस बात को।

श्री रामसिंह विश्नोई : बहुत समझदारी की बात की आपने, वाकई में ही सुन रहे हैं वे।

श्री हेमाराम चौधरी : वे कहीं इस बात को सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूं, अगर वे कहीं सुन नहीं रहे हों तो सुनाता भी नहीं। मीणा साहब को तो सुनाये बिना, यह और मैं तो एक जैसे ही हैं।

श्री रमजान खान : अकाल राहत मंत्रीजी को भी बैठना चाहिए था।

श्री हेमाराम चौधरी : इनके पास गाड़ी-घोड़े हैं, इतना ही फर्क है, बाकी हम एक जैसे हैं।

सभापति महोदय, सरकार न्यूनतम मजदूरी की बात कानूनी परिपत्र जारी करके तय नहीं करे। अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को कुछ तो हिदायत दे कि कम से कम 60 रुपये

(श्री हेमाराम चौधरी)

हैं तो 30 रुपये तो उसको मिलने चाहिए, 30 रुपये से कम नहीं आने चाहिए। अगर 30 रुपये से कम आते हैं तो किसी की जिम्मेदारी, काम करवाने वाले की जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। यदि काम करवाने वाला काम करवाये मजदूर से तो मजदूर काम कर देगा और मजदूर से कोई काम लेने वाला नहीं है तो फिर काम होता ही नहीं। पक्के कामों के अंदर 60 के 60 रुपये कैसे होता है भुगतान ? पक्के जितने भी कार्य गत वर्ष हुए, चाहे इस वर्ष भी होंगे, आप देखना ,पूरे 60 के 60 मजदूर को मिलेंगे। कच्चे कामों में यह मजदूरी की समस्या है। क्योंकि कच्चे कामों को कोई देखता नहीं है और पक्के काम पंचायतों के माध्यम से करवाये जाते हैं। सरपंच खुद खड़ा रहकर मजदूर से पूरा काम लेता है और पूरा काम करने पर उसको पूरे पैसे मिलते हैं। इसलिए ये कच्चे काम जो भी एजेन्सी करवाती है, एक्जीक्यूटिव एजेन्सी है उसके ऊपर आज जिम्मेदारी डालो कि आप उस मजदूर से पूरा काम लें और पूरे पैसे उसको दें। अगर पूरा काम आप नहीं ले सकते उस मजदूर से, फिर आप क्या काम करते हो ? इसलिए उससे पूरा काम लें और उसे पूरा पैसा दें,यह मेरी आपसे गुजारिश है। सभापति महोदय, आज कितने कर्मचारी हैं राजस्थान में, कितना काम वे करते हैं दिन भर में, उसका मैजरमैंट कहां होता है ? किसी के भी काम का कोई मेजरमैंट होता है हिन्दुस्तान में ? अगर मेजरमैंट होता है, टास्क का मामला जोड़ा है तो उस गरीब के साथ आपने जोड़ा है क्योंकि उसका तो जोर कुछ है नहीं, उसको तो आप कहेंगे कि आपको इतना काम करना पड़ेगा तो उसको करना पड़ेगा। पर वह भी वह करने को तैयार है, करवाने वाला तो हो। अब करवाने वाला भी नहीं है तो वह क्या करे ? उसके साथ कोई फर्जी आदमी नाम लिखा दे, कोई लांठे आदमी फंस जाएं और वो काम करें ही नहीं, तो एक आदमी दो-तीन आदमियों का काम तो कर नहीं सकता, उसकी मजदूरी कम आएगी। काम पर मजदूर तो वह एक्जीक्यूटिव एजेन्सी लगाती है, वो जिसको चाहते हैं उसको लगाते हैं, लांठे आदमी लग जावें और गरीब आदमी रह जावे।

सभापति महोदय, मैं सीलिंग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग सीमा तो आपने तय की ठीक है, पर आप हर घर में से एक आदमी काम पर लगे ऐसा कुछ प्रबन्ध करें। अब तो सिर्फ दो महीने ही शेष रहे हैं, अब ज्यादा समय बाकी नहीं रहा है, एक घर में एक आदमी काम पर लग जावे। जिनके घर में सरकारी नौकर हो उनको आप काम पर मत लगाइये, जिनके कृषि कुएं हैं जिसमें बिजली का कनेक्शन है, उसको रबी की फसल मिली उसको मत लगाइये। इस तरह से देख लीजिए कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनको लगाने की जरूरत नहीं है, उनको मत लगाइये। लेकिन जिनको काम की जरूरत है आप उनको तो मेहरबानी करके लगाइये।

हमारे बाड़मेर जिले में 380 पंचायतें हैं और उनमें 45 हजार की आपने सीलिंग दी है, तो एक पंचायत में कितने मजदूर आये ? फिर बाद में जब काम खुलता है तो मजदूरों की सीमा तो तय है, फिर झगड़ा होता है जबरदस्त। बड़ी मुश्किल होती है किसको लगाएं और किसको नहीं लगाएं। आपने काम देर से

(श्री हेमाराम चौधरी)

खोला, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा किया। कुछ लोग कहते हैं कि देर से खोला। मैं तो इसका अच्छा मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि 15 फरवरी से पहले जब काम नहीं खुले थे, गांव में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था, बहुत शांति थी। जिनको मजदूरी करनी थी वे अपनी मजदूरी करने के लिए कहीं और दूसरी जगह पंजाब, हरियाणा, गुजरात चले गये। अब थके-थाके लोग थे महिलाएं वगैरह तो वे घर पर बैठी थीं। उनको 10 किलोमीटर काम के लिए आने-जाने का चक्कर तो नहीं पड़ता था। अब 10 किलोमीटर आने-जाने में वो तो हो जावें पूरी और पैसा एक नहीं मिले तो यह खराब बात है। इसलिए, सभापति महोदय, नहीं लगाया तब तक तो ठीक था कि फरवरी के बाद में आपने लगाना शुरू किया लेकिन संख्या बहुत कम है, फिर झगड़ा होता है और काम को बंद करना पड़ता है।

मैं सभापति महोदय, मेरी ग्राम पंचायत की बात बताता हूं। मेरी ग्राम पंचायत में एक नाड़ी स्वीकृत की, उसको मार्च-मार्च में तो चलाया, अप्रैल में उस नाड़ी को बंद कर दिया। 7-8 दिन बंद रही फिर लोगों ने कहा कि अब है जितना ही लगाएं। दुबारा फिर मस्टररोल 7-8 तारीख के बाद में और दिये तो फिर वह 5-7 दिन और चला। फिर उसको बंद करना पड़ा क्योंकि गांव में इतना झगड़ा होता है कि उसको कोई निपटा ही नहीं सकता। सभापति महोदय, मेरी मिसेज वहां सरपंच है इसलिए मैं इस बात को जानता हूं कि सरपंच की तो खाल ही निकलती है, उसका तो वहां टिकना ही मुश्किल हो जाता है। या तो आप ज्यादा मजदूर लगाएं। फिर बंद में ही ठीक है, तब तक शांति है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह सीलिंग सीमा या तो हटावें या इसको बढ़ावें। कुछ न कुछ इसका हल करना चाहिए। लाखों मजदूर हमारे जिले में जब भी अकाल पड़ा, लगाए। लाख से तो ऊपर ही लगाए, कम तो लगाने का सवाल ही नहीं है। इस बार इतने कम 45 की सीमा दी, 45 भी नहीं लगे। 35 लगे और उसमें भी सिर्फ लेबर कम्पोनैंट के आपने काम खोले, नाड़ियों के काम। सभापति महोदय, नाड़ियां जो स्वीकृत कीं 380 पंचायतों में, मेरे खयाल से 380 में ही किये होंगे, मेरे क्षेत्र में तो सभी 68 पंचायतों में किया है एक-एक नाड़ी, उन नाड़ियों का कोई उपयोग नहीं है। हकीकत तो यह है कि उन नाड़ियों के खोदने से कोई यूटिलिटी नहीं है क्योंकि उनके अंदर जो मिट्टी थी उससे पानी रुकता था और सीपेज नहीं होता था वो मिट्टी मजदूरों ने खोद करके बाहर डाल दी पाल के ऊपर, तो अब पानी आएगा तो सीधा ही जाएगा जमीन में नीचे। पर क्या करें ? आखिर लोगों को कोई न कोई काम तो देना है, काम देने के लिए वह काम खोला। जब काम देने के लिए ही आप बिना मतलब की रेत इधर से उधर डलवा रहे हैं तो फिर उनको कम से कम 30 रुपये तो दो। काम के लिए ही आपने यह सब किया है तो कुछ मजदूरी भी तो मिलनी चाहिए, राहत मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा सभापति महोदय, मंत्रीजी से हम महीने भर पहले...

श्री रामसिंह विश्नोई : यह यूटिलिटी कैसे नहीं है तालाब खोदने की ?

श्री हेमाराम चौधरी : यूटिलिटी तो मैं सब जगह की नहीं कहता।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप इस तरह गांव के आदमी होकर ऐसा कहते हो। जहां प्राचीन काल से तालाब, नाड़ी सब है, उसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जानवर पीते हैं, आप नहीं पीते हो, तो फिर उसकी यूटिलिटी कैसे नहीं है ?

श्री हेमाराम चौधरी : पानी उसमें ठहरे तो पीएंगे, नहीं तो क्या पीएंगे ?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो हो सकता है कि आंधी से वापस बुर जाए लेकिन यूटिलिटी कैसे नहीं है ?

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं पानी जब उसमें ठहरे ही नहीं तो उसकी क्या यूटिलिटी है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : पानी कैसे नहीं ठहरेगा ? पानी तो बरसात होगी तब ठहरेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : बरसात होगी तो भी नहीं ठहरेगा, साहब। नीचे उसका तला ठीक होगा तो ही ठहरेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं बोलूंगा तो आप नाराज होंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। यूटिलिटी नहीं है तो आप बताएं, यह आपकी बात सब लोग मान लेते हैं कि यूटिलिटी नहीं है, हम प्रस्ताव पास कर दें तो कैसी बात हो जाएगी।

श्री अमीन खान : पानी जहां नहीं ठहरता है उसको तालाब भी नहीं कहते हैं। तालाब ऐसे-ऐसे हैं जहां एक-एक साल पानी ठहरता है।

श्री सभापति : अब आप, मंत्रीजी, रहने दो।

श्री अमीन खान : जहां पानी नहीं ठहरता है वह तालाब ही नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : आप मेरे साथ चलें, जो नाड़ी अभी फेमिन में खुदवाई है मैं आपको दिखवाऊंगा। आप उसको देख लेना और आप बता देना कि इसमें इतने महीने पानी ठहरेगा और यह इतने दिन का तो पानी का फायदा हो गया। फिर आप बता देना।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, आप परसों तो सी.एम. साहब के साथ थे और नाड़ी खुद रही थी अपने सामने ही। आप तो खुद ही वहां मौजूद थे।

श्री हेमाराम चौधरी : आपको एक सड़ा तालाब भी दिखाया था। वास्तव में यह थोड़े ही है कि कोई जिले में एक भी तालाब खोदने लायक नहीं है। यह नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : सारे एम.एल.ए. अच्छे नहीं होते हैं, सारे मंत्री अच्छे नहीं होते हैं, सारे तालाब अच्छे नहीं होते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, वह सड़ा तालाब, सभापति महोदय, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में है ही नहीं, वह सिवाना कांस्टीट्यूएंसी में है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में दो-चार तालाब की तो मैं कह नहीं सकता, दो-चार तालाब के अलावा दूसरे कोई तालाब ऐसे नहीं हैं जो आप खोद लो और उससे कोई पानी का फायदा हो। मेरा मतलब तो यह है। हालांकि आपने तो उनकी खुदाई इसलिए की कि मजदूरों को मजदूरी देनी है, काम देना है कोई न कोई।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सहायता मंत्री): माननीय सभापतिजी, आप नाड़ी और तालाब खोदने के पक्ष में नहीं हैं तो उस इलाके में कौनसा काम दिया जा सकता है उसका भी सुझाव देते जाइये।

श्री हेमाराम चौधरी : वो तो आप मानें तो मैं तो दे रहा हूं। वो आप मानेंगे नहीं। पहले हमको यह पता ही नहीं कि एक-एक नाड़ी मंजूर हो गई, मेरे खुद के गांव की। मैंने उसको बंद कराया। क्या करूं, उसमें कुछ काम ही नहीं है। आपने कहा तो सड़कों के लिए आपसे अर्ज की थी कि सड़कें स्वीकृत करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सड़कें भी आंधी जब आएगी तो मिट्टी से भर जाएंगी। वहां तो आंधी आने का प्रोसेस है आपके जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में।

श्री हेमाराम चौधरी : अब, साहब, आंधी के आड़े तो मैं हाथ कहां से दे दूं। आंधी के आगे तो मैं खड़ा हो नहीं सकता, आंधी को मैं नहीं रोक सकता। यह बात तो अलग है पर आखिरी आंधी भी चली गई, दूसरी भी हो गई फिर भी सड़कें बनती तो हैं ही। अब आंधी की वजह से आप सड़कें मंजूर नहीं करें, बंद कर दें तो आपकी इच्छा है। मेरा सुझाव है कि आप सड़कों की स्वीकृति दें। उसमें झगड़ा मैटीरियल कम्पोनैंट का पड़ता है। आपने मैटीरियल कम्पोनैंट 25 प्रतिशत दिया हालांकि वह 25 प्रतिशत जिले का किया है एज ए होल। 380 नाड़ियों की स्वीकृति की उसमें पूरी की पूरी लेबर लगी हुई है आपकी, अब उसके बराबर में मैटीरियल जो 25 प्रतिशत बनता था वह तो बचा ही है। कुछ ज्यादा करके आप 30 प्रतिशत, 35 प्रतिशत करें क्योंकि मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी ग्रेवल क्वेरी नहीं है। ग्रेवल क्वेरी नहीं है तो दूसरी जगह से लाना पड़ता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा आ जाता है इसलिए 25 प्रतिशत मैटीरियल में सड़क बनती नहीं है। आप कुछ मैटीरियल का पैसा ज्यादा करें तो मेरे क्षेत्र में सड़कें बन जाएंगी, मेरा तो आपसे यही अनुरोध है। किसी प्रकार से जिले का एज ए होल करें, क्या करें, यह आपके देखने का काम है। ज्यादा आप करें तो बहुत बढ़िया।

दूसरा, सभापति महोदय, आपने पक्के कामों में इस साल पाबंदी लगा दी। ये जो सरकारी स्कूल हैं और सरकारी बिल्डिंग वगैरह हैं, पिछले साल इनकी बाउण्ड्री बनी थी। बिल्डिंग में मैटीरियल का ज्यादा पैसा लगता है लेकिन 70 प्रतिशत लेबर और 30 प्रतिशत मैटीरियल में बाउण्ड्री का काम हो सकता है क्योंकि उसमें एक सिर्फ पत्थर चाहिए और चूना चाहिए, इसके अलावा बाकी लेबर का काम है। पत्थर भी निकालने में मजदूर लगेंगे। 70-30 में अगर आप बाउण्ड्री अलाउ कर देते हैं तो स्कूलों में जहां-जहां बाउण्ड्री बनी है तो यह तो अच्छा काम होगा, जमीन की भी सुरक्षा हो गई, बिल्डिंग की भी सुरक्षा हो गई, पेड़-पौधे भी लगें। इसलिए आप पक्के कामों में और नहीं तो बाउण्ड्री को अवश्य शामिल करें।

(21.00 बजे)

सभापति महोदय, हमने एक महीने पहले आपसे अर्ज किया था कि निजी कुओं और टांकों के मैटीरियल का पैसा काश्तकार स्वयं दे देगा, लेबर का पैसा आप दे दो। आपने हमें

(श्री हेमाराम चौधरी)

एश्योरेंस दिया था कि इसके आदेश हो जाएंगे। बाद में कहा कि आदेश हो गये। पर कुओं के आदेश हुए हैं, मंत्री महोदय, टांकों के आदेश अभी तक नहीं हुए हैं। पहले भी अकाल राहत में टांके बने हैं सम्वत् 2044 में। कुओं से जो नीचे का पानी है वह काम में आता है और टांकों से बरसात के पानी का संग्रहण करते हैं। पीने के पानी की आज इतनी गंभीर समस्या है इसके हल के लिए मैं समझता हूं कि टांकों से ज्यादा बढ़िया कोई योजना हो ही नहीं सकती। बरसात का पानी इकट्ठा करने का यह एक ही तरीका है। इसलिए टांके आप लो और इसके आदेश आप आज ही फरमाओ। फिर बाद में टाइम निकल जाएगा, टांके बनेंगे नहीं, कुछ समय तो चाहिए। इसलिए मेहबानी करके इसके आदेश आप आज ही फरमाएं। जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैं आपके ही विभाग की पैरवी की बात कर रहा हूं, सहायता मंत्रीजी से आप ही आदेश जारी करवा दें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं पीने के पानी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पीने के पानी की हमारे जिले में बहुत सारी योजनाएं हैं। पीने के पानी की जो पुरानी योजनाएं हैं वे ठीक से चलें कम से कम यह तो होना चाहिए, जिन पर सरकार का करोड़ों-अरबों रुपया लग चुका है, पाइप लाइनें लग चुकी हैं, जी.एल.आर. बन चुके हैं। वे पाइप लाइनें सूखी पड़ी हैं, जी.एल.आर. सूखे पड़े हैं, उनमें कबूतरों के घोंसले बने हुए हैं। उसके बारे में हमको रोज जनता से सुनना पड़ता है। आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा, थोड़ा-सा पैसा और लगाना पड़ेगा और थोड़ी-सी कर्मचारियों को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कर्मचारी इस तरफ कतई ध्यान देते नहीं। उन्होंने तो पाइप लाइन लगा दी, जी.एल.आर. बना दिये, उनका तो काम हो गया जो होना था। इससे आगे इसमें उनको कोई फायदा है नहीं इसलिए क्यों माथापच्ची करें। पानी जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। कर्म फूटें पब्लिक के उग्र फूटे हमारे।

श्री सभापति माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए, सभापति महोदय, मौजूदा योजनाएं सुचारू रूप से चलें, एक तो यह करें। दूसरा, जो गांव के कुएं हैं उनका पानी ठीक ठीक है, आज से पहले पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं से काम चलाते थे इसलिए गांव के लोग पी भी लेंगे, पीयें नहीं तो पशुओं के तो काम का है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, पशुओं को वह पिला दें और पीने का पानी थोड़ा पाइप लाइन से आ जाए, उसको पीने के काम में ले लें। पहले भी ऐसा करते थे, बरसात के पानी को पीने के लिए घड़े में अलग रखते थे, कपड़े धोने का अलग रखते थे, खाना बनाने का अलग रखते थे, सब अलग अलग रखते थे, ऐसे ही अब अलग-अलग काम में ले लेंगे इसलिए गांवों के जो पुराने कुएं हैं उन पर पम्प मोटर लगा कर मेहरबानी करके उनको चालू करवा दीजिए। दूसरा उनके ऊपर जो आपने आदमी रख रखे हैं उनको आप 500 रुपये दे रहे हैं। मंत्री महोदय ने खुद घोषणा की कि उनका हजार-बारह सौ रुपये कर देंगे। उनका कुछ तो करो, 500 रुपये में आज एक

(श्री हेमाराम चौधरी)

आदमी का क्या होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप करोगे तो वे थोड़ा ठीक काम करेंगे। परमानेंट आदमी काम नहीं करते हैं, वे तो फिर भी करते हैं।

श्री सभापति : समाप्त करो। श्री रतनाराम जी।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां पर कुछ लोग हैं वे अपनी अपनी ढाणियों में बसे हुए हैं उन ढाणियों का सर्वे आज से कई साल पहले हुआ था, हजारों ढाणियां जो सर्वे में आनी चाहिए थीं वे आई नहीं, वे ढाणियां आइडेंटीफाई नहीं हुई। उनका आइडेंटिफिकेशन हो इस बात की सारी कार्यवाही कर दी और एस.ई. आफिस में तहसीलदार ने उनकी सूची भेज दी, हमने दे दी, कोई कमी नहीं, सिर्फ तहसीलदार को आगे यहां जयपुर भेजनी थी, आगे भारत सरकार की स्वीकृति होती हैं तब जाकर उस पर बजट मिलता है। एस.ई. आफिस में पड़े सालभर हो गया, वहां से आगे खिसकती ही नहीं है। हम तो कह-कह कर थक गये। हमारे कहने से वे भेजने वाले हैं नहीं। मंत्री महोदय, जोर लगाओ, बाड़मेर से आप जयपुर मंगवा लो तो हमारे वहां यह हो जाए कि हमने आगे भिजवा दी, इतनी तो हमको कामयाबी मिल जाए।

श्री सभापति : अब तो आप भी बोलते हुए थक गये होंगे। श्री रतनाराम जी।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था, मंत्रीजी यहां बैठे हैं, बड़े-बड़े अधिकारी जो जयपुर में बैठे हैं उनको बाड़मेर जिले में देखने के लिये भेजो तो सही। वे हमको भी साथ ले जाएं तो वास्तविक स्थिति उनको दिखाएं तो सही ताकि उनको भी महसूस हो कि वास्तव में लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। आपने समय दिया, मंत्रीजी ने हमारी बात सुनी उसके लिए आपको और मंत्री महोदय दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, आज फेमिन और जन स्वास्थ्य विभाग पर विधान सभा में चर्चा चल रही है। उसमें मैं मेरे जालौर जिले विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो समस्या है उसकी तरफ फेमिन रिलीफ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल है और जालौर जिला सबसे पिछड़ा जिला है। उसमें फेमिन गत वर्ष भी था, इस वर्ष भी बड़ा भारी अकाल है। सभी लोगों के पास में खेती नहीं है। ज्यादातर लोग मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। जालौर जिले में करीब 15 हजार से 25 हजार मजदूरों को मजदूरी देने के निर्देश दिये गये हैं इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं परन्तु जब तक जालौर जिले में कम से कम 50 हजार मजदूरों को मजदूरी नहीं देंगे तब तक जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है, हर पंचायत में बहुत लोग असंतुष्ट हैं। अभी मुख्य मंत्रीजी, रामसिंहजी और ऊर्जा मंत्री, श्री चन्द्रभानजी ने जालौर जिले का दौरा किया और मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसक जायजा लिया। बाड़मेर की जमीन परती है, हमारी जमीन टिकाऊ है। टिकाऊ जमीन में तालाब उपयोगी हैं, जिनमें बरसाती पानी 4-4, 6-6 महीने तक टिक सकता है इसलिए हमारे यहां ज्यादा

(श्री रतनाराम चौधरी)

काम तालाबों का चल रहा है। एनीकट भी लोग मांग रहे हैं। छोटे मोटे एनीकट बन जाने से कुओं का जलस्तर बढ़ता है, नहीं तो बरसात के समय में वह पानी बेकार चला जाता है। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में तीन-चार नदियां ऐसी हैं जो बारह मास चलने वाली नदियां हैं, वे नदियां हैं जैतपुरा, बड़गांव। जैतपुरा में तो पानी रोक दिया गया परन्तु बड़गांव नदी का पानी बरसात में फालतू गुजरात में चला जाता है। इस नदी पर बांध बना कर पानी रोका जाए तो आने वाले समय में कभी भी सुकाल में सिंचाई होगी और दुकाल में लोगों को पानी पीने के लिए काम आएगा। श्री रामसिंहजी और मुख्य मंत्रीजी पधारे थे, उन्होंने मूंथलासिली में एक नाड़ी खुदाई का कार्य देखा। उस समय लोगों की यह मांग थी, करीब 50 गांवों को फायदा होता है संदरा बाध से। यह काफी समय से विचाराधीन है और अभी जो हमारी सरकार आई है उन्होंने कुछ बजट भी दिया है। संदरा बांध जो थूर गांव के पास है, वहां बहुत बड़ी स्कीम है। यह वहां के लिए जवाई का बांध साबित होगा। वह बांध बन जाने से हमारे आधे जिले को इंर्रिगेशन और पीने के लिए पानी काम आएगा। इसके लिए लोगों की बड़ी भारी मांग है इसलिए इस संदरा बांध पर आप थोड़ी नजर डालें और उसकी स्वीकृति इसी बजट सत्र में दिलावें तो हमारे जालौर जिले का अहोभाग्य होगा। वैसे नर्मदा गुजरात से आ रही है, जालौर जिले में वह सबसे नीचे चली गई। सांचौर से भी पहले जो सर्वे हुआ था, भीनमाल तहसील में होकर पानी ले जाने की योजना थी परन्तु स्तर बहुत नीचे जाने से हमारे जिले को बहुत कम फायदा होगा, इसलिए कृपा कर उसमें लिफ्ट योजना भी बनाई जाए। लिफ्ट योजना से भीनमाल, रानीवाड़ा, आहोर और पायला तहसील को पानी दिया जाए तो बहुत उपयोगी होगा।

दूसरा हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, रामसिंह विश्नोईजी से भी निवेदन है, अभी पूर्व वक्ता ने जो बात कही वह बिलकुल सही है कि स्रोत सूखते जा रहे हैं और पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। एक संभागीय स्तर की मीटिंग मुख्य मंत्रीजी ने ली थी उसमें मैंने सुझाव दिया था कि प्रत्येक ढाणी में टांका बनाया जाए और बरसाती पानी से भराया जाए। गांव में जो पक्के मकान बनते हैं उनकी छत का पानी लिया जाए और उनके मकान मालिक को थोड़ी बहुत सहायता दी जाए। आप 50 प्रतिशत सहायता देंगे और 50 प्रतिशत लोग लगा देंगे तो पानी का संग्रह होगा और संग्रह होने से पीने के पानी की समस्या में काफी हद तक सुधार आ सकता है, इसलिए उसमें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, हम लोगों ने विधायक कोटे से साढ़े तेरह लाख रुपये जी.एल.आर. और पाइप लाइन के लिए दिये हैं। रुपये दिये 4 महीने हो गये परन्तु अभी तक कार्य चालू नहीं किया गया। लोग हमारे कपड़े फाड़ते हैं, कहते हैं आपने पैसे नहीं दिये। हम उनको जवाब देकर थक गये। पीने के पानी की भारी समस्या है, दीगांव, भाटी, सातिया गांव है वे श्रावणी फसल पर ही निर्भर हैं, वहां दो फसली एरिया नहीं है वहां हमने 13.50 लाख रुपये दिये हैं। रामसिंहजी साहब, वह कार्य जल्दी से हाथ में लेकर जल्दी पूरा करवाया जाए। सांसद कोटे से भी हमने 7 लाख रुपये दिलवाये

(श्री रतनाराम चौधरी)

हैं। जलग्रहण योजना दीगांव, भाटी और भण्डारनाड़ी के लिए 7 लाख रुपये हमने हमारे सांसद से दिलवाये हैं, वह काम अभी तक चालू नहीं किया है। जल्दी से करें क्योंकि अभी फेमिन में लोग तकलीफ में हैं, लोगों को मजदूरी मिल जाएगी। आपको जो काम 4 महीने बाद करना है वह आज चालू करवा दीजिए।

फेमिन में पशुधन की बात है, हमारे वहां चारे के अभाव के कारण वास्तव में हकीकत है, 50 प्रतिशत लोगों ने गायें छोड़ दी हैं और गायों की बहुत भारी दुर्दशा हो रही है। जैसे थारपारकर है जैसलमेर बाड़मेर की, इसी तरह हमारे सांचौर की कांकरेज नस्ल प्रसिद्ध है। जरसी गाय के बछड़े तो बिलकुल नाकाबिल हैं, कोई हल के काम नहीं आता, वे सूने सांड यूं ही गांवों में छुट्टे फिरते हैं। हमारी कांकरेज नस्ल सारी उन सांडों ने बिगाड़ दी और कांकरेज नस्ल नष्ट होती जा रही है। कांकरेज नस्ल की गाय, बहुत ही बढ़िया, सुंदर और दुधारू और बैल हल चलाने में बहुत ताकतवर था। इसलिए कृपा कर जरसी गाय के टोकड़े हैं उनका कम से कम बधिया या कुछ भी इलाज कराओ, नहीं तो ये सारी थारपारकर, कांकरेज नस्लों को बिगाड़ देंगे।

अभी आपने फेमिन के सब कच्चे काम हाथ में लिए हैं। थोड़े बहुत कार्य आप पक्के भी करवाओ, जैसे गत साल आपने करवाये थे। कोई बाढ़, बरसात का कार्य हो जैसे एनीकट। एनीकट तो रेती से बनता है परन्तु उसमें बीच में पानी निकासी का काम पत्थर से होता है इसलिए 40-60 का जो रेशो है, 60 प्रतिशत रेती का हो जाए, 40 प्रतिशत पक्का काम हो जाए तो वह स्थाई काम होगा और आने वाले समय में लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जब नदियां आती हैं तो कई गांवों को खतरा हो जाता है। मेतीवाड़ा जैसे गांव में बांध, बरसात का कार्य होना चाहिए। उसमें रेती का काम करवाकर बाद में सोलिंग होता है, मोटे-मोटे पत्थर होते हैं, उनकी पीरिंग होती है। पीरिंग जब तक नहीं होगी, बरसात में जो पानी आएगा वह सारी रेती लेकर चला जाएगा इसलिए कृपा करके थोड़ा काम आप कच्चे साथ में पक्के काम भी चालू करवाएं।

हमारे रामसिंहजी मंत्री साहब पहले सोमता गांव में पधारे थे, उस समय दो हैण्डपम्प आपने करवाये थे। सोमता गांव 7-8 हजार जनसंख्या वाला गांव है, वे लोग हैण्डपम्प से ही पानी पीते थे। वे हैण्डपम्प भी सूख गये और वे 10-10 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। सूर में आपने आदेश किया है, सूर और सेंदड़ा के पास में टयूबवैल खोदने का सोमता के लिए, कृपया वह थोड़ा आप जल्दी करवा दें तो लोग आपका गुणगान करेंगे।

दूसरा हमारे एक कस्बा बहुत बड़ा है जयसंदराय, उसमें एक स्कीम बनी हुई है रांजीकावास नाम से, उस स्कीम की भी अभी तक स्वीकृति नहीं हुई है, कृपया जल्दी से स्वीकृति प्रदान कराएं। गांग में भी एक ऐसा ही बांध है जिसका पानी गुजरात में आता है। गुजरात में वे लोग बांध बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पानी रोकें उनके पहले आप रोक दें ताकि राजस्थान को फायदा हो जाए, जालौर जिले को फायदा हो जाए। आप फेमिन में इसे चालू करवा दो तो बाद में रैगुलर यह काम

(श्री रतनाराम चौधरी)

होता रहेगा। गांग, संदरा ये बांध बहुत उपयोगी हैं। 90 में अतिवृष्टि से कई बांध टूट गये थे और वे अभी तक टूटे हुए पड़े हैं। गत वर्ष हमने एक-दो बांध रिपेयर कराकर तैयार करवाये। आपने बजट दिया इसके लिए धन्यवाद परन्तु कई बांध बंधर बांध, दांताड़ा, करवाड़ा अभी तक टूटे हुए पड़े हैं। अभी फेमिन में वह काम हाथ में लिया जाए तो लोगों को मजदूरी भी मिल जाएगी और बांध भी बनकर तैयार हो जाएगा। पुराने जमाने में बावड़ियां, कुएं थे, उन कुओं में पानी अनाप-शनाप है लेकिन अब उनमें रेती आ गई है। उनकी खुदाई करवाई जाए, लाखों रुपये से जो टयूबवैल खुदवाते हो उसमें पानी नहीं मिलता है, कुओं में पानी मिल सकता है, उसमें खर्चा भी केवल 25-50 हजार आता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए कुएं, बावड़ी खुदाने का भी आदेश आप करवाने की कृपा करें।

बार बार सभापति महोदय घंटी बजा रहे हैं इसलिए अन्त में मेरी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने लोगों को मजदूरी दी। रामसिंहजी, आपने और मुख्य मंत्रीजी ने हमारी बात सम्भाल ली, ऊर्जा मंत्रीजी भी आये थे 19 तारीख को, उन लोगों ने किसानों को भी बहुत बड़ा भारी आश्वासन दिया और बिजली के बारे में सबकी समस्या सुनी इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारी बात समाप्त करते हैं। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, अकाल और पानी पर। इस सम्बन्ध में मैं भी आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का और जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस वर्ष जो आपने फेमिन के काम चला रखे हैं हमारे अजमेर जिले में, उनसे हमको दोहरी समस्या से गुजरना पड़ रहा है।

(21.21 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक तो यह कि जहां 5-6 हजार की आबादी है वहां केवल 60 ही सदस्य आपने लगाये हैं, इसकी वजह से सरपंच को आये दिन झगड़ा सहना पड़ता है। सरपंच मुंह छिपाये फिरता है, बड़ी मुश्किल हो रही है कि किसको लगाए और किसको नहीं लगाए। एक समस्या तो यह है।

दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो आपने फेमिन चलाई उस फेमिन की सामग्री के लाखों रुपये आज भी ग्राम पंचायतों के अजमेर जिले के अन्दर बाकी हैं। अब लोग वह पैसा मांगते हैं। सरपंचों का चुनाव हो गया, नये सरपंच आ गए। उस सरपंच ने पता नहीं कहां से लाकर सामग्री के वे पैसे खर्च किए थे...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बता दें कि किस-किस पंचायत समिति के...

श्री रमजान खान : पंचायत समिति पीसांगन और पंचायत समिति श्रीनगर, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। हजारों रुपये नहीं, लाखों रुपये हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 1-2 पंचायत समिति के बारे में जब शिकायतें थीं, जिलाधीश अजमेर के द्वारा शिकायतों की जांच कराई थी, अराई और भिनाय की, उसके पैंडिंग थे। मेरे पास अब किसी एक भी पंचायत के मैटीरियल कम्पोनैंट के पैसे बकाया होने की शिकायत नहीं है। यदि आप मुझे लिखित में दे देंगे कि इस-इस पंचायत का बकाया है तो मैं निश्चित रूप से उसक जांच कराऊंगा। इसलिए आप मुझे लिखित में दें।

श्री रमजान खान : जांच कराएंगे, तो क्या मैं आपको यहां सदन में गलतबयानी दे रहा हूं? मैं आपको कह रहा हूं, आज ही बी.डी.ओ. से मेरी बात हुई है, पंचायत समिति पीसांगन के बारे में उन्होंने कहा है कि पिछले...

श्री उपाध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि लिस्ट दे देना कहां-कहां के बाकी हैं।

श्री रमजान खान : ये तो कह रहे हैं कि जांच कराऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो अकाल राहत कार्य शुरू किये हैं अजमेर जिले के अन्दर, उनमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने साफ लिखकर दे दिया कि हम अकाल राहत का कोई भी कार्य हमारे विभाग के तहत शुरू नहीं करेंगे। जितने भी सिंचाई विभाग के माध्यम से अकाल राहत कार्य आपने स्वीकृत किये हैं उनमें उन्होंने एक भी कार्य शुरू नहीं किया है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या कारण है तो उन्होंने बताया कि हम 25 प्रतिशत सामग्री राशि में यह काम नहीं कर सकते हैं। एनीकट के, रपटों के और नालियों के, इस तरह के पुराने काम बाकी हैं, वह 25 प्रतिशत की सामग्री के अन्दर हम पूरे नहीं कर सकेत हैं। इसलिए, मंत्री महोदय, सिंचाई विभाग ने कोई काम शुरू नहीं किया है। आपने जो लेबर सीलिंग 25 हजार रखी है, 25 हजार में से कम से कम 5-7 हजार आदमी तो सिंचाई विभाग के माध्यम से आपने लगा रखे हैं। सिंचाई विभाग ने काम शुरू नहीं किये और वह लेबर आज तक लगी नहीं है। इसके लिए भी आपको विशेष निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरी बात यह है कि 25 प्रतिशत सामग्री आपने दे तो दी परन्तु जिला कलक्टेर ने जो भी काम स्वीकृत किये, पंचायत समिति एजेंसी के माध्यम से जो काम करवाने थे उसमें चाहे सड़कें हों, चाहे रपटें हों, उनमें एक पैसा सामग्री का स्वीकृत नहीं किया। जब उनको सड़कें बनानी हैं, रपटें बनानी हैं तो उनको भी 25 प्रतिशत सामग्री के पैसे देने चाहिए। मगर उन्होंने पंचायत समिति, ग्राम पंचायतें जो कार्य करवा रही हैं उनके लिए एक पैसा भी स्वीकृत नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में कुल 1076 गांव हैं। 1076 में से 1070 अभावग्रस्त हैं जहां पर अकाल पड़ा हुआ है वहां पर कार्य शुरू होने चाहिए थे। आपने 25 हजार की सीलिंग कर रखी है जिसमें से 7-8 हजार तो सिंचाई विभाग के मजदूर निल कर दो और बाकी कुल 17-18 हजार मजदूर लगे हुए हैं अजमेर जिले में। मैं आपके माध्यम

(श्री रमजान खान)

से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सीलिंग को कम से कम 75 हजार करें। केवल दो महीने ही रह गये हैं इसलिए इस सीलिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं ताकि प्रत्येक परिवार से कम से कम एक आदमी को रोजगार मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अभी 3-4 दिन पहले आपके कई मंत्री जिलों के दौरे पर गये, अजमेर जिले में भी माननीय चंद्रशेखरजी आये थे। मेरे विधान सभा की पंचायत समिति में वे बैठक भी लेकर आये। परन्तु मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे को सूचना तक नहीं दी कि फलां दिन हमारा वहां प्रोग्राम है और आपको भी आना है। इसलिए हम वहां जाकर अपनी समस्या अच्छी तरह से रख नहीं सके। इसलिए कम से कम विधायकों को सूचना मिलनी चाहिए कि अकाल राहत मंत्री आ रहे हैं या प्रभारी मंत्रीजी आ रहे हैं, उनकी कौनसी तारीख की मीटिंग है।

अभी मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गेहूं और चावल की केन्द्र को बिना कीमत सहायता देनी चाहिए। इससे मैं भी सहमत हूं कि बिना पैसा लिए सहायता देनी चाहिए। केन्द्र ने अभी ट्रांसपोर्टेशन तो फ्री में किया हुआ है और बिना पैसे लिये सहायता कैसे दे ? उपाध्यक्ष महोदय, डेढ साल हो गया इस पूरे सदन के अन्दर एक ही रट लगाए हुएँ हो, केन्द्र सरकार हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है, केन्द्र सरकार हमारे साथ भेदभाव बरत रही है। अब क्या है ? चुनाव है या और कुछ बात है ? जब सदन में प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक बात कह दी कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस अकालका सामना करना है तो बारबार इस सदन में इस बात को दोहराने से क्या फायदा मिल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता। होना तो यह चाहिए कि इस सदन की एक सर्वदलीय कमेटी बने, उसमें माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को साथ लें, मुख्य मंत्रीजी जाएं, आप स्वयं जाएं और प्रधान मंत्री से निवेदन करें। अब उनको आप प्रधान मंत्री नहीं मानते हैं। वे तो हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री हैं, उनके पास जाकर निवेदन करें कि हमारी यह स्थिति है, हमारे को यह राहत दो, हमारे को वह करो। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रतिपक्ष के माननीय नेता मुख्य मंत्री थे राजस्थान में, उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपका इतना सौहार्द्रपूर्ण वातावरण से उनके साथ मेल-मिलाप था कि सबसे ज्यादा पैसे राजस्थान को वे देते थे। आप क्यों नहीं करते हो ? आपमें वह गुण ही नहीं है। बेटा बनकर खा सकता है, बाप बनकर नहीं खा सकता है। अब आप तो हमेशा ही खिलाफत करते हैं, सैण्ट्रल वाले सहयोग नहीं करते। अब तो कम से कम इसको बंद करके भविष्य के लिए, इन दो महीनों को...

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य, हमारे प्रधान मंत्री में और आपके प्रधान मंत्री में समझ में फर्क है। हमारे प्रधान मंत्री आपके मुख्य मंत्री की बात को जल्दी में समझते थे और आपके प्रधान मंत्री हमारी बात को बहुत लेट समझे हैं। यह फर्क है, और कुछ नहीं।

श्री रमजान खान : समझाने की कोशिश नहीं की। मैंने पिछले सदन में भी कहा था। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय को साथ लो और जाकर वहां दिल्ली में अपना डैपुटेशन पेश करो, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य, आपकी जानकारी में नहीं है। मैं जब उत्तर दूंगा तब बताऊंगा, हमारे मुख्य मंत्रीजी प्रधान मंत्रीजी से कितनी बार मिले। जिनके पास कृषि विभाग है, पटवाजी से कितनी बार मिले। खाद्य विभाग है, शांताकुमारजी से कितनी बार मिले। जब मैं रिप्लाई दूंगा तब जवाब दूंगा। आपका यह कहना गलत है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी नहीं गये और नहीं मिले किसी से।

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर...

श्री उपाध्यक्ष : ये यह नहीं कह रहे हैं। यह कह रहे हैं कि इनको साथ ले जाओ।

श्री रमजान खान : साथ ले जाना, यह बात है। जब तक इनको साथ नहीं ले जाओगे, समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे अकेले गये, हमको बिना साथ लिए, प्रधान मंत्री ने सुन लिया।

श्री रमजान खान : साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) लेकिन इनका हृदय साफ होना चाहिए। अब मैं ज्यादा नहीं बोलकर जलदाय मंत्रीजी की तरफ आता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब जब मैं अजमेर का दौरा करूंगा तब आपको साथ बिठाकर करूंगा।

श्री रमजान खान : हमारे को तो सूचना ही नहीं देते, मंत्री महोदय, जब आप अजमेर में आते हैं तो।

जहां तक जलदाय मंत्री महोदय का सवाल है, यह बात सही है कि आज सदन की चर्चा में पक्ष और विपक्ष सभी से माननीय जलदाय मंत्रीजी की तारीफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तारीफ के काबिल भी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जलदाय मंत्रीजी, समझे ही नहीं, तारीफ की है, इनको समझे ही नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बहुत बड़े समझे। आप समझे, अच्छी बात है। आप मेरी बात को समझे हैं बाकी ये भी समझ गये। ये तो समझ गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रशंसा की है तो कोई नहीं समझा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके प्रधान मंत्री नहीं समझे। मैंने कहा, आप तो समझ गये थे। प्रधान मंत्रीजी अच्छे आदमी हैं, आपने बाद में समझाया, तब जाकर समझे, बाकी समझे नहीं हमारी। आपकी बात समझे, मान ली। (व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री ने आपकी बात को उसी वक्त मानकर आपके पैसे मंजूर कर दिये। आपकी जो भी बातें थी, सारी स्वीकृत हो गई।

श्री रमजान खान : अब तो आपको समझ में आ गई ना।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह हमारे प्रधान मंत्री में गुण है। आपके प्रधान मंत्री एक अच्छे आदमी हैं लेकिन उनके समझ में बाद में आता है।

श्री रमजान खान : मंत्री महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय अभी घण्टी बजा देंगे। मुझे बहुत बातें कहनी हैं।

हैण्डपम्प रिपेयर का जो सिलसिला आपने एक महीने में चालू किया, ईमानदारी की बात है, मंत्री महोदय, यह हैण्डपम्प रिपेयर वाला कोई भी काम हो नहीं सकता है। एक पंचायत में नौ गांव एक दिन वे देते हैं वहां पर अभियान चलाकर। एक दिन भी देते हैं तो उनके पास पाइप नहीं। अब तो पानी बहुत नीचे चला गया है, पाइप की सख्त जरूरत है। आप स्वयं कह चुके हैं इस विधान सभा में कि अभी पाइप आये नहीं हैं, दो-चार दिन में आ जाएंगे। अब मेरा खयाल है कि आ गये होंगे, परन्तु एक महीने में जितने भी पैसे हैण्डपम्प रिपेयर पर खर्च हुए, जहां 15-20 हैण्डपम्प हैं वहां पर मुश्किल से एक हैण्डपम्प दुरुस्त हो सका है एक पंचायत में, बाकी उसका फायदा नहीं मिला है। इसलिए इन जीपों की तादाद को थोड़ा-सा और बढ़ाकर और पाइप वगैरह सब औजार देकर हैण्डपम्प का अभियान वापस चलाओ ताकि जल्दी से जल्दी पुराने जो हैण्डपम्प हैं, वे दुरुस्त हो सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष तो आपने, यह बात सही है कि पचास-पचास, साठ-साठ हैण्डपम्प हर विधायक को दिये थे परन्तु, मंत्री महोदय, इस वर्ष आपने एक भी हैण्डपम्प विधायक को नहीं दिया। आपने यह कहा कि हमारे विभाग के अधिकारियों से आपका सम्पर्क नहीं रहता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक महीने में कम से कम छह-सात बार आपके अजमेर जिले के अधिकारियों से, आपके जयपुर के अधिकारियों से मैं मिलता हूं परन्तु आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि मंत्री महोदय का यह निर्देश है कि जहां भी हैण्डपम्प खुदेंगे, विधायक की अभिशंसा के ऊपर खुदेंगे। हमको यह देखकर दुःख होता है कि जहां हैण्डपम्प की जरूरत नहीं है वहां पर आपके एडिशनल चीफ इंजीनियर हैण्डपम्प खोद दें, आपके एस.ई. हैण्डपम्प खोद रहा है। हमारे से तो कोई पूछता नहीं है, आज तक हमारे को कोई जानकारी नहीं है। हमने तो कुछ आठ-दस हैण्डपम्प खुदवाए हैं, मंत्री महोदय, जो हमारे फण्ड में से पैसे देकर खुदवाए हैं। आपके विभाग ने हमारी अभिशंसा पर एक भी हैण्डपम्प नहीं खोदा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी आप जवाब दें तो एक-एक विधायक को, दो महीने रह गये हैं, 30-30, 40-40 हैण्डपम्प तो उनकी अभिशंसा पर लगाने का निर्देश दें। इन अधिकारियों के भरोसे तो सही जगह पर हैण्डपम्प नहीं लग सकते, मंत्री महोदय, यह बात सही है। गई साल जो आपने मेहरबानी करके विधायकों की अभिशंसा पर हैण्डपम्प लगाने के निर्देश दिये, वे बिलकुल सही जगह पर लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : मैं उत्तर दूंगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पहले हमने एक दिसम्बर से यह काम शुरू किया था और अब हमने काम बहुत लेट शुरू किया। जब शुरू किया उस समय, माननीय सदस्य, आप यहां विधान सभा में आ गये थे इसलिए वह मामला जिस तरह से पिछले वर्ष हो सका था, वह काम हो नहीं सका। अब हमारी मंशा, हमारे अधिकारियों की मंशा बिना आपसे पूछे कोई हैण्डपम्प खोदने की नहीं है। हमारें को चूंकि युद्धस्तर पर काम करना था, आप यहां बिराज रहे थे इसलिए उन्होंने अपने तरीके से काम शुरू कर दिया।

श्री रमजान खान : ऐसी बात तो नहीं है मगर मैं इसमें जिद नहीं करता। विधायक फण्ड से 25 लाख रुपये मुझे मिले हैं और पूरे के पूरे हमने जलदाय के ऊपर समर्पित कर दिये। बारह महीने पहले हमारे काम स्वीकृत हुए, मैंने कहा कि हमारे यहां काम कराओ तो जलदाय विभाग के लोग कहने लगे, मंत्रीजी स्वयं कहने लगे हमारे नार्म्स में नहीं आते हैं, हम तो नहीं करवाएंगे। छह महीने उसमें निकल गये। फिर बाद में यहां से दुबारा आपका आदेश गया कि जो पी.एच.ई.डी. के नार्म्स में नहीं आते हैं उन कामों को पंचायत समिति से करवाओ। वह बहुत ही अच्छा हुआ परन्तु, मंत्री महोदय, इसके अन्दर एक टीस रह गई, उस पंचायत समिति के माध्यम से कराओ परन्तु टैक्निकल सैंक्शन पी.एच.ई.डी. से लो। छह महीने हो गये हैं उस आदेश को भी गये हुए, पर आपके पी.एच.ई.डी. के अफसरों के पास समय नहीं है और वे टैक्निकल सैंक्शन नहीं देते हैं इसलिए वह काम रुका हुआ पड़ा है। पंचायत समिति के पास जे.ईएन. है, ए.ईएन. है, जब पंचायत समिति को ही एजेंसी बना दिया तो होल सोल पावर पंचायत समिति को ही दे दो ताकि पंचायत समिति अपने माध्यम से जो आपके नार्म्स में नहीं आते हैं उन गांवों के अन्दर जलदाय योजना, जैसे रतनारामजी कह रहे थे, स्वीकृत करवा सके। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर कार्यवाही करेंगे।

पुष्कर सरोवर में हजारों मछलियों के जीवन को आपने बचाया, यह बहुत ही धर्मादे का काम है, इसके लिए पूरी जनता आपकी आभारी है। इसके स्थाई हल के लिए आपने 18 लाख रुपये मंजूर कर दिये, एक धार्मिक मामला है इसलिए कह रहा हूं, 18 लाख रुपये मंजूर कर दिये लेकिन आपके विभाग वाले इसलिए इस कार्य को नहीं करना चाहते हैं, मंत्री महोदय, कि बिजली का बिल कौन देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह धार्मिक स्थल है, विश्वविख्यात है, लेकिन बिजली का बिल नहीं देने के कारण पी.एच.ई.डी. वाले उस 18 लाख को काम में नहीं ले रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य आप मानते हैं कि यह हमारा काम नहीं है। हमने मानवीय दृष्टिकोण से यह कार्य किया है, हमारा काम नहीं है। पिछले वर्ष भी हमें करना पड़ा और इस बार भी आपके कहने से हमारे को करना पड़ा, पर हमारा काम नहीं है।

श्री रमजान खान : नहीं, मगर बिजली के लिए अगर आप नगर पालिका, पुष्कर को आपकी तरफ से लैटर लिख दें कि हम 18 लाख रुपये का ट्यूबवैल खोदेंगे, इसमें पानी

(श्री रमजान खान)

डाल रहे हैं और बिजली का बिल नगर पालिका, पुष्कर पे करे तो निश्चित रूप से आपके आदेश की पालना होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। पुष्कर की पांच स्कीम्स हैं जो पांच-पांच लाख रुपये से भी कम की हैं जो आपके चीफ इंजीनियर की पावर के अन्दर आती हैं- करनो, स्नान, बबायचा, काइपुरा और उटड़ा। ये बहुत लम्बे समय से चीफ इंजीनियर साहब के पास पड़ी हुई हैं। मैंने उनसे निवेदन किया है, पर शायद आपके निर्देशों का वे इन्तजार कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया चीफ इंजीनियर साहब को आदेश दें कि पांच स्कीम्स जो पांच-पांच लाख रुपये से भी कम की हैं, इनको स्वीकृत करके भेजें ताकि इस अकाल के टाइम में हमको फायदा मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने टाइम दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल राठौर। (अनुपस्थित) श्री घासीलाल मेघवाल। (अनुपस्थित) श्री मोहन लाल चौहान।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल व पेयजल समस्या के बारे में सदन में विचार हो रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो-दो मंत्रियों के जवाब होने हैं, साहब, शुरू करवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो साढ़े नौ ही बजे हैं, मैम्बर्स को कैसे रोकेंगे आप ? माननीय सहायता मंत्रीजी का यह कायदा है कि जिस रोज बहस होती है उस रोज ये जवाब नहीं देते हैं, नैक्स्ट तारीख में देते हैं।

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुदरत की अनोखी लीला है। कुदरत पर कोई काबू नहीं पा सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान हमेशा अकाल से जूझता रहा है, मैं इस सदन में सभी माननीय सदस्यों और सरकार से निवेदन करूंगा कि समस्या के स्थाई हल के लिए सदन को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहां जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को जाना नहीं चाहिए, बिराजना चाहिए।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : भोजन की व्यवस्था है, आप भी पधारें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो जाऊंगा नहीं, इनको खिला दो तो जाएं नहीं ये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की समस्या के स्थाई हल के लिए सदन का विचार करना चाहिए, सरकार को भी विचार करना चाहिए। कई वर्षों से हर साल अकाल पड़ता आया है उसे सदन को गम्भीरता से लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री काफी अनुभव रखते हैं।

(श्री मोहन लाल चौहान)

1985-86, 1986-87, 1987-88 में तीन साल तक लगातार राजस्थान में अकाल पड़ा, उस समय बहुत ही अकाल राहत कार्य करवाए। बिना भेदभाव के कराए। मैं उस समय लोक दल का एम.एल.ए. था लेकिन बिना भेदभाव के कार्य करवाए, सड़कें बनवाईं, टंकियां बनवाईं, ग्रेवल सड़कें बनवाईं, जी.एल.आर. बनवाए जहां पानी की समस्या है, डामर सड़कें बनवाईं। मैं अकाल राहत मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका अनुभव काफी है, आप जानते भी हैं, अकाल राहत कार्य में आप काफी मुकाबला कर सकते हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रामसिंहजी विश्नोई साहब भी अकाल राहत के कार्य में प्रयत्नशील हैं, काफी लगनशील हैं और पानी की समस्या के निवारण के लिए प्रयत्नशील हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मास्टर हैं।

श्री मोहन लाल चौहान : उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला नागौर में कुल 1470 गांव हैं जिनमें से 1457 गांव अकाल से पीड़ित हैं, अकाल की चपेट में हैं। अभी मार्च के महीने में 675 गांवों में नाड़ी, तालाबों की स्वीकृति दी गई है जिनमें 603 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किय गये हैं, 33503 मजदूर लगाये गये हैं। प्रत्येक पंचायत में एक-एक नाड़ी, तालाब दिये हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर पंचायत में चार या पांच गांव होते हैं, किसी में तीन गांव होते हैं, लेबर सीलिंग बहुत ही कम है। काम भी बहुत कम स्वीकृत किये गये हैं। नागौर जिला बहुत बड़ा जिला है, मेरा आपसे निवेदन है कि एक मई से मजदूरों की सीलिंग एक लाख की जाए ताकि मजदूरों को राहत मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तैयब हुसैन साहब हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, अभी वे जिले में आये थे 15 तारीख को और अकाल राहत कार्य की मीटिंग ली थी। मीटिंग में एक-एक कार्य और स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया गया। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक-एक पंचायत में एक-एक काम से पार नहीं पड़ेगी। एक लाख के काम के पीछे 40 मजदूर हैं आपने जबकि एक-एक पंचायत में तीन-तीन, चार-चार गांव होते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक-एक गांव में एक-एक कार्य खोले हैं तो मजदूरों की सीलिंग जो एक लाख के पीछे आपने 40 मजदूर कर रखे हैं, कम से कम 60 मजदूर एक लाख के पीछे किये जाएं। नागौर जिले में तो एक लाख मजदूरों की सीलिंग तय की जाए तो ही राहत मिल सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नाड़ी, तालाब आपने हाथ में लिए हैं, 10 साल से नाड़ी, तालाब नहीं खुदे थे। जो बड़े-बड़े तालाब हैं, साल भर उनमें पानी रहता है, नाड़ियों में भी पानी रहता है। आपने एक अच्छा काम किया जो मिट्टी निकलवा रहे हैं, इससे तालाबों में पानी का स्टोरेज होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। भौगोलिक स्थिति के कारण हमारे यहां बड़े-बड़े तालाब हैं, नाड़ी हैं लेकिन मैं अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि केवल नाड़ी-तालाबों से ही मजदूरों को राहत नहीं मिलेगी, हमारे जिले की भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारे

(श्री मोहन लाल चौहान)

यहां पर आप ग्रेवल सड़कें हाथ में लीजिए। जिन गांवों में नाड़ी-तालाब का कार्य चल रहा है, उसके अलावा अगर आप ग्रेवल सड़कें मंजूर करेंगे तो इससे मजदूरों को राहत मिलेगी। ग्रेवल सड़कें बननी जरूरी हैं क्योंकि आजकल गांवों में अतिक्रमण हो रहे हैं और रास्ते भी संकरे हो रहे हैं। इसलिए अतिक्रमण भी हटेंगे और सड़कें भी बन जाएंगी। आजकल गांवों में कोई भी गांव का आदमी पैदल नहीं चलता है, स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो बच्चे भी साइकिलों से जा सकते हैं इसलिए ग्रेवल सड़कें बनानी बहुत जरूरी है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मैटीरियल का जो 25 प्रतिशत किया है उसकी जगह 40 या 50 प्रतिशत मैटीरियल का तय कर दें तो ग्रेवल सड़कें बन सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अकाल राहत में 86-87-88-89 में काफी कच्चे बांध बनावाये गये थे, उन बांधों में अब मिट्टी भर गई है और जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं। उन कच्चे बांधों की तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये देकर सिंचाई विभाग के मार्फत खुदाई करवा दी जाए और मिट्टी की पाल बनवा दी जाए तो मजदूरों को भी राहत मिलेगी और इन बांधों में भी मजबूती आएगी। इन कच्चे बांधों में पानी का स्टोर होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में हर गांव में एक सांड होता है और हमेशा अकाल राहत के अन्तर्गत उनको अनुदान दिया जाता था। अब की बार सांडों के लिए भी कोई अनुदान की व्यवस्था नहीं की गई है। हर गांव के एक सांड...(व्यवधान) कहीं दो होते हैं, कहीं चार होते हैं। हर पंचायत में, हर गांव में एक-एक सांड है और नागौरी नस्ल के सांड हैं। इसलिए जो अनुदान आप पहले फेमिन में देते थे और गांव वाले व्यवस्था करते थे, उनको सांड अनुदान की व्यवस्था की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चारा डिपो की बात चल रही थी, हमारे नागौर जिले में कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, गौशालाएं वगैरह इस टाइप की हैं, वे स्वयंसेवी संस्थाएं भी चारा लाने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि पिछले अकाल में पंचायत समिति के मार्फत अगर आप चारा मंगाकर हर पंचायत समिति में पांच-छह-दस डिपो खोलकर चारा दे सकते हैं तो यह काम पंचायत समिति ही कर सकती है। प्राइवेट आदमी चारा लाने के लिए तैयार नहीं है, स्वयंसेवी संस्थाएं लाने को तैयार नहीं है, गौशालाएं लाने को तैयार नहीं हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि पंचायत समिति के माध्यम से चार डिपो खोले जाएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। नागौर जिला बहुत बड़ा है। हमारे एक निर्दलीय सदस्य ही बोलकर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो, बोलो।

श्री मोहन लाल चौहान : बहुत बड़ा जिला है, 1457 गांव अकाल से पीड़ित हैं। नागौर जिले में काफी कच्चे मकान हैं, वहां खूब अग्निकांड होते हैं। अभी कई जगह अग्निकांड हुए हैं। अग्निकांड हो जाते हैं तो उनके कच्चे मकान होते हैं, उनकी जीवन भर की अर्जित

(श्री मोहन लाल चौहान)

की हुई सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, पूरा जलकर स्वाहा हो जाता है। आप एक आदमी के पीछे 75 रुपये के हिसाब से उनको सहायता देते हैं, यह सहायता बहुत कम है। आज एक छान या झूपा बांधते हैं, कम से कम पांच हजार रुपये लगते हैं, तो मुख्य मंत्री कोष से अग्निपीड़ितों की सहायता के लिए आप राशि बढ़ाइए। मैं तो यह सुझाव देता हूं कि किसी का भी झोपड़ा जलता है या छान जल जाती है, एक चद्दरों की पेटी की व्यवस्था की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, पेयजल मंत्रीजी बिराजमान हैं। पिछली बार फेमिन में कुछ हैण्डपम्प सैंक्शन किये थे। अकाल राहत मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पेयजल की समस्या को हल करना है और तत्काल रिलीफ देनी है, जनता को पानी पहुंचाना है तो आप अकाल राहत के अन्तर्गत हर विधान सभा क्षेत्र में 30-30, 40-40 हैण्डपम्पों की सहायता दें ताकि जनता को पानी मिल सके। इसके सिवाय कोई जल्दी पानी के लिए व्यवस्था नहीं है। हैण्डपम्प जल्दी खुदने चाहिए। गर्मी का समय है, दो महीने भी बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। इसलिए अकाल राहत के अन्तर्गत आप हैण्डपम्प खुदवाएं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले के काफी गावं फ्लोराइडयुक्त हैं। उनके लिए आपने पिछली बार भी विधान सभा में घोषणा की थी कि 1400 करोड़ की लिफ्ट योजना से पानी देने के लिए योजना बनाई गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले में पेयजल का संकट आ रहा है, आप इस स्कीम को जल्दी मंजूर करवाकर फ्लोराइडयुक्त गांवों को पानी पहुंचाएं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोपाराम मेघवाल।

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रभारी मंत्रीजी आये थे, हमारे 86 नलकूप पहले से खोदे हुए थे...

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालाल नीनामा।

श्री मोहन लाल चौहान : 86 नलकूप खोदे हुए थे, अभी प्रभारी मंत्रीजी आये थे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री मोहन लाल चौहान : 86 में से 35 नलकूपों में अभी कनेक्शन हुए हैं ये काफी दिन से पड़े हुए हैं। हमारी नवाकापट्टी योजना है जिसमें 25 ट्यूबवैल खुदे हुए हैं। इसमें से पांच-दस कनेक्शन हुए हैं, बाकी में कनेक्शन नहीं हुए हैं। मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपकी स्कीमे सैंक्शड हैं उन पर तत्परता से कार्यवाही करवाई जाए। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे क्षेत्र में बहुत ही कार्य सैंक्शन करवाए हैं और पानी की समस्या भी हल की है। एक बात आपसे और निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न।

श्री मोहन लाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर जिले में तीन हजार बछड़े

(श्री मोहन लाल चौहान)

मूंडवा में हाई कोर्ट से स्टे के कारण रुके हुए हैं। इन बछड़ों की निकासी के लिए हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इन बछड़ों को मुक्त नहीं कराएंगे, 20-20, 25-25 हजार की जोड़ी है, 15-15 हजार की जोड़ी के बछड़े हैं, अगर इनको आप जल्दी से मुक्त नहीं कराएंगे और निकासी के लिए, बाहर ले जाने के लिए प्रतिबन्ध नहीं हटाएंगे तो हमारे मेले भी बन्द हो जाएंगे और पशुपालकों को भारी नुकसान होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाराम मेघवाल।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के 26 जिले अकाल की चपेट में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अपने जिले की बात कर लो जल्दी से।

श्री गोपाराम मेघवाल : मैं बाड़मेर जिले की ओर आपकी मार्फत अकाल सहायता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर ज़िले में दूसरी बार भयंकर अकाल है। भयंकर अकाल के अंदर पीने के पानी की, पशुओं को बचाने के लिए चारे की और लोगों के लिए रोजगार की बहुत आवश्यकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए अकाल राहत के कार्य जिले में चल रहे हैं, चारा डिपो की व्यवस्था भी की हुई है, लेकिन वर्तमान में जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वे अपर्याप्त हैं। अकाल पड़ता है तो ये जो दो महीने होते हैं मई और जून के, वे लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक होते हैं। बाड़मेर जिले के अन्दर 1987-88 में लगातार दो बार अकाल पड़ा तो उस समय भी बाड़मेर जिले में श्रमिकों की संख्या एक लाख के करीब रखी गई थी लेकिन इस बार अभी तक 45 हजार लेबर बाड़मेर जिले में लगी हुई है। अभी 23 तारीख को मुख्य मंत्रीजी जब अकाल के दौरे पर पधारे थे तो वापस पधारने के बाद मालूम हुआ कि 60 हजार लेबर स्ट्रैंथ कर दी है। लेकिन सहायता मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इन दो माह के लिए यदि एक लाख मजदूर भी बाड़मेर जिले में लगाएं तो भी कम हैं क्योंकि बाड़मेर जिले की जनसंख्या अधिक है और वहां पर संसाधन सीमित हैं, दूसरा कोई रोजगार नहीं है।

बाड़मेर पूरा जिला बरसात के ऊपर ही आधारित है इसलिए इस भयंकर अकाल को देखते हुए मैं माननीय सहायता मंत्रीजी को सुझाव दूंगा कि बाड़मेर ज़िले के अन्दर तालाब की खुदाई हो। अभी कई माननीय सदस्यों ने बताया कि तालाब की खुदाई उपयोगी नहीं है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक-एक साल तालाबों के अन्दर पानी रहता है, नया और पुराना पानी इकट्ठा होता है। ऐसे तालाबो के घाट बंधाये जाएं और उन पारम्परिक स्रोतों को और मजबूत किया जाए, खुदाई की जाए तो पीने के पानी का प्रबंध काफी अच्छे तरीके से हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, खडीन के काम भी कराए जाएं, इसमें भी मजदूरों की संख्या काफी कुछ बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद जो छोटे-छोटे बांध हैं, पहाड़ी क्षेत्र या जहां पर भी छोटे-छोटे सिंचाई के बांध बनाये जा सकते हैं उससे कुओं का जलस्तर भी बढ़ता है, पीने

(श्री गोपाराम मेघवाल)

के पानी की व्यवस्था भी हो जाती है और कभी-कभी इससे सिंचाई भी कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के अन्दर लूणी नदी आई हुई है, लूणी नदी जब भी बरसात के दिनों में बहती है तो नदी के किनारे के जो गांव बसे हुएं हैं और जो भी कुएं की कीमती जमीनें हैं वे पानी में बह जाती हैं। मैं सहायता मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि लूणी नदी के किनारे बसे गांवों की रक्षा के लिए इस अकाल राहत के मार्फत तटबंदी कराई जाए तो इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बरसात के दिनों में उस नदी के बहाव के कारण कीमती जमीन का नुकसान भी नहीं होगा।

इसके साथ मेरा इस अकाल में एक सुझाव है। इस भयंकर गर्मी में बाड़मेर जिले का तापमान जब 45 डिग्री के आसपास चल रहा है, मजदूरों को इस धूप में टास्क के बेसिस पर मजदूरी दी जाती है। आपने अभी 44 रुपये से बढ़ा कर 60 रुपये दिये लेकिन इसकी मजदूरी की जो टास्क है वह 1.65 क्यूबिक मीटर पर 60 रुपये दिये जाते हैं। उसमें लीड और लिफ्ट भी साथ है। एक मजदूर एक तगारी में मिट्टी खोद कर उसको 100 फीट दूर ले जाकर डालता है तो आप उसको 60 रुपये देते हैं। वैसे ही यह दूसरा अकाल है और इस अकाल में श्रमिक की जो काम करने की क्षमता है वह काफी कमजोर हो चुकी है वैसे ही राहत कार्य है, तो टास्क में यदि 25 परसेंट राहत देते हैं लीड, लिफ्ट और काम करने में तो मजूदरों को करीब 45 और 50 रुपये मजदूरी मिल जाएगी और वह अपना जीवन यापन अच्छी तरह से इस अकाल में कर सकेगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इस मजदूरी के साथ में पानी और पखाल का लेबर चार्ज के ऊपर आपने चार्ज करवाया है। 100 मज़दूर एक तालाब पर लगे हुए हैं, वे काम करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन उनको पानी तो पिलाना ही पड़ेगा। तो पानी का मजदूरों से या श्रमिक की मजदूरी से या टास्क से कोई लेना-देना नहीं रहना चाहिए। उनमें तो पानी की टंकी की यदि स्थाई रेट कर दी जाए, जो बी.एस.आर. की दर है पानी की टंकी के लिए 100 रुपये और पखाल की 80 रुपये, तो श्रमिकों को पानी पीने के लिए सही और समुचित व्यवस्था हो जाएगी और पानी की टंकी या पखाल का भी जो मालिक है वह आराम से मजदूरों को पानी पिलाने के लिए लगा पाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप द्वारा पानी की टंकी और पखाल की रेट स्थाई रूप से कर दी जाए।

तीसरा, मैटीरियल कम्पोनैंट के जो काम आपने स्वीकृत करने के लिए कहे हैं उमसें 25 परसेंट रखा है। सहायता मंत्रीजी, ग्रेवल सड़कें यदि आप बनाएंगे तो जो ग्रेवल क्वारियां हैं वो हमारे बाड़मेर जिले में 50-50 किलोमीटर दूर हैं। उन सड़कों पर ग्रेवल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 25 परसेंट पर नहीं होगा। आपसे निवेदन करते हैं कि बाड़मेर जिले के लिए तो कम से कम 50 परसेंट मैटीरियल कम्पोनेंट करेंगे तो जो छोटी-छोटी ग्रामीण सड़कें हैं वे भी बन जाएंगी और लोगों को आवागमन के लिए साधन भी मिलेगा।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैटीरियल कम्पोनेंट के मार्फत जो पक्के काम कराए जाते हैं उसमें स्कूलों के भवन

(श्री गोपाराम मेघवाल)

बनाए जाएं। स्वर्ण जयंती पाठशाला जो आपने स्वीकृत की गत वर्ष, एक-एक भवन उसका बना लिया गया लेकिन अभी तक एक पंचायत में दो-दो स्वर्ण जयंती स्कूल खेजड़ों के नीचे या झापों में चल रही है, गरीब बच्चे इस धूप के अन्दर पढ़ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अकाल राहत के मार्फत आप इन स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के भवनों का निर्माण कराएं। इसके साथ गत वर्ष वहां पर स्कूलें तो बन गईं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप यह अनिवार्य करें इस अकाल राहत के मार्फत कि जिन स्कूलों में हैण्डपम्प नहीं खोद सकते वहां पर पानी का टांका बनाया जाए और जहां हैण्डपम्प से पानी उपलब्ध है वहां पर हैण्डपम्प खुदाया जाए। वहां पर मिडिल स्कूल है या सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है वहां पर स्थाई रूप से पानी का स्रोत करने के लिए मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक बड़ा अंडर ग्राउंड, सी.डब्ल्यू.आर. यदि प्रत्येक स्कूल में बना दें और बरसात का पानी उसके अन्दर ले लिया जाए तो स्कूलों में 6 माह के लिए बरसात का पानी हो जाएगा और जब भी गांव वालों को भी जरूरत पड़ेगी उस बड़ी सी.डब्ल्यू.आर. में से गांव वाले भी उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। यह पैसा यदि उसमें लगाएंगे तो वह गांव वालों और स्कूल के बच्चों के हित में रहेगा।

चारे के लिए मैं सहायता मंत्रीजी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि बाड़मेर जिले में चारा डिपो समय पर खोल दिये गये, अभी भी जहां-जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां-वहां आप चारा डिपो खोल रहे हैं और चारे की व्यवस्था बराबर हो रही है। पेयजल के बारे में मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न पेयजल।

श्री गोपाराम मेघवाल : पेयजल की योजनाएं बाड़मेर जिले में काफी अच्छे तरीके से स्वीकृत हैं, जल स्तर नीचे जाने के कारण कंटिन्जेंसी प्लान में भी स्कीम मंजूर की। विशेषकर मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र में जलदाय मंत्रीजी ने कम से कम 25 छोटी-छोटी स्कीम्स मंजूर करके क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाई, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इसके स्थाई समाधान के लिए वर्तमान में आप जोधपुर लिफ्ट केनाल से लूणी के लिए जो जल योजना बना रहे हैं, उसके साथ सिवाना विधान सभा क्षेत्र के करीब 50 गांवों को यदि आप शामिल करेंगे तो भविष्य में इन खारा पानी वाले गांवों की समस्या का समाधान निकल जाएगा। इन गांवों को यदि मीठा पानी आप स्कीम के मार्फत पिलाएंगे तो हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, दिन भर की चर्चा के अन्दर, यही बात आई कि राम रूठ गया और केन्द्र का राज भी रूठ गया लेकिन राजस्थान के लौह पुरुष,आदरणीय अशोकजी गहलोत का राज नहीं रूठा। याद है वह 1987-88 का जमाना जब आदरणीय अशोकजी गहलोत के अनुरोध पर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

गांधीजी 1987-88 के अन्दर अकाल पड़ा था तो पूरे राजस्थान के अन्दर सड़क मार्ग द्वारा अकाल से रूबरू हुए थे और 850 करोड़ रुपये राजस्थान को देकर उन्होंने पीड़ित जनता को अकाल से निजात दिलवाई और 20 लाख लोगों को रोजगार दिलवाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान समय के अन्दर केन्द्र में भाजपा की सरकार है। जब हम लोगों ने 14 महीने पहले सत्ता संभाली उस समय 50 हजार श्रमिक संख्या राजस्थान के अन्दर थी और 960 करोड़ का प्लान बना कर केन्द्र की सरकार के सामने भेजा। वहां से आश्वासन मिला उस आधार पर 50 हजार श्रमिक संख्या को बढ़ाकर आदरणीय अशोकजी गहलोत ने राजस्थान की जनता जनार्दन के लिए संवत् 2055 के अकाल से निजात पाने के लिए उसे पांच लाख किया।

(22.00 बजे)

लेकिन केन्द्र से धोखा हुआ और 960 करोड़ रुपये की एवज में मात्र 21 करोड़ रुपया मिला। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने संवत् 2055 और 56 के अकाल से निजात पाने के लिए अपनी दूसरी संस्थाओं के मद में कटौती कर 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही है कि 2056 और 57 का वर्तमान में जो अकाल चल रहा है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय श्री अशोकजी गहलोत ने 1145 करोड़ रुपये का बनाकर फिर केन्द्र की भाजपा सरकार के सामने रखा जिसमें मात्र 103 करोड़ रुपये अभी मिले हैं, संभावना नहीं लगती कि आगे कुछ मिल पाएगा। फिर भी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने वर्तमान में पूरे राजस्थान में चार लाख श्रमिकों की संख्या बढ़ा रखी है।

अजमेर जिले के अन्दर 1053 गांव अभावग्रस्त घोषित हैं उनमें से 1036 गांवों के अन्दर वर्तमान में अकाल के कार्य चल रहे हैं। आदरणीय प्रभारी मंत्रीजी अजमेर पधारे तब वहां 25 हजार श्रमिक संख्या थी उसको बढ़ा कर तीस हजार किया और तमाम जन प्रतिनिधियों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए 30 हजार से रातोंरात 40 हजार श्रमिक संख्या बढ़ाई। इसके लिए हम राजस्थान की कांग्रेस सरकार और आदरणीय अशोकजी गहलोत के आभारी हैं। समय-समय पर जून माह तक एक लाख श्रमिक संख्या बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि 1053 गांवों में से 1036 गांव जो अभावग्रस्त घोषित हैं उनके अन्दर लोगों को राहत मिलेगी। इसके अन्दर मेरा निवेदन है सिंचाई विभाग के माध्यम से जो कार्य स्वीकृत हैं, कृषि की चाही जमीन है या बारानी जमीन है, चाही जमीन के अन्दर जिन कुओं का जल स्तर नीचे चला गया उनको खुदवाने के लिए अकाल का पैसा खर्च किया जाए और जिनकी बारानी जमीन है उनके अन्दर कुएं खोदने की स्वीकृति जारी करें तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वहां का किसान खुशहाल बनेगा। मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर फ्लोराइड जोन है, यहां अकाल का पैसा पी.एच.ई.डी. को दे दिया जाए तो विधान सभा क्षेत्र के अन्दर प्रत्येक गांव, मजरे और ढाणी जो फ्लोराइडयुक्त हैं वे सब जगह बीसलपुर की पेयजल की योजना के माध्यम से पेयजल से लाभान्वित होंगे। इसके लिए सिंचाई विभाग का पैसा पेयजल विभाग

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां अकाल के काम चल रहे हैं, हमने पिछली मीटिंग के अन्दर भी यह बात रखी जब प्रभारी मंत्री पधारे थे, अभी भी यह चाहूंगा कि पुख्ता व्यवस्था हो जाए। मैं यह भी चाहूंगा कि जहां फेमिन के वर्क चल रहे हैं वहां एक मोबाइल वैन में दवाएं वगैरह रहें। वहां पर श्रमिकों को पीलिया की बीमारी हो, डायरिया की बीमारी हो या उल्टी दस्त की बीमारी हो तो मौके पर ही दवाओं का वितरण हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। पशु चिकित्सालय मुख्यालय के लिए भी डाक्टर को जरा आप पाबन्द कराएं कि मुख्यालय के ऊपर दवाएं/वेक्सीन पर्याप्त मात्रा में रहें ताकि कहीं पर भी पशुधन की हानि नहीं हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में ऋण वसूली की जा रही है, लोगों की कुडकियां की जा रही हैं। कोआपरेटिव बैंक एक्ट के तहत ऋण वसूली चल रही है, मैं चाहूंगा कि जब तक अकाल राहत के काम चल रहे हैं तब तक इसको स्थगित किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पेयजल की समस्या का सवाल है, मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से सदन को अवगत कराया था और माननीय मंत्रीजी को भी, कि केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के पास बीसलपुर की जो योजना है उसमें मेरे क्षेत्र के 17 गांव डूब क्षेत्र में आते हैं। बीसलपुर योजना की भराव क्षमता 315 क्यूबिक मीटर है लेकिन आज यह 306 क्यूबिक मीटर पर आकर अटक गई केवल मात्र मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के 17 गांवों के कारण जिनको मुआवजा नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा कि 17 गांव जो डूब क्षेत्र में आ गये हैं उनको मुआवजा देकर बरसात आने से पहले ही विस्थापित कर दिया जाए ताकि 315 क्यूबिक मीटर की भराव क्षमता का हम लोग पूरा सदुपयोग कर सकें।

श्री रामसिंह विश्नाई : मुआवजा दे दिया गया है। वे जा नहीं रहे हैं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निरन्तर उन लोगों के बीच में रहा हुआ हूं, कलेक्टर महोदय और एस.डी.ओ. के माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष : इनसे बहस मत करो आप, आपका नुकसान हो जाएगा। आपकी मदद करेंगे ये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, उनकी किस्म की जमीन के अनुसार मुआवजा नहीं मिला है। उनकी किस्म है चाही जमीन और मुआवजा दिया जा रहा है बारानी जमीन के अनुसार। अभी तक उन्होंने उनके मुआवजे को एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि बैठकर आपसी सामंजस्य के माध्यम से 17 गांवों के डूब क्षेत्र में आने वालों को दूसरी जगह विस्थापित करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर की जो पेयजल योजना है उसकी भराव क्षमता 315 क्यूबिक मीटर है और उसमें सबसे पहले हक बनता है मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र का क्योंकि केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की छाती को चीरकर ही वह पानी इकट्ठा होता है। इसलिए केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, मजरे और ढाणी को पानी मिले, इसकी एक समुचित व्यवस्था की जाए। इसका सर्वे करवाकर मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र को सबसे पहले पानी दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहला हक तो टौंक का बनता है, दूसरा हक आपका है।

श्री उपाध्यक्ष : ये बता देंगे। हैं न आपको अभी, ये सब बता देंगे। आप चिन्ता मत करो। आप समाप्त कीजिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, फिर दूसरा हक बनता है अजमेर जिले का। सिर्फ एक मिनट लूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : ये मान लो चले जाएं, साहब। केकड़ी और टौंक को तो लाभ दिया जा चुका है और आपकी स्कीम मंजूर हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाओ, नहीं तो यह बन्द हो जाएगी स्कीम।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार आपने नागौर जिले की स्कीम मंजूर की थी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। (व्यवधान) बिलकुल की थी। मैं मना कर रहा हूं क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) 1100 करोड़ रुपये की घोषणा आपने की थी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप कहो तो मैं जयपुर को छोड़कर नागौर की कर दूं ? आप बोल दीजिए। जयपुर की 1100 करोड़ की स्वीकृत की है, सदन कहे तो उसकी एवज में वह कर दूं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, कर दीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप प्रस्ताव कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नागौर में बांका पट्टी है इसलिए नागौर की कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जहां अभी पीने के पानी की किल्लत है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य खतम हो गया, बिराजें। हो गया बहुत पेयजल का, आपको बहुत देर हो गई। माननीय मंत्रीजी ने कहा दिया न । सब मंजूर हो गई, और क्या चाहिए आपको?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की जहां किल्लत है 50 गांवों के अन्दर...(व्यवधान) एक करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी सिंचाई के अन्दर जा रहा है जहां पेयजल की किल्लत है। आदरणीय प्रभारी मंत्रीजी वहां पधारे तब उन्होंने कहा कि मैं जाते ही मुख्य मंत्रीजी से मिलकर योजना पर रोक लगवा दूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले पेयजल के लिए रोक लगे।

श्री उपाध्यक्ष : बीसलपुर को समझना बहुत भारी काम है, बिराजें आप।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ...(व्यवधान) सिंचाई के लिए पानी की जो चोरी हो है उसको रुकवाया जाए और जगह-जगह जो लीकेज हो रहा है उस पानी को रुकवाया जाए। अजमेर जिले के अन्दर जो मोटरें जल जाती हैं उनका ठेका दिया हुआ है सांभर के अन्दर। आठ-आठ महीने तक मोटर वहां से तैयार होकर नहीं आती है इसलिए मैं चाहूंगा कि उस ठेके को रद्द कर दिया जाए, अजमेर जिले के अन्दर मोटर की रिवाइन्डिंग करने वाले बहुत जने हैं। मोटर जल जाती हैं तो एक्स्ट्रा तो इनके पास है नहीं, 10-15 दिन में रिवाइन्डिंग हर कुएं के अन्दर लग जाए ताकि लोगों को इए भीषण गर्मी के अन्दर अकाल से राहत मिले। इसिलए मैं चाह रहा हूं कि ठेकेदार के माध्यम से जिस प्रकार से पानी की लीकेज सिंचाई के माध्यम से चोरी हो रही है उसको रोका जावे। पीने के लिए पानी नहीं है और टौंक जिले को एक लाख गैलन रोज का पानी दिया जा रहा है, उस पर तुरन्त प्रभाव से रोक लागाई जाए। अजमेर के अन्दर पेयजल की किल्लत है। आपकी जो बीसलपुर योजना बनी हुई है वह अजमेर को पानी देने के लिए बनी है (व्यवधान) इसलिए करबद्ध प्रार्थना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि केकड़ी और सरवाड़ शहर के अन्दर जो पी.एच.ई.डी. के कनेक्शन हैं वह नहीं काटें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा। बाबूलालजी, बिराजें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : वह दे दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अनूसुचित जाति और जन जाति तथा माइनोरिटीज की बात है, आपस में सामंजस्य बैठाकर उनको भुगतान कर दिया जाए ताकि पी.एच.ई.डी. के कनेक्शन नहीं काटे जाएं। धन्यवाद।

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला जयपुर पूरा का पूरा अकाल के तहत ग्रसित है। पूरे जयपुर जिले में कार्य प्रारम्भ करने के लिए बार-बार निवेदन किया गया लेकिन कार्य बड़ी मुश्किल से 15 दिन पहले स्वीकृत जरूर किये गये लेकिन उनमें से आधी से भी कम पंचयातों को मस्टररोल दिये गये हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आदेश जारी करें कि सभी पंचायतों को एक तो मस्टररोल जारी किये जाएं। दूसरा, जो कच्चे कार्य पंचायतों को दिये गये हैं उन कच्चे कार्यों के साथ-साथ पच्चीस परसेंट मैटीरियल देने की भी घोषणा आपने की है। वह पच्चीस पर्सेट मैटीरियल भी उन पंचायतों को जारी करने के आदेश जारी किए जाएं क्योंकि अब तक उनको मात्र कच्चे कार्य करने के आदेश ही आपने जारी किये हैं।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिला जयपुर में पंचायत समिति चाकसू और पंचायत समिति फागी सबसे भयंकर रूप से अकालग्रस्त घोषित हैं इनके चौथे हिस्से से भी कम हिस्से में थोड़ी बहुत फसल हुई है उसके बावजूद भी इन दोनों पंचायत समितियों को अभी तक कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्राथमिकता से चाकसू और फागी को स्वीकृत कर कार्य करवाने के आदेश जारी

(श्री कन्हैया लाल)

करें। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, उसके बावजूद यह मानते हुए कि राजस्थान की राजधानी है, इसके अन्दर मात्र दस हजार की सीलिंग आपने दी है जो बहुत कम है। यहां पर ज्यादा भी नहीं तो कम से कम यदि पचास हजार की सीलिंग होगी तब जाकर कोई राहत मिलेगी। जयपुर जिले में दस हजार से तो प्रति गांव मात्र दो व्यक्ति ही काम कर पाते हैं। जयपुर जिले में अगर लाख नहीं तो पचास हजार की सीलिंग नहीं होगी जब तक पूरी तरह से ग्राम पंचायत वाले अपना कार्य नहीं कर पाएंगे।

साथ ही टास्क की जो पाबन्दी है, यह बात सही है कि सभी माननीय सदस्यों ने यहां मांग भी की है। जहां पर काठी जमीन है, भयंकर गर्मी है, जब मजदूर कार्य करता है तो वह पूरा कार्य नहीं दे पाता। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार काम करने के बावजूद भी वह नहीं कर पाता और फिर टास्क के आधार पर उस कार्य को नापा जाता है तो उसको या तो बीस रुपये मिलते हैं या पच्चीस रुपये उसके बन पाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पाबंदी को तो हटाया जाए। वह सवेरे 8.00 बजे से लेकर शाम को 5.00 बजे तक उस खड्डे में लगा रहता है उसके बावजूद उसको बीस या पच्चीस रुपये मिल पाते हैं जिससे उसके परिवार का पालन-पोषण करने में वह बहुत ही असमर्थ है।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पच्चीस प्रतिशत सड़कों पर ग्रेवल करने के लिए राशि आपने दी है उसमें आपने ऊंटगाड़ी को लेबर में नहीं लिया है। बैलगाड़ी का इस समय कहीं नाम नहीं है, ऊंटगाड़ियां ही हैं घर घर में। कोई सा ऐसा घर नहीं है जिसमें एक या दो ऊंटगाड़ी नहीं हो। अकाल के तहत अब कोई फसल का काम नहीं है, कोई उनके पास कामकाज नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं, ऐसे में इन ऊंटगाड़ियों को मैटीरियल में नहीं लेकर लेबर में ले लिया जाए तो इनसे आपका पच्चीस प्रतिशत कार्य हो सकता है। जो ग्रेवल मजदूर वहां निकालते हैं लेबर में, उसे ट्रक से, ट्रोलियों से भी सस्ती रेट में ऊंटगाड़ी लाकर मौके पर डाल दे तो अकाल राहत के तहत जो सड़कों का कार्य, मिट्टी का कार्य होता है और जो हमेशा आंधी आती है और आधे-पड़दे उड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति नहीं हो। पूर्व में भी इनको लेबर में ही माना जाता था लेकिन अब इनको मैटीरियल में आपने कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको लेबर में अगर कर दिया जाए तो बहुत सारा काम पंचायतों में हो रहा है और काम भी बहुत दिखेगा, ग्रेवल भी वहां पड़ जाता है। नहीं तो पच्चीस प्रतिशत में इतना कार्य होने वाला नहीं है।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिले में कोई ऐसी पंचायत समिति नहीं है जहां पर सड़क टूटी हुई नहीं है। सारी सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि और कोई स्कीम में नहीं दे सकते हैं तो अकाल राहत के तहत जो टूटी हुई सड़कें हैं उनकी मरम्मत कराने के आदेश भी जारी करवाये जाएं।

साथ ही मेरा निवेदन है कि जिला जयपुर और जिला दौसा में हजारों गायें ऐसी हैं जो

(श्री कन्हैया लाल)

आवारा हैं और जिनका कोई धणी-धोरी नहीं है। लोगों ने खोल कर अपने घरों से निकाल दी हैं। अब तक अपन यह जानते हैं कि बाड़मेर में, नागौर में या उधर ही इस प्रकार के पशु होते हैं, जानवर होते हैं जिनको लोग चारे के अभाव में छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूं, जयपुर और दौसा जिले में भी हजारों की संख्या में गायें हैं जो इधर-उधर चक्कर काट रही हैं। उनमें कोई एक्सीडेंट में खतम होकर सड़कों पर पड़ी हुई हैं या कहीं तड़प-तड़प कर बीमार हो जाती हैं या कुछ और टांगें टूट जाती हैं तो वह पड़ी हुई हैं। अभी बस्सी क्षेत्र में नई का नाथ जो स्थान है जो दौसा जिले और जयपुर जिले के बीच में है, वहां पर हजारों की संख्या में गायें इधर-उधर धक्के खा रही हैं। अब तक तो फिर भी थोड़ा बहुत चारा था वह खा लेती थीं लेकिन अब चारे की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन आवारा गायों के लिए भी अकाल के तहत चारे की व्यवस्था की जाए तो यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्य होगा। इससे उन गायों की जान बचाई जा सकती है।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कच्चे कार्य आप अकाल राहत में दे रहे हैं लेकिन इसमें जल संरक्षण के जो कार्य कराये जा रहे हैं वे कार्य करीब-करीब बंद कर रखे हैं सिंचाई विभाग ने। अगर ऐसे कार्य इसके तहत दिये जाते हैं तो वे कार्य गांव की पंचायत के माध्यम से कराए जाएं, तो कार्य बहुत अच्छी तरह से और ज्यादा हो सकते हैं।

दूसरा, अकाल राहत के तहत ग्रेवल जो पहाड़ से निकालते हैं, वह कार्य आप दो महीने बाद बंद कर उसे लाखों रुपये की लेबर लगाकर वहां पर इकट्ठा कर लेते हैं और जब कार्य बंद हो जाता है तो वह मौके पर छोड़ दी जाती है। यह हर बार होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के आदेश हों कि अकाल राहत बंद होकर वहां पर जो सामान पड़ा है, जिसको खुर्द-बुर्द कर देते हैं या लोग ले जाते हैं, वह सामान कम से कम उस सड़क के ऊपर आ पड़े। वहां पहाड़ पर ही वह कवरेज ले तो जो लाखों की लेबर लगाई है वह वहां पर पड़ी नहीं रह जाए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के तहत चारा उगाने के लिए किसानों ने हजारों की संख्या में कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी। चारा योजना के अन्तर्गत लोगों के फार्म तो भरवा लिये आपने लेकिन चारा उगाने के लिए एक भी कनेक्शन आपने जारी नहीं किये। मैं निवेदन करूंगा कि अकाल की स्थिति से अगर मुकाबला करना है तो इन कनेक्शनों को आप प्राथमिकता से देने का कष्ट करें।

साथ ही मैं पेयजल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में वाटर लेवल साठ प्रतिशत नीचे चले जाने की वजह से आज सारे हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं, उन हैण्डपम्पों को ठीक करने के लिए मात्र पाइप की ही व्यवस्था आप कर दें। आज पंचायत का सरपंच दर-दर भटक रहा है, उस क्षेत्र के अन्दर वहां के हैण्डपम्प मिस्त्री ठीक करने के लिए तैयार हैं लेकिन पाइप की व्यवस्था नहीं है। जो हैण्डपम्प खराब पड़े हैं उनमें करीब बीस फीट या तीस फीट पाइप लगाने की आवश्यकता

(श्री कन्हैया लाल)

है। अगर पाइप की भी व्यवस्था वहां कर दी जाए तो हैण्डपम्प आधे से ज्यादा ठीक हो सकते हैं और काफी बचत सरकार की हो सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा 2200 हैण्डपम्प जयपुर जिले में स्वीकृत हैं लेकिन जिनको अब तक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। कोई-सी भी मीटिंग हो जिले की, हर मीटिंग में वे 2200 हैण्डपम्प जो स्वीकृतशुदा हैं, उनको लगाने के लिए बार बार कहा जाता है लेकिन लगाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में जो स्वीकृतशुदा हैण्डपम्प हैं कम से कम उनको तो लगाने के आप आदेश जारी करें।

पेयजल स्कीमों के जो कनेक्शन थे उन कनेक्शंस को बिजली विभाग द्वारा पैसे के अभाव में काट दिया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कूथाड़ा है, कूथाड़ाकला है, हरड़ी है, बेनाड़ा है, बड़ेरी है, ऐसे कनेक्शनों को काट दिया गया है। इस समय अकाल के वक्त में उनको कनेक्शन नहीं काटने चाहिए थे। विभाग को आदेश देकर उनके कनेक्शन वापस जुड़वाये जाएं जिससे वहां पर पानी की व्यवस्था हो सके।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टंकियां प्लिंथ लेवल पर बनाई जा रही हैं, आपने जमीन पर टंकियां बनाने के आदेश दे रखे हैं। एक गांव करीब 2 किलोमीटर में है, एक जगह आप टंकी बना कर दे रहे हो या बीच में टंकी बनाते हो तो किसी भी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि वह पानी भरने के लिए बार-बार वहां आ जाए। सारे के सारे गांव वाले उसे ऊंची कराने के लिए, 10 फीट या 15 फीट कराने के लिए विभाग को पैसा जमा कराने को तैयार हैं तो आप नीचे जमीन पर नहीं बना कर उस पेयजल स्कीम की टंकी को ऊपर बनाएं। यह एक गांव की मांग नहीं है, सारे गांवों की मांग है। वहां हैण्डपम्प की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उदाहरण दे सकता हूं मेरे करड़वासी गांव है चाकसू में, उस गांव में लोगों ने अपने स्तर पर इस प्रकार की जबरदस्ती करके टंकी ऊंची बना ली और पूरे गांव में घर-घर में कनेक्शन दे दिये। आपने आबादी एक आड़े ले रखी है कि इतनी आबादी होगी तो ही कनेक्शन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब आप जाकर देखें, गावं वालों ने अपने स्तर पर 80000 रुपये लगा दिये और प्रति व्यक्ति मात्र 10 रुपये घर से वसूल करते हैं। वहां 900 की आबादी है, 900 की आबादी में सारे घरों में कनेक्शन है बल्कि पानी टाइम टू टाइम आ रहा है। तो अगर गांव वाले आपको पैसा जमा करवाने को तैयार हों 25000 या 15000 तो आप क्यों नहीं आदेश देते हैं कि ऊपर टंकी को बना दिया जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे आदेश अगर आप दे दें तो गांव वालों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा और आपके हैण्डपम्प की परेशानी भी दूर हो जाएगी। ऐसे छोट-छोटे गांव जहां गांव वाले चाहते हैं कि एक ट्यूबवैल लग जाए, वहां मात्र 65-70 हजार का मय पम्प सैट के खर्चा आता है और एक छोटी टंकी पौने दो लाख या दो लाख में बन कर तैयार हो जाती है। पौने तीन लाख, तीन लाख रुपये में छोटे गांव में टंकी बनता है, आप हैण्डपम्प चाहे लगाएं या

(श्री कन्हैया लाल)

नहीं लगाएं उसके बाद। गांव वाले अपने लेवल पर उसको लेते हैं, गांव वाले भविष्य में उसका खर्चा जमा कराने को तैयार हैं और फिर ऐसी जगह एम.पी. फण्ड से या एम.एल.ए. फण्ड से पैसा दिया जाता है तो आपके विभाग को उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। गांव वाले अगर चाहें तो ऐसी स्कीम को आपको दे देना चाहिए, जो पैसा एम.एल.ए., एम.पी. फण्ड में से दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री कन्हैया लाल : एक मिनट और लूंगा।

हैण्डपम्प मिस्त्री जो पंचायत समिति में आपने दे रखे हैं, उनकी भली प्रकार से कार्य करने की क्षमता है। हैण्डपम्प ठीक नहीं होंगे तो बदनाम तो होगा पी.एच.ई.डी. और पंचायत समिति के माध्यम से जो हैण्डपम्प मिस्त्री हैं, काम किस प्रकार से होता है उनका, उसकी देखरेख के लिए कोई तकनीकी अधिकारी नहीं है इसलिए उन्हें पी.एच.ई.डी. ए.ईएन. के अण्डर में दे दिया जाए या आपके विभाग में ले लिया जाए, मैं कह रहा हूं, आधे से ज्यादा हैण्डपम्प खराब होने की समस्या दूर हो सकती है।

साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि फ्लोराइडयुक्त गांवों में एक यंत्र पानी को मीठा करने का आप लगा रहे हैं जिस पर लाखों रुपये विभाग खर्च कर रहा है। उसमें से एक भी यंत्र सक्सेस नहीं है। क्यों बिना वजह सरकार के पैसे खर्च किये जाते हैं ? जहां भी लगाये हैं, चार-पांच चाकसू में लगे हैं, एक सांगानेर में लगा था, एक भी अगर सक्सेस हो तो आप बताइये। ऐसे को काहे को लगाते हैं आप ? क्यों खर्चा करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र जाड़ावत।

श्री कन्हैया लाल : साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक शालाओं में जहां हैण्डपम्प नहीं लगे हुए हैं, ऐसी कई शालाओं में गांव वालों ने पानी की समस्या को देखते हुए हैण्डपम्प लगा दिये। और उसके बाद विभाग से भी वे स्वीकृत होकर आ गये, तो मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी जगह एक्स.ईएन. साहब को या एस.ई. साहब को ये अधिकार दे दिये जाएं कि उस हैण्डपम्प को या तो पड़ोस की प्राथमिक शाला में लगा दिया जाए या उसी गांव की बड़ी आबादी की ढाणी जहां हैण्डपम्प की आवश्यकता हो, दूसरी ढाणी का हैण्डपम्प था और उसको स्कूल में लगा दिया हो, ऐसी जगह उसको लगा दिया जाए। आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी का, राजस्थान सरकार के अकाल राहत मंत्रीजी का और राजस्थान सरकार के पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभारी हूं कि पिछले वर्ष चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से अकाल की चपेट में था उस वक्त पूरी उदारता से मुख्य मंत्री महोदय ने और अकाल राहत मंत्री महोदय ने अकाल राहत के कार्य खोले और श्रमिकों को रोजगार दिया। उन अकाल राहत कार्यों के माध्यम से मेरे विधान

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

सभा क्षेत्र के अन्दर काफी ठोस निर्माण कार्य भी हुए हैं। मैं पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर महोदय का बहुत-बहुत आभारी हूं कि चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र पिछले वर्ष जब भयंकर पेयजल संकट से जूझ रहा था, आपकी महती कृपा हुई और आपने और हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री महोदय ने हैण्डपम्प स्वीकृत किये, ट्यूबवैल स्वीकृत किये और गांव गांव के अन्दर, चित्तौड़ शहर की हर गली के अन्दर टैंकर पहुंचाने की व्यवस्था की। आपके अथक प्रयासों से ही पिछले वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल के भयंकर वातावरण से हम लोग निजात पा सके।

मैं अकाल राहत मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो अकाल राहत के कार्य शुरू हुए हैं उनके अन्दर सामग्री का अनुपात 25 परसेंट किया गया है, वह बहुत कम है। इसको कम से कम 50 प्रतिशत किया जाए और 50 प्रतिशत मजदूरी के ऊपर किया जाए ताकि जो ठोस निर्माण कार्य हम लोग करवाना चाहते हैं अकाल राहत के माध्यम से करवा सकें। कहीं एनीकट बनवाना, कहीं सड़क बनवाना, स्कूल के भवन जहां पर जर्जर अवस्था में हैं या जहां स्कूलें ढह गई हैं वहां नये निर्माण कार्य तभी शुरू हो सकते हैं जब सामग्री के अन्दर अनुपात बढ़ाया जाए।

दूसरा मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय का और अकाल राहत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार गेहूं के रूप में जो सहायता दे रही है उसके ऊपर पूरी नजर रखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि सड़ा-गला गेहूं आए, वह सड़ा-गला गेहूं हमारे मजदूरों को मिल और वे बीमारी के शिकार हों और राजस्थान सरकार की उसके अन्दर बदनामी हो, हम लोग जब मौके पर पहुंचे तब वहां पर मजदूरों की एक ही शिकायत हो कि यह गेहूं हमें नहीं चाहिए। इसलिए इस मामले के अन्दर बहुत सोच-समझ करके राजस्थान सरकार को निर्णय करना चाहिए। एक मेरा अनुरोध और है कि सदन उचित समझे तो प्रस्ताव पारित करके देश के प्रधान मंत्री को भेजे कि राजस्थान आज अकाल की भयंकर समस्या से जूझ रहा है, वे स्वयं आकर स्थिति का जायजा लें। यह नहीं सोचें कि राजस्थान की सरकार ही एक वातावरण पैदा कर रही है। एक जमाना था हमारे देश के प्रधान मंत्री राजीव गांधी चप्पे-चप्पे पर गये और दो-दो सौ, तीन-तीन सौ किलोमीटर स्वयं ने गाड़ी चला कर ढाणी-ढाणी में जाकर देखा कि गरीब के घर में अनाज है या नहीं है, चूल्हा जल रहा है या नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि देश के प्रधान मंत्री राजस्थान में जो भयावह हालत पैदा हुए हैं अकाल के, उसे स्वयं अपनी नजर से देखें। यह राजस्थान जिस वित्तीय संकट से जूझ रहा है उसके अन्दर हमको जो सहायता दी जा रही है उसमें कटौती नहीं करके हमें अतिरिक्त सहायता दें ताकि राजस्थान में अन्य विकास के कार्य हमारी सरकार कराना चाहती है उसके अन्दर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

एक मेरा आपके माध्यम से यह भी अनुरोध है कि जो श्रमिक संख्या बीस हजार हमारे जिले को दी गई है, वह वर्तमान में काफी कम है इसलिए मेहरबानी करके कम से कम पैंतीस या चालीस हजार श्रमिक संख्या हमारी बढ़ाई जानी चाहिए।

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

एक मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब से अनुरोध है, वैसे तो आप काफी प्रयासरत हैं लेकिन चित्तौड़ शहर जो पूरा का पूरा पेयजल के मामले में ट्यूबवैल या हैण्डपम्प के सहारे चल रहा है, उसका स्थायी समाधान है घोसुण्डा बांध की ऊंचाई बढ़ाना जो कि चित्तौड़ से बारह किलोमीटर दूर है। हिन्दुस्तान जिंक अभी उसके पानी का उपयोग कर रहा है। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिछले वर्ष हमारी सरकार के माध्यम से उन्होंने एक अनुबंध किया है कि हम ऊंचाई बढ़ा करके हमारी एक दूसरी यूनिट आ रही है उसको पेयजल देंगे और चित्तौड़ शहर को भी इसका पेयजल उपलब्ध कराएंगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, इसके अधिकारी बहुत ज्यादा चालाक हैं ऐसा नहीं हो जाए कि निर्माण कार्य तो पूरा हो जाए और चित्तौड़ शहर को एक बूंद भी पानी नहीं मिले। अभी उन्होंने अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अगर आपने ऊंचाई बढ़ाने की बात की कि सिंचाई विभाग या पी.एच.ई.डी. विभाग के माध्यम से और ऊंचाई बढ़ा करके शहर को उपलब्ध कराएंगे तो विकट समस्या पैदा हो जाएगी क्योंकि डूब के अन्दर क्षेत्र के काफी गांव आएंगे और उस वक्त एक विरोध का वातावरण पैदा हो जाएगा। अभी जो ऊंचाई बढ़ाने जा रहे हैं उसका पूरा मुआवजा दिया जा चुका है और वहां की जनता भी पूरी तरह से तैयार है कि हमें इस जमीन को खाली करके अलग जगह विस्थापित होना है। अभी काम शुरू हुए महीना भर मुश्किल हुआ है, उसके अंदर पूरा दबाव जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक घोसुण्डा बांध से चित्तौड़ शहर को पेयजल आपूर्ति नहीं होगी। यह वक्त हमारा चूक गया तो चित्तौड़ शहर बहुत पीछे चला जाएगा और जल आपूर्ति का कोई साधन नहीं रह जाएगा।

एक मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि चित्तौड़ शहर की एक लाख के करीब जनसंख्या है जिसमें वर्तमान में मुश्किल से चार या पांच ओवरहैड टैंक बने हैं, दस टंकियों का जो प्रस्ताव मैंने आपके समक्ष रखा है, वह मंजूर फरमा दें। चित्तौड़ शहर जो कि पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचाई है, दबाव पानी का बनता नहीं है इस वजह से पानी पहुंचता नहीं है इसलिए अगर ओवरहैड टैंक बन जाते हैं तो चित्तौड़ शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी वर्तमान सरकार की होगी।

सिंचाई मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं, मेरा अनुरोध आपके माध्यम से इनसे भी है कि बीसलपुर कैचमैंट के नाम पर चित्तौड़ जिले को पूरी तरह से उन्होंने गिरफ्त में ले रखा है। उसमें भीलवाड़ा जिला भी है और मेरे विधान सभा क्षेत्र का तो बहुत सारा पानी बह करके बीसलपुर में ही जाता है। बीसलपुर में जाए उसकी दिक्कत नहीं है लेकिन जो एनीकट के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं कि दो मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि कम से कम चार मीटर की हमको इसके अंदर छूट दी जानी चाहिए और चार मीटर का एनीकट बनाने की मंजूरी अवश्य दी जानी चाहिए।

मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । एक अंतिम मेरा अनुरोध है कि अकाल और पेयजल हमारी मुख्य चिन्ता के विषय हैं, इसके अन्दर हम दो दिन बहस के रख लेते तो निश्चित रूप

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

से काफी अच्छे सुझाव सभी सदस्यों को सुनने को मिलते। आज पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर और अकाल राहत मंत्री महोदय जो जवाब देंगे, वह सदन के सभी सदस्यों को दूसरे दिन अच्छी तरह से अवगत हो जाता। आज इतना समय बैठते-बैठते लोग नीरस हो चुके हैं और कई लोग जा भी चुके हैं।

एक मेरा अंतिम निवेदन आपसे है कि विधायक कोष जरूर बढ़ाया जाना चाहिए और कम से कम एक करोड़ रुपया होना चाहिए। इसके लिए चाहे आप यह कर दें कि पी.एच.ई.डी. के लिए राज्य सरकार जो पैसा दे रही है आपके विधान सभा क्षेत्र को वह भी आपके विधायक कोटे में शामिल किया जाएगा और जो सिंचाई के एनीकट आप मांग रहे हो वह पैसा भी आपके विधायक कोष से आप देंगे। मंत्री महोदय अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं, अपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा और मुख्य मंत्री महोदय से भी अनुरोध करना चाहूंगा, उनकी भावना भी कुछ लग रही है, एक करोड़ रुपया अगर विधायक कोष में कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से निर्माण कार्य भी बहुत अच्छे होंगे और विकास के काम भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे आपने बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलालजी।

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो अकाल के बारे में पूरा सदन और पूरी सरकार काफी चिंतित है, लेकिन मैं केवल भीलवाड़ा जिले में जो भयंकर अकाल की स्थिति है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। तीन साल से सरकार के रिकार्ड के हिसाब से बरसात का रेशो लगातार कम होता जा रहा है। वर्ष 86,87,88 में राजीव जी प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने पूरे राजस्थान का दौरा कर अकाल के समय में राजस्थान को जो मदद दी उसको यह राजस्थान कभी भूल नहीं सकेगा। लेकिन अभी जो अकाल पड़ा हुआ है उसके अंदर केन्द्र सरकार की मदद ऊंट के मुंह में जीरा जितनी है। फिर भी सहायता मंत्रीजी और मुख्य मंत्री ने कोशिश करके लोगों को मजदूरी दी हालांकि मजदूरी इस समय सीलिंग लगा करके दे रखी है। मेरे भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा बनेड़ा, आसीन्द, मांडल, सुवाणा, सहारड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर में अकाल की स्थिति भयंकर है। आपने 20,000 जो लेबर सीलिंग दी, उस समय करीब सात सौ गांव अकाल की चपेट में थे। अभी सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने दुबारा गिरदावरी करवा कर दी तो 570 गांवों में और अकाल है। वह लेबर सीलिंग उसके हिसाब से ही डबल हो जाती, लेकिन अभी तक वही सीलिंग लगी हुई है। पूरे सदन के माननीय सदस्यों ने फरमाया कि किसी जगह लेबर सीलिंग 40,000 है, किसी जगह 50,000 है लेकिन वहां पर मजदूर अभी तक लगे नहीं। मैं तो निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा में जहां 25,000 लेबर सीलिंग अभी की है, इसको बढ़ाकर एक लाख कर दिया जाए। वहां पर न्यूनतम मजदूरी के लिए लोग-बाग ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि 60 रुपये चाहिए या 40 रुपये चाहिए लेकिन यहां तो जो भी मजदूरी टास्क बेसिस पर आएगी या और भी न्यूनतम जितनी दोगे, यहां मजदूरीका इतना अभाव है कि लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। नीमच

(श्री रामलाल जाट)

की तरफ जा रहे हैं, बिजौलिया खानों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मेरा यही निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहायता मंत्रीजी बिराज रहे हैं, इनसे एक निवेदन है कि छोटी नगर पालिका के क्षेत्र हैं, 25000 से कम की आबादी वाली, वहां पर आपने चारा डिपो तो खोल दिया, अकाल में आपने मान रखा है लेकिन वहां पर जो कच्ची बस्तियां हैं, गरीब आदमी हैं उनको रोजगार के लिए मजदूरी नहीं मिल रही तो वहां पर तुरंत ही घोषणा कराएं।

इसके साथ ही गांवों में जो पानी के टैंकर आपने लगाये हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से, उनको इस फंड में और पैसा दिया जाए ताकि तत्काल ही गांवों में पानी की व्यवस्था हो सके।

इसके साथ ही जो माननीय सदस्यों ने फरमाया कि अकाल राहत के अंदर आप कुओं में ब्लास्टिंग करके 16,000 रुपये की राशि दे रहे हो, इसको डबल करके 32,000 या 30,000 जो भी आप उचित समझें देवें। 16,000 तो एक-दो ब्लास्टिंग होती है उसमें ही पैसा पूरा हो जाता है जबकि पानी का लेवल भी काफी नीचे चला गया। इसलिए कुओं का पैसा आप बढ़ाएं।

इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सहायता मंत्रीजी को कहूंगा की जो चरागाह हैं, जो चरनोट में हैं उनमें आप अकाल के समय में मेड़बंदी करवाने का कार्य करें। उससे चरागाह की जो जमीन है उस पर अतिक्रमण रोका जा सकेगा।

इसके साथ ही जो मैटीरियल कम्पोनैंट का पैसा आप पी.डब्ल्यू.डी. या इरिगेशन विभाग में दे रहे हो, पंचायतों में आपने कुछ भी नहीं दिया जबकि जो पंचायतों में छोटे-मोटे एनीकट बनते हैं उनमें मैटीरियल कम्पोनैंट का पैसा चाहिए। उसके लिए आप तुरंत ही मैटीरियल कम्पोनैंट का पैसा दिलाएं ताकि छोटे-मोटे एनीकट जो सिंचाई विभाग नहीं बनाना चाहता, वे पंचायतों के माध्यम से बन पाएं।

वैसे चारा डिपो हमारे भीलवाड़ा जिले में आपने काफी खोले लेकिन उसमें अनुदान की जो राशि है वह जल्दी भिजवाएं ताकि लोगों को और घास उपलब्ध हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री और सहायता मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में पशु आहार पर सब्सिडी हर समय कभी 50 पैसे, कभी 25 पैसे पर किलो मिलती थी लेकिन इस साल इन्होंने बढ़ाकर ढाई रुपये किलो के करीब की। उसमें जानवरों की संख्या जो निश्चित की, जो तीन लाख की उसको करीब छह लाख करें, तभी इस अकाल के समय में जानवरों को कुछ पशु आहार मिलेगा और वे मरने से बच पाएंगे। सहायता मंत्रीजी को मैं यही निवेदन करूंगा।

इसके साथ ही पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर रामसिंहजी विश्नोई साहब से निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो मैं पहले इनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्री गुलाब सिंहजी थे तब पधारे थे, इनका दौरा भी करवाया हमने और हिन्दुस्तान जिंक से एक छोटी-सी रिकवैस्ट के अन्दर इन्होंने 15 दिन के अंदर गुलाबपुरा को पानी पिलाया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी खास तौर से हैण्डपम्पों

(श्री रामलाल जाट)

की मांग है, पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब, मैं आपसे खास तौर से निवेदन करूंगा कि हैण्डपम्प सन् 77 से खुदने चालू हुए थे, 1980-82 के अंदर आपने 60-70 मीटर गहरे करने का जो नियम बनाया है, पानी का लेवल तो काफी नीचे चला गया है लेकिन इसको अभी तक आपने नहीं बढ़ाया है जबकि अपने पास के राज्य एम.पी. में भी 100-125 मीटर इसको गहरा किया जाता है। अपने यहां पर भी जो प्राइवेट आदमी लगवाते हैं, हमने कई जगह देखा है जब दौरे पर गांवों में गये हैं कि 100-120 मीटर हैण्डपम्पों की गहराई हो उसमें ही सही पानी मिल पाता है और वह बोर सही काम कर पाता है। सरकार की तरफ से 60-70 मीटर गहरे जो बोर होते हैं उसमें पूरा पानी मिल नहीं पाता है। पानी नीचे चला गया है और वे सूखे निकलते हैं। जो बीमा की पालिसी करते हैं, वह खतम होने के बाद दूसरी पालिसी कर देते हैं। इस तरह से आप हैण्डपम्पों को पीछे-पीछे खोदते जा रहे हैं, आगे-आगे वे भरते जा रहे हैं, जबकि गहरा करने का खर्चा थोड़ा-सा और चाहिए। इसके लिए आप जल्दी कोई निर्देश दें ताकि हैण्डपम्प गहरे कराये जा सकें।

इसके साथ ही मैं आपसे कहूं, मेरे बनेड़ा विधान सभा में बलदरगाह, बबराना इन जगहों पर फ्लोराइड की मात्रा तीन-साढ़े तीन परसेंट है, इसके लिए आप जल्दी कोई व्यवस्था करें ताकि उन लोगों को इस पानी से बचाया जा सके और मीठा पानी मिल सके। इसके साथ ही एक और निवेदन है, हुडा तहसील के अंदर खारी का लांबा है, वहां पर गांव के जन सहयोग से एक टंकी बनाने के लिए 25 हजार रुपये इकट्ठा हुए तीन-साढ़े तीन साल हो गये लेकिन वे पैसे अभी तक आपके पास ही जमा हैं। सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के जो जमा थे उनके वहां टंकी बन गई, लेकिन खारी के लांबा के जो हुड़ा तहसील के अंदर है, उसके जन सहयोग के 25 हजार रुपये पड़े हुए हैं, अभी तक वह नहीं बन पाई। उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप जल्दी ही इसको निकलवा कर स्वीकृति दिलवाएं। इसके साथ ही जो आप हैण्डपम्प लगवाते हैं उसके साथ ही एक छोटी-सी खेली बनवाएं, एक-दो कट्टे सीमेंट के और लगते हैं ताकि जानवरों के पानी पीने की व्यवस्था हो सके। जो खराब बेकार पानी निकलता है उससे व्यवस्था हो सकती है। सबसे लास्ट में जो अभी जाड़ावत साहब ने बताया है कि एम.एल.ए. कोटा बढ़ाया जाए, मैं भी उसके लिए सहमति व्यक्त करता हूं कि उसको एक करोड़ किया जाए। यही बात कहकर, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोक पुर्बिया।

श्री त्रिलोक पुर्बिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल राहत व पेयजल जैसे गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, मैं भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी की नालेज में लाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पेरीफेरी पर सीसारमा पंचायत पड़ती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एकलव्य कालोनी, चम्पा कालोनी, राताखेत आती हैं और सीसारमा पंचायत से जुड़ा हुआ उसका अंतिम छोर है। इस पेरीफेरी

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

पर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनके रोजगार की भारी किल्लत है। इसके बारे में मैंने जिलाधीश को भी पत्र दिये हैं और जिला परिषद की मीटिंगों में भी मैंने इसका उल्लेख किया है, आपके माध्यम से मैं अकाल राहत मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि यूं तो नगरीय क्षेत्र होने के नाते मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अकाल राहत के कार्य आप नहीं चला पाते हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में जहां पंचायत क्षेत्र है वहां इसको चलाया जा सकता है। तालाब का किनारा है, नदी का किनारा है, सिंचाई विभाग यदि चाहे तो सर्विस लाइन को मद्देनजर रखते हुए उस पंचायत क्षेत्र में सड़क बनाई जा सकती है। इससे वहां के आदिवासी लोगों को रोजगार मिल जाएगा और लोगों के आने-जाने के लिए भी एक रास्ता बन जाएगा। इस रोजगार की गंभीर समस्या के बारे में मैं माननीय अकाल राहत मंत्री जी का...

श्री उपाध्यक्ष : वह गांव अभावग्रस्त घोषित है क्या ?

श्री त्रिलोक पुर्बिया : अभावग्रस्त तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर कहां से बनाएंगे ?

श्री त्रिलोक पुर्बिया : लेकिन अकाल में राहत पहुंचाने के लिए, सहायता की दृष्टि से, वे भूखे मर रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में यदि उनको उसमें ले लिया जाए तो कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि यह सहायता से संबंधित मुद्दा है।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री आदरणीय विश्नोई साहब और मुख्य मंत्रीजी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उदयपुर शहर की पेयजल समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने के लिए मानसी वाकल उत्थान परियोजना को आपने मंजूरी दी। लंबे समय से जो समस्या गंभीर रूप धारण कर रही थी उसको चालू करने के लिए आपने मंजूरी तो दे दी है किन्तु इस योजना की क्रियान्विति अभी नहीं हुई है। मैं माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि जिलाधीश उदयपुर और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि इस योजना को वे प्रारम्भ करें। इसके साथ ही मैं कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृर्षित करना चाहूंगा कि उदयपुर शहर में पीने के पानी की वर्तमान में बहुत भयंकर परेशानी है। यहां कुछ कालोनियों का मैं उल्लेख करूंगा जहां पानी पहुंचता नहीं है, जो कच्ची बस्तियां हैं। वहां नल योजना भी नहीं है और ऊंचा पहाड़ी एरिया होने के नाते वहां प्रेशर कम होने से लोगों के घरों में पानी नहीं जाता है। ऐसी जगहों पर पनघट योजना चालू कराई जाए। क्योंकि पनघट योजना की काफी सराहना की गई है, लोगों को इससे काफी राहत मिली है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैंने पूर्व में 50 पनघट योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रपोजल दिये थे किन्तु मुझे उसमें से 10 ही मिले हैं। मैं चाहूंगा कि अभी 40 अगर नहीं दे पाएं तो कम से कम 25 मुझे और दें ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या को हल किया जा सके। इसके साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ पुरानी बावड़ियां और कुएं भी हैं जिनमें पानी है, उनकी साफ सफाई और गहरा करके उनमें मोटर लगाई

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

जाए और पाइप के जरिये लोगों को पानी सप्लाई किया जाए क्योंकि हैण्डपम्प खुदवाने में अधिक खर्चा आता है। इसके साथ-साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कालोनिया काफी लंबे क्षेत्र में बस गई हैं उनमें कुछ क्षेत्र ऊंचाई पर हैं, पुराने समय से जो व्यवस्था पानी की वहां पर है उससे समय पर पर्याप्त पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। महावत वाड़ी, शिव कालोनी, एकलव्य कालोनी, राताखते, मल्लातलाई, हरिदास जी की मगरी, महावीर कालोनी, खारा कुआ क्षेत्र में पानी की टंकियों का निर्माण कर वहां से पाइप के जरिये पानी सप्लाई किया जाए तो ज्यादा सुलभ रहेगा और लोगों को परेशानी जो बहुत लंबे समय से है, वह दूर की जा सकती है।

अंत में जैसा कि माननीय सदस्यों कि भावना है, कल भीम से आने वाले माननीय सदस्य लक्ष्मण सिंहजी ने विधायक कोटे को बढ़ाने के लिए एक करोड़का प्रस्ताव रखा है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है और मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से और सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। विकास के कार्य विधायकों के माध्यक्ष से क्षेत्र में हो तो व्यवस्थित रूप से होंगे क्योंकि उसे कठिनाइयों का मालूम है, वह चुनाव लड़कर आया है। उसको किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किन हालात में वह चुनाव लड़कर यहां आया है और किन-किन समस्याओं को हल करने के लिए जनता से उसने वादा किया है, उनका हल करने के लिए यह उपयुक्त समय है। लेकिन 25 लाख से इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इसके लिए एक करोड़ का प्रावधान किया जाए। अंत में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल सहरिया।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल और पेयजल पर चर्चा चल रही है, मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले साल मेरे किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन गांव ऐसे थे जहां गंदा पानी पीने से हैजा जैसी बीमारियां फैल गई थीं। इस समय भी पेवरी, सामरी, शुदघरा, पाजनटोरी गांवों में भूगर्भ जल वालों ने डार्क जोन घोषित कर रखा है इसलिए यहां हैण्डपम्प सक्सैस नहीं हैं, इनके लिए आप पेयजल की कोई योजना बनाएं और यहां के लिए जो योजनाएं प्रस्तावित हैं उनको तुरन्त स्वीकृत कराएं और पेयजल उपलब्ध कराएं। दूसरा यह कि बारां जिले में कम से कम 485 हैण्डपम्प हैं...

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : हैण्डपम्प सफल क्यों नहीं हैं ?

श्री हीरालाल सहरिया : डार्क जोन घोषित किया हुआ है इसलिए हैण्डपम्प ड्रिलिंग नहीं हो पाती है, फेल हो गये, इसलिए पेयजल की योजना जो प्रस्तावित है, राजस्थान सरकार के यहां लम्बित पड़ी हैं उनको स्वीकृत कराएं ताकि पेयजल मुहैया हो सके।

पेयजल मंत्रीजी से मेरा दूसरा निवेदन है कि बारां जिले में 5182 हैण्डपम्प हैं, जो सर्वे

(श्री हीरालाल सहरिया)

कराया गया उसमें 1378 खराब पाए लेकिन इनमें से 485 हैण्डपम्प तो बिलकुल नाकारा हो गये हैं, मंत्री महोदय, इन हैण्डपम्पों को दुबारा स्वीकृत करके खुदवाएं। तीसरा, मोदरा गांव है, वहां टंकी बनी हुई है, वहां पाइप लाइन खराब डालने से टांके तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं जलदाय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो पाइप लाइन बीच में गड़बड़ कर रही है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव पेयजल की समस्या से ग्रसित है, जिस भी अधिकारी ने खराब पाइप लाइन लगाई उसको दण्डित किया जाए, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और नई पाइप लाइन दुबारा डलवाएं ताकि ट्यूबवैल से टंकी तक पानी पहुंच सके।

मेरे खाण्डा सहरोल में टंकी बनी हुई है लेकिन पी.एच.ई.डी. वाले उसको चालू नहीं कर पा रहे हैं उसको तुरन्त चालू कराएं ताकि पानी उपलब्ध कराया जा सके। मेरे किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के पांच-छह गांव और बड़े-बड़े कस्बे हैं जहां हैण्डपम्प सक्सैस नहीं है - पराणिया, देवरी, रेलावण, केलवाड़ा, दांता, समराणिया, गरड़ा, इनके सारे प्रपोजल टंकी निर्माण के आए हुए हैं, इनको बनाया जाए तो ठीक रहेगा।

माननीय मंत्री महोदय, बारां जिले में हैण्डपम्प पाइप केवल 100 पाइप शहबाद को दिये हैं, 100 पाइपों से दो सौ-ढाई सौ गांवों के हैण्डपम्पों को कैसे ठीक कराया जा सकेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब एस.ई., एडीशनल एस.ई. और चीफ इंजीनियर से बात करें तो कहते हैं कि जयपुर से आएंगे, जयपुर वालों ने टेण्डर लिए हैं। अब जयपुर से कब जाएंगे, कब शाहबाद जो मध्य प्रदेश के बार्डर एरिया से जुडा है, वहां पहुंचेंगे और कब हैण्डपम्प ठीक होंगे? इनके लिए जितनी जल्दी हैण्डपम्प पाइप भिजवा सकें, ठीक रहेगा ताकि हैण्डपम्प तुरन्त ठीक हो सकें।

मेरा एक और निवेदन है कि हैण्डपम्प मिस्त्री आपके पंचायत में हैं, जिनको न तो टूल बाक्स दिया हुआ है, न वर्दी दी गई है। अभियान के तहत हैण्डपम्प को आपके माध्यम से ठीक कर देंगे लेकिन पंचायत समिति में यह रह जाते हैं, इनके पास सामान नहीं होने से, टूल बाक्स नहीं होने से, पाने नहीं होने से, सुविधाएं नहीं होने से उन हैण्डपम्पों को ठीक नहीं कर पाते हैं इसलिए जगह-जगह के हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। इनको पूरी सुविधा दी जाए ताकि ये मन लगाकर हैण्डपम्पों को ठीक कर सकें।

हमारे ब्रिज नगर में पशु पेयजल की टंकी बनी हुई है, उसको बने हुए करीब डेढ़ साल हो गया है लेकिन अभी तक इसको चालू नहीं किया गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पशुओं के पेयजल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए टंकी को चालू कराएं। लास्ट में, हमारे इलाके में वाटर लेवल नीचे चला गया है, एनीकट्स के माध्यम से उसे ऊंचा उठाया जाए। जो पुराने तालाब बने हुए हैं उनकी भराव क्षमता धीरे-धीरे कम होती जा रही है, इरिगेशन डिपार्टमैंट से अतिरिक्त सहायता दिलाकर उनकी मिट्टी खुदाई जाए ताकि उनकी भराव क्षमता बढ़े।

एम.एल.ए. कोटे का जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा, मैं भी उसी भावना के तहत यह कहूंगा कि एम.एल.ए. कोटे का हमारा खुद

(श्री हीरालाल सहरिया)

का अधिकार होता है, उसको 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाए ताकि हम अपनी मर्जी से जो चाहे काम करा सकें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को संवेदनशील तो इसलिए मानता हूं कि जिस तत्परता से सत्ता में आई है, उसी तत्परता से अकाल भी साथ लेकर आई है इसलिए बहुत ही संवेदनशील सरकार है और असंवेदनशील इसलिए मानता हूं कि विधान सभा सत्र 23 मार्च को शुरू हुआ लेकिन अकाल पर चर्चा एक महीने तीन दिन बाद करा रही है। संवेदनशीलता तो तब होती कि विधान सभा सत्र के स्टार्ट होते ही इस गम्भीर समस्या पर सबसे पहले चर्चा की जाती।

कौटिल्य के मत के अनुसार अकाल में जनता की सहायता राजा के कर्तव्य का अंग होता है। अकाल में सरकार द्वारा किसानों को लगान में छूट देनी चाहिए, अनाज एवं द्रव्य का वितरण करना चाहिए, झीलों एवं तालाबों का निर्माण करवाना चाहिए, अन्य स्थानों से चारा मंगवाना चाहिए तथा पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गांवों के रास्तों को बनाना चाहिए तथा सड़कें जो बिलकुल खस्ता हाल हो गई हैं, जिनकी पटरियां खराब हो गई हैं, उनको मिट्टी डालकर सुदृढ़ करवाना चाहिए। गत वर्ष अकाल के अन्दर सड़क सुदृढ़ीकरण के नाम से काम शुरू करवाए गये थे लेकिन खड्डे बनाकर छोड़ दिये गये। एक साल से इस तरह की स्थिति हो गई है कि मारवाड़ जंक्शन और जाडल के बीच में कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, साइड लेने के लिए बिलकुल पटरी नहीं है। अरावली घाटी के अन्दर 9 पंचायत ऐसी हैं जहां पर बिलकुल भी आने-जाने के रास्ते नहीं हैं और पानी की बिलकुल व्यवस्था नहीं है, इससे वहां के लोगों को तकलीफ हो रही है। न ही मजदूरी के पर्याप्त साधन हैं। इसलिए अरावली की नौ पंचायतों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत कार्य खोले जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के भुगतान जो गत वर्ष के बकाया हैं उनमें करीब 2 लाख 14,446 रुपये ई.ए.एस. के भुगतान के बकाया हैं। रेवड़िया खडीन में 97 का ई.ए.एस. का बकाया है, सिवास में, दतिया में एनीकट का भुगतान...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : ई.ए.एस. का भुगतान बकाया है, फेमिन रिलीफ का नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी : फेमिन के तहत ही काम करवाए हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ई.ए.एस.।

श्री केसाराम चौधरी : ई.ए.एस. भी है तो एक साल से बकाया है। 10 स्कूलों के चारदीवारी के फेमिन के भुगतान बकाया है। इससे सुन्दर क्या होगा, एक नमूना बता दूं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नाम बता दीजिए।

श्री केसाराम चौधरी : आप कहें तो पढ़ कर सुना देता हूं। श्रीमान् कलेक्टर साहब, प्रार्थी मानसिंह, पुत्र देवसिंह, जाति रावणा राजपूत...

श्री उपाध्यक्ष : इनको दे दीजिए न।

श्री केसाराम चौधरी : एक मिनट रुकिए तो आपको बता देता हूं। प्रार्थी की ओर से निम्न अर्जी है कि जाडल से मारवाड़ जंक्शन रोड कार्य पी.डब्ल्यू.डी. के अधीन चल रहा था, उक्त रोड पर प्रार्थी ने बैसाख महीने के 13 दिन कार्य मजदूर के रूप में किया लेकिन मस्टररोल की हाजरी ऊंट छकड़ी पानी के लिए बताई गई है। जब प्रार्थी उक्त 13 दिन का वेतन लेने गया तो प्रार्थी को तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन 2700 रुपये देने लगे। तो प्रार्थी ने कहा कि मेरा वेतन इतना नहीं बनता है, तब तहसीलदार ने बताया कि आप ऊंट छकड़ा चलाते हैं इसलिए आपका इतना वेतन बनता है। जब प्रार्थी ने बताया कि उसने तो मजदूरी के रूप में कार्य किया है तो तहसीलदार ने कहा कि उक्त वेतन ही लेना पड़ेगा अन्यथा उक्त वेतन भी नहीं मिलेगा। प्रार्थी को उक्त 13 दिन के 520 रुपये का वेतन नहीं दिया गया, आज दिन तक मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार के चक्कर लगा रहा है। एक माह की मजदूरी के पैसे उसने ईमानदारी से मांगे, इसलिए उसे पैसे नहीं दिये गये और आज भी वह मजदूरी के लिहाज से घूम रहा हैं। इस तरह की यह पारदर्शिता है आपकी सरकार की।

(23.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी : मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जाडल में 21 ट्यूबवैल लगे हुए हैं लेकिन आज वे 21 ट्यूबवैल फेल हो गये हैं और इनमें टी.डी.एस. व क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण वहां का पानी दूध में डालते ही दूध फंट जाता है। वहां से जो दूसरे गांवों को पानी जाता था, आज वह खुद पानी के लिए मोहताज हो रहा है। जो पाली से सोजत के लिए पानी जा रहा है उसमें से पानी देने की व्यवस्था की जाए तो उस गांव को दो महीने का समय निकल जाएगा, बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। खिंवाड़ा की हालत खराब है, कुएं गहरे भी किये, साइड बोर भी किये लेकिन पानी बिलकुल नहीं है। पास ही कोलर गांव जिसमें तालाब में पानी भरा है, वहां पानी हो सकता है। अगर उस पानी को खिंवाड़ा तक पहुंचाया जाए और आसपास के गांवों को दिया जाए तो वहां की व्यवस्था हो सकती है। धायलाणा में ओवरहैड टैंक बना हुआ है मगर खाली पड़ी है, आपके विभाग ने उसको भरना बताया है जबकि आज दिन तक उसमें पानी नहीं डाला गया। गुढ़ा केसुली में जी.एल.आर. खाली पड़ा है, आज दिन तक उसमें पानी नहीं डाला । 295 में जवाब देते हैं कि उसमें तो पानी पीचके की तरफ से भरा जा रहा था, लेकिन आज दिन तक कभी भी पानी नहीं डाला गया, उसकी जांच करवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी : एम.पी. कोटे से 6.9.99 को हमने अनुशंसा कर दी मगर आज दिन तक वाटर वर्क्स का एक भी काम विभाग द्वारा नहीं करवाया गया है। गुढ़ा प्रेमसिंह, रडावास, गादाणा वाड़िया के जो ट्यूबवैल स्वीकृत हुए हैं उन ट्यूबवैलों को गाड़ी भेजकर अतिशीघ्र करवाया जाए ताकि उन गांवों में जो पानी की अव्यवस्था हुई है वह अतिशीघ्र ठीक हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की अकाल के संबंध में जिस प्रकार की स्थिति सरकारी पत्रावलियों के आधार पर बनी हुई है उस संबंध में जानकारी देना चाहूंगा। राजस्थान के 34,693 गांवों में से 23,406 गांव और 26 जिले अकाल से प्रभावित हैं। 2 करोड़ 61 लाख पापुलेशन इससे प्रभावित है और 3 करोड़ 45 लाख पशु इससे प्रभावित हैं। 20 हजार गांवों में पिछले वर्ष भी अकाल था और 2,109 करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हुआ है। इस प्रभावित जनसंख्या में स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या लगभग 22 लाख है, एग्रीकल्चर लेबर और मार्जिनल लेबर की संख्या 36 लाख है, एस.सी. 52 लाख है और एस.टी. 47 लाख है। ऐसी स्थिति में इस सरकार ने एक ज्ञापन तैयार किया था। तो ज्ञापन तैयार किया 1999 के नवम्बर में। नवम्बर में जो ज्ञापन तैयार किया उसमें कुछ बातों को उल्लेख किया गया है। पहले तो लिखा है-

"Damage to crop causes widespread distress to the farmers. This leads to reduction fo demand for labour in farming and non-farming activities resulting in reduction of wages, steep rise in unemployment and causing acute distress leading to migration of man and animals in search of food, fodder and water."

इसके साथ ही आपने यह भी लिखा है-

"Since Rajasthan`s economy is mainly agrarian, job opportunities in rural areas exist mostly in farming and allied activities. During scarcity, purchasing power of the population declines and the Government has to provide gainful employment to the rural papulation."

पेज 12 पर लिखा है-

"A large number of cattle are affected severely due to shortage of fodder, the rates of which have started shooting up. Price of the most common variety of fodder has gone up to 350 to 400 per quintal i.e. 3.5 to 4 per kg. in some districts."

इससे, उपाध्यक्ष महोदय, सारी स्थिति का एक अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान में संकट कितना है और उस संकट का समाधान किस प्रकार से करना है। इसी प्रतिवेदन में सरकार की ओर से लिखा गया है कि नवम्बर, 1999 में 2 लाख लोगों को मजदूरी दी जाएगी, दिसम्बर, 99 में 3 लाख लोगों को मजदूरी दी जाएगी, जनवरी में 4 लाख लोगों को मजदूरी दी मिलेगी, फरवरी में 4 लाख लोगों को मजदूरी मिलेगी, मार्च में 5 लाख लोगों को मजदूरी मिलेगी, अप्रैल में 8 लाख लोगों को मजदूरी मिलेगी, मई में 10 लाख लोगों को और जून में 11 लाख लोगों को मजदूरी दी जाएगी। यह सरकार का कथन है। इस सरकार के कथन में अब प्रश्न यह आता है और माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि नवम्बर में आपने एक व्यक्ति को भी मजदूरी नहीं दी, दिसम्बर में आपने मजदूरी नहीं दी, जनवरी में मजदूरी नहीं दी, फरवरी में 5 हजार आदमियों को लगभग मजदूरी दीं होगी, मार्च के अन्दर 50

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हजार लोगों को मजदूरी दी और अब जाकर 4 और 5 लाख के बीच में आप मजदूरी दे रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार की स्थिति आपने मेमोरेंडम में वर्णित की है उस आधार पर नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में लोगों को मजदूरी नहीं देना और उस हालात में नहीं देना जब उनकी इकोनोमिक कंडीशन बिलकुल खराब हो गई हो, परचेजिंग पावर उनकी किसी प्रकार की रही नहीं हो, उनको मजदूरी नहीं देने का अपराध किसने किया ? यह अपराध केवल सरकार ने किया है। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, विचार करने का प्रश्न है कि जिस बात को हमने स्वीकार किया है कि इसमें गरीब पापुलेशन ज्यादा है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन ज्यादा है, लेबरर्स की संख्या ज्यादा है और मार्जिनल फार्मर्स व लैण्डलैस फार्मर्स की ज्यादा संख्या है उस समय इन लोगों को रोजगार नहीं देना, इससे बड़ा क्या अपराध हो सकता है। अब प्रश्न यह आता है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रकार के कैटल के लिए कहा है। कैटल के लिए उन्होंने कहा कि कैटल कैम्प्स खुलेंगे और उन कैम्प्स में नवम्बर में 2 लाख जानवरों का रखा जाएगा, दिसम्बर में 2 लाख जानवरों को रखा जाएगा, जनवरी में 2 लाख, फरवरी में 3 लाख, मार्च में 3 लाख, अप्रैल में 4 लाख और मई में 4 लाख व जून में 4 लाख जानवरों को रखा जाएगा। यह जानवरों के लिए भी आपने व्यवस्था की थी। और पानी के मामले में तो मैं इसलिए कहना नहीं चाहता कि पानी के संबंध में तो सारी योजनाएं बनाईं वो योजनाएं इसलिए शुरू नहीं हो सकीं कि पानी के लिए जितने धन की रिक्वायरमैंट थी वह धन की रिक्वायरमैंट आपने पूरी नहीं की। दिसम्बर में आपको करना चाहिए था, आप दिसम्बर में नहीं कर पाए, जनवरी में नहीं कर पाए, फरवरी में नहीं कर पाए और मार्च में आपने इस धन की पूर्ति की है। तो जब पैसा ही नहीं था तो काम किस आधार पर होंगे ?

अब, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न आता है कि पैसा था या नहीं था। आपने फाइनेंस कमीशन के सामने यह मंजूर किया है कि सी.आर.एफ. और एन.एफ.सी.आर. इन दोनों से जितना पैसा मिलेगा उसके बाद में यह सरकार की रेस्पांसिबिलिटी होगी, किसी दूसरे की रेस्पांसिबिलिटी नहीं होगी। आपने खुद ने माना है कि इसमें न केन्द्र सरकार की रेस्पांसिबिलिटी है, न और किसी की रेस्पांसिबिलिटी है। केन्द्र सरकार की रेस्पांसिबिलिटी सी.आर.एफ. के माध्यम से पूरी हो सकती है या एन.एफ.सी.आर. के माध्यम से पूरी होती है, वह धन आपको पूरा मिला है। आपको इस बात की शिकायत नहीं हो सकती कि सी.आर.एफ. का पैसा जिस समय भी ड्यू था, राजस्थान की सरकार को भारत सरकार ने दिया है। उसी प्रकार से एन.एफ.सी.आर. के अन्दर आपको 102 करोड़ मिला है और पिछले वर्ष में 21 करोड़ रुपये की आपको सहयता मिली। अब 102 करोड़ की सहायता जिस समय तय हुई उस मीटिंग में मुख्य मंत्री मौजूद थे। जितनी ट्रीटी के आधार पर ही यह एन.एफ.सी.आर. की सहायता आप सब लोगों को मिल सकती है। सबसे ज्यादा राजस्थान को मिली है। अब कमी रहती है तो 87 और 88 का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, 1987-88 में सिस्टम बिलकुल डिफरेंट था।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस समय सिस्टम यह था कि रिपोर्ट मिलने पर स्टडी टीम आती थी, स्टडी टीम अध्ययन करती थी और अध्ययन करने के बाद खर्चे की सीलिंग तय करती थी और जो कुछ उनको सहायता देनी होती वह प्लान का चार परसेंट हिसाब से सहायता मिलती थी। वह उस समय सहायता मिली। उसके अलावा 1987 और 1988 की आप बात कर रहे थे कि हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने दौरा किया। उस समय कोई सहायता नहीं मिली। कोई धोखे में नहीं रहे कि उन्होंने कोई सहायता दे दी। सहायता उस समय भी नहीं मिली, लेकिन एट्थ फाइनेंस कमीशन में जब इस सारे राजस्व घाटे का जिक्र उनके सामने आया और राजस्व घाटा अकाल के लिए हमें करना पड़ा उस समय उन्होंने कर्जा हमारा माफ किया। इसके सिवाय किसी प्रकार की मदद भारत सरकार से नहीं मिली है। वह भी मदद हमको फाइनेंस कमीशन ने दी और उसी मदद के आधार पर उस समय की समस्या का समाधान हम कर पाए। लेकिन इस धोखे में माननीय सदस्य नहीं रहें कि उस समय सी.आर.एफ. की तरफ से हमको पैसा मिल गया या एन.एफ.सी.आर. की तरफ से पैसा मिल गया। उस समय जो लिया राजस्थान की सरकार ने राजस्व खाते से खर्च किया, दूसरी स्कीम्स को बन्द किया। बन्द करने के बाद में जब राजस्व घाटा बढ़ गया तो फाइनेंस कमीशन ने राजस्व घाटे को माफ करके उसकी पूर्ति की।

अब प्रश्न यह आता है, आज इस स्थिति में कोई यह कहे कि राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं था। मैं इस बात को दो-तीन बार कह चुका हूं लेकिन इसका उत्तर नहीं मिला। आज मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास पैसे की कमी नहीं थी। आप जो यह कह रहे हैं न कि राजस्थान सरकार के पास पैसे की कमी थी, वह बात सही नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि 1.4.99 को 187.86 करोड़ रुपये राजस्थान की सरकार के पास मौजूद थे। चार किश्तें उसके बाद में सी.आर.एफ. की मिलीं 204 करोड़ रुपये, एन.एफ.सी.आर. के मिले 121 करोड़ रुपये और अन्य स्रोत से मिले हमको 14.12 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 430.86 करोड़ रुपये हमको मिले। अब 1999-2000 में सरकार यह कहती है कि हमने 284 करोड़ रुपये खर्च किये। मैं ऐसा समझता हूं कि 284 करोड़ रुपये काहे पर खर्च किये गये, यह बात अभी तक सरकार नहीं बता पाई है कि कितना उसमें लेबर को हमने एम्प्लाय किया था, कितना लेबर लगाया लेकिन यह मुझे जानकारी है कि कुछ सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. की तरफ से बनी थीं, कुछ इर्रिगेशन डिपार्टमैंट का काम था, इर्रिगेशन और पी.डब्ल्यू.डी. को इन्होंने पैसा दिया वह पैसा भी इसमें शामिल है। माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, कई बार इस सदन में इस बात की चर्चा हुई है कि यह खर्चा राजीव गांधी पाठशालाओं में भी किया गया है। इस सदन में स्वीकार नहीं किया लेकिन यह सरकार का प्रतिवेदन है, प्रारंभिक शिक्षा, साक्षरता और सतत् शिक्षा पंचायती राज विभाग, राजस्थान, इसमें लिखा है कि 7444 पाठशालाओं के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई उसमें से अधिकतम भवन पूर्ण हो चुके हैं, 135 विभिन्न विवादों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाये। इस भवन के निर्माण हेतु दसवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और अकाल राहत में शेष रही राशि का उपयोग किया गया। अब अकाल राहत से अगर राजीव गांधी पाठशालाओं के स्कूल खुलते हैं तो अकाल के लिए तो पैसा गया नहीं। अब आप कहेंगे कि हमने वहां पर लेबर लगाई थी तो सारी पाठशालाएं तो राजस्थान में खुली हैं। सारी पाठशालाएं तो खुली हैं, लेकिन राजस्थान में पूरे में फेमिन नहीं था और जहां पूरे में फेमिन नहीं था वहां राजीव पाठशाला के अन्दर अकाल का पैसा लगाना यह बुद्धिमानी का सवाल पैदा नहीं होता। उस हालत में नहीं रहता जब बजट भाषण में यह बात कह रहे हैं, चन्दमलजी ने हमने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि राजीव गांधी पाठशालाएं हम खोलेंगे, जहां जनता भवन बनाकर दे देगी वहां पर हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। एक तरफ तो बजट के विपरीत आपने काम किया और दूसरा अकाल का पैसा उसमें लगाया। यह सारी स्थिति होने के उपरान्त अगर आपकी बात को मैं सही भी मान लूं तो 146 करोड़ रुपये आपके पास बचे रहते हैं। 146 करोड़ में फिर आप कहते हैं, हमने वित्तीय आबंटन 126 करोड़ रुपये का कर दिया। आज माननीय सदस्यों की बातों के हिसाब से स्पष्ट हो गया कि आबंटन के बाद में खर्चा हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। आपने आबंटन कर दिया, आबंटन कलेक्टर्स के पास पड़ा है और कलेक्टर्स के पड़ा हुआ आबंटन कब खर्च हो, कब खर्च नहीं हो इसके कभी कोई अकाउंट्स नहीं आये हैं, कोई हिसाब नहीं आया है। लेकिन मैं सरकार के आंकड़ों को यदि मान भी लूं फिर भी 20.45 करोड़ रुपये, सी.आर.एफ. की दो किश्तें अग्रिम मिलीं 149 करोड़ की और पी.एम. ने विशेष सहायता 20 करोड़ रुपये की दी, इस प्रकार से 301 करोड़ रुपये राजस्थान की सरकार के पास हैं। इस सारे हिसाब से 176 करोड़ नवम्बर के अन्दर राज्य सरकार के पास थे, मैं पूछना चाहता हूं कि नवम्बर में जब आपके पास 176 करोड़ रुपया था, आगे की दो किश्तें सी.आर.एफ. की आपको मिलने वाली थीं तो आपने यह काम नवम्बर में क्यों नहीं शुरू किया ? नवम्बर में आपने कैटल कैम्प्स क्यों नहीं चालू किये ? नवम्बर में आपने पानी के लिए पैसा क्यों नहीं दिया ? आज जो सारा राजस्थान में संकट खड़ा हुआ है वह संकट नहीं खड़ा होता यदि हमने नवम्बर में काम शुरू किये होते। नवम्बर के कामों के अतिरिक्त हम पानी का काम शुरू कर देते तो आज जिस तरह का संकट है, रोज अखबारों में और टी.वी. के ऊपर कहीं मरे हुए जानवर का फोटो दिखाते हैं, कभी दूर-दूर से पानी ला रहे हैं उसका फोटो दिखाया जाता है, यह राजस्थान की स्थिति नहीं बनती। इस स्थिति के लिए यदि कोई सबसे बड़ी दोषी है तो राजस्थान की सरकार दोषी है कि उन्होंने समय पर इस प्रकार का काम नहीं खोला।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि यह केवल अकाल राहत का ही पैसा नहीं है। अब तक जितने अकाल पड़े हैं उनमें केवल अकाल राहत राशि से ही समाधान किया गया हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हमने सारे डिपार्टमैंट्स सम्बन्धी जितनी भी निर्माण सम्बन्धी कार्यवाहियां थीं उनको इकजाई किया। इकजाई करने के बाद में कहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सड़क बन रही है, कहीं तालाब बन रहे हैं, कहीं सिंचाई का काम हो रहा है, कहीं और काम हो रहा है। डोवटेलिंग करके इस बजट में हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैंने पहले भी कहा था और फिर आज आपको कहता हूं कि आपका कृषि उपज मंडी का 180 करोड़ रुपया नवम्बर तक यों का यों इन्टैक्ट पड़ा था। यदि नवम्बर के अन्दर आप 180 करोड़ रुपये की कृषि उपज मंडी के अन्तर्गत सड़कें बनाने का काम शुरू कर देते तो लाखों लोगों को उससे रोजगार मिलता। वह आपने रोजगार नहीं दिया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 283 करोड़ रुपये आपके पास उस समय बचे हुए थे, यदि जनजाति क्षेत्र में उस रुपये का उपयोग लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से किया जाता तो वहां पर जिस तरह की त्राहि-त्राहि मची हुई है वह त्राहि-त्राहि नहीं मचती। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की स्कीम्स, जिनके अन्दर पैसा मिलता है जैसे सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ग्रामीण जल योजना, त्वरित जल प्रदाय योजना, डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी., इस तरह की 23 से ज्यादा स्कीम्स होंगी जिनमें भारत सरकार से पैसा मिलता है और पैसा केवल इसलिए मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करें, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता हो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें। लेकिन दुर्भाग्य से, उपाध्यक्ष महोदय, 180 करोड़ रुपया तो पड़ा रहा कृषि उपज मंडी का, केवल विवाद के कारण से, आपस में एक विवाद था कि जो सड़क निर्माण की नीति बनाई हुई थी उस नीति मे डिस्क्रिशन के पावर्स नहीं थे, टोटल अमाउंट उस नीति के आधार पर खर्च होना था। यहां विवाद यह चला कि इस अमाउंट में कुछ डिस्क्रिशन का भी होना चाहिए कि 20-22 परसेंट रुपया हम डिस्क्रिशन के आधार पर खर्च करें। इस विवाद में 180 करोड़ रुपये पड़े रहे। 180 करोड रुपये का उस समय सड़कों का काम हाथ में ले लिया जाता तो आज इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा, सी.एस.एस., सेन्ट्रल स्पोंसर्ड का 461 करोड़ रुपया उनके पास बचा हुआ था। 301 को भी निकाल दें लेकिन जो पहले 173 करोड़ रुपया और बाकी का 180 यह, 283 जनजाति योजना का और 461 स्पेशल स्कीम्स का, यह सारा मिलाएं और आप अपनी स्कीम्स के अनुसार नवम्बर से भी काम शुरू करते तो रुपये का किसी प्रकार से घाटा नहीं होता।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी, आपका दोष नहीं हो सकता, रामसिंहजी का दोष नहीं हो सकता लेकिन मुख्य मंत्रीजी का निश्चित रूप से दोष है कि उन्होंने फाइनेंस का इतना गलत ढंग से मिस मैनेजमेंट किया है जिसके कारण से राजस्थान की जनता को यह संकट भोगना पड़ा है। आज आप कहते हैं कि हमें भारत सरकार से सहायता नहीं मिली, मैं आपको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि किसी भी समय भारत सरकार ने अपनी नीति के अनुसार सहायता देने के अतिरिक्त कहीं भी अतिरिक्त सहायता दी हो। मेरा भी अनुभव है, 1952 से मैं इस विधान सभा में बैठा हूं और 1952 से लगातार मैं इस अकाल की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्थिति को देखता रहा हूं, अकाल की स्थिति का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। भारत सरकार अपने नियमों से, नीतियों से, कार्यक्रमों से बंधी हुई है, उन्हीं आधार पर वह सहायता दे सकती है, और किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। आप यह मानकर चलिए, आज जो यह सारे राजस्थान में हो रहा है, आज माइग्रेशन जितना होना था हो गया, जानवर जितने मरने थे मर गये। आज आप बता दीजिए क्रि आपने जो अपने हिसाब से कैटल कैम्प्स खोलने की बात की थी उतने कैटल कैम्प खुले हैं क्या ? आपने यह कहा था कि हम चारा लाने के लिए लोगों को रुपया देंगे, एडवांस में ऋण देंगे, आपने किसी को ऋण दिया है क्या ? दिया है तो बता देना। जो आपका हिसाब है उसके हिसाब से कितना है वह आज बता देना। कैटल कैम्प्स में पहले एक रुपया भी नहीं देते थे, नवम्बर में एक रुपया नहीं देते थे। गौशालाओं को तीन रुपये की सहायता मिलती थी, तीन रुपये की सहायता में डेढ़ रुपया पब्लिक का होता था और डेढ़ रुपया राज्य सरकार का होता था। मैं बताऊं आपको, फिर इसको तीन रुपया आउटराइट किया। लेकिन आप यह तो बताइये कि आज जो आपने तीन से पांच किया, पांच से आठ किया और आठ से दस किया, जब पशु मर रहे थे, पशुओं का निष्क्रमण हो रहा था, उस समय आपने कैटल कैम्प्स क्यों नहीं खुलवाये ? उस समय आपने उस तरह की सहायता क्यों नहीं दी ? अगर उस समय आप सहायता देते तो आज जो हजारों-लाखों की संख्या में पशु मरे हैं या पशुओं का पलायन हुआ है वह उस प्रकार का पलायन नहीं होता। इसके लिए कोई दोषी है तो सरकार है, और कोई आदमी इसके लिए दोषी नहीं हो सकता। आपके पास साधन थे और साधनों का...

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय नेता महोदय, पिछली बार जब 21 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिये थे तो क्या ये नार्म्स के हिसाब से थे ? केन्द्र सरकार ने केवल 21 करोड़ रुपये अकाल के टाइम पर दिये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सब्जैक्ट आपके वश का नहीं है। आप सी.आर.एफ. को और एन.सी.आर.एफ. को समझो नहीं इसलिए आपको पता नहीं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मेरे को पता नहीं, मैं तो सिर्फ माननीय विपक्ष के नेता महोदय से पूछ रहा हूं कि 21 करोड़ ही मिले थे इस कारण से इस साल में हम थोड़े फूंक-फूंक कर पैर रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं कि ये 21 करोड़ रुपये जो मिले वे 21 करोड़ रुपये मैंने मंजूर करवाये थे। वे आपने मंजूर नहीं करवाये। वह 21 करोड़ रुपये मंजूर करवाये थे जिस समय भरतपुर में बाढ़ आयी, उस बाढ़ के लिए 21 करोड़ रुपये मिले थे। यह कुछ उसका सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ये पिछले साल की बात कह रहे हैं। भरतपुर की बाढ़ तो पहले आयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 21 करोड़ रुपये दिये हैं, वह सही है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता था लेकिन आप चाहो तो मैं यह बता दूं कि राजस्थान में या कहीं इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, एन.सी.आर.एफ. और सारी स्थिति जितनी भी है। ये 102 करोड़ रुपये अभी राजस्थान को मिले, उड़ीसा को मिले 828 करोड़ रुपये और गुजरात जो हमारा ही राज्य है, हमारी ही पार्टी की सरकार है, वहां 54.58 करोड़ रुपये मिले। कुल इतने से ही रुपये मिले। जिस समय ये रुपये मिले उस समय 1999-2000 में एन.एफ.सी.आर. की किटी थी 1295 करोड़ रुपये। यह तो बार-बार लगातार बढ़ती रही और जब भी बढ़ी है तब आपको सहायता मिली। लेकिन जिस समय मैंने 21 करोड़ रुपये की सहायता ली थी उस समय एन.एफ.सी.आर. की कुल किटी 800 करोड़ की थी और उस 800 करोड़ में 21 करोड़ मिले। यह सारी स्टेट्स के लिए है, अकेले राजस्थान के लिए नहीं है। अगर ज्यादा होती तो अभी जैसे आपको 102 करोड़ रुपये मिले और गुजरात को केवल 54 करोड़ रुपये मिले, इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पार्टीबाजी के आधार पर रुपयों का वितरण नहीं हुआ।

ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति बनी है उस स्थिति के लिए क्रिमनल नैग्लीजेंस राजस्थान की गवर्नमैंट की रही है। अगर हम शुरू से इस सारे मामले में चलते रहते, थोड़ा-थोड़ा भी काम चालू करते, एक लाख की जगह यदि 50 हजार मजदूर भी लगाते, दो लाख की जगह यदि हम थोड़े से भी कैटल कैम्प्स खोल देते और आज जो घोषणा की है वह नवम्बर में घोषणा कर देते कि कैटल कैम्प्स के अन्दर इतनी सहायता मिलेगी गौशालाओं में इतनी सहायता मिलेगी, कैटल फीड के लिए इतनी सहायता मिलेगी, यह उस समय घोषणा कर देते तो राजस्थान में इतनी पशु हानि नहीं होती जितनी पशु हानि इस समय हुई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आलोचना करना आसान बात है। आप यह कहें कि सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है तो फिर आप क्यों बैठे हैं ? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ? राजस्थान सरकार अलग बजट क्यों बनाती है ? अगर सारा ही भारत सरकार के ऊपर निर्भर करेगा तो हमारी तो स्वतंत्रता अपने आप ही खतम हो जाएगी।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह चर्चा की कि जिस समय हमारे प्रधान मंत्री थे तो राजस्थान को बहुत पैसे देते थे। मैं ऐसा समझता हूं कि जितनी भी स्पेशल स्कीम्स हैं इन स्पेशल स्कीम्स में ज्यादा से ज्यादा पैसे राजस्थान को मिले, उस बात का मैं प्रयत्न करता रहा हूं। मैं यह भी प्रयत्न करता रहा था कि साल के खतम होने पर किस-किस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार के किस-किस डिपार्टमैंट में पैसा बचा हुआ है। उस पैसे को लेने के लिए स्कीम भी बनाता था, कोशिश करके उनको मंजूर करवाता था और मंजूर करवाकर उसका पैसा लाता था। वह पैसा अकाल में खर्च हो या किसी काम में खर्च हो, राजस्थान का डवलपमैंट उससे चलता था। उससे सारी एक्टीविटीज राजस्थान में चलीं। उसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान में पिछले आठ वर्षों में विकास के खूब काम हुए हैं। आज चाहे एक अकाल नहीं दो अकाल हो, चाहे बाकी का हो, इस साल तो आपने प्लान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साइज छोटी करके सारे काम बंद कर दिये, आदेश निकाल दिये कि नये काम लिये नहीं जाएंगे और पुराने काम चालू हैं उनको बंद कर किया जाएगा। विकास नाम की कोई चीज नहीं। राजस्थान में वह एक इतिहास था आठ वर्ष का। आठ साल में राजस्थान में बहुत ज्यादा विकास हुआ। वह विकास ऐसा ठप्प हो गया है कि अब अकाल के नाम पर हम विकास करेंगे उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इतना पैसा होते हुए भी हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाये। इतना पैसा होते हुए भी हम व्यवस्थान नहीं कर पाये। अप्रैल में चार और पांच लाख के बीच में मजदूरी होगी, मई के अन्दर आप सात लाख कर लेंगे, फिर आगे जाकर जून में आठ लाख कर लेंगे। जून में 26 जून के आसपास अपने यहां मानसून आता है, 26 जून का मानसून यदि लेट हो गया तो जुलाई के फर्स्ट वीक में या सैकण्ड वीक में बरसात निश्चित रूप से आएगी, इसलिए आपके सामने संकट के अब केवल मई-जून के महीने रहे। दो महीने का संकट है और दो महीने के लिए और कुछ है या नहीं, स्पेशल स्कीम्स को छोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए लेकिन 301 करोड़ रुपया आपके पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि इस रुपये का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो। आज सबसे बड़ा संकट गायें निकल गईं, चारा अब थोड़ा नयी फसल आने के बाद सस्ता भी हो गया, चारा लोगों को मिल भी जाएगा। चारा मिले तो चारा देने की हम व्यवस्था करें। अभी तक, मंत्री महोदय, इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि जितने कैटल कैम्प्स खोलने की अपनी योजना थी उतने कैटल कैम्प्स नहीं खुले। जितना चारा परिवहन करने के लिए ऋण लोगों को देना चाहते थे उतना ऋण हमने नहीं दिया। जितना हम उस ऋण के आधार पर आये हुए चारे से सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर किसानों को चारा देना चाहते थे वह नहीं दे पाये। उसका मूल कारण है कि की आज किसान की परचेजिंग पावर नहीं है। आज उसकी इकोनोमिक कंडीशन नहीं रही की वह इतना महंगा चारा खरीद कर अपने जानवरों को बचा सके। उस स्थिति का लाभ उठाया और लाभ उठाकर हमने कोई व्यवस्था नहीं की और पैसा बचा लिया। पैसा बचाना एक बात है लेकिन पैसे का प्रबंधन करना, किस प्रकार से लोगों की डिस्ट्रेस के अन्दर हम सहायता करें यह दूसरी बड़ी आवश्यकता है। आपने उसकी कोई सहायता नहीं की इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह क्रिमनल नैग्लीजेंस है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना रही हुआ है जिसके कारण से आज राजस्थान की सारी जनता को इस त्राहि-त्राहि के वातावरण में से निकलना पड़ रहा है। आप यह मत सोचिये, अकाल आज तो 23 हजार गांवों में है, कई बार अकाल 30 हजार गांवों में भी पड़ा है, 31 हजार गांवों में भी अकाल पड़ा है, 28 हजार गांवों में भी अकाल पड़ा है, 1986-87 और 1987-88 में भयंकर अकाल था उसी प्रकार से 1966, 1967, 1969 में भयंकर अकाल था लेकिन उस समय इस प्रकार की स्थिति नहीं हुई जो आज स्थिति हुई, उस समय राजस्थान सरकार के पास कोई ज्यादा पैसा नहीं था लेकिन सारे के सारे डिपार्टमेंट में एक इस प्रकार का सामंजस्य बैठाएं जिससे लोगों को रोजगार मिले और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

काम हो जाए। आपने उस प्रकार की व्यवस्था नहीं की। आप केवल एक ही प्रचार में लगे रहे कि भारत सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया, भारत सरकार हमको पैसा दे। यदि भारत सरकार में आप होते और मैं आपसे मांगने जाता तो आप इससे ज्यादा पैसा दे देते क्या ? इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। चार महीने तक केवल जनता को भ्रमित करने के लिए हम काम नहीं खोल रहे हैं। इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि दिल्ली ने हमको पैसा नहीं दिया। हम पानी का प्रबन्ध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली ने हमको पैसा नहीं दिया। हम चारे का प्रबन्ध इसलिए नहीं कर पाये कि हमें दिल्ली ने पैसा नहीं दिया। दिल्ली ने पैसा नहीं दिया, इस भ्रम से आपने राजस्थान की जनता को भ्रमित किया। राजस्थान की जनता के साथ आपने घोर अन्याय किया और एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ऐसा पाप किया है कि जिसके कारण से आपको कई वर्षों तक प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर उस समय यह सारी व्यवस्था कर लेते तो यह संकट नहीं होता।

अब आपको गेहूं मिल गया। गेहूं के लिए आप कह रहे हैं कि यह मुफ्त में मिल जाए। यह कब मिला है मुफ्त में गेहूं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 1987-88 में दो लाख मैट्रिक टन फ्री मिला है अकाल पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब मिला ? काहे को मिला ? लेकिन मिला काहे में ? वैसे जिस टर्म्स पर दिया है उसी टर्म्स पर उस समय अनाज दिया गया था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पैसा नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पैसा नहीं दिया तो आगे फाइनेंस कमीशन ने पैसा काटा है आपका।

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय, फ्री नहीं मांगा है। जो दो किलोग्राम गेहूं मजदूरों को दे रहे हैं उसके लिए फ्री की बात की थी। उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है उसकी बात कही है। बाकी जो 20 किलोग्राम दे रहे हैं उसके लिए कोई फ्री की बात नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं तो मजदूरों को दे रहे हैं तो उन मजदूरों को आप देंगे मजदूरी। उस मजदूरी का जो पैसा मिलेगा उससे बीपीएल के मजदूरों को जितना पैसा मिलेगा क्या वह रियायत नहीं है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, उसमें जो किराया लग रहा है, वापस भरकर वहां ले जाएंगे, वह करेंगे, उसके लिए वह था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, किराया लगता है। उसकी व्यवस्था मैंने की है। ऐसी बात नहीं है। 1977-80 तक फूड फार वर्क मैंने चलाया था। मैंने व्यवस्था की है। मैंने अनाज का ट्रांसपोर्टेशन भी किया, साइट पर भी अनाज पहुंचाया। मजदूर मजदूरी के बाद में अनाज लेकर जाते थे। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं हो पाती हो। व्यवस्था हो सकती है। व्यवस्था कंसल्ट करनी चाहिए। लेकिन यहां प्रचार किया गया कि अनाज सड़ा-गला नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आ जाए, लोग उसको खाकर बीमार नहीं हो जाएं। गोदाम से तो अनाज आप उठाने वाले हैं, उठाएं उस वक्त देख लें कि अनाज खराब है या अच्छा है। खराब हो तो उसको मत लो, अच्छा अनाज ले लो। भारत सरकार ने आपको यह भी कह दिया आप चारा ट्रांसपोर्ट करना चाहो, पानी ट्रांसपोर्ट करना चाहो, हम फ्री करेंगे। अब आप चारा ट्रांसपोर्ट करो तो रेलवे पूरी तरह से आपकी मदद करेगी। उसका आपने एहसान नहीं माना। अगर आप पानी की सारी व्यवस्था करना चाहो, जोधपुर से पानी भरकर यदि बाड़मेर ले जाना चाहो, जोधपुर से पानी भरकर जैसलमेर ले जाना चाहो, जोधपुर से पानी भरकर नागौर ले जाना चाहो, सारी जगह जहां-जहां पर रेल जाती है, रेलवे पानी मुफ्त में ले जाने को तैयार है। यह सहायता क्या कम है ? लेकिन मुझे अफसोस है कि आज जिन्होंने दिया उनकी आलोचना करते हो। उनके लिए मुंह से कोई यह नहीं कह रहा है कि हमें इतनी सहायता दी, उसके कारण से हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। केवल आलोचना से काम नहीं चलने वाला है। जो सहायता दें, एक रुपये की दें या पांच रुपये की दें, 10 रुपये की दें, 10 करोड़ की दें, पचास करोड़ की दें, हम कम से कम यह तो फील करें कि हमारी सहायता की है और इस आधार पर हम धन्यवाद भी करें तो आगे का रास्ता भी खुलता है कि भाई, कम से कम जो लिया है, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। जो लिया है उस पर आलोचना करें तो देने वाले सात जनम तक...

श्री रामसिंह विश्नोई : कौन आलोचना करता है ? दो-तीन दिन तो हुए हैं जुम्मे-जुम्मे, अभी घोषणा हुई, आप यों ही वातावरण बना रहे हैं। हम तो बहुत एहसान मानते हैं आपका कि आपने माथाफोड़ी करके यह किया है। वातावरण ऐसा बना हुआ है कि पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसी माननीय सदस्य ने कभी यह कहा है कि कोई अच्छी बात नहीं की है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आज सुबह ही कमला जी कह रही थीं कि हमें कोई धर्मादे में नहीं दिया है, यह नहीं दिया है...

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, नहीं। किसी माननीय सदस्य ने जब इस प्रकार की कोई बात कही तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया है। बहुत अच्छी बात कही है और अगर यह व्यवस्था हुई है तो अच्छी बात है। आपको इसमें सहयोग करना चाहिए, आपका फर्ज है। आपने कई वर्षों तक प्रदेश का नेतृत्व किया है, आपका फर्ज बनता है। दिल्ली में आपकी सरकार है, हम कोई मांग नहीं रहे हैं, आपका फर्ज बनता है, इस मौके पर सहयोग करना चाहिए। उड़ीसा में जब हुआ तो उसमें सब लोगों ने मदद की, पूरे देश ने की मदद। इसमें क्या बात हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तब आपका धन्यवाद प्रकट कर देंगे।

श्री महेश जोशी : आप ही बता दें, कटारिया साहब, धर्मादे में दिया हुआ हो तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको शायद यह जानकारी नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने मुझे कहा था, उसके बाद मैं प्रधान मंत्रीजी से मिला हूं और आपको सुनकर खुशी होगी कि आल इण्डिया बी.जे.पी. वर्किंग कमेटी में मैंने अकाल का सारा मामला रखा है और रखकर भारत सरकार को मुक्त हस्त से सहायता करने की अपील की है। उसके बाद में एक वातावरण बना है। आप मुझे धन्यवाद नहीं दें, मुझे इसकी चिंता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे धन्यवाद देने की लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार जो उदारता से आपकी सहायता कर रही है, उसको भी आप धन्यवाद देने में कंजूसी कर रहे हैं। आपका कौनसा पैसा लग रहा है ? आपकी कौनसी परेशानी होती है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, जब से आपका माइंड साफ हुआ है, हम धन्यवाद देने लग गये हैं आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माइंड राजस्थान के लिए हमेशा साफ रहता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, पहले साफ नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल साफ रहता है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आप चाहे भेदभाव कर सकते हैं लेकिन राजस्थान का जहां प्रश्न आता है, राजस्थान सरकार कोई भी हो, 1952 से लेकर आज तक कोई भी सरकार हो, राजस्थान में विकास की दृष्टि से सहयोग करता आया हूं। यह एक रिकार्ड है, आप देख लें कहीं भी। कोई भी राजस्थान के इंट्रेस्ट का मामला होगा, उसको मैंने चाहे अपनी तरह से उठाया हो, चाहे सरकार पर इल्जाम लगाकर उठाया हो, लेकिन सरकार की सहायता हर मामले में की है ताकि राजस्थान का भला हो सके।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरे विषय पर आना चाहता हूं और यह विषय यह है कि आप जो रुपया खर्च कर रहे हैं, जिस प्रकार की मांग आई, लेबर बढ़ाओ, यह करो, यह नहीं करो। मैं एक बात के लिए सावधान करना चाहता हूं कि राजस्थान में पानी का संकट आज है। हम दो महीने इसका इंतजाम भी कर लें, यह संकट होगा। इस संकट का स्थाई समाधान क्या हो सकता है, हम इस बारे में थोड़ा-सा विचार करें। ज्यादा से ज्यादा पूंजी हमारी लगे लेकिन पानी की व्यवस्था स्थाई रूप से हो सके उसके ऊपर हम और रुपया खर्च करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आज जयपुर शहर में त्राहि-त्राहि मची हुई है। अब यह त्राहि-त्राहि क्यों मची हुई है ? कि रामगढ़ बांध में पानी नहीं आया है। उसमें इतनी सिल्टिंग हो गई है कि पानी जमा होने की, इम्पाउंड करने की, उस तरह की गुजांइश नहीं रही । आज इस तरह के जितने भी बांध, इस तरह के जितने भी तालाब चाहे गांवों में हों चाहे कस्बों में हों, उन तालाबों का एक अभियान चलाकर आप उनकी डीसिल्टिंग कर दें। पानी ज्यादा इम्पाउंड होगा तो रिचार्जिंग की व्यवस्था हो जाएगी। पानी ज्यादा इम्पाउंड होगा तो उसके कारण से सिंचाई भी हो सकेगी और पीने के पानी का प्रबन्ध भी हो सकेगा। आप दोनों बैठे हैं और, रामसिंहजी, मैं आपके लिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही बोल रहा हूं, अगर पी.एच.ई.डी. में ज्यादा पैसा खर्च होगा तो आपका वर्चस्व ज्यादा बढ़ेगा। इस वर्चस्व को बढ़ाने की मैं तो वकालत कर रहा हूं और आप बीच-बीच में मुझे छेड़खानी कर रहे हैं, यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। एक तरफ यह प्रश्न है जिसके ऊपर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

दूसरा प्रश्न आपको कहना चाहता हूं, इन्हीं पैसों में से यदि आप खर्च करें, जितनी भी रीजनल पाइप लाइन स्कीम्स हैं, रीजनल पाइप लाइन स्कीम से टेल एंड पर पानी नहीं जाता और बीच में भी नहीं जाता। आप उसमें से अधिकांश पैसों से उन रीजनल पाइप लाइन को इतना मजबूत बना दें दो महीनों के अन्दर कि यह प्राब्लम सदा-सदा के लिए वहां से खतम हो जाए। रीजनल पाइप लाइन तो पड़ी है, इन्वैस्टमैंट करोड़ों रुपयों का हो गया, लेकिन इसमें डिफैक्ट रह गया तो टेल एंड पर पानी नहीं पहुंचता है, गावं में भी पूरा पानी नहीं पहुंचता है। तो आज इस मौके पर आप व्यवस्था कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसलमेर जिले के जितने भी खड़ीन है, उन खड़ीनों की आप खुदाई करवा दें, उन खड़ीनों को दुरुस्त करवा दें तो जैसलमेर जिले में पानी इम्पाउंड हो सकता है और जहां पानी इम्पाउंड नहीं हो सकता है वहां पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरा एक्सपेरीमैंट तो कोई अच्छा नहीं रहा, पुरानी सरकारों का भी एस्पेरीमैंट अच्छा नहीं रहा है, जैसा कल गुलाबचन्दजी कटारिया ने सारी अनुदानों की मांग पर एक उदाहरण देकर जिक्र किया था बैंक के आधार पर। पिछली सरकार ने 1990 से पहले कई जगह टांके बनाए थे। टांके बनाकर अनुदान ले लिया, कर्जा ले लिया और टांका कोई एक बना नहीं, लेकिन आप सख्त व्यवस्था कर लें और टांके बनवाने का काम करवा दें। यह पुराना सिस्टम बनेगा तो शायद राजस्थान की इस समस्या का समाधान हो जाए। नर्मदा का पानी भगवान जाने कब आएगा ? राजस्थान कैनाल का पानी बाड़मेर कब पहुंचेगा ? जोधपुर की व्यवस्था हो गई है लेकिन जोधपुर के गांवों में किस तरह की स्थिति है, उस स्थिति के मुकाबले में हम व्यवस्था करेंगे तो अगली साल फिर कोई संकट आ जाएगा इसलिए पांच-दस दिन में बैठ कर पूरे राजस्थान का ब्लू प्रिंट बनाएं और ब्लू प्रिंट बनाकर इस पानी की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर कंसन्ट्रेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरा काम लोगों को मजदूरी देना है। मजदूरी देनी है तो एक बार मुझे याद है, आपको भी याद होगा, शायद 1976 की बात होगी, 1976 में अकाल पड़ा था, 1976 होगा 1969 होगा वह आप देख लें, एक बार सुखाड़ियाजी ने इस प्रकार का फैसला किया कि हमें इस प्रकार का काम करना चाहिए कि लोगों को मजदूरी देने के लिए वहां काम न खोलें लेकिन बारह रुपया माहवार आप उनको दें ताकि सब लोगों को मजदूरी मिल जाए और बाकी के लोग...(व्यवधान) बारह रुपये दिये थे शायद। साढ़े बारह, हां आपको याद होगा।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : साढ़े बारह रुपये दिये 1968 में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1968 में साढ़े बारह रुपये दिये। साढ़े बारह रुपये का उनको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भुगतान किया और बाकी के सब लोगों को काम सलैक्ट करके उन कामों को पूरा कराने के लिए आपने एनर्जी वहां पर लगाई, कंसन्ट्रेट किया। उसके अच्छे नतीजे निकले। मैं समझता हूं कि लोगों को मजदूरी देना या लोगों के पेट भरने की व्यवस्था करना, अगर पेट भरने की हम व्यवस्था कर दें तो केवल मजदूरी के नाम से नहीं, बल्कि उस मजदूरी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, उस उपयोग वाले काम हम लें, इससे ज्यादा कोई दूसरी बात हो नहीं सकती।

तीसरी बात, आप बैठे हैं, रामसिंहजी साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं भी गांवों में घूमता रहता हूं, संकट किस बात का है ? रीजनल पाइप लाइन स्कीम है, पांच-पांच, छह-छह दिन तक बिजली नहीं पहुंचती और बिजली नहीं पहुंचती उसके कारण से लोगों में त्राहि-त्राहि मचती है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अल्टरनेटिव प्रोग्राम नहीं होता। बल्कि कई जगह तो ऐसी हालत है कि बिजली नहीं पहुंचती, तीन दिन तक बिजली नहीं पहुंची, न तो कलेक्टर को जानकारी है, न एस.ई. को जानकारी है कि बिजली वहां नहीं पहुंच रही है। अब जो आदमी एक रीजनल पाइप लाइन स्कीम के ऊपर पानी के लिए निर्भर करते हैं, अगर तीन दिन पानी नहीं मिले, चार दिन पानी नहीं मिले तो निश्चित रूप से त्राहि-त्राहि मचेगी। उसका नतीजा यह निकला, मैं अभी नागौर जिले में गया था, नागौर में कुछ लागों ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं, व्यवस्थाएं करके टैंकर से गांवों में पानी पहुंचाते हैं। उसका कितना खर्चा आता है, इसका तो आप अंदाजा लगा लें लेकिन लोग अपनी व्यवस्था करने लगे। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा, आप इतने सख्त आदमी हैं, इस सख्ती के कारण एक काम और कर लें कि बिजली जिस दिन बंद हो किसी भी रीजनल पाइप लाइन स्कीम में या पानी के मामले में, वह इत्तला तुरन्त उसी दिन कलेक्टर को मिलेगी और कलेक्टर अल्टरनेटिव अरेंजमैंट्स करेंगे। यदि बिजली को सम्भालने के लिए कोई इंजीनियर नहीं पहुंचे, एस.ई. नहीं पहुंचे तो आप बिना पूछे उस आदमी को सस्पैण्ड कर दें। दो-चार आदमियों को आपने सस्पैण्ड कर दिया तो मैं आज आपको कह सकता हूं कि बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी और बिजली के अभाव में जो लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि करते हैं वह त्राहि-त्राहि करने की स्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिए आप थोड़े सख्त मन बन जाओ। दो महीने बाद में चाहे उनको आप इनाम दे देना लेकिन आप अभी इस तरह की कोई भूल करते हैं, गलती करते हैं, जानकारी उसको नहीं रहती, उसको तुरंत सजा मिले, लैसन मिले, इस स्थिति में आप काम करेंगे तो ज्याद अच्छा होगा।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, कई बातों की चर्चा की गई, सड़क बनाने की चर्चा की गई। मैं समझता हूं इन पैसों से सड़क नहीं बन सकती। कोई यह सोचे कि तीन सौ एक करोड़ में जब लोगों को मजदूरी देनी है तो सड़कें तो बनाना मुश्कि ल है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसी रुपये में आप राजस्थान में सड़कों की मरम्मत करा दें, उसमें भी काफी मजदूर लग जाएंगे। जहां मरम्मत का काम ही नहीं है वहां यदि कोई नई सड़क बनाने का काम लें तो ठीक है। ये सड़कें यदि इस बरसात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के पहले आपने मरम्मत नहीं कराई तो करोड़ों रुपये की सड़कें बरसात के अन्दर बह जाएंगी, आपको उससे ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आप इसी आधार पर चलें। दूसरा, मैं यहां पर सुन रहा था कि हमारे बच्चे खेजड़े के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं, कोई बड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, आज हम उस फंड से स्कूल की बिल्डिंग बनवा दें वह ज्यादा फायदेमंद होगा बनिस्बत इसके कि स्केटर्ड-वे में हम कोई काम कराएं और उस काम का परिणाम कोई नहीं निकले।

मैं इसी आधार पर एक निवेदन और करना चाहूंगा, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी सुन लें, हम 1952 से लेकर आज 2000 तक 48 वर्षों में किसी न किसी रूप में दो वर्ष में, एक वर्ष में अकाल की समस्या से जूझते आ रहे हैं। इस अकाल की समस्या में अठारह हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी हम इसका समाधान नहीं कर पाये। हम उसी तरह से फंसते रहते हैं तो यह जिद का सवाल नहीं है। मुख्य मंत्रीजी कई कमीशन बनाने के आदी हैं, कमीशन उन्होंने बना दिये, एक कमीशन कोई पोलिटिशियंस का नहीं,एक्सपर्ट्स का बना दें कि राजस्थान की अकाल की समस्या के लिए स्थाई समाधान क्या हो सकते हैं। उस स्थाई समाधान के लिए केवल अकाल के फंड से ही नहीं, हम बाकी के फंड से भी व्यवस्था करें तो राजस्थान में एक नहीं, दो नहीं, तीन-चार वर्षों के बाद में हम गारन्टी से कह सकते हैं कि पीने के पानी का संकट नहीं होगा, अब पशुओं के लिए चारे का संकट नहीं होगा, अब गरीबों के लिए मजदूरी का संकट नहीं होगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम कर दें तो ठीक रहेगा। अकाल का कोई पता नहीं, किस वर्ष अकाल आ जाए, किस समय बरसात नहीं हो लेकिन हम यदि व्यवस्था करके बैठे हैं कि हमें अकाल की समस्या का समाधान करना है तो इस वर्ष के डिपार्टमैंट्स के बजट्स में कुछ व्यवस्था करें, काम वह करवा दें, कुछ अकाल के पैसों से करवा लें, कुछ इर्रिगेशन डिपार्टमैंट से करवाएं, कुछ और करवाएं, इस प्रकार की व्यवस्था में लगें तो इस राजस्थान की समस्या का समाधान कर सकेंगे वरना तो आप मानकर चलिए, आज जो संकट है वह कल भी रह सकता है, हमेशा भी यह संकट रह सकता है। इस संकट का समाधान करना बहुत ही आवश्यक है।

मैं इतना निवेदन कर दूं कि यहां प्रधान मंत्रीजी ने अपील की है, सारी जनता से अपील की है कि राजस्थान के लोगों की सहायता की जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस अपील के आधार पर और इसमें जोर करना चाहें तो अपनी अपील कर दें। यदि इन सारे कामों में आप कहें जो आदमी पैसा दे सकते हैं, उनसे यदि काम लिया, रुपये लिए और रुपये लेकर गांव के गांव में आपने काम कराने की योजना बनाई तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमने किया था और बहुत अच्छा एक्सपैरीमेंट रहा। हमने स्कूल और हास्पिटल्स की बिल्डिंग्स बनाने के लिए भामाशाह योजना बनाई। उस भामाशाह में कोई करोड़पति या अरबपति नहीं थे, किसी आदमी का सम्मान करना है, भामाशाह के नाम से और उसको यह कहना है कि तुम स्कूल की बिल्डिंग बना दो, तुम यह हास्पिटल बना दो,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तुम यह अमुक काम कर दो। बहुत लोगों ने लगभग 32 करोड़ रुपये के काम कराए। मैं ऐसा समझता हूं कि आपके मुख्य मंत्रीजी और आप सब मिलकर यदि इस प्रकार का वातावरण बनाएं तो उस वातावरण में हम भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं, जिसके आधार पर गांव के छोटे-मोटे काम अपने आप बन जाएं। हम जनता का सहयोग इस समय नहीं लें, मई-जून का महीना है, मई-जून में शायद यह वातावरण नहीं बन सके लेकिन लगातार यह आपके ध्यान में हो, कोई भी जो एक्सपर्ट्स टीम बने और वह एक्सपर्ट्स टीम यह कहे कि पानी की यह व्यवस्था करनी है, इस प्रकार के स्थाई काम कराने हैं तो उनको चिह्नित करके एक-एक आदमी के पीछे हम पड़ें और उनको यह कहें कि तुम यह स्कूल बनवाओ, यह हास्पिटल बनाओ और यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करो तो डिपार्टमेंट का एक्सपेंडीचर भी जो है उसमें तो हमारी बचत होगी ही, इस अकाल संबंधी कामों में स्थाई समाधान करने के लिए काम कर पाएंगे। इसके आधार पर विचार करने की कोशिश करें।

तीसरा, मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, वह मेरा तो अनुभव है, मैंने देखा हुआ है कि जो मस्टररोल का मामला है, यह मस्टररोल का मामला न तो आपके काबू का है और न इसको कोई काबू कर सकता है। आप इस सिस्टम को बदलिए। इस सिस्टम में मैंने जो कहा था कि पन्द्रह दिन से आप मजदूरी का भुगतान करते हैं, इस सिस्टम के अन्दर गड़बड़ी हुए बिना नहीं रह सकती। यदि ज्यादा गड़बड़ी करानी है तो आप एक महीने से पेमेंट कराएं, और भी ज्यादा आपको गड़बड़ी करानी है तो दो महीने से पेमेंट कराएं। वरना राज्य सरकार के सामने कोई समस्या नहीं है कि हम सातवें दिन लोगों को पेमेंट कर दें। जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे, मैं आपको इतना कहता हूं, मस्टररोल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, गलत हाजरियां नहीं होंगी और गलत आदमी पैसा नहीं ले सकता। लेकिन जितना पेमेंट में देरी करेंगे उतना ही कोई किसी प्रकार का चैक नहीं रहेगा। जो पन्द्रह दिन में पेमेंट कर सकते हैं वह सात दिन में भी कर सकते हैं, इसलिए इसका पेमेंट सात दिन के अन्दर करवाने की व्यवस्था करें। इसमें कोई मेरी जिद का सवाल नहीं है लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जितना डिलेड पेमेंट होगा उतना ही करप्शन ज्यादा बढ़ेगा, जितना जल्दी पेमेंट होगा उससे करप्शन की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। खेतसिंहजी बैठे हैं, इस बात का अनुभव है और मैं समझता हूं, मेरी बात का वे समर्थन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बिराज जाओ न, थक गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो बिराज रहा हूं, मैं तो बैठने ही वाला हूं। आप तो घर जाकर आये हैं, आप तो ताजा होकर आये हैं।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस अकाल की समस्या को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाए। राजनीतिक रूप देंगे तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। आप यह मत समझिए कि हम चालीस-पैंतालीस हैं और इनकी उपेक्षा करने के कारण कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा। कांग्रेस का वर्चस्व इन चीजों से बढ़ने वाला नहीं है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा जब राजस्थान का विकास होगा। लेकिन विकास नहीं होगा तो चाहे 153 या कितने ही आदमी आज बैठे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी आये जैसे करें। दो-चार-पांच दिन में जो विधान सभा में सदस्य बोले हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि सरकार का वर्चस्व किस प्रकार का है। डेढ़ वर्ष में इतना वर्चस्व हो जाए कि सदन के अन्दर एक सदस्य भी कांग्रेस की सरकार का समर्थन करने वाला नहीं हो, एक सदस्य भी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभी ने किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जरूर किया है। शुरू-शुरू में कहते हैं अशोक महान है, अशोक सम्राट है, अशोक संवेदनशील है, पारदर्शी है, देवता है और यह सेन्टेन्स होने के बाद में हमारे मजदूरों को टाइम पर तनख्वाह नहीं मिली, वहां पर पानी नहीं पहुंचा, वहां भ्रष्टाचार हो गया, वहां पर धरना दे रहे हैं-ये सब कुछ बातें चल रही हैं। उससे आप अंदाजा लगा लें कि आपकी सरकार में जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है। ये तो पार्टी के डिसीप्लिन में बंधे हुए हैं, अगर आप डिसीप्लिन से हटा देवें तो शायद आपको रवाना कर देने में भी सदस्यों को देरी नहीं लगेगी, यह स्थिति है।

श्री महेश जोशी : यह आपका पुराना अनुभव है अनुशासन में बांध कर रखने का, चौखी ढाणी में रखने का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है, चौखी ढाणी में रखूं चाहे कहीं रखूं लेकिन इस प्रकार की आलोचना 8 वर्षों में मेरे खिलाफ कभी नहीं हुई है। आप यह बताओ न। आपने जो आलोचना सुनी है उस प्रकार की आलोचना मैं तो 8 वर्ष मुख्य मंत्री रहा हूं...

श्री रामसिंह विश्नोई : यह आलोचना नहीं है, यह तो सुझाव है। पार्टी में आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है यह तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। स्वतंत्रता का ही नतीजा है कि राज्य सभा में 14 वोट कांग्रेस के मिल गये। वह स्वतंत्रता का ही परिणाम है।

श्री रामसिंह विश्नोई : लेकिन आये भी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आये हैं कि नहीं लेकिन आपके तो 14 गये न।

एक माननीय सदस्य : आपके कितने गये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे कितने ही जाओ लेकिन आपके 14 गये कि नहीं ? अब 14 गये तो स्वतंत्रता देखना कितनी खतरनाक है। इसका अंदाज लगाना । आज 14 गये हैं, और खेतसिंहजी तो जाएं कि नहीं जाएं, इसको मैं नहीं कह सकता लेकिन कभी मन कर ले तो चले भी जाएं, खेतसिंहजी को कोई रोकने वाला नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप यह कैसे कहते हैं ? आपको क्या मालूम कि 14 गये कि 10 गये कि 5 गये, कि गये ही नहीं ? हमारे तो दो वोट की ही गड़बड़ थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल सही है, हां, वो दो वोट हैं। लेकिन वो आपका मन जानता है। घर में बैठकर तो बात करते हैं कि 18 गये। मैंने तो 14 ही बताये, हमारे तो 18 गये। अब इससे आप अंदाजा लगा लें। मैम्बर्स जो बोले हैं इस हाउस में, यह संकेत है सरकार के प्रति असंतोष का। इस असंतोष के संकेत को आप समझ लें। ऐसा नही समझें कि हमारी तारीफ कर दी, खेतसिंहजी बहुत अच्छे हैं। जैसे यहां भाषण देने वाले पहले तारीफ करते थे रामसिंहजी की, कि पानी लेना है। रामसिंहजी को नाराज कर लें और कल ही हैण्डपम्प बंद करा दें तो इनका क्या पता लगे। दूसरा काम कराना है, गुलाबसिंहजी से मजदूरी के लिए काम खुलाना है, कोई सीलिंग 20 हजार से 50 हजार की जाए, 30 हजार से 40 हजार की जाए। यह आदमी का स्वभाव है, यदि आपकी आलोचना करे तो दिमाग में आता है कि इसने मुझे विधान सभा में धमकाया था, अब तो इसकी सीलिंग कितनी बढ़ाएंगे इस पर विचार करना पड़ेगा। यह एक स्वभाव है मनुष्य का। ऐसा नहीं है कि कोई आप में ही हो, यह सब में है। एक बार आप रामसिंहजी को देखकर कर लें रामसिंहजी...

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्यों ने तो माना कि नहीं कहा लेकिन आपने भी तो नहीं कहा। थोड़ा बहुत तो आप भी कहते हमारी गलतियों के बारे में। माननीय सदस्य तो मान लीजिए डर गये कि काम कराना है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है मैं कह रहा हूं न।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप भी भले आदमी हैं, इतने वर्षों तक आप राजनीति में रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी गलती निकालें। क्या बात है। सुझाव दें तो आपका स्वागत है इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी गलती मैं क्या कहूं ? क्या गलती बताऊं ? कोई काम किया हो तो गलती बताऊं न। काम तो कुछ किया नहीं और आप कहते हैं कि मुझे गलती बताएं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इतनी योजनाएं बनाईं और फिर भी आप कह रहे हैं।

श्री महेश जोशी : अभी तो आप वर्चस्व बढ़ा रहे थे इनका।

श्री रामसिंह विश्नोई : देखिए, माननीय नेता महोदय, आपकी हम इज्जत करते हैं, बाकी हम आपकी पोल ज्यादा जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां तो आप निकालो न पोल।

श्री रामसिंह विश्नोई : लेकिन आपने जो किया है प्रदेश के हित में किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं, आप कोई संकोच ही मत करें, मेरी सरकार की जितनी पोल निकालना चाहते हैं वह निकालें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप निकाल लें, खूब निकाल लें, इसमें मैंने कब रोका ? आपके पास सरकार है, पुरानी फाइल्स आपके पास पड़ी हैं जितनी पोल निकालनी है निकालें, मुझे इसमें संकोच नहीं है। लेकिन आपने जो कहा न कि आपने मेरी आलोचना क्यों नहीं की, मैंने इसलिए नहीं की कि आपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदन में पांच दिन पहले माफी मांग ली और यह कहा कि राजस्थान की जनता से माफी चाहता हूं मैं, जो काम मुझे दिसम्बर में शुरू करने चाहिए मैं अभी तक नहीं कर पाया। एक बार कोई सदस्य या मंत्री विधान सभा में क्षमा मांग ले तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि उसके ऊपर किसी प्रकार का हमला करूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : भैरोंसिंहजी, आपने और आपकी सरकार ने खुद, अकाल तो आपके कार्यकाल में भी पड़े हैं, हमेशा अप्रैल में काम शुरू किये हैं। हमने तो फिर भी दिसम्बर में शुरू किये थे। मैंने यह कहा था कि पिछले वर्ष हमने जो काम दिसम्बर में शुरू कर दिये थे वो हम अब अप्रैल से कर रहे हैं। बाकी ये काम तो अप्रैल से शुरू करने की परम्परा आपके कार्यकाल से ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अप्रैल से नहीं है। यह तो मैंने वायदा नहीं किया था, आपकी सरकार के ज्ञापन में लिखा हुआ है कि हम नवम्बर से काम शुरू करेंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह गुलाबसिंहजी कह रहे हैं, यह आपकी सरकार कह रही है, नवम्बर से काम शुरू करने की बात आपने कही और फिर आपने कहा कि दिसम्बर में मुझे पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो देरी से मिला इसलिए मैं काम शुरू नहीं कर पाया और सदन से इसके लिए क्षमा चाहता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : देखो अच्छे-अच्छे सुझाव देने चाहिए, इन बातों में क्या रखा है ? आप क्या ऐसी बातें करते हो ? यह कोई बात हुई ? इतनी अच्छी बात कह करके आप इतनी हल्की बातों पर आ गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं हल्की बातों पर नहीं आया लेकिन आपने मुझे कहा कि आपने मेरी आलोचना क्यों नहीं की। मैंने इसलिए कहा कि काम करें उसकी आलोचना होगी, जो काम नहीं करे उसकी क्या आलोचना हो। कोई बात नहीं है। आप नाराज नहीं हों, आपने जो कहा है वही मैं रिपीट कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है। बाकी आलोचना तो कोई कर नहीं सकता इसलिए कि डरता है कि आज अगर रामसिंहजी नाराज हुए तो कल हैण्डपम्प बंद या हैण्डपम्प कोई खुलेगा नहीं। आपकी खुशामद नहीं हो रही है, लोग हैण्डपम्प को देवता मान कर उसकी पूजा कर रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : इससे ज्यादा बुराई क्या हो सकती है। क्योंकि हैण्डपम्प में तो पानी आना नहीं है। तो आप सब कहेंगे कि रामसिंह ने यह करा दिया। आपको सबको मालूम है कि पानी नीचे चला गया, अब रामसिंह कहां से पानी लाएगा वहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इसलिए कह रहा हूं न।

श्री रामसिंह विश्नोई : अब जो भी हैण्डपम्प बंद हो गये, आप कहेंगे कि आप बोल गये इसलिए आपका हैण्ड पम्प बंद हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब आपके मन में भी यह है कि हैण्डपम्प चालू कर देंगे तो पानी तो आएगा नहीं। यह तो है ही न मालूम। लेकिन लोगों को यह भी मालूम है कि हैण्डपम्प यदि गहरा खोदा गया तो पानी आएगा। अब वह गहरा खोदना या नहीं खोदना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह आपके हाथ की बात है। यह आप अगर गहरा खुदवा दो, वाटर लेवल तक अगर हैण्डपम्प को ले जाएंगे तो पानी निश्चित रूप से मिलेगा। खैर, आपको दर्द हुआ हो मैंने जो कुछ कहा उससे...

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, आप टैक्नीकली देंखे आप जैसे आदमी तो जानते हैं, दो सौ फीट से ज्यादा हैण्डपम्प मानव हित में है क्या ? क्या सम्भव है यह एक लेडी या कोई छोटा बच्चा हो उसके लिए ? दो सौ फीट पानी निकालने के लिए कम से कम उसको पांच मिनट तक ड्रिल करना पड़ता है, तब जाकर होता है ऐसा सम्भव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह मैं बता दूं...

श्री रामसिंह विश्नोई : सौ फीट पर ही हैण्डपम्प काम के होते हैं, दो सौ फीट अपनी मजबूरी है। दो सौ फीट के बाद तो ट्यूबवैल बन जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आज आपको बता दूं कि मैं इस हैण्डपम्प की स्कीम के बिलकुल विरोध में था। आपको याद होगा, जब सबसे पहले जोधपुर शहर में हैण्डपम्प लगाये गये तो मैंने सदन में भाषण दिया था कि एक बार यदि यह हैण्डपम्प का सिस्टम चालू हो गया तो हर जगह हमें हैण्डपम्प खोलने पड़ेंगे। और हैण्ड पम्प पानी का स्थाई इलाज नहीं है, यह उस समय भी मैंने कहा था। आप खुद अंदाजा लगा लें कि राजस्थान में हैण्डपम्प्स पर हमने कितना इन्वैस्टमैंट किया है। इतना इन्वैस्टमैंट अगर हम रीजनल पाइप लाइन की स्कीम या परमानैंट सोर्स में लगाते तो आज राजस्थान के सामने पीने के पानी की प्राब्लम नहीं रहती। मैं आज भी कहता हूं कि आप धीरे-धीरे इसका परिवर्तन करें क्योंकि अभी तो लोगों के दिमाग में हैण्डपम्प ही हैण्डपम्प आ गया, हम निकालने की कोशिश करेंगे तो वह ठीक नहीं होगा लेकिन धीरे-धीरे आप इस स्कीम को डाइवर्ट करते हुए परमानैंट सोर्स किस प्रकार से बन सकते हैं उसके ऊपर इन्वैस्टमैंट करें। आज गांवों में हैण्डपम्प हैं, मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप तो अनुभवी हैं, उसमें जितने भी अबेडंड हैण्डपम्प हैं उन अबेडंड हैण्डपम्प में जितनी पाइप पड़ी है वो पाइप निकलवाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि बहुत धनराशि हमको उन अबेडंड हैण्डपम्पों से मिल सकती है उसी राशि को हम दूसरे कामों में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमको फायदा होगा।

पानी के प्रबन्ध के मामले में मैं इतना ही कह सकता हूं, ज्यादा नहीं कहना चाहता। राजस्थान में यह संकट बहुत जबरदस्त है। मैंने एक बार आज से तीन साल पहले इजराइल के एक्सपर्ट को बुला कर राजस्थान का पूरा वाटर सर्वे करवाया था। उसके बाद में जो उन्होंने मुझे पिक्चर बताई वह बहुत ही भयावह थी। उन्होंने कहा कि जितना आप अण्डर ग्राउण्ड वाटर एक्सप्लोइट करेंगे और पानी रिचार्जिंग का सिस्टम नहीं हुआ तो राजस्थान में 20 वर्षों के बाद में एक माइग्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। भगवान करे वो स्थिति पैदा नहीं हो और हम सब मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि पानी का सब जगह इंतजाम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो जाए। आज आपको ए.डी.बी. से पैसा मिला हुआ है, मिलेगा, अभी मिला नहीं है लेकिन ए.डी.बी. का पैसा...

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह इजराइल का एक्सपर्ट आया था, आप कह रहे हैं आपने उसको सारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बताई, फिर उसने ओपीनियन क्या दी। वह राय दो न तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ओपीनियन तो बता रहा हूं, राय दी कि पानी को कंजर्व करो।

(24.00बजे)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहां करें, कैसे करें ? पानी बरसे तो करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इजराइल में मैं भी देख कर आया हूं, आप सारे इजराइल में घूम लो, हवाई जहाज से घूमो, कार से घूमो आपको पानी का एक लौटा भी शहर में या गांव में नहीं मिलेगा। सारा सिंचाई सिस्टम अंडरग्राउंड है, ड्रिंकिंग वाटर की सारी व्यवस्था अंडरग्राउंड है। सब जगह एक्वा प्रेशर बना रखे हैं। बरसात का पानी घेर कर एक जगह लाते हैं और एक जगह लाकर उसको जमीन में इम्पाउंड कराते हैं। इम्पाउंड कराने के बाद, मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि इस तालाब में कितना पानी अंदर डाला है उसका बैंक की तरह से हिसाब रखते हैं कि कितना पानी इसमें से हम निकाल सकते हैं। उसके कारण लोग बचे हुए हैं। ड्रिप इर्रिगेशन और स्प्रिंकलर का काम इसी आधार पर चला था कि पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत हो। लेकिन हमारी आदत ही नहीं है। चाहे कैनाल सिस्टम में हो उसकी बचत नहीं हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर का हो उसकी बचत नहीं है। कोई आदमी को मैंने ऐसी चिंता करते हुए नहीं देखा कि अगर पानी टैप से निकल रहा है तो उसको हम बंद कर दें या कोई मोगा खुला है और उस मोगे से खेत में पानी बह रहा है, किसी को चिंता नहीं है। पानी के संबंध में लोग चिंता करने लग जाएं यह वातावरण हमें बनाने की आवश्यकता है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जो सारी अव्यवस्था फैली है इस अव्यवस्था के संबंध में मैं समझता हूं कि माननीय अकाल राहत मंत्रीजी जवाब देंगे कि नवम्बर से फरवरी तक पैसा होते हुए भी हमने काम क्यों नहीं शुरू किये और राजस्थान की जनता को यह सजा किस बात की दी। क्या आपको जिताया है इस बात की सजा दी है या आपने भूल में सजा दी है, दोनों में कोई न कोई आप उत्तर देंगे। और राजस्थान की परमानैंट व्यवस्था हो, इस संबंध में अकाल राहत का पैसा खर्च करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहायता मंत्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल और पीने के पानी की समस्या के बारे में इस सदन में चर्चा हुई और लगभग 45 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। चर्चा के दौरान कई अमूल्य सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये। अधिकतर जो मांग मेरे सामने आई, मैं जो विश्लेषण कर पाया, मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए, कुछ नये काम जोड़ने की दृष्टि

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

से, राहत कार्यों में सड़कों के निर्माण निजी कुओं को गहरा कराने के संबंध में, मैटीरियल कम्पोनेंट को 25 परसेंट से बढ़ाकर 45 परसेंट तक या 40 परसेंट तक करने के प्रस्ताव मुख्य रूप से मेरे सामने आये हैं। सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया कि वहां क्या पानी की दिक्कत है, काम की दिक्कत है, मजदूरों की दिक्कत है, चारे की दिक्कत है। इस तरह के जिक्र उन्होंने किये। जिन माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार ने काम की प्रायोरिटी निश्चित की है। बार-बार यह सवाल खड़ा होता है कि हम अकाल से निबटने के लिए कोई स्थाई हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते। इस बार सरकार ने जो नीति बनाई है उसमें उन कामों को प्राथमिकता देने का निश्चय किया है जिसकी वजह से हम वाटर कंजरवेशन को ज्यादा महत्व देते हैं, सोइल इरोजन को हम ज्यादा महत्व देते हैं और अफोरेस्टेशन को हम ज्यादा महत्व देते हैं बनिस्बत स्कूल बिल्डिंग के, बनिस्बत सड़कों के, बनिस्बत उन चीजों के जो अकाल से अभावग्रस्त क्षेत्र को मिटाने में सहयोग करती है। ऐसे कामों को हमने प्राथमिकता दी है। हम तालाबों की खुदाई करते हैं, नहरों की सफाई करते हैं, नाड़ियां-खडीन खोदते हैं कि जो पानी बरसात से आता है वह रुक कर उस खडीन में जमा होगा, पशुओं के पीने के काम आएगा, तालाबों में पानी जमा होगा और उससे आसपास के क्षेत्र में पानी की रिचार्जिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। पानी होगा तो पानी की रिचार्जिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इसी तरह से हमने नहरों की सफाई इर्रिगेशन डिपार्टमैंट के फंड में कमी होने की वजह से की ताकि बरसात के वक्त जो पानी आये उसको अंतिम छोर तक हम पहुंचा सकें। उसका फैसला भी हमने किया और ऐसे कामों को हमने प्राथमिकता पर करने का फैसला किया।

अब सवाल आता है, कई माननीय सदस्यों का यह सुझाव था कि पक्की बिल्डिंगे भी बननी चाहिए। एक तरफ पानी का संकट, पीने के पानी का संकट, पशुओं को पीने का पानी का संकट और बिल्डिंग बनाने के लिए पानी की आवश्यकता। इसमें हमको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि हम किसको प्राथमिकता देना चाहते हैं। पीने के पानी को प्राथमिकता देना चाहते हैं, पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं या बिल्डिंग में पानी को लगाना चाहते हैं, यह फैसला आपको और हमको करना है। हैण्डपम्प का पानी नीचे चला जा रहा है, तालाब सूखे पड़े हैं। पशु भी उसी हैण्डपम्प पर पानी पी रहा है जिस पर मनुष्य पानी पी रहा है, इतना प्रैशर हैण्डपम्प पर आ गया है जिसकी वजह से पानी की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जा रही है, इसलिए हमने विचार छोड़ा। असेट्स आपने कितनी ही बना ली लेकिन उस वक्त पानी का संकट इतना नहीं था। हमने भी पिछले वर्ष बिल्डिंगों के बड़े काम किये लेकिन पानी का संकट उतना नहीं था जितना इस बार है। इसिलए हमने पक्के कामों और खास तौर से बिल्डिंग वर्क्स को इस बार प्राथमिकता से नहीं करने का फैसला किया है। पानी को रोकें जगह-जगह नाड़ियों में खडीनों में, तालाबों में। तालाब की भराव क्षमता बढ़ा कर हम उस काम को करना चाहते हैं। जंगल बरबाद हो रहे हैं। लोग कहते हैं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल बरबाद होते जा रहे हैं, हमने कहा अफोरेस्टेशन के काम को हाथ में लिया जाए, वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएं जाएं ताकि आने वाले 2-5 सालों में जो जंगल बरबाद हो गये, जो पहाड़ नंगे हो गये उन पहाड़ों को हम ठीक ढंग से वापस से सुरक्षित वनों के आधार पर लाकर खड़ा कर सकें। उसमें पानी की जरूरत तो होगी लेकिन मैं विपक्ष के माननीय नेता महोदय से कहना चाहता हूं, अगर पहाड़ी है और आप डेढ़ बाई दो की गहरी ट्रैंचेज खोद देते हैं, डेढ़-दो महीने में ट्रैंचेज खोद कर जुलाई में बीज डाल देते हैं तो वाटर कंजरवेशन उसमें जब बरसात आएगी तब होगा और वह पौधा पनप जाएगा। यह हमारी नीति है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जंगल लगा सकें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये मेवाड़ी हैं, इनको मालूम है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्यों ने कहीं चारे की कमी का जिक्र किया, कहीं पीने के पानी का जिक्र किया। पीने के पानी की सारी स्थिति के बारे में हमारे साथी माननीय मंत्री महोदय आपको अवगत कराएंगे। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो राज्य सरकार पर चार्ज लगाया उस पर मैं आना चाहता हूं कि हमारी क्रिमनल एक्टीविटी रही। आपने चार्ज लगाया कि क्रिमनल नैग्लीजैंस रही क्योंकि काम देरी से शुरू किये। नेता महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1991-92 में 30,041 गांव आपने अभावग्रस्त घोषित किये, आपकी सरकार थी, और आपने काम कब शुरू किये ? फरवरी में। काम पर कितने मजदूर लगाये ? केवल 5 लाख 40 हजार। यह स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं। क्या उस जमाने में यह क्रिमनल नैग्लीजेंस आपकी नहीं थी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नवम्बर में एक-दो लाख आदमियों को काम मिल जाए...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उस जवाब पर भी मैं आ रहा हूं। आपने जिस तरह की क्रिमनल नैग्लीजेंस का चार्ज लगाया, मैं उसको बिलकुल रिफ्यूट करता हूं। आपकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, उस वक्त की राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपने भी काम प्रारम्भ किये और हमने भी काम प्रारम्भ किये। अब आप आधार बनाना चाहते हैं भारत सरकार को दिये गये मेमोरेंडम को। हमने भारत सरकार को जो मेमोरेंडम दिया उसमें कहा कि इस प्रोजेक्शन के आधार पर हम काम करेंगे। अगर इस प्रोजेक्शन के आधार पर हम काम करेंगे तो हमको 1300 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। लेकिन उस वक्त हमारे हाथ में थे 166 करोड़ रुपये। उसको माइनस करते हुए दुबारा सरकार से 1145 करोड़ रुपये की मांग की। आप कह रहे हैं कि आपके पास 301 करोड़ रुपये आ गये हैं, ये रुपये आये कहां ? हमने भारत सरकार को मेमोरेण्डम दिया 5 नवम्बर 1999 को, हमने भारत सरकार से स्टडी टीम भेजने का बार-बार आग्रह किया। नवम्बर के बाद 9 जनवरी को उन्होंने स्टडी टीम भेजी। 9 जनवरी को स्टडी टीम भेजने के बाद जब स्टडी टीम ने भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी, एन.एफ.सी.आर. के

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

तहत जो रुपया आप कहते हैं कि 102 करोड़ 93 लाख रुपये की स्वीकृति दी, वह 31 मार्च को दी। (व्यवधान) मेरी बात सुनने की कोशिश करें, आपकी बात को मैं धैर्य से सुन रहा था। 31 मार्च को रुपया हमारे यहां ट्रांसफर हुआ। अब आप एक ही बात कहना चाहते हैं कि आपके पास यह रुपया बचा हुआ था उसमें आपने काम शुरू नहीं किये। जो प्रोजेक्शन हमने किया और मिनिमम वेजेज हमारे श्रम विभाग ने बना दिये उसके आधार पर मैं काम करता तो नवम्बर-दिसम्बर के बाद मेरे पास पेमेंट करने को एक पैसा भी नहीं था। मेरे पास कहां से आता ? भारत सरकार ने इतना डिले किया। मैं कोई चार्ज लगाना नहीं चाहता लेकिन जो प्रोसीजरल डिले हुई है वह आंकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया कि 102 करोड़ 93 लाख हमारे पास 31 मार्च को ट्रांसफर हुए। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी,फरवरी और मार्च का काम अगर मैं करता तो उसके लिए 500 करोड़ रुपये चाहिए थे, 60 करोड़ रुपये पर मंथ चाहिए प्रोजेक्शन के हिसाब से । सी.आर.एफ. का पैसा बता दिया, यह केवल 166 करोड़ उसमें था। उसमें भी हमारे पास लाइबिलिटी है और हमारे पास जो हमारी लाइबिलिटी थी वह भी उसी के अन्दर है। केवल हमारे पास जो पैसा बचा था वह 140 करोड़ रुपये के आसपास बकाया है। मैं केवल आपके ही पीरियड की बात नहीं करता, जब-जब राजस्थान में राहत कार्य शुरू किये गये, मैं आंकड़ों से बताना चाहता हूं कि कभी जनवरी में, कभी फरवरी में, कभी मार्च में और कभी अप्रैल में और कभी मई में भी किये गये, यह आंकड़े साबित करते हैं।

प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, राजस्थान में 50 साल की आजादी के बाद, विभिन्न योजनाओं के जरिये सरकारी सर्विसेज में व्यक्तियों को नौकरी देने के बाद, इलैक्ट्रिफिकेशन करने के बाद, वैल्स को एनर्जाइज करने के बाद जो हमने अपर्चुनिटी दी उसकी तुलना आज से 15 साल पहले से करना चाहते हैं आप, फिर तो मेरे साथ अन्याय करते हैं। 15 साल पहले वाली पोजिशन और 15 साल बाद जो स्थिति बन गई है अगर आप उसकी तुलना करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह न्याय नहीं होगा क्योंकि इलैक्ट्रिफिकेशन के जरिये कई लोगों की हैसियत बढ़ी है, कई लोग 20 साल के पीरियड में सर्विसेज में आये हैं, तो उस भयावहता का इसके साथ मुकाबला आज के दिन न्यायसंगत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सारी परिस्थितियों को उसी दृष्टिकोण से देखें जिस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। कई तरह से बढ़ा है-लिविंग स्टैण्डर्ड बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिला है, लोगों की हैसियत बढ़ी है, लोगों की इलैक्ट्रिफिकेशन की वजह से आमदनी बढ़ी है। इस सबके बावजूद कुछ लोग अभी भी देश में ऐसे हैं जिनको काम की आवश्यकता है और उनको काम देना हमारा फर्ज है, सरकार का दायित्व है। पिछली बार भी भारत सरकार ने कवल 21 करोड़ रुपये ही हमको दिये। हाउस बड़ा गरम है, मेरे को भी पसीना आ रहा है लेकिन क्या करें। भाषण तो आपने दे दिया, जवाब तो मुझे ही देना है। उपाध्यक्ष महोदय भी नाराज हैं, सुना है, ए.सी. बंद कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने थोड़े ही कर रखा है, खराब हो रहा है तो मैं क्या करूं ? (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा है अकाल की बहस पर गर्मी हो रही है, नहीं तो कहेंगे एयरकंडीशनर में बैठकर अकाल की बहस कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पेशल स्कीम्स का अनस्पैंट रुपया कितना था, यह भी बता दीजिए और कृषि मण्डी का कितना रुपया था ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बता देता हूं। आपने कृषि उपज मण्डी का जिक्र किया, आपने स्पेशल स्कीम्स का जिक्र किया, वह रुपया आलरेडी कृषि उपज मण्डी समिति मार्केटिंग बोर्ड के जरिये सड़कों की सैंक्शन करके उसके टैण्डर निकाल चुकी थी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब निकाली ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : डेट तो मुझे याद नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो अभी निकली है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं, अभी नहीं, पहले निकल गई, मेरे खयाल से अक्टूबर और नवम्बर में निकाल दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक महीने पहले...(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्यों को अच्छी तरह मालूम है (व्यवधान) दो-ढाई महीने से तो काम चल रहा है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : दो-ढाई महीने से तो काम चल रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दो-ढाई महीने से तो काम चल रहा है, अगर आप चाहेंगे तो आपको डेट भी दे दूंगा। (व्यवधान) करीब 2-3 महीने पहले उसके टेण्डर की प्रक्रिया पूरी हो गई। उस टेण्डर की प्रक्रिया को रोककर उस फण्ड को अगर मैं अकाल सहायता के कामों में लगाता तो वह कानूनन ठीक नहीं होता, क्योंकि जिसका टेण्डर मंजूर किया गया था वह कोर्ट में जाता और कोर्ट में जाने के बाद में गवर्नमैंट की लाइबिलिटी बन जाती है।(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं थी। सड़कें बनतीं कृषि मण्डी की तरफ से लोगों को रोजगार मिलता, अकाल राहत डिपार्टमैंट उसको कन्ट्रोल करे या नहीं करे। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : रोजगार तो मिल रहा है। ठेकेदार भी काम कर रहा है तो आखिर मजदूर लगा रहा है, ठेकेदार काम कर रहा है तो गिट्टी तुड़वा रहा है, ठेकेदार काम कर रहा है तो सड़क के कांस्टेलेशन के लिये शायद पानी मंगवा रहा है, तो मजदूरी तो दी जा रही है। यह कहना गलत है कि उसे मजदूरी नहीं मिल रही। यह सम्भव नहीं है। इस तरह से...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा तो यह कहना था कि आपके पास उस समय 180 करोड़ रुपये कृषि मण्डी के भी थे और डोवटेलिंग करके आप काम करते तो सब डिपार्टमैंट एक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साथ होकर लोगों को मजदूरी दे देते। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : कृषि उपज मण्डी अपनी योजना के अनुसार काम कर रही है, कई सड़कें पूरी होने को हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : छोड़ो-छोड़ो, वो कोई मानेंगे आपकी आज...(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कृषि उपज मण्डी अपनी योजना के आधार पर सड़कों की स्वीकृति करके उसके टेण्डर की फार्मल्टी पूरी कर चुकी थी, उसको डोवटेल करना संभव नहीं था। काम शुरू हो गया इसलिए...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब किया ? नवम्बर, दिसम्बर में टैण्डर निकाला। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां जी, नवम्बर में टैण्डर निकाला।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर , आप तो आगे चलो, आगे चलो। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैटर कैबिनेट में गया, कैबिनेट का फैसला अखबारों में आया। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं गलतबयानी हाउस में नहीं करूंगा और मेरी आदत भी नहीं है...(व्यवधान) उनकी भी नहीं मानता। जैसे उधर बैठे कुछ माननीय सदस्य अखबार पढ़कर गलतबयानी करते हैं उस तरह से मेरी आदत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा जो कुछ तथ्य हैं, आपके सामने और सदन के सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा और आपने जो आपत्तियां उठाईं उनका ज़वाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपने सवाल पूछा, जवाब दे दिया कि यह हमारा प्रोजेक्शन था कि अगर भारत सरकार इतना रुपया हमको दे देगी, समय पर दे देगी तो इस तरह से हम लोगों को काम पर लगाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने समय पर हमारी मदद नहीं की और केवल स्टडी टीम भेजने में भी काफी समय लगाया। स्टडी टीम की रिपोर्ट के आधार पर फिर उसको सैंक्शन करने में काफी टाइम लगाया।(व्यवधान) पैसा तो एक अप्रैल को हाथ में आया, वह भी 102 करोड़ 93 लाख रुपये।

अभी पुष्कर से आने वाले और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि विपक्ष के नेता जब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने सहायता लेने के लिए भारत सरकार से जिस तरह से प्रयत्न किये उस तरह से राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने नहीं किये। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री अशोक गहलोत ही हिन्दुस्तान के पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने भारत सरकार के प्रधान मंत्री को कहा कि अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो फूड फार वर्क स्कीम को लागू कीजिए। 16 नवम्बर,1999 को चीफ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। पुष्कर से आने वाले सदस्य ने चार्ज लगया था कि आप केन्द्र से नहीं मिले, उसका जवाब दे रहा हूं। यही नहीं उन्होंने

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

फिर पी.एम. को दो दिसम्बर को चिट्ठी लिखी। यही नहीं, स्टेट आफिशियल्स और केन्द्र सरकार के आफिशियल्स के बीच में वेरियस डिस्कशंस हुए। इसी पीरियड में हमारे मुख्य मंत्रीजी, मिनिस्टर फार फूड एण्ड सिविल सप्लाइज से मिले, हमारे मुख्य मंत्रीजी जो आजकल पटवाजी के पास एग्रीकल्चरल मिनिस्टर का चार्ज है उनसे भी मिले और उनसे रिक्वैस्ट की। सब्सीक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर से फिर एक अप्रैल, 2000 को मिले और उनसे रिक्वैस्ट की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रभावशाली तरीके से नहीं की।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपका बड़ा प्रभाव था। गलती हो गई। अबके आपको ले चलूंगा मेरे साथ। अगर वापस खाली हाथ आये तो क्या सजा मिलेगी, यह बता दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : रास्ते में छोड़ देना दारूहेड़ा पर।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : फिर हमारे मुख्य मंत्रीजी 8 अप्रैल, 2000 को यूनियन मिनिस्टर फार कंजूमर अफेयर्स से मिले। और उनसे रिक्वैस्ट की कि जो अनाज आप अभी दे रहे हैं वह अनाज की मात्रा कम है इसलिए हमारा एलोकेशन बढ़ाया जाना चाहिए। 10 केजी. के बजाय आपने पहले 20 करने का तय किया, वह 20 भी नहीं मिल रहा है इसलिए 20 के बजाय इसको 30 केजी. करने का फैसला कीजिए। इसलिए यह कह देना बड़ा आसान है कि मुख्य मंत्रीजी ने कोशिश नहीं की, मुख्य मंत्रीजी ने फूड फार वर्क्स की वकालत नहीं की। यह निराधार और असत्य है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिस दिन मांगा उसी दिन दे दिया।

श्री गुलाबसिंह शक्तवात : अब मांगा सो कह दिया उसमें...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : मंत्री महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक बार मिला और एक बार मिलने से आपको इस ढंग से प्रभावित किया कि आपने मेरा कार्य कर दिया। इसी तरह मुख्य मंत्रीजी भी प्रधान मंत्री को इसी तरह प्रभावित करते तो निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी से बात करके यह काम होता।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह प्रभावित किया, इसके परिणाम आपके सामने आये हैं कि 20 क्विंटल...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : यह तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय की वजह से आये हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप चाहे अपने नेता की तारीफ करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपकी तरह से आपके नेता असत्य बोलने के आदी नहीं हैं, वे सही बात को स्वीकार करते हैं। यह भी मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि नेता की चिन्ता है कि राजस्थान में अकाल की विभीषिका से किस प्रकार निपट सकें। समय-समय पर उन्होंने मुझसे जानकारी मांगी है, मैंने उनको जानकारी दी है। उन्होंने भी पटवाजी से और दूसरे लोगों से बात की है। यह भी मैं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

कहना चाहता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है कि नेचुरल कैलेमिटी का मामला किसी ने उठाया तो बी.जे.पी की नेशनल एक्जीक्यूटिव में भैरोंसिंहजी ने उठाया और 3 राज्यों की चर्चा चली। मैं उसको छिपाना नहीं चाहता हूं। लेकिन इसके पहले, इस नेशनल एक्जीक्यूटिव की मीटिंग के पहले हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रयत्न किये वह मैंने जिक्र आपके सामने किया और उसका परिणाम यह निकला कि 20 केजी. के बजाय 30 केजी. राजस्थान स्टेट को देने का फैसला किया। 10 केजी. मिलते थे उसके बजाय 20 केजी. और देने का फैसला किया और उसके लिए हमारा एलोकेशन हुआ। यही नहीं, हमारे मुख्य मंत्रीजी के प्रयत्नों से पहले ड्राट प्रोन एरिया में बी.पी.एल. फैमिली को ही हम गेहूं दिया करते थे, बिलो पावर्टी लाइन को छोड़कर ड्राट प्रोन एरिया में जो लोग होंगे उनको भी 20 केजी. गेहूं दिया जाएगा, राशन कार्ड होल्डर्स को। यह मुख्य मंत्रीजी के प्रयत्नों का परिणाम है जिसकी वजह से हम इस सफलता तक पहुंच पाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत बड़ी सहायता मिली।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अब यह सहायता कितनी मिली, कितनी मात्रा में मिली, कितनी रिलीफ़ मिली, वह बात तो अलग रही। सहायता तो कुछ मिली नहीं और गेहूं जो पहुंचाया जाए उस फेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर, उसकी कीमत लगभग 6 रुपये हो जाएगी। आज गेहूं का जिस तरह से रिकार्ड उत्पादन इस देश में हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइस 7 रुपये से ज्यादा जाने वाली नहीं है। मुझे लगता है। मैंने कल ही कलेक्टर उदयपुर से पूछा कि मक्की के क्या भाव हैं ? वे कहते हैं 5 सौ रुपये क्विंटल के भाव हैं। हमारे इलाके में लोग मक्की खाना पसंद करते हैं इसलिए हमने इस बात की कोशिश की है कि यूनिसेफ के माध्यम से उसको मक्की के साथ न्यूट्रेशन दें, उसको छाछ दे सकते हैं तो उसकी हैल्थ का डिटीरियोरेशन नहीं होगा। इस प्रोग्राम को भी हम हाथ में लेना चाहते हैं। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हमारी यह योजना हम शीघ्र लागू कर सकेंगे।

आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, इण्यिन एक्सप्रेस आपने पढ़ा होगा, उसका बड़ा हैडिंग लिखा था, States go hungry, Center sits on huge buffer-stock. आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कोट करो। कई अखबारों में आपके बारे में जो लिखा है वह भी बता दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप पढ़ लेना, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं करता। लेकिन यह कहना बिलकुल निराधार है, असत्य है कि राजस्थान सरकार और मुख्य मंत्रीजी ने कोई प्रयत्न नहीं किये। हमको अब तक जो कुछ मिल सका है, यह मुख्य मंत्रीजी के प्रयत्नों का ही परिणाम है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक बात, ठाकर साहब, आप बताओ। आप नरसिंहराव के भी बड़े दोस्त हो गये, देवगौड़ाजी को आपने बना लिया और गुजराल साहब के आप खासों में थे, वह क्या तरीका था, यह बताओ ना हमें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तरीका आपको सिखाने की आवश्यकता है क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह बाद में आप आपस में एक-दूसरे को अलग से बता देना।

श्री रामसिंह विश्नोई : वैसे तो खेतसिंहजी से पूछना चाहिए था, वह आपको पूछ रहे हैं। आप जिस तरीके से लोगों को पटाते हैं, वह तरीका तो आपसे पूछना चाहिए था और आप उनसे पूछ रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने यह कहा तो आंकड़े मैंने आपको दिये थे या आपने हमारे फाइनेंस डिपार्टमैंट से लिए थे, कि 284 करोड़ रुपये का आपने क्या किया। अप्रैल से जून और 10 जुलाई तक जो काम चलाया और उसमें जो लेबर हमने लगाई, उसमें फोडर की व्यवस्था हमने की, उसमें पानी की व्यवस्था की। उसके खर्चे का हिसाब मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। अप्रैल के महीने में हमने लेबर लगाई 2 लाख 92 हजार, मई के महीने में 5 लाख 27 हजार और जून के महीने में 6 लाख 12 हजार 718। पिछले वर्ष की बात पूछी थी आपने कि इतना रुपया आपने कहां खर्च किया। जैसे आपने पूछा था 284 लाख का हिसाब बता रहा हूं। यह रुपया 4 महीनों में जो राहत कार्य शुरू किये थे, पीने के पानी की व्यवस्था की थी और जो चारे की व्यवस्था की थी उसमें हमने खर्च किया जिसका मेरे पास 1999-2000 का अकाउंट है। इसलिए इस रुपये में कहीं गड़बड़ घोटाला नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसके बाद भी 266 करोड़ रुपये आपके पास बैलेंस और बचे हुए थे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह बचा हुआ था, उसको ना करते हैं क्या हम ? हमने स्वीकार किया। लेकिन हमारा प्रोजेक्शन, जो हमने किया था मेमोरैंडम के जरिये कि अगर हम हमारे प्रोजेक्शन को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए 13 सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है और हमारे पास केवल इतना रुपया है। आप कहते हैं कि एन.सी.आर.एफ. से उड़ीसा को 5 सौ करोड़ रुपये मिल गये, बहुत ज्यादा राजस्थान में सीवियरटी नहीं मानती भारत सरकार। पिछले साल अकाल 20 हजार गांवों में था और इस साल 23400 गांवों में है। उड़ीसा में तूफान आया तो वहां तो 5 सौ करोड़ और राजस्थान को 102 करोड़ रुपये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बात नहीं है। जिस समय स्टडी टीम आई थी उस समय राजस्थान में कोई काम चालू नहीं था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह आधार नहीं है। स्टडी टीम से आप भी मिले हैं और स्टडी से हम भी रुबरू हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आधार यही है। आप इस अकाल को कितना सीरियस मानते हैं इसका अंदाजा इससे लग गया कि स्टडी टीम जब जनवरी में आई, एक काम आपने नहीं खोला। इसका मतलब यह था कि भारत सरकार ने यह माना कि प्रोजेक्शन के आधार पर ये खुद ही काम नहीं कर रहे हैं तो हम इसको सीरियसली किस आधार पर ले सकते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी ही थी बात तो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यदि आपकी चर्चा हुई तो हमारी भी उनसे चर्चा हुई। वे अलग-अलग इलाकों में गये, वैस्टर्न राजस्थान में भी गये और दक्षिणी राजस्थान में भी गये। उन्होंने आकलन किया कि वास्तव में राजस्थान को इस अभाव की स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की मदद की जरूरत है। मुझे जो मालूम पड़ा, सही है या गलत, उन्होंने रिकमण्ड किया था 167 करोड़ रुपये के आसपास कि भारत सरकार इसको ग्राण्ट करे लेकिन जो कमेटी थी उसने हमको 102 करोड़ दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस कमेटी ने 102 करोड़ रुपये दिये, उस समय सी.आर.एफ. का पैसा आपको मिलने वाला था, वह माइनस करके दिया है। मुख्य मंत्रीजी वहीं कमेटी में थे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अब आपने 301 करोड़ रुपये का हिसाब बताया कि आपके पास वह रुपया कैसे आया, वह बता देता हूं। जो हमने मेमोरेण्डम में लिखा था और जो खर्चा हम अप्रैल तक कर चुके थे उसके बाद बचा हुआ रुपया हमारे पास 29.23 लाख था। जो भारत सरकार की हमको मदद मिली 102.93 और हमारी अप्रैल की सी.आर.एफ. की किश्त थी। हमने भारत सरकार से कहा था कि अगली किश्त भी, हमारे पास पैसा नहीं है, उसको भी हमको दीजिए। वह रुपया 149 दो किश्तों का, इसमें हमारी मदद की है ग्यारवहें वित्त आयोग ने। ग्यारवहें वित्त आयोग की वजह से कुछ फार्मूला चेंज हुआ। इंटरिम फार्मूला चेंज हुआ। पहले राजस्थान को साल भर में 204 करोड़ रुपये मिलते थे, इस फार्मूले के आधार पर अब राजस्थान को चार किश्तों में लगभग 295 करोड़ के आसपास मिलेंगे और इसकी वजह से यह 149 करोड़ रुपया दो किश्तों में मिलेगा। मतलब 74, 74 करोड़ हुए। पहले 51, 51 करोड़ रुपये ही मिलते थे। और प्रधान मंत्रीजी ने परसों घोषणा की है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से 20 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। कुल मिलाकर हुए 301.16 करोड़ रुपये। ये तो फैक्ट्स हैं न,इसमें तो कोई आंकड़ों की जालसाजी नहीं है ? यह रुपया राजस्थान सरकार के पास है। अब प्रोजेक्शन के आधार पर जिस तरह की डिमांड इस हाउस के अन्दर उठी है, इतने लेबर इस महीने में लगा दीजिए, इतने लेबर इस महीने में लगा दीजिए, इतने लेबर इतने में लगा दीजिए, एक तो वह प्रायोरिटी । दूसरी प्रायोरिटी हमारी है पशुधन को बचाने की। अब तक क्या प्रयत्न किये, वह तो मैं आपके सामने रखूंगा ही, उसमें हमारी पहली प्रायोरिटी होगी पशुधन को बचाने की । सैकण्ड प्रायोरिटी होगी पीने के पानी की गांवों के लिए। स्कीम तो यह तैयार करेंगे लेकिन सैकण्ड प्रायोरिटी हमारी होगी कि हम पीने के पानी की व्यवस्था किस तरह से करें। गांवों में हैण्डपम्प सूखते जा रहे हैं। ट्रेडिशनल सोर्सेज आफ वाटर जो थे, कुएं थे या बावड़ियां थीं या और कोई था, उन सबको सुधार करने का हमने फैसला किया है। प्रत्येक बावड़ी और प्रत्येक कुएं पर जो राशि खर्च होगी, वह राशि खर्च करके उस

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

पानी को पीने लायक बनाया जाएगा ताकि हैण्डपम्प में जो पानी की कमी आएगी, उस कमी की हम उससे पूर्ति कर लें।

इसके अतिरिक्त हमनें प्रत्येक जिले के कलेक्टर को 6 करोड़ 10 लाख रुपये अभी दिये हैं, जिसमें उनको यह अधिकार दिया गया है कि पीने के पानी की जहां पर भी वे आवश्यकता महसूस करते हों, तत्काल ट्रांसपोर्ट से करें, टैंकर से करें, ऊंटगाड़ी से करें, बैलगाड़ी से करें लेकिन किसी गांव में पीने के पानी का संकट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने 6 करोड़ 10 लाख रुपये का आबंटन किया है। विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स को डिस्पोजल के लिए हमने यह 15 लाख से लेकर 35 लाख तक राशि दे दी है। उनको पावर्स दिये गये हैं कि किसी भी गांव में पीने के पानी का कष्ट हो, तकलीफ हो तो इस पैसे का वे उपयोग करें, फेमिन रिलीफ के कामों के अलावा भी। फेमिन रिलीफ के कामों में तो हमने यह छूट दी है कि कुआ गहरा कराने के लिए लेबर भी लगाया जाए और बलास्टिंग के लिए भी पैसा दिया जाए ताकि पीने के पानी का संकट पैदा नहीं हो। यही नहीं, कई गांवों में यह ट्रेडिशन है कि सार्वजनिक कुएं नहीं होकर व्यक्तिगत कुएं से भी पीने का पानी काम में लिया जाता है। हमने यह फैसला किया है कि अगर गांव में पीने के पानी का सोर्स एक ही है और वह कोई व्यक्तिगत कुआ है तो सार्वजनिक कुएं को जिस तरह से पैसा दिया जाता है, उसी तरह से ऐसे कुएं को भी गहरा कराने के लिए पैसा देकर उसको पूरा करने का काम हाथ में लें। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : जी, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जगा दिया, अच्छा किया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने तो नींद के लिए नहीं कहा, मैं तो ध्यान आकर्षित कर रहा था।

अब तक हमने जो गतिविधियां अकाल राहत कार्यों के तहत की थीं उसके लिए थोड़ा-सा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने 16 फरवरी, 2000 से राहत कार्य शुरू करने का फैसला किया। डिले हुई, उसका एक कारण यह भी है कि पंचायत चुनाव थे। 64 दिन की हड़ताल तो थी लेकिन पंचायत चुनाव भी थे और पंचायत के चुनाव होने की वजह से जो काम हम पंचायतों और पंचायत समितियों के माध्यम से कराना चाहते थे, विचार यह था कि पंचायत के चुनाव हो जाने दीजिए। सरपंच जीतकर आएंगे, पंचायत समिति के मैम्बर जीतकर आएंगे, जिला परिषद के मैम्बर जीतकर आएंगे। वे चुनाव मेरे खयाल से 14 तक खतम हुए और हमने 16 फरवरी से राहत कार्य प्रारम्भ करने शुरू कर दिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले करते तो यह हल्ला करते कि चुनाव की वजह से कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, चुनाव का काम लेने के लिए जैसे आपके बारे में कहा जाता है कि पहले कभी काम अक्टूबर महीने में शुरू नहीं होता था लेकिन विधान सभा के चुनाव होने की वजह से आपने लाभ लेने के लिए अक्टूबर में काम शुरू कर दिये, वही चार्ज हम पर लगता। इसलिए उस चार्ज से बचने के लिए हमने...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार्ज से बचने के लिए नहीं, आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पैसे तो बहुत थे हमारे पास। पैसे नहीं थे तो 537 करोड़ रुपये पिछली बार अकाल में खर्च नहीं करते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो खुद ही कह रहे थे कि पैसे नहीं थे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप मेरी थोड़ी-सी बात सुन लें। आपको जाने की इच्छा है और आज आपकी बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ने डंडा बजा दिया था, गये भी नहीं। हाउस इतना गर्म है, पानी पीएंगे तो भी ये दहाड़ेंगे नहीं। एक गिलास पानी भी कोई नहीं पी सकता यहां पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव जो मैम्बर्स ने कहा कि मजदूर बढ़ा दो और इसको खतम करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमने 16 फरवरी से राहत कार्य शुरू किये।

श्री उपाध्यक्ष : मैम्बर्स की भावनाएं हैं ये। आपने नेता महोदय का तो बहुत जवाब दे दिया, अब तो आप मैम्बर्स की भावनाओं की कुछ कद्र करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं थोड़ा-सा, पांच मिनट और लूंगा, शायद आप भी जल्दी में हैं। मुझे खुद को जल्दी नहीं है, मैं तो मेरी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो जल्दी में नहीं हूं लेकिन मैम्बर्स जल्दी में हैं कि हमने जो कुछ कहा है उसका जवाब मिले।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माह फरवरी और मार्च के लिए हमने 4 लाख 31 हजार की सीमा तय की थी और अप्रैल के लिए 5 लाख 29 हजार निर्धारित की थी। वर्तमान में चालू राहत कार्यों पर 4,18,357 श्रमिक कार्यरत हैं और विभिन्न योजनाएं जो अलग-अलग विभागों की हैं उनमें 51,289 श्रमिक कार्यरत हैं। इस प्रकार 4,69,446 श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। पशुधन के संरक्षण के लिए हमने 15 अक्टूबर को...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : काम जब चालू किये आपने तो फरवरी का भी बता दो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : काम जब चालू होता है तो पिक-अप होते हुए होता है। हम वह बता देंगे।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारे की कमी और प्रभावित पशुपालकों की क्रय-शक्ति का ह्रास होने से हमने 15 अक्टूबर को ही फैसला कर लिया और 15 अक्टूबर को हमने जिलाधीशों को आदेश दिये कि चारा डिपो खोल जाएं, पशुधन को बचाने के लिए काम किया जाए। अब तक 1865 चारा डिपो स्वीकृत किये गये हैं, 1084 चारा डिपो पर चारा वितरित किया जा रहा है और करीब-करीब आठ लाख टन चारा हम वितरित कर चुके हैं। जिन लोगों ने मांग की कि हमको पैसा दीजिए ताकि हम चारा डिपो चालू कर सकें, उसके लिए हमने 2 करोड़ 9 लाख रुपये इण्ट्रेस्ट फ्री प्रति सेंटर 20 हजार के हिसाब से लोन दिया है। हमने

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

चारे की कमी को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी अपनी टोलियां भेजकर चारे की व्यवस्था करने का इन्तजाम किया है और चारे का पूरा प्रबन्ध किया है। चारा परिवहन करने में पहले की जो दर थी, हमने सोचा कि इस दर को लागू करने से चारा सस्ता नहीं बिक सकेगा इसलिए पहले चालीस रुपये थे, राज्य के बाहर से चारा लाने के लिए उसको बढ़ाकर हमने 60 रुपय प्रति क्विंटल सब्सिडी देने का फैसला किया। स्टेट में 30 रुपये था उसको बढ़ाकर हमने 45 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी देने का फैसला किया और एक जिले से दूसरे जिले में चारा ले जाने पर 60 रुपये प्रति क्विंटल दूरी अनुसार भी देने का हमने फैसला किया है। पहले 45 था, उसको बढ़ाकर हमने 60 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया।

पशु-शिविर एवं गौशाला- ग्यारह जिलों में हमने पशु शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया। इन शिविरों में 67,500 पशुओं को लाभान्वित करने की हमने स्वीकृति जारी की। 76 पशु शिविरों की स्वीकृति जिला कलेक्टर्स द्वारा जारी कर लगभग 26,684 पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है। ये शिविर पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। हम और भी स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क में हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस काम में आगे आएं। उनकी कुछ दिक्कतें थीं, उनकी कुछ परेशानियां थीं कि काम समाप्त हो जाने के बाद हम कहीं आडिट में फंस जाते हैं, कहीं और किसी तरह से फंस जाते हैं। तो इसकी प्रक्रिया को सरल करने का हमने फैसला किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम में आएं और अधिक से अधिक पशुओं के शिविर हम लगा सकें। हमने यह भी फैसला किया कि पशु आहार भी दिया जाना चाहिए क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। दुधारू पशुओं को बचाने के लिए हमने फैसला किया। पहले हम बड़े पशु को तीन रुपये और छोटे के लिए डेढ़ रुपया देते थे। यह परम्परा पुरानी चली आ रही थी और अब भी चली आ रही है। लेकिन हमने निश्चय किया कि इससे पशु बचाना संभव नहीं है, इसलिए हमने 1 मई, 2000 से पहले तीन रुपये को छह रुपये में और डेढ़ रुपये को तीन रुपये में बदला था और अब एक मई से छोटे पशुओं के लिए पांच रुपये प्रति पशु प्रतिदिन और बड़े पशु के लिए दस रुपये प्रति पशु प्रतिदिन निर्धारित किया है। यह गुजरात से भी ज्यादा है।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कांकरेज नस्ल को बचाने के लिए, अच्छी नस्ल को बचाने के लिए कि होलस्टीन गाय, जिसके बछड़े फालतू फिर रहे हैं उनसे थारपारकर और कांकरेज नस्ल को बचाने के लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। हमारी मंशा है और इसी उद्देश्य से जो गांवों में अच्छे सांड हैं, उन सांडों की रक्षा करने के लिए हमने 1 अप्रैल 2000 से आठ रुपये प्रतिदिन सांड के लिए भी सब्सिडी देने का फैसला किया है ताकि उस नस्ल को बचा सकें।

श्रीमन्, अब सवाल यह है कि चारे की कमी को कैसे तीव्र गति से पूरा करें या कामकाज को कैसे और तीव्र गति से करें। इसके लिए

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक कमेटी गठित की गई। चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। हमारे एग्रीकल्चर सैक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया है और उनको ये आदेश दिये गये हैं कि पशुपालन के संबंध में जो प्रक्रिया अपनानी है उसकी नीति निर्धारित करें, पीने के पानी के संबंध में जो प्रक्रिया अपनानी है उसकी नीति निर्धारित करें। इसी तरीके से हमने और फैसले किये हैं। केवल मिनिस्टर को ही हमने इंचार्ज नहीं बनाया, यहां सचिवालय में बैठे बड़े-बड़े आई.ए.एस. अधिकारियों को भी हमने जिले में भेजना शुरू कर दिया कि वे मंत्रियों के साथ जाएं और वहां कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान मंत्री के साथ बैठकर करें ताकि किसी प्रकार की कोई आपत्ति उसमें पैदा नहीं हो जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसा आपने किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा संकट ही नहीं आया। खेतसिंहजी जैसे को भेज दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गलती हो गई। आपसे परामर्श कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कमेटियों का गठन इसलिए किया कि जो भी कुछ दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को हम ठीक तरह से हल कर सकें और जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें। हमारी नीयत साफ है, नीति भी साफ है। जिसकी नीयत और नीति खराब हो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी नीयत और नीति बहुत साफ है।

राजस्थान के पशुधन को बचाने की बात कर रहे हैं, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रधान मंत्री ने आह्वान किया, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी हमारे पड़ोसी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से चर्चा की- पंजाब से चर्चा की, हरियाणा से चर्चा की और मध्य प्रदेश से चर्चा की। मुझे हाउस में यह कहते हुए खुशी है कि पंजाब ने वादा किया है कि चारा मुफ्त में देंगे, पशु आहार भी देंगे। हरियाणा ने वादा किया कि हम चारा देंगे, पशु आहार भी देंगे और इसी तरह से मध्य प्रदेश ने भी वादा किया है कि हम आपको चारा उपलब्ध करवाएंगे। हमारे सभी तरह के प्रयत्न लगे हैं। जिस तरह से आपने सुझाव दिया, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भी रेट भेज रही है चारे की। हमने इस बात की कोशिश की है और आगे भी करना चाहते हैं, राजस्थान के जो उद्योगपति हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, उनसे भी हम अपील करेंगे कि राजस्थान के इस बड़े संकट के समय में वे भी आगे आएं और पशुधन को बचाने में या पीने के पानी में सहयोग करें। मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, जैसा कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अनुरोध किया था, इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। आपने सहयोग का वादा भी किया था, आश्वासन भी दिया था। (व्यवधान) हम इन प्रदेशों से बराबर सम्पर्क में हैं। चारे के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी के बार-बार अनुरोध करने के बाद भारत सरकार ने रेलवे में मुफ्त चारा भेजने का निर्णय किया है। उस निर्णय के आधार हम एक स्कीम

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

बना रहे हैं कि ब्राड गेज का चारा कहां पहुंचाया जाएगा, मीटर गेज का चारा कहां पहुंचाया जाएगा ताकि उस जिले में ले जाकर वितरित कर सकें। एक साल से तो हमारे बूटासिंहजी हैं, उन्होंने पहले भी चारे के लिए भेजी थी। हम सभी सांसदों से, विधान सभा के सदस्यों से भी अपील कर रहे हैं। अभी हमारे गंगानगर से माननीय सदस्य ने मुझे आफर किया है कि हम चारा मुफ्त देने को तैयार हैं। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जो भी इस काम में सहयोग करना चाहते हैं, मेहरबानी करके उनको प्रेरित करें ताकि अच्छा सहयोग मिल सके और इस काम को हम तेजी से आगे बढ़ा सकें।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा, सड़कें बड़ी खराब हैं। मानता हूं सड़कें बड़ी खराब हैं। पिछली बार बजट प्रोविजन था, लेकिन प्लान साइज कट होने की वजह से वह कमी आई। हमने अभी नाबार्ड से कोशिश की है। हो सकता है लोन हो, आप भी कहेंगे लोन ले रहे हो पर क्या करें, हमारी मजबूरी है। एक स्कीम है आर.एल.डी.एस., उस आर.एल.डी.एस. स्कीम के तहत रोड्स, स्कूल्स एण्ड वाटर हारवेस्टिंग का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत हमने नाबार्ड को स्कीम भेजी है 238.99 करोड़ की और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि स्कीम में से नाबार्ड ने सड़कों पर 95 करोड़ रुपये, प्राथमिक स्कूलों के लिए 32.11 करोड़ रुपये और वाटर हारवेस्टिंग के लिए 17.14 करोड़, कुल 144 करोड़ रुपये की सिद्धांत: सहमति प्रदान कर दी है। एक-दो दिन में हमारे पास उसकी स्वीकृति आ जाएगी। हम इसको सड़क के साथ डबटेल करेंगे, बढ़े हुए कम्पोनेंट का पैसा देंगे। वह हम हमारे लेबर कम्पोनेंट से देंगे। पक्की सड़कों के काम को भी हाथ में लेंगे और बिल्डिंग के काम को भी हाथ में लेंगे। वाटर हारवेस्टिंग के काम को भी हाथ में लेंगे।

पिछली बार आपने कहा कि हमने पैसा राजीव गांधी पाठशालाओं में उड़ा दिया। नहीं, यह बात बिलकुल गलत है। या तो आपको गलत सूचना दी गई है... (व्यवधान) सर, मेरी बात सुनें। मैंने आपको बीच में इंटरवीन नहीं किया।

हमने राजीव गांधी पाठशाला का रुपया श्रम भाग में वहीं उपयोग किया जो हमारे गांव फेमिन अफैक्टेड थे। हमने उन स्कूलों पर पैसा नहीं दिया जो कि फेमिन एरिये के नहीं थे। वह भी टैंथ फाइनेंस कमीशन का जो पैसा बचा हुआ था उसको हमने मैटीरियल भाग में काम में लिया और श्रम भाग हमने दिया था। उसकी वजह से राजस्थान में करीब-करीब आठ हजार स्कूलों का निमार्ण हम कर सके। इस वर्ष अगर पैसा मिले, कम्पोनेंट काम ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही हम उसका समाधान ढूंढेंगे और बची हुई राजीव गांधी पाठशाला के जो भवन नहीं बने हैं उन भवनों को इस वर्ष पूरा करने का हमारा इरादा है और इस लक्ष्य को हम पूरा करना चाहते हैं।

गेहूं के बारे में कई तरह की चर्चा आई कि सड़े मिलेंगे, खराब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। मैं अखबार का न्यूज आइटम पढ़ रहा था, भारत सरकार के सामने बड़ी प्राब्लम है, बम्पर क्राप हुई है। हिन्दुस्तान में इतना अनाज पैदा हो

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

गया की रखें कहां। पहले वाला भी, बाहर पड़ा हुआ है। इसलिए उदारता से उन्होंने चावल और गेहूं जैसा दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन उन्होंने किराये की भी बचत की। उनका किराया लग रहा था, सड़ रहा था इसलिए उन्होंने गेहूं देने की पेशकश की, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी मजबूरी भी थी, आने वाला गेहूं जो सपोर्ट प्राइस के नीचें चला जाएगा, उसको रखेंगे कहां ? गोदाम नहीं हैं। इसलिए गेहूं देन का फैसला किया। उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए तो मैं मना नहीं करता। प्रधान मंत्री ने जो 20 करोड़ रुपये अपने फंड से दिये हैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा। कम से कम उन्होंने महसूस किया और 20 करोड़ रुपया प्रधान मंत्री रिलीफ फंड से दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन यह प्राकृतिक आपदा केवल एक राज्य के बस का रोग नहीं है, इसमें भारत सरकार को मुक्त हस्त से आगे आना चाहिए। उसमें कंजूसी कर गये। राजीव गांधी जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे तब 1987-88 में मैं ही फेमिन मिनिस्टर था, दुर्भाग्य से यह विभाग मेरे ही पास आता है, उस वक्त दो लाख मैट्रिक टन गेहूं हम को मुफ्त में दिया था और मजदूरों को हमने डेढ़ रुपये किलो में गेहूं दिया था। जब मैं गांवों में दौरे पर आता था तो लोग बताते थे कि हमारे पांच बोरी इकट्ठी हो गई, हमारे आठ बोरी इकट्ठी हो गई, हमारे दस बोरी इकट्ठी हो गई। उन्होंने एक तरीका निकाला था। उपाध्यक्ष महोदय, बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य बोल कर चले गये, उन्होंने ऐसी इच्छी व्यक्त की उस पुराने फेमिन को याद रख कर कि हमको भी काम के बदले अनाज दीजिए, गेहूं दीजिए ताकि हमारा आने वाला समय भी संकट से निकल जाए। जिस क्षेत्र में काम के बदले अनाज मांगा जाएगा सरकार उसको अनाज देगी और उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेगी।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आनी बात समाप्त करता हूं। आप सबने जो सुझाव दिये किसी ने कहा टांके का निमार्ण कीजिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ और कहा। धोरीमन्ना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि के कुएं ज्यादा से ज्यादा खुदवाएं ताकि अकाल के प्रभाव को कम कर सकें। ट्राइबल सब प्लान के फंड में से, जो व्यक्तिगत आपकी योजना है, जिसमें ब्लास्टिंग का पैसा ट्राइबल सब प्लान से मिल सकता है उसको हम डोवटेलिंग कर ऐसी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत निजी कुएं जो पानी की सतह के पास हैं लेकिन बरसात के कम होने से पानी कम पड़ गया, ऐसे कुओं को भी गहरा कराने का काम हाथ में लें ताकि आने वाले समय में इस अकाल की विभीषिका को कम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गागर में सागर भर दो, एक बज रहा है। जिस तरह पानी आ रहा है वैसे ही जवाब दे दो, गागर में सागर भर दो।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : एक बजा नहीं है, आपने बजाया है।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल राहत कार्यों पर और पेयजल समस्या और उसके समाधान के ऊपर सदन में चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने बहुत गम्भीरता से इस पर विचार-विमर्श किया और बहुत ही अच्छे सुझाव अपनी तरफ से दिये, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे विभाग के द्वारा, जो कुछ कमियां रही हैं, मेरे द्वारा या हमारे अधिकारियों द्वारा या कर्मचारियों द्वारा जो अनियमितताएं हुई हैं पिछले दो-तीन माह के अन्दर, कुछ कार्य देरी से शुरू होने के कारण जो जनता को परेशानी हुई है और उसका दु:ख हमारे माननीय सदस्यों को हुआ, उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने जो अपनी रायय, अपने सुझाव, अपनी नाराजगी प्रकट की उस नाराजगी को मैं यह समझता हूं कि यह उनका फर्ज था कि वे अपने क्षेत्र की बात अपने तरीके से कहते। इसलिए मैं उस नाराजगी को सुझाव के रूप में मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी आज अपने विचार प्रकट किये। बहुत कम अवसरों पर हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बोलना चाहिए लेकिन जो सुझाव दिये हैं उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। इसलिए कि उन सुझावों के ऊपर हमारी गहलोत साहब की सरकार चल रही है। जब से इन्होंने सत्ता संभाली है, कम से कम मेरे विभाग में ये डाइरेक्शन इन्होंने पहले ही दे रखे थे जो आपने सुझाव दिये हैं। आपने जो सुझाव दिये हैं और माननीय सदस्यों ने जो सुने हैं पूरे सदन में, मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूं लेकिन खेद प्रकट करता हूं कि ये सुझाव अगर आठ साल के आपके कार्यकाल में, मुख्य मंत्रित्वकाल मैं आप लागू करते तो हमारे को यह कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत लागू किये हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, हम शेखावत साहब के बहुत आभारी हैं। आपने जो कुछ भी सुझाव दिये हैं, एक सुझाव को छोड़ कर मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। वह यह कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की लापरवाही के कारण, गलती के कारण समय पर कदम नहीं उठाने के कारण यह सब कुछ हुआ। मैं इसको नहीं मानता। उपाध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्रीजी मुख्य मंत्री नहीं थे, केवल एक कार्यकर्ता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश के अन्दर 25 वर्षों से गांव-गांव का दौरा कर जो सहयोग, जो सांत्वना और जो परामर्श और रिलीफ समाज को दी है, उसके लिए पूरा प्रदेश उनका आभारी रहेगा।

श्री महेश जोशी : आपको छोड़ कर।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे खयाल से आज अगर मुख्य मंत्री हमारे यहां पर होते तो जो बात कहनी थी वह आप नहीं कहते क्योंकि इनको जवाब देना पड़ता, ये जवाब दे देते। लेकिन गैर-मौजूदगी के अन्दर यह बात हमारे को अखरी। बाकी आपके सुझाव बहुत ही अच्छे सुझाव थे। (व्यवधान) नहीं, मैं आपका जवाब देना जानता हूं।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि मेरा विभाग जनता से जुड़ा हुआ है। अगर एक रत्तीभर भी मिस्टेक, गलती, कमजोरी या कुछ रह जाती है तो पूरा प्रभाव जनता पर पड़ता है और उसका रिएक्शन

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हमारी सरकार के ऊपर पड़ता है, मुख्य मंत्रीजी पर पड़ता है, मेरे पर पड़ता है, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर पड़ता है और जनता के जन प्रतिनिधियों के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसलिए हमने बहुत सावचेती रखी। लेकिन यह क्षमा भी चाहता हूं, मैंने भी कहा था कि जो कार्य हमको एक जनवरी को शुरू करने चाहिए थे, पंचायती राज के चुनाव थे, कर्मचारियों की हड़ताल थी, यह सब आपसे कोई छिपे हुए नहीं हैं, इन कारणों से हमें हमारे कार्यक्रम समय के अभाव में कुछ देरी से शुरू करने पड़े। उसके कारण से जो हमारी व्यवस्था के अन्दर गड़बड़ाहट हुई है और उसकी वजह से जो जनता को परेशानी हुई है उसके लिए मैंने खेद भी प्रकट किया है। और वो मैंने कोई बेजा नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था कि जो हमारे हैण्डपम्प हैं, ट्यूबवैल हैं, हमारी योजनाएं हैं जिन पर हमारे कर्मचारियों को टाइम पर जाना चाहिए था, कर्मचारी हड़ताल पर थे, कर्मचारियों को आप भी समझा सकते थे लेकिन आपने उनको उकसाया। कर्मचारियों को कुछ प्राप्ति हुई नहीं और +++ वैसे ही उनको आना पड़ा । यह स्थिति आपने की। लेकिन खैर, आपका फर्ज था, एक अपोजिशन का फर्ज आपने निभाया लेकिन हमने उसमें सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी तो बधाई के पात्र हैं ही, पूरी पार्टी और हमारी सरकार बधाई की पात्र है कि ऐसी परिस्थितियों के अन्दर चुनाव हमने जीत लिए और कर्मचारियों को भी हमने कोई नाराज नहीं किया। हमारी भावना भी कोई ऐसी नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो पानी की ही बात करो, मंत्रीजी।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं वही कर रहा हूं ? बात तो सारी कर ली, इसलिए मैं गोलमाल ही कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं ? (व्यवधान) आपको कोई जल्दी नहीं है, आपको आज बोलने का अवसर नहीं मिला, उसका मुझे बहुत खेद है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने आज दुखती रग पर हाथ रख दिया।

(दिनांक 27.4.2000, 1.00 बजे)

श्री रामसिंह विश्नोई : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर जब से हमारी सरकार बनी है हमने करीब दो हजार करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर की हैं। जो आपको चिंता थी कि हैण्डपम्प की योजनाएं प्रदेश के अन्दर सक्सेसफुल नहीं हैं, कहीं पर भी नहीं हैं। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर पानी का संकट है वह रहेगा और बनेगा। यह सोचकर हमने स्वत: ही पानी का उपयोग करने की चेष्टा की। उसके लिए सबसे पहले तो आपको यह बता दूं, करीब 1824 करोड़ रुपये, मतलब करीब दो हजार करोड़ रुपये की योजना हमने स्वीकृत की है जिसमें संवर्धन पेयजल परियोजना, जोधपुर 45 करोड़ रुपये की है। राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना द्वितीय चरण की 104 करोड़ की और जोधपुर पाइप लाइन परियोजना जिसके अन्दर पाली और जालौर जिले के लगभग 577 गांव लाभान्वित होंगे, यह 153 करोड़ की है। पाली जिले की

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

फ्लोराइडयुक्त ढाणियों हेतु योजना 31 करोड़ की है। चम्बल पेयजल परियोजना से भरतपुर और धौलपुर जिले के 212 गांव लाभान्वित होंगे, यह 166 करोड़ की है। अजमेर जिले के फ्लोराइड से ग्रसित ग्रामों हेतु बीसलपुर बांध पेयजल परियोजना 61 करोड़ की है, इससे नसीराबाद के लगभग 61 गांव लाभान्वित होंगे। चूरू-बिसाऊ परियोजना 119 करोड़ की है। जयपुर-बीसलपुर योजना करीब 1100 करोड़ की है। विजयनगर-गुलाबपुरा पेयजल योजना करीब 45 करोड़ रुपये की है। इसके अलावा दौसा की 8, 9 या 10 करोड़ की योजना भी इसमें शामिल है। इस प्रकार करीब दो हजार करोड़ रुपये की योजना हम आज से तीन महीने पहले ही स्वीकृत कर चुके हैं और इस पर करीब एक महीने के बाद या फेमिन के बाद कार्य प्रारम्भ कर देंगे। करीब-करीब सारी फार्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपको चिन्ता होगी, आपकी योजना भी हमने स्वीकृत कर दी थी। मैं माफी चाहता हूं, मैं पहले बता नहीं सका, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके अलावा हमारा यह मानस बना हुआ है कि दो-तीन महीनों के अन्दर जब फेमिन के कार्यों से राहत मिलेगी तब ये टेण्डर्स हो जाएंगे और हमारा कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। उसके बाद नागौर, बाड़मेर और जालौर, इन तीनों जिलों में हम एक साथ ही तीन योजनाओं को लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम तीन-चार साल के अन्दर इन पूरे ढाई-तीन हजार गांव और जो तीन जिले हमेशा अकाल से और पानी से प्रभावित रहे हैं, इनकी योजनाओं को हाथ में ले रहे हैं। इसमें इन्दिरा गांधी नहर का पानी और उधर नर्मदा का पानी, दोनों को बाड़मेर में इकट्ठा कर इस योजना को हम बनाने जा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हैण्डपम्प का क्या हुआ ?

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में एक लाख सत्तर हजार हैण्डपम्प हैं। जैसा कि हमारे विपक्ष के नेता ने कहा, हैण्डपम्प पानी की समस्या के समाधान का कोई जरिया नहीं है। यह तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास एक्टिविटी है। जब हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं, जब अण्डर ग्राउण्ड पानी मिलता नहीं है या कार्यकर्ता कोई काम नहीं करते, कर्मचारी या अधिकारी लोग लापरवाही करते हैं उस समय हैण्डपम्प ही हमारे पास एक चारा बचता है जिससे लोग अपना काम चला लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक लाख सत्तर हजार हैण्डपम्प आज पूरे प्रदेश के अन्दर चल रहे हैं और करीब 50 हजार हैण्डपम्प हमेशा खराब होते रहते हैं कुछ तो कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही है, कुछ ठेकेदार मनचाहे तरीके से काम करते हैं और सारी चैकिंग हम सही ढंग से कर नहीं पाते हैं, उस वजह से 40-50 हजार हैण्डपम्प खराब होते हैं। उन हैण्डपम्प की रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष दो जीपें पंचायत समितियों को किराये पर देकर अधिकारियों को हैण्डपम्प ठीक करने के मिस्त्री को लगाना पड़ता है। दस करोड़ रुपये उसमें खर्च करने पड़ते हैं और दस करोड़ नये हैण्डपम्प बनाने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, ये बीस करोड़ रुपये बिना मतलब के हैं।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जब तक सतहगत पानी के उपयोग के लिए टांकों का निमार्ण, बड़े-बड़े बांधों से पानी की योजना बनाने का कार्य या इन्दिरा गांधी नहर या नर्मदा या चम्बल इन योजनाओं को हम नहीं बनाएंगे और आकाशीय पानी का जब तक हम पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे तब तक 40-50 रुपये से लगाकर सौ करोड़ रुपये का हर साल खर्चा सरकार के ऊपर लगता रहेगा, उसका कोई उपयोग हमारे पास नहीं है। हैण्डपम्प्स का जिन माननीय सदस्यों ने कहा, मैंने मेरे अधिकारियों को हमेशा निर्देश दिये हैं कि एक भी अगर हैण्डपम्प बनाते हैं या 50 बनाते हैं, कोई भी हैण्डपम्प माननीय जन प्रतिनिधियों के पूछे बिना, हमारे एम.एल.ए. साहब की बिना सूची के कोई भी हैण्डपम्प नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बता देता हूं, यह गलती जरूर इसलिए हुई है कि इस बार हमने लेट काम शुरू किया। दूसरे, विधान सभा सत्र आहूत हो गया, इसलिए जो कार्य हमारे अधिकारियों को आपको पूछना था, सलाह लेने का था उसकी वजह से आपसे वे सलाह नहीं ले सके। लेकिन जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कहीं यह समझें कि कहीं गलत जगह खुद गये हैं, इन्होंने यदि गलत जगह किये हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दो तारीख के बाद जब आप अपने क्षेत्रों में जाएंगे और आप यह महसूस करेंगे कि यहां पर हमारे हैण्डपम्प बनने चाहिए, चाहे हमारे को हजार-पांच सौ ज्यादा हैण्डपम्प बनाने पड़े, आपके सहयोग से, आपकी इच्छा से, आपके प्रस्ताव के अनुसार आपके हैण्डपम्प लगेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अभी पानी का जो संकट है उसके लिए हमारे राहत मंत्रीजी ने बात बताई है। चारा और पानी की व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयीजी ने आपके सहायोग से या जो भी हो, या हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कभी कोई कमी नहीं रखी मांगने की या कहने की या पत्र व्यवहार करने की, लेकिन उस समय हमारी केन्द्र सरकार के समझ में बात नहीं आई, मैं इस मीडिया को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हालांकि हमारी छवि को बिगाड़ने के लिए किया था लेकिन इसका फायदा हमारे को हो गया, उनको +++ जनहित के अन्दर, जनता की भावनाओं को देखकर हमारी शरण में आना पड़ा और हमारे को यह कहना पड़ा कि यह हम आपको सहर्ष देने के लिए तैयार हैं। मांगने में हमने कोई कमी नहीं रखी। मुख्य मंत्रीजी के पैर घिस गये, जूते घिस गये वहां पर जाते-जाते, आपको मालूम है। आपका पहले ही दिमाग इस तरह का बन जाता, मौके के ऊपर आप बता देते, शेखावत साहब आप जैसे व्यक्ति, आपने 40-50 साल प्रदेश की सेवा की है, आप मुख्य मंत्री रहे और जन नेता हैं, आप ऐसे मौके पर हमारे मुख्य मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रधान मंत्री को कहते तो आज से दो महीने पहले काम शुरू हो गये होते और इतना नुकसान नहीं होता जो आज हम कल्पना कर रहे हैं। आपको +++ हमारे साथ आना पड़ा। जनता को आप इस तरह भूखा नहीं मार सकते, आप देख नहीं सकते। आज कितनी मवेशी मर गई, हमारा कितना नुकसान हो गया लेकिन आप महाराणा प्रताप हो, आपको क्या कहेंगे ? आप महाराणा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

प्रताप की मूर्ति हैं, उसकी फोटो आपके कमरों में लगी हुई है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी तो हमेशा पत्र व्यवहार करते हैं। लेकिन एक आदमी की सीमा होती है कुछ मांगने की। प्रदेश के हित में, जन हित के अन्दर भी उस आदमी की अपनी इज्जत होती है, कुछ सम्मान होता है, उसके अनुरूप उन्होंने मांगने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन उनकी समझ में देरी से आया। कोई बात नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं, उनको और आपको धन्यवाद देते हैं। अब आप आइन्दा इस तरह का नहीं करें ताकि हमारा काम ठीक ढंग से चलता रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बाक़ी स्कीम्स मंजूर हो गई हैं-विजयनगर और गुलाबपुरा और उसके बाद मांडल और भीलवाड़ा, इसके लिए ट्रेन हम सात तारीख और दस तारीख को शुरू करने जा रहे हैं। नसीराबाद से उस ट्रेन में पानी भरकर भीलवाड़ा तक जाएगा। हालांकि भीलवाड़ा में मुझे मालूम है कि पानी की ऐसी कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी आप उपाध्यक्ष हैं, आपको कम से कम...

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन को खुश करने के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको खुश करने के लिए नहीं, जनता के हित में हमने यह निर्णय लिया है कि जब विजयनगर और गुलाबपुरा ट्रेन जाती है तो मांडल और भीलवाड़ा तक भी पानी पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि भले ही चित्तौड़ तक जाए तो भी हम गाड़ी को भेजें। पानी की व्यवस्था हमारे पास पर्याप्त है। नसीराबाद के अन्दर पानी की हमने सारी फार्मेलिटीज कर रखी हैं, वह भी हो जाएगा। इसके लिए भी हम ट्रेन शुरू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पीपाड़ रोड से पीपाड़ सिटी भी जाए। चूरू के अन्दर जिस तरह आप पूछना चाहते हैं, अगर गांवों में इस तरह का मामला हो, मुझे तो लगता नहीं है कि वहां पर इस तरह की खराब स्थिति है लेकिन अगर आप वाकई में चिन्तित हैं और आप सही समझते हैं तो बीकानेर से चूरू के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा भी जहां पर भी पानी की कमी है वहां ट्रेन से, और अब केन्द्र सरकार खुद ही चिन्तित है और उन्होंने खुद ने अपने हाथ बढ़ाये हैं यह करने के लिए तो मेरे खयाल से इसमें कोई बात है नहीं। लेकिन इस पानी को लाने के अन्दर भी इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा, इतनी सारी परेशानी हो जाती है। पानी को पहुंचाना बहुत कठिन काम है क्योंकि पानी को कहां से तो लेना, फिर उसका स्टोरेज करना और फिर डिब्बों में भरना, यह बहुत कठिन काम है। खाली करना, वापस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, यह भी बहुत परेशानी का काम है।

श्री केसाराम चौधरी : मुख्य मंत्रीजी को भी खुश कर दीजिए ना, साहब, जवाई बांध से जोधपुर की 153 करोड़ की योजना...

श्री रामसिंह विश्नोई : वह तो हो गई ना मंजूर। आपको नींद आ रही थी उस समय मैंने बोल दिया था, आपको मालूम नहीं है। पाली जिले की करीब 160 करोड़ रुपये की जिसमें सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, जालौर सब शामिल हैं। रोहिट वगैरह सब उसमें शामिल हैं। तीन टुकड़ों के अन्दर अजमेर की वह भी 160 करोड़ की और आपकी वह दोनों जिलों की बहुत ही ढंग से की है।

मोहम्मद माहिर आजाद : खेतसिंहजी के लिए क्या किया ?

श्री रामसिंह विश्नोई : खेतसिंहजी के लिए ? अण्डर ग्राउण्ड पानी खेतसिंहजी के बहुत है। खेतसिंहजी ने पहले ही बहुत इन्तजाम कर लिया अपना। अलग अलग डिपार्टमैंट इनके पास रहे हैं। आज राजस्थान के अन्दर अगर कोई अच्छी कान्स्टीट्यूएन्सी है तो आप जाकर शेरगढ़ को देख सकते हैं, जहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। यदि आपको कहीं देखना हो कोई क्षेत्र, या क्लिंटन को भी दिखाना हो तो आप जाकर शेरगढ़ को दिखा सकते हैं जहां पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर पर्याप्त है, सड़कों से जुड़ा हुआ है। स्कूलें, हास्पिटल सब कुछ वहां पर है खेतसिंहजी के पास। खेतसिंहजी खुद चिन्ता में हैं कि मैं कौनसा काम कराऊं, इस उधेड़बुन में लगे हुए हैं। इसलिए मैं बाकी समस्त माननीय सदस्यों का...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह आप झुंझुनूं के लिए...

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय का ध्यान अपने चम्बल...

श्री रामसिंह विश्नोई : अभी तो मैं बोल रहा हूं।

सिरोही से आने वाले माननीय मेरे साथी ने जो बताया है कि हमारे यहां हैण्डपम्प और हुए ही नहीं, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष सिरोही जिले के अन्दर करीब 202 तो हैण्डपम्प बने हैं और 9 नलकूप खोदे गये। इसके अलावा करीब 2724 तो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 522 हैण्डपम्प शहरी क्षेत्र में विद्यमान हैं। आपने जो इस तरह की बात कही है, आप जैसे जिम्मेदार आदमी... (व्यवधान) आपने जो इस साल की बात कही है, इस साल हमने सिरोही के अन्दर 79 हैण्डपम्प स्वीकृत किये हैं जून तक। चार ट्यूबवैल खुद चुके हैं, शिवगंज में 21 के अगेंस्ट तीन हो चुके हैं, पिंडवाड़ा में 52 के अगेंस्ट दो हो चुके हैं। पूरे 247 थे जिनमें से 16 ट्यूबवैल हम आपके एरिया में खोद चुके हैं। इसके अलावा करीब 63 हैण्डपम्प हम आपके बना चुके हैं। यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि हम आपका सहयोग नहीं ले सके। यह हो सकता है कि आपके प्रस्ताव नहीं ले सके लेकिन हमारे एरिया में आप कहें खुदाई नहीं हुई है, इस तरह की बात मैं तो स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पूरी जानकारी मेरे अधिकारियों से प्राप्त कर ली है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपकी जानकारी में पहले भी लाया था, आज भी लाया, कंटिन्जेंसी प्लान में सिरोही शहर के लिए बीस हैण्डपम्प मांगे थे लेकिन पी.एच.ई.डी. ने उसमें से 12 काट दिये और 8 दिये। शिवगंज में एक भी हैण्डपम्प नहीं दिया गया। यह मैं पहले भी आपकी जानकारी में लाया था।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब आपने इस तरह की बात कही तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने अधिकारियों से पूरे जिले की बात पूछी तो उन्होंने मुझे यह जानकारी दी है। उसमें और भी कोई आपको या मेरे माननीय सदस्यों को जहां भी आप यह समझें कि मेरे यहां हैण्डपम्प बनाने हैं, कहीं ट्यूबवैल बनाने हैं, कहीं आपकी योजनाएं ठीक नहीं चल रही हैं, कोई कर्मचारी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की शिकायत हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब भी मुझे कहेंगे मैं उसका समाधान तीन दिन के अन्दर कर दूंगा।

कोई भी काम चाहे वह आदमी बी.जे.पी. का है या जनता दल का है या कांग्रेस का है, चुना हुआ जो हमारा व्यक्ति है उसका मैं सम्मान करता हूं और बिलकुल वही काम करता हूं। हमारे एम.एल.ए. चाहे जिस ढंग से भी लिखकर दें, हम उसके हिसाब से करेंगे मुझे यह कहने में कोई विवाद नहीं है कि हमारे जो अधिकारी हैं उनको सब डाइरेक्शन दिये हुए हैं कि पानी की कहीं पर किल्लत नहीं होनी चाहिए। पूरे कर्मचारी अपने काम में जुटे हुए हैं, सारे अधिकारी ट्यूर पर रहते हैं सब दिन, उसके बावजूद प्रदेश के अन्दर स्थिति बहुत विकट है। प्रदेश के अन्दर ट्यूबवैल हैं वह पानी नीचे चला गया है, हैण्डपम्प नीचे चले गये। योजनाएं दस-दस गांवों की बनी हुई हैं, एक गांव में पानी जाता है बाकी लोग इन्तजार करते हैं। तो मैं खुद मानता हूं, आप भी जानते हैं लेकिन अब इसका समाधान एकदम मेरे से सम्भव नहीं है और न ही अधिकारी कर सकते हैं। इनकी भी सीमाएं होती हैं। हड़ताल में किन्हीं कारणों से प्रशासन ने भी सहयोग दिया, जनता ने भी सहयोग दिया तो सारा काम बहुत सही ढंग से हो गया लेकिन अब वाकई मैं खुद महसूस करता हूं कि जो काम हड़ताल में सही ढंग से चल रहा था वैसा काम अब नहीं चल रहा है। यह बात मैं खुद महसूस करता हूं, इस सच्चाई को छिपाने में कोई विवाद नहीं है।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय, आपके जिले में भी भापसोडातलां स्कीम के लिए आपने...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : वहां छोटी-छोटी पांच-पांच लाख रुपये की स्कीमें हैं, आपके हैडक्वार्टर में पैण्डिंग पड़ी हुई है बहुत लम्बे समय से। उनको स्वीकृत करने के लिए आपके अधिकारियों को कहें।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसा है, हमारी कोई भी स्कीम हैडक्वार्टर के ऊपर ठंडे बस्ते में नहीं पड़ी रहती। कोई न कोई या तो आपके यहां पर ट्यूबवैल का पाइंट या अण्डर ग्राउण्ड वाटर की उपलब्धता नहीं होती है।

श्री रमजान खान : वह सब क्लीयर हो गये, खाली स्वीकृति नहीं हुई अभी तक।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे यहां आटोमेटिक काम होते हैं, मेरी सिफारिश की कोई जरूरत ही नहीं है। आज यहां हैं नहीं अजमेर से आने वाले माननीय जाट साहब, सबसे पहले उनकी ज्यादा स्कीम मंजूर हुई हैं। रतनलालजी की भी हुई हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अपोजीशन का हमारे दिमाग में है ही नहीं कि किसका होना है, हम तो जनहित के अन्दर काम करते हैं और पानी के अन्दर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय, अपने जोधपुर जिले के अन्दर भापसोड़ेतान स्कीम के अन्दर तीन करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी आज दिन तक एक गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, इसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे बहु दु:ख है, माननीय सदस्य रामनारायणजी साहब, आपने डेढ़ साल के बाद यह बात पैदा की। मैंने बारह महीने पहले ही यह बात आपको मालूम होगी, जांच शुरू कर दी। जांच हो गई और दो-तीन दिन में आपके सामने परिणाम आ जाएंगे। मुझे बहुत दु:ख है कि डेढ़ साल के बाद आप अपने एरिया में गये हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं गया, आप जनवरी, 99 को मेरे साथ गये थे और आपने कहा था कि मार्च, 99 के अन्दर मैं शुरू करवा दूंगा और अब आप कहते हैं दो-तीन दिन में...

श्री रामसिंह विश्नोई : फलौदी से आने वाले सदस्य, मेरे कार्यकाल में नहीं हुई थी। भैरोंसिंहजी शेखावत जब मुख्य मंत्री थे, भंवरलालजी शर्मा जब पी.एच.ई.डी. मंत्री थे उस समय यह स्कीम ढाई करोड़ की बनी थी। एक गांव में भी पानी नहीं गया और तीन करोड़ रुपये का बिलकुल सफाया हो गया। मुझे बहुत खेद भी है। मैंने जांच करा ली है और इसके लिए... (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : हम तो यही चाहते हैं कि इस स्कीम के ऊपर पानी की सप्लाई की जाए।

श्री हीरालाल विश्नोई : सांचौर की स्कीम के बारे में कुछ बताया ही नहीं आपने।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको जानकारी नहीं है, सांचौर की सारी स्कीमें करीब करीब, कोई एक कांस्टीट्यूएन्सी नहीं होती है, प्रदेश के अन्दर आपके जैसी 200 कांस्टीट्यूएन्सियां हैं और मैं आपके साथ रहता हूं या आप मेरे साथ रहते हैं इसिलए मैं सारी आपकी मंजूर कर दूं यह संभव नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 15 स्कीमें पैण्डिंग पड़ी हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी जो स्कीमें मंजूर होनी चाहिए वे मंजूर हो गई हैं। जो चीफ इंजीनियर के अधिकार क्षेत्र में हैं वे भी मंजूर हो गई हैं और यहां जो स्कीम मंजूर होनी है वह भी मंजूर हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ से जो भी है, उसके अलावा जो भी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं, मैं यह प्रयास करूंगा मेरी तरफ से कि मैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा स्वीकृति... (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछूंगी कैसे नहीं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : ज्यादा से ज्यादा स्वीकृति देने के लिए जो भी माननीय सदस्य हैं...

श्रीमती कमला बृजलाल : मंत्री महोदय, मैंने जो पूछा था चम्बल वाली, उसका तो बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2000 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 01.18 बजे 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट - 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 578 की सूचना)

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	अधिकारी का पद नाम	उपलब्ध मोबाइल/ सेलूलर फोन की संख्या	वर्ष 1999-2000 से 5 अप्रैल, 2000 तक व्यय की गई राशि का विवरण
1	2	3	4
1.	मुख्य सचिव, राजस्थान	1	3,637.00
2.	प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान	1	00,525.00
3.	सचिव, (प्रथम) मुख्यमंत्री राजस्थान	1	38,523.00
3.	तत्कालीन, सचिव(द्वितीय) मुख्यमंत्री राजस्थान	1	46,746.00
4.	शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	1	28,712.00
5.	संभागीय आयुक्त, अजमेर	1	29,506.00
6.	निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क	1	88,687.00
7.	विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री	1	17,698.00
8.	विशेषाधिकारी एवं प्रमुख निजी सचिव मुख्य मंत्री	1	37,494.00
9.	डिप्टी चीफ आफ प्रोटोकोल, सामान्य प्रशासन विभाग	1	31,007.00
10.	जिला कलेक्टर, जयपुर	1	77,917.00
11.	जिला कलेक्टर, अजमेर	1	28,610.00
12.	महानिदेशक, पुलिस राजस्थान	1	19,934.00
13.	महानिदेशक,(प्रशा.(कानून एवं व्यवस्था)	1	3,252.00
14.	अति. महानिदेशक पुलिस (क्राइम)	1	4,632.00
15.	अति. महानिदेशक पुलिस (इन्टेलिजेन्स)	1	
16.	महानिदेशक, पुलिस (सी.आई.डी.) इन्टेलिजेंस	1	36,752.00
17.	महानिदेशक, पुलिस (सी.आई.डी.) सुरक्षा	1	
18.	महानिदेशक, पुलिस कानून व्यवस्था	1	23,165.00
19.	महानिदेशक, पुलिस (सी.आई.डी.) क्राइम	1	4,149.00
20.	उप महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज	1	2,297.00
21.	उप महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज	1	1,654.00
22.	उप महानिरीक्षक पुलिस,कोटा रेंज	1	936.00

1	2	3	4
23.	उप महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज	1	34,171.00
24.	उप महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज	1	29,944.00
25.	पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर (उत्तर)	1	23,491.00
26.	पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर (दक्षिण)	1	67,045.00
27.	पुलिस अधीक्षक जयपुर (यातायात) शहर	1	50,985.00
28.	पुलिस अधीक्षक जयुपर (मुख्यालय) शहर	1	13,530.00
29.	पुलिस अधीक्षक, कोटा (शहर)	1	11,616.00
30.	पुलिस अधीक्षक, उदयपुर	1	3,069.00
31.	पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (शहर)	1	1,920.00
32.	पुलिस अधीक्षक, अजमेर	1	42,835.00
33.	महानिरीक्षक पुलिस (जी.आर.पी) जयपुर के स्तर पर डिस्पोजल पर	1	10,433.00
34.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम	1	25,656.00
35.	प्रबंध निदेशक, राज. राज्य होटल निगम लि. जयपुर	1	43,225.00
36.	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	1	1,33,205.00
37.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम के तीन अधिकारी	3	72,595.00
38.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम	1	2,877.00
39.	प्रबंध निदेशक, राज. राज्य बीज निगम, जयपुर	1	10,202.00
40.	प्रबंध निदेशक, राज. राज्य लघु उद्योग निगम, जयपुर	1	1,500.00
41.	मुख्य प्रबंध, राज. राज्य पथ परिवहन निगम, जयुपर।	1	50,688.00
42.	राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम जयपुर	4	1,26,000.00
43.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर	1	9,917.00
44.	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण	1	61,973.00
45.	सचिव, जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर	1	
46.	सभापति, नगर परिषद, अजमेर	1	21322.00
47.	मुख्य कार्यकारी अधिकरी, नगर निगम, जयुपर	1	उपलब्ध नहीं है।
48.	महापौर, नगर निगम, जयपुर		उपलब्ध नहीं है।
		52	13,74,112/-

परिशिष्ट-"ख"

जिन मोबाइल/सेलूलर फोन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है उनका विवरण निम्न प्रकार है

1. मुख्य सचिव, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान
3. सचिव (प्रथम) मुख्यमंत्री

3(अ) (सचिव) (द्वितीय) मुख्य मंत्री

4. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
5. संभागीय आयुक्त, अजमेर
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, राजस्थान
7. विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री, राजस्थान
8. विशेषाधिकारी, प्रमुख निजी सचिव, मुख्यमंत्री
9. डिप्टी चीफ आफ प्रोटोकाल, सामान्य प्रशासन विभाग
10. जिला कलेक्टर, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, अजमेर।
12. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान
13. महानिदेशक, (प्रशा.) कानून एवं व्यवस्था
14. अति. महानिदेशक, पुलिस (अपराध)
15. अति. महानिदेशक, पुलिस (इन्टे)
16. महानिरीक्षक, पुलिस, सी.आई.डी. (इन्टे)
17. महानिरीक्षक, पुलिस, (सी.आई.डी.) सुरक्षा
18. महानिरीक्षक, पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान
19. महानिरीक्षक, पुलिस, (सी.आई.डी.) (क्राइम)
20. महानिरीक्षक, पुलिस, रेंज उदयपुर।
21. महानिरीक्षक, पुलिस, रेंज जोधपुर
22. महानिरीक्षक, पुलिस, रेंज कोटा
23. महानिरीक्षक, पुलिस, रेंज अजमेर
24. महानिरीक्षक, पुलिस, रेंज जयपुर
25. एस.पी. जयपुर शहर (उत्तर)
26. एस.पी. जयपुर शहर (दक्षिण)
27. एस.पी. जयपुर शहर (यातायात) शहर
28. एस.पी. जयपुर शहर (मुख्यालय) शहर
29. एस.पी. कोटा शहर

30. एस.पी. उदयपुर
31. एस.पी. जोधपुर शहर
32. एस.पी. अजमेर
33. महानिरीक्षक पुलिस (जी.आर.पी.) जयपुर के स्तर पर डिस्पोजल में
34. मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर। (दिल्ली स्थित कार्यालय)

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में एनीकट निर्माण कार्यों में अनियमितता

581. श्री ज़ीतमल (बागीदोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1994 से 1998 तक कुल कितनी एनीकटों का निर्माण कहां-कहां कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने एनीकट हैं जिनके लिए कई बार राशि स्वीकृत कर निर्माण कार्य करवाये जा चुके हैं ? उक्त एनीकट हेतु किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भुगतान मुताबिक मौके पर कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार को गलत रिपोर्ट देने वालों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में अकाल राहत एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1994 से 1998 तक 17 एनीकटों का निर्माण कराया गया है। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त क्षेत्र में 12 एनीकटों के निर्माण के लिए उक्त वर्षों में एक से अधिक बार अलग-अलग मदों में राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी स्वीकृति राशि व व्यय का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1994 से 1998 तक विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में विभिन्न मदों में एनिकट निर्माण कार्य सम्बन्धी स्वीकृति एवं व्यय का विवरण

क्र. सं.	एनिकट का नाम	ग्राम	तहसील	वर्ष 1994-95, सुनिश्चित रोजगार योजना मद (राशि लाख रु.)		वर्ष 1995-96, सुनिश्चित रोजगार योजना मद (राशि लाख रु.)		वर्ष 1995-96, अकाल राहत मद (संवत 2052) (राशि लाख रु.)		वर्ष 1996-97, सुनिश्चित रोजगार योजना मद (राशि लाख रु.)				कुल योग	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
				स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय				
											96-97	97-98	98-99		
1.	पोलापन एनिकट	पोलापन	बागीदौरा	5.00	5.00	0.66	0.66	4.34	3.41					9.07	अपूर्ण
2.	खरोडी चैक डेम	खरोडी	बागीदौरा	5.00	5.00	0.66	0.66	4.34	3.10					8.76	अपूर्ण
3.	बोरवानिया	बोरबानिया	बागीदौरा					5.00	1.72	5.00	0.20	1.80	2.98	6.70	पूर्ण
4.	बोरडाबरा	बोरडाबरा	बागीदौरा					5.00	2.15	5.00	0.26	4.09	0.65	7.15	पूर्ण
5.	मोटी टिम्बी	मोटी टिम्बी	बागीदौरा					5.00	2.13	5.00	1.35	3.65		7.13	पूर्ण
6.	मढकोला मोगजी	मढकोला मोगजी	बागीदौरा					5.00	0.53	5.00	0.14	3.84	1.02	5.53	पूर्ण
7.	खूटी जालमिया	खूटी जालमिया	बागीदौरा					5.00	2.84	5.00	2.45	2.54		7.83	अपूर्ण
8.	वरेठ एनिकट	वरेठ	बागीदौरा					5.00	2.31	5.00	1.26	2.23		5.80	पूर्ण
9.	टांडीनानी एनिकट	टांडीनानी	बागीदौरा					5.00	2.00	5.00	1.27	3.27	0.46	7.00	पूर्ण
10.	जगपुरा एनिकट	जगपुरा	बागीदौरा					5.00	1.97	5.00	2.13	2.87		6.97	पूर्ण
11.	खूंटानगारात एनिकट	खूंटानगारात	बागीदौरा					5.00	0.57	5.00	0.25	4.75		5.57	अपूर्ण
12.	रोहाल एनिकट	रोहाल	गढी					5.00	1.89	5.00	0.55	4.05	0.40	6.89	पूर्ण
13.	पिथापुरा एनिकट	पिथापुरा	बागीदौरा							5.00		3.48	1.52	5.00	पूर्ण
14.	रतनपुरा एनिकट	रतनपुरा (अर्जुनपुरा)	बागीदौरा							5.00	0.80	4.20		5.00	अपूर्ण
15.	पनासी एनिकट	पनासी	गढी							5.00	0.76	4.24		5.00	पूर्ण
16.	कुवाडिया एनिकट	कुवाडिया	गढी							5.00	0.75	0.54	3.71	5.00	पूर्ण
17.	खाखरापाडा एनिकट	खाखरापाडा	बागीदौरा							5.00		5.00		5.00	पूर्ण

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1994 से 1998 तक विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में विभिन्न मदों में एनिकट निर्माण कार्य सम्बन्धी स्वीकृति एवं व्यय का विवरण

क्र. सं.	एनिकट का नाम	ग्राम	तहसील	वर्ष 1994-95, सुनिश्चित रोजगार योजना मद (राशि लाख रु.)		वर्ष 1995-96, सुनिश्चित रोजगार योजना मद (राशि लाख रु.)		वर्ष 1995-96, अकाल राहत मद (संवत 2052) (राशि लाख रु.)		वर्ष 1996-97, सुनिश्चित रोजगार योजना मद (राशि लाख रु.)				कुल योग	कार्य पूर्ण/ अपूर्ण
				स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय				
											96-97	97-98	98-99		
1.	पोलापन एनिकट	पोलापन	बागीदौरा	5.00	5.00	0.66	0.66	4.34	3.41					9.07	अपूर्ण
2.	खरोडी चैक डेम	खरोडी	बागीदौरा	5.00	5.00	0.66	0.66	4.34	3.10					8.76	अपूर्ण
3.	बोरवानिया	बोरबानिया	बागीदौरा					5.00	1.72	5.00	0.20	1.80	2.98	6.70	पूर्ण
4.	बोरडाबरा	बोरडाबरा	बागीदौरा					5.00	2.15	5.00	0.26	4.09	0.65	7.15	पूर्ण
5.	मोटी टिम्बी	मोटी टिम्बी	बागीदौरा					5.00	2.13	5.00	1.35	3.65		7.13	पूर्ण
6.	मढकोला मोगजी	मढकोला मोगजी	बागीदौरा					5.00	0.53	5.00	0.14	3.84	1.02	5.53	पूर्ण
7.	खूंटी जालमिया	खूटी जालमिया	बागीदौरा					5.00	2.84	5.00	2.45	2.54		7.83	अपूर्ण
8.	वरेठ एनिकट	वरेठ	बागीदौरा					5.00	2.31	5.00	1.26	2.23		5.80	पूर्ण
9.	टांडीनानी एनिकट		बागीदौरा					5.00	2.00	5.00	1.27	3.27	0.46	7.00	पूर्ण
10.	जगपुरा एनिकट		बागीदौरा					5.00	1.97	5.00	2.13	2.87		6.97	पूर्ण
11.	खूंटानगारात एनिकट		बागीदौरा					5.00	0.57	5.00	0.25	4.75		5.57	अपूर्ण
12.	रोहाल एनिकट		गढी					5.00	1.89	5.00	0.55	4.05	0.40	6.89	पूर्ण

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना

582. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में कुल कितनी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं संचालित हैं ?

(2) उक्त योजनाओं के पुनगर्ठन व पुनरुद्धार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं में 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में अब क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में कुल 2 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं व 5 क्षेत्रीय जल योजनाएं संधारण में हैं।

(2) वर्तमान में निर्माणाधीन क्षेत्रीय जल योजना सोनियाणा-जबरकिया के पुनरुद्धार (संवर्धन) के लिए ऊंचकिया बांध में स्थित सिंचाई विभाग के कुएं को जलदाय विभाग के अधीन लेने व योजना से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।

II. संधारण में चल रही क्षेत्रीय जल योजना खेमाणा-गल्यावड़ी में पुनरुद्धार के तहत गल्यावड़ी के लिये निर्मित पृथक स्रोत में होरिजेन्टल बोरिंग कर जल आवक बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे।

III. संधारण में चल रही क्षेत्रीय जल योजना पालरा-मरेनिया खेड़ा के पुनरुद्धार के तहत गांव पालरा में पेयजल सुधार हेतु स्थानीय सांसद विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत ग्राम पालरा के सार्वजनिक कुएं का विद्युत संबंध होने पर योजना से शीघ्र जोड़ दिया जाएगा।

शेष 4 क्षेत्रीय योजनाओं में से एक निर्माणाधीन योजना खांखरमाला-टूंगच व तीन संधारण की योजनाएं पोंटला-सहाड़ा-गुडा, नाहरी-जोगरास, भीटा भटेवर में पुनर्गठन एवं पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के मापदण्डों के अनुसार 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से ही पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं। योजना बनाते समय जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ही योजना डिजाइन की है।

जिला पाली की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की आय-व्यय

583. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कब से कार्यरत है ? इसके अध्यक्ष एंव सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में समिति के कहां-कहां पर कार्यालय हैं और कहां-कहां पर भवन हैं ?

(श्री आत्माराम मेघवाल)

(3) गत 5 वर्षों में उक्त समिति की वर्षवार आय एवं व्यय कितना रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिला दुंग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का गठन 2 फरवरी, 1980 को किया गया। इस प्रकार पाली जिला दुग्ध संघ विगत 20 वर्षों से कार्यरत है। संघ के संचालक मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) पाली जिला दुग्ध संघ का प्रमुख कार्यालय पाली तथा फालना एवं जैतारण में दुग्ध अवशीतन केन्द्र कार्यरत है। पाली एवं फालना में संघ का स्वयं का भवन है।

(3) पाली दुग्ध संघ के आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "क"

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची

1.	श्री चन्दन सिंह, अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भैसाणा	अध्यक्ष
2.	श्री प्रतापसिंह, अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बिटिया	सदस्य
3.	श्री रूपाराम, अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, अटपड़ा	सदस्य
4.	श्री माधवराम, अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, देवरिया	सदस्य
5.	श्री भंवरसिंह, अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, देवलीआउवा	सदस्य
6.	श्री खीयाराम, अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, खारड़ी	सदस्य
7.	श्रीमती कमलादेवी, अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, लाम्बिया	सदस्य
8.	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए. पाली	सदस्य
9.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर खण्ड, जोधपुर	सदस्य
10.	श्री डी.सी. गुप्ता, प्रबन्धक (परियोजना), आरसीडीएफ, जयपुर	सदस्य
11.	श्री एच.बी. जोशी, सीनियर एक्जीक्यूटिव, एनडीडीबी, दिल्ली	सदस्य
12.	डा.डी. कुमार, प्रबन्ध संचालक, पाली जिला दुग्ध संघ, पाली	सदस्य सचिव

परिशिष्ट "ख"

पाली जिला दुग्ध संघ के गत 5 वर्षों के आय-व्यय का विवरण

(लाख रुपये में)

वर्ष	आय	व्यय	शुद्ध लाभ/हानि (+ -) समायोजन पश्चात्
1994-95	688.22	696.41	(-) 8.19
1995-96	1154.18	1133.44	(+) 20.74
1996-97	1777.76	1767.32	(+) 10.44
1997-98	2223.85	2204.56	(+) 19.29
1998-99	2547.35	2517.38	(+) 29.97

जिला नागौर के कुटीर उद्यमियों को ऋण

584. श्री मोहन लाल (परबतसर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1999-2000 में जिला नागौर में कुटीर उद्योग के अन्तर्गत कितने दस्तकारों ने ऋण प्राप्त करने हेतु कुल कितने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं ? उक्त आवेदन पत्र किस-किस बैंक को कितने-कितने भिजवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बैंकों ने उक्त ऋण का भुगतान समय पर कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब उक्त आवेदनकर्ताओं को ऋण कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में जिला उद्योग केन्द्र, नागौर में कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत 149 दस्तकारों के ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। ये आवेदन पत्र जिले की विभिन्न बैंकों को भिजावये गये हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त आवेदन पत्रों में से बैंकों द्वारा 51 आवेदनकर्ता को भुगतान कर दिया है। शेष आवेदनकर्ताओं से ऋण प्रक्रिया पूरी कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) बैंकों द्वारा ऋण प्रक्रिया पूर्ण कराने के पश्चात् ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

आर.टी.एस. अधिकारियों की पदोन्नति

585. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से आर.टी.एस. अधिकारियों की पदोन्नति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री अमराराम चौधरी)

(2) आर.टी.एस. अधिकारियों की पदोन्नति आर.ए.एस. में करने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई नीति निर्धारण की हुई है ? यदि हां, तो क्या ? क्या उक्त नीति की सरकार द्वारा समय-समय पर पालना की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1998-99 में आर.टी.एस. अधिकारियों की पदोन्नति की जा चुकी है। वर्ष 1999-2000 की डी.पी.सी. होना बकाया है, क्योंकि विभिन्न न्यायालय निर्णयों की पालना करनी है तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा का कैडर संख्या पुनर्निर्धारण का प्रकरण विचाराधीन है।

(2) जी हां। आर.टी.एस. अधिकारियों की राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम-28(बी) एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: 1(5) कार्मिक/क-2/79 दिनांक 21.8.97 (प्रति संलग्न) के अनुसार राजस्थान प्रशासनिक सेवा का कैडर स्ट्रैन्थ का 33.3 प्रतिशत पदोन्नति कोटा एवं 66.7 प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा निर्धारित है।

जी हां। सरकार द्वारा उक्त नीति की पालना की जा रही है।

GOVERNMENT OF RAJSTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Group-II)

No. F.1(15) DOP/A-II/79 Jaipur, dated 21-8-97

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan Administrative Service Rules, 1954, namely :-

AMENDMENT

In the said Rules :-

Amendment of Rule 7 :- The existing clause (a) and (b) to subrule (2) of rule 7 shall be substituted by the following w.e.f. 1.4.1997, namely :-

"(a) by direct recruitment 66.7%
(b) by promotion 33.3%"

By order and in the name of the Governor
Sd/-
(S.M.Kerwal)
Deputy Secretary to the Govt.

राजस्थान सरकार
कार्मिक विभाग
(क-ग्रुप-II)

क्रमांकः एफ.1(15) कार्मिक/क-2/79 जयपुर, दिनांक 21-8-97

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 में, उनके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

नियम 7 का संशोधन :- नियम 7 के उपनियम (2) के विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर 1-4-97 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

"(क) सीधी भर्ती द्वारा 66.7 प्रतिशत
(ख) पदोन्नति द्वारा 33.3 प्रतिशत"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
ह0/-
(सूरज मल केड़वाल)
उप शासन सचिव

सेठी गणपतराय ट्रस्ट, लाडनूं (नागौर) हेतु सरकार द्वारा गठित प्रबन्ध समिति

586. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं (नागौर) में सेठी गणपतराय ट्रस्ट कार्यरत है और यह सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियों में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इसी ट्रस्ट के लिए अलग से प्रबन्ध समिति पूर्व सरकार ने क्यों बनाई ?

(2) क्या उक्त प्रकार से गलत रूप से बनाई गई समिति के विरुद्ध कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो क्या-क्या, कब और उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त शिकायतों व उस पर की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन जो दिनांक 25 जून, 1997 देवस्थान विभाग में जिस ट्रस्ट के नाम से समिति गठित की है उस नाम का लाडनूं में

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कोई ट्रस्ट नहीं है और इसकी शिकायत भी सरकार को मिली है ? यदि हां, तो इस विज्ञप्ति को सरकार ने अभी तक निरस्त क्यों नहीं किया गया ?

(4) अब इस संबंध में क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? जो कब तक की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। कस्बा लाडनूं (नागौर) में सेठी गणपतराय ट्रस्ट, लाडनूं, जिला नागौर सार्वजनिक प्रन्यास पंजीकृत है, जो धार्मिक व जनहित कार्यों यथा शिक्षा, औषधालय, अन्न, पानी, मंदिर कुआ, विश्राम गृह, धर्मशाला आदि का निर्माण तथा जनसेवा उद्देश्यों हेतु पंजीकृत किया गया है।

इस पंजीकृत प्रन्यास की गतिविधियों में अनियमितता के संबंध में विधान सभा में श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दि. 4.3.94 को तत्कालीन राज्य मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग द्वारा प्रदत्त आश्वासन सं. 1/94 की क्रियान्विति के रूप में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रन्यास की सम्पत्तियों की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था एवं सुरक्षा के उद्देश्य से अलग से इस प्रन्यास के लिए राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 53 की उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का गठन किया गया।

(2) उक्त प्रन्यास के लिए गठित की गई प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(3) यह सही है कि 25 जून, 1997 को राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन कराया गया वह स्व. सेठ श्री गणपतराय सरावगी ट्रस्ट लाडनूं जिला नागौर के नाम से है, जबकि लाडनूं में जो ट्रस्ट पंजीकृत है वह सेठी गणपतराय ट्रस्ट, लाडनूं जिला नागौर के नाम से है, किन्तु उक्त दोनों नाम एक ही प्रन्यास के हैं।

(4) संशोधित अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जयुपर शहर में बीयर बार के लाइसेंस हेतु जमा राशि की वापसी

587. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में वर्ष 1996-97 में बीयर बार के लिए आवेदन पत्र मांगे थे ? यदि हां, तो कब-कब, किस-किसमें विज्ञापन दिये गये और क्या शर्तें थीं ?

(2) उक्त विज्ञापनों के आधार पर किस-किसने, किस-किस स्थान के लिए कब-कब आवेदन पत्र भेजे ? कितनी राशि सहित आवेदन पत्र जमा कराये गये और किस-किसको, कहां-कहां के लिए कब-कब लाइसेंस दिये तथा किस-किसको किस-किस कारण से नहीं दिये ?

(श्री सांवरलाल)

(3) क्या जिनको लाइसेंस नहीं दिये उन्हें प्रारम्भिक जमा राशि लौटा दी है ? यदि नहीं, तो क्यों, और अब कब तक लौटा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्ष 1996-97 में बीयर बार के लिए आवेदन पत्र मांगने बाबत विज्ञापन दिया जाना नहीं पाया जाता। वस्तुत: इन अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति एवं पात्रता बाबत तत्समय नियमों में प्रावधान होने से पात्र अभ्यर्थी कभी भी आवेदन कर सकते थे।

(2) वर्ष 1996-97 में जयपुर शहर में बीयर बार हेतु दिये गये आवेदन पत्रों, जमा कराई गई राशि, लाइसेंस स्वीकृति की दिनांक/लाइसेंस स्वीकृत नहीं करने के कारण की सूचना संलग्न परिशिष्ट में अंकित है।

(3) जिन आवेदकों को लाइसेंस स्वीकृति नहीं किये गये उनके द्वारा आवेदन के साथ जमा कराई गई राशि लौटाने के बारे में सूचना भी संलग्न परिशिष्ट में अंकित कर दी गई है।

जयपुर शहर में बीयर बार अनुज्ञापत्र हेतु वर्ष 1996-97 में प्राप्त आवेदनों का विवरण

क्र.सं.	नाम आवेदनकर्ता व रेस्टोरेंट का नाम	आवेदन की दिनांक	स्थान का नाम	आवेदन के साथ जमा करवाई गई राशि	लाइसेंसे देने की दिनांक	लाइसेंस यदि नहीं दिया गया तो उसके कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री विनोद अग्रवाल शगुन रेस्टोरेंट	27-11-96	मानसरोवर	2510/-	24-6-97	
2.	श्री अजीत हुसैन मेट्रो रेस्टोरेंट	26-6-96	एमआई रोड	2510/-	27-6-97	
3.	श्री राकेश कुमार टांक शौकिन रेस्टोरेंट	19-6-96	झालानाग्राम	50010/-	9-7-97	
4.	श्री रोहित महावतं झंकार/तलब रेस्टोरेंट	4-10-96	सेठी कोलोनी	50010/-	22-7-97	
5.	श्री मोहम्मद सद्दीक वोल्गा रेस्टोरेंट	4-10-96	मोतीडूंगरी रोड	2510/-	12-6-97	
6.	श्री पृथ्वी राजसिंह चहल पहल रेस्टोरेंट/ रायलहट	16-6-96	मालवीयनगर	50010/-	15-7-98	

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्री अजय शर्मा आचमन रेस्टोरेंट	25-4-96	सुभाषनगर/ शास्त्री नगर	2510/-	25-6-97	
8.	श्री गुरतेजसिंह दिलबहार रेस्टोरेंट	9-4-96	खासाकोठी सर्किल	50010/-	27-6-97	
9.	श्री सुरेन्द्र वर्मा रोनक रेस्टोरेंट	13-8-96	अजमेर रोड	50010/-	2-7-97	
10.	श्री राजेन्द्र कुमार टांक सुरभि रेस्टोरेंट	28-10-96	वैशालीनगर	2510/-	8-7-97	
11.	श्री सेडूराम चौधरी न्यू धूमर रेस्टोरेंट	3-4-96	गोपालपुरा बाईपास	50010/-	आवेदक शुल्क मुख्य रूप से प्रक्रिया शुल्क जमा नहीं करावाने, रेस्टोरेंट का व्यवसायिक उपयोग हेतु रूपान्तरण नहीं होने, नगर निगम का रेस्टोरेंट बाबत अनुज्ञापत्र प्रभावी नहीं रहने के आधार परअनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किया गया। कार्यालय आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक प.32(बी)(71)आब एल/97/217 दिनांक 15-2-99) द्वारा राशि लौटाने की प्रार्थना अस्वीकार कर जमा राशि राज्यसात की गई।	
12.	श्री अमित शर्मा	22-6-96	गोपालपुरा बाईपास	50010/-	रेंस्टोरेंट के स्वामित्व सम्बन्धी, दस्तावेज विवादगस्त,	

1	2	3	4	5	6 7
	सूर्या रेस्टोरेंट				होनें से अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किया गया एवं आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक प.32(बी)(73)आब/एल/97/3113 दिनांक 24-12-97 द्वारा प्रक्रिया शुल्क एवं आवेदन शुल्क की राशि काटकर शेष राशि रुपया 47500/- लौटाने की स्वीकृति दी गई।
13.	श्री अनुपसिंह गुमटी रेस्टोरेंट	27-6-96	जनता कालोनी	50010/-	आवेदक द्वारा रेस्टोरेंट स्थल का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया एवं आबकारी आयुक्त के आदेश पी.32(बी)(78) आब/एल/97/1381 दिनांक 6-7-99 द्वारा जमा कराई गई राशि राज्यसात की गई।
14.	श्री हीरानंद रेनबो रेस्टोरेंट	12-6-96	आमेर रोड	2510/-	आवेदक के रेस्टोरेंट के नजदीक धार्मिक स्थल होने से अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किया गया। प्रारंभिक शुल्क आवेदक द्वारा जमा नहीं करवाने से कोई राशि लौटाये जाने योग्य नहीं है।

जोधपुर के ग्राम सूंथला की राजकीय भूमि का रूपान्तरण

588. श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर के ग्राम सूंथला में राजकीय भूमि पर उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण जोधपुर की पत्रावली 1506-1514/89 द्वारा वर्ष 1992 में पट्टे (भू-विलेख) जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ?

(2) क्या सरकार ने उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने के प्रकरण की जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच में क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? अब क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(4) क्या सरकार नियम विरुद्ध जारी किये गये पट्टे निरस्त करवाने के लिए राजस्व मण्डल अजमेर में रैफरेंस करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ये 48 पट्टे (भू-विलेख) श्री बाघसिंह राव, तत्कालीन अपर कलेक्टर भूमि रूपान्तरण जोधपुर द्वारा जारी किये गये थे।

(2) जी हां, उक्त मामले में श्री बजरंगलाल शर्मा, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर को विधि विरुद्ध भूमि रूपान्तरण कर पट्टे जारी करने में बरती गई अनियमितताओं की विस्तृत जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प-1(6)का/क-3/2000 दिनांक 25.4.2000 से प्रकरण में दोषी पाये गये श्री बाघसिंह राव, आर.ए.एस., तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी (भू.रू.) एवं तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर, श्री आर.एन.माथुर, आर.ए.एस., तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी (भू.रू.) जोधपुर ,श्री पी.एन.माथुर, तत्कालीन तहसीलदार, जोधपुर एवं श्री बाबूलाल, तत्कालीन रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (भू.रू.) जोधपुर को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलम्बित किया गया है।

(3) दोषी पाये गये अधिकारी श्री बाघसिंह राव, आर.ए.एस., तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी (भू.रू.) एवं तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर, श्री आर.एन.माथुर,आर.ए.एस., तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी (भू.रू.) जोधपुर, श्री पी.एन.माथुर, तत्कालीन तहसीलदार, जोधपुर एवं श्री बाबूलाल, तत्कालीन रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (भू.रू.) जोधपुर को निलम्बित कर दिया गया है।

(4) नियम विरुद्ध जारी किये गये 48 पट्टों को निरस्त कराने हेतु राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलें दर्ज कराई गईं।

ग्राम बासमाना (झुंझुनूं) के प्राथमिक विद्यालय में लगाया गया दोषपूर्ण हैण्डपम्प

589. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक शाला बास बिसना व बासमाना तथा हेमन्तपुरा (गठ वालों की ढाणी) में नये हैण्डपम्प लगाये गये थे ? यदि हां, तो कब तथा ठेकेदार कौन था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों ही स्थानों पर लगाये गये हैण्डपम्प पूरी तरह से लगे ही नहीं, लोबोरिंग ही नहीं की गई तथा चालू ही नहीं हुए फिर भी इनका भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि दी गई तथा चैक करने वाला अधिकारी कौन था ?

उत्तर

(1) जी हां, हैण्डपम्प 11/96 में लगाये गये थे तथा ठेकेदार क्रमश: बास बिसना के लिए मैसर्स कुबेर सिंह शेखावत, उदयपुरवाटी व शेष 2 के लिए मैसर्स पुरूषोतम लाल शर्मा झुंझुनूं थे।

(2) जी नहीं। उक्त तीनों पर हैण्डपम्प लोकरिंग करने के बाद चालू किये गये थे एवं तत्पश्चात् भुगतान किया गया था। उक्त तीनों हैण्डपम्पों के लिए 27650 रुपये का भुगतान सम्बन्धित कनिष्ठ एवं सहायक अभियन्ता की चैकिंग के बाद किया गया।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पदस्थापित अधिकारी

590. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में विभिन्न वर्गों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) संयुक्त निदेशक पद पर गत 5 वर्षों में कौन-कौन अधिकारी पदस्थापित रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बोर्ड द्वारा क्रमांक के.वी.वी.एफ./ संस्थापन/ 8185, दिनांक 31.3.98 द्वारा किन-किन अधिकारियों को किस पद पर पदोन्नति प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बोर्ड में विभिन्न वर्गों के स्वीकृत पदों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(2) गत 5 वर्षों में बोर्ड में संयुक्त निदेशक के पद पर रहे अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट-4)

(3) बोर्ड द्वारा क्रमांक के.वी.बी.एफ./ संस्थापन/8185, दिनांक 31.3.98 द्वारा

(खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री)

अधिकारियों को दी गई पदोन्नति मय पद के परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मियों पर व्यय

591. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि में राज्य सरकार की अनुमति से विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर सेवानिवृत्त/अन्य कर्मचारी अस्थाई रूप से दैनिक वेतन पर लगाये गये थे ? यदि हां, तो राज्य में कितने मानव दिवस के लिए किस-किस क्षेत्र में कर्मचारी नियुक्त किये गये थे और उन पर कुल कितना व्यय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

जी हां, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल अवधि में राज्य सरकार की अनुमति से विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर सेवानिवृत्त/अन्य कर्मचारी आवश्यक अस्थाई संविदा आधार पर लगाये गये थे। विभिन्न विभागों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार लगाये गये कर्मचारियों के मानव दिवसों की संख्या एवं उन पर कुल हुए व्यय का विभागवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

हड़ताल अवधि में विभिन्न विभागों में आवश्यक अस्थाई संविदा आधार पर लगाये गये कर्मचारियों के विभागवार मानव दिवसों की संख्या एवं उन पर कुल हुए व्यय का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	कुल मानव दिवस	कुल व्यय
1	2	3	4
1.	अति. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	शून्य	शून्य
2.	अति. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर	शून्य	शून्य
3.	सम्भागीय आयुक्त, अजमेर	130	8360
4.	सम्भागीय आयुक्त, कोटा	28	5600
5.	जिला कलेक्टर, टोंक	1004	90200
6.	जिला कलेक्टर, उदयपुर	1156	1150000
7.	जिला कलेक्टर, बाड़मेर	259	23750
8.	जिला कलेक्टर, जैसलमेर	-	36380
9.	जिला कलेक्टर, सिरोही	304	18240
10.	जिला कलेक्टर, झुंझुनूं	906	72080

1	2	3	4
11.	जिला कलेक्टर, सीकर	21268	1276295
12.	जिला कलेक्टर, पाली	12301	963000
13.	जिला कलेक्टर, जालौर	2984	493870
14.	जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	203	825000
	(कर्मचारी दिनांक 16.1.2000 से 19.2.2000 तक के लिए आवश्यकतानुसार रखे गये)		
15.	जिला कलेक्टर, स. माधोपुर	4167	297860
16.	जिला कलेक्टर, बून्दी	564	192600
17.	जिला कलेक्टर, भरतपुर	3582	300940
18.	जिला कलेक्टर, झालावड़	3695	319420
19.	जिला कलेक्टर, अजमेर	1015	87477
20.	जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा	7415	773200
21.	जिला कलेक्टर, करौली	3555	298980
22.	जिला कलेक्टर, जयपुर	1153	119580
23.	जिला कलेक्टर, चूरू	390	53040
24.	जिला कलेक्टर, धौलपुर	1185	75320
25.	जिला कलेक्टर, अलवर	12422	1048160
26.	जिला कलेक्टर, कोटा	3292	303322
27.	जिला कलेक्टर, बांरा	26	5200
28.	जिला कलेक्टर, राजसमन्द	14583	1903925
29.	जिला कलेक्टर, जोधपुर	-	27000
30.	जिला कलेक्टर, बीकानेर	410	51060
31.	जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	-	859206
32.	जिला कलेक्टर, गंगानगर	1067	94737
33.	जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	1531	170340
34.	निदेशक, भ्र.शील श.चिकित्सा इकाई जयपुर	-	11655
35.	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक. डा.सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान एवं संलग्न चिकित्सालय,	290	12760
	जोधपुर	30 तक.	3000
		(100 रु. प्रति दिवस)	
	अनुबन्ध पर रखे गये वार्ड ब्वाय एवं स्वीपर पर व्यय		75,462

1	2	3	4
36.	अधीक्षक उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर	390	107365
37.	अधीक्षक. मथुरादास माथुर चि. जोधपुर	789	35910
38.	उपशासन सचिव (प्रशा-2) पंचायती राज विभाग	332	22340
39.	जिला परिषद, उदयपुर	192	4780
40.	निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान उदयपुर	787	113605
41.	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, ज.ला.ने., अयुर्विज्ञान महाविद्यालय, सामू.चि.संघ, अजमेर	882	29202
42.	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जयपुर	शून्य	शून्य
43.	निदेशक, मूल्यांकन संगठन	,,	,,
44.	अति. महानिदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर	,,	,,
45.	प्रबन्ध निदेशक, राज.भण्डार व्यवस्था नि. जयपुर	,,	,,
46.	निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर	,,	,,
47.	उप निदेशक, राज.प्राच्य विद्याप्रति. जोधपुर	,,	,,
48.	निदेशक, नगर भूमि एवं भवनकर विभाग जयपुर	,,	,,
49.	शासन उप सचिव (प्रशा.) ग्रा.विकास विभाग		
50.	उपनिदेशक, म.ल.वर्मा, आदिमजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर	,,	,,
51.	अति. आयुक्त, क्षै.विकास (इंगांनपरि) बीकानेर	,,	,,
52.	निदेशक, राज.रा. अभिलेखाकार, बीकानेर	,,	,,
53.	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण वि.जयपुर	,,	,,
54.	उपनिदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा जयपुर	,,	,,
55.	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण वि. जयपुर	,,	,,
56.	सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर	,,	,,
57.	महानिरीक्षक, कारागार विभाग, जयपुर	,,	,,
58.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर	,,	,,
59.	पुलिस अधिक्षक, सी.आई.डी., विज्ञान शाखा	,,	,,
60.	निदेशक, आयुर्वेदि विज्ञान, अजमेर	,,	,,
61.	रजिस्ट्रार, राज.सि.से. अपील अधि. जयपुर	,,	,,
62.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग	,,	,,
63.	निदेशक, संस्कृत शिक्षा	,,	,,
64.	महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	,,	,,

1	2	3	4
65.	निदेशक, भाषा विभाग	शून्य	शून्य
66.	निदेशक, अल्प बचत	49	6600
67.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री	145	15080
68.	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. चिकि. महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	4763	262712
69.	निदेशक, पुर्नवास एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर	शून्य	शून्य
70.	प्रधानाचार्य कालेज आफ नर्सिंग	,,	,,
71.	विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर	,,	,,
72.	नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, जयपुर	,,	,,
73.	निदेशक, पुलिस विधिविज्ञान प्रयोगशाला	,,	,,
74.	निदेशक, रोजगार निदेशालय, जयपुर	,,	,,
75.	मुख्य नगर नियोजक विभाग, जयपुर	,,	,,
76.	भू प्रबन्ध आयुक्त, राज. जयपुर	,,	,,
77.	निदेशक, अरबी एवं पारसी शोध संस्थान टोंक	,,	,,
78.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर	,,	,,
79.	आबकारी आयुक्त, राज. जयपुर	,,	,,
80.	मुख्य अभियन्ता, भू-जल, जोधपुर	871	52154
81.	प्रधानाचार्य, आरएनटी. मेडि.कालेज, उदयपुर	360	15020
82.	श्रम आयुक्त	शून्य	शून्य
83.	मुख्य निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय जयपुर	,,	,,
84.	अति. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई कोटा	1238	85432
85.	निदेशक, खान विभाग	787	113605
86.	आयुक्त खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग	शून्य	शून्य
87.	नियंत्रक मोटर गैराज	,,	945
88.	प्रधानाचार्य आयुर्विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर	37	2220
89.	रजिस्ट्रार राज. कर बोर्ड अजमेर	शून्य	शून्य
90.	निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर	,,	,,
91.	निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय जयपुर	,,	,,
92.	निदेशक, मत्स्य विभाग, जयपुर।	30	600
93.	प्रधानाचार्य मदनमोहन मा.आ.वि. म.वि.उदयपुर	42	925
94.	मुख्य अभियन्ता, मा.बजाज सागर परि. बांसवाड़ा	1384	24068
95.	आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	84	10370

1	2	3	4
96.	चीफ हैलीकाप्टर पायलेट, सांगानेर एयरपोर्ट-जयपुर।	शून्य	शून्य
97.	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि वि.	,,	,,
98.	आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर	,,	,,
99.	निदेशक, पशु पालन विभाग	,,	,,
100.	मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	21	1260
101.	आयुक्त, परिवहन विभाग	56	4600
102.	सहा.शासन.सचिव, सहकारिता विभाग	शून्य	शून्य
103.	मुख्य अभियन्ता, सार्व.नि.विभाग, जयपुर	,,	,,
104.	शासन सचिवालय, जयपुर	,,	3,39,440

जिला आयुर्वेद अधिकारी के द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

592. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री माणिक्य लाल चतुर्वेदी औषधालय, खरकड़ी, वरिष्ठता क्रमांक 79, श्री गिरीश शर्मा केरथवाल, वरिष्ठता क्रमांक 117, श्री मदन मोहन औषधालय भनोखर-152, श्री ओम प्रकाश बड़ाया औषधालय, बाम्बोली 201 चिकित्सक श्री जीवन राम मीणा वरिष्ठता संख्या 245 से सीनियर होते हुए भी क्या श्री जीवन राम मीणा को जिला आयुर्वेद अधिकारी का चार्ज दे रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उप निदेशक द्वारा गत दो वर्षों के कैम्पों में हुई अनियमितताओं की जांच की गई थी ? यदि हां, तो क्या निष्कर्ष रहा ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जांच में श्री जीवन राम मीणा दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो इनको क्यों नहीं हटाया गया ?

(4) क्या कोई अधिकारी किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर उसे दण्ड दे देता है तो क्या बिना कारण ही उसे माफ कर सकता है ? यदि हां, तो श्री मांगतू राम परिचारक मौजपुर (अलवर) की दो दिन सर्विस ब्रेक करने के बाद उसी जिला अधिकारी अलवर ने किस नियम के तहत सर्विस ब्रेक बहाल कर दिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वरिष्ठता सूची दिनांक 23.4.98 के अनुसार श्री जीवन राम शर्मा वरिष्ठता क्रमांक 245 पर थे। लेकिन उक्त सूची को माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा दिनांक 18.3.99 को अपास्त

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

कर दिया गया है तथा अधिकरण के उक्त निर्णय के अनुसरण में जारी वरिष्ठता सूची को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा दिनांक 21.10.99 को स्थगित कर दिया गया है। फलस्वरूप वर्तमान में वरिष्ठता सूची से संबंधित प्रकरण न्यायालय अधीन है।

(2) जी हां। उक्त जांच के आधार पर श्री जीवन राम शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिय कार्यवाही विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। राज्यादेश दिनांक 14.3.2000 के द्वारा श्री जीवन राम शर्मा के स्थान पर जिले के वरिष्ठतम चिकित्सक को चार्ज दिलाने के आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं।

(4) जी नहीं। इस संबंध में जांच करवाई जा रही है।

(5) जी हां। नतीजा जांच प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालयमें रखी गई।)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 31 मार्च, 2000)

नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के गठन में अनियमितता

170. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड की बैठक कब से क्यों नहीं हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड का वर्तमान गठन बिना टेम्पल बोर्ड की अनुमति के भेजे गये पैनल में से किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में गठित किये गये बोर्ड के लिए पूर्व में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अन्य पैनल भेजा गया था ? यदि हां, तो बिना बोर्ड की अनुमति से भेजे गये पैनल में से की गई नियुक्तियों का क्या औचित्य है ?

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में गठित बोर्ड की समयावधि समाप्त होने के एक वर्ष पूर्व नया पैनल भेजा गया था ? यदि नहीं, तो क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है ?

(5) क्या यह भी सही है कि नियुक्तियां करने से पूर्व मण्डल के सदस्यों की योग्यता उसकी पुष्टि, मार्ग में विश्वास एवं उसका मंदिर के विकास कल्याणार्थ में क्या योगदान रहा ?

उत्तर

(1) नाथद्वारा मंदिर मण्डल की बैठक दिनांक 7.6.99 को सम्पन्न हुई थी। तत्पश्चात् तिलकायत महाराज जी एवं माननीय अध्यक्ष मंदिर मण्डल का स्वास्थ्य अचानक खराब एवं निधन हो जाने से बैठक सम्पन्न नहीं हो सकी।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। दि. 8.10.99 की गठित बोर्ड की अधिसूचना निरस्त कर दी गई है

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

तथा बोर्ड दि. 24.4.2000 को गठित कर दिया गया है। जिसमें सभी सदस्य टेम्पल बोर्ड के द्वारा भेजी गई सूची में से हैं।

(4) जी नहीं। नियमों में मण्डल अपनी समयावधि के द्वितीय वर्ष के अन्त में राज्य सरकार को अगले मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति हेतु सूची भेजने का प्रावधान है।

(5) जी हां। नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 की धारा 5(2)(4) तथा नाथद्वारा मंदिर नियम में अर्हताएं दी गई हैं।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के कृषकों के खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण

593. श्री रामनारायण विश्नोई (मण्डावा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1995 की धारा 15 एएए में उप धारा (2 ए) जोड़े जाने के पश्चात् इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कितने कृषकों को खातेदारी अधिकारी दे दिये गये हैं ?

(2) उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कितने प्रकरण विचाराधीन हैं और उनका निस्तारण कब तक हो जाएगा ?

(3) वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में 15 एएए की उप धारा (2 ए) व (3) के अन्तर्गत कितने प्रकरण विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 15 एएए में उप धारा (2 ए) जोड़े जाने के पश्चात् इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत 2034 कृषकों को खातेदारी अधिकारी दिये गये।

(2) उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत 9826 प्रकरण विचाराधीन हैं जिनका नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

(3) वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में 15 एएए की उप धारा (2 ए) व 3 के अन्तर्गत 9985 प्रकरण विचाराधीन हैं।

तहसील सिरोही व शिवगंज में पेयजल आपूर्ति में सुधार

594. श्री संयम लोढा (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील सिरोही व शिवगंज में दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए किस-किस कार्य को स्वीकृत किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्य में से कौन-कौनसे कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं एवं किन-किन कार्यों पर अभी कार्य चालू है तथा किन-किन कार्यों को किस कारण से अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है ?

(3) पेयजल आपूर्ति सुधार के लिए सहायक अभियन्ता, सिरोही/शिवगंज के द्वारा दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक भेजे गये कौन-कौनसे प्रस्ताव सरकार के पास किस स्तर पर विचाराधीन हैं ? संबंधित

(श्री संयम लोढ़ा)

सहायक अभियन्ता कार्यालयों से ये विचाराधीन प्रस्ताव किस-किस तारीख को भेजे गये थे ?

(4) सहायक अभियन्ता कार्यालय शिवगंज/सिरोही द्वारा पेयजल आपूर्ति सुधार के लिए 1 दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक भेजे गये किन-किन प्रस्तावों को सरकार ने किस स्तर पर अस्वीकृत किया ?

उत्तर

(1) तहसील सिरोही व शिवगंज में माह दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक कुल 51 कार्य स्वीकृत हुए जिनका विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) तहसील सिरोही व शिवगंज में माह दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक स्वीकृत 51 कार्यों में से 20 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष 27 कार्य प्रगति पर हैं तथा चार कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किये जा सके हैं। विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(3) पेजयल आपूर्ति सुधार के लिए सहायक अभियन्ता सिरोही एवं शिवगंज द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की विभिन्न स्तर पर तकनीकी जांच की जा रही है। विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(4) सहायक अभियन्ता शिवगंज एवं सिरोही द्वारा भेजे गये सभी प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक संशोधन/सुधार करने हेतु विभिन्न स्तर पर विचाराधीन हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य में सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध

595. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार नौकरियों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाकर युवाओं को अवसर देगी ? यदि हां, तो अब तक कितने युवाओं को नौकरी दी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लोगों को सरकार द्वारा नौकरियों से सरप्लस किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नियुक्तियां दिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1999-2000 में राज्य के विभिन्न विभागों में 11,376 युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किया जा रहा है।

स्थगित प्रश्न संख्या 21
(स्थगित)

इटावा (कोटा) में स्टाम्प विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही

596. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा इटावा (कोटा) में स्टाम्प वेण्डर लाइसेंस नं. 1/99 के विरुद्ध स्टाम्प होने पर भी देने से मना करने व अधिक राशि वसूलने की शिकायतें तहसीलदार पीपल्दा को प्राप्त हुई हैं ?

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार पीपल्दा ने प्राप्त शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट डी.आई.जी. रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प कोटा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी है ? यदि हां, तो तहसीलदार पीपल्दा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डी.आई.जी. रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प्स कोटा द्वारा तहसीलदार पीपल्दा की जांच रिपोर्ट के बाद भी स्टाम्प वेण्डर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो इस प्रकार सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट के बाद भी आवश्यक कार्यवाही नहीं करने वाले व बचाने में प्रयासरत अधिकारी के विरुद्ध क्या सरकार सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ? क्या अब लाइसेंस निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि कस्बा इटावा (कोटा) में स्टाम्प वेण्डर जिनका लाइसेंस नं. 1/99 के विरुद्ध स्टाम्प होने पर भी देने से मना करने एवं अधिक राशि वसूलने की शिकायत तहसीलदार पीपल्दा को दिनांक 24.05.1999 को प्राप्त हुई। (प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।)

(2) तहसीलदार पीपल्दा द्वारा शिकायत के संबंध में एक पत्र (दिनांक 26.05.1999 जिसकी छाया प्रति संलग्न है) उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), कोटा को प्रेषित किया गया जिसमें स्टाम्प वेण्डर का रजिस्टर चैक करने का उल्लेख है। इस पत्र के अनुसार स्टाम्प वेण्डर के पास 100 रुपये स्टाम्प नहीं होना उल्लिखित है एवं अधिक राशि वसूलने सम्बन्धी कोई जांच करना नहीं दर्शाया गया है।

(3) तहसीलदार पीपल्दा द्वारा शिकायत की विस्तृत जांच जारी है। प्रकरण की जांच उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक से करवा ली जाएगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही शिकायत सिद्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला बांसवाड़ा में अकाल राहत कार्यों में अपूर्ण तालाब

597. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में अकाल राहत कार्य के तहत कितने तालाब अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम नवाखेड़ा, रामगढ़, बड़लीपाड़ा, मानजी, फेफर (दानपुर) के तालाब अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष अकाल राहत में उक्त कार्य चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार उक्त तालाबों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में इस विभाग के अन्तर्गत अकाल राहत कार्यों के 23 कार्य

(सिंचाई मंत्री)

अपूर्ण हैं। सूची परिशिष्ट-अ सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अकाल राहत में अपूर्ण ग्राम नवाखेड़ा, रामगढ़, वड़लीपाड़ा-मानजी एवं फेफर (दानपुर) बांधों को अकाल राहत में प्रारम्भ कराने के बारे में विवरण परिशिष्ट-ब सदन के पटल पर रख दिया है।

(3) फे.फ़र सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति होने के फलस्वरूप पूर्ण कराने का विचार रखती है। वड़लीपाड़ा-मानजी सिंचाई परियोजना का आकलन तैयार किया जा रहा है जो कि लाभ-लागत के अनुपात में उपादेय पाये जाने एवं प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् दोनों स्कीम वित्तीय साधन की उपलब्धता के आधार पर प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा। शेष परियोनाएं ग्राम नवाखेड़ा एवं रामगढ़ उपादेय नहीं होने के फलस्वरूप प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

अकाल राहत के अन्तर्गत अपूर्ण तालाबों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	तहसील
1.	शेर की रेल तालाब	बांसवाड़ा
2.	बड़लीपाड़ा-मानजी	बांसवाड़ा
3.	आम्बापाड़ा तालाब	बांसवाड़ा
4.	फेफर तालाब	बांसवाड़ा
5.	नवाखेड़ा तालाब	बांसवाड़ा
6.	खेरड़ावरा	बांसवाड़ा
7.	गणेशलाल पाड़ला तालाब	बांसवाड़ा
8.	सिंगपुरा तालाब	बांसवाड़ा
9.	रामगढ़ तालाब	बांसवाड़ा
10.	वडलीखेड़ा तालाब	बांसवाड़ा
11.	कामलीपाड़ा तालाब	बांसवाड़ा
12.	महुडीखेड़ा तालाब	बांसवाड़ा
13.	खटवा तालाब	बागीदौरा
14.	टिडियादेव तालाब	कुशलगढ़
15.	सिमेला तालाब	कुशलगढ़
16.	वगेरी खूंटा	कुशलगढ़
17.	कोटड़ी वगायचा	कुशलगढ़
18.	पिपलोन कुन्डिया	कुशलगढ़

क्र.सं.	कार्य का नाम	तहसील
19.	उदयगढ़वसुनी तालाब	कुशलगढ़
20.	देवकी का नाका तालाब	कुशलगढ़
21.	कुण्डा तालाब	घाटोल
22.	कालीघाटी	घाटोल
23.	बखतोड़ तालाब	घाटोल

परिशिष्ट "ब"

अकाल राहत में अपूर्ण ग्राम नवाखेड़ा, रामगढ़, वड़लीपाड़ा-मानजी एवं फेफर (दानपुर) के बांधों को अकाल राहत में प्रारम्भ कराने की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	बांध का नाम	विवरण
1.	नवाखेड़ा	दोनों परियोजनाएं लाभ-लागत के अनुपात की सीमा में न आने के कारण उपादेय नहीं हैं इसलिए अकाल राहत में एनीकट के निमार्ण हेतु प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। स्वीकृति पश्चात् कार्य किया जाना सम्भव होगा।
2.	रामगढ़	
3.	वड़लीपाड़ा-मानजी	इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आकलन तैयार किया जा रहा है। अकाल राहत मद में प्रस्ताव कलेक्टर सहायता बांसवाड़ा को भेजे जा रहे हैं। स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।
4.	फेफर (दानपुर)	फेफर तालाब की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रुपये45.76 लाख की हो चुकी है। इस तालाब की नहर के आंशिक कार्य के प्रस्ताव अकाल राहत मद (संवत् 2056-57) के अन्तर्गत जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को दिनांक 10.4.2000 को प्रेषित किये गये हैं जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के खराब हैण्डपम्प

598. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में कुल कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं ? ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त हैण्डपम्प काफी समय से खराब हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों को ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो, कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में शहरी क्षेत्र में 3 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 83 कुल 86 हैण्डपम्प लगे हुऐ हैं। वर्षवार स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्थापित हैण्डपम्प	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1985	30	3	27
1990	19	-	19
1992	27	-	27
1993	9	-	9
1996	1	-	1

(2) यह सही नहीं है कि ये हैण्डपम्प काफी समय से खराब हैं। माह जनवरी, 2000 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 18 हैण्डपम्प अवरुद्ध पाये गये जो मरम्मत योग्य नहीं हैं एवं शेष सभी चालू थे। मार्च, 2000 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 20 हैण्डपम्प अवरुद्ध पाये गये एवं 15 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य पाये गये। हैण्डपम्प अवरुद्ध/नाकारा होने का मुख्य कारण केसिंग पाइप में छेद होकर बोर में मिट्टी भरना एवं जमीन के नीचे ऐल्युवल स्ट्रेटा में लिस्ट एवं चिकनी मिट्टी होने से पाइप का भर जाना है।

(3) जी हां। वर्तमान में चालू हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत 17.4.2000 तक 6 हैण्डपम्प ठीक कराये जा चुके हैं एवं शेष मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को भी इस माह के अन्त तक ठीक करा दिये जाएंगे।

जन प्रतिनिधियों की सलाह/शिकायत पर कार्यवाही

599. डा.किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जन प्रतिनिधियों की शिकायत और सुझाव पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो आदेश जारी करने की तिथि से अब तक जिला सवाई माधोपुर, दौसा व करौली के विधायकों द्वारा लिखे गये पत्रों पर की गई कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने यह भी निर्देश दिये थे कि प्राप्त पत्रों को विशेष प्राथमिकता देते हुए प्राप्ति की सूचना भी विधायकों/जन प्रतिनिधियों को दें ? यदि हां, तो तत्संबंध में आदेश जारी करने से आज

(डा. किरोड़ी लाल)

तक जिला सवाई माधोपुर, दौसा व करौली में पत्र प्राप्ति की सूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने यह भी निर्देश दिया था कि प्रत्येक माह की 7 तारीख तक समीक्षा रिपोर्ट प्रशासनिक एवं समन्वय विभाग को भेजेंगे ? यदि हां, तो तब से अब तक की जिला दौसा, सवाई माधोपुर एवं करौली की समीक्षा रिपोर्ट की प्रति माहवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने परिपत्र सं. 10(2) प्र.सु./अनु.1/सम./96 दिनांक 18.1.97 के द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों, जिला कलक्टरों, बोर्डों व निगमों को सांसदों व विधायकों से प्राप्त पत्रों पर समुचित कार्यवाही करने एवं कार्यवाही की निरन्तर समीक्षा के निर्देश दिए हैं। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, दौसा व करौली को विधायकों/जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	जिला कलेक्टर	प्राप्त पत्रों की संख्या	प्राप्त पत्र एवं उन पर की गई कार्यवाही विवरण
1.	सवाईमाधोपुर	75 पत्र	उक्त पत्र सड़क, पेयजल, विद्युत, पुलिया, चिकित्सा सुविधाओं आदि विकास कार्यों से संबंधित थे, इन पत्रों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये गये। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। चूंकि ये पत्र विकास एवं बजट से संबंधित थे अत: बजट के अभाव में इनकी पूर्णत: क्रियान्विति किया जाना संभव नहीं हो सका। फिर भी जो कार्य हो सकते थे, उन पर कार्यवाही जारी है।
2.	दौसा	40 पत्र	12 पत्रों पर कार्यवाही कर संबंधित विधायकों को उत्तर भिजवाये जा चुके हैं। शेष 28 पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
3.	करौली	55 पत्र	उक्त पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

(2) उक्त परिपत्र में सांसदों एवं विधायकों के पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तातरण की सूचना दिये जाने के भी निर्देश हैं।

क्र.सं.	जिला कलेक्टर	प्राप्त पत्र	पत्र पावती संबंधी विवरण
1.	सवाईमाधोपुर	75 पत्र	प्राप्ति सूचना भेजने संबंधी निर्देशों की पालना पूर्व में नहीं की गई थी। अत: सभी संबंधित अधिकारियों को अब जिला कलेक्टर द्वारा यह सख्त निर्देश दिये गये हैं कि वे पत्रों की पावती से अवश्य अवगत करावें, अन्यथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
2.	दौसा	40 पत्र	पत्रों की पावती से अवगत नहीं कराया गया। भविष्य में पावती सूचित की जावेगी। पत्रों पर संबंधित विभागों से कार्यवाही पूर्ण होने पर उत्तर अवश्य भेजा जाता है।
3.	करौली	55 पत्र	प्राप्त पत्रों की पावती की सूचना नहीं दी गई है। परन्तु प्राथमिकता के आधार पर पत्रों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

(3) जी हां। यह व्यवस्था भी उक्त परिपत्र में निहित है।

जिला कलेक्टर दौसा, सवाईमाधोपुर एवं करौली से संबंधित विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	जिला कलेक्टर	मासिक रिपोर्ट सम्बन्धी विवरण
1.	दौसा	मासिक रिपोर्ट अप्राप्त
2.	सवाईमाधोपुर	मासिक रिपोर्ट अप्राप्त
3.	करौली	मासिक रिपोर्ट अप्राप्त

हर माह समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश पुन: सभी कलेक्टरों को दिये जा रहे हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

वाणिज्य कर विभाग में उच्चधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतों पर कार्यवाही

600. श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वाणिज्यिक कर विभाग में निरीक्षक से ऊपर के स्तर के विभिन्न पदों पर कुल कितने अधिकारी कहां-कहां पदस्थापित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/पद के दुरुपयोग एवं अन्य प्रकरणों की शिकायतों के फलस्वरूप गत 10 वर्षों में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि नहीं, तो किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध किस-किस प्रकार की कार्यवाही होने के प्रमाण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त प्रकरण की कार्यवाही के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) वाणिज्यिक कर विभाग में निरीक्षक से ऊपर के स्तर के विभिन्न पदों पर कुल 389 अधिकारी पद स्थापित हैं। (पदस्थापन सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।)

(2) गत 10 वर्षों में कुल 39 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/पद के दुरुपयोग एवं अन्य प्रकरणों की शिकायतें प्राप्त हुईं। उनमें से 32 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण की जाकर दण्डित किया गया एवं 7 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। (विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।)

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सेमग्रस्त क्षेत्र के खालों की किस्तों की माफी

601. श्री आदराम मेघवाल (टीबी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरणों में सेमग्रस्त क्षेत्र पीलीबंगा, रावतसर व सूरतगढ़ में बने पक्के खालों की किस्तें सरकार द्वारा माफ कर दी गई हैं ? यदि हां, तो उक्त संबंध में तहसीलों व पंजाब नेशलन बैंक में ऐसे आदेश प्रसारित क्यों नहीं हुए हैं ?

(2) क्या उक्त कारण किसानों को ऋण लेने व कई अन्य योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है ?

उत्तर

(1) खाले बनाने के लिए किसानों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण का भुगतान सरकार द्वारा ही करने का निर्णय लिया जा चुका है एवं 6 बैंकों से समझौता किया जाकर भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया है। इन बैंकों द्वारा किसानों से इन ऋणों की वसूली नहीं की जाएगी इस आशय का सहमति पत्र निष्पादित है। 2 बैंकों ने अभी समझौता नहीं किया है उनसे सनझौता के प्रयास जारी हैं। इस व्यवस्था की जानकारी माननीय विधायकगण एवं परिशिष्ट "अ" पर संलग्न सभी को दी जाने के साथ ही समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवा कर दी गई। पंजाब नेशनल बैंक को अलग से भी लिखा गया है, जो परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त निर्णय के बाद राज्य सरकार को काश्तकारों से अब कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान भूमि विकास निगम

क्रमांक प.21(4)लेखा/99/1870-1957 दिनांक 25.9.99

संलग्न सूची अनुसार

विषय :- राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा काश्तकारों की बंधक रखी गई भूमि को बंधक मुक्त करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 की धारा 26 एवं 27 के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त कर भू-सुधार कार्यों के लिए सीएडी चम्बल एवं बीकानेर तथा गंग-भाखरा के काश्तकारों की भूमि बंधक रखकर ऋण उपलब्ध करावाया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत निगम द्वारा काश्तकारों से ऋण की वसूली की जानी थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(11)सीएडी/85 दिनांक 20.7.87 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 26.12.94 द्वारा क्रमश: इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं चम्बल परियोजना के काश्तकारों से ऋण की वसूली स्थगित करने के आदेश जारी किये गये।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 की धारा-43(1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लेते हुए पत्र क्रमांक प.11(11)सीएडी/85 पार्ट-II दिनांक 12.7.99 के द्वारा उक्त ऋणियों के ऋण खाते बंद करने एवं उनकी भूमि बंधक मुक्त करने के लिए निगम को निर्देशित किया गया है।

निगम के संचालक मण्डल ने उक्त आदेशों की निर्णय संख्या 69(6)(III)पारित करते हुए संबंधित काश्तकारों की भूमि को उन्मुक्त करने एवं राजस्व अभिलखों में तदनुसार इन्द्राज कराने की कार्यवाही कराने का निर्णय लिया गया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को संबंधित राजस्व रिकार्ड में काश्तकारों की भूमि को बन्धक से उन्मुक्त करने का इन्द्राज एक माह में कर निगम को सूचित करने हेतु निर्देश प्रदान करावें।

भवदीय,
ह0/-
(यादराम गौर)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक प.21(14)लेखा/99/1865 25.9.99

निदेशक,
जन सम्पर्क कार्यालय,
सचिवालय,
जयपुर।

विषय :- प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.7.99 के क्रम में संलग्न प्रेस विज्ञप्ति जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये जाने की व्यवस्था करावें, जिससे कि विशेषकर कमाण्ड क्षेत्र के सभी काश्तकारों को राज्य सरकार के निर्णय की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

संग्लन :- उपरोक्तानुसार

भवदीय
ह0/-
(यादराम गौर)
प्रबन्ध निदेशक

क्रम संख्या 1865 दिनांक 25.9.99 व 1870 से 1957 दिनांक 25.9.99 तक की प्रतियां निम्नलिखित पतों पर भेजी गई

1. निदेशक, जन सम्पर्क कार्यालय, जयपुर।
2. जिला प्रमुख कोटा।
3. जिला प्रमुख बूंदी।
4. जिला प्रमुख बारां।
5. जिला प्रमुख बीकानेर।
6. जिला प्रमुख श्री गंगानगर।
7. जिला प्रमुख हनुमानगढ़।
8. श्री हीरालाल इन्दौरा विधायक, केसरीसिंहपुर 381, सिविल लाइन, जयपुर।
9. श्री हेमन्त कुमार विधायक, दीगोद 185, आजाद मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
10. श्री हरचन्द सिंह, विधायक, नोहर 20/146 कावेरी पथ, जयपुर।
11. श्री हीरालाल सहरिया विधायक, किशनगंज 8/4 विधायक नगर, जयपुर।
12. श्री अमराराम मेघवाल, विधायक(टी.बी.) हनुमानगढ़ 8/2 विधायक नगर पूर्व

13. श्री के.सी. विश्नोई विधायक (हनुमानगढ़) सी-9 अपूर्व होटल, जालूपुरा, जयपुर।
14. श्री गुरूमीत सिंह, विधायक करणपुर 6, मैसूर हाऊस, जयपुर
15. श्री गोविन्द कल्ला, विधायक, जैसलमेर 6, विधायकपुरी, जयपुर।
16. श्री घासीलाल मेघवाल, विधायक, पाटन 1/1 विधायक नगर, जयपुर।
17. श्री देवीसिंह भाटी, विधायक, श्री कोलायत, 5/8 विधायक नगर, जयपुर।
18. श्रीमती पूनम गोयल, विधायक, लाडपुरा 19 विधायकपुरी, जयपुर।
19. श्री प्रताप सिंह, विधायक, छबड़ा 2/5 विधायक नगर, जयपुर।
20. श्री प्रभुलाल, विधायक नैनवां, 2/8 विधायक नगर, जयपुर।
21. डा. बुलाकीदास कल्ला, विधायक, बीकानेर 384 सिविल लाइन्स जयपुर।
22. श्री भीमसैन चौधरी, विधायक, लूणकरणसर 9/11 विधायक नगर, जयपुर।
23. श्री मदन दिलावर, बी-12 एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर।
24. श्रीमती ममता शर्मा, विधायक, बूंदी, 13 अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयुपर।
25. श्रीमती रमा पायलेट, विधायक, हिण्डौली, बी-9 एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर।
26. श्री राधेश्याम, विधायक, श्री गंगानगर बी-1 एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर।
27. डा. रामप्रताप विधायक, हनुमानगढ़, बी-II एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर।
28. श्री रामकिशन वर्मा, विधायक, रामगंज मंडी, 11 अस्पताल रोड़, जयपुर।
29. श्री रामगोपाल बैरवा, विधायक पीपल्दा, 8/16 विधायक नगर पूर्व, जयपुर।
30. श्री रेवन्त राम पंवार, विधायक, नोखा, 8/29 विधायक नगर पूर्व, जयपुर।
31. श्रीमती लक्ष्मी विश्नोई, विधायक, सूरतगढ़ 4/5 जयपुर।
32. श्री शान्ती कुमार धारीवाल, विधायक, कोटा, 2 अस्पताल रोड़, जयपुर।
33. श्री शिवनारायण विधायक, बारां 1/ विधायकपुरी जयपुर।
34. श्री संजीव कुमार बेनीवाल, विधायक, भादरा, एम-16 गांधीनगर, जयपुर।
35. श्रीमती सुमित्रा आर्य, विधायक, आर्य निवास, इनकम टैक्स कालोनी, जयपुर।
36. संभागीय आयुक्त, सी.ए.डी. कोटा। चम्बल
37. संभागीय आयुक्त, सी.ए.डी. चम्बल, कोटा।
38. संभागीय आयुक्त, आई.जी.एन.पी. बीकानेर।
39. संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, कोटा
40. जिला कलेक्टर, बूंदी
41. जिला कलेक्टर, बारां
42. जिला कलेक्टर, बीकानेर
43. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़।
44. जिला कलेक्टर, श्री गंगानगर।
45. उप जिला अधिकारी बीकानेर (उत्तर)
46. उप जिला अधिकारी बीकानेर (दक्षिण)

46. उप ज़िला अधिकारी कोटा।
47. उप जिला अधिकारी हनुमानगढ़।
48. उप जिला अधिकारी रामगंज मण्डी, कोटा।
49. उप जिला अधिकारी छाबड़ा, बारां।
50. उप जिला अधिकारी नोहर हनुमानगढ़।
51. तहसीलदार तहसील, बीकानेर।
52. तहसीलदार तहसील, कोलायत।
53. तहसीलदार तहसील, लूणकरणसर, बीकानेर।
54. तहसीलदार तहसील, नोखा, बीकानेर।
55. तहसीलदार तहसील, करणपुर, श्रीगंगानगर।
56. तहसीलदार तहसील, श्रीगंगानगर।
57. तहसीलदार तहसील, टी.बी. हनुमानगढ़।
58. तहसीलदार तहसील, संगरिया हनुमानगढ़।
59. तहसीलदार तहसील, रावतसर, हनुमानगढ़।
60. तहसीलदार तहसील, पीलीबंगा, हनुमानगढ़।
61. तहसीलदार तहसील, नोहर, हनुमानगढ़।
62. तहसीलदार तहसील, भादरा,हनुमानगढ़।
63. तहसीलदार तहसील, हनुमानगढ़।
64. तहसीलदार तहसील, पदमपुर, श्रीगंगानगर।
65. तहसीलदार तहसील, रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।
66. तहसीलदार तहसील, अनुपमगढ़, श्रीगंगानगर।
67. तहसीलदार तहसील, घड़साना, श्रीगंगानगर।
68. तहसीलदार तहसील, सादुलशहर, श्रीगंगानगर।
69. तहसीलदार तहसील, सूंरतगढ़, श्रीगंगानगर।
70. तहसीलदार तहसील, विजयनगर, श्रीगंगानगर।
71. तहसीलदार तहसील, लाडपुर, कोटा।
72. तहसीलदार तहसील, दीगोद, कोटा।
73. तहसीलदार तहसील, पीपील्दा, कोटा।
74. तहसीलदार तहसील, रामगंज मण्डी, कोटा।
75. तहसीलदार तहसील, संगोद, कोटा।
76. तहसीलदार तहसील, बूंदी, बूंदी।
77. तहसीलदार तहसील, हिण्डौली, बूंदी।
78. तहसीलदार तहसील, नैनवा, बूंदी।
79. तहसीलदार तहसील, केशोरायपाटन, कोटा।

80. तहसीलदार तहसील, केशोरायेपाटन, कोटा।
81. तहसीलदार तहसील, मांगरोल, बारां।
82. तहसीलदार तहसील, अटरू, बारां।
83. तहसीलदार तहसील, बारां, बारां।
84. तहसीलदार तहसील, छबड़ा, बारां।
85. तहसीलदार तहसील, छीपाबडौद, बारां।
86. तहसीलदार तहसील, किशनगंज, बारां।
87. तहसीलदार तहसील, शाहबाद, बारां।

<u>परिशिष्ट 'ब'</u>

राजस्थान भूमि विकास निगम

Rajasthan Land Development Corporation
(A Government of Rajasthan Undertaking)

Govind Vallabh Pant Krishi Bhawan
IIIrd Floor, East Block,
Bhagwandas Road, jaipur-302005
Phon : 380235, 380093, 380932, 380924

Ref. No... No.F.21(38)/Loans/156 Dated 24.4.2000

अंचल प्रबन्धक,
पंजाब नेशनल बैंक,
नेहरू प्लेस, टोंक रोड,
जयपुर।

विषय :- बैंकों द्वारा काश्तकारों को दिये गये सीधे ऋणों के पुनर्भुगतान बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प.11(11)सीएडी/85 पार्ट-II दिनांक 27.3.99 के सन्दर्भ में आप द्वारा जारी वचन पत्र दिनांक 2.4.99 पर निगम ने 142.11 लाख रु. का भुगतान आपकी शाखाओं द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र एवं चम्बल क्षेत्र में उपलब्ध कराये गये सीधे ऋणों के भुगतान हेतु किया गया था। यह भुगतान ऋणी काश्तकारों की ओर से किया गया था। साथ ही राज्य सरकार द्वारा निगम को यह निर्देश दिये गये थे कि ऋणी काश्तकारों के खातों का निरीक्षण करने के उपरान्त ही वास्तव में देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि संबंधित शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी कर ऋणी काश्तकारों की सूचियां निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दें जिससे कि काश्तकारों के खातों का निरीक्षण का कार्य पूर्ण हो सके एवं देय राशि के भुगतान की कार्यवाही सम्भव हो सके। साथ ही काश्तकारों के विरुद्ध किसी भी ऋण वसूली की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे।

भवदीय,
ह0/-
प्रबन्ध निदेशक

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 31 मार्च, 2000)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में युवकों को नियुक्ति

179. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कांग्रेस सरकार के घोषणा-पत्र के आधार पर सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष की गई है ? यदि हां, तो कितने लोगों को विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सेवानिवृत्ति दी गई और उनके स्थान पर कितने लोगों को उक्त पदों पर पदस्थापित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में अब तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने शिक्षित प्रशिक्षित युवकों को किस-किस विभाग में नियुक्तियां दी गई ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपने घोषणा-पत्र को मद्देनजर रखते हुए नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उक्त क्षेत्र में रिक्त रहे विभिन्न विभागों में पदस्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पंचायती राज विभाग के 14 और पशुपालन विभाग के एक कर्मचारी को मिलाकर कुल 15 व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति दी गई। सेवानिवृत्ति से रिक्त पद एवं अन्य रिक्त पदों को मिलाकर 17 व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गई।

(2) भाग-1 के उत्तर में वर्णित विभागों में 17 व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई, जिसका विवरण अनुसूची-1 में संलग्न है।

(3) उपलब्ध सूचना के अनुसार बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कोई पद रिक्त नहीं है।

अनुसूची-1

विभाग	शिक्षित/प्रशिक्षित युवकों को नियुक्ति दी गई पता	पदनाम
पंचायती राज विभाग	1. रा.प्रा.वि.,अभयपुरा	अध्यापक
	2. रा.प्रा.वि.,अखेपुरा	अध्यापक
	3. रा.प्रा.वि.,चपडिया	अध्यापक
	4. रा.प्रा.वि.,राजपुरापातलवास	अध्यापक
	5. रा.प्रा.वि.,रामजीपुरा	अध्यापक
	6. रा.प्रा.वि.,हिम्मतपुरा	अध्यापक
	7. रा.प्रा.वि.,डोडा चौडा	अध्यापक
	8. रा.प्रा.वि.,क्षेत्रपाल	अध्यापक
	9. रा.प्रा.वि.,श्यामपुरा	अध्यापक
	10. रा.प्रा.वि.,जगदीशपुरा	अध्यापक
	11. रा.प्रा.वि.,गुमानपुरा	अध्यापक
	12. काशीपुरा ग्राम पंचायत	पंचायत सचिव
	13. बांसखों ग्राम पंचायत	पंचायत सचिव
	14. तुंगा ग्राम पंचायत	पंचायत सचिव
	15. राजपुरा ग्राम पंचायत	पंचायत सचिव
	16. बडवा टोडा ग्राम पंचायत	पंचायत सचिव
	17. जटवाडा ग्राम पंचायत	पंचायत सचिव

बालेवा-रेडाना (बाड़मेर) के लिये आगासड़ी से पेयजल आपूर्ति

602. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील शिव जिला बाड़मेर के ग्राम बालेवा-रेडाना, देवीपुरा-नीबली-अरोडेर व देवड़ों की बस्ती को सरकार पेयजल हेतु कौनसी योजना से लाभान्वित करना चाहती है ?

(2) क्या यह सही है कि बावेला-रेडाना के लिए आगासड़ी से योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक बनाकर स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इन ग्रामों/ढाणियों का जल स्रोत सुवाला से लाभान्वित करने हेतु क्षेत्रीय योजना सुवाला-रेड़ाना बनाई जा रही है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में आगासड़ी में पेयजल योजनाओं हेतु चल रहे नलकूपों द्वारा भूजल के दोहन को दृष्टिगत रखकर भू-जल वैज्ञानिक ने नया नलकूप इस क्षेत्र में बनाने हेतु मना किया है।

गणतंत्र/स्वतंत्रता दिवस की अध्यक्षता

603. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पर तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं एस.डी.ओ. मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष होते हैं एवं विधायकों/सांसदों को मार्गदर्शक के रूप में आमंत्रित किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे समारोह के मामले में सरकार के क्या दिशा निर्देश हैं ? क्या सरकार चुने हुए विधायकों को सम्मान देने हेतु कुछ बदलाव करना चाहती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि समय-समय पर विधायकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों में इस बाबत विवाद होते रहते हैं ? क्या 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के दिन तहसील मुख्यालय एवं सब डिविजनल मुख्यालय पर झण्डारोहण एवं परेड की सलामी लेने हेतु कोई नियम हैं ? यदि हां,तो क्या और नहीं, तो क्या सरकार इस बाबत कोई नियम बनाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील, पंचायत समिति एवं सब डिविजन स्तर पर तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं एस.डी.ओ. कमेटी के अध्यक्ष हैं एवं संसद सदस्य व विधायक मैम्बर हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं, जिनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इन समारोह में मा. विधायक, माननीय सांसदों को उचित सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है।

(2) जी नहीं, तहसील मुख्यालय एवं सब डिविजनल मुख्यालय पर झण्डारोहण एवं परेड की सलामी लेने हेतु भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश बनाये हुए हैं जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं। निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) गणतंत्र दिवस व स्वाधीनता दिवस समारोह की तहसील, पंचायत समिति, सब डिविजनल स्तर पर समारोह आयोजित करने के सम्बन्ध में कोई कमेटी गठित नहीं है।

पत्र क्रमांक 2/5/91 – पब्लिक, दिनांक 19.7.91 की प्रति

ओर से,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

प्रेषित

मुख्य सचिव, सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

विषय :- 15 अगस्त, 1991 को स्वतंत्रता दिवस समारोह।

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में सामान्यतया निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) लाल किले में समारोह, जिसमें सशस्त्र सेनाओं और पुलिस द्वारा प्रधान मंत्री को सलामी, राष्ट्रीय ध्वज फहराना और साथ ही राष्ट्रीय गान गाया जाना, 21 तोपों की सलामी देना, प्रधान मंत्री द्वारा भाषण, प्रधान मंत्री के भाषण के तुरन्त बाद स्कूली बच्चों/एन.सी.सी. के कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय गान गाया जाना और अन्त में रंगीन गुब्बारे छोड़ना।

(ख) राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में होने वाले समारोहों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :-

<u>ध्वज फहराये जाने की रस्म :-</u>

<u>राज्य स्तर पर :</u>

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में (9.00 बजे पूर्वाह्न के बाद) एक समारोह जिसमें मुख्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, राष्ट्रीय गान बजाना, पुलिस समेत अर्द्ध सैनिक बलों, होम गार्डों, एन.सी.सी. स्काउटों आदि द्वारा सलामी देना, मुख्य मंत्री द्वारा भाषण और राष्ट्र गान शामिल है।

<u>जिला स्तर पर :</u>

प्रात: (9.00 बजे पूर्वाह्न के बाद) जिला स्तर पर इसी प्रकार का समारोह, जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ किसी मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, राष्ट्रीय गान बनाया जाए, राज्य पुलिस कार्मिकों, होम गार्डों, एन.सी.सी. स्काउटों द्वारा परेड की जाए, मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भाषण दिया जाए (जिसमें 15 अगस्त के महत्व को स्पष्ट किया जाए और श्रोताओं की देश की एकता और अखण्डता के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए) और राष्ट्रीय गान गाया जाए।

<u>सब-डिविजनल स्तर /ब्लाक स्तर पर :</u>

किसी मंत्री/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहाराने की रस्म करना और इसके साथ राष्ट्रीय गान, ध्वज फहराने वाले अतिविशिष्ट व्यक्ति द्वारा भाषण, राष्ट्रीय गान आदि।

<u>पंचायत मुख्यालय/बड़े-बड़े गांव :</u>

सरपंच/गांव के मुखिया द्वारा ध्वज फहराने की रस्म करना और इसके साथ राष्ट्रीय गान, सरपंच/गांव के मुखिया द्वारा भाषण (जिसमें 15 अगस्त के महत्व को स्पष्ट किया जाए और देश की एकता और अखण्डता के लिए काम करने के लिए श्रोताओं को प्रेरित किया जाए) राष्ट्रीय गान आदि।

इस दिन के अन्य समारोहों में ये मदें शामिल की जानी चाहिए खेलकूद (ग्रामीण खेलकूद सहित), कालेज/स्कूल छात्रों द्वारा पी.टी. प्रदर्शन अथवा अनेक प्रकार के कौशलों का प्रदर्शन, वृक्षारोपण, अन्तर्विद्यालयीय, अन्तर्महाविद्यालयीय वाद विवाद, सामुदायिक कार्य, ग्रामीण विकास की कोई महत्वपूर्ण योजना चलाना, चुने हुए लड़के/लड़कियों द्वारा 15 अगस्त के महत्व पर वार्ता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता, लघु बचत, वन रोपण, परिवार नियोजन अथवा ग्राम विकास के किसी अन्य पहलू जैसे क्षेत्रों में कार्य के लिए इनामों/प्रमाण-पत्रों, मेडलों का वितरण, कोई अन्य मद जिसे राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस अवसर के अनुकूल दिन में कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उचित समझें।

3. जहां तक स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल/उप राज्यपाल द्वारा राजभवन, राज निवास में स्वागत समारोह आयोजित करने का सम्बन्ध है, यह मामला राज्यपालों/उप राज्यपालों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य

604. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान लेखा सेवा के नाम से कोई सेवा अथवा संवर्ग विद्यमान है ? यदि हां, तो उक्त सेवा के अधिकारियों के दायित्वों, अधिकारों तथा कर्तव्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिकारियों से उनके दायित्वों के अनुरूप कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त संवर्ग के विभिन्न स्तरों के पदों को वित्त विभाग की मनमर्जी से बार-बार क्रमोन्नत अथवा क्रमावनत किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने पदों को वर्ष 1995 से अब तक क्रमोन्नत अथवा क्रमावनत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संवर्ग में विभिन्न स्तरों के कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं तथा रिक्त रहने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, सेवा के अधिकारियों के अधिकारों तथा कर्तव्य का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) वित्त विभाग द्वारा अपनी मनमर्जी से पदों में क्रमोन्नत एवं क्रमावनत नहीं किया गया। प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार कुछ पदों को क्रमोन्नत/क्रमावनत किया जाता रहा है।

(4) उक्त संवर्ग में विभिन्न स्तरों के निम्न पद स्वीकृत हैं।

(वित्त मंत्री)

1. सुपरटाइम स्केल के पद	30
2. चयन वेतन श्रृंखला के पद	73
3. वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद	122
4. साधारण वेतन श्रृंखला के पद	264

उक्त संवर्ग के विभिन्न स्तरों के रिक्त पद निम्नानुसार हैं।

1. सुपरटाइम स्केल	8
2. चयनित वेतन श्रृंखला के पद	8
3. वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद	40
4. साधारण वेतन श्रृंखला के पद	45

वरिष्ठ एवं साधारण वेतन श्रृंखला के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण कुछ रिक्त पदों को नहीं भरा गया है। उपरोक्त पदों को सरकार शीघ्र ही भरने का विचार रखती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कुशलगढ़ सिंचाई परियोजना हिम्मत नगर के मजदूरों का बकाया भुगतान

605. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ की सिंचाई परियोजना हिम्मत नगर का निर्माण कार्य गत वर्ष शुरू किया गया था ?

(2) क्या उक्त परियोजना की नहरों का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था ? क्या ठेकेदार काम छोड़कर चला गया ?

यदि हां, तो क्या हिम्मत नगर सिंचाई योजना में ठेकेदार द्वारा मजदूरों को लगाया था ? क्या मजदूरों का भुगतान शेष है ?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य पर लगे मजदूरों को बकाया भुगतान ठेकेदार की जमा राशि में से दिलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हिम्मतगढी बांध और नहरों का कार्य क्रमशः 1998-99 एवं वर्ष 1997-98 में प्रारम्भ किया गया था।

(2) जी हां। उक्त परियोजना की नहरों का कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं ही बन्द कर दिया गया तथा शेष कार्य छोड़कर चला गया।

जी हां। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को भुगतान नहीं करने की सूचना जिला कलेक्टर के माध्यम से दिनांक 7.12.99 को प्राप्त पत्र द्वारा शेष भुगतान राशि रुपये 39,290 की जानकारी प्राप्त हुई है। राशि का सत्यापन श्रम न्यायालय द्वारा किये जाने पर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

(3) जी हां। विभाग में ठेकेदार की जमा राशि में से मात्र रुपये 15,130 उपलब्ध हैं। श्रमिकों को भुगतान दिलाने हेतु भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 15(2) के अन्तर्गत श्रम न्यायालय में क्लेम किया जाएगा। तत्पश्चात् श्रम अधिनियम, 1972 की धारा 21(4) में ठेकेदार से वसूली की जा सकेगी। ठेकेदार की जमा राशि मजदूरों की बकाया राशि से कम होने की अवस्था में न्यायालय के माध्यम से कुर्की द्वारा वसूली का प्रावधान है।

तहसील संगरिया व सार्दुलशहर की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

606. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील संगरिया व सार्दुल शहर की कितनी पेयजल योजनाएं वित्त समिति में स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया में उक्त योजनाओं से जुड़े हुए गांवों में पेयजल की समस्या है ? यदि हां, तो क्या गत वर्षों में प्रदूषित पानी के कारण पीलिया एवं हैपेटाइटिस बी बीमारी फैली थी ?

(3) क्या सरकार उक्त पेयजल योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील संगरिया व सार्दुलशहर की कोई भी पेयजल योजना वित्त समिति में स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। दोनों तहसीलों की योजनाएं राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड में प्राप्त हुई थी, जिनमें से 5 में कई कमियां होनें से अधीक्षण अभियन्ता गंगानगर से अतिरिक्त सूचनाएं ली जा रही हैं तथा एक योजना 4 आर.टी.पी. तकनीकी परीक्षण में है।

(2) जी नहीं। प्रश्न 1 के उत्तर में वर्णित योजनाओं में वर्तमान जल वितरण स्तर 30 लीटर/व्यक्ति/दिन है। गत वर्षों में पीलिया एवं हैपेटाइटिस बी बीमारी का कारण विभाग द्वारा वितरित पेयजल नहीं था।

(3) तकनीकी उपयुक्तता, प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति जारी करना संभव होगा।

सरकारी मेहमानों पर व्यय

607. श्री अमरा राम (धोद) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत एक वर्ष में सरकारी मेहमानों को राज्य की पांच एवं तीन सितारा होटलों में ठहराने पर कितना व्यय हुआ ?

(2) उक्त मेहमानों के ठहरने की अवधि कितनी-कितनी थी ? व्यय की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत एक वर्ष (वित्तीय वर्ष 1998-99) में सरकारी मेहमानों को राज्य के पांच एवं तीन सितारा होटलों में ठहराने पर राज्य अतिथि मद से कुल व्यय रुपये 20,82,047.23 (अक्षरे बीस लाख बियासी हजार सैंतालीस रुपये तेईस पैसा मात्र) का व्यय हुआ है।

(2) राज्य अतिथियों के ठहरने एवं व्यय की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न कर दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

फैल्सपार एवं क्वार्टज पाउडर व उससे निर्मित उत्पादकों को राहत

608. डा.के.सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में फैल्सपार एवं क्वार्टज पाउडर व उससे निर्मित अन्य उत्पाद के उद्योग को मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग के तहत माना जाकर वाणिज्यिक कर प्रोत्साहन योजना 1998 का लाभ ऐसे उद्योगों को नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा एक जिप्सम ग्राइंडिंग इकाई के प्रकरण के आधार पर फैल्सपार व क्वार्टज पाउडर उद्योग को मिनरल ग्राइंडिंग मानकर उक्त प्रोत्साहन योजना के लाभ से गलत परिभाषित कर वंचित कर रखा है ?

(3) क्या सरकार के पास इस उद्योग को मिनरल ग्राइंडिंग ही मानने के प्रस्ताव ब्यावर से प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पर कब तक विचार कर समुचित निर्णय करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ? प्रस्ताव व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन योजना, 1998 के "प्रिएम्बल" में यह स्पष्ट अंकित है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को देय होगा। योजनान्तर्गत लाभ स्वीकृति हेतु गठित सक्षम समिति "राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति" (एम.एल.एस.सी.) ने अपनी बैठक दिनांक 23.3.99 में यह निर्णय लिया कि फैल्सपार वे क्वार्टज पाउडर तथा मिनरल ग्राइण्डिंग उद्योगों को राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(27) में अंकित परिभाषा के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि नहीं माना जा सकता। अतएव बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के अन्तर्गत ऐसी इकाइयों को बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ नहीं दिया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रस्ताव विचाराधीन है। जिस पर परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जावेगा।

डूंगरपुर के काश्तकारों को कागदर बांध से सिंचाई सुविधा

609. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में ऐसा कोई बड़ा बांध नहीं है जिससे कि डूंगरपुर क्षेत्र के काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मुहैया कराई जा सके ?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर को सिंचाई हेतु पानी देने के लिये कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और कैसे ?

(3) क्या यह सही है कि कागदर बांध की ऊंचाई सी. लेवल से 295 मीटर के करीब है और डूंगरपुर क्षेत्र का लेवल कागदर से करीब 270 से 250 मीटर नीचा है ? क्या कागदर

(श्री नाथूराम अहारी)

बांध को ऊंचा करके डूंगरपुर को सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया जा सकता ? उक्त सम्बन्ध में योजना कब तक बनाई जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में मात्र 23 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसके माध्यम से 2223.91 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, इसके अतिरिक्त कोई वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है।

(2) जी नहीं। डूंगरपुर क्षेत्र में डोलवरियां का ओडा लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा।

(3) जी हां। जल की उपलब्धता के आधार पर सोम कागदर बांध को ऊंचा किया जाना विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह आर्थिक व भौतिक आधार पर उपादेय नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत चयनित गांव/ढाणियां

610. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) एवं **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत करौली जिले के कई गांवों/ढाणियों को चयनित किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौनसे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में चयनित गांव/ढाणियों को भी इस मिशन के तहत चयनित किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांव/ढाणियों को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त मिशन योजना के तहत कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये और उनमें से कितने लग चुके हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत जिला करौली के 6 गांव व 578 ढाणियों को चयनित किया गया जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 187 ढाणियों को इस मिशन के तहत चयनित किया गया है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में इस मिशन के तहत 116 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए जो सभी लगा दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 762 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बन्द पड़ी पेयजल योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभान्वित ग्राम	तहसील	बन्द होने का कारण
1.	पम्प एवं टैंक योजना कुथाडा कलां	कुथाडा कलां	बस्सी	योजना का संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है विद्युत बिल जमा नहीं कराने के कारण सम्बन्ध विच्छेद हो गया है एवं योजना बन्द है।
2.	पम्प एवं टैंक योजना कुथाडा खुर्द	कुथाडा खुर्द	बस्सी	,, ,, ,,
3.	पम्प एवं टैंक योजना हरडी	हरडी	बस्सी	,, ,, ,,
4.	पम्प एवं टैंक योजना मोहनुपुरा	मोहनपुरा	बस्सी	,, ,, ,,
5.	पम्प एवं टैंक योजना दूधली	दूधली	बस्सी	,, ,, ,,
6.	पम्प एवं टैंक योजना बैनाडा	बैनाडा	बस्सी	,, ,, ,,
7.	पम्प एवं टैंक योजना लालगढ़	लालगढ़	बस्सी	योजना संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। संधारण के अभाव में बन्द है।
8.	क्षेत्रीय योजना रलावता-बिशनपुर	रलावता बिशनपुर नांगल लाट	चाकसू चाकसू चाकसू	जल स्त्रोत में पानी की आवक कम हो जाने के कारण केवल 15 मिनट जल आपूर्ति होने के कारण आंशिक रूप से बन्द है। जिसको इस ग्रीष्म काल में पुन: संधारण करके सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे है।
9.	क्षेत्रीय योजना शक्कर खावडा-बद्री नाथपुरा	बद्रीनाथपुरा	चाकसू	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के समय पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण योजना आंशिक रूप से बन्द है। जिसको भी इसी ग्रीष्म काल में ठीक करवाकर पेयजल सुचारू रूप से किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 766 का विवरण)

बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्थित विभिन्न जल योजनाओं से लाभान्वित शहर एवं ग्रामों की सूची

क्र.सं.	शहर का नाम	योजना का प्रकार
1	2	3
1.	बांसवाड़ा (शहर)	शहरी जल योजना
2.	परतापुर (शहर)	शहरी जल योजना
3.	बेड़वा	क्षेत्रीय जल योजना
4.	ठीकरिया	क्षेत्रीय जल योजना
5.	पालोदा	क्षेत्रीय जल योजना
6.	लसाडा	क्षेत्रीय जल योजना
7.	भीमगढ़	क्षेत्रीय जल योजना
8.	बस्ती चन्दनसिंह	क्षेत्रीय जल योजना
9.	ओड़ा	क्षेत्रीय जल योजना
10.	मेतवाला	क्षेत्रीय जल योजना
11.	बरोडिया	क्षेत्रीय जल योजना
12.	आसन	क्षेत्रीय जल योजना
13.	भीमपुर	क्षेत्रीय जल योजना
14.	नवापदर	क्षेत्रीय जल योजना
15.	पाराहेडा	क्षेत्रीय जल योजना
16.	नाटावाडा	क्षेत्रीय जल योजना
17.	लोहारिया	पाइप्ड जल योजना
18.	गढ़ी	पाइप्ड जल योजना
19.	डडूका	पाइप्ड जल योजना
20.	आंजना	पाइप्ड जल योजना
21.	सरेड़ी बडी	पाइप्ड जल योजना
22.	खोडन	पाइप्ड जल योजना
23.	बोरी	पाइप्ड जल योजना
24.	कोटडा बडा	पनघट जल योजना
25.	सुजाजी का गढ़ा	पनघट जल योजना

1	2	3
26.	रंजिया	पनघट जल योजना
27.	खेडा	पनघट जल योजना
28.	भीमसौर	पनघट जल योजना
29.	चौपासाग	पनघट जल योजना
30.	कुपडा	पनघट जल योजना
31.	आसोडा	पनघट जल योजना
32.	कोहासा	जनता जल योजना
33.	कोटड़ा छोटा	हैण्डपम्प योजना
34.	अखेमानजी का गढ़ा	हैण्डपम्प योजना
35.	तोरना	हैण्डपम्प योजना
36.	डालिया	हैण्डपम्प योजना
37.	ओडो की पादर	हैण्डपम्प योजना
38.	हिम्मत सिंह का गढ़ा	हैण्डपम्प योजना
39.	सामागढ़	हैण्डपम्प योजना
40.	वायला	हैण्डपम्प योजना
41.	धूलजी का गढ़ा	हैण्डपम्प योजना
42.	नडीयादा छोटा	हैण्डपम्प योजना
43.	नडीयादा बडा	हैण्डपम्प योजना
44.	बाई का गढ़ा	हैण्डपम्प योजना
45.	सामाफला	हैण्डपम्प योजना
46.	पिछोडा बडा	हैण्डपम्प योजना
47.	उम्बाडा	हैण्डपम्प योजना
48.	राठडिया पाडा	हैण्डपम्प योजना
49.	दलजी का गढ़ा	हैण्डपम्प योजना
50.	खाकरिया गढ़ा	हैण्डपम्प योजना
51.	पिछोडा छोटा	हैण्डपम्प योजना
52.	लीलरवा गढ़ा	हैण्डपम्प योजना
53.	मोईया वासा	हैण्डपम्प योजना
54.	सुन्दनी	हैण्डपम्प योजना
55.	जन्तोडा	हैण्डपम्प योजना
56.	रैयाना	हैण्डपम्प योजना
57.	सागवाडिया	हैण्डपम्प योजना
58.	वजाखरा	हैण्डपम्प योजना

1	2	3
59.	मालपुर	हैण्डपम्प योजना
60.	रोहीडा	हैण्डपम्प योजना
61.	अखेराज गढ़ा	हैण्डपम्प योजना
62.	राजपुरा	हैण्डपम्प योजना
63.	करणपुरा	हैण्डपम्प योजना
64.	सरेडी छोटी	हैण्डपम्प योजना
65.	माखिया कला	हैण्डपम्प योजना
66.	माखिया छोटा	हैण्डपम्प योजना
67.	तली	हैण्डपम्प योजना
68.	रोहनिया खेडा	हैण्डपम्प योजना
69.	जोहनिया	हैण्डपम्प योजना
70.	जोहनिया माफी	हैण्डपम्प योजना
71.	अगरपुरा	हैण्डपम्प योजना
72.	बांकावाडा	हैण्डपम्प योजना
73.	मोर	हैण्डपम्प योजना
74.	मोहन सिंह का गढ़ा	हैण्डपम्प योजना
75.	ऊंटी	हैण्डपम्प योजना
76.	मड़कोला	हैण्डपम्प योजना
77.	सालिया	हैण्डपम्प योजना
78.	वजवाना	हैण्डपम्प योजना
79.	भालों का गढ़ा	हैण्डपम्प योजना
80.	लादडा	हैण्डपम्प योजना
81.	साकरिया	हैण्डपम्प योजना
82.	नवागांव	हैण्डपम्प योजना
83.	किराना की ढाणी	हैण्डपम्प योजना
84.	मदरूप की ढाणी	हैण्डपम्प योजना
85.	भंगोरा	हैण्डपम्प योजना
86.	हिमतों की ढाणी	हैण्डपम्प योजना
87.	मोरीडी	हैण्डपम्प योजना
88.	कुमजी का पारडा	हैण्डपम्प योजना
89.	पाड़लिया की ढाणी	हैण्डपम्प योजना
90.	बोदीया	हैण्डपम्प योजना
91.	खेरन का पाडा	हैण्डपम्प योजना

1	2	3
92.	अवलपुरा	हैण्डपम्प योजना
93.	झूडस	हैण्डपम्प योजना
94.	चितरोडिया	हैण्डपम्प योजना
95.	गरनावट	हैण्डपम्प योजना
96.	मुगधली	हैण्डपम्प योजना
97.	कुंवाला की ढाणी	हैण्डपम्प योजना
98.	भटवाडा	हैण्डपम्प योजना
99.	देवलिया	हैण्डपम्प योजना
100.	घलकीया	हैण्डपम्प योजना
101.	अरनिया	हैण्डपम्प योजना
102.	बांका	हैण्डपम्प योजना
103.	मोतीरा	हैण्डपम्प योजना
104.	चिडिया वास	हैण्डपम्प योजना
105.	निचला घंटाला	हैण्डपम्प योजना
106.	सेवना	हैण्डपम्प योजना
107.	रूंजिया	हैण्डपम्प योजना
108.	सेमलिया	हैण्डपम्प योजना
109.	बडगांव	हैण्डपम्प योजना
110.	मोरडी	हैण्डपम्प योजना
111.	जानावारी	हैण्डपम्प योजना
112.	जानामेडी	हैण्डपम्प योजना
113.	धामनिया	हैण्डपम्प योजना
114.	पीपलवा	हैण्डपम्प योजना
115.	बारीसिया तलाई	हैण्डपम्प योजना
116.	बारी डायलाब	हैण्डपम्प योजना
117.	कांकरा डूंगरी	हैण्डपम्प योजना
118.	लोधा	हैण्डपम्प योजना
119.	ओझरिया	हैण्डपम्प योजना
120.	लालपुरा	हैण्डपम्प योजना
121.	सुरनीपाडा	हैण्डपम्प योजना
122.	नवा तालाब	हैण्डपम्प योजना
123.	गणपतपुरा	हैण्डपम्प योजना
124.	बडवी	हैण्डपम्प योजना

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 768 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार, सुजानगढ़ (चूरू)

क्रमांक : 130 दिनांक : 14.7.99

निमित :-
श्रीमान् जिला कलेक्टर,
चूरू।

विषय : कस्बा बीदासर में ख.नं.1679 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कस्टोडियन भूमि को खुर्द-बुर्द कर हजम करने बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक प.12(12)(3) राजस्व/96 दिनांक 5.7.99

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त शिकायत जांच हेतु प्रासंगिक पत्र के जरिये प्राप्त हुई है।

शिकायत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ख.नं.1679 तादादी 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि कस्बा बीदासर के बीच पी.डब्ल्यू.डी. रोड पर कस्बा बीदासर व दड़ीबा के मध्य है जिसकी कीमत 30 लाख रुपये है। उक्त भूमि मु. शकीना पुत्री इमाम बक्श व्यापारी के नाम से रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित है। इस भूमि के अन्य सहखातेदारान ने अपने हिस्से की अलग भूमि ख.नं.1800 व ख.नं.1679/1797 लेकर अपना हिस्सा हटा लिया। ख.नं.1679 की खातेदारी अकेली शकीना रह गई। शकीना भारत विभाजन के समय पाकिस्तान चली गई इसलिए उसके खाते की भूमि कस्टोडियम लैण्ड हो गई किन्तु भूल से रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ, शकीना पाकिस्तान में है। 1973 में चल बसी। रेवेन्यू रिकार्ड का फायदा उठाने के लिए न.पा. के कर्मचारी अमोलक चंद व.लि. ने शकीना को इमामबक्श की पुत्री नहीं बताकर उसके भाई इस्माइल की पुत्री बताकर मृत्यु पंजीयन रजिस्टर में 25.7.73 को मृत्यु को इन्द्राज कर लिया और इसका मृत्यु प्रमाण-पत्र जनवरी, 99 में जारी करके दिया। मृत्यु प्रमाण-पत्र फर्जी और झूठा है। मृतक शकीना का कुर्सीनामा षड्यंत्रपूर्वक फर्जी व झूठा बनाया जाकर न.पा. सदस्य शकूर खां कुरेशी वा.नं. 9 व मोहम्मद हुसैन वा.नं. 10 ने प्रमाणित किया है। कुर्सीनामा में शकीना के जो वारिशान बताये गये हैं वो शकीना के वारिश नहीं हैं। भारत विभाजन के समय इमाम बक्श की औलाद चार लड़के व एक लड़की पाकिस्तान चले गये थे। फर्जी कुर्सीनामा व प्रमाण-पत्र के आधार पर इन षड्यत्रकारों ने झूठा रिकार्ड बना कर लाखों रुपयों की सरकार की सम्पत्ति हड़प कर गये।

जांच हेतु मैंने दिनांक 7.7.99 को बीदासर पहुंच कर जांच संबंधी पत्रावली अतिरिक्त तहसीलदार बीदासर से प्राप्त किये और विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया। मोहम्मद इस्माइल, समसुदीन मोहम्मद अली, मु. जैतुन एवं नानू के बयान दर्ज किये गये।

पत्रावली के शामिल रिकार्ड व बयानात का निरीक्षण किया। जांच के आधार पर निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

(1) नगरपालिका बीदासर की मृत्यु पंजीयन पंजीकृत में 25.7.73 को शकीना पुत्री इस्माइल की मृत्यु होने का अंकन है। इस इन्द्राज पर मृत्यु की सूचना देने वाले के न हस्ताक्षर हैं और न नाम अंकित है।

(2) जामबंदी सं. 2044 से 2047 में ख.नं. 1700 तादादी 6 बीघा 9 बिस्वा ख.नं. 1679 तादादी 3 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी का अंकन गुलाम हुसैन, श्योकत अली पि. अलादीन 27 हिस्सा अब्दुला पुत्र भादा 27 हिस्सा, मोहम्मद पुत्र नानू 27 हिस्सा, शकीना पुत्री इमामबक्श 122 हिस्सा दर्ज है।

(3) इन्तकाल सं. 650 दिनांक 28.1.93 को दर्ज हुआ है जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतनगढ़ के निर्णय दिनांक 14.10.92 के आदेशानुसार है जिसके अनुसार ख.न. 1700 तादादी 6 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी मूली देवी पत्नी पूनमचंद चोरडिया के नाम दर्ज हुई है। बाकी मांदा खातेदारान बदस्तूर दर्ज है। अर्थात ख.न. 1679 तादादी 3 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी यथावत दर्ज है। किन्तु इस इन्तकाल के कालम सं. 7 में शकीना पुत्री इस्माइल दर्ज है जबकि होना चाहिए था शकीना पुत्री इमाम बक्श।

(4) इन्तकाल सं. 2048 से 2051 में ख.न. 1679 की खातेदारी का अंकन गुलाम हुसैन,श्योकतअली पि. अलादीन 27 हि. अब्दुला वल्द भादा 27 हि. मौहम्मद वल्द नानू 27 हि., शकीना पुत्री इस्माइल 122 हिस्सा दर्ज की गई।

(5) इन्तकाल सं. 801 दिनांक 26.1.98 जो शकीना पुत्री इस्माइल के मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर विरासतन दर्ज हुआ है, के अनुसार ख.नं. 1679 की खातेदारी गुलाम हुसैन, श्योकतअली पि. अलादीन, शकीना बेवा अब्दुला व फकीर मोहम्मद पुत्र नानू को शकीना के वारिश मानकर शकीना का हिस्सा भी इनके नाम दर्ज किया गया। कुर्सीनामा पर शकूर मोहम्मद, शोकतअली व मोहम्मद हुसैन के हस्ताक्षर हैं।

(6) मोहम्मद इस्माइल, समसुदीन, मो. अली, मु. जैतून एवं नानू व्यौपारीयान बीदासर ने बयान किये हैं कि शकीना भारत विभाजन के दौरान अपने भाइयों सहित पाकिस्तान चली गई थी और आज से दस वर्ष पूर्व पाकिस्तान में ही उसकी मृत्यु हुई है। सन् 1973 में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी।

(7) उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर साबित है कि शकीना भारत विभाजन के समय पाकिस्तान चली गई थी। उस समय उसकी खातेदारी भूमि कस्टोडियन भूमि होनी चाहिए थी किन्तु राजस्व अभिलेखन में भूलवश अंकन नहीं हुआ।

(8) नगरपालिका की मृत्यु पंजीयन में शकीना पुत्री इस्माइल की मृत्यु दिनांक 25.7.73 को होने का अंकन है। यह पंजीयन संदेहास्पद है। क्योंकि शकीना के पिता का नाम इमाम बक्श था जबकि पंजिका में इस्माइल अंकित है।

(9) इन्तकाल सं. 650 दिनांक 28.1.93 में भी शकीना के पिता का नाम इस्माइल जानबूझ कर अंकित किया जाना पाया जाता है।

(10) शकीना इस्माइल की पुत्री न होकर इमाम बक्श की पुत्री थी इसलिए इन्तकाल सं. 801 दिनांक 26.1.98 में शकीना पुत्री इस्माइल को उतराधिकारी गुलाम हुसैन, शोकतअली पि. अलादीन, शकीना बेवा अब्दुला व फकीर मोहम्मद पुत्र नानू को मानकर उनके नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज किया जाना गलत है।

शिकायत प्रति नकल मृत्यु पंजीयन रजिस्टर माह जुलाई 73 न.पा. बीदासर, नकल नामान्तरकरण सं. 650 नकल मृत्यु प्रमाण-पत्र शकीना, मय वारिशान प्रमाण-पत्र, नकल नामान्तकरण सं. 801, नकल जमाबन्दी सं. 2044-2047 नकल जमाबंदी से 2048-2051, बयानात मोहम्मद इस्माइल, समसुदीन, मोहम्मद अली, जैतून, नानू संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

ह./-
तहसीलदार
सुजानगढ़

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रशन संख्या 771 की सूची)

ग्राम माधोराजपुरा के चरागाह भूमि पर सं. 2056 में प्राप्त अतिक्रमणियों की रिपोर्ट का विवरण

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	अतिक्रमण रकबा	किस्म अतिक्रमण	किस्म जमीन	कार्यवाही जो की गई	निर्णय दिनांक	बेदखली कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	रामलाल पुत्र नारायण गूजर	खेड़ा श्री हनुमानजी	95/1	4 बिस्वा	बाड़ा	चरागाह	बेदखल	4.11.99	
2.	रामू पुत्र भूरा बलाई	माधोराजपुरा	990/1	4 बिस्वा	बाड़ा चारे हेतु खाम मकान	,,	,,	18.11.99	
3.	रामचन्द्र पुत्र मोटू उर्फ मोटा रेगर	,,	,,	10 बिस्वा	खाम मकान	,,	,,	,,	
4.	जगन्नाथ पुत्र केशर रेगर	,,	,,	5 बिस्वा	खाम मकान व बाड़ा	,,	,,	,,	
5.	रुगन्नाथ पुत्र रामकरण गूजर	,,	,,	1 बिस्वा	रहवासी छप्पर	,,	,,	,,	
6.	बद्री-पुत्र छोटू कुम्हार झराना	,,	1049 मि.	1 बिस्वा	खाम मकान व बाड़ा	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	रामराम, गणेश, भरत पि. लच्छु जाट	माधोराजपुरा	1070	2 बीघा	बाड़ा	चरागाह	बेदखल	18.11.99 बेदखल
8.	घासी पुत्र रामनाथ कुम्हार झराना	,,	,,	5 बिस्वा	खाम मकान व बाड़ा	,,	,,	,,
9.	छोटू पुत्र रामचन्द्र कुम्हार झराना	,,	,,	5 बिस्वा	खाम मकान व बाड़ा	,,	,,	,,
10.	छीतर पुत्र रामचन्द्र कुम्हार झराना	,,	,,	5 बिंस्वा	खाम मकान व बाड़ा	,,	,,	,,
11.	पांचू पुत्र रामचन्द्र कुम्हार झराना	,,	,,	5 बिस्वा	खाम मकान व बाड़ा	,,	,,	,,
12.	रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र झराना	,,	,,	5 बिस्वा	खाम मकान व बाड़ा	,,	,,	,,
13.	रामनारायण पुत्र रामचन्द्र झराना	,,	,,	5 बिस्वा	खाम मकान व बाड़ा	,,	,,	,,
14.	गोपाल पुत्र रामकरण बावरिया	,,	1331	2 बिस्वा	खाम मकान	,,	,,	,,
15.	रामप्रसाद पुत्र नाथू जाट	,,	2051	5 बिस्वा	बाड़ा	,,	,,	,, बेदखल
16.	रूगनाथ पुत्र मोहरू मीणा देवदण्ड	,,	2243/5	5 बिस्वा	खाम मकान व बाड़ा	,,	,,	,,

1	2	3	4
5.	मं. श्री द्वारकाधीशंजी, प्रयागदासजी का (अस्थल) उदयपुर।	राज्य सरकार द्वारा मंदिर को राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मंदिरों की सूची से हटाये जाने की सहमति प्रदान करते हुए मंदिर का राजस्थान सार्वजनिकप्रन्यास अधिनियम 1959 में पंजीयन किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गए हैं।	एफ 9(18)देव/92 दिनांक 21.7.94
6.	मं. श्री कुंजबिहारीजी,	मं. श्री कुंज बिहारीजी, भुडारा, करौली का निर्माण तत्कालीन रियासत द्वारा न कराये जाने व स्वामित्व राज्यसरकार का न होने के कारण सूची से हटाया गया।	एफ 9(8)देव/94 दिनांक 14.10.97

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 776 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग

(अ) मृतक आश्रित प्रकरणों की सिंचाई विभाग से संबंधित सूची

क्र.सं.	नाम आवेदक आश्रित	मृतक कर्मचारी का नाम	आवेदक पद	मृत्यु दिनांक	प्रकरण भेजने का क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामकुवार	श्री मथुरालाल चौकीदार	च.श्रे.क.	16.6.98	253/7.9.98
2.	सुश्री रेखा	श्री प्रभुलाल बेलदार	,,	31.12.98	239/5.6.99
3.	श्री रामलाल	श्रीमती धन्नीबाई कुली	बेलदार	18.4.98	697/3.11.99
4.	श्री कमलेश कुमार	श्री माधोलाल हैल्पर	,,	8.5.97	170/18.6.98
5.	श्री अनवर काठात	श्री कचरू बेलदार	च.श्रे.क.	12.2.99	428/7.8.99
6.	श्री रामदेव	श्री पांचू बेलदार	,,	11.10.97	329/26.8.98
7.	श्री महावीर प्रसाद	श्री प्रभुदयाल धौबी गेर्जरीडर	,,	1.2.99	431/7.8.99
8.	श्री रामलाल	श्री कजौड़ बेलदार	नियमानु. पंजीकृत नहीं	16.8.97	625/4.10.99
9.	श्रीमती प्रेमबाई	श्री बाबू बेलदार	,,	30.11.97	181/20.5.99
10.	श्री भूपेन्द्र सिंह हाडा	श्री हनुमन्तसिंह हाडा टेली. अटैण्डन्ट	टेलीफोन अटैण्डन्ट	24.8.98	288/23.6.99
11.	श्री राजू	श्री नजीर बेलदार	च.श्रे.क.	24.8.99	747/9.12.99 को मु.अभि. जयपुर
12.	श्री दिनेश कुमार	श्री रामनिवास बेलदार	बेलदार	20.1.99	888/ 27.3.2000
13.	श्री किशनलाल	श्री गोपाल चौकीदार	च.श्रे.क.	4.11.98	84/22.4.99
14.	श्री राजेन्द्र कुमार	श्री रामकिशन गैज़रीडर	गैजरीडर	30.4.98	434/7.8.99
15.	श्री रमेशचन्द बैरवा	श्री कल्याण बेलदार	नियमा.	11.12.97	433/7.8.99
16.	श्री रघुवीर दयाल	श्री गोबरीलाल मेट	च.श्रे.क.	18.4.99	432/7.8.99
17.	श्री भवंरलाल	श्रीमती पूलाकुली	बेलदार	15.8.98	455/13.8.99
18.	श्री चन्दालाल	श्री कन्हैयालाल बेलदार	च.श्रे.क.	25.7.98	629/6.10.99

1	2	3	4	5	6
19.	श्री शिवनारायण	श्री मोतीलाल बेलदार	च.श्रे.क.	21.10.96	638/14.10.99
20.	श्रीमती हीराबाई	श्री श्री सुलतान हैल्पर	कुली	29.4.99	546/7.9.99
21.	श्री ब्रहम्मानन्द	श्री गणेश बेलदार	बेलदार	14.8.97	547/7.9.99
22.	श्रीमती चन्द्रकान्ती	श्री कैसरीलाल बेलदार	कुली	21.11.96	211/10.7.98
23.	श्री रामनिवास	श्री छोटा बेलदार	च.श्रे.क.	21.3.97	443/10.8.99
24.	श्री बसन्तीलाल	श्री लाला बेलदार	बेलदार	16.2.97	548/8.9.99
25.	श्री ओमप्रकाश	श्री भैरूलाल बेलदार	च.श्रे.क.	10.3.99	513/25.8.99
26.	श्री हरीकिशन	श्री भंवरलाल बेलदार	बेलदार	23.6.96	480/9.11.98
27.	श्री बाबूलाल	श्री कंवरलाल चौकीदार	चौकीदार	8.11.97	150/7.5.99
28.	श्री पुखराज सुमन	श्री रामनिवास बेलदार	क.लि.	21.8.99	750/9.12.99 को मु.अभि. जयपुर
29.	श्री राजूसिंह	श्री मनोहरसिंह ड्राईवर	ड्राईवर	13.12.80	287/23.6.99
30.	श्री मनोज कुमार	श्री मागसिंह लोधा पटवारी	क.लि.	13.12.99	63/24.3.2000
31.	श्री मौहम्मद साजिद	श्री मौहम्मद अहमद पटवारी	क.लि.	18.11.89	418/13.12.99
32.	श्रीमती कैलाशी बाई	श्री कैलाश प्रसाद शर्मा पटवारी	च.श्रे.क.	9.12.98	1455/30.3.99
33.	श्री शिवराज सैनी	श्री रामदेव सैनी पटवारी	क.लि.	19.5.99	4238/31.8.99
34.	श्री जोगराज सिंह	श्री रणजीतसिंह पटवारी	नियमा.	29.7.98	1.4.2000
35.	श्रीमती समुद्रा बाई	श्री छीतर बेलदार	कुली/सहा. कर्मचारी	7.9.99	855/ 18.3.2000
36.	श्री ओमप्रकाश	श्री द्वारका लाल बेलदार	,,	12.11.99	856/ 18.3.2000
37.	श्री इन्द्रराज गोचर	श्री उदालाल गुजर	क.लि.	24.10.98	854/ 18.3.2000
38.	श्री गिर्राज प्रसाद	श्री हीरा बेलदार	बेलदार	2.10.99	857/ 21.3.2000
39.	श्री सूर्यप्रकाश	श्री रामप्रसाद गैजरीडर	क.लि.या नियमा.	2.2.99	915/ 30.3.2000
40.	श्रीमती यशोदाबाई	श्री रामदास चौकीदार	-	28.2.97	39/9.4.99
41.	श्री बाबूलाल	श्री बंजरंगलाल	-		2496/97/ 6.1.98

1	2	3	4	5	6
42.	श्री कालूलाल	श्री रामकरण	बेलदार	10.11.83	347/12.7.99
43.	श्री देवीशंकर	श्री प्रभु बेलदार	-	12.6.95	48/15.4.99
44.	श्री एफाज मौहम्मद	श्री अली मौहम्मद बेलदार	च.श्रे.क.	7.12.99	-
45.	श्री आशीष औझा	श्री जी.पी.औझा		30.4.99	दि. 26.4.2000 को 18 वर्ष की उम्र होगी
46.	श्री रमेश चन्द्र	श्री धन्नासिंह चवालिया		-	-
47.	श्री नीरज गौतम	श्रीमती सूरज देवी	नियमानु.	19.1.99	जिला कलेक्टर बूंदी को आवंटित किया गया दि. 7.4.2000

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार

सिविल क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग

विषय :- मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति बाबत।

आयुक्त, सीएडी चम्बल के पत्र क्रमांक एडीसी/1/सी/6/99/2554-56 दिनांक 22-10-99 द्वारा मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति देने हेतु 34 प्रकरण मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजे गए थे, जो अभी तक अनिर्णियत हैं। राजस्थान विधान सभा सदस्य श्री रामगोपाल बैरवा ने वर्तमान सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्न संख्या-3149 के माध्यम से उक्त प्रकरणों में नियुक्ति से संबंधित जानकारी चाही गई है।

कृपया प्रकरणों को शीघ्र निर्णीत कराकर वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायें।

ह/-
(वी.एस.सिंह)
शासन सचिव

श्री सुधीर भार्गव,
शासन सचिव,
सिंचाई विभाग।
अंश. टीप संख्या प.11(39)सीएडी/2000
जयपुर, दिनांक 24 अप्रैल, 2000

परिशिष्ट "स"

24 अप्रैल, 2000

प्रिय,

राजस्थान विधान सभा के चालू सत्र में विधायक श्री रामगोपाल बैरवा द्वारा उठाये गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर के लिए अपने कार्यालय से उपलब्ध कराई गई जानकारी का अवलोकन करें। जिन प्रकरणों का अंतिम निर्णय आपके यहां से होना है, उनमें दिनांक 30-04-2000 तक कार्यवाही पूर्ण कराकर जानकारी प्रेषित करायें।

सद्भावी,
ह/-
(वी.एस.सिंह)
शासन सचिव

श्री भरत मीणा,
क्षेत्रीय विकास आयुक्त,
सीएडी, चम्बल,
कोटा।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 779 का संलग्नक)

क्र.सं.	परियोजनाओं की श्रेणी व नाम	निर्माण की वर्तमान स्थिति
	मध्यम सिंचाई परियोजना	
1.	छापी	निमार्ण कार्य प्रगति पर है, वर्ष 2001 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
2.	सावन भादों	कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इससे सिंचाई भी प्रारम्भ हो चुकी है।
3.	बिलास	कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इससे सिंचाई भी प्रारम्भ हो चुकी है।
4.	गरडदा	परियोजना का सर्वेक्षण कार्य अन्तिम चरण में है। परियोजना रिपोर्ट आर्थिक, भौतिक एवं तकनीकी आधार पर उपादेय होने पर स्वीकृत आधार पर उपादेय होने पर स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ होना सम्भव होगा।
	लघु सिंचाई परियोजना	
1.	फालिया	परियोजना का प्रारूप तैयार करवाया जा रहा है।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 783 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

रायपुर लूनी बांध एवं झिलमिल बांध (बिराटियां खुर्द) से सिंचित राजस्व ग्रामों की भूमि का विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम	सी.सी.ए. (बीघा में)	आई.सी.ए. (बीघा में)
1.	**रायपुर लूनी बांध**		
	रायपुर	8825.00	5295.00
	बली	525.00	315.00
	बोगासनी	840.00	505.00
	बर	50.00	30.00
	बिराटिया कलां	1825.00	1095.00
	लीलाम्बा	2582.50	1550.00
	निम्बाज	587.50	352.00
2.	**झिलमिल बांध**		
	बिराटिया खुर्द	470.00	435.00
	योग :-	**15705.00**	**9577.00**

परिशिष्ट "ब"

रायपुर लूनी बांध से लिफ्ट सिंचाई के आंकड़े ग्रामवार वर्षवार विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम	बाधों में वर्षवार लिफ्ट सिंचाई के आंकड़े								
		91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000
1.	दीपावास	-	37.00	-	-	154.75	140.80	153.70	170.85	39.15
2.	मेगड़दा	18.90	34.30	-	-	74.75	103.85	120.80	80.55	-
3.	माकडवाली	-	-	-	-	-	-	32.55	6.25	-
4.	बर	16.90	15.60	-	7.10	107.95	137.00	140.10	130.55	13.50
5.	रायपुर	38.20	267.90	-	65.15	564.20	786.25	880.20	902.90	101.65
6.	बीराठियां कलां	-	52.00	-	173.90	206.10	291.35	-	219.25	-
7.	लीलाम्बा	-	-	-	-	-	28.85	-	-	-
	योग :-	74.00	406.80	-	246.15	1107.75	1488.10	1327.35	1510.35	154.30

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 785 की सूची)

भीलवाड़ा जिले में कार्यरत पशु चिकित्सालयों की सूची

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय	तहसील
1	2	3
1.	प.चि. आगूचा	हुरडा
2.	प.चि. अकोला	कोटडी
3.	प.चि. आसीन्द	आसीन्द
4.	प.चि. बदनोर	आसीन्द
5.	प.चि. बनकाखेडा	कोटडी
6.	प.चि. बनेडा	बनेडा
7.	प.चि. बडलियास	कोटडी
8.	प.चि. बखन्दी	माण्डलगढ़
9.	प.चि. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
10.	प.चि. कृषि उपजमण्डी	भीलवाड़ा
11.	प.चि. भोपतपुरा	माण्डलगढ़
12.	प.चि. बिजौलिया	माण्डलगढ़
13.	प.चि. ब्राहमणों की सरेरी	आसीन्द
14.	प.चि. चांदजी की खेडी	माण्डलगढ़
15.	प.चि. डाबला	बनेडा
16.	प.चि. ढिकोला	शाहपुरा
17.	प.चि. दौलतगढ़	आसीन्द
18.	प.चि. गंगापुर	सहाडा
19.	प.चि. गुलाबपुरा	हुरडा
20.	प.चि. ज्ञानगढ़	माण्डल
21.	प.चि. हमीरगढ़	भीलवाड़ा
22.	प.चि. हुरडा	हुरडा
23.	प.चि. जहाजपुर	जहाजपुर
24.	प.चि. काछौला	माण्डलगढ़
25.	प.चि. कनेछनकलां	शाहपुरा
26.	प.चि. करेडा	माण्डल

1	2	3
27.	प.चि. कोशीथल	सहाडा
28.	प.चि. कोटडी	कोटडी
29.	प.चि. खाखरमाला	रायपुर
30.	प.चि. जुहारिया	माण्डल
31.	प.चि. मंगरोप	भीलवाड़ा
32.	प.चि. मोटरास	आसीन्द
33.	प.चि. माण्डल	माण्डल
34.	प.चि. माण्डलगढ़	माण्डलगढ़
35.	प.चि. महुआ	माण्डलगढ़
36.	प.चि. मोडका निम्बाहेडा	आसीन्द
37.	प.चि. नन्दराय	माण्डलगढ़
38.	प.चि. पण्डेर	जहाजपुर
39.	प.चि. पारौली	कोटडी
40.	प.चि. पोटलां	सहाडा
41.	प.चि. पुर	भीलवाड़ा
42.	प.चि. फूलियाकलां	शाहपुरा
43.	प.चि. रायला	बनेडा
44.	प.चि. रायपुर	रायपुर
45.	प.चि. राजपुरा	शाहपुरा
46.	प.चि. रूपाहेलीकलां	हुरडा
47.	प.चि. रौपा	जहाजपुर
48.	प.चि. सहाडा	सहाडा
49.	प.चि. सुवाणा	भीलवाड़ा
50.	प.चि. सांगरिया	शाहपुरा
51.	प.चि. श्यामपुरा	माण्डलगढ़
52.	प.चि. शाहपुरा	शाहपुरा
53.	प.चि. खिंगौली	माण्डलगढ़
54.	प.चि. सरेरी स्टेशन	हुरडा
55.	प.चि. सांगानेर	भीलवाड़ा
56.	प.चि. शक्करगढ़	जहाजपुर
57.	प.चि. शंभूगढ़	आसीन्द

भीलवाड़ा जिले में कार्यरत उपकेन्द्रों की सूची

क्र.सं.	उपकेन्द्र	तहसील
1	2	3
1.	उपकेन्द्र, खारी का लाम्बा	हुरडा
2.	उपकेन्द्र, भोजरास	हुरडा
3.	उपकेन्द्र, आमलीगढ़	भीलवाड़ा
4.	उपकेन्द्र, पांसल	भीलवाड़ा
5.	उपकेन्द्र, रीछडा	भीलवाड़ा
6.	उपकेन्द्र, बावडी	माण्डल
7.	उपकेन्द्र, केरिया	माण्डल
8.	उपकेन्द्र, लाछुडा	आसीन्द
9.	उपकेन्द्र, कुण्डियाकलां	बनेडा
10.	उपकेन्द्र, लाम्बियाकलां	बनेडा
11.	उपकेन्द्र, तखतपुरा	सुवाणा
12.	उपकेन्द्र, कोटडी भादवों की	हुरडा
13.	उपकेन्द्र, कंवलियास	हुरडा
14.	उपकेन्द्र, भोजपुर	आसीन्द
15.	उपकेन्द्र, उपरेडा	बनेडा
16.	उपकेन्द्र, धनोप	शाहपुरा
17.	उपकेन्द्र, बिहाडा	जहाजपुर
18.	उपकेन्द्र, बेई	जहाजपुर
19.	उपकेन्द्र, सरसिया	जहाजपुर
20.	उपकेन्द्र, सवाईपुर	कोटडी
21.	उपकेन्द्र, सुठैया	माण्डलगढ़
22.	उपकेन्द्र, आमलीकलां	शाहपुरा
23.	उपकेन्द्र, सराणा	माण्डलगढ़
24.	उपकेन्द्र, छोटी बिजौलिया	माण्डलगढ़
25.	उपकेन्द्र, थलकलां	माण्डलगढ़
26.	उपकेन्द्र, बिकरण	माण्डलगढ़
27.	उपकेन्द्र, कांवलास	आसीन्द
28.	उपकेन्द्र, माल का खेडा	माण्डलगढ़
29.	उपकेन्द्र, बेमाली	माण्डल
30.	उपकेन्द्र, खटवाड़ा	माण्डलगढ़

1	2	3
31.	उपकेन्द्र, बिलौठा	जहाजपुर
32.	उपकेन्द्र, आरजिया	बनेडा
33.	उपकेन्द्र, धुवाला	जहाजपुर
34.	उपकेन्द्र, भगवानपुरा	माण्डल
35.	उपकेन्द्र, गेन्दलिया	कोटडी
36.	उपकेन्द्र, फलासिया	जहाजपुर
37.	उपकेन्द्र, किशनगढ	जहाजपुर
38.	उपकेन्द्र, संग्रामगढ	आसीन्द
39.	उपकेन्द्र, गुरला	माण्डल
40.	उपकेन्द्र, दांतलखेडी	कोटडी
41.	उपकेन्द्र, कोदूकोटा	कोटडी
42.	उपकेन्द्र, खैदाबाद	सुवाणा
43.	उपकेन्द्र, माण्डलगढ	माण्डलगढ
44.	उपकेन्द्र, मानपुरा	माण्डलगढ
45.	उपकेन्द्र, लाडपुरा	माण्डलगढ

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 209 की सूची)

परिशिष्ट "क"

सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन जयपुर शहर में श्रेणीवार स्थित आवास गृहों की सूची

प्रथम श्रेणी : कुल आवास-99 (मंत्रियों के बंगलों सहित)

गांधीनगर	42
सिविल लाइन	28
अस्पताल रोड	13
खातीपुरा	02
हीरा बाग	09
रामसिंह रोड	03
म्यूजियम रोड	01
भगत सिंह मार्ग	01
	99

द्वितीय श्रेणी : कुल आवास-25 (बजाज नगर आपर्टमेंन्ट सहित)

गांधीनगर	225
हीरा बाग	30
	255

तृतीय श्रेणी : कुल आवास-402

गांधीनगर	199
विद्याधर नगर	106
जवाहर नगर	49
मालवीय नगर	48
	402

चतुर्थ श्रेणी : कुल आवास-498 (सभी गांधीनगर में)

<u>पंचम श्रेणी</u> : कुल आवास-405

गांधीनगर	320
विद्याधर नगर	85
	405

एच टाइप : कुल आवास-198 (सभी गांधीनगर में)

जिला पूल व अन्य : कुल आवास-81

कुल :	1938

परिशिष्ट-ख

वर्ष 1994 से विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों की वर्षवार संख्या सूची

वर्ष	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	पंचम श्रेणी	H श्रेणी
1994	-	10	6	277	237	84
1995	5	45	9	227	255	58
1996	9	57	21	422	593	152
1997	11	77	57	258	249	52
1998	10	54	101	165	211	53
1999	9	55	76	155	149	52
2000	5	3	3	2	3	1

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 323 का विवरण)

परिशिष्ट–क

S.No.	YEAR	TOTAL INCOME
1	89-90	264.95
2	90-91	592.64
3	91-92	538.25
4	92-93	502.31
5	93-94	511.16
6	94-95	880.77
7	95-96	854.69
8	96-97	1441.72
9	97-98	1887.77
10	98-99	2811.68
11	99-2000	3597.11
TOTAL		**13883.05**

परिशिष्ट–ख

S.No.	YEAR	TAX	PENTLY	INTREST	TOTAL
1	89-90	120.94	136.32	7.69	264.95
2	90-91	251.96	309.41	31.27	592.64
3	91-92	82.35	392.15	63.75	538.25
4	92-93	148.17	303.03	51.11	502.31
5	93-94	138.38	361.58	11.2	511.16
6	94-95	288.86	560.32	31.59	880.77
7	95-96	195.68	646.67	12.34	854.69
8	96-97	301.63	1118.85	21.24	1414.72
9	97-98	333.20	1532.12	22.45	1887.77
10	98-99	403.89	2389.25	18.54	2811.68
11	99-2000	744.29	2816.94	35.88	3597.11
TOTAL		**3009.35**	**10566.64**	**304.06**	**13883.05**

परिशिष्ट-ग

S.No.	YEAR	REFUND
1	89-90	6.58
2	90-91	12.37
3	91-92	15.38
4	92-93	22.88
5	93-94	30.32
6	94-95	18.4
7	95-96	52.48
8	96-97	93.13
9	97-98	74.30
10	98-99	113.47
11	99-2000	112.83
	TOTAL	**552.14**

परिशिष्ट – 14

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गईं)

डग विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

(श्री मदन लाल वर्मा – डग)

महोदय,

कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान डग विधान सभा क्षेत्र की खस्ता हाल सड़कों की तरफ आकृष्ट कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में भवानी मण्डी से दुधालिया तक राज मार्ग नं. 19 पर 129 किमी. से 205 किमी. तक एक मुख्य जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क कूण्डला चौमहला से डग तक का मार्ग गत वर्ष हुई अतिवृष्टि से पूरी तरह टूट चुका है। वर्तमान में कूण्डला से ज़िला मुख्यालय झालावाड़ तक बस से सफर करने में 7 घंटे का समय लगता है एवं उपखण्ड भवानी मंडी तक का सफर करने में पांच घंटे का समय लगता है। उक्त मार्ग में दो नालों पर बना हुआ पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। आने वाले वर्षाकाल में मार्ग पूरी तरह से बन्द हो सकते हैं। ऐसी सूरत में मेरे क्षेत्र के नागरिकों की पीड़ा बहुत बढ़ गई है एवं क्षेत्र के नागरिकों में असंतोष है।

अतः श्रीमान् आपके माध्यम से सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त सड़कों की मरम्मत अविलम्ब करावें चूंकि राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में से आधी को बंद कर दिया गया है इसलिए उक्त सड़कों की मरम्मत अति शीघ्र करवाने का कष्ट करें। अन्यथा क्षेत्र की जनता का असंतोष काफी बढ़ चुका है व जनता कभी भी आंदोलन कर सकती है।

धन्यवाद।

पचपदरा तहसील के ग्राम कीटनोद में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण

(श्री अमरा राम चौधरी – पचपदरा)

मान्यवर जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु निवेदन करता हूं कि ग्राम कीटनोद में वर्तमान समय करीब 200 से भी अधिक कृषि विद्युत कनेक्शंस हैं। इस ग्राम के कृषि कुओं पर विद्युत कानान ग्रिड सब स्टेशन से मिलती है, जबकि कानान ग्रिड सब स्टेशन पर चार ग्राम सराणा, जानियाना, पारलू, कानाना जुड़े हुए हैं। इस कारण इस ग्रिड स्टेशन पर भारी लोड के कारण कीटनोद के कृषि कुओं पर वोल्टेज बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से मोटरर्स आये दिन जलती रहती हैं इससे काश्तकारों की आर्थिक क्षति होती है।

दूसरा मुख्य कारण यह है कि लूनी नदी के दक्षिण में कीटनोद ग्राम आया हुआ है इस कारण लूनी नदी में थोड़ा सा पानी आने पर खम्भे गिर जाते हैं जिसके कारण काश्तकारों को कई दिनों तक बिजली नहीं मिलती।

अत: कृषकों के हितों को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान् से निवदेन है, सरकार को निर्देश दिलावें कि शीघ्र ही कीटनोद में ग्रिड सब स्टेशन 33/11 का निर्माण करें।

पाली विधान सभा क्षेत्र के कतिपय विद्यालयों का क्रमोन्नयन

(श्री ज्ञानचन्द पारख – पाली)

महोदय,

उपरोक्त विषय में माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष भी कई विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र पाली में मात्र एक विद्यालय टैगोर नगर को प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी निवेदन है कि पाली विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का श्रम करें:-

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगड़िया पंचायत मुख्यालय निम्बली को उच्च प्राथमिक विद्यालय में।
2. राजकीय प्राथमिक विद्यायल जबड़िया को उच्च प्राथमिक विद्यालय में।
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुदिया पंचायत ढाबर को उच्च प्राथमिक विद्यालय में।
4. निम्बली पटेलान के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में।

उपरोक्त चारों प्राथमिक विद्यालयों के छोटे बच्चों को कक्षा छठी की पढ़ाई हेतु लगभग 8-10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ता है। कई बच्चों को पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। अधिकांश बालिकाओं के माता-पिता अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजते हैं जिसके कारण जिन बालिकाओं की रुचि पढ़ने में है एवं कई ऐसी छात्राएं जो पढ़ाई में होशियार हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से आगे की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

निम्नलिखित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु भी निवेदन है।

1. वायद उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु। वायद रोहट पंचायत समिति का बड़ा गांव है। दस किलोमीटर तक कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है।
2. बिन्दू उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को भी आगे की शिक्षा हेतु करीब 12-13 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
3. निम्बली उडा उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को भी आगे की शिक्षा हेतु दस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

4. धोलेरिया शासन के उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को आगे की शिक्षा हेतु करीब 15 किलोमीटर दूर जाना पडता है।

निम्न माध्यमिक विद्यालयों को भी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु निवेदन है :-

1. राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय भिल क्षेत्र को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करावें।

मान्यवर, भिल क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, यहां के निवासियों में अधिकांश श्रमिक व पिछड़े वर्ग के हैं। पाली शहर जिसकी आबादी करीब डेढ़ लाख है, बालिकाओं का एक मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो भिल क्षेत्र स्कूल से करीब आठ किलोमीटर दूर है। इस कारण यहां के निर्धन व्यक्ति अपनी बच्चियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़ा देते हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार महिला शिक्षा के प्रति काफी गंभीर है, मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस विद्यालय को तत्काल क्रमोन्नत करावें।

2. इसी प्रकार भिल क्षेत्र में ही स्थित है, सुल्तान राजकीय माध्यमिक विद्यालय को भी क्रमोन्नत करना आवश्यक है। पूरे पाली शहर में छात्रों का उच्च माध्यमिक विद्यालय भी एक ही है जो इस विद्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर है। कृपया इसे भी क्रमोन्नत करावें।

3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय मांडावास पंचायत समिति रोहट भी जिले के एक छोर पर स्थित है, कृपया इसको भी क्रमोन्नत करावें।

मान्यवर मंत्रीजी, उल्लिखित सभी विद्यालय मापदंड में आ रहे हैं। विद्यालय भवन भी पर्याप्त है। कृपया इसी सत्र में क्रमोन्नत करवाने का श्रम करें।

किशनगढ़ में अघोषित विद्युत कटौती

(श्री नाथूराम सिनोदिया – किशनगढ़)

महोदय,

मेरे क्षेत्र किशनगढ़ शहर व ग्रामीण अंचल में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के जयपुर एवं अजमेर स्थित अभियन्ताओं द्वारा अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। इसकी शिकायत स्वयं मण्डल के किशनगढ़ शहर स्थित अधिशाषी अभियन्ता ने उच्च अधिकारियों को अपने मैसेज नं. 185 दिनांक 15.4.2000 व मैसेज नं.198 दिनांक 16.4.2000 तथा पुन: मैसेज नं. निल दिनांक 17.4.2000 द्वारा की है।

किशनगढ़ को कुल करीब 27 मेगावाट की जरूरत के मुकाबले केवल 15-17 मेगावाट बिजली मिल रही है।

मान्यवर, किशनगढ़ मार्बल एवं पावरलूम उद्योग के लिए मशहूर है जिसमें हजारों लोग लगे हुए हैं, अघोषित विद्युत कटौती से उद्योगपतियों व मजदूरों में गहरा असंतोष है।

अत: अघोषित बिजली कटौती बंद कर तुरन्त कम से कम 27 मेगावाट बिजली देने की व्यवस्था हेतु बिजली बोर्ड को पाबन्द करें व मनमानी कटौती बन्द करें तथा पूरी 27 मेगावाट विद्युत किशनगढ़ को देवें।

सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर खाद्य सामग्री में की जा रही भारी मिलावट

(श्री यास्मीन अबरार – सवाईमाधोपुर)

महोदय,

मैं नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर खाद्य सामग्री में भारी मिलावट एवं उससे उत्पन्न बीमारियों से सवाईमाधोपुर की जनता पीड़ित है। महोदय, सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर इन दिनों खाद्य सामग्री में भारी मात्रा में मिलावट की जा रही है तथा उसको रोकने के लिए वहां किसी प्रकार का कोई अंकुश, जांच, छापे अथवा लोगों में भय नहीं है। वहां खुले आम देशी घी, वनस्पति घी, खाने के तेल, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया एवं पिसे हुए मसाले तथा आटा, सिंथेटिक दूध, मिलावटी डीजल, पैट्रोल यहां तक कि मिलावटी नकली दवाइयों का बाजार में भारी प्रचलन है तथा गरीब मजदूर, जनता की मेहनत का पैसा वह अपनी जिस खाद्य सामग्री में उपयोग कर रहा है उसको पता नहीं है कि वह उसके लिए जहर बन जाएगा तथा जिससे सवाईमाधोपुर में नई नई बीमारियां घर कर रही हैं, लोग पीड़ित हैं तथा जिन शासकीय एजेन्सियों एवं अधिकारियों का इन सब मिलावटों को रोकने का, इनके सैम्पल लेने का, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी को समाप्त करने का दायित्व है वह पूर्णतया भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तथा उन्होंने हर जगह साप्ताहिक एवं मासिक बंधियां बांध रखी हैं तथा गत कुछ दिनों में वहां मिलावटी एवं कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकने से सम्बन्धित विभाग जैसे समाप्त ही कर दिये हैं। इस प्रकार खुले रूप में उपरोक्त कारोबार चल रहा है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि तत्काल इस दिशा में सख्त कदम उठाये एवं जो अधिकारी इस निरंकुश आचरण के लिए दोषी हैं तथा जिनके कारण जनता को यह पीड़ा भोगनी पड़ रही है उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगी कि यह मिलावट एवं जमाखोरी का कैंसर सारे प्रदेश में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है अत: सरकार को प्रदेश स्तर पर भी इसको रोकने एवं समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चालू करना चाहिए।

बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में सैण्ड स्टोन खनिज की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी -छबड़ा)

महोदय,

बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा राजपुरा नारोली क्षेत्र की सैण्ड स्टोन खनिज वाली सरकारी भूमि पर चौथ वसूली करने के उद्देश्य से कब्जा करके बड़े-बड़े बाड़े बनाकर आतंक फैला रखा है। स्वीकृत एवं रजिस्टर्ड शुदा खनन लीज पर कार्य करने वालों पर भू-माफिया गिरोह के हथियारबंद बदमाशों द्वारा दिनांक 03.02.99 को जानलेवा हमला करके 6 व्यक्तियों को घायल करके चौथ वसूली की राशि प्राप्त करने के लिए खानों पर काम करने वालों पर आतंक फैलाया। अवैध कब्जे छोड़ने के बहाने अवैध वसूली करने के लिए सरकारी भूमि खसरा संख्या 133 से 146 ग्राम नारोली तहसील एवं जिला बूंदी पर सादे पत्थर के कोट खड़े कर रखे हैं। इस संबंध में अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा वृत्त, कोटा द्वारा जिला कलेक्टर बूंदी को लिखा गया पत्र क्रमांक 3229 दिनांक 28.09.99 पुलिस अधीक्षक, बूंदी द्वारा जिला कलेक्टर बूंदी को लिखा गया पत्र क्रमांक 719-22 दिनांक 04.02.99 तथा संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा जिला कलेक्टर बूंदी एवं पुलिस अधीक्षक बूंदी को लिखे गये पत्र क्रमांक 12 से 14, 385-386 दिनांक 7.11.99, 1.11.99 से स्थिति स्वत: स्पष्ट हो जाती है। किन्तु अभी तक भी अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है तथा भू-माफियों का आतंक बना हुआ है। खनन कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे बाबत मुकदमें दर्ज करवाये जाना भी आवश्यक है।

अत: इस बाबत अविलम्ब ही अतिक्रमियों द्वारा जबरन धन वसूली के लिए बनाये गये बाड़े के पत्थरों की दीवारें हटाकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जावे एवं खनन लीज धारकों की भू-माफियों से सुरक्षा की जावे।

देसूरी के विद्युत अधिकारियों की लापरवाही से एक बालक की मृत्यु

(श्री मांगीलाल गरासिया – गोगुन्दा)

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है दिनांक 23.4.2000 को सायं 6 बजे मुख्यालय देसूरी स.आ. कार्यालय जिला पाली में घाचियों के बास में एक विद्युत पोल में लगी तार में विद्युत विभाग के अधिकारियों को बारबार निवेदन किये जाने के उपरान्त भी इन्सुलेटर नहीं लगवाया जिसके फलस्वरूप तार में विद्युत प्रवाह होने से पास में खेल रहे दो बालक मुकेश उम्र 9 वर्ष तथा सुरेश उम्र 12 वर्ष पुत्र गमनाजी घाची चपेट में आ गये, जिससे मुकेश की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई जबकि सुरेश को लोगों द्वारा बचा लिया गया। सुरेश भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना घटित होने पर वहां की जन प्रतिनिधि व मौहल्ला वालों ने विद्युत कार्यालय में सूचना दी परन्तु विद्युत कार्यालय के सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता मुख्यालय पर नहीं थे वो मुख्यालय छोड़कर चले गये थे, अक्सर वो लोग मुख्यालय पर रहते ही नहीं हैं।

ऐसी घटनाएं प्रतिवर्ष देसूरी क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं जिससे लोगों को जान माल का अत्यधिक खतरा बना हुआ है। पूर्व में हुई दर्दनाक मौतों से विद्युत मण्डल के देसूरी स्थित अधिकारियों को कोई अफसोस नहीं है तथा न ही दुर्घटनाएं रोकने बाबत कोई उपाय ही कर रहे हैं।

अत: माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे, उन्हें पाबन्द किया जावे कि वे मुख्यालय नहीं छोड़े। जन प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें मीटिंगों या कोई सरकारी कार्य हेतु बुलाया जाता है तो वे उपस्थित नहीं होते हैं। अत: उन्हें दण्डित किया जाए और मेरे क्षेत्र से उन्हें अति शीघ्र हटाया जाए और मुकेश की मृत्यु व सुरेश जो पूर्णतया घायल हुआ, सरकार की ओर से पूर्व सहायता उनके परिवारजनों को दिलाई जाए। सभी जिलों में विद्युत अधिकारियों को पाबन्द किया जाए कि जन प्रतिनिधियों से समय समय पर सम्पर्क कर ऐसी घटनाएं रोकने हेतु कदम उठाएं।

राज्य के निजी चिकित्सालयों में हो रही अनियमितता

(श्री हरजीराम बुरड़क – लाडनूं)

महोदय,

राज्य में चल रहे निजी अस्पतालों पर राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किये जाने के कारण इनमें भयंकर अनियमितताएं की जा रही हैं जिसके कारण लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहां तक कि इसमें जो भी नर्सिंग स्टाफ कार्यरत है वो कोई भी प्रशिक्षित नहीं है और ना ही कोई योग्यता रखते हैं फिर भी इनके भरोसे ही सारे निजी चिकित्सालय चल रहे हैं।

जब एक दवाइयों की दुकान चलाने के लिए योग्यताधारी व्यक्ति आवश्यक है और पूरा अस्पताल चलाने के लिए किसी प्रकार का न तो कोई नियंत्रण है और न किसी योग्यताधारी स्टाफ रखने की शर्त है, इस प्रकार से निजी चिकित्सालयों को जनता को लूटने और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दी जा रही है।

कहा यह जा रहा है कि इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। जब एक दवाई की दुकान के लिए कानून है तो अस्पताल के लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है जबकि यह मामला कई बार सरकार के ध्यान में आ चुका है।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस संबंध में लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कोई कारगर कदम उठाने का श्रम करें।